सत्यमेव जयते

आर्थिक समीक्षा
2019-20

खण्ड 2

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
आर्थिक प्रभाग
नॉर्थ ब्लॉक
नई दिल्ली–110001
ई–मेलः cordecdn-dea@nic.in
जनवरी, 2020

विषय सूची

अध्याय सं.	पृष्ठ सं.	अध्याय का नाम
1		**अर्थव्यवस्था की स्थिति**
	2	वर्ष 2019-20 में वैश्विक अर्थव्यवस्था
	4	वर्ष 2019-20 में भारतीय अर्थव्यवस्था
	16	प्रथम अग्रिम प्राक्कलन 2019-20
	20	वृद्धि में का मंदन चक्र
	27	संभावनाएं
2		**राजकोषीय घटनाक्रम**
	37	केन्द्रीय सरकार के वित्त साधन
	55	राज्य वित्त
	57	सामान्य राजकीय वित्त
	58	भावी परिदृश्य
3		**वैदेशिक क्षेत्र**
	71	विहंगावलोकन: भारत का 'भुगतान-संतुलन'
	72	चालू खाता घाटा
	93	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश
	94	विदेशी पत्रक निवेश
	96	विदेशी वाणिज्यिक उधार
	97	विदेशी ऋण
	97	वैदेशिक देनदारियां
	98	निवल अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति
	99	संभावी परिदृश्य
4		**मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता**
	110	वर्ष 2019-20 के दौरान मौद्रिक घटनाक्रम
	113	तरलता (नकदी) की स्थिति और इसका प्रबंधन
	115	जी-सैक (सरकारी प्रतिभूति) बाजार घटनाक्रम
	116	बैंकिंग क्षेत्र
	116	मौद्रिक संचरण
	121	गैर बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र
	125	पूंजी बाजार का घटनाक्रम
	127	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक द्वारा निवेश
	127	भारतीय बेंचमार्क सूचकांक की गतिविधि
	129	बीमा क्षेत्र
	132	अक्षमता और दिवालियापन संहिता
5		**कीमतें और मुद्रास्फीति**
	138	परिचय
	139	मुद्रास्फीति में वर्तमान प्रवृतियां

143 राज्यों में मुद्रा-स्फीति
146 मुद्रास्फीति के कारक
146 कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) तथा ईंधन की कीमतों में वृद्धि
146 दवा मूल्य निर्धारण
148 खाद्य स्फीति (महंगाई)
156 विभिन्न अतिआवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्यों की परिवर्तनशीलता का विश्लेषण
157 कृषि संबंधी आवश्यक वस्तुओं के खुदरा और थोक मूल्यों में अंतर
160 क्या महंगाई की गति में कोई बदलाव रहा है?
163 वैश्विक वस्तु कीमतों के रुझान
164 आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि को रोकने के उपाय
164 निष्कर्ष

6 संधारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन

167 परिचय
168 भारत और संधारणीय विकास लक्ष्य (एसडीजी)
173 जलवायु परिवर्तन
179 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहल
181 भारत और इसके वन
186 फसल अवशिष्टों का जलाया जाना-एक बड़ी चिंता
190 भावी परिदृश्य

7 कृषि एवं खाद्य प्रबंधन

193 प्रस्तावना
194 कृषि का सिंहांवलोकन
195 न्यूनतम समर्थन मूल्य
196 कृषि का मशीनीकरण
198 सूक्ष्म सिंचाई
199 कृषि ऋण
200 कृषि में जोखिम कम करना: फसल बीमा
201 कृषि व्यापार
202 कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा
204 कृषि-संबद्ध क्षेत्र: पशुपालन, डेयरी उद्योग एवं मत्स्यपालन
207 खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र
208 उर्वरक
209 खाद्य प्रबंधन
215 भावी परिदृश्य

8 उद्योग और अवसंरचना

218 परिचय
218 औद्योगिक क्षेत्र में प्रवृत्तियां (रुझान)
227 क्षेत्र-वार मुद्दे और पहल
232 अवसंरचना
234 क्षेत्रीय विकास
251 भावी परिदृश्य

9 **सेवा क्षेत्र**
253 भारत में सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन: एक सिंहावलोकन
263 मुख्य सेवाएं: उप क्षेत्रवार निष्पादन और अभिनव नीतियां

10 **सामाजिक अवसंरचना, रोजगार और मानव विकास**
274 परिचय
274 सामाजिक क्षेत्र के व्यय में रुझान
276 मानव विकास
276 सभी के लिए शिक्षा
281 कौशल विकास
283 भारत में रोजगार की स्थिति
288 रोजगार का लिंगात्मक आयाम
298 सबके लिए घर
298 पेयजल और स्वच्छता
299 निष्कर्ष

आभारोक्ति

यह आर्थिक समीक्षा मिल-जुल कर और परस्पर सहयोग से किए गए प्रयासों का सुफल है। इस समीक्षा खंड को तैयार करने में आर्थिक प्रभाग के जिन कार्मिकों का योगदान उल्लेखनीय है उनमें: संजीव सान्याल, सुष्मिता दासगुप्ता, अरुण कुमार, राजीव मिश्र, राजश्री रे, ए. सृजा, सुरभि जैन, अश्विनी लाल, अथिरा एस बाबू, अभिषेक आचार्य, जितेन्द्र सिंह, रजनी रंजन, अविनाश दाश, सिंधुमन्निकल थंकप्पन, प्रेरणा जोशी, धर्मेंद्र कुमार, आकांक्षा अरोड़ा, दिव्या शर्मा, एम. राहुल, रवि रंजन, तुलसीप्रिया राजकुमारी, शमीम आरा, गुरविंदर कौर, जे.डी. वैशंपायन, आर्या बालन कुमारी, संजना काद्यान, अमित श्योरन, श्रेया बजाज, मनोज कुमार मिश्र, सुभाष चंद, रियाज अहमद खान, मो. आफताब आलम, प्रद्युत कुमार पाईन, नरेंद्र जेना, श्रीवत्स कुमार परिदा, मृत्युंजय कुमार, राजेश शर्मा, अमित कुमार केसरवानी, अर्पिता वायकेरे, महिमा, अंकुर गुप्ता, लविशा अरोड़ा, सोनाली चौधरी, कविशा गुप्ता, तीर्थंकर मंडल, हर्ष मीनावत, रघुवीर राघव, एस. रामकृष्णन और सत्येंद्र किशोर शमिल हैं।

यह समीक्षा खंड माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन, माननीय वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर तथा श्री अतनु चक्रवर्ती, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग की मूल्यवान टिप्पणियों और अंतर्दृष्टि से विशेष रूप से लाभान्वित हुआ है।

यह समीक्षा देशभर में फैले भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और संगठनों के निम्नलिखित अधिकारियों की टिप्पणियों एवं उनके द्वारा प्रदान की गई जानकारियों से लाभान्वित हुई है, जिसमें विशेष रूप से डॉ. अनूप वधावन, सचिव, वाणिजय विभाग; श्री एन. शिवसैलम, विशेष सचिव (लॉजिस्टिक्स), वाणिज्य विभाग; आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक, डीजीएफटी, अरूण कुमार झा, महानिदेशक, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, सुनील कुमार, अपर सचिव एवं महानिदेशक, डीजीटीआर, एस. कृष्णमूर्ति, महानिदेशक, डीजीसीआई व एस, कोलकाता, अजय कुमार श्रीवास्तव, अपर महानिदेशक, डीजीएफटी, अनंत स्वरूप, संयुक्त सचिव (लॉजिस्टिक्स), वाणिज्य विभाग; श्री एल. सत्य श्रीनिवास, संयुक्त सचिव (सीमा शुल्क), अजय श्रीवास्तव, आर्थिक सलाहकार, वाणिज्य विभाग, अनु पी. मथाई, सलाहकार (आईईआर), आर्थिक कार्य विभाग; सुरेन्द्र पाल सिंह, संयुक्त सचिव (निवेश), आर्थिक कार्य विभाग; डॉ. सुरेन्द्र कुमार अहिरवार, निदेशक (लॉजिस्टिक्स), वाणिज्य विभाग, श्रुति शुक्ला, संयुक्त निदेशक, डीजीसीआई व एस, कोलकाता, श्री जितेंद्र कुमार वर्मा, उप निदेशक, वाणिज्य विभाग, आरती बांगिया, उप निदेशक (सांख्यिकी), डीजीटीआर, ऋषिका चोरारिया, सहायक निदेशक, वाणिज्य विभाग; विक्रम सिंह, सहायक आयुक्त एनसीटीएफ सचिवालय, राजस्व विभाग; डॉ. एम.डी. पात्रा, कार्यकारी निदेशक आरबीआई; श्री राजन गोयल, सलाहकार, आरबीआई; श्री राजीव जैन, निदेशक, आरबीआई; धीरेंद्र गजभिए, सहायक सलाहकार, आरबीआई; श्री जॉन गुरिया, सहायक सलाहकार, आरबीआई; सौमश्री तिवारी, अनुसंधान अधिकारी, आरबीआई; श्री सुखबीर सिंह, सीएएए, जितेन्दर सोकल, प्रबंधक, आरबीआई, इंद्राणी कौशल, आर्थिक सलाहकार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, गौरव कटियार, उप निदेशक, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, दीपक कुमार दास, अपर निजी सचिव, इस्पात मंत्रालय; अमृत लाल जांगिड़, उप निदेशक, श्रम ब्यूरो।

उपरोक्त के अतिरिक्त भारत सरकार के जिन मंत्रालयों विभागों एवं संगठनों ने अपने संबंधित क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया उनमें माल एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन), केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), डाक विभाग, रेलवे बोर्ड (रेल मंत्रालय) लेखा महानियंत्रक (सीजीए), निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, पर्यटन मंत्रालय, इंडियन नेशनल शिपओनर्स एसोसिएशन, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, नेसकॉम, एसेट मैनेजर्स राउंडटेबल ऑफ इंडिया, इंडियन पोर्ट्स एसोसिसेशन का उल्लेख करना समीचीन है। इनमें से कई मंत्रालयों में मुझसे सीधा संपर्क कर मेरे समक्ष प्रस्तुति के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराई। आर्थिक समीक्षा उनके मूल्यवान समय, कार्य और योगदान के लिए कृतज्ञ है।

आर्थिक कार्य विभाग के के. राजारमन, राजकुमार तिवारी, जसबीर सिंह, अमित कुमार, सुनील दत्त, रोहित, साधना शर्मा, अरूण गुलाटी, सुशील शर्मा, मनीष पंवार, मुन्ना शाह, सुरेश कुमार, जोध सिंह, आर्थिक प्रभाग के मीरा स्वरूप, रविन्दर कुमार, जसबीर सिंह, संजय कुमार पंडिता तथा मुख्य आर्थिक सलाहकार कार्यालय के अन्य कर्मचारियों एवं सदस्यों द्वारा कुशल प्रशासनिक सहयोग प्रदान किया गया।

समीक्षा का हिन्दी भाषान्तर लाने में सहयोग के लिए अनुराधा मित्रा, सचिव, राजभाषा विभाग व मंजुला सक्सेना, उप सचिव, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। समीक्षा का हिन्दी अनुवाद अत्यंत कम समय में निहारिका सिंह, सन्तोष मिश्रा, ओमप्रकाश त्रिपाठी, अर्चना सिंह, अनिता कुमारी, बबीता, लिजी थॉमस, झोन्टू मंडल, शैफाली, पवित्र जायसवाल, अंकुर भटनागर, वीना, सुखदेव तथा केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के ओमप्रकाश सिंह, मुरारी लाल गुप्ता, जगत सिंह रोहिल्ला, जनवारियुस तिर्की, जय वीर, डॉ. गौतम शर्मा, मनीष भटनागर, अजय कुमार चौधरी, अनुप शॉ, विजय कुमार, रामाश्रय, डॉ. सुरेश कुमार यादव, ध्रुव नारायण आजाद, डॉ. आनंद प्रकाश यादव, सचिन कुमार गुप्ता, रंजीत कुमार साव, राघवेन्द्र पाण्डेय और जी.के. डावर द्वारा किया गया। इस समीक्षा खंड का हिन्दी संपादन प्रोफेसर बी.एस. बागला, डॉ. अब्दुल रहीम अंसारी और डॉ. लोकेंद्र कुमावत द्वारा किया गया। हिंदी टंकण कार्य कमलेश तक्खी, कुसुम लता, कल्याणी बासुमतारी,

विजय कुमार कोष्टा, सुरेश चंद, धर्मवीर, संजय प्रसाद द्वारा किया गया। समीक्षा के आवरण पृष्ठ का डिजाइन इंडिया ब्रैंड इक्विटी फाउंडेशन द्वारा किया गया। इस समीक्षा के हिंदी व अंग्रेजी संस्करण का मुद्रण कार्य चंद्र प्रभु ऑफसेट प्रिंटिंग वर्क्स (पी) लिमिटेड द्वारा किया गया।

अंत में, आर्थिक समीक्षा कार्य से जुड़े सभी व्यक्तियों के परिवार जनों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने इस कार्य के दौरान असीम धैर्य और उदारता का परिचय तो दिया ही, साथ ही इस समीक्षा को तैयार करने में अपना निरंतर भावनात्मक सहयोग एवं प्रोत्साहन भी प्रदान किया। आर्थिक समीक्षा में समर्पित सहयोगियों के लिए निस्संदेह उनके परिवार शक्ति के मूक स्तंभ रहे हैं।

कृष्णमूर्ति वी सुब्रमणियन
(मुख्य आर्थिक सलाहकार)
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

संकेताक्षर

सी.पी.एस.यू.	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
ई.सी.आई.एस.	निर्यात उधार बीमा योजना
ई.एम.डी.ई	उभरते बाजार एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाएं
एफ.बी.आई.एल.	वित्तीय बेंचमार्क इंडिया प्रा. लिमिटेड
एन.डी.टी.एल.	निवल मांग और मियादी देयताएं
एन.एफ.सी.	नॉन फूड क्रेडिट
ए.ए.	अग्रिम स्वीकृति
ए.ए.जी.आर.	औसत वार्षिक वृद्धि दर
ए.ए.आई.	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
ए.ए.वाई.	अंत्योदय अन्न योजना
ए.बी.-एच.डब्ल्यू.सी.एस.	आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्र
ए.आर.आर.	वार्षिक व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्टिंग
ए.ई.	अग्रिम प्राक्कलन
ए.ई.	उन्नत अर्थव्यवस्थाएं या अग्रिम प्राक्कलन
ए.ई.एम.	आसियान अर्थ मंत्री
ए.एफ.बी.	अभिग्रहण निधि बोर्ड
ए.एफ.डी.	फ्रेंच डिवेलपमेंट एजेंसी
ए.जी.बी.	जमीन के ऊपर बॉयोमॉस
ए.एच.एफ.	किफायती आवास निधि
ए.आई.एफ.	वैकल्पिक निवेश निधि
ए.आई.आई.एम.एस.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
ए.आई.टी.आई.जी.ए.	आसियान राष्ट्र एवं भारत के मध्य वस्तु व्यापार समझौता
ए.एम.एफ.एफ.आर.आई.	कृषि विपणन एवं कृषक अनुकूल सुधार सूचकांक
ए.एन.एम.	सहायक नर्स दाई
ए.पी.एल.	गरीबी रेखा से ऊपर
ए.पी.एम.सी.	कृषि उत्पाद विपणन समिति
ए.पी.टी.ए.	एशिया पैसिफिक व्यापार समझौता
ए.आर.पी.आइ.टी. (अर्पित)	अध्ययन में वार्षिक पुनश्चर्या पाठ्क्रम
ए.आर.पी.यू.	प्रति प्रयोक्ता औसत राजस्व
ए.आर.टी.आई.एस.	भारतीय उद्योग एवं अन्य स्टेकहोल्डरों के लिए व्यापार में उपचार के लिए आवेदन
ए.एस.ई.ए.एन. (आसियान)	दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्र
ए.एस.एच.ए.	प्रमाणित सामाजिक स्वास्थ्य कामगार (आशा)
ए.एस.आई.	वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण
ए.यू.एम.	प्रबंधाधीन परिसंपत्तियां
ए.वाई.यू.एस.एच.	आयुर्वेद, योग यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा
बी2बी	व्यवसाय से व्यवसाय
बी2सी	उपभोक्ता तक व्यवसाय
बी.सी.डी.	बुनियादी सीमा शुल्क
बी.सी.एम.	बिलियन क्यूबिक मीटर
बी.ई.	बजट आकलन
बी.एच.एल.जी.	द्विपक्षीय उच्च स्तरीय समूह
बी.ओ.पी.	भुगतान कोष
बी.पी.सी.एल.	भारत पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
बी.पी.एल.	गरीबी रेखा से नीचे
बी.पी.एस.	आधार अंक
बी.आर.आई.सी.एस.	ब्राजील, रूस, भारत, चीन एवं दक्षिण अफ्रीका
बी.आर.टी.	त्वरित बस पारगमन प्रणाली
बी.एस.ई.	बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज
बी.एस.एन.एल.	भारत संचार निगम लिमिटेड
बी.टी.आई.ए.	द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश समझौता
बी.टी.पी.	जैव-प्रौद्योगिकी पार्क
बी.टी.एस.	आधार ट्रांससीवर स्टेशन
बी.यू.आर.	द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट
सी. एंड डी.	विनिर्माण एवं विध्वंस
सी.ए.डी.	चालू खाता घाटा
सी.ए.जी.आर.	कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट (घातांकी वार्षिक वृद्धि दर)
सी.ए.पी.	कवर एंड प्लिंथ
सी.ए.पी.ई.एक्स. (केपैक्स)	पूंजीगत व्यय
सी.ए.पी.एस.	साइबर कृषि भौतिक प्रणाली
सी.बी.आई.सी.	केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

सी.बी.आर.	केन्द्रीय राजस्व बोर्ड
सी.सी.ए.पी.	जलवायु परिवर्तन पहल कार्यक्रम
सी.सी.ई.ए.	आर्थिक कार्यों पर मंत्रिमंडलीय समिति
सी.सी.आई.एल.	भारतीय निकासी कार्पोरेशन
सी.सी.पी.	केन्द्रीय काउंटर पार्टी
सी.डी.आर.	अपरिष्कृत मृत्यु दर
सी.डी.आर.आई.	आपदा लोच आधारिक संरचना के लिए परिसंघ
सी.डी.एस.	उधार अदला-बदली में चूक
सी.ई.सी.ए.	व्यापक आर्थिक सहकारी समझौता
सी.ई.सी.पी.ए.	व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता
सी.ई.पी.ए.	व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता/व्यापक आर्थिक नीति समझौता
सी.ई.पी.आई.	शत्रु संपत्ति का अभिरक्षक
सी.एफ.पी.आई.	उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक
सी.जी.ए.	लेखा महानियंत्रक
सी.जी.डब्ल्यू.ए.	केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण
सी.एच.सी.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
सी.एच.सी.	सीमा शुल्क किराया केन्द्र
सी.आई.सी.	प्रचलित मुद्रा
सी.आई.पी.	केन्द्रीय निर्गम मूल्य
सी.आई.आर.पी.	कारपोरेट इंसालवेंसी रिजोल्यूशन प्रक्रिया
सी.आई.एस.एफ.	सामुदायिक निवेश सहायता निधि
सी.आई.टी.	कारपोरेट आयकर
सी.एम.आई.ई.	भारतीय अर्थव्यवस्था मॉनीटरन केन्द्र
सी.एन.ए.	केन्द्रीय नोडल एजेंसी
सी.एन.एस.ए.	चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन
सी.ओ.सी.	लेनदारों की समिति
सी.ओ.एन.सी.ओ.आर.	भारतीय कंटेनर निगम
सी.ओ.पी.	पक्षों का सम्मेलन
सी.पी.एफ.आई.	केन्द्रीय लोक वित्तीय संस्थान
सी.पी.आई.	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
सी.पी.आई.-ए.एल.	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-कृषि मजदूर

सी.पी.आई.-सी.	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-संयुक्त-
सी.पी.आई.-आई.डब्ल्यू.	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-औद्योगिक श्रमिक
सी.पी.आई.-आर.एल.	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-ग्रामीण मजदूर
सी.पी.एस.ई.	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग
सी.पी.एस.यू.	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
सी.पी.डब्ल्यू.डी.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग
सी.आर.ए.आर.	जोखिम भारित आस्ति की तुलना में आस्ति अनुपात
सी.एस.सी.	सामान्य सेवा केन्द्र
सी.एस.ओ.	राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय
सी.एस.एस.	केन्द्रीय प्रायोजित योजना
सी.टी.सी.एन.	जलवायु प्रोद्यौगिकी केन्द्र एवं नेटवर्क
सी.वी.डी.	प्रतिकारी शुल्क
सी.डब्ल्यू.सी.	केन्द्रीय भंडारण निगम
डी.ए.सी. एण्ड एफ.डब्ल्यू.	कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग
डी.ए.आर.ई.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग
डी.ए.वाई.-एन.आर.एल.एम.	दीनदयाल अन्तोदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
डी.बी.	डुइंग बिजनेस
डी.बी.टी.	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
डी.सी.आई.एल.	भारतीय तल कर्षण कार्पोरेशन लिमिटेड
डी.सी.पी.	विकेन्द्रीकृत प्रापण
डी.सी.	नामित उपभोक्ता
डी.डी.यू.-जी.के.वाई.	पं दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना
डी.डी.डब्ल्यू.एस.	पेयजल और स्वच्छतता विभाग
डी.ई.ए.	आर्थिक कार्य विभाग
डी.एफ.आई.ए.	शुल्क मुक्त/नि:शुल्क आयात प्राधिकार
डी.एफ.पी.डी.	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग
डी.जी., डब्ल्यू.टी.ओ.	महानिदेशक, विश्व व्यापार संगठन
डी.जी.सी.आई. एण्ड एस.	वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय
डी.जी.एफ.टी.	विदेशी मुद्रा महानिदेशालय
डी.जी.टी.आर.	व्यापार उपचार महानिदेशालय

डी.एच.	जिला अस्पताल
डी.आई.डी.एफ.	डेरी संसाधन एवं आधारभूत संरचना विकास निधि
डी.आई.पी.ए.एम.	निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग
डी.एम.आर.सी.	दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन
डी.ओ.ई.	व्यय विभाग
डी.ओ.एस.	डिपो ऑन लाइन सिस्टम
डी.पी.सी.ओ.	औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश
डी.पी.डी.	प्रत्यक्ष पत्तन सुपुर्दगी
डी.पी.ई.	प्रत्यक्ष पत्तन प्रवेश
डी.पी.आई.आई.टी.	उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
डी.टी.ए.	घरेलू टैरिफ क्षेत्र
डी.डब्ल्यू.टी.	कुल भार टनों में
ई.बी.आर.	बाह्य बजट संसाधन
ई.सी.बी.सी.	ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता
ई.सी.बी.	बाहरी वाणिज्यिक ऋण
ई.सी.जी.सी.	निर्यात उधार गारंटी कार्पोरेशन
ई.सी.ओ.डब्ल्यू.ए.एस.	पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समुदाय
ई.डी.ए.	उभरता एवं विकासशील एशिया
ई.डी.पी.	उद्यमिता विकास कार्यक्रम
ई.ई.	पात्र प्रतिष्ठान
ई.ई.जैड.	विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र
ई.एफ.टी.ए.	यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ
ई.जी.सी.ए.	विस्तारित ग्राम स्वराज अभियान
ई.एच.एस.	अर्ली हारवेस्ट स्कीम (शीघ्र लाभ योजना)
ई.एच.टी.पी.	इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर प्रोद्योगिकी पार्क
ई.के.टी.ए.	एकीकृत कृषि शिक्षा तकनीकी आयाम
ई.एम.ई. (एकता)	उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाएं
ई.एम.ओ.सी.	आपातकालीन प्रसूति देखभाल
ई.-एन.ए.एम.	इलैक्ट्रानिक राष्ट्रीय कृषि बाजार
ई.ओ.यू.	निर्यातपरक इकाई
ई.पी.	अंतिम अवधि
ई.पी.सी.जी.	नियति संवर्धन पूंजीगत माल
ई.पी.एम.ओ.	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
ई.क्यू.यू.आई.पी. (इक्यूप)	शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन एवं समावेशक कार्यक्रम
ई.एस.जी.	पर्यावरण, सामाजिक एवं अधिशासन
ई.एम.आई.सी.	कर्मचारी राज्य बीमा निगम
ई.टी.सी.ए.	आर्थिक और प्रोद्यौगिकी सहयोग करार
ई.टी.एफ.	विनिमय व्यापारित निधि
ई.यू.	यूरोपीय संघ
ई.यू.एस.	रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण
ई.वी.	विद्युत वाहन
ई.एक्स.आई.एम.	निर्यात एवं आयात
एफ.ए.ओ.	खाद्य एवं कृषि संगठन
एफ.सी.	वित्तीय ऋणदाता (क्रेडिटर)
एफ.सी.आई.	भारतीय खाद्य निगम
एफ.डी.	राजकोषीय घाटा
एफ.डी.आई.	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
एफ.एफ.सी.	चौदहवां वित्त आयोग
एफ.एफ.ओ.	अगला निधि प्रस्ताव
एफ.आई.डी.एफ.	मत्स्य एवं मत्स्य पालन अवसंरचना विकास निधि
एफ.आई.आई.	विदेशी संस्थागत निवेशक
एफ.एल.एफ.पी.आर.	महिला श्रमिक बल सहभागिता दर
एफ.एम.सी.जी.	शीघ्र खप जाने वाली उपभोक्ता वस्तुएं
एफ.एम.डी.	मुंह एवं खुर संबंधी बीमारी
एफ.ओ.बी.	जहाज पर्यंत निः शुल्क
एफ.पी.आई.	विदेशी पोर्टफोलियो निवेश
एफ.पी.ओ.	अगला सार्वजनिक प्रस्ताव
एफ.आर.ए.	वैश्विक वन संसाधन निर्धारण
एफ.आर.बी.एम.	राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन
एफ.एस.बी.	वित्तीय स्थिरता बोर्ड
एफ.टी.ए.	मुक्त व्यापार समझौता
एफ.टी.पी.	विदेश व्यापार नीति
एफ.वी.सी.आई.	विदेशी उद्यम पूंजी निवेश
एफ.डब्ल्यू.पी.आर.	महिला कामगार जनसंख्या अनुपात
एफ.वाई.	वित्त वर्ष

जी.बी.	गिगाबाइट
जी.सी.ए.	सकल फसल क्षेत्र
जी.सी.सी.	गल्फ सहकारी परिषद
जी.सी.एफ.	सकल पूंजी निर्माण
जी.सी.एफ.	हरित जलवायु निधि
जी.डी.पी.	सकल घरेलू उत्पाद
जी.ई.एम.	सरकारी ई–मार्केट प्लेस
जी.एफ.एस.आई.	वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक
जी.जी.	गीगा ग्राम
जी.एच.जी.	ग्रीन हाउस गैस
जी.आई.ए.एन.	शैक्षिक नेटवर्क के लिए वैश्विक पहल
जी.आई.पी.	ग्रेजुएट इनसॉलवेंसी प्रोग्राम
जी.एन.आई.	सकल राष्ट्रीय आय
जी.एन.आई.ई.	सरकार ने अन्यत्र शामिल नहीं किया है।
जी.एन.पी.ए.	सकल अनर्जक परिसंपत्तियां
जी.पी.	ग्राम पंचायत
जी.एस.ए.	ग्राम स्वराज अभियान
जी.एस.डी.पी.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
जी–सैक	सरकारी प्रतिभूतियां
जी.एस.एम.	वैश्विक मोबाइल प्रणाली
जी.एस.टी.	वस्तु एवं सेवा कर
जी.एस.टी.आई.एन.	वस्तु एवं सेवा कर संख्या
जी.एस.टी.पी.	वैश्विक व्यापार अधिमान प्रणाली
जी.एस.टी.आर.	वस्तु एवं सेवा कर प्रतिलाभ
जी.एस.वी.ए.	सकल राज्य मूल्य वर्धन
जी.टी.	सकल टन भार
जी.टी.आर.	सकल कर राजस्व
जी.वी.ए.	सकल मूल्य वर्धन
जी.डब्ल्यू.	गीगावाट
एच.ए.	हेक्टेयर
एच.डी.आई.	मानव विकास सूचकांक
एच.डी.आर.	मानव विकास रिपोर्ट
एच.ई.एफ.ए.	उच्च शिक्षा वित्त एजेंसी
एच.ई.एम.एम.	हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी
एच.एफ.सी.	आवास वित्त कंपनी
एच.पी.सी.एल.	हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन लि.
एच.एस.	हार्मोनाइजड सिस्टम
एच.एस.सी.सी.	अस्पताल सेवा परामर्श कार्पोरेशन
आई. एण्ड एफ.सी.	सिंचाई एवं बाद नियंत्रण
आई.बी.ए.	भारतीय बैंक संघ
आई.बी.बी.आई.	भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड
आई.बी.सी.	दिवाला और शोधन अक्षमता कोड
आई.सी.	जीवन बीमा कंपनी
आई.सी.ए.	इंटर क्रेडिटट करार
आई.सी.ए.आर.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
आई.सी.सी.	आंतरिक परिवाद समिति
आई.सी.डी.एस.	समेकित बाल विकास सेवाएं
आई.सी.ई.डी.ए.एस.एच.	इंडियन कस्टम इज ऑफ डुइंग बिजनस डेशबोर्ड
आई.सी.टी.	सूचना एवं दूरसंचार प्रौद्योगिकी
आई.सी.बी.	आर्तरिक दहन वाहन
आई.ई.बी.आर.	आंतरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधन
आई.ई.एस.	ब्याज समकरण योजना
आई.एफ.पी.आर.आई.	अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान
आई.जी.एस.टी.	एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर
आई.आई.सी.ए.	भारतीय कोर्पोरेट कार्य सस्थान
आई.आई.पी.	औद्योगिक उत्पाद सूचकांक
आई.एल.एफ.एस.	अवसंरचना लिजिंग एवं वित्तीय सेवाएं
आई.एल.ओ.	अंतर्राष्ट्रीय श्रम सगंठन
आई.एम.एफ.	अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष
आई.एम.जी.	अंतर–मंत्रालय समूह
आई.एम.आर.	शिशु मृत्यु दर
आई.पी.सी.सी.	अंर्तराष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नामिका
आई.पी.ओ.	प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव
आई.पी.आर.	बौद्धिक संपदा अधिकार
आई.पी.एस.एफ.	संधारणीय वित्त संबंधी अंर्तराष्ट्रीय मंच

आई.पी.वी.	अक्रिय पोलियो वैक्सीन
आई.आर.	भारतीय रेल
आई.आर.सी.टी.सी.	भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन कार्पोरेशन
आई.आर.ई.डी.ए.	भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी
आई.आर.एफ.	इपंल्स रेसपोंस फंक्शन
आई.आर.एफ.सी.	भारतीय रेल वित्त निगम
आई.आर.एम.	प्रारंभिक संसाधन जुटाना
आई.आर.एस.डी.सी.	भारतीय रेल स्टेशन विकास निगम
आई.एस.ए.	अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा सहसंबंध
आई.एस.आर.ओ.	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
आई.टी.बी.पी.एम.	सूचना प्रौद्योगिकी व्यापार प्रक्रिया प्रबंधन
आई.टी.सी.	इनपुट कर ऋण
आई.टी.आई.	औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र
आई.टी.आर.	आयकर विवरणी
जे.ए.सी.	संयुक्त प्रशासनिक समिति
जे.एफ.एस.जी.	संयुक्त व्यवहार्यता अध्ययन समूह
जी.आई.पी.एम.ई.आर.	जवाहरलाल स्नात्तकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान
जे.एस.ए.	जल शक्ति अभियान
के.ए.एल.आई.ए.	आजीविका एवं आय के लिए कृषक सहायता
के.सी.सी.	किसान क्रेडिट कार्ड
के.आई.ओ.सी.एल.	कुद्रेमुख लौह अयस्क कंपनी लि.
के.एम.एस.	खरीफ विपणन सत्र
के.एस.टी.ए.	सूचना सहायता एवं तकनीकी सहायता
के.टी.आई.	कुन्टिज ट्राइपसिन इनहेबीटर
के.वी.के.	कृषि विज्ञान केंद्र
के.डब्ल्यू.	किलोवाट
एल.ए.एफ.	तरलता समायोजन सुविधा
एल.सी.सी.	स्थानीय शिकायत समिति
एल.सी.आर.	नकदी कवरेज अनुपात
एल.ई.डी.	लाइट इमिटिंग डायोड
एल.एफ.पी.आर.	श्रम भागीदारी दर
एल.एच.एस.	बाईं ओर
एल.एम.टी.	लाख मीट्रिक टन
एल.पी.आई.	संभरण निष्पादन सूचकांक
एल.एस.ए.एस.	जीवन रक्षा संवेदना हरण कौशल
एल.यू.एल.यू.सी.एफ.	लैंडयूज, लैंड यूज चेंज एवं फॉरेस्ट्री
एल.डब्ल्यू.ई.	चरमपंथ वामपंथी
एम0	आरक्षित राशि
एम1	संकीर्ण मुद्रा
एम.बी.	मेगाबाइट
एम.सी.	मंत्रालयी सम्मेलन
एम.सी.आई.	भारतीय चिकित्सा परिषद
एम.सी.एल.आर.	निधि आधारित ऋण दर की सीमांत लागत
एम.डी.बी.	बहुपक्षीय विकास बैंक
एम.डी.एफ.	सामान्य सघन वन
एम.डी.एम.	मध्याहन योजन
एम.ई.आई.एम.	भारतीय से व्यापार निर्यात योजना
एम.ई.पी.	न्यूनतम निर्यात मूल्य
एम.एफ.आई.एस.	सूक्षम वित्त संस्थाएं
एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
एम.आई.डी.एच.	समाकलित बागवानी विकास मिशन
एम.आई.एफ.	सूक्ष्म सिंचाई निधि
एम.एम.आर.	अधिकतम सीमांत दर
एम.एम.आर.	मातृ मृत्यु अनुपात
एम.एम.टी.	मिलियन मीट्रिक टन
एम.एम.टी.पी.ए.	मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष
एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एम.ओ.एच.यू.ए.	आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय
एम.ओ.एम.	माह–दर–माह
एम.ओ.पी.	म्यूरिट ऑफ पोटाश
एम.ओ.आर.टी.एच	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
जेड.बी.एन.एफ.	शून्य बजट प्राकृतिक कृषि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
एम.ओ.एस.पी.आई.	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयत मंत्रालय
एम.ओ.वी.सी.डी.एन.ई.आर.	उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रंखला विकास मिशन

सी.पी.सी.	मुद्रा नीति समिति
एम.आर.	खसरा-जर्मन खसरा
एम.आर.ओ.	अनुरक्षण, मरम्मत एवं ओवरहॉल
एम.आर.पी.	अधिकतम खुदरा मूल्य
एम.एस.डी.ई.	कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
एम.एस.ई.	सूक्ष्म एवं लघु उपक्रम
एम.एस.एम.	सीमांत स्थायी सुविधा
एम.एस.एम.ई.	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम
एम.एस.पी.	न्यूनतम समर्थन मूल्य
एम.एस.एस.	बाजार स्थायीकरण योजना
एम.टी.	मिलियन टन
एम.टी.	मीट्रिक टन
एम.टी.एफ.पी.	मध्यम अवधि राजकोषीय नीति
एम.टी.एम.	बाजार-से-बाजार
एम.टी.एन.एल.	महानगर टेलीफोन निगम लि.
एम.टी.ओई.	तेल समानक के मिलियन टन
एम.टी.पी.ए.	मिलियन टन प्रति वर्ष
एम.यू.डी.आर.ए.	सूक्ष्म इकाई विकास एवं पुनर्वित्त पोषण एजेंसी लि.
एम.डब्ल्यू.	मेगावाट
एन. ए. बी.ए.आर. डी.	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण अनुकूलन निधि
एन.ए.एफ.सी.सी.	जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन निधि
एन.ए.एफ.ई.डी.	भारत का राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ
एन.ए.एफ.टी.ए.	उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता
एन.ए.पी.सी.सी.	राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना
एन.ए.एस.ए.	राष्ट्रीय विमानन एवं अंतरिक्ष प्रशासन
एन.ए.एस.सी.ओ.एम.	राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर एवं सेवा कंपनी संघ
एन.बी.एफ.सी.	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
एन.सी.सी.एफ.	राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ
एन.सी.डी.सी.	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
एन.सी.डी.	असंक्रमणीय रोग
एन.सी.ई.यू.एस.	असंगठित क्षेत्र में उपक्रमों के लिए राष्ट्रीय आयोग
एन.सी.आई.पी.	राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल
एन.सी.एल.टी.	राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण
एन.सी.टी.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
एन.सी.टी.एफ.	राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद
एम.सी.टी.एम.	राष्ट्रीय व्यापार सुगमता समिति
एम.डी.ए.	निवल घरेलू परिसंपत्तियां
एन.डी.सी.	राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान
एन.ई.ए.टी.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी शैक्षिक सहयोग
एन.ई.ई.पी.सी.ओ.	नार्थ इस्टर्न इलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
एन.ई.ई.टी.	राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा
एन.ई.एम.एम.पी.	राष्ट्रीय विद्युत संरचना मिशन योजना
एन.ई.आर.	निवल प्रवेश अनुपात
एन.ई.आर.	नामिक विनिमय दर
एन.एफ.ए.	निवल विदेशी परिसंपत्तियां
एन.एफ.एस.एम.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
एन.एफ.एस.ए.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
एन.एफ.ई.ई.	सकल विदेशी विनिमय आय
एन.जी.टी.	राष्ट्रीय हरित अधिकरण
एन.एच.	राष्ट्रीय राजमार्ग
एन.एच.ए.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा
एन.एच.ए.आई.	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
एन.एच.बी.	राष्ट्रीय आवासन बैंक
एन.एच.एम.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
एन.आई.एफ.ए.पी.	राष्ट्रीय देशीय मत्स्य ग्रहण और जल-कृषि नीति
एन.आई.आई.पी.	निवल अंतराष्ट्रीय निवेश स्थिति
एन.आई.एम.एच.	राष्ट्रीय शिशु स्वास्थ्य संस्थान
एन.आई.एन.एल.	नीलांचल इस्पात निगम लि.
एन.आई.ओ.एस.एच.	राष्ट्रीय व्यावसायिक सुरक्षा एवं राष्ट्रीय संस्थान
एन.आई.पी.	राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन
एन.आई.एस.एच.टी.एच.ए.	विद्यालय प्रमुखों एवं अध्यापकों के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय पहल
एन.एल.ई.	नोडल ऋण प्रतिष्ठान
एन.एल.ई.एम.	अनिवार्य दवाईयों की राष्ट्रीय सूची

एन.एम.ई.ई.ई.	राष्ट्रीय विस्तारित ऊर्जा दक्षता मिशन
एन.एम.ओ.ओ.पी.	राष्ट्रीय तिलहन एवं पाम तेल मिशन
एन.एम.एस.ए.	संधारणीय कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन
एन.पी.ए.	अनर्जक आस्तियां
एन.पी.सी.सी.	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड
एन.पी.पी.ए.	राष्ट्रीय औषधि कीमत निर्धारण प्राधिकरण
एन.पी.एस.	राष्ट्रीय पेंशन व्यवस्था
एन.आर.सी.	राष्ट्रीय संसाधन केंद्र
एन.आर.आई.	अनिवासी भारतीय
एन.एस.डी.एल.	राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड
एन.एस.ओ.	राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय
एन.एस.एस.एफ.	राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि
एन.एस.एम.एफ.	राष्ट्रीय लघु बचत निधि
एन.एस.एस.ओ.	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय
एन.एस.एस.ओ.	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन
एन.टी.एफ.ए.पी.	राष्ट्रीय व्यापार सुविधा कार्य योजना
एन.टी.टी.	व्यापार की निवल शर्तें
एन.यू.एच.एफ.	राष्ट्रीय शहरी आवास निधि
एन.यू.आई.एच.	राष्ट्रीय शहरी नवाचार हब
एन.जी.वी.	राष्ट्रीय स्वैच्छिक मार्गदर्शी सिद्धांत
ओ.डी.एफ.	खुले में शौच मुक्त
ओ.डी.एम.एम.	ऑनलाइन डिपो प्रबंधन व्यवस्था
ओ.ई.सी.डी.	आर्थिक सहयोग और विकास संगठन
ओ.एफ.	अनावृत वन
ओ.एफ.एस.	बिक्री प्रस्ताव
ओ.एच.एस.	व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवाएं,
ओ.एम.ओ.	खुला बाजार परिचालन
ओ.एम.एस.एस.	खुला बाजार बिक्री योजना
ओ.ओ.पी.ई.	आउॅट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर
ओ.एस.सी.	वन स्टॉप सेटर
पी.	अनंतिम
पी.ए.	अनंतिम वास्तविक
पी.सी.वी.	न्यूमोकोकल कांग्जूगेट वैक्सीन
पी. ई.	अनंतिम प्राक्कलन
पी.ई.	निजी इक्विटी
पी.ई.जी.	निजी उद्यमिता गारंटी
पी.एच.सी.	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
पी.के.वी.वाई.	परंपरागत कृषि विकास योजना
पी.एल.	व्यक्तिगत ऋण
पी.एल.एफ.एस.	आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण
पी.एम.किसान	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
पी.एम. 10	सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मेटर
पी.एम. 2.5	फाइन पार्टिकुलेट मेंटर
पी.एम.ए.वाई.	प्रधानमंत्री आवास योजना
पी.एम.ए.वाई.जी.	प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण
पी.एम.ए.वाई.एस.	प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी
पी.एम.ए.वाई.यू.	प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण शहरी
पी.एम.सी.	परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता
पी.एम.एफ.वी.वाई.	प्रधानमंत्री रोजगार सर्जन कार्यालय
पी.एम.ई.जी.पी.	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
पी.एम.आई.	क्रय प्रबंधकों की सूची
पी.एम.-किसान	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
पी.एम.के.एस.वाई.	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
पी.एम.के.एस.वाई.	प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना
पी.एम.के.एस.वाई.-पीडीएमसी	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–प्रति बूंद अधिक फसल
पी.एम.के.वी.वाई.	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
पी.एम.एम.एम.एन.-एम.टी.टी.	पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय अध्यापन और अध्ययन मिशन
पी.एम.एम.एस.वाई.	प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना
पी.एम.एम.वाई.	प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
पी.एम.यू.वाई.	प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
पी.ओ.एल.	पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक
पी.ओ.एस.	बिक्री केन्द्र
पी.पी.ए.सी.	पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ

पी.पी.पी.	सरकारी निजी भागीदारी
पी.एस.	मुख्य स्थिति
पी.एस.	प्राथमिक स्थिति
पी.एस.बी.	सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक
पी.एस.बी.	सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक
पी.एस.ई.	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
पी.एस.एफ.	मूल्य स्थिरीकरण कोष
पी.एस.यू.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
पी.टी.ए.	तरजीही व्यापार समझौता
पी.वी.बी.	निजी क्षेत्र बैंक
क्यू. ई.	त्वरित अनुमान
क्यू. आई. पी.	सर्शत संस्थागत नियोजन
क्यू.टी.एल.	क्विंटल
आर.बी.आई.	भारतीय रिजर्व बैंक
आर. डी.	राजस्व घाटा
आर.ई.	संशोधित प्रॉक्कलन
आर.ई.सी.	ग्रामीण विद्युतिकरण निगम लिमिटेड
आर.ई.ई.आर.	वास्तविक प्रभावी विनिमय दर
आर.ई.एम.एस.	राष्ट्रीय ई मार्केट सेवाएं
आर.एफ.आई.डी.	रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन
आर.जी.एम.	राष्ट्रीय गोकुल मिशन
आर.एच.एस.	दाहिने ओर
आर.आई.टी.ई.एस.	रेलवे अवसंरचना तकनीकी एवं आर्थिक सेवांए
आर.के.वी.वाई.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
आर.एम.के.	राष्ट्रीय महिला कोष
आर.एम.एस.ए.	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
आर.ओ.ए.	आस्तियों पर परिलाभ
आर.ओ.डी.टी.ई.पी.	निर्यात उत्पाद पर शुल्कों का विप्रेषण या कर
आर.ओ.ई.	इक्विटि पर लाभांश
आर.पी.एल.	पूर्व सिखलाई की मान्यता
आर.आर.आर.	रिवर्स रेपो रेट
आर.एस.ए.	पुनर्गठित मानक अग्रिम
आर.टी.ई.	शिक्षा का अधिकार
आर.यू.एस.ए.	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान
आर.वी.एन.एल.	रेल विकास निगम लिमिटेड
आर.वी.वी.	रोटा वाइरस वैक्सिन
आर.डब्ल्यू.बी.सी.आई.एस.	पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना
एस.एंड.टी.	वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय
एस.ए.	अग्रिम तनाव
एस.ए.ए.आर.सी.	दक्षिणी एशियायी क्षेत्रीय सहयोग संगठन
एस.ए.सी.यू.	दक्षिणी अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ
एस.ए.एफ.टी.ए.	दक्षिण एशियायी मुक्त व्यापार क्षेत्र
एस.ए.पी.टी.ए.	सार्क विशेष व्यापार समझौता
एस.ए.यू.बी.एच.ए.जी.वाई.ए.	सहज बिजली हर घर योजना
एस.बी.एम.	स्वच्छ भारत मिशन
एस.बी.एम.-जी.	स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण
एस.सी.	अनुसूचित जाति
एस.सी.बी.	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
एस.सी.आई.	भारतीय जहाजरानी निगम
एस.सी.एम.	स्मार्ट सिटी मिशन
एस.डी.जी.	संधारणीय जहाज रानी निगम
एस.सी.एम.	स्मार्ट सिटी मिशन
एस.डी.जी.	संधारणीय विकास लक्ष्य
एस.डी.एच.	उप जिला अस्पताल
एस.डी.एम.एस.	कौशल विकास प्रबंध प्रणाली
एस.डी.आर.	विशेष आहरण अधिकार
एस.ई.बी.आई.	भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड
एस.ई.आई.एस.	इंडिया स्कीम से सेवा निर्यात
एस.एच.सी.	उप-स्वास्थ्य केंद्र
एस.एच.जी.	स्व सहायता समूह
एस.आई.डी.बी.आई.	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
एस.आई.ओ.एन.	मानक आगत निर्गत मानदंड
एस.एल.ए.सी.	राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति
एस.एल.आर.	सांविधिक नकदी अनुपात
एस.एल.एस.एम.सी.	राज्यस्तरीय स्वीकृति और मानिटरन समिति
एस.एम.ए.एम.	कृषि मशीनीकरण उपमिशन
एस.आर.आई.	चावल गहनीकरण प्रणाली
एस.एस.	सहायक स्थिति

एस.एस.	गौण स्थिति
एस.एस.ए.	सर्व शिक्षा अभियान
एस.एस.सी.	सेक्टर कौशल परिषद
एस.टी.	अनुसूचित जनजाति
एस.टी.पी.	सोफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क
एस.टी.टी.	प्रतिभूमि लेनदेन कर
एस.टी.टी.	अल्पकालीन प्रशिक्षण
एस.डब्ल्यू.सी.	राज्य भंडारण निगम
एस.डब्ल्यू.आई.एफ.टी.	व्यापार सुविधा के लिए एकल खिड़की इंटरफेस
टी.बी.	राजकोष बिल
टी.सी.आई.एल.	टेलीकम्यूनिकेशन कंसलटेंट इंडिया लिमिटेड
टी.सी./टी.पी.	प्रशिक्षण केंद्र/प्रशिक्षण प्रदाता
टी.डी.जी.वी.ए.	पर्यटन प्रत्यक्ष सकल मूल्यवर्धन
टी.डी.एस.	स्रोत पर कर की कटौती
टी.ई.	अध्यापक शिक्षण
टी.ई.सी.	प्रौद्योगिकी कार्यकारी समिति
टी.ई.पी.ए.	व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता
टी.ई.क्यू.आई.पी.	तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम
टी.एफ.ए.	व्यापार सुविधा समझौता
टी.एफ.आर.	सकल उर्वरता दर
टी.एच.डी.सी.आई.एल.	टिहरी जल विद्युत विकास निगम
टी.आई.ई.एस.	निर्यात योजना के लिए व्यापार अवसंरचना
टी.एम.ए.	परिवहन और विपणन सहायता
टी.एम.आर.	व्यापार अंतराल युक्तिकरण
टी.ओ.आई.	निगम कर के अलावा आय पर कर
टी.ओ.टी.	व्यापार की शर्तें
टी.पी.डी.	टन प्रतिदिन
टी.पी.डी.एस.	लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली
टी.पी.आर.यू.	कर नीति अनुसंधान एकक
टी.आर.ई.डी.एस.	व्यापार प्राप्य इलेक्ट्रॉनिक बट्टा प्रणाली
टी.एस.पी.	दूरसंचार सेवा प्रदाता
यू.5एम.आर.	5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर
यू.ए.ई.	सयुक्त अरब अमीरात
यू.डी.ए.एन.	उड़े देश का आम नागरिक
यू.डी.ए.वाई.	उज्जवल डिसकोम आश्वासन योजना
यू..डी.आई.एस.ई.	शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना व्यवस्था
यू.ई.डी.	केंद्रीय उत्पाद शुल्क
यू.जे.ए.एल.ए.	सभी के लिए किफायती एलईडी एवं उपकरणों द्वारा उन्नत जीवन
यू.एन.	संयुक्त राष्ट्रसंघ
यू.एन.सी.सी.डी.	संयुक्त राष्ट्र मरूस्थली रोधन सम्मेलन
यू.एन.सी.टी.ए.डी.	संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन
यू.एन.डी.ई.ए.स.ए.	संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामले विभाग
यू.एन.ई.एस.सी.ए.पी.	एशिया और पेसिफिक के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (कमिशन)
यू.एन.एफ.सी.सी.सी.	जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन
यू.एस.ए.	संयुक्त राज्य अमेरिका
यू.टी.	संघ राज्य क्षेत्र
वी.ए.आर.	वैक्टर आटोरिग्रैशन
वी.डी.एफ.	अति सघन वन
वी.आई.आई.आर.एस.	विजिबल इंफ्रारैड इमेजिंग रेडियोमीटर सूइट
डब्ल्यू.ए.एल.आर.	भारित औसत ऋण दर
डब्ल्यू.ए.पी.सी.ओ.एस.	जल और विद्युत परामर्शी सेवाएं
डब्ल्यू.ई.एफ.	विश्व आर्थिक फॉरम
डब्ल्यू.ई.ओ.	विश्व आर्थिक परिदृश्य
डब्ल्यू.एच.एल.	महिला सहायता योजना
डब्ल्यू.आई.एम.	वारसा अंतरराष्ट्रीय तंत्र
डब्ल्यू.पी.आई.	थोक मूल्य सूचकांक
डब्ल्यू.टी.ओ.	विश्व व्यापार संगठन
वाई.ओ.वाई.	वर्ष दर वर्ष
जेड.बी.एन.एफ.	शून्य बजट प्राकृतिक कृषि

अर्थव्यवस्था की स्थिति

01

अध्याय

वर्ष 2019 वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक कठिन वर्ष था जहां वर्ष 2009 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद विश्व की उत्पादन वृद्धि दर 2.9 प्रतिशत की अपनी सबसे मंद गति पर प्राक्कलित की गई जोकि वर्ष 2018 में 3.6 प्रतिशत और वर्ष 2017 में 3.8 प्रतिशत की निर्यंत्रित दर से और नीचे आ गयी। इतनी गिरावट होने पर भी, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका की संरक्षाणवादी प्रवृत्तियों और अमेरिका-ईरान के बीच भू-राजनैतिक तनावों के कारण अभी भी अनिश्चितताएं उच्च स्तर पर बनी हुई हैं। वैश्विक विनिर्माण, व्यापार और मांग के लिए कमजोर परिवेश के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर वर्ष 2019-20 की प्रथम छमाही में मंद होकर 4.8 प्रतिशत दर पर आ गई जोकि वर्ष 2018-19 की द्वितीय छमाही की 6.2 प्रतिशत से कम है। वास्तविक उपभोग की धीमी वृद्धि से प्रेरित वास्तविक निश्चित निवेश में तेजी से गिरावट से वर्ष 2018-19 की द्वितीय छमाही से वर्ष 2019-20 की प्रथम छमाही के दौरान जीडीपी वृद्धि में गिरावट की स्थिति उत्पन्न हुई है। हालांकि, सरकारी अं. तिम उपभोग में पर्याप्त वृद्धि के सहारे, वर्ष 2019-20 की द्वितीय तिमाही में वास्तविक उपभोग वृद्धि की भरपाई हुई है। साथ-ही-साथ भारत के वैदेशिक क्षेत्र में वर्ष 2019-20 की प्रथम छमाही में और स्थिरता आई है, जहां चालू खाता घाटा (सीएडी) वर्ष 2018-19 में जीडीपी के 2.1 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2019-20 की प्रथम छमाही में 1.5 प्रतिशत पर आ गया है।, प्रभावी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) हुआ है, पोर्टफोलियो प्रवाहों की बहाली हुई है और विदेशी मुद्रा भंडारों में वृद्धि हुई है। क्रूड की कीमतों में राहत से वर्ष 2019-20 की प्रथम छमाही में आयातों में कमी आई है और निर्यातों में तेजी से वृद्धि हुई है जो मुख्यत: सीएडी में संकुचन के फलस्वरूप संभव हुआ है। आपूर्ति पक्ष के संदर्भ में कृषि वृद्धि दर के कमजोर रहने के बावजूद, यह वर्ष 2018-19 की द्वितीय छमाही की तुलना में वर्ष 2019-20 की प्रथम छमाही में थोड़ी सी ऊपर रही है। खाद्य महंगाई में अस्थायी वृद्धि के कारण शीर्ष मुद्रास्फीति वर्ष 2019-20 की प्रथम छमाही में 3.3 प्रतिशत के स्तर से बढ़कर दिसंबर, 2019 में 7.4 प्रतिशत हो गई, जिसके वर्ष के अंत तक नीचे आने की प्रत्याशा है। दिसंबर, 2019 में सीपीआई-मूल और डब्ल्यूपीआई मुद्रा स्फीति का बढ़ना मांग-दबावों के बढ़ने का संकेत है।

जीडीपी वृद्धि में मंदन गति को वास्तविक क्षेत्र पर अवरोध का कार्य करने वाले वित्तीय क्षेत्र से युक्त मंदवृद्धि चक्र की रूपरेखा के अंतर्गत समझा जा सकता है। मांग बढ़ाने के प्रयास के तहत, वर्ष 2019-20 में मौद्रिक नीति में काफी राहत दी गई है और आरबीआई द्वारा रेपो दर में 110 आधार बिंदुओं की कटौती की गई है। अर्थव्यवस्था में वित्तीय दबावों को स्वीकार करते हुए सरकार ने दिवाला एवं दिवालियापन संहित (आईबीसी) के तहत दिवाला समाधान प्रक्रिया को गति प्रदान करने तथा विशेष रूप से संकटग्रस्त रीयल इस्टेट और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) क्षेत्रों के लिए साख व्यवस्था में राहत प्रदान करने की दिशा में इस वर्ष अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए है। निवेश बढ़ाने के लिए, विशेष रूप से राष्ट्रीय अवसंरचना रूपरेखा के तहत, अमल में लाए गए महत्वपूर्ण उपायों से वर्ष 2019-20 की द्वितीय छमाही और 2020-21 में विकास के लिए हरित शाखाएं पल्लवित होने की आशा है। वर्ष 2019-20 के लिए 5 प्रतिशत पर दर्ज भारत की जीडीपी वृद्धि के प्रथम अग्रिम प्राक्कलन के आधार पर यह आशा की जा सकती है कि वर्ष 2019-20 की द्वितीय छमाही में जीडीपी की वृद्धि दर ऊपर जाएगी। सरकार को तत्परता के साथ सुधारों को अमल में लाने के लिए अपने मजबूत जनादेश का उपयोग करना चाहिए ताकि वर्ष 2020-21 में अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ उभर सके।

वर्ष 2019-20 में वैश्विक अर्थव्यवस्था

1.1 आईएमएफ द्वारा प्रकाशित जनवरी-2020 के वैश्विक आर्थिक परिदृश्य (डब्ल्यूयूईओ) में वर्ष 2019 वैश्विक उत्पादन में वृद्धि दर का, वर्ष-2018 के 3.6 प्रतिशत और वर्ष-2017 के 3.8 प्रतिशत से गिरकर 2.9 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष-2019 में वैश्विक उत्पादन में वृद्धि दर, वर्ष-2009 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद सबसे धीमी रहने का अनुमान है जोकि विनिर्माण संबंधी गतिविधियों और व्यापारिक कार्यकलापों में भौगोलिक रूप से आई व्यापक गिरावट से उत्पन्न हुई है। अमेरिका तथा चीन के बीच स्थिर प्राय: लेकिन अनिश्चित/व्यापारिक तनाव भी वैश्विक उत्पादन और व्यापार में आई गिरावट के लिए जिम्मेदार हैं। इसी प्रकार, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि दर, जो वर्ष 2017 में 2.5 प्रतिशत थी, वर्ष-2018 में घटकर 2.2 प्रतिशत हो गई और वर्ष-2019 में इसके और कम होकर 1.7 प्रतिशत तक जाने का अनुमान है (चित्र: 1)। ओईसीडी (आर्थिक सहयोग और विकास संगठन) देशों के समूह ने भी अपनी वृद्धि दर मे वर्ष 2017 के 2.6 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2018 में 2.3 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है, वर्ष 2019 में इसके 1.7 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। डब्ल्यूईओ ने वर्ष 2020 में वैश्विक उत्पादन की घटती वृद्धि दर को मामूली वृद्धि के साथ 3.3 प्रतिशत हो जाने का पूर्वानुमान लगाया है।

चित्र 1: वैश्विक उत्पादन/में वृद्धि

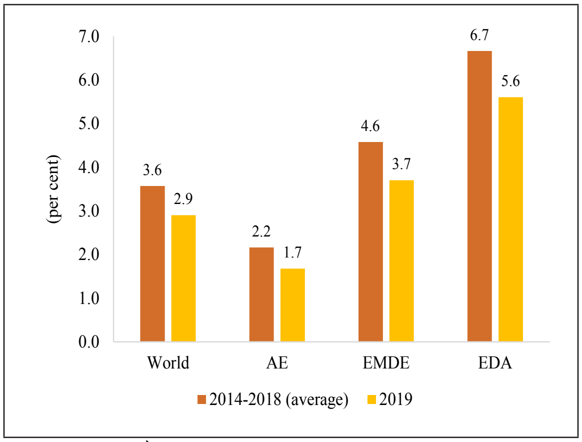

आंकड़ा स्रोत: वैश्विक आर्थिक परिदृश्य, अक्टूबर 2019 डाटाबेस तथा जनवरी 2020 अपडेट

नोट/टिप्पणी: ए ई: उन्नत अर्थव्यवस्थाएं, ईएमडीई: उभरते बाजार और विकासोन्मुख अर्थव्यवस्थाएं, ईडीएमई: उदीप्यीमान तथा विकासशील एशिया

चित्र 2: ब्रिक्स के अलग-अलग देशों की संवृद्धि

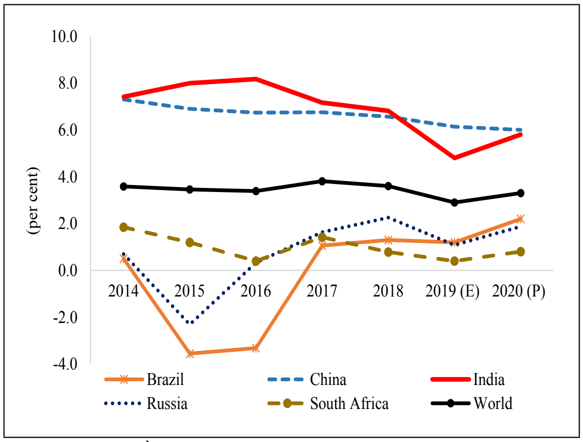

आंकड़ा स्रोत: वैश्विक आर्थिक परिदृश्य, अक्टूबर 2019 डाटाबेस तथा जनवरी 2020 अपडेट

नोट/टिप्पणी: ई: आईएमएफ (अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष) के प्राकल्लन, पी आईएमएफ (अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष) के अनुमान

1.2 अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तरह, भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर भी वैश्विक उत्पादन के विकास के साथ संबंधित है, जैसा कि वर्ष 2015-16 की आर्थिक समीक्षा में विचार किया गया था। आश्चर्य की बात नहीं है कि 2017 के बाद से भारत की जीडीपी वृद्धि में आई गिरावट भी वैश्विक उत्पादन में आई गिरावट का ही परिणाम है। (चित्र-2) हालांकि वर्ष 2017 से पूर्व तीन वर्षों जब तक वैश्विक उत्पादन में गिरावट नहीं आई थी, जब भारत, समस्त विश्व से आगे बढ़ गया तथा 2014-18 में भारत की औसत संवृद्धि, उन्नत और उभरते बाजार, दोनों तरह की अर्थव्यवस्था के बीच किसी भी तुलनात्मक देश से काफी अधिक दर्ज की गई थी। जनवरी-2020 के डब्ल्यूईओ अपडेट में भारतीय अर्थव्यवस्था की संवृद्धि दर में वर्ष 2020 में 5.8 प्रतिशत तक वृद्धि का अनुमान लगाया गया है जिससे वैश्विक उत्पादन में सम्भाव्य तेजी में भारत के महत्वपूर्ण योगदान देने की उम्मीद है। वर्ष 2018-19 में नाममात्र कीमतों (नॉमिनल प्राइस) में भारत की जीडीपी 190.1 लाख करोड़ रुपये (2.7 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर) थी।

1.3 वर्ष -2019 में वैश्विक आर्थिक गतिविधियों के कमजोर होने के साथ-साथ, दुनिया भर में मुद्रास्फीति भी मन्दित रही (चित्र 3)। उन्नत और नई अर्थव्यवस्थाओं में

चित्र 3: देश के विभिन्न समूहों में उपभोक्ता कीमत वृद्धि

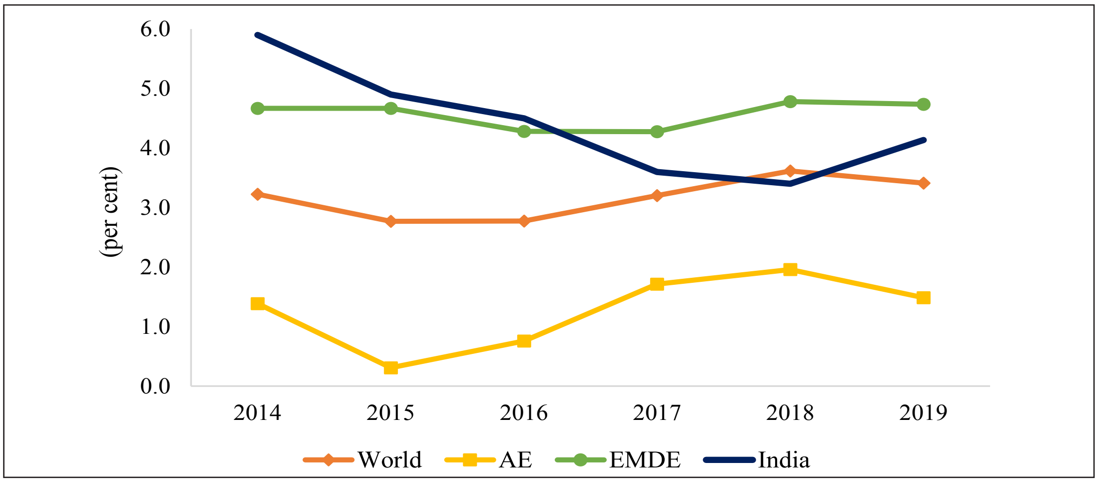

आंकड़ा स्रोत: वैश्विक आर्थिक परिदृश्य, अक्टूबर 2019 डाटाबेस तथा, राष्ट्रीय सांख्यकीय कार्यक्रम
नोट/टिप्पणी: ए ई: उन्नत अर्थव्यवस्थाएं, ईएमडीई: उभरते बाजार और विकासोन्मुख अर्थव्यवस्थाएं, ईडीएमई: उदीप्यीमान तथा विकासशील एशिया
2. भारत के लिए वर्ष अप्रैल-मार्च और 2019 के लिए डाटा अप्रैल से दिसंबर है

उपभोक्ता मांग में गिरावट को दर्शाते हुए मुद्रास्फीति नरम हो गई। आपूर्ति पक्ष के संदर्भ में वर्ष 2019 में ऊर्जा की कीमतों में कमी होने से भी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिली। अप्रैल-दिसंबर 2019 में भारत की मुद्रास्फीति थोड़ा बढ़कर 4.1 प्रतिशत हो गई,जो 2014 में 5.9 प्रतिशत की तेज गिरावट के वाद 2018 में 3.4 प्रतिशत हो गई।

1.4 उपभोक्ता मांग में वैश्विक गिरावट ने औद्योगिक क्रियाकलाप को प्रभावित किया, जिसके फलस्वरूप वर्ष 2019 में विश्व की अधिकांश प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में गिरावट आयी (चित्र 4 एवं 5)। विशेष रूप से, ऑटोमोबाइल उद्योग के वैश्विक उत्पादन में तेजी से गिरावट आयी, जिसका प्रमुख कारण मांग में कमी आना है। मांग में कमी आने का एक कारण यह है कि बहुत से देशों में प्रौद्योगिकी और उत्सर्जन मानकों में कई तरह के बदलाव हुए हैं। भारत के ऑटो उद्योग में भी इसी तरह की गिरावट आयी है (आईएमएफ के विश्व आर्थिक आउटलुक अक्टूबर, 2019 और जनवरी 2020)

चित्र 4: अचल निवेश की वृद्धि दर

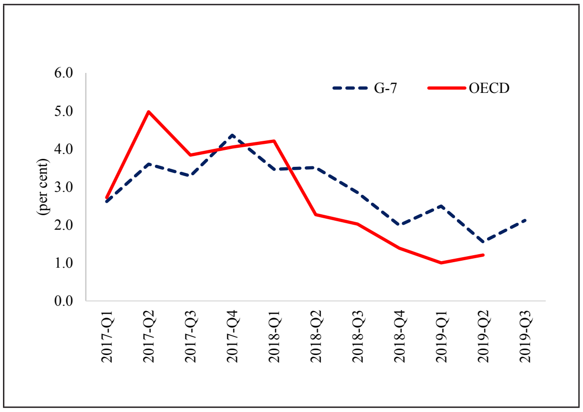

डाटा स्रोत: ओ ई सी डी डाटाबेस
टिप्पणी: कैलेंडर वर्ष के आधार पर तिमाही
जी-7 का अर्थ विश्व में सात बड़ी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं अर्थात कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के समूह से है।

चित्र 5: विनिर्माण उत्पादन के सूचक की वृद्धि

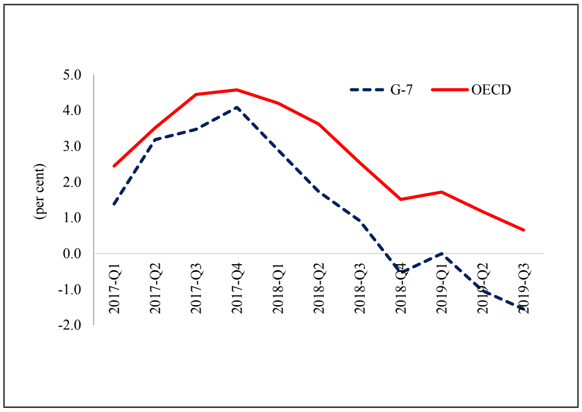

डाटा स्रोत: ओ ई सी डी डाटाबेस
टिप्पणी: कैलेंडर वर्ष के आधार पर तिमाही ओ ई सी डी का अर्थ आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन से है जिसमें 36 सदस्य देश हैं।

1.5 जैसे-जैसे वैश्विक औद्योगक गतिविधि धीमी हुई, विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से विनिमार्ण निर्यात की वृद्धि दर में कमी आयी है। बढ़ते व्यापार तनावों के साथ-साथ व्यापार अनिश्चिताओं के बढ़ने से व्यापार संबंधी अनिश्चिताओं ने भी व्यवसाय के भरोसे में कमी आयी है जिसके फलस्वरूप व्यापारिक गतिविधियों में कमी आयी है। भारत का विनिर्माण निर्यात भी गिर गया है। (चित्र 6)।

वर्ष 2019-20 में भारतीय अर्थव्यवस्था

अर्थव्यवस्था का आकार:

1.6 अक्टूबर 2019 के डब्ल्यूईओ ने वर्तमान अमेरिकी डॉलर मूल्यों पर जीडीपी का उपयोग करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था के दुनिया में पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का अनुमान लगाया है। उपर्युक्त उपलब्धि को हासिल करते ही भारत यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को पीछे छोड़ देगा। वर्ष 2019 में भारतीय

चित्र 6: गैर-कृषि, गैर-ईंधन व्यापारिक वस्तु निर्यात वृद्धि[1] दर

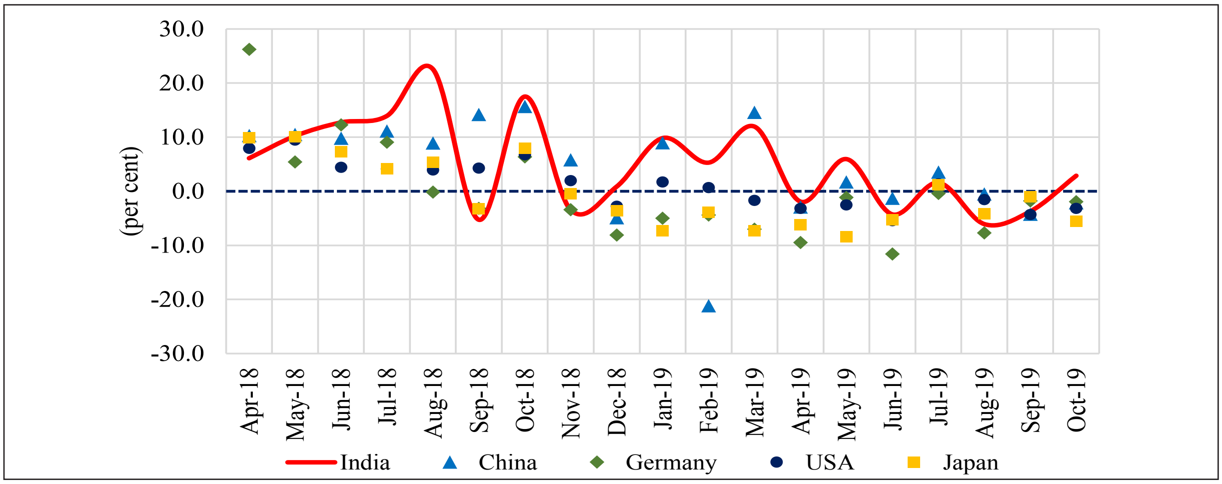

डाटा स्रोत: ट्रेड मैप डाटाबेस

तालिका 1: वर्तमान अमेरिकी डॉलर ट्रिलियन में जीडीपी के संदर्भ में दुनिया की शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाएं

क्र. सं.	देश	2017	2018	2019 (E)	2019 में स्थान में परिवर्तन
1	संयुक्त राज्य अमेरिका	19.5	20.6	21.4	-
2	चीन	12.1	13.4	14.1	-
3	जापान	4.9	5.0	5.2	-
4	जर्मनी	3.7	4.0	3.9	-
5	भारत	2.7	2.7	2.9	▲
6	यूनाइटेड किंगडम	2.6	2.8	2.7	▼
7	फ्रांस	2.6	2.8	2.7	▼
8	इटली	2.0	2.1	2.0	-
9	ब्राजील	2.1	1.9	1.8	-
10	कोरिया	1.6	1.7	1.6	-

डाटा स्रोत: विश्व आर्थिक आउटलुक, अक्टूबर 2019 डाटाबेस

टिप्पणी: ई: आई एम एफ के आकलन: ▲ का रैंक में सुधार; ▼ गिरावट का अर्थ रैंक का यथावत रहना

1. एचएस कोड 28 से 96 के तहत उत्पाद श्रेणियों से संबंधित कुल व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात को विनिर्माण निर्यात माना जाता है।

अर्थव्यवस्था का आकार अमेरिकी डॉलर 2.9 ट्रिलियन होने का आकलन किया गया है। (तालिका 1)

1.7 जुलाई, 2019 में, केंद्रीय बजट 2019-20 में माननीय प्रधानमंत्री के 2024-25 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डालर की अर्थव्यवस्था बनाए जाने संबंधित दृष्टिकोण पर स्पष्ट बल दिया गया है। हालांकि, वैश्विक निर्गम में ह्रास के कारण, इस वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद में अपेक्षित वृद्धि की अपेक्षा कम वृद्धि होना इस उपलब्धि के लिए चुनौती बना हुआ है। इसके बावजूद भी, विगत पांच वर्षों (वार्षिक औसत वृद्धि की दर 7.5 प्रतिशत और मुद्रास्फीति की वार्षिक औसत दर 4.5), से स्थिर समष्टि अर्थशास्त्रीय घटनाचक्र के चलते वृद्धि के दिए गए भारतीय रिकॉर्ड से अपेक्षा की जाती है कि 5 ट्रिलियन अमेरिकी डालर के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है (चित्र 7)।

चित्र 7: भारतीय अर्थव्यवस्था का बढ़ता आकार (मौजूदा अमेरिकी डॉलर पर जीडीपी)

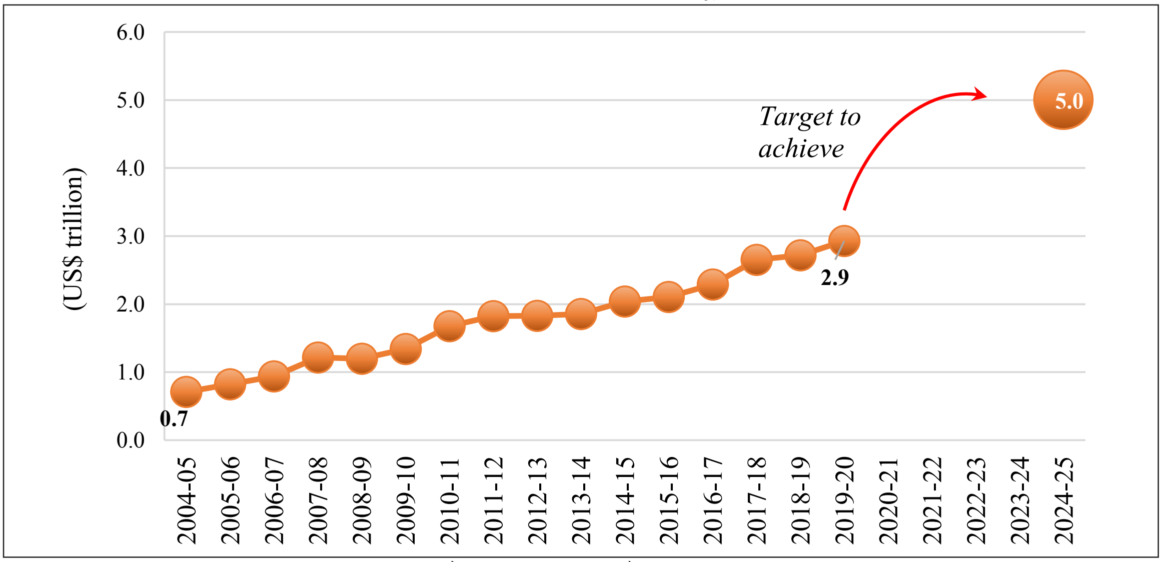

स्रोतः राष्ट्रीय जनसांख्यिकीय कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और अंतर-राष्ट्रीय मुद्रा कोष

जीवीए और जीडीपी वृद्धि

1.8 राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ) ने 2019-20 की प्रथम छमाही (एच 1) (अप्रैल-सितम्बर) में भारतीय जीडीपी में 4.8 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान लगाया है, जो 2018-19 की दूसरी छमाही (एच 2) (अक्तूबर-मार्च) में दर्ज की गई 6.2 प्रतिशत की अपेक्षा वृद्धि की कम है। इसके विपरीत आपूर्ति पक्ष के संबंध में, "कृषि और आनुषंगिक क्रियाकलापों, और लोक प्रशासन, सुरक्षा, और अन्य सेवाओं, 2019-20 की प्रथम छमाही की वृद्धि दर 2018-19 की दूसरी छमाही की वृद्धि दर से उच्च थी, को छोड़कर सभी सैक्टरों द्वारा सामान्य तौर पर सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि के विवरण के अनुसार जीडीपी वृद्धि में योगदान किया है(तालिका 2)।

तालिका 2: वास्तविक सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) और जीडीपी (प्रतिशत) की तिमाहीवार वृद्धि

	2018-19				2019-20	
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
मूल मूल्यों पर जीवीए	7.7	6.9	6.3	5.7	4.9	4.3
कृषि, वन एवं मत्स्य	5.1	4.9	2.8	–0.1	2.0	2.1
उद्योग	9.8	6.7	7.0	4.2	2.7	0.5
सेवाएं	7.1	7.3	7.2	8.4	6.9	6.8
बाजार मूल्यों पर जीडीपी	8.0	7.0	6.6	5.8	5.0	4.5

डाटा स्रोतः राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय।

1.9 मांग पक्ष के संबंध में, 2018-19 के मूल उपयोग की सुस्त वृद्धि से तुलना करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि 2019-20 के प्रथम छमाही में अचल निवेश की वृद्धि में गिरावट के कारण सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में गिरावट दर्ज की गई। हालांकि, विशेष रूप से सरकारी अंतिम उपयोग में महत्वपूर्ण उछाल से 2019-20 के दूसरे तिमाही में वास्तविक उपयोग में वृद्धि प्रारंभ हो गई। 2019-20 की दूसरे तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद में निवल निर्यात का योगदान कम नकारात्मक हो गया, क्योंकि वास्तविक रूप से निर्यात का संकुचन आयात के संकुचन की तुलना में बहुत कम था। जीडीपी की कम वृद्धि और कच्चे तेल की घटती कीमत के कारण आयात में एक बड़ा संकुचन हुआ (तालिका 3)।

तालिका 3: जीडीपी की वास्तविक वृद्धि (प्रतिशत)

	2017-18	2018-19 (PE)	2019-20	
			Q1	Q2
सकल घरेलू उत्पाद	7.2	6.8	5.0	4.5
कुल उपयोग	8.6	8.3	4.1	6.9
सरकारी उपयोग	15.0	9.2	8.8	15.6
निजी उपयोग	7.4	8.1	3.1	5.1
अचल निवेश	9.3	10.0	4.0	1.0
माल और सेवाओं का निर्यात	4.7	12.5	5.7	-0.4
माल और सेवाओं का आयात	17.6	15.4	4.2	-6.9

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय

नोट: पीई-अनंतिम अनुमान

1.10 लगातार छठी तिमाही में जीडीपी वृद्धि में गिरावट के बावजूद, शेयर बाजार देश के विकास की संभावनाओं को लेकर उत्साहित है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का सेंसेक्स मार्च, 2019 की तुलना में दिसंबर, 2019 के अंत में 7.0 प्रतिशत अधिक हो गया (चित्र 8)। यह दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि में गिरावट और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मौद्रिक नीति को आसान बनाए जाने की पृष्ठभूमि में निवेश के लिए भारत के एक आकर्षक गंतव्य बनने की बढ़ती ध ारणा को भी दर्शाता है। 2019-20 के पहले आठ महीनों में निवल एफडीआई और निवल विदेशी पोर्टफोलिया निवेश (एफपीआई) क्रमश: 24.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 12.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो कि 2018-19 के अवधि में प्राप्त अंतर्वाह से अधिक था।

1.11 भारत ने 2011-12 से 2012-13 की चौथी तिमाही में अपनी सबसे कम तिमाही जीडीपी वृद्धि दर्ज की है (चित्र 9)। 13 तिमाहियों के बाद, अर्थव्यवस्था ने 2016-17 की पहली तिमाही में 9.4 प्रतिशत की अपनी उच्चतम तिमाही वृद्धि प्राप्त की। पुन: इसके 13 तिमाहियों के बाद, अर्थव्यवस्था ने 2019-20 की दूसरी तिमाही में 4.5 प्रतिशत के साथ गिरावट दर्ज की। ऐसा प्रतीत होता है कि व्यापार चक्र की लंबाई लगभग 13 तिमाही है। 2018 में, 1996 से विकास के आंकड़ों को लेकर भारत में व्यापार चक्र माप पर किए गए एक अध्ययन (पांडे और अन्य (2018)) में ऐसे ही परिणाम दर्शाए गए हैं। उनका अध्ययन इस बात को दर्शाता है कि जब जीडीपी में वृद्धि हो रही हो तब से व्यापार चक्र का औसत 12 तिमाही का होता है। हालांकि, मंदी के दौर में, व्यापार चक्र औसतन घटकर 9 तिमाही तक का हो जाता है। तदनुसार, 2019-20 की दूसरी छमाही में वृद्धि में पुनरुत्थान होने का अनुमान किया जा रहा है।

चित्र 8: बीएसई सेंसेक्स में परिवर्तन

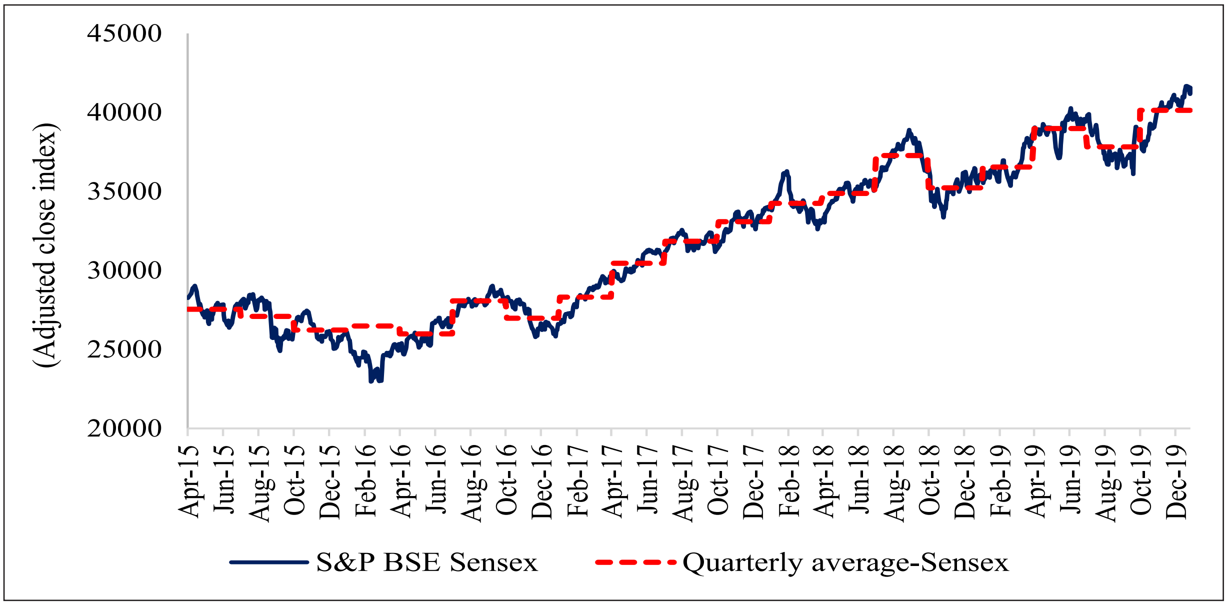

आंकड़ों का स्रोत: बीएसई

चित्र 9: वास्तविक जीडीपी में तिमाही वार वृद्धि

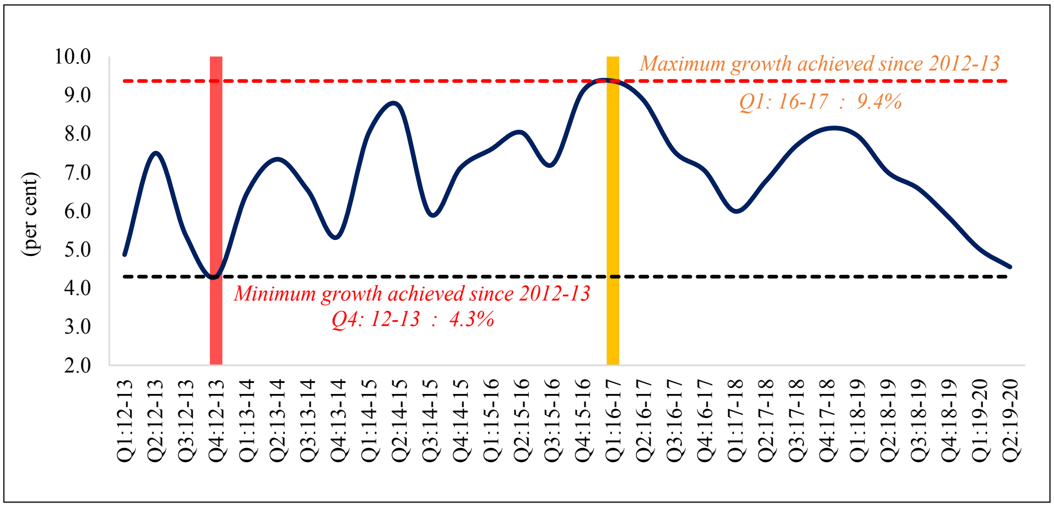

आंकड़े का स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय

मुद्रास्फीति

1.12 2019-20 की पहली छमाही में, सी.पी.आई. (हेडलाइन) 3.3 प्रतिशत मुद्रास्फीति प्रतिशत का आंकलन किया गया था जो कि पिछले वर्ष की दूसरी छमाही की सी.पी.आई. (हेडलाइन) मुद्रास्फीति से थोड़ा अधिक है। दिसंबर, 2019 माह में हेडलाइन मुद्रास्फीति में 7.35 प्रतिशत तक का इजाफा रहा है, जिसमें मुख्यत: आपूर्ति पक्ष के घटकों का योगदान था। देश के कई हिस्सों में बेमौसम वर्षा और बाढ़ जैसी स्थिति के कारण खाद्य की कीमतों में स्पष्ट रूप से वृद्धि हुई, जिससे कृषि संबंधी फसल का उत्पादन प्रभावित हुआ था। दूसरी तरफ, थोक कीमत सूचकांक (डब्ल्यू.पी.आई) मुद्रास्फीति में अप्रैल, 2019 में 3.2 प्रतिशत से दिसम्बर, 2019 में 2.6 प्रतिशत तक की तेजी से गिरावट आई, जो अर्थव्यवस्था में मांग संबंधी दबाव की दुर्बलता (कमजोरी) को प्रतिबिम्बित करती है। (चित्र 10)

चित्र 10: सी.पी.आई. और डब्ल्यू.पी.आई. मुद्रास्फीति

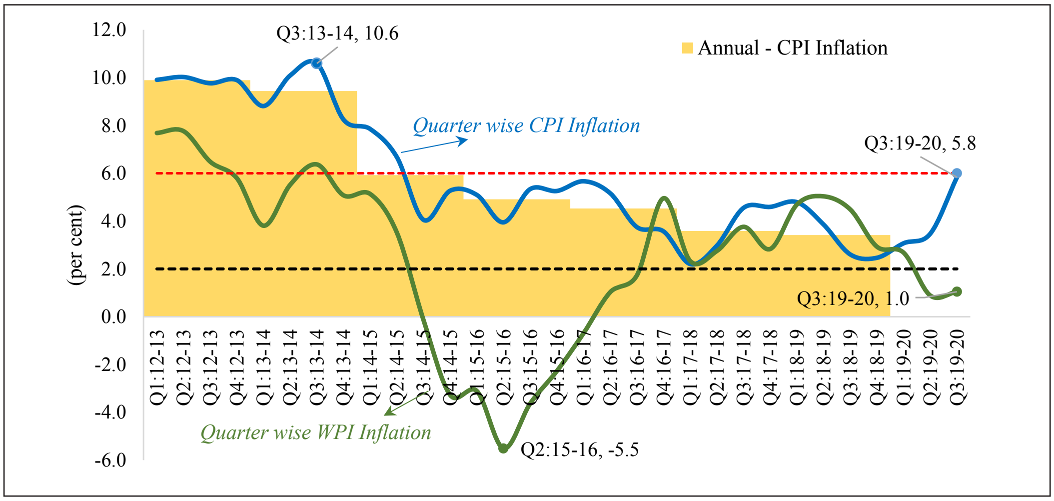

आंकड़ों का स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय और उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डी.पी.आई.आई.टी.)

1.13 कोर मुद्रास्फीति (हेडलाइन मुद्रास्फीति घटा खाद्य व ईंधन मुद्रास्फीति) अर्थव्यवस्था में मांग की स्थिति को प्रतिबिम्बित करती है। सी.पी.आई. कोर मुद्रा स्फीति में 2018-19 की पहली तिमाही में 6.3 प्रतिशत से 2019-20 की दूसरी तिमाही में 4.3 प्रतिशत तक शिथिलन रहा है, जिससे अर्थव्यवस्था में मांग संबंधी दाबव की कमजोरी भी प्रतिबिम्बित होती है। जी.डी.पी. अपस्फीतिकारक द्वारा प्रग्रहित, कोर सी.पी.आई. और डब्ल्यू.पी.आई. मुद्रास्फीति ने एक साथ मुद्रास्फीति को संतुलित किया, जिसमें 2018-19 की दूसरी छमाही में 3.7 प्रतिशत से 2019-20 की पहली छमाही में 2.1 प्रतिशत तक की गिरावट हुई। इससे जी.डी.पी. की मौद्रिक वृद्धि में भी काफी कमी आई।

रोजगार: औपचारिक बनाम अनौपचारिक

1.14 चूंकि अर्थव्यवस्था के औपचारिकीकरण में बढ़ोत्तरी के लिए कई नीतियां लागू की गई हैं, अत: इसके प्रभाव की जांच करना महत्वपूर्ण हो गया है। कार्यप्रणाली और नमूना चयन संबंधी डिजाइन में परिवर्तन के कारण, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पी.एल.एफ.एस.) पर आधारित श्रम बाजार प्राक्कलन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.) द्वारा संचालित रोजगारी-बेरोजगारी पर प्रारंभिक पंचवर्षिक सर्वेक्षण के परिणामों से तुलनीय नहीं है। फिर भी औपचारिक क्षेत्र की नौकरियों (जॉब्स) में बर्धित नियोजनीयता में परिवर्तन पर रोशनी डालने के लिए सीमित तुलनीयता लाने का प्रयास किया गया है।

1.15 रोजगार पर नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 'नियमित वेतन' द्वारा तथा अधिकृत औपचारिक रोजगार की हिस्सेदारी में 2011-12 में 17.9 प्रतिशत से 2017-18 से 22.8 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है (चित्र: 11)। नियमित वेतन/वैतनिक समूह की हिस्सेदारी में यह 5 प्रतिशत अंक की वृद्धि आकस्मिक कामगारों की हिस्सेदारी में 5 प्रतिशत अंक की कमी के कारण हुई है, जो अर्थव्यवस्था में औपचारिकीकरण को प्रतिबिम्बित करती है। परिणाम स्वरूप, पूर्ण शब्दों में, ग्रामीण क्षेत्रों में 1.21 करोड़ और शहरी क्षेत्रों में 1.39 करोड़ के साथ सामान्य स्थिति वर्ग में लगभग 2.62 करोड़ नई नौकरियों की महत्वपूर्ण उछाल आई थी ध्यान से देखने पर, नियमित वेतन/वैतनिक कर्मचारी वर्ग में महिला कामगारों के अनुपात में इस वर्ग में महिला कामगारों के लिए 0.7 करोड़ नई नौकरियों के साथ 8 प्रतिशत अंकों तक की (2011-12 में 13 प्रतिशत से 2017-18 में 21 प्रतिशत तक की) वृद्धि हुई है। आकस्मिक श्रम में गिरावट मुख्यत: ग्रामीण क्षेत्र से हुई है, जहां ग्रामीण श्रमिक कृषि से औद्योगिक और सेवा संबंधी कार्यकलाप की ओर स्थांतरित हुए हैं। शहरी क्षेत्र में, ये स्व-रोजगार से वैतनिक नौकरियों में रोजगार का परिवर्तन हुआ है (चित्र 11)।

चित्र 11: रोजगार में स्थितियों के माध्यम से सभी उम्र के सामान्य स्थिति के श्रमिकों का वितरण (पीएस + एसएस)

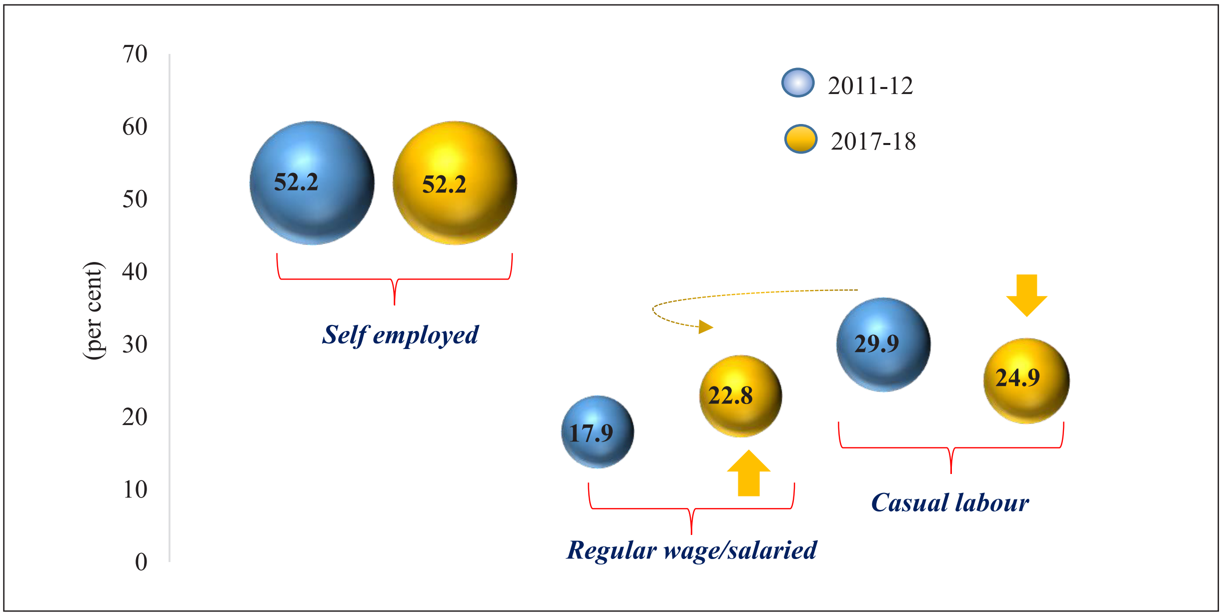

डाटा स्रोत: आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, 2017-18 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

टिप्पणी: पीएस-मुख्य स्थिति, एस.एस.-सहायक स्थिति

1.16 वित्तीय वर्ष मार्च 2018 के अंत तक उद्योगों का अनंतिम वार्षिक सर्वेक्षण संगठित निर्माण क्षेत्र में रोजगार वृद्धि को दर्शाता है। 2014-15 और 2017-18 के मध्य में कुल श्रमिकों की संख्या में 14.7 लाख की बढ़ोत्तरी हुई है और संगठित निर्माण क्षेत्र में लगे हुए कुल श्रमिकों की बढ़ोत्तरी 17.3 लाख हो गई है।

राजकोषीय स्थिति

1.17 2019-20 में केन्द्र का वित्तीय घाटा बजट में 7.04 लाख करोड़ रुपये था (सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत) जबकि 2018-19 में प्रति वर्ष 6.49 लाख करोड़ रुपये (सकल घरेलू उत्पाद का 3.4 प्रतिशत) था। (चित्र 12) 2019-20 के प्रथम आठ महीनों में वित्तीय घाटा बजट का 114.8 प्रतिशत था।

1.18 केन्द्र की निवल कर राजस्व, जो 2018-19 पीए के सापेक्ष 2019-20 बीई में 2.5 प्रतिशत से अधिक बढ़ने की परिकल्पना की गई थी, वह 2019 में अप्रैल से नवंबर के दौरान 2.6 प्रतिशत तक बढ़ गया था, तथापि समवर्ती पिछले वर्ष की अवधि में वृद्धि दर इसकी आधी थी) यह मुख्य रूप में 2019-20 के प्रथम आठ महीनों के दौरान सकल कर राजस्व (जीटीआर) में कम वृद्धि (0.8) प्रतिशत का परिणाम था, जो 2018-19 (तालिका 6, अध्याय 2) की समवर्ती अवधि में वृद्धि 7.1 प्रतिशत थी। वर्ष 2019 के अप्रैल-नवंबर माह के दौरान अप्रत्यक्ष कर के सबसे बड़े घटक माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के संग्रह में 4.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। हालांकि केन्द्र का संचयी जीएसटी में वृद्धि अक्तूबर, 2019 में शुरू हुई थी और नवम्बर एवं दिसम्बर 2019 में भी जीएसटी संग्रह में वृद्धि बनी रही थी।

1.19 जीएसटी के (जुलाई, 2017) लागू होने से विशेषरूप में (केन्द्र + राज्य) 2019 के नवम्बर माह में जीएसटी संग्रह तीसरा सबसे बड़ी मासिक संग्रह था। 2019 के अप्रैल-दिसंबर में सकल जीएसटी राजस्व ने 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का संग्रह पांच बार पार किया था और दिसम्बर, 2019 में राजस्व संग्रह 1.03 लाख करोड़ रुपये हो गया था। यह कर अनुपालन और राजस्व संग्रहों में सुधार के साथ-साथ एक पुनरूत्थान वाली अर्थव्यवस्था के प्रतिबंब के रूप में सरकार द्वारा किए गए ठोस प्रयासों का परिणाम हो सकता है।

1.20 व्यय की तरफ से, केन्द्रीय सरकार का बजटीय व्यय, पूर्ववर्ती वर्ष की इसी अवधि से बढ़ा, जो बजट

चित्र 12: जी.डी.पी. के प्रतिशत के रूम में सकल राजकोषीय घाटा (केन्द्र)

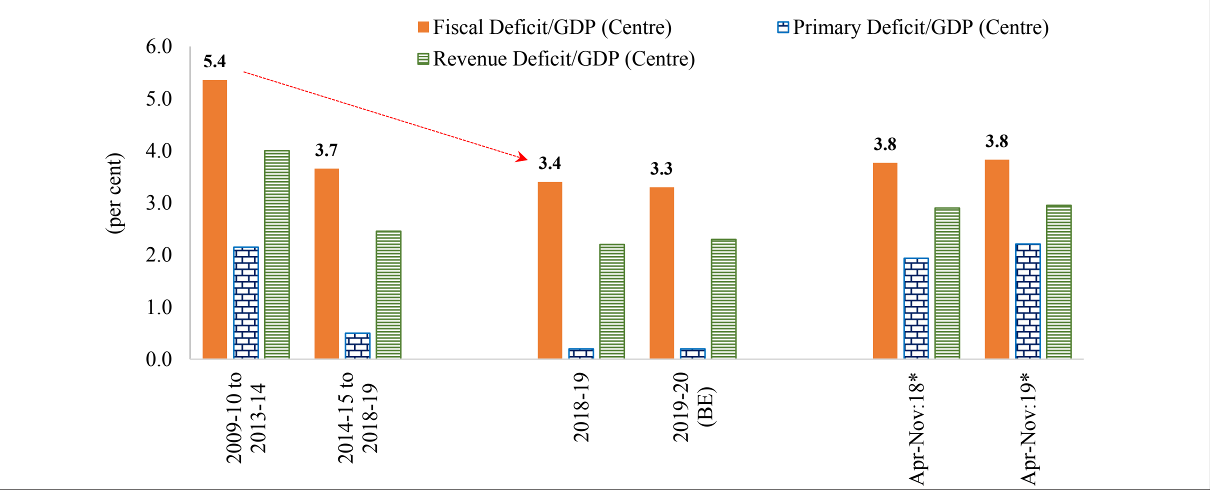

आंकड़ा स्रोत: संघीय बजट और सी जी ए

टिप्पणी *: 2018 के आंकड़े 2018-19 के जीडीपी (पीई) आंकड़ों की तुलना में है तथा 2019 के आंकड़े अनंतिम हैं और 2019-20 की बजटी जीडीपी की तुलना में है।

का लगभग 12.8 प्रतिशत विस्तार हुआ और अप्रैल से नवंबर 2019 में बजट प्रावधान का 60 प्रतिशत अंश खर्च हो गया। 2019-20 में इसी अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय 2018-19 की इसी अवधि की तुलना में लगभग तीन गुणा बढ़ा है। साथ ही 2019-20 के इन्हीं महिनों के दौरान राजस्व व्यय थी पूर्ववर्ती वर्ष की इसी अवधि की तुलना में उच्चतर दर से बढ़ा (अध्याय 2, चित्र 8)।

मौद्रिक नीति

1.21 जून 2019 के बाद मे बैंकों की नकदी की स्थिति सुखद रही है और तब से यह स्वस्थ बनी हुई है (अध्याय 4, चित्र 5)। औसत दैनिक निवल अवशोषण जून 2019 में रु. 45.6 हज़ार करोड़ से बढ़कर दिसंबर 2019 में रु. 256.4 हजार करोड़ हो गया। टिकाऊ नकदी अंत:क्षेपण, चार खुले बाज़ार में प्रतिभूतियों के क्रय - विक्रय (ओएमओ) के क्रय नीलामियों द्वारा और यू.एस. $5 बिलियन के क्रय विक्रय के विनिमय नीलमी द्वारा किया गया। बैंकिंग प्रणाली में पर्याप्त नकदी भारित शीघ्रावधि मुद्रा दर में भी परिलक्षित है, जो मुख्यत: चल निधि (नकदी) समायोजन सुविधा (एन च एफ) कॉरिडोर के भीतर व्यापारित होता है (एन च एफ कॉरिडोर रेपो और रिवर्स रेपो दर के बीच कीमत लागत अंतर है) (अध्याय 4, चित्र 6)।

1.22 भारतीय रिज़र्व बैंक उदार बना रहा चूंकि इसने फरवरी 2019 से नीति रेपो दर में 135 आधार अंकों की कटौती की बैंकों में अतिशय नकदी सहित दर कटौति से ब्याज दरों में कमी के रूप में अंतरित होना संभावित है। यद्यपि, यह अंतरण विविध बाजार क्षेत्रों में प्रसारित हुआ (चित्र 13)। इस अवधि के दौरान अल्पावधि राजकोषीय बिलों को प्रेषण पूर्ण था जबकि दीर्घावधि प्रतिभूतियों के लिए यह आंशिक था। ऋण बाजार में प्रेषण भी आंशिक था, अनुसूचित वाणिज्यि बैंकों (एससीबीज) द्वारा भारित औसत ऋण दर (डब्ल्यू ए एल आए) ताजा रुपए ऋण पर फरवरी से नवंबर 2019 के बीच केवल 33 आधार अंकों (बीपीएस) तक घटी है। अत: आरबीआई द्वारा दर कटौतियों में एक चौथाई से कम, बैंकों द्वारा नए ऋणदाताओं को अंतरित कर दी गई। फरवरी और नवंबर 2019 के बीच निधि आधार की उधार की दर (एमसीएलआर) की 1-वर्षीय सीमांत लागत की माध्यिका 49 बीपीएस तक कम की गई; जो आरबीआई द्वारा कटौती के लगभग एक तिहाई का अंतरण प्रदर्शित करता है।

चित्र 13: नीति दर, प्राप्ति तथा ऋण दर

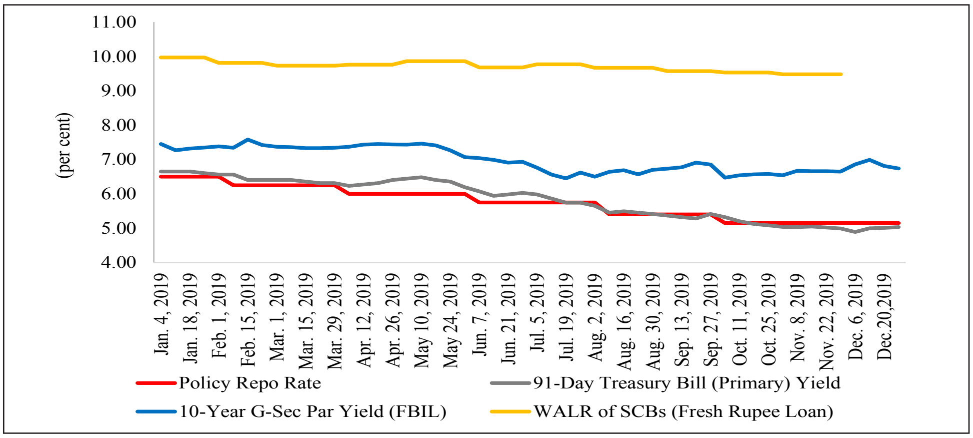

आंकड़ों का स्रोत: आर बी आई।

टिप्पणी: डब्ल्यू ए एलआर से तात्पर्य है भारित औसत ऋण दर।

साख वृद्धि

1.23 बैंक साख की वृद्धि, जो 2018-19 की प्रथम छमाही (एच 1) में उठ रही थी, 2018-19 की (दूसरी छमाही) (एच 2) में कम होने लगी और 2019-20 की (प्रथम छमाही) (एच 1) में और कम हो गई। यह कमी व्यक्तिक ऋण को छोड़ खाद्येतर साख के सभी मुख्य खण्डों में मजबूत गति चलती रही। साख वृद्धि में सर्वाधिक कमी सेवा क्षेत्र में हुई। हाल ही के महीनों में उद्योगों की साख वृद्धि में काफी कमी दर्ज की गई, एमएसएम ई क्षेत्र तथा भारी उद्योगों दोनों में ही। कृषि तथा अनुषंगी गतिविधियां साख की उच्चतर वृद्धि से लाभन्वित हुई (चित्र 14)।

1.24 साख वृद्धि में कमी का मुख्य कारण बैंकों की जोखिम से बचने की बढ़ती हुई प्रवृति है जिसने अनर्जक परिसंदाओं (एनपीए) के बढ़ने को सीमित किया है। साख वृद्धि में शिथिलता का कारण बैंकों द्वारा गैर-निष्पादक परिसंपदाओं के जमाव से बचने की जोखम विरति को माना गया है। दिसंबर 2016 तथा जून 2019 के मध्य 2000 के अधिक कारपोरेट दिवालियापन संकल्प प्रक्रिया को दाखिल किए जाने के बावजूद ऐसी स्थिति है। आईबीसी प्रक्रिया ने गैर-निष्पादक परिसंपदाओं (एनपीए) को मार्च 2018 में 11.2 प्रशित से घटाकर मार्च 2019 में 9.3 प्रतिशत तक लाने में

चित्र 14: खाद्येतर बैंक साख की वृद्धि

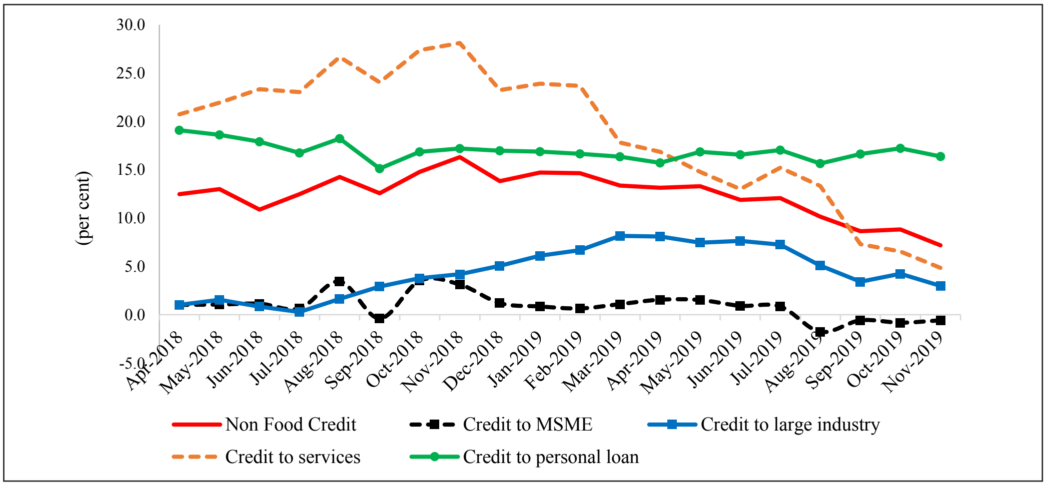

आंकड़ों का स्रोत: आर बी आई

टिप्पणी: चयनित 41 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की क्षेत्रीय साख की वृद्धि।

अपनी भूमिका निभाई है। हालांकि, एनपीए अनुपात अगले छ: माह अर्थात् सिंतबर, 2019 में 9.3 प्रतिशत ही बना रहा।

1.25 सरकारी क्षेत्रों (जी-सेक) में सुगम निवेश की संभावना संभवत: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा दर्शाए जा रही जोखिम विरति के पूरक के रूप में कार्य कर रही है। वर्ष 2019-20 के प्रथम आठ महीनों के दौरान, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने पिछले वर्ष की संगत अवधि में जमा धानराशि के बारबर राशि को ही इनमें जमा किया। तथापि, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने सरकारी क्षेत्र मे वर्तमान वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में अपने कर्ज उठाव को 4/5 भाग से अधिक घटाते हुए तीन गुना राशि के निवेश की योजना बनाई है। ऐसा प्रतीत होता है कि निजी क्षेत्र को ऋण दिए जाने के प्रति जोखिम प्रतिकूलता में वर्ष 2019 में वृद्धि हुई है (तालिका 4)

1.26 निजी क्षेत्र को ऋण देने संबंधी जोखिम विरति सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीसएबी) के संबंध में अपेक्षाकृत अधिक प्रतीत होती है। जैसा कि चित्र 15 दर्शाता है कि सार्वजनकि क्षेत्र के बैंकों से ऋण की वृद्धि निजी क्षेत्र के बैंकों की साख वृद्धि भी दिसंबर 2018 के पश्चात् तेजी से कम हुई हैं।

बाह्‌य क्षेत्र निष्पादन

1.27 अक्तूबर एवं नवबंर, 2019 माह में पिछले वर्ष के तदनरूपी महीनों की प्रमुख वस्तु समूह के निर्यात की

तालिका 4: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक साख (लाख करोड़ रुपए में)

	अप्रैल-नवंबर	
	2018-19	2019-20
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की निवल साख	5.07	0.89
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की निवल समग्र जमा राशि	3.87	3.85
वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात (प्रतिशत)	131.0	23.1
सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	1.07	3.37

डाटा स्रोत: आरबीआई

चित्र 15: सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के बैंकों की साख में वृद्धि।

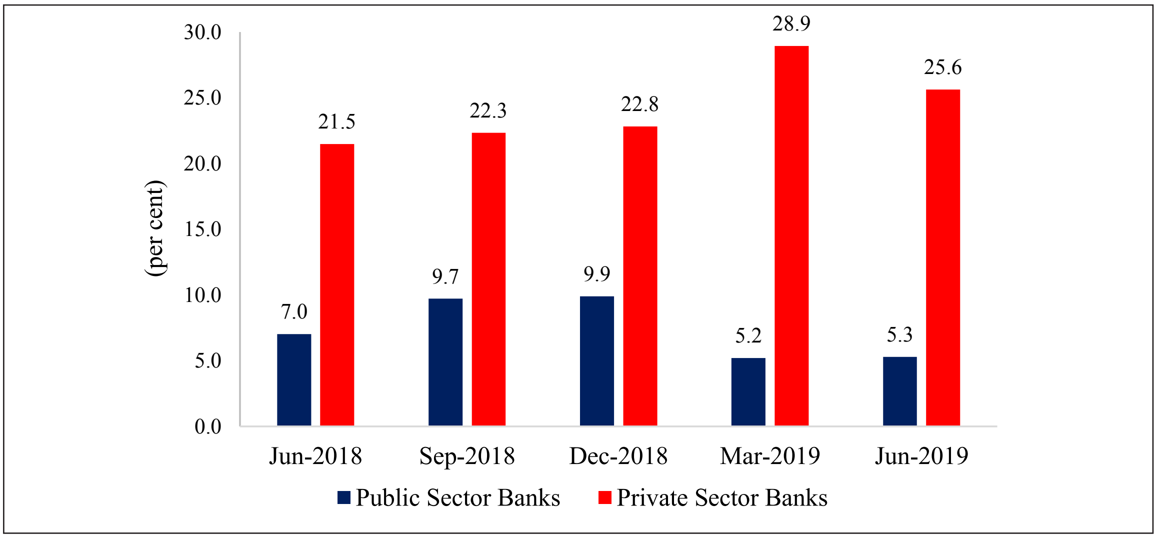

डाटा स्रोत: आरबीआई

तुलना में सकारात्मक वृद्धि देखी गई है जबकि प्रमुख वस्तु समूह के आयात में कमी दर्ज की गई है। हालांकि आयात की तुलना में निर्यात व्यापार के धीमें संकुचन से वर्ष 2019-20 के व्यापार संतुलन में सुधार देखा गया है। (चित्र 16)

1.28 आयात बिल का संकुचन आंशिक तौर पर वर्ष 2018-19 की तुलना में चालू वर्ष में तेल की कीमतों में हुई गिरावट के कारण हुआ है, चित्र 17 जबकि निर्यात का धीमा संकुचन वैश्विक गतिविधि की प्रगति के फलस्वरूप हुआ है। चित्र 18 जुलाई, 2019 से वास्तविक विनिमय दर का अवमूल्यन भारत के निर्यात में पुनः सुधार के लिए सहायक हो सकता है, यद्यपि निर्यात में विनियम दर अवमूल्यन का योगदान स्पष्ट करने वाले साक्ष्य अस्पष्ट दिखाई देते हैं। (खंड-1, अध्याय-5)

1.29 सेवा निर्यात के धीमी वृद्धि के बावजूद सेवा लेखा का व्यापार शेष वर्ष 2019-20 में सकारात्मक रहा है। सेवा लेखा में व्यापार अधिशेष वर्ष 2018-19 में एच-1 के 38.9 बिलियन यूएस डॉलर की तुलना में वर्ष 2019-20 में 40.5 बिलियन यूएस डॉलर रहा है। (चित्र 19)

चित्र 16: व्यापारिक निर्यात एवं आयात में वृद्धि

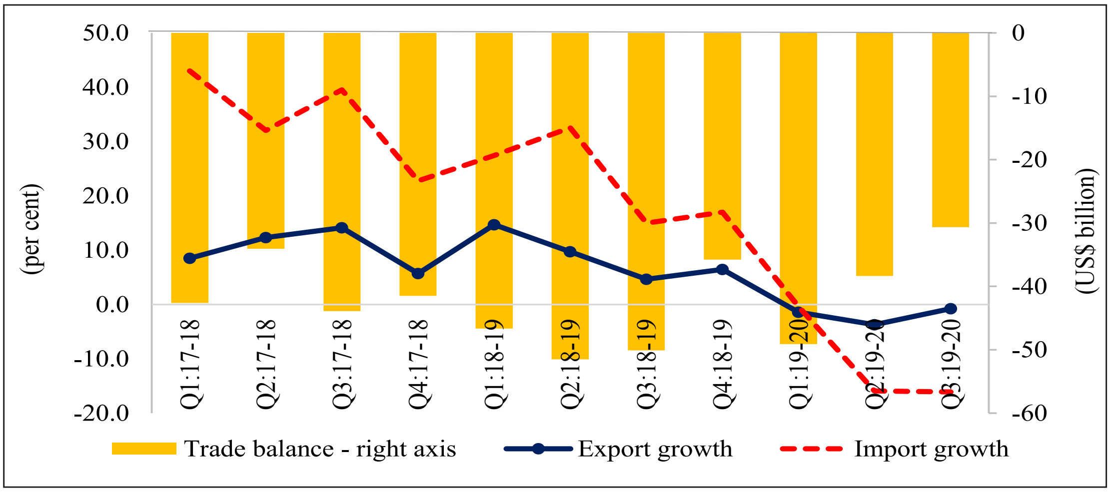

डाटा स्रोत: वाणिज्यिक विभाग, वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय

चित्र 17: कच्चा तेल कीमतें (भारतीय बास्केट) यूएस डालर प्रति बैरल

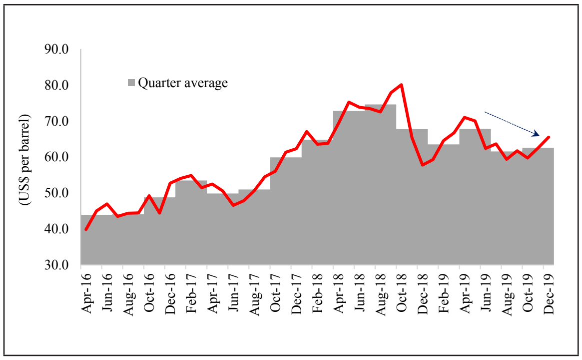

डाटा स्रोत: पेट्रोलियम आयोजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ

चित्र 18: भारतीय रुपए की विनिमय दर

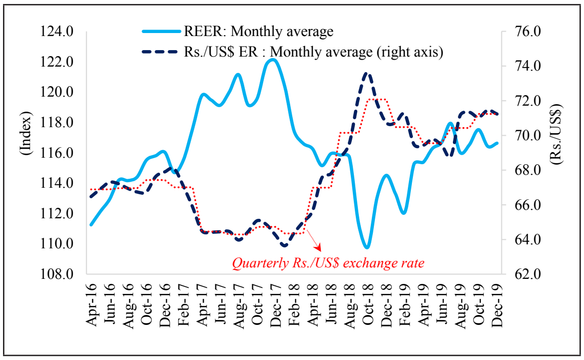

डाटा स्रोत: आरबीआई

टिप्पणी: आरईईआर वास्तविक प्रभावी विनिमय दर को दर्शाती है। (36 मुद्रा व्यापार भार)

चित्र 19: सेवा निर्यात एवं आयात में वृद्धि

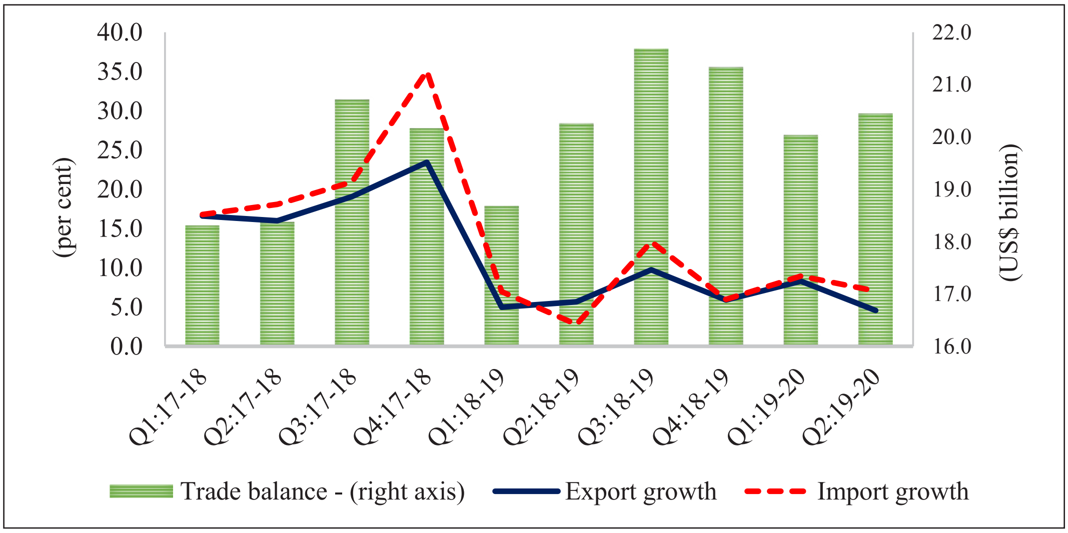

डाटा स्रोत: आरबीआई

चित्र 20: जीडीपी के प्रतिशत के रूप में चालू लेखा घाटा

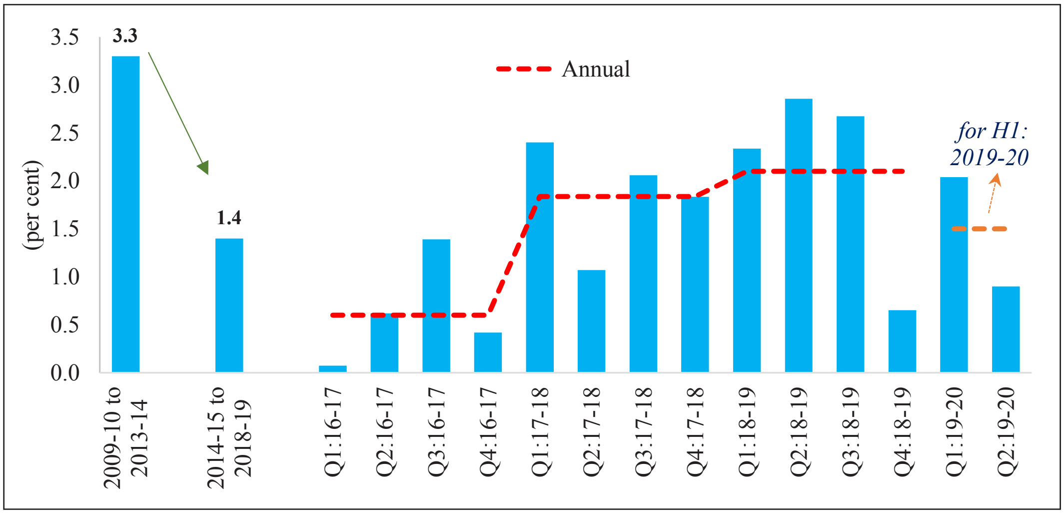

डाटा स्रोत: आरबीआई

1.30 निम्न चालू लेखा घाटा (सीएडी) देश की न्यूनीकृत बाह्य ऋणग्रस्तता को दर्शाता है जिससे घरेलू आर्थिक नीति की बाह्य प्रभावों पर निर्भरता घट जाती है। सीएडी, जो वर्ष 2018-19 के 2.1 प्रतिशत थी, में वर्ष 2019-20 के प्रथम छमाही (एच 1) में व्यापार घाटे में महत्वपूर्ण कटौती के चलते 1.5 प्रतिशत का सुध ार हुआ है। (चित्र 20)

1.31 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) बाह्य उधारों की तुलना में वित्तपोषण का अधिक स्थिर स्रोत मुहैया कराता है। वर्ष 2014-19 के दौरान भारत में आईएफडीआई पिछले पांच वर्षों की तुलना में महत्वपूर्ण रही है; यह प्रवृत्ति वर्ष 2019-20 में यथावत् जारी रही (चित्र 21)। वर्ष 2019-20 के पहले 8 महीनों में देशं में आई सकल एवं निवल एफडीआई वर्ष 2018-19 की तदनुरूपी अवधि में प्राप्त प्रवाह से अधिक रही है। वर्ष 2019-20 के एच 1 में निवल एफपीआई प्रवाह भी वर्ष 2018-19 के एच-1 के 7.3 बिलियन यूएस डॉलर के बहिर्प्रवाह के तुलना में सबल 7.9 बिलियन यूएस डॉलर था। (चित्र 22)

चित्र 21: निवल वार्षिक एफडीआई अंतर्वाह

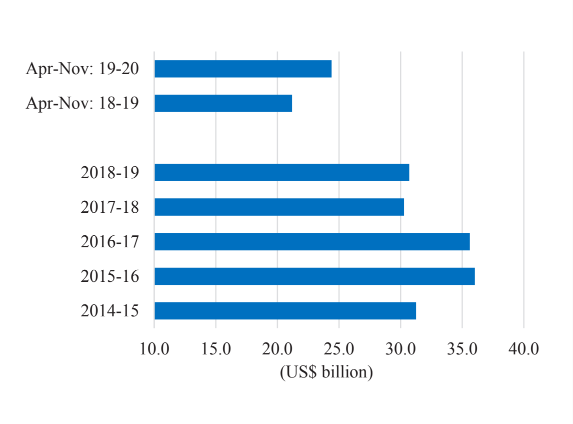

डाटा स्रोत: आरबीआई मासिक बुलेटिन

चित्र 22: पूंजीगत अंतर्वाह की त्रैमासिक प्रवृत्ति

डाटा स्रोत: आरबीआई

1.32 देश के चालू खाते एवं उच्च पूंजीगत प्रवाह के सुधार के परिणामस्वरूप देश की भुगतान संतुलन (बीओपी) स्थिति में मार्च, 2019 के अंत का 302 बिलियन यूएस डॉलर के विदेशी विनिमय भंडार सुधार कर 10 जनवरी, 2020 में 461.2 बिलियन यूएस डालर हो गया है।

क्षेत्रीय घटनाक्रम

1.33 सापेक्ष कीमतों के परिवर्तनों की अनुक्रिया, जिससे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न दरों पर प्रगति होती है, में संसाधन क्षेत्रों में संचालित होते हैं। जीडीपी की ऊंची वृद्धि से प्रगति के क्षेत्रीय योगदान की ओर ज्यादा ध्यान नहीं जाता, जितना कि जीडीपी की निम्न वृद्धि के दौरान जाता है। फिर भी, प्रगति के सभी स्तरों पर संरचनात्मक परिवर्तन है तथा यह परिवर्तन का काल है जो कि रुचि कर बन गया है।

1.34 देश के कुल जीवीए में कृषि एवं सहायक क्षेत्रों के अंश में वर्ष 2009-14 से 2014-19 तक गिरावट आई है, ऐसा मुख्यत: तीसरे क्षेत्र की सापेक्ष अधिक वृद्धि के कारण हुआ है। यह विकास प्रक्रिया की प्राकृतिक उपलब्धि है जिससे गैर कृषि क्षेत्रों में त्वरित प्रगति होती है।

तालिका 5: जीवीए में क्षेत्रीय अंश (प्रतिशत)

	2009-10 to 2013-14	2014-15 to 2018-19	2018-19	H1: 2019-20
कृषि वन एवं मत्स्य	18.3	17.4	16.1	13.9
उद्योग	32.3	29.6	29.6	28.3
खनन एवं उत्खनन	3.2	2.4	2.4	2.1
विनिर्माण	17.5	16.6	16.4	15.4
विद्युत, गैस, जल आपूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं	2.4	2.6	2.8	2.9
निर्माण	9.2	8.0	8.0	8.0
सेवाएं	49.4	52.9	54.3	57.8

व्यापार, होटल, यातायात, संग्रहण, ब्रॉडकास्टिंग से संबंधित संचार एवं सेवाएं	17.5	18.3	18.3	18.1
वित्तीय, रियल एस्टेट एवं व्यवसायिक सेवाएं	19.2	20.9	21.3	24.5
जन प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाएं	12.7	13.7	14.7	15.2

स्रोतः राष्ट्रीय सांख्यकीय कार्यालय

1.35 जीवीए के प्रति औद्योगिक क्रियाकलापों के योगदान में भी 2009-14 से 2014-19 तक की अवधि में कमी दर्ज की गई है। विनिर्माण सैक्टर जिसका औद्योगिक जीवीए में 50 प्रतिशत से अधिक का योगदान रहा है, के योगदान में कमी देखने को मिली है जबकि निर्माण क्षेत्र की भागीदारी भी कम रही है।

1.36 सेवा सैक्टर ने कृषि और उद्योग सैक्टर की अपेक्षा तेजी से प्रगति की है। वित्तीय, रियल इस्टेट और व्यावसायिक सेवाओं के सैक्टर ने लोक प्रशासन के बाद सेवा क्षेत्र के योगदान में वृद्धि दर्ज कराई है। यहां तक कि वैश्विक रूप में, उत्पादन क्षेत्र होने वाली गिरावट को आंशिक रूप से खत्म करके वैश्विक वृद्धि में योगदान दिया है।

प्रथम अग्रिम प्रॉक्कलन 2019-20

1.37 प्रथम अग्रिम प्रॉक्कलन के अनुसार, 2019-20 के दौरान वास्तविक जीडीपी में 5.0 प्रतिशत वृद्धि होने का प्रॉक्कलन किया गया है जबकि 2018-19 में जीडीपी वृद्धि की दर 6.8 प्रतिशत दर्ज की गई थी। 2018-19 के लिए जीडीपी (190.1 लाख करोड़) के अनंतिम प्रॉक्कलन पर 7.5 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ 2019-20 में नामिक जीडीपी वृद्धि का प्रॉक्कलन 204.4 लाख करोड़ है।

1.38 चालू कीमतों पर जीडीपी में कुल उपभोग एवं निवल निर्यात के अंशदान में वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 में वृद्धि होने का प्रॉक्कलन किया

तालिका 6: मांग पक्ष के घटक (जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)

	2017-18	2018-19	2019-20	Percentage points change in share in 2019-20 over 2018-19
	1st RE	PE	1st AE	[Increase (+)/ Decrease (-)]
कुल खपत	70.0	70.6	72.1	1.5
सरकारी खपत	11.0	11.2	11.9	0.7
निजी खपत	59.0	59.4	60.2	0.8
सकल निर्धारित फोरनेश्न	28.6	29.3	28.1	-1.2
कुल निर्यात	-3.2	-3.9	-2.8	1.1
माल एवं सेवाओं का निर्यात	18.8	19.7	18.4	-1.3
माल एवं सेवाओं का आयात	22.0	23.6	21.2	-2.4

स्रोतः राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय

टिप्पणीः RE-संशोधित प्रॉक्कलन, PE-अनंतिम प्रॉक्कलन, AE-अग्रिम प्रॉक्कलन।

तालिका 7: जीवीए और जीडीपी की वृद्धि दर ख2011-12 की स्थिर कीमतों पर,

	2017-18	2018-19	2019-20	Percentage points Change in growth in 2019-20 over 2018-19
	1st RE	PE	1st AE	[Increase (+)/ Decrease (-)]
मूल मूल्यों पर जीवीए	**6.9**	**6.6**	**4.9**	**-1.7**
कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र	**5.0**	**2.9**	**2.8**	**-0.1**
उद्योग	**5.9**	**6.9**	**2.5**	**-4.4**
खनन एवं उत्खनन	5.1	1.3	1.5	0.2
विनर्माण	5.9	6.9	2.0	-5.0
विद्युत, गैस, जल आपूर्ति एवं अन्य उपयोगिता सेवाएं	8.6	7.0	5.4	-1.6
निर्माण	5.6	8.7	3.2	-5.6
सेवाएं	**8.1**	**7.5**	**6.9**	**-0.7**
व्यापार, होटल, यातायात, संचार एवं संचार एवं प्रसारण संबंधित सेवाएं	7.8	6.9	5.9	-1.0
वित्तीय, रिएल एस्टेट एवं व्यवसायिक सेवाएं	6.2	7.4	6.4	-1.1
जन प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाएं	11.9	8.6	9.1	0.5
बाजार मूल्य पर जीडीपी	**7.2**	**6.8**	**5.0**	**-1.8**

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय

टिप्पणी: RE-संशोधित अनुमान, PE-अनंतिम अनुमान, AE-अग्रिम अनुमान।

गया है। चालू कीमतों पर जीडीपी के प्रतिशत के रूप में अचल निवेश 2018.19 में 29.3 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2019-20 में 28.1 प्रॉक्कलित किया गया है।

1.39 2019-20 में मूल कीमतों पर वास्तविक जीवीए की वृद्धि 4.9 प्रतिशत अनुमानित है, जबकि वर्ष 2018-19 में यह में 6.6 प्रतिशत थी। 'सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं' को छोड़कर सभी उपक्षेत्रों में जीवीए वृद्धि में शिथिलता का आकलन किया गया है। (तालिका 7)

1.40 तालिका 8 में अर्थव्यवस्था के प्रमुख संकेतक दिखाए गए हैं। प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार 2018-19 में 6.8 प्रतिशत की वृद्धि दर की तुलना में 2019-20 के दौरान वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 4.8 प्रतिशत है। प्रथम अग्रिम अनुमान से लगता है कि एच1 2019-20 की तुलना में एच2 2019-20 में वृद्धि होगी, जिसके कारण नीचे दिए गए हैं:

पहला, निफ्टी इंडिया उपभोग सूचकांक पिछले महीनों की नकारात्मक वृद्धि की तुलना में पहली बार अक्टूबर, 2019 में 10.1 प्रतिशत की धनात्मक वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के साथ इस वर्ष पहली बार सबसे ऊपर रहा। यह वृद्धि नवंबर, 2019 में 5.7 प्रतिशत तथा दिसंबर, 2019 में 0.2 प्रतिशत तक सकारात्मक बनी रही।

दूसरा, भारतीय अर्थनीति में सकारात्मक आत्मविश्वास को बहाल रखते हुए अनुषंगी बाजारों में भी बढ़ोतरी जारी रही तथा मुंबई स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक में 31 मार्च, 2019 की तुलना में 7.0 प्रतिशत (31 दिसम्बर, 2019 तक) की वृद्धि हुई।

तीसरा, विदेशी निवेशकों ने भारत में विश्वास दिखाया है। देश ने अप्रैल-नवम्बर, 2018-19 में 21.2 यूएस बिलियन डॉलर के तुलना में अप्रैल-नवम्बर, 2019-20 में 24.4 बिलियन यूएस डॉलर की कुल एफडीआई को आकर्षित किया। अप्रैल-नवम्बर 2019-20 में कुल

तालिका 8: प्रमुख संकेतक

आंकड़ों की श्रेणियां	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
जी डी पी और **संबंधित संकेतक**					
चालू बाजार दर पर जी डी पी	₹ लाख करोड़	153.6	171.0	190.1[a]	204.4[b]
स्थिर बाजार दर पर जी डी पी	₹ लाख करोड़	123.0	131.8	140.8[a]	147.8[b]
वृद्धि दर	(प्रतिशत)	8.2	7.2	6.8[a]	5.0[b]
चालू आधार कीमत पर जी वी ए	₹ लाख करोड़	139.4	154.8	172.0[a]	185.0[b]
स्थिर आधार कीमत पर जी वी ए	₹ लाख करोड़	113.2	121.0	129.1[a]	135.4[b]
वृद्धि दर	(प्रतिशत)	7.9	6.9	6.6[a]	4.9[b]
सकल बचत	% जी डी पी	30.3	30.5	na	na
सकल पूंजीगत निर्माण	% जी डी पी	30.9	32.3	na	na
प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय (चालू कीमत पर)	₹	104659	114958	126406[a]	135050[b]
उत्पादन					
खाद्यान्न	मिलियन टन	275.1	285.0	285.0[c]	140.6[c]
औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक	(प्रतिशत)	4.6	4.4	3.8	0.6[d]
विद्युत सृजन (वृद्धि)	(प्रतिशत)	4.7	4.0	3.5	0.3[d]
कीमत					
डब्ल्यू पी आई औसत	(प्रतिशत)	1.7	3.0	4.3	1.5[e]
सी पी आई (संयुक्त) मुद्रास्फिति (औसत)	(प्रतिशत)	4.5	3.6	3.4	4.1[e]
वैदेशिक क्षेत्र					
व्यापारिक माल निर्यात वृद्धि ($यू एस के संदर्भ में)	(प्रतिशत)	5.2	10.0	8.8	-2.0[e]
व्यापारिक माल निर्यात वृद्धि ($यू एस के संदर्भ में)	(प्रतिशत)	0.9	21.1	10.4	-8.9[e]
चालू खाता कोष	% जी डी पी	-0.6	-1.8	-2.1	1.5[f]
विदेशी विनिमय आरक्षण निधि (वर्षांत)	US$ Billion	370.0	424.5	412.9	457.5[j]
औसत विनिमय दर	₹ /US$	67.1	64.5	69.9	70.4[e]
धन और ऋण					
व्यापक मुद्रा (एम3) वृद्धि (वार्षिक)	(प्रतिशत)	10.1	9.2	10.5	9.8[g]
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक ऋण (वृद्धि)	(प्रतिशत)	8.2	10.0	13.3	7.2[g]

आंकड़ों की श्रेणियां	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
राजकोषीय संकेतक (केन्द्र)					
संकल राजकोषीय घाटा	% जी डी पी	3.5	3.5	3.4^h	3.3^i
राजस्व घाटा	% जी डी पी	2.1	2.6	2.2^h	2.3^i
प्राथमिक घाटा	% जी डी पी	0.4	0.4	0.2^h	0.2^i

टिप्पणी: उपलब्ध नहीं
क. अनंतिक आकलन
ख. प्रथम अग्रिम आकलन
ग. 2018-19 का प्रथम ए. ई. तथा 2019-20 का प्रथम ए. ई.
घ. (अप्रैल-नवम्बर) 2019
ङ. (अप्रैल-दिसंबर) 2019
च. (अप्रैल-सितंबर) 2019
छ. नवंबर 2019
ज. संशोधित अनुमान
अ. बजट अनुमान
अ. दिसंबर 2019 का अंत

एफपीआई उल्लेखनीय 12.6 बिलियन यूएस डॉलर थी जबकि अप्रैल-नवम्बर 2018-19 में तो 8.7 बिलियन यूएस डॉलर का बहिर्वाह हुआ था।

चौथा, रेपो दर में पिछली कटौती का प्रभाव बढ़ते मांग दबाव को दर्शाता है। सीपीआई कोर मुद्रास्फीति अक्तूबर, 2019 में 3.4 प्रतिशत से नवंबर, 2019 में 3.6 प्रतिशत बढ़ी है। इसके अतिरिक्त दिसम्बर, 2019 में 3.8 प्रतिशत। डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति अक्तूबर, 2019 में 0 प्रतिशत से नवंबर, 2019 में 0.6 प्रतिशत बढ़ी है, तथा दिसम्बर 2019 में 2.6 प्रतिशत।

पांचवा, किसान के लिए व्यापार की शर्तों में सुधार हो रहा है जो ग्रामीण उपयोग को बढ़ाएगा। खाद्य स्फीति अप्रैल, 2019 से बढ़ रही है।

छठा, औद्योगिक गतिवधि प्रतिक्षेप पर है तथा सुधार का संकेत दे रही है। अक्तूबर, 2019 में 3.4 प्रतिशत तथा सितंबर 2019 में 4.3 प्रतिशत की कमी की तुलना में नवम्बर, 2019 में आईआईपी ने 1.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज कराई है। आईआईपी के साथ-साथ, आठ मुख्य उद्योग अक्तूबर, 2019 में 5.8 प्रतिशत के अन्तर्विरोध की तुलना में नवम्बर, 2019 में 1.5 प्रतिशत का कम अन्तर्विरोध दर्ज कराते हुए बहाली का संकेत दे रहे हैं। यह व्यापार चक्र के साथ सुसंगत है।

सातवां, पीएमआई विनिर्माण ने अक्टूबर, 2019 में 50.6 से नवंबर में 51.2 तथा दिसम्बर 2019 में 52.7 का बढ़ता हुआ स्थायी सुधार किया है। पीएमआई सेवाएं नवम्बर, 2019 में 52.7 (अक्टूबर 2019 में 49.2 से) तथा अतिरिक्त दिसम्बर, 2019 में 53.3 तक बढ़ी है।

आठवां, व्यापारिक निर्यात में वृद्धि में, जैसा कि दिखाई देता है, 2019-20 की तीसरी तिमाही में 0.8 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में सुधार हुआ है जो कि 2019-20 की दूसरी तिमाही में 3.7 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में कम है। तदनुसार जीडीपी वृद्धि के लिए निर्यात की प्रेरणा बढ़ने की आशा है। 2019-20 के प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार, जीडीपी की वृद्धि में कुल निर्यात 2018-19 में 1.1 प्रतिशत के बिन्दु से बढ़ने का अनुमान है।

नौवां, फोरेक्स रिजर्व मार्च 2019 के अन्त में 413 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 10 जनवरी, 2020 में 461.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक आ गया है। यह भारत की अर्थव्यवस्था में बाहरी निवेशकों के बढ़ते हुए विश्वास को दिखाता है।

दसवां, सितम्बर तथा अक्टूबर 2019 में नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज कराने के बाद पूर्व वर्ष के समान मास में दिसम्बर 2019 तथा नवम्बर 2019 में एकत्र किया गया सकल जीएसटी राजस्व ने क्रमश: 9 प्रतिशत तथा 6 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की है। अप्रैल-दिसम्बर 2019, के दौरान संग्रहित सकल जीएसटी राजस्व ने बढ़ती हुए संपूर्ण आर्थिक गतिविधि की ओर इंगित करते हुए पांचवी बार 1 लाख करोड़ रु. के आंकड़े को पार कर दिया है।

वृद्धि में हालिया कमी: वास्तविक क्षेत्र पर वित्तीय क्षेत्र द्वारा अवरोध

वृद्धि का मंदन चक्र

1.41 आर्थिक समीक्षा 2018-19 वृद्धि के सुचक्र को भलीभांति चित्रित करती है जिसमें अचल निवेश की दर में वृद्धि जीडीपी की वृद्धि को तेज करती है जो उपभोग को अपेक्षाकृत उच्च वृद्धि की ओर प्रवृत्त करती है। उपभोग में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि से निवेश परिदृश्य विस्तार को प्राप्त करता है, जो क्रमिक रूप से फिर अचल निवेश में परिणत हो जाता है और जीडीपी वृद्धि को तेज करता है तथा उपभोग में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि को प्रेरित करता है। अपेक्षाकृत अधिक अचल निवेश के अच्छे परिणाम-उच्च

चित्र 23: संवृद्धि का सुचक्र

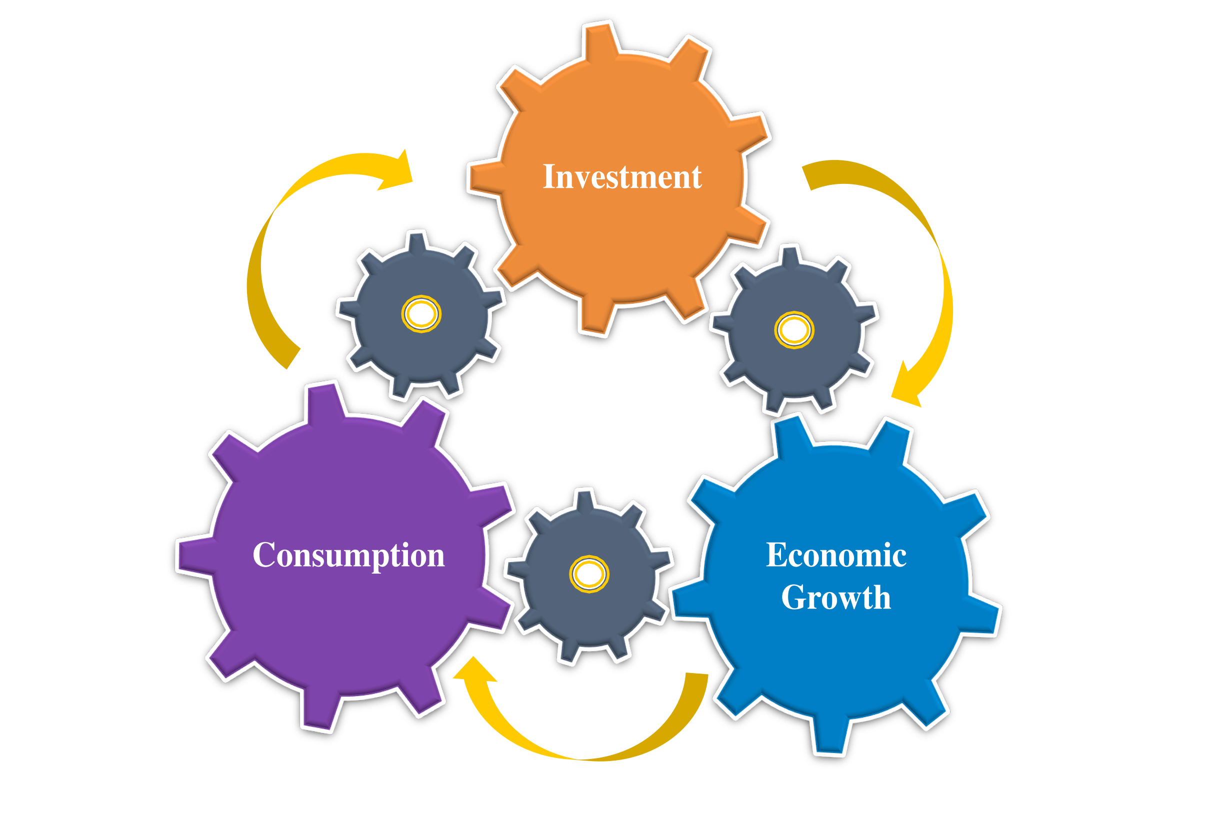

जीडीपी वृद्धि (चित्र 23) से देश में आर्थिक विकास होता है।

1.42 विलोमत: जब यह अच्छा चक्र धीमे घूमता है, तो अचल निवेश में कमी से जीडीपी वृद्धि, उपभोग वृद्धि में भी कमी आती है। भारत के मामले में अचल निवेश की दर और जीडीपी वृद्धि के बीच इस कम होते प्रभाव को 3 से 4 वर्ष तक देखा जा सकता है। (चित्र 24)। इसी प्रकार उपभोग वृद्धि पर जीडीपी वृद्धि का प्रभाव एक से दो वर्ष में परिलक्षित होता है। (चित्र 25)। अतएव दोनों के बीच नकारात्मक सह संबध को देखते हुए जीडीपी वृद्धि और निवेश की समकालिक तुलना सही नहीं है।

1.43 भारतीय अर्थव्यवस्था 2011-12 से विकास के चक्र के धीमेपन के प्रभाव को दर्शा रही है। अचल विदेश दर 2011-12 से तीव्र गति से गिरना शुरू

चित्र 24: संवृद्धि पर निवेश का विलंबित प्रभाव (2004-2008)

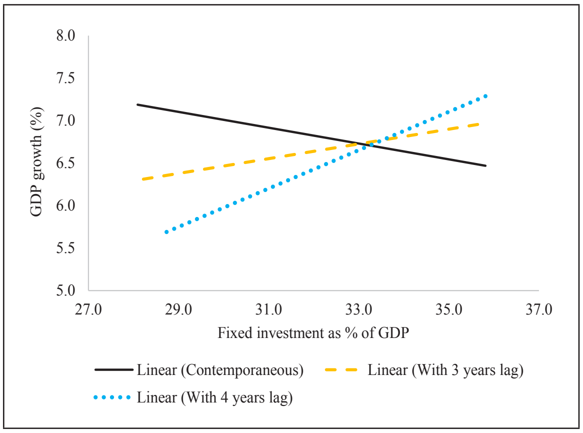

आंकड़ा स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय

चित्र 25: उपभोग पर संवृद्धि का विलंबित प्रभाव (2004-2009)

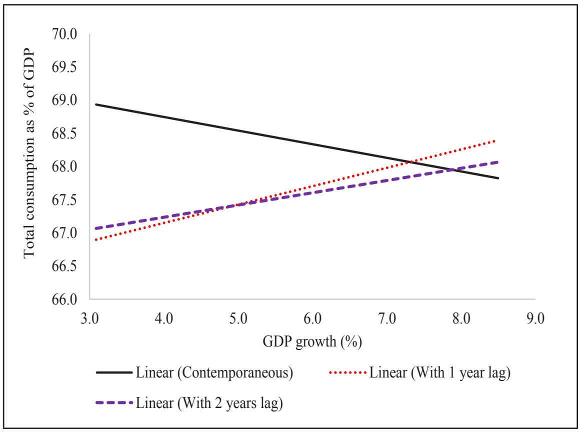

आंकड़ा स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय

चित्र 26: वास्तविक जीडीपी संवृद्धि और निवेश वर्षानुगत परिवर्तन

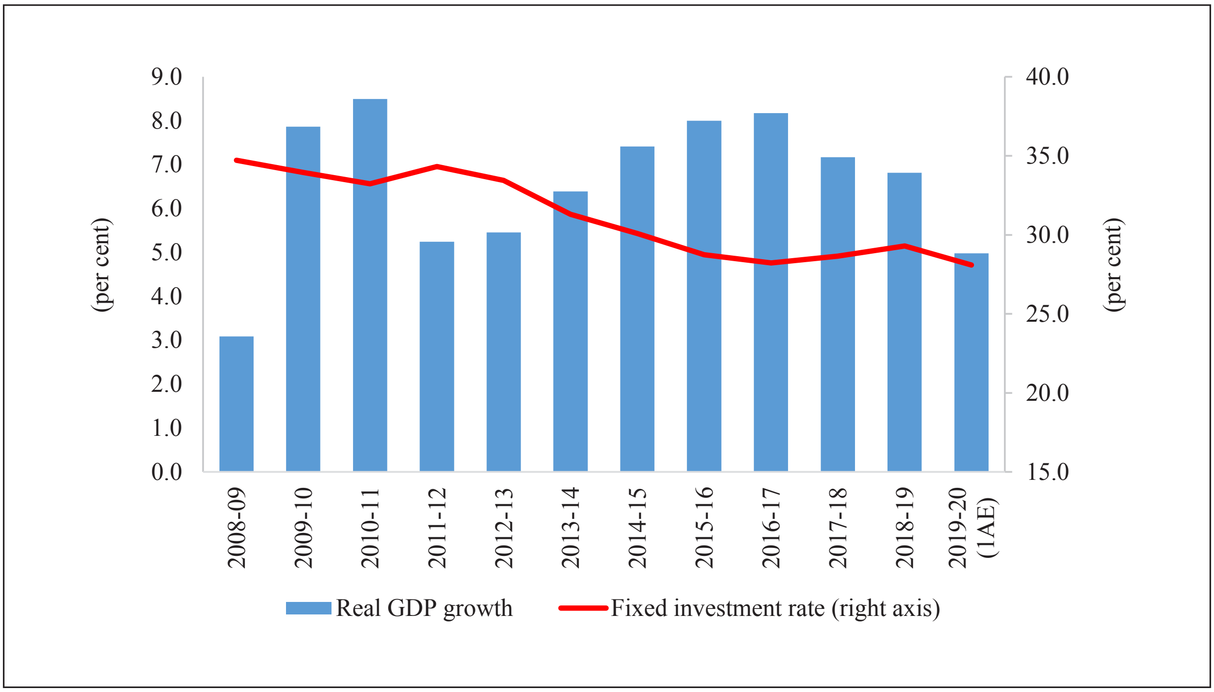

डाटाबेस: राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय

हो गई है। और 2016-17 के बाद से यह कभी स्थायितवपूर्ण हुई है। चित्र 24 में (शीर्ष गए निवेश दर के जीडीपी वृद्धि पर विलबिंत प्रभाव [यह प्रभाव 4 वर्ष के बाद ही सबसे प्रबल होता है] को देखते हुए संवृद्धि में 2017-18 से प्रारंभ मंदन हमारी उपर्युक्त रूपरेखा के अनुरूप ही है (चित्र 26)।

अचल निवेश दर मे कमी

1.44 2009-14 से 2014-19 (चित्र 27) के बीच समग्र अचलनिवेश में गिरावट अधिकतर परिवारों द्वारा अचल निवेश 14.3 प्रतिशत से 10.5 प्रतिशत तक कमी के कारण आई है। निजी क्षेत्र में आंशिक रूप से अचल निवेश दो अवधियों के दौरान जीडीपी के

चित्र 27: संस्थागत क्षेत्र द्वारा अचल निवेश (जीडीपी के प्रतिशत के अनुसार)

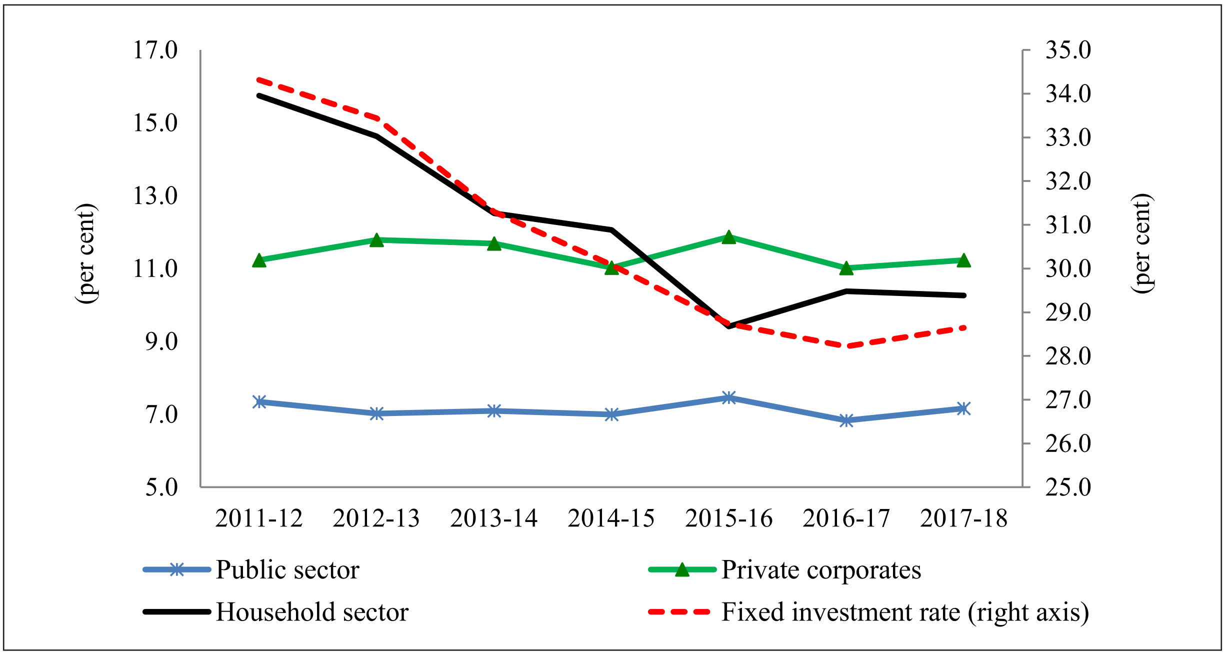

आंकड़ा स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय

7.2 प्रतिशत से घटकर 7.1 प्रतिशत हो गया। तथापि, 2011-12 से 2017-18 के बीच लगभग जीडीपी के 11.5 प्रतिशत पर यह निजी कॉरपोरेट निवेश में ठहराव संवृद्धि धीमा चक्र को दर्शाता करने में एक गंभीर भूमिका दर्शाता है।

निजी कॉरपोरेट निवेश पर वित्तीय क्षेत्र का अवरोध

1.45 कॉरपोरेट निवेश में गिरावट को तर्कपूर्ण बनाने के लिए वित्तीय क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों पर विचार करते हुए हमें ऋण में उछाल (मियां एव सूफी, 2018) को समझना चाहिए। अब यह अच्छी तरह समझ ली गई है कि अकस्मात ऋण विस्तार तो कि पूरी तरह पूर्ति प्रेरित है। इसके परिणामस्वरूप अल्पकालिक उत्पादन और रोजगार वृद्धि हो सकती है लेकिन दीर्घावधि में ये महत्वपूर्ण रूप से सिकुड जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (2017) में इस संबंध का 80 देशों में देखा गया। इन सभी मामलों में ऋण चैनल घरेलू ऋण के माध्यम से कार्य करता है यहां घरेलू ऋण की मांग में लघु अवधि के लिए वृद्धि होती है और यह मांग अगले चरण (फेज) में कम हो गई जिसके परिणाम स्वरूप मंदी आई।

1.46 भारतीय परिदृश्य में ऋण चैनल कॉरपोरेट निवेश के माध्यम से कार्य करता है उभार के बाद तेजी कॉरपोरेट क्षेत्र में लाभोपरान्तक और निम्न निवेश का चित्रण किया गया, जो कि धीरे-धीरे जीडीपी वृद्धि में हाल ही की गिरावट का कारण रही। यहां पर यह कहना उपयोगी होगा कि वृद्धि के कम होने के चक्र का मूल 2000 के वर्षों मध्य तथा उसके बाद अधिक ऋण उछाल में निहित है जब गैर खाद्य बैंक ऋण प्राय 2003-04 से 2007-08 के बीच तीन गुना हो गए तथा 2007-08 से 2011-12 के बीच दो गुना हो गए थे। क्या यह संभव है कि उछाल अवधि के दौरान अतार्किक तरीके से अधिक बैंक उधार हो गया, जिससे भविष्य में कॉरपोरेट निवेश में कमी आई हो।

1.47 इस घटनाक्रम पर समुचित साक्ष्य की दृष्टि से किसी फर्म के ऋण विस्तार और इसके भावी निवेश के बीच संह संबंध की जांच की जाती है। मियां और सूफी (2018) की विधि के अनुसरण में डाटा फर्म-वर्ष स्तर पर संमोजित किया जाता है निश्चित वर्ष के लिए परिवर्तन आधारित वृद्धि वस्तुत निवेश में वृद्धि है-वर्ष टी से टी +4 तथा स्पष्ट परिवर्तन टी-5 से टी-1 के दौरान ऋण का विस्तार है। उदाहरण के लिए वर्ष 2012 में निवेश वृद्धि 2011-12 के बीच निर्धारित परिसंपत्ति में अंतर और कुल 2006-07 के बीच कुल परिसंपत्ति

अनुपात की तुलना में ऋण अंतर है। कुल पांच वर्षों में प्रत्येक निश्चित वर्ष के लिए (2011-2015) निर्भर चर का व्याख्या चर पर के क्रास-सेक्शन प्रतीपमगमन किया गया है। दोनों के बीच संबंध की सांख्यिकीय महत्ता को नीचे सूचीबद्ध किया गया है। (तालिका 9)

1.48 निर्णायक रूप से, हम यह उल्लेख करते हैं कि वर्ष 2013 के लिए, यह संबंध नकारात्मक और सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण दोनों प्रकार का है। इसका निहितार्थ है कि जिन फर्मों ने 2007-08 से वर्ष 2011-12 की अवधि के बीच अतिरिक्त उधार लिया था, वस्तुत: वर्ष 2012-13 से वर्ष 2016-2017 की अवधि के दौरान अत्यधिक कम निवेश पायीं चूंकि यह परिणाम किसी अन्य पंचवर्षीय अवधि के लिए सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण होता है, इसलिए वर्ष 2013 निवेश पर ऋण (क्रेडिट) बाहुल्यता के निवेश पर प्रभाव की व्याख्या करने में यह निर्णायक बन जाता है। वस्तुत:, वर्ष 2013 विश्लेषण में निर्णायक (केन्द्र बिन्दु) होने से निवेश दर में बड़े पैमाने पर गिरावट के साथ उपर्युक्त प्रवृत्ति चित्र 26 में देखी गई है।

1.49 वर्ष (2007-08) जब फर्मों ने अत्यधिक उधार लेना शुरू किया, वही वर्ष था जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक ने लगभग सभी ऋणों के लिए विनियामक स्थगन (बैंको द्वारा ऋणों की भुगतान अनुसूची पुन: बनाने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण दिशा निर्देश 27, अगस्त, 2008) लागू किया गया था। यह प्रतीत होता है कि जो फर्में अतिरिक्त ऋण लेने की लाभार्थी फर्में थी, उनको विनियामक स्थगन की सुविधा प्रदान की गई, उनके बारे में यह प्रतीत होता था कि अधिकांश उन फर्मों ने निवेश में कटौती कर दी। संभवत:, लाभार्थी फर्में वे फर्में थीं जिन्होंने पर, उनके उच्चतर ऋण के कारण, नई परिसंपदाओं में निवेश करने के बजाय, लाभ न उठाने (डिविवरेजिंग) पर अधिक ध्यान दिया था।

तालिका 9: ऋण वृद्धि और निवेश के बीच संबंध

फर्म वर्ष	ऋण वृद्धि (ऋण/परिसंपदा अनुपात में वृद्धि)	निवेश (अचल परिसंपद.ाओं में वृद्धि)	संबंध
2011	2006-10	2011-15	महत्वपूर्ण नहीं
2012	2007-11	2012-16	महत्वपूर्ण नहीं
2013	2008-12	2013-17	महत्वपूर्ण और नकारात्मक
2014	2009-13	2014-18	महत्वपूर्ण नहीं
2015	2010-14	2015-19	महत्वपूर्ण नहीं

1.50 ऋण में उछाल के बाद बैंकों की ऋण वृद्धि में गिरावट आना प्रारंभ हुआ। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए गैर खाद्य ऋण की वृद्धि वर्ष 2009-14 की अवधि में 16.7 प्रतिशत से लुढ़क कर वर्ष 2014-19 की अवधि में 10.5 प्रतिशत रह गई। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की गैर खाद्य ऋण की वृद्धि में गिरावट के बाद बैंकों की गैर निष्पादक परिसंपत्तियों (एनपीए में वृद्धि वर्ष 2009-14 की अवधि में कुल ऋणों के 3.0 प्रतिशत के औसत से बढ़कर वर्ष 2014-19 की अवधि में 8.3 प्रतिशत हो गई। बड़ी इकाइयों सूक्ष्म, लघु मध्यम उद्यमों की अवसंरचना के लिए और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए भी बैंक ऋण वृद्धि में वर्ष 2009-14 की अवधि की तुलना में वर्ष 2014-19 की अवधि के दौरान काफी गिरावट आई (चित्र 28)

घरेलू निवेश में कमी

1.51 पारिवारिक क्षेत्र में परिवारों के साथ-साथ ''अर्ध-निगम' भी शमिल हैं। घरों से संबंधित असबद्ध उद्यम, जिसमें उनका संपूर्ण विवरण होता है, उन्हें 'अर्ध-निगम कहा जाता है। घरेलू क्षेत्र के निवेश का टूटना दर्शाता है कि 'मशीनरी और उपकरण' तथा 'अन्य

चित्र 28: विभिन्न क्षेत्रों में क्रेडिट (साख) में वृद्धि

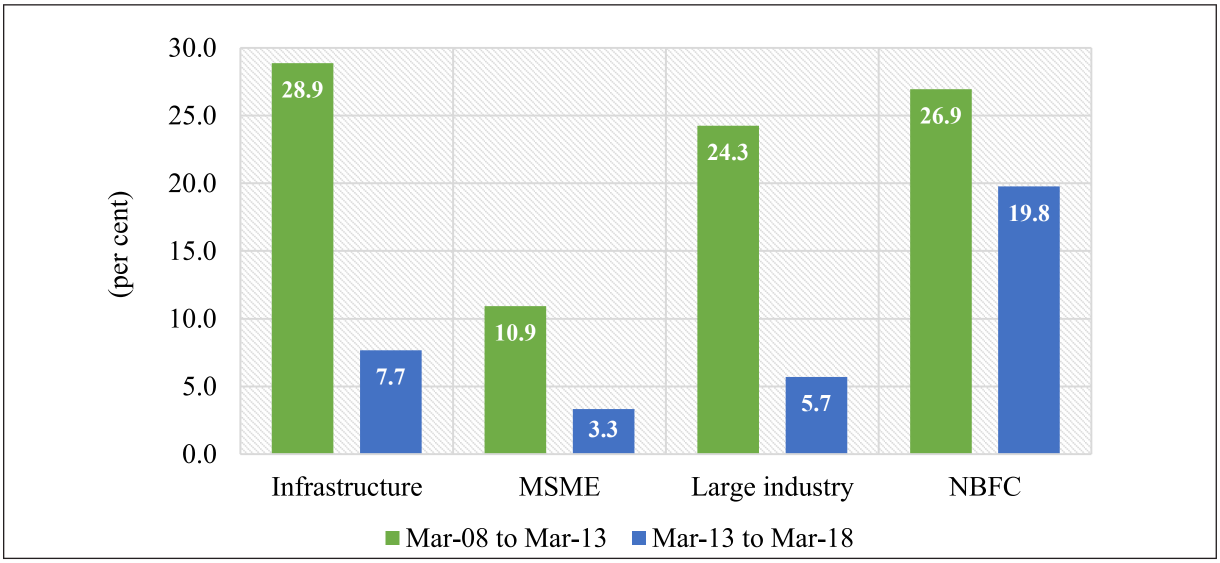

डाटा स्रोत: आरबीआई

चित्र 29: परिसंपत्ति द्वारा घरेलू नियत निवेश (जीडीपी के प्रतिशत अनुसार)

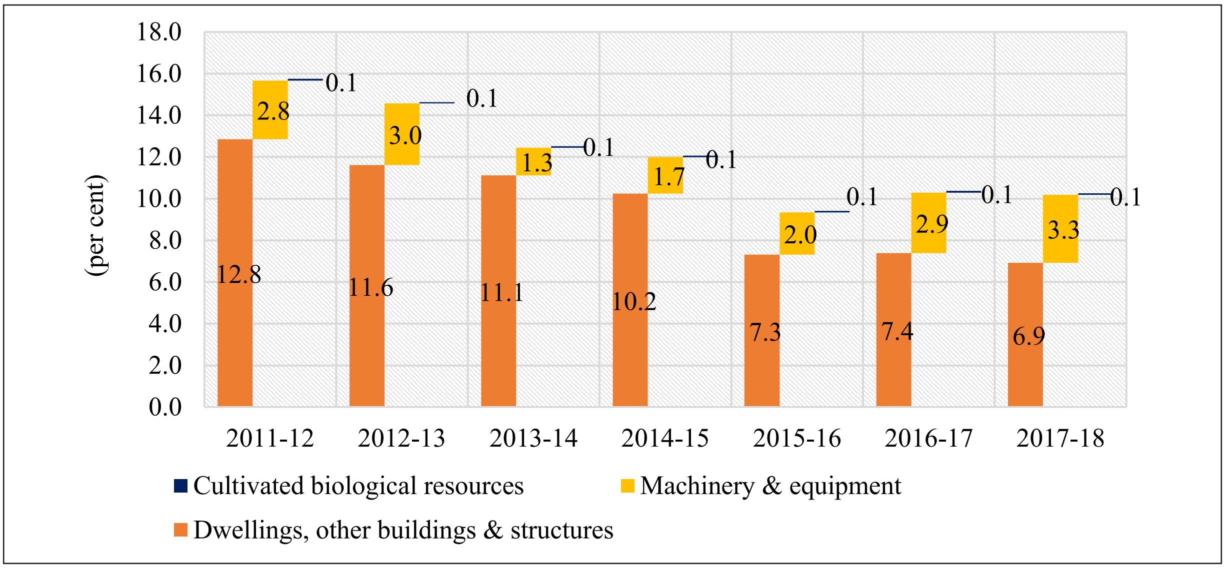

डाटा स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय

इमारतों और संरचनाओं' के निवेश में कुल घरेलू क्षेत्र के निवेश का दो-तिहाई से अधिक हिस्सा होता है।

1.52 खुदरा उपभोग के लिए सीधे आपूर्ति करने के अलावा, घरों से संबंधित अनियमित उद्यम मूल्य श्रृंखला के पिछले छोर से शामिल उद्यमों के लिए आपूर्तिकर्ता हैं। वर्ष 2011-12 से 2017-18 (चित्र 29) तक जीडीपी के प्रतिशत के रूप में घरों के मशीनरी और उपकरण संबंधित निवेश में गिरावट संभवतया इसी अवधि के दौरान निजी कॉरपोरेट निवेश के स्तर से जुड़ी हुई हो सकती है।

1.53 वर्ष 2011-12 से 2017-18 के दौरान 'आवास, अन्य भवनों और संरचनाओं' में घरेलू निवेश में गिरावट लोगों द्वारा मकानों के क्रय में धीमी वृद्धि का परिलक्षण है। रीयल इस्टेट क्षेत्र और, विशेष रूप से आवासीय

संपत्ति, क्षेत्र विलंबित परियोजना परिदान संबंधी मुद्दों और अटकी हुई परियोजनाओं के कारण डगमगाने की स्थिति में रहे हैं जिसके कारण विगत वर्षों के दौरान अविक्रीत मकानों की संख्या बढ़ी है। वर्ष 2015-16 की प्रथम तिमाही से तेजी से गिरावट होने के बावजूद भी कीमतें ऊंची बनी रही हैं और इस क्षेत्र में तभी से मंदी की स्थिति बनी हुई है। दिसंबर 2018 के अंत में, 8 शीर्षस्थि शहरों में 41 माह के स्टॉक के रूप में ₹ 7.77 लाख करोड़ रुपए कीमत की लगभग 9.43 लाख इकाईयां (मकान), परियोजना चक्र में विभिन्न चरणों में अटकी पड़ी हैं (चित्र 30)

चित्र 30: मकानों के बिना बिके स्टॉक, विक्रय और कीमत सूचकांक

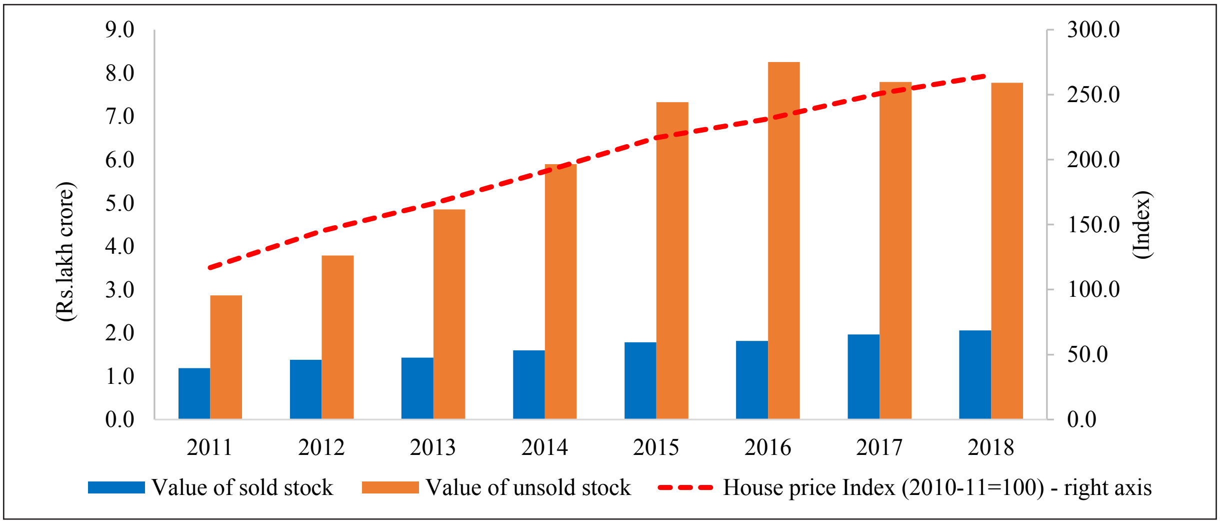

डाटा स्रोत: लायसेज फोरास (2019), आरबीआई

टिप्पणी: वर्ष यहां पर कैलेंडर वर्ष है।

चित्र 31: वास्तविक जीडीपी वृद्धि और निजी उपभोग (जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)

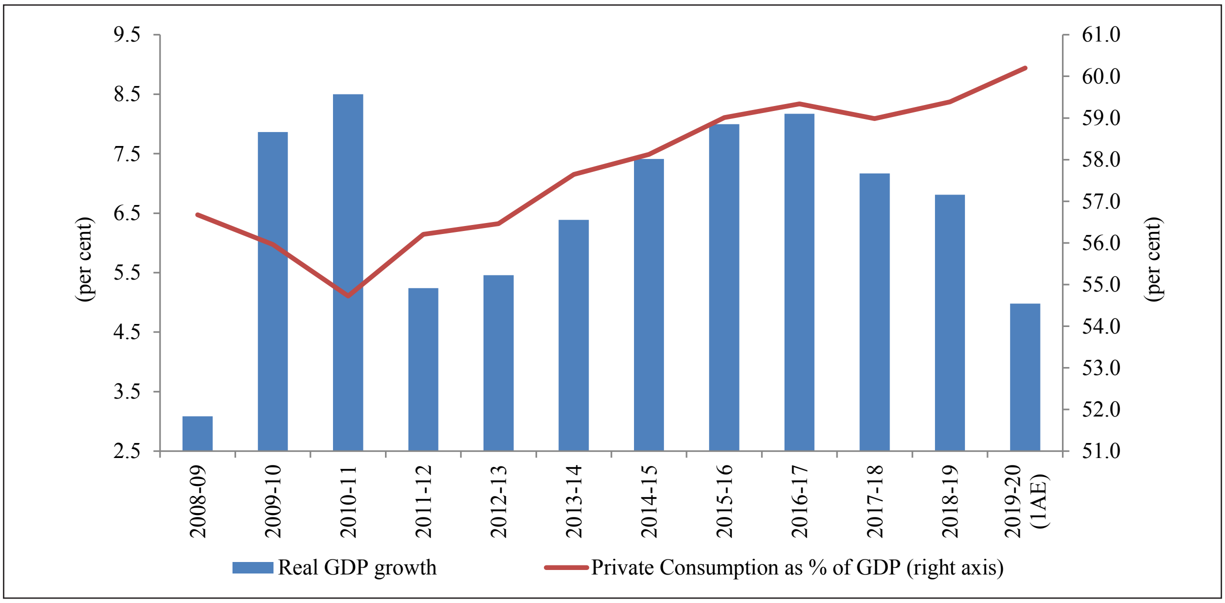

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय

निजी उपभोग में बिलंबित गिरावट

1.54 निजी वृद्धि में वर्ष 2009 से 16 तक, विशेषकर वर्ष 2014-16 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अनुपात में वृद्धि हुई है (चित्र 31)। इसके बाद इसमें वर्ष 2017-18 में कमी आई और वर्ष 2019-20 के प्रथम छमाही (एच1) में तेजी से कमी आने से पहले वर्ष 2018-19 में पुनः इसमें वृद्धि हुई। चित्र 25 में दर्शाए गए अनुसार 1-2 वर्ष की अवधि के बाद उपभोग पर सकल घरेलू उतपाद का प्रभाव कई गुणा हो गया। इसलिए वर्ष 2017-18 से उपभोग में गिरते हुए रूझान

चित्र 32: परिसंपत्ति किस्म द्वारा पारिवारिक बचत (जीडीपी के प्रतिशत के अनुसार)

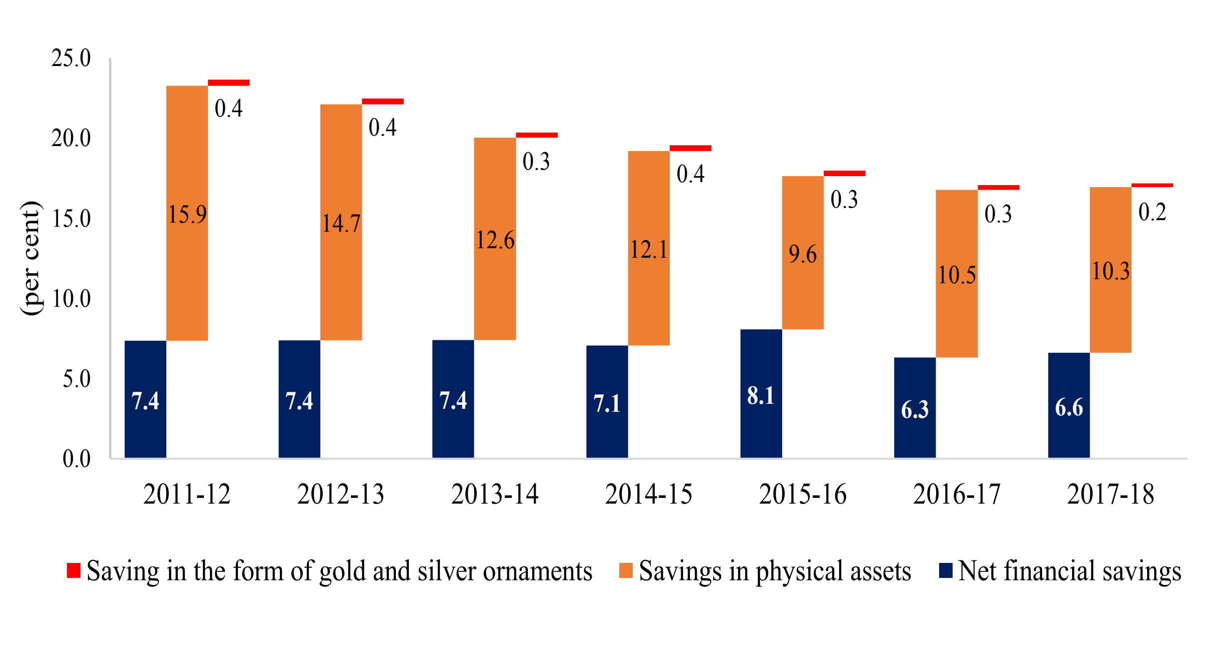

डाटा स्रोतः राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय

चित्र 33 घरेलू अचल निवेश और निजी उपभोग (जीडीपी की प्रतिशत के अनुसार)

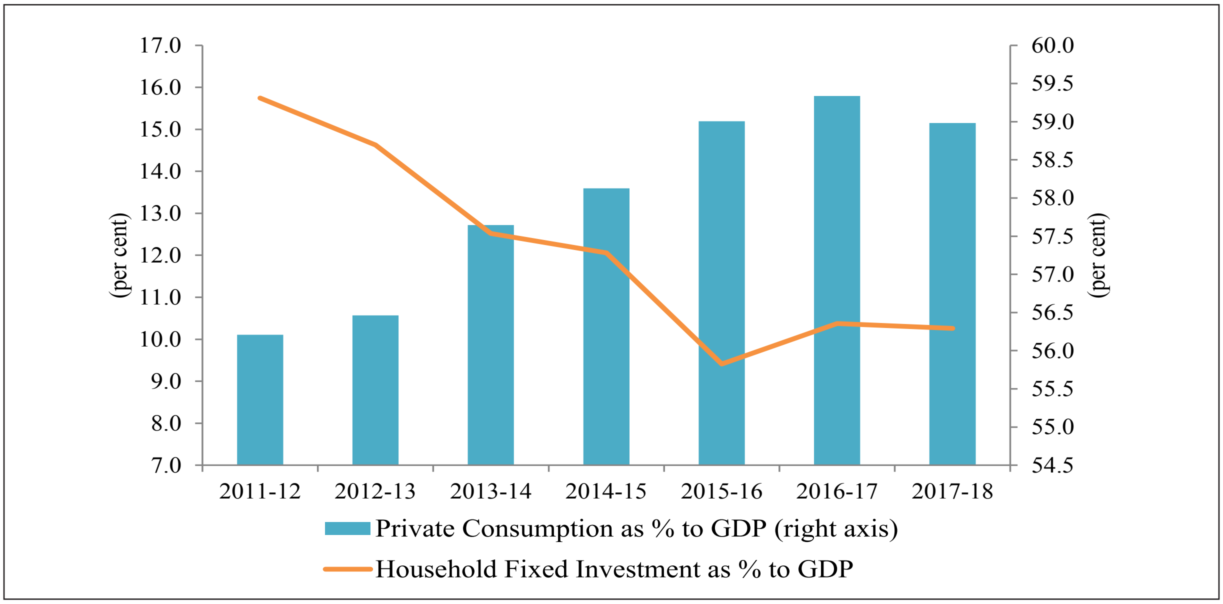

डाटा स्रोतः राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय

पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि में आंशिक गिरावट का प्रभाव प्रतिबिंबित होता है।

1.55 घरेलू निवेश में परिवर्तन से वर्ष 2016-17 तक की अवधि में उपभोग में वृद्धि हुई (चित्र 32)। इस अवधि के दौरान परिवारों की भौतिक परिसंपदाओं में की जाने वाली बचतों में गिरावट देखी गई है (चित्र)। जिस आय की बचत परिवारों द्वारा भौतिक परिसंपदाओं में नही की जाती है वह बचत या तो कीमती वस्तुओं (सोना-चांदी) के रूप में या निवल घरेलू वित्तीय बचतों के रूप में की जाती है या फिर उसका उपभोग किया जाता है। वर्ष 2011-12 से 2016-17 के दौरान जब भौतिक परिसंपदाओं में बचत में गिरावट हुई तब जीडीपी के समानुपात में, वृद्धि न तो सोने चांदी और न ही घरेलू वित्तीय बचतों के रूप में की गई। इस प्रकार, प्रतीत होता है कि वर्ष 2011-12 के बाद परिवारों द्वारा भौतिक परिसंपदाओं पर खर्च नहीं किए गए संसाधनों को अधि कांशतः उपभोग पर खर्च किया गया।

संभावनाएं

1.56 जनवरी 2020 के अद्यतन में आईएमएफ ने 2020-21 में 5.8 प्रतिशत दर पर भारत में जीडीपी की वास्तविक वृद्धि का पूर्वाकलन किया है। विश्व बैंक ने जनवरी 2020 में बैश्विक संभावनाओं में भी भारत की वास्तविक जीडीपी को 2020-21 में 5.8 प्रतिशत दर पर बढ़ते देखा है।

1.57 2019-20 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि के प्रथम अग्रिम अनुमान पर आधारित, 2019-20 के एच2 पर जीडीपी वृद्धि में समान वर्ष की पहली छमाही की तुलना में वृद्धि की उम्मीद है 2020-21 के बाद इसमें वृद्धि होने की संभावना है। जीडीपी में सभावित वृद्धि का आकलन करने के उद्देश्य से हम जीडीपी विकास में आकस्मिक तेजी लाने के लिए नकारात्मक और सकारात्मक दोनों जोखिम पर विचार करते हैं।

नकारात्मक जोखिम

- विश्व व्यापार तनाव में निरंतर वृद्धि से वैश्विक उत्पादन वृद्धि के सुधार में देरी हो सकती है जो देश के निर्यात निष्पादन को बाधित करेगा। कमजोर निर्यात वृद्धि अर्थव्यवस्था में अचल निवेश दर को बढ़ाने की लालसा को कम कर सकती हैं।

- भू-राजनीतिक तनाव में और अधिक वृद्धि से कच्चे तेल की कीमत बढ़ेगी तथा रुपए में गिरावट आएगी। निवल एफपीआई प्रवाह कम हो सकता है परिणाम स्वरूप रुपए पर और दबाव पड़ने से मूल्यह्रास हो सकता है। कच्चे तेल की मंहगाई उपभोक्ता तक पहुंचाने की अनुमति दी जाती है तो यह अर्थव्यवस्था में स्फीतिकारी दवाब बना देगा जिससे निजी उपभोग की वृद्धि घट जाएगी और निवेश करने की लालसा की कमजोर होगी। यहां तक कि यदि यह आंशिक भी होती है तो राजकोषीय घाटा तेज हो जाएगा जो जी-सेकेंड पर प्रतिप्राप्ति बढ़ेंगी तथा पूंजी की लागत में वृद्धि होगी, जो फिर से निवेश करने की लालसा को कम कर देगी।

- उन्नत देशों में विकास बहुत ही कम मुद्रास्फीति के साथ कमजोर हुआ है। पारंपरिक मौद्रिक नीति अपनी चरम सीमा पर है। मात्रात्मक आवरण घटाने पर चर्चा चल रही है जो मुद्रास्फीति को बढ़ावा दे सकता है और वास्तविक ब्याज दर को कम कर सकता है। भविष्य में किसी बिंदु पर मुद्रास्फीति को रोकने के लिए सेंट्रल बैंक द्व ारा अल्पकालिक ब्याज दर बढ़ाई जा सकती है। इसके परिणाम स्वरूप भारत सहित उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं से पूंजी पलायन हो सकती है। आयात को महंगा करने के लिए रुपया फिर से दबाव में आ जाएगा। आय के घरेलू चक्र प्रवाह से रिसाव बढ़ेगा जो निजी उपयोग तथा निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। अगर इसके बदले में उन्नत देशों में राजकोषीय विस्तार नीति का चुनी जाती है तो अल्पकालिक ब्याज दरों में वृद्धि पहले से अधिक होगी तथा भारत सहित ईएमई में आकस्मिक सृद्धि कमजोर होगी।

- आईबीसी कोड का कार्यान्वयन धीमी प्रगति पर है। जब तक इसमें प्रगति नहीं होगी बैंकों का आगे ऋण देने की जोखिम कम नहीं हो सकता। जोखिम प्रीमियम अधिक रहेगा और रेपो दरों में कटौती के बावजूद ऋण पर ब्यास दरों में कमी नहीं होगी। इसलिए निजी निवेश मंद रह सकता है।

- 102 लाख करोड़ रुपए की राष्ट्रीय निवेश योजना के घोषणा के पश्चात् निजी क्षेत्र मे ंनिवेश बढ़ने की उम्मीद है। यदि इससे राजकोषीय घाटे का विस्तार होता है तो बाँड प्रतिफल बढ़गी जिससे निजी निवेश बढ़ेगा। यदि इसके बदले निजी निवेश बाह्य फंडिंग की मांग करता है तो चालू खाता घाटा व्यापक रूप से कम हो जाएगा और इसकी वजह से उपयोग निवेश और संवृद्धि परं प्रतिकूल प्रभाव पड़ेंगी।

- यदि सुधारों के साथ उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं होगी तो यह आर्थिक संबृद्धि को बढ़ावा देने के लिए स्थिर निवेश दर की आवश्यकता को बढ़ाएगा।

- सकल घरेलू बचत दरों की वृद्धि ही नदर सीएडी को खराब करेगी, लाएगी। रुपए में गिरावट और सुचक्र की प्राप्ति कठिन बना देगी।

सकारात्मक जोखिम

- ऐसे संकेत उमर रहे हैं कि विनिर्माण कार्य और वैश्विक व्यापर में गिरावट अब थमने वाली है। इसके भारत के निर्यात पर सकारात्मक प्रभाव हो सकते है। [जिससे निर्यात स्पर्धा क्षमता सुघरेगी]

- रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने और इसके परिण ाामस्वरूप देश में निर्माण गतिविधि को बढ़ावा देने पर सरकार का आग्रह स्पष्ट है। गृहस्थीं द्व ारा आवास में उच्चतर निवेश से अर्थव्यवस्था में अचल निवेश बढ़ेगा। मौजूदा अविक्रित गृह भण्डार को बचा जा सकता है और अगर रियल एस्टेट डेवलपर्स घरों की कीमतें गिराने की अनुमति देकर ''हेयर-कट'' लेने को तैयार हों, तो बैंक/गैर-बैंक दोनों ऋणदाताओं के की तुलना पत्र को शुद्ध किया जा सकता है।

- देश में निवल एफडीआई के मजबूत और बढ़ते प्रवाह के रूप में वैश्विक भावना भारत का पक्ष ले रही है। बढ़ते व्यापार तनाव के मद्देनजर अन्य देशों के निवेशकों का भारत में स्थानांतरण भी प्रवाह में इजाफा करेगा। एनआईपी की घोषण ाा भू-क्षेत्र और हरित क्षेत्र दोनों परियोजनाओं में देश में एफडीआई अंतर्वाह को और बढ़ाएगी। एफडीआई दिशानिर्देशों में निरंतर छूट विदेशी निवेशकों की चिंताओं को दूर करेगी और निवेश के माहौल में सुधार करेगी।

- मेंक इन इंडिया को बढ़ावा न केवल निर्यात को बढ़ावा देगा बल्कि उन उत्पादों के आयात को प्रतिस्थापित भी करेगा जिसमें भारत में घरेलू विनिर्माण की संभावना है।

- विश्व बैंक द्वारा लगभग 190 देशों के लिए मूल्यांकन किया गया जिसमें भारत व्यापार करने के अपने रैंक में लगातार सुधार कर रहा है। जीएसटी के क्रियान्वयन से इसके रैंक में सुधार से व्यापार सुगमता में प्रगति हुई है क्योंकि माल की सीमा पार आवाजाही में कम प्रतीक्षा समय लगता है। जैसे ही जीएसटी का कार्यान्वयन आगे बढ़ता है, घरेलू बाजार के बढ़ते एकीकरण से व्यावसायिक लागत कम होगी और नए निवेश की सुविधा होगी। भूमि और श्रम बाजार में लगातार सुधाार से व्यावसायिक लागत में और कमी आएगी।

- नई विनिर्माण कंपनियों के लिए आधार कॉर्पोरेट कर की दर को घटाकर 15 प्रतिशत किया जाएगा जिससे पूंजी लागत की गिरावट दर से ऊपर निवेश के प्रतिफल दर में वृद्धि होगी और नए निवेश की वृद्धि में प्रोत्साहन मिलेगा।

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय से विलय की गई संस्थाओं की वित्तीय ताकत बढ़ेगी, जोखिम में कमी आएगी और परिणामस्वरूप ऋण दरों में कमी आएगी।

2020-21 में जीडीपी वृद्धि का अनुमान

1.58 ऐसी घटनाओं से होने वाले नकारात्मक जोखिम, जो अधिकतर काल्पनिक हैं और इस प्रकार, अमूर्त हैं। दूसरी ओर सकारात्मक जोखिम उन सुधारों में निहित हैं जो पहले से ही चल रहे हैं और इस तरह वास्तविकता के करीब हैं। निवल मूल्यांकन पर, यह प्रतीत होता है कि सकारात्मक जोखिम प्रबल होना चाहिए, खासकर जब शासन, एक मजबूत जनादेश के साथ है, सुधारों पर शीघ्रता से कार्रवाई करने की क्षमता होगी। भारत की जीडीपी वद्धि 2020-21 में दृढ़ता से पलटनी चाहिए और 2019-20 में 5 प्रतिशत की वृद्धि के निम्न सांख्यिकीय आधार पर तो और अधिक।

1.59 दोनों नकारात्मक/सकारात्मक जोखिमों के निवल मूल्यांकन पर, 2020-21 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में 6.0 से 6.5 प्रतिशत की वास्तविक वृद्धि की उम्मीद है।

अध्याय एक नजर में

- 2019 का साल, वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक अनिश्चितता से भरे वर्ष के रूप में उभरा है, जिसके दौरान विश्व उत्पादन वृद्धि, वर्ष-2019 के वैश्विक वित्तीय संकट से वर्ष 2017 के 38 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2018 से 3.6 प्रतिशत से घटते हुए 2.9 प्रतिशत की सबसे धीमी गति से बढ़ने का अनुमान है।
- वैश्विक विनिर्माण, व्यापार और मांग के लिए निराशावादी माहौल के बीच, भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2019-20 की पहली छमाही में 4.8 प्रतिशत की मामूली वृद्धि के साथ उत्पादन में अनुमानित वृद्धि की तुलना में कम वृद्धि देखी है, जो वर्ष 2019-20 की दूसरी छमाही में 6.2 प्रतिशत से भी कम है।
- वास्तविक उपभोग की सुस्त वृद्धि से प्रेरित वास्तविक निश्चित निवेश में तेज गिरावट न जीडीपी वृद्धि में वर्ष 2018-19 की दूसरी छमाही से 2019-20 की पहली छमाही तक गिरावट दर्ज की है। हालांकि, 2019-20 की दूसरी तिमाही में, सरकार द्वारा अंतिम खपत में उल्लेखनीय वृद्धि की वजह से वास्तविक खपत में भी वृद्धि हुई है।
- आपूर्ति पक्ष पर, आमतौर पर जीवीए (जोड़ा गया सकल मूल्य) वृद्धि कम होने में सभी क्षेत्रों नामत: ''कृषि और संबद्ध गतिविधियों'' और ''लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं'' का योगदान रहा है, जिनकी वृद्धि दर वर्ष 2018-19 की दूसरी छमाही की तुलना में वर्ष 2019-20 की पहली छमाही के दौरान अधिक थी।
- भारत के बाहरी क्षेत्र ने 2019-20 की पहली छमाही में कुछ स्थिरता हासिल की है, जिसमें जीडीपी के प्रतिशत के तौर पर चालू खाता घाटा (सीएडी), वर्ष 2018-19 के 2.1 से घटकर वर्ष 2019-20 की पहली छमाही में 1.5 प्रतिशत हो गया है, प्रभावशाली विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) हुआ, पोर्टफोलियो प्रवाह का प्रतिक्षेप हुआ और विदेशी मुद्रा भंडार की अभिवृद्धि भी हुई है। वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही के दौरान कच्चे तेल की कीमतों में कमी की वजह से निर्यात की तुलना में आयात में अधिक तेजी से कमी आई है जो मुख्य रूप से चालू खाता घटा (सीएडी) भी कम करता है।
- खाद्य मुद्रास्फीति में अस्थायी वृद्धि के बाद वर्ष 2019-20 की पहली छ:माही में हेडलाइन मुद्रास्फीति पुन: 3.3 प्रतिशत से बढ़कर दिसंबर 2019-20 में 7.35 प्रतिशत हो गई जिसमें वर्ष के अंत तक गिरावट आने की उम्मीद है। वर्ष 2019-20 में कोर/स्थायी और डब्ल्यूपीआई (थोक मूल्य सूचकांक) मुद्रास्फीति में वृद्धि, मांग का दबाव बनाने का सुझाव देती है।
- जीडीपी वृद्धि में कमी को संवृद्धि चक्र के शिथिलन की रूप रेखा से समझा जा सकता है। वास्तविक क्षेत्र पर बाधा के रूप में वित्तीय क्षेत्र के कार्य से निदेश-संवृद्धि उपयोग में कमी आती है जैसा आर्थिक समीक्षा 2018-19 में भी कहा गया था।
- निवेश, खपत और निर्यात को बढ़ावा देने के प्रयास में, वर्ष 2019-20 में सरकार ने दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के तहत दिवाला समाधान प्रक्रिया को तेज करने की दिशा में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं, विशेष रूप से संकटग्रस्त रियल एस्टेट और एनबीएफसी क्षेत्र के लिए ऋण को आसान बनाना, और अन्य उपायों के बीच राष्ट्रीय इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन 2019-2025 की घोषणा की।
- वर्ष 2019-20 के लिए भारत की 5 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि दर पर सीएसओ के पहले अग्रिम अनुमानों के आधार पर 2019-20 की द्वितीय छमाही में जीडीपी दर में इजाफा होने की उम्मीद है। एक मजबूत जनादेश वाली सरकार सुधारों पर तेजी से अमल करने और वर्ष 2020-21 में अर्थव्यवस्था में फिर से उछाल लाने की ओर अग्रसर है।

REFERENCES

International Monetary Fund. 2017. “Household Debt And Financial Stability”, Chapter 2 in Global Financial Stability Report, October 2017: Is Growth at Risk. IMF

Mian, Atif. and Amir Sufi. 2018. “Finance and business cycles: the credit-driven household demand channel,” *Journal of Economic Perspectives*, 32(3), 31-58.

Pandey, Radhika, Ila Patnaik, and Ajay Shah. 2018. "Measuring business cycle conditions in India." Working Papers 18/221, National Institute of Public Finance and Policy. https://nipfp.org.in/media/medialibrary/2018/04/WP_221.pdf

“White Paper February 2019,” Liases Foras, accessed January 10 2020, https://www.liasesforas.com/admin/WhitePaper/36/WhitePaper_2019-05-02_63692396967411.pdf

परिशिष्ट

नए सुधार

सरकार ने 2019-20 में अर्थव्यवस्था में सम्पूर्ण निवेश, उपभोग तथा निर्यात बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इस इनमें से कुछ महत्वपूर्ण सुधार निम्नलिखित हैं:

निवेश बढ़ाने के लिए उपाय

- दिसम्बर, 2019 में, मंत्रिमंडल ने ऋणशोधन तथा दिवालियापन कोड (द्वितीय संशोघन) बिल, 2019 अनुमोदित किया। इस संशोधन का लक्ष्य है ऋणशोधन स्वीकृति प्रक्रिया में तेजी लाना तथा इसके अतिरिक्त व्यापार करने की सुगमता में सुधार करना।

- 31 दिस्म्बर, 2019 को, सरकार ने 2019-20 से 2024-25 तक प्रत्येक वर्ष के लिए राष्ट्रीय अवसरंचना पाइपलाइन (एनआईपी) पर टास्क फोर्स की रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट ने प्रस्ताव प्रस्तुत किए जिनका सकल मूल्य लगभग 102 लाख करोड़ रु. है।

- आयकर अधिनियम 1961 तथा वित्त (स.2) अधिनियम 2019 में कुछ संशोधन करने के लिए सरकार कर-निध रिण कानून (संशोधन) अध्यादेश 2019 में लाई है।

  (i) 2019-20 के प्रभाव से आयकर अधिनियम में एक नया प्रावधान जोड़ा गया है जो किसी घरेलू कम्पनी को 22 प्रतिशत की दर पर आयकर भुगतान करने का विकल्प देता है। यदि वे कोई छूट/प्रलोभन का नहीं लें। इस कम्पनियों की प्रभावी कर दर जुर्माना तथा अधिकर को मिलाकर 25.17 प्रतिशत होगी। ऐसी कम्पनिया न्यूनतम विकल्पी कर के भुगतान के लिए भी बाध्य नहीं होंगी।

  (ii) विनिर्माण में नये निवेश को आकर्षित करने के लिए तथा सरकार की 'भारत में बनाओं' पहल को प्रोत्साहित करने के लिए, 2019-20 के प्रभाव से आयकर अधिनियम में एक नया प्रावधान रखा गया है जो ऐसी किसी घरेलू कम्पनी को निगमित करता है अथवा 1 अक्टूबर 2019 के बाद विनिर्माण में नया निवेश करता है, उसे 15 प्रतिशत कर दर पर आयकर भुगतान करने का विकल्प देता है। यह लाभ उन कम्पनियों के लिए उपलब्ध है जो किसी प्रकार की छूट/प्रलोभन नहीं लेते हैं तथा 31 मार्च 2023 से पहले अपना उत्पादन प्रारंभ कर देती हैं। इन कम्पनियों के लिए प्रभावी कर दर जुर्माना तथा अधिकर को मिलाकर 17.01 प्रतिशत होगी। ऐसी कम्पनियां न्यूनतम विकल्पी कर का भुगतान करने के लिए भी बाध्य नहीं होंगी। भारत अब कारपोरेट टैक्स में विश्व में न्यनतम दरों वाले देशों में शमिल हो गया है।

- तीव्र संवृद्धि के लिए तीव्र निवेश जरूरी है, जो साख की सुदृढ़ आपूर्ति पर निर्भर करता है। सरकार ने इस विषय में उल्लेखनीय कदम उठाए है।

  (i) अर्थव्यवस्था में ऋण एवं निवेश को बढ़ावा देने के लिए 2019-20 के बजट में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पी.एस.बी.) में ₹ 70,000 करोड़ रुपए के नवीन पूंजी अंत: प्रवाह की घोषणा की। इस प्रावधान के अंर्तगत 2019 नवंबर तक ₹ 60,314 करोड़ का अंत: प्रवाह किया गया है, जिससे बैंकों का विकास एवं निवेश के लिए सज्जित किया गया है।

  (ii) सृदृढ़ बैंक 5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल करने के लिए अनिवार्य हैं। सशक्त राष्ट्रीय उपस्थिति एवं वैश्विक पहुंच वाले नई पीढ़ी के बैंकों की सृष्टि करने के लिए समेकन का प्रस्ताव रखा गया है। इस समेकन के कारण उत्पन्न होने वाले परिचालन दक्षता लाभ से उधार की लागत को कम करने की उम्मीद है।

(iii) रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने फरवरी 2019 से अपना रुख कड़े से निष्पक्ष और जून 2019 से उदार बना दिया है। तदनुसार, 2019 फरवरी से नीति दर में 135 बीपीएस की कमी की गई है।

(iv) आवास एवं आधारिक संरचना परियोजनाओं में ऋण वृद्धि के लिए प्रस्ताव रखा है। 1 अक्तूबर 2019 से बैंकों द्वारा सूक्ष्म और छोटे संगठनों को प्रदान

(v) रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बैंकों द्वारा किए गए सभी परिवर्तीदर ऋणों को एक अक्तूबर, 2019 से किसी निर्दिष्ट बाह्य कसौटी दरों से जोड़ने का निर्णय लिया है। इन कसौटी दरों में नीति रेपो दर, भारत सरकार की 3 या 6 महीने के राजकोषीय पक्षकों पर प्रतिप्राप्ति दर या फाइनेन्सियल वेचमार्क्स इंन्डिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इंगित कोई अन्य दर हो सकती है।

- सरकार के ऑटो क्षेत्र की संवृद्धि को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए है:

(i) एक बारीय पंजीयन शुल्क जून, 2020 तक टाल दिया गया है।

(ii) पंजीयन की संपूर्ण अवधि के 31 मार्च 2020 तक खरीदे गए बीएस IV वाहन के लिए मान्य।

(iii) 31 मार्च 2020 की अवधि के दौरान खरीदे वाहनों पर 30 प्रतिशत तक की मूल्य ह्रास दर अर्थात 15 प्रतिशत का अतिरिक्त मूल्य ह्रास।

(iv) इलोक्ट्रिक वाहनों एवं आन्तरिक दहन वाहनों (आइसीबी) का पंजीकरण जारी रहेंगा

(v) मांग बढ़ाने के लिए सरकारी विभागों द्वारा पुराने वाहनों के स्थान पर नए वाहन की खरीददारी बदंलने पर लगे प्रतिबंध को हटाए जाएंगी।

- दिसंबर 2019 में एमएसएमई ब्याज आर्थिक सहायता योजना के आधुनिकीकरण को प्रचालन कठिनाइयों को आगे कम करने तथा कम लागत पर ऋण देने के लिए पहुंच को सुधारने हेतु अनुमोदित कर दिया गया था।
- सरकार ने केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों निकायों (सीपीएसयू), केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसआई) केन्द्रीय सार्वजनिक वित्तीय संस्थान (सीपीएफआई), तथा अन्य सरकारी संगठनों के लिए वित्तपोषण के अतिरिक्त साधनों को सृजित करने हेतु भारत बांड एक्सचेंज ट्रेड फंड (ईटीएफ) के सृजन एवं शुरू करने को अनुमोदित किया। भारत बान्ड ईटीएफ देश में पहला कार्पोरेट बान्ड रहेगा
- स्थावर क्षेत्र को प्रोत्साहन देने तथा उपभोक्तओं को घर खरीदने के लिए प्रोत्साहन देने के उद्देश्य सरकार ने प्रमुख उपाय किए है।

(i) सरकार ने 'सस्ते एवं मध्य आय' आवासन क्षेत्र में रूकी हुई आवासीय योजनाओं को पूर्ण करने के लिए प्राथमिक ऋण वित्तपोषण प्रदान करने हेतु एक विशेष विंडो की स्थापना का अनुमोदन किया है। वित्तपोषण के उद्देश्य के लिए सरकार प्रयोजन के रूप में कार्य करेगी तथा सरकार द्वारा अंतर्वाह किए जाने वाली कुल प्रतिबद्धता 10,000 करोड़ रु तक होगी। लगभग 25,000 करोड़ रु की कुल निधिको बनाने के लिए बैंक, एलआईसी तथा अन्यों से भी योगदान मांगा जा रहा है। वित्तपोषण को सेवी से पंजीकृत श्रेणी II एआईएफ (वैकल्पिक निवेश कोष) ऋण वित्तपोषण के रूप में स्थापित किया जाएगा तथा यह पेशेवर रूप से चलाया जाएगा।

(ii) प्रधानमंत्री आवास योजना के योग्य लाभार्थियों को इसके द्वितीय चरण (2019-20 से 2021-22) के दौरान शौचालय, विद्युत तथा एलपीजी कनैक्शन जैसी सुविधाओं के साथ 1.95 करोड़ घर प्रदान किया जाएगें।

(iii) भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से घर खरीददार जोकि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत योग्य है के वित्तपोषण को सुकर बनाने के लिए ईसीपी दिशानिर्देश नरम किए जाएंगे। यह सस्ते घरों हेतु के लिए विद्यमान शर्तों के अतिरिक्त हैं।

(iv) गृह निर्माण अग्रिम: गृह निर्माण अग्रिम पर ब्याज दर कम कर दी गई है तथा इसे सरकारी प्रतिभूतियों के लाभ से जोड़ दिया गया है।

(v) सस्ते घरों को प्रोत्साहित करने के लिए 45 लाख रु. तक के मूल्य वाले घरों की खरीदारी हेतु 31 मार्च, 2020 तक उठाए गए ऋणों पर चुकता ब्याज हेतु 1.5 लाख रु. तक का अतिरिक्त कटौती।

(vi) बैंकों में ऋण उत्पादों से संबंधित रेपोरेट/बाह्य बैंच मार्क शुरू करना। ब्याज दरों को रेपोरेट से सीधे जोड़ने से गृह ऋण हेतु कम हुई ईएमआई।

(vii) राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा 20,000 करोड़ रु की एचएफसी का प्रावधान जिससे यह 30,000 करोड़ हो गई है।

- किसी अस्थायी नकदी अथवा नकदी प्रवाह विसंगति के मामलों को सुलझाने के लिए एनबीएफसी आवासीय वित्त कंपनियां (एचएफसी) को गारंटी सहायता तथा समर्थ करने के लिए सरकार ने पीएसबी द्वारा वित्तीय रूप से अच्छी (एनबीएफसी) (एचएफसी) से उच्चतर पूर्व संपत्तियों की खरीदी हेतु 'आंशिक ऋण गारंटी योजना' शुरू की है। आर्थिक कार्य विभाग (डीए) द्वारा यथा सहमत, संपूर्ण गारंटी की राशि योजना अथवा 10,000 करोड़ रु. के अंतर्गत बैंकों द्वारा खरीदी जाने वाली संपत्तियों के उचित मूल्य के 10 प्रतिशत तक से जो भी कम हो को सीमित कर दिया है। योजना एनबीएफसी/एचएफसी को कवर करेंगी जोकि 1 अगस्त, 2018 के पूर्व एक वर्ष अवधि के दौरान एसएमए-0 श्रेणी में फिसल गया है, तथा परिसंपदा पूल बीबीबी + या अधिक रेटिंग के हैं।

- स्टेन्डअप इंडिया योजना को 2025 तक बढ़ा दिया गया है। यह योजना का उद्देश्य ऐसे ग्रीन फील्ड इटरप्राइस स्थापित करने के लिए जिनमें कम से कम एक अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति उधारकर्त्ता तथा कम से कम एक महिला प्रति बैंक ब्रांच को 10 लाख से 100 लाख रु. के बीच बैंक ऋणों की सुविधा देना है। गेर-व्यक्तिक इंटरप्राइस के मामले में शेयर धारिता तथा नियंत्रित शेयर का कम से कम 51 प्रतिशत एससी/एसटी अथवा महिला उद्यमी द्वारा धारित किया जाना चाहिए।

- सरकार ने अधिकतर क्षेत्रों में स्वचालित मार्ग द्वारा 100 प्रतिशत तक एफडीआई अनुमति देने की नीति को उदार करते हुए एफडीआई नीति को निवेशक अनुकूल बनाया है।

- स्टार्टअप तथा उनके निवेश की असली कठिनाइयों को कम करने के लिए आयकर अधिनियम (ऐंजल कर से संबंधित) की धारा 56(2) (VIIB) डीपीआईआईटी से पंजीकृत स्टार्टअप के लिए अब लागू नहीं होगी।

उपभोग बढ़ाने के उपाय

1.41 सरकार ने अर्थव्यवस्था में खर्च एवं उपभोग को बढ़ाने के लिए आय, विशेषकर ग्रामीण आय को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाए किए हैं

- वर्ष 2019-20 सत्र के लिए सभी अधिदेशित रबी फसल खरीफ के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि।

- लघु एवं सीमांत किसानों को सुनिश्चित आय सहायता प्रदान करना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) योजना नकद अंतरण के जरिए 6000 प्रतिवर्ष की आय सहायता देकर (भूमि जोतों के आकार को

बिना विचार करते हुए) सभी योग्य किसान परिवारों तक विस्तारित की गई है।

- सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा को प्राप्त करने के लिए कदम के साथ सरकार ने एक नई योजना अनुमोदित की है जोकि व्यापारी समुदायों को पेंशन कवरेज प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत सभी दुकानदारों, खुदरा व्यापारियों एवं स्वरोजगार व्यक्तियों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् 3 हजार रु. प्रति महीना की न्यूनतम मासिक पेंशन सुनिश्चित की गई है।

- 1 अगस्त, 2019 से सभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक कम कर दी गई है तथा ईवी के लिए चार्जर अथवा चार्जिंग स्टेशन पर जीएसटी दर 18 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक कम कर दी है। स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा इलेक्ट्रिक (12 यात्रियों से अधिक की ले जाने वाले) वाहनों को किराये पर लेने में जीएसटी से छूट दी जाएगी

निर्यात को सदृढ़ करने के उपाय

- निर्यात उत्पादों (आरओडीटीइपी) पर शुल्कों या करों में निर्यात प्रोत्साहन के लिए करों और शुल्कों की प्रतिभूति के लिए सुधार की योजना भारत योजना से व्यापारिक निर्यात एमईआइस की जगह ले लेगी। वस्त्र और सभी अन्य क्षेत्र जो वर्तमान एमईआइस में 2 प्रतिशत तक का प्रोत्साहन प्राप्त कर रहे उनको आरओडीटीइपी में बदला जाएगा। जिसके प्रभाव से, आरओडीटीईपी पर्याप्त प्रोत्साहित निर्यातकों से वर्तमान सभी योजनाओं की तुलना में अधिक है।

- विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (संशोधित) विधेयक 2019 का अनुमोदन हो गया है जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा अधि सूचित ट्रस्ट या इकाई को विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र की एक इकाई की स्थापना करने की पात्रता के लिए विचारा जाएगा।

- निर्यात क्षेत्र में ऋण को सदृढ़ बनाने के लिए आरबीआई ने प्राथमिकता वाले क्षेत्र के अर्न्तगत ऋण नियमों की स्वीकृति सीमा को बढ़ाया है। इस सीमा को प्रति उधारकर्त्ता 25 करोड़ रुपये से 40 करोड़ रुपये तक बढ़ाया है। इससे आगे, वर्तमान मानदंड़, जिसमें ऐसी इकाई जिसका र्टनओवर 100 करोड़ रुपये तक का हो, उसे हटा दिया गया है।

- ऋण निर्यात गारंटी निगम (इसीजीसी) ने निर्यात के लिए बैंकों को ऋण प्रदान करने की पूंजी में उच्चतर बीमा कवर देने के लिए निर्यात ऋण बीमा योजना (इसीआइसी) के प्रसार को बढ़ाएगा। यह निर्यात ऋण जिसमें ब्याज दर भी शामिल है, की संपूर्ण लागत को कम करेगा विशेषकर एमएसएमई में।

- सर्करा सत्र 2019-20 के दौरान अधिकतर स्टाक की निकासी के लिए सरकार ने सर्करा निर्यात निति को मंजूरी दे दी है। सर्करा सत्र 2019-20 के लिए यह एक एकमुश्त निर्यात सब्सिडी 10,448 रुपये प्रति मेट्रिक टन (एमटी) की दर से सर्करा मिलों को उपलब्ध कराएगी। इस उद्देश्य के लिए कुल अनुमानित व्यय लगभग 6268 करोड़ रुपये उपगत होगा।

- हस्तकरघा उद्योग को निर्यात के लिए सक्षम बनाने हेतु प्रभावी गति देना, वस्त्र मंत्रालय के सहयोग से भारत वर्ष से कारीगरों का पंजीकरण प्रभावी होगा।

राजकोषीय घटनाक्रम

02
अध्याय

यह वर्ष 2019-20 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है, जिसका कारण वर्ष के पूर्वार्द्ध में अनुभव की गई विकास दर की कमी है। वर्ष के दौरान संवृद्धि और निवेश के प्रोत्साहन के लिए किए गए विविध सुधारों में प्रमुख संरचनात्मक सुधार कॉर्पोरेट आयकर दर में कमी करना था। राजकोषीय नीति 2019-20 की विशेषता बजट अनुमान की तुलना में कर राजस्व में मंद गति से वृद्धि रही। गैर-कर राजस्व ने इस वित्तीय वर्ष के आरंभिक आठ माह में विगत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में काफी उच्च वृद्धि दर्ज की। व्यय की तरफ देखें तो अप्रैल से नवंबर 2019-20 के दौरान कुल व्यय काफी गति से बढ़ा, जिसमें पूंजीगत व्यय में गत वर्ष की इसी अवधि के दौरान दर्ज की गई वृद्धि से लगभग तीन गुणा वृद्धि हुई। बजट घाटे में राजकोषीय घाटे का प्रतिशत इस वित्त वर्ष के प्रथम आठ माह के दौरान गत वर्ष की इसी अवधि के स्तर पर बनाए रखा गया। सरकार के अर्थव्यवस्था में संवृद्धि को पुनः बढ़ाने की अनिवार्य वरीयता को देखते हुए वर्तमान वर्ष का राजाकोषीय घाटे का लक्ष्य बदलना पड़ सकता है।

2.1 वैश्विक स्तर पर शिथिल संवृद्धि तथा व्यापार में तनाव के बढ़ने के बीच जुलाई 2019 में प्रस्तुत बजट 2019-20 ने समष्टि आर्थिक स्थिरता सहित, संवृद्धि के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पुनः पुष्ट की।

2.2 बजट 2019-20 के साथ प्रस्तुत मध्यावधि राजकोषीय नीति (एम टी एफ पी) विवरण में 2019-20 के लिए राजकोषीय घाटा लक्ष्य जी डी पी का 3.3 प्रतिशत आंका गया था, जिसके आगे भी धीमी गति से कम होते हुए 2020-21 में जी डी पी के 3 प्रतिशत लक्षित स्तर प्राप्त करने की और 2021-22 तक इसी स्तर पर रहने की अपेक्षा थी। आगे यह भी अनुमानित था कि केन्द्रीय सरकार की देयताएं 2019-20 में जी डी पी के 48.0 प्रतिशत तक आ जाएंगी। यह संभावित था कि केन्द्र सरकार के ऋण की दर में गिरावट जीडीपी वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में क्रमशः 46.2 प्रतिशत एवं 44.4 प्रतिशत की दर से सतत जारी रहेगी। ऋण में गिरावट का यह स्वरूप स्थिर मुद्रास्फीति और राजकोषीय घाटे में कमी पर अनुमानतः आधारित है। एम टी एफ पी (जुलाई 2019) में प्रस्तुत घाटे और

चित्र 1: मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण: राजकोषीय सूचक

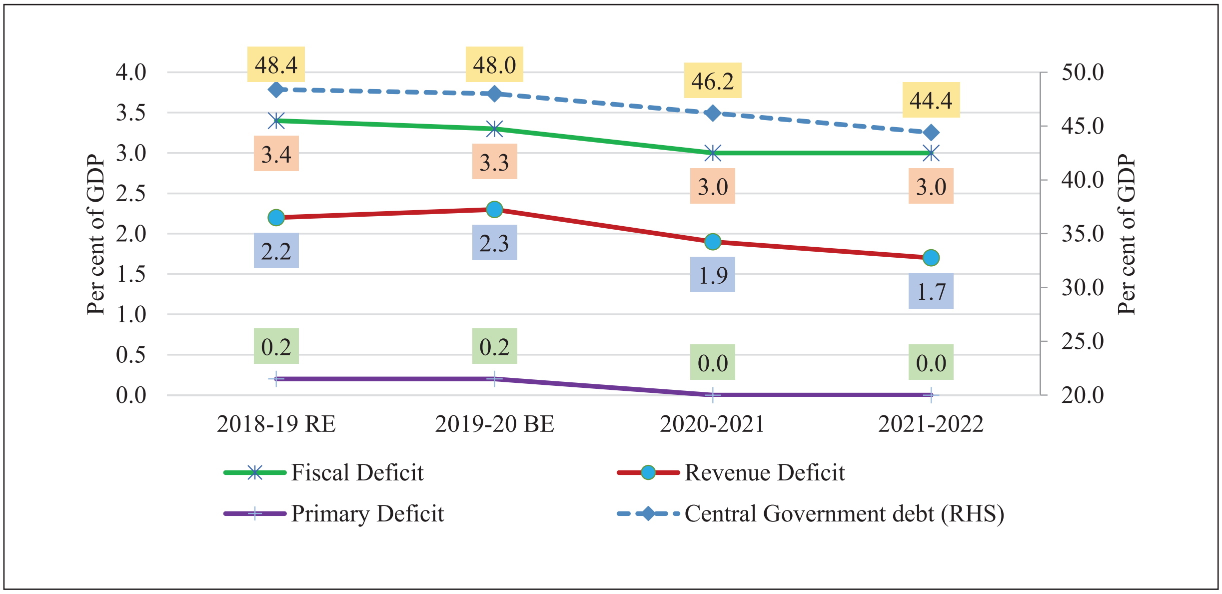

स्रोत: मध्यम अवधि राजकोषीय नीति दस्तावेज, बजट 2019-20 (जुलाई 2019)

ऋण के राजकोषीय संकेतक चित्र 1 में देखे जा सकते हैं।

2.3 यह अध्याय वर्ष 2019-20 के दौरान भारत में राजकोषीय घटनाक्रम की समीक्षा करता है। यह हाल ही के वर्षों में केन्द्रीय सरकार के वित्तीय साधनों पर चर्चा से आरंभ हो रहा है, तत्पश्चात जिसके बाद लेखा महानियंत्रक (सी जी ए) द्वारा नवंबर 2019 तक जारी आंकड़ों के आधार पर चालू वित्त वर्ष के दौरान राजकोषीय कार्य-निष्पादन का विश्लेषण किया जाएगा। तत्पश्चात, यह संक्षेप में राज्यों की सम्मिलित राजकोषीय हालत की चर्चा करता है और अंतत: सामान्य सरकार (केन्द्र तथा राज्य) के वित्त साधनों और 2020-21 के लिए दृष्टिकोण की रूपरेखा को रूपायित करते हुए इसका समापन करता है।

केन्द्रीय सरकार के वित्त साधन

2.4 राजकोषीय समेकन के मार्ग पर प्रशस्त होते हुए, संघीय बजट 2019-20 राजकोषीय घाटे को ₹7,03,760 करोड़ अर्थात जी डी पी का 3.3 प्रतिशत तक सीमित रखने का प्रयास करता है, जो सरकार की कुल उधार लेने की अपेक्षाओं से प्रतिबिंबित है। यह 2018-19 के अनंतिम वास्तविक आंकड़ों में जी डी पी का 3.4 प्रतिशत है (चित्र 2 देखें)। राजकोषीय घाटे से राजस्व घाटे का अनुपात, मोटे तौर पर, सरकार के चालू व्यय के वित्त पोषण के लिए उधार की मात्रा का मापन करता है। 2019-20 बी ई में, यह मोटे तौर पर 2018-19 पी ए के ही स्तर पर आंका गया। (चित्र 2 देखें)

2.5 केन्द्रीय सरकार के प्रमुख राजकोषीय सूचक और उनकी वृद्धि दर क्रमश: तालिका 1 और तालिका 2 में प्रस्तुत है। केन्द्रीय सरकार के वित्त साधनों में प्रमुख परिवर्तन, इन तालिकाओं से स्पष्ट है जिसमें कर जीडीपी अनुपात में सुधार तथा जी डी पी के प्रतिशत के रूप में प्राथमिक घाटे में कमी शामिल है।

प्राप्तियों में रूझान

2.6 मोटे तौर पर केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों को ऋण और ऋण भिन्न प्राप्तियों में विभाजित किया जाता है। ऋण भिन्न प्राप्तियों में कर और कर-भिन्न राजस्व, तथा ऋण-भिन्न पूंजीगत प्राप्तियां, जैसे ऋणों की वसूली और विनिवेश से प्राप्तियां शामिल है। ऋण प्राप्तियां में अधिकांशत: बाजार उधार और अन्य देनदारियां शामिल

चित्र 2: घाटे में रुझान

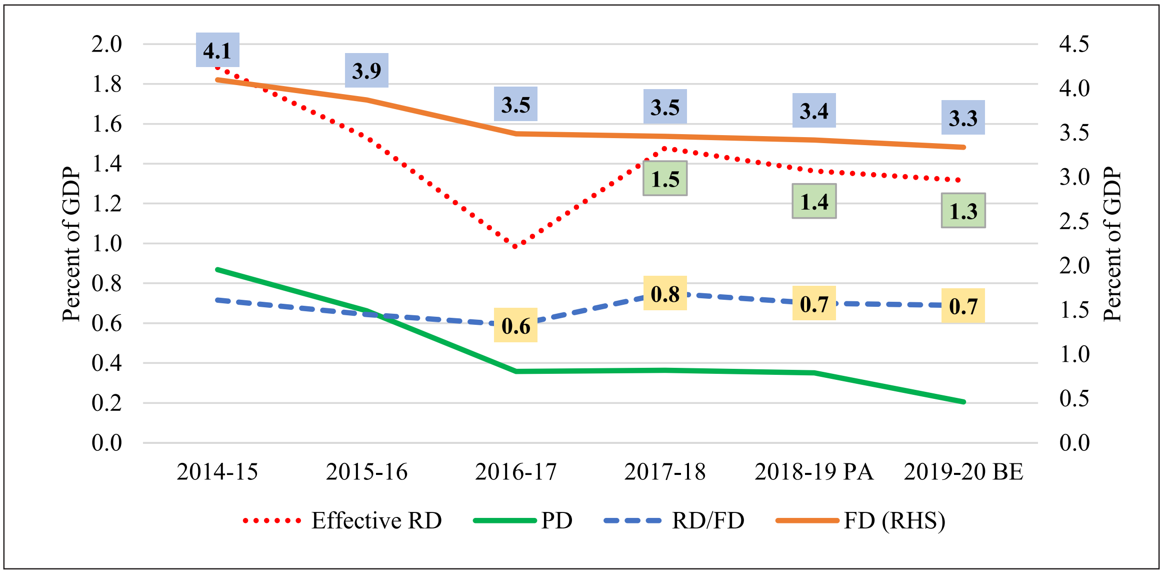

स्रोत: संघीय बजट एवं सीजीए. बीई: बजट अनुमान पी.ए. अनंतिम वास्तविक, एफडी: वित्तीय घाटा, आरडी: राजस्व घाटा, पीडी: प्राथमिक घाटा नोट: आरडी/एफडी की कोई मापन इकाई नहीं है।

तालिका 1: केन्द्रीय सरकार के राजकोषीय मानदण्ड

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 PA	2019-20 BE
						(₹ लाख करोड़ में)
राजस्व प्राप्तियां	11.01	11.95	13.74	14.35	15.53	19.63
	(8.8)	(8.7)	(8.9)	(8.4)	(8.2)	(9.3)
सकल कर राजस्व	12.45	14.56	17.16	19.19	20.8	24.61
	(10)	(10.6)	(11.2)	(11.2)	(10.9)	(11.7)
निवल कर राजस्व	9.04	9.44	11.01	12.42	13.17	16.5
	(7.2)	(6.9)	(7.2)	(7.3)	(6.9)	(7.8)
कर-भिन्न राजस्व	1.98	2.51	2.73	1.93	2.36	3.13
	(1.6)	(1.8)	(1.8)	(1.1)	(1.2)	(1.5)
ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां*	0.51	0.63	0.65	1.16	1.13	1.2
	(0.4)	(0.5)	(0.4)	(0.7)	(0.6)	(0.6)
ऋण-भिन्न प्राप्तियां	11.53	12.58	14.4	15.51	16.66	20.83
	(9.2)	(9.1)	(9.4)	(9.1)	(8.8)	(9.9)
कुल व्यय	16.64	17.91	19.75	21.42	23.15	27.86
	(13.3)	(13.0)	(12.9)	(12.5)	(12.2)	(13.2)
राजस्व व्यय	14.67	15.38	16.91	18.79	20.07	24.48
	(11.8)	(11.2)	(11.0)	(11.0)	(10.6)	(11.6)
पूंजी व्यय	1.97	2.53	2.85	2.63	3.08	3.39
	(1.6)	(1.8)	(1.9)	(1.5)	(1.6)	(1.6)
राजकोषीय घाटा	5.11	5.33	5.36	5.91	6.49	7.04
	(4.1)	(3.9)	(3.5)	(3.5)	(3.4)	(3.3)

प्राथमिक घाटा	3.66	3.43	3.16	4.44	4.54	4.85
	(2.9)	(2.5)	(2.1)	(2.6)	(2.4)	(2.3)
ज्ञातव्य मद	1.08	0.91	0.55	0.62	0.67	0.43
	(0.9)	(0.7)	(0.4)	(0.4)	(0.4)	(0.2)
बाजार कीमत पर जीडीपी	124.68	137.72	153.62	170.95	190.1	211.01

स्रोत: संघीय बजट दस्तावेज और सीजीए

बी.ई:– बजट अनुभान, पी.ए.: अनंतिम वास्तविक आंकडे

* विनिवेश प्राप्तियों सहित

तालिका 2: केन्द्रीय सरकार के घाटा सूचकों की वृद्धि दर (प्रतिशत में)

मदें	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 PA	2019-20 BE*
राजस्व प्राप्तियां	8.5	8.5	15.0	4.4	8.2	26.4
सकल कर राजस्व	9.3	16.9	17.9	11.8	8.4	18.3
निवल कर राजस्व	10.8	4.4	16.7	12.8	6.0	25.3
भिन्न कर राजस्व	-0.5	27.0	8.6	-29.4	22.3	32.9
ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां#	23.0	41.8	-10.4	77.0	-2.5	6.3
गैर ऋण प्राप्तियां	9.1	10.0	13.5	7.7	7.4	25.0
सकल व्यय	6.7	7.6	10.3	8.4	8.1	20.4
राजस्व व्यय	6.9	4.8	9.9	11.1	6.8	21.9
पूंजी व्यय	4.8	28.6	12.5	-7.5	16.9	10.0

स्रोत: संघीय बजट दस्तावेज और सीजीए

बी.ई:– बजट अनुभान, पी.ए.: अनंतिम

*2018–19 की तुलना में वृद्धि दर

विनिवेश प्राप्तियों सहित

हैं, जिन्हें सरकार को भविष्य में चुकाना पड़ता हैं। बजट 2019–20 में केन्द्रीय सरकार की ऋण–भिन्न प्राप्तियों को काफी उच्च वृद्धि रखा गया जिसका कारण निवल कर राजस्व और गैर कर राजस्व में उच्च वृद्धि की अपेक्षा कि प्रत्याशा रही है। (तालिका 2 देखें)

कर राजस्व

2.7 बजट 2019–20 में सकल कर राजस्व (जीटीआर) का 24.61 लाख करोड़ का अनुमान रखा गया जो जीडीपी का 11.7 प्रतिशत है। इसमें 2018–19 के संशोधित अनुमानों (आर ई) में 9.5 प्रतिशत और 2018–19 पीए में 18.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। प्रत्यक्ष कर में मुख्यत: कारपोरेट और वैयक्तिक आयकर शमिल है जो जीटीआर का लगभग 54 प्रतिशत है। इसमें 2018–19 आरई की तुलना में 11.3 प्रतिशत और 2018–19 पीए की तुलना में 18.7 प्रतिशत वृद्धि होने की परिकल्पना की गई थी। दूसरी तरफ, अप्रत्यक्ष कर में 2018–19 आर ई की तुलना में 7.3 प्रतिशत और 2018–19 पीए की तुलना में 20.6 प्रतिशत से वृद्धि की संभावना आंकी गई है। 2019–20 बी.ई. के लिए जीटीआर में विविध करों का योगदान चित्र 3 में दर्शाया गया है।

चित्र 3: 2019-20 बजट अनुभाग में जीटीआर में विभिन्न करों के अंश

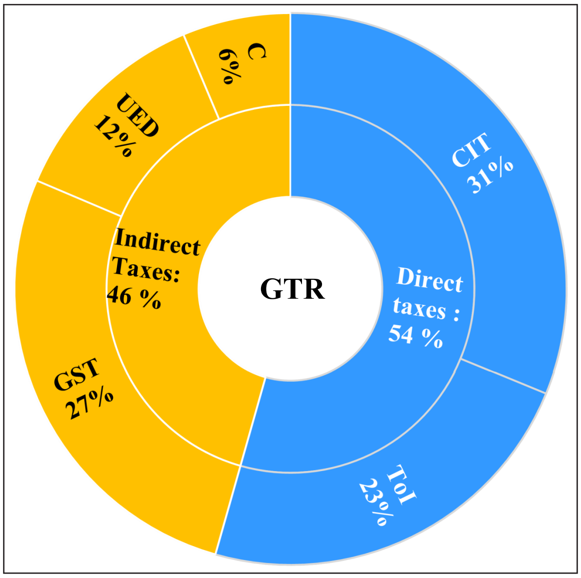

स्रोतः संघीय बजट दस्तावेज और महालेखा नियंत्रक

जीटीआरः सकल कर राजस्व सीआईटीः निगम कर, टीओआईः निगम कर से भिन्न आय कर (एसटीटी सहित), यू ई डीः केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जी एस टीः माल सेवा कर, सीः सीमा शुल्क

2.8 2019-20 बी.ई में प्रत्यक्ष कर जीडीपी का 6.3 प्रतिशत अनुमानित किया गया। चित्र 4 में प्रदर्शित मुख्य करों के संदर्भ में जी डी पी के रूझान से पता चलता है कि विगत कुछ वर्षों में कोर्पोरेट और वैयक्तिक आयकर में सुधार हुआ है। बेहतर कर प्रशासन, वर्षों से टी डी एस के विस्तार, प्रति-कर-वचन उपाय और प्रभावीकर प्रदाताओं के आधार में बढ़ोतरी ने प्रत्यक्ष कर उछाल में योगदान दिया है। जीएसटी प्रशासन में अप्रत्क्ष कर फाइल करने वालों की संख्या में बढोतरी से भी कर उछाल में सुधार हुआ है। आगे देखा जाए तो कर एकत्र करने में सुधार को बरकरार रखना जीएसटी के राजस्व उछाल पर निर्भर है। वर्ष 2019-20 में अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष करों के लिए उठाए गए प्रमुख उपाय अनुलग्नक में प्रस्तुत हैं।

2.9 वर्ष 2019-20 के दौरान (नवम्बर माह तक), केन्द्र की निवल कर प्राप्ति ₹ 7.51 लाख करोड़ रही जो बजट के अनुमान का 45.5 प्रतिशत है।

कर-भिन्न राजस्व

2.10 कर भिन्न राजस्व में मुख्य रूप से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को दिए गए ऋणों पर ब्याज; सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से लाभांश जिसमें भारत सरकार को अंतरित भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) का अधिशेष

चित्र 4 जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कर

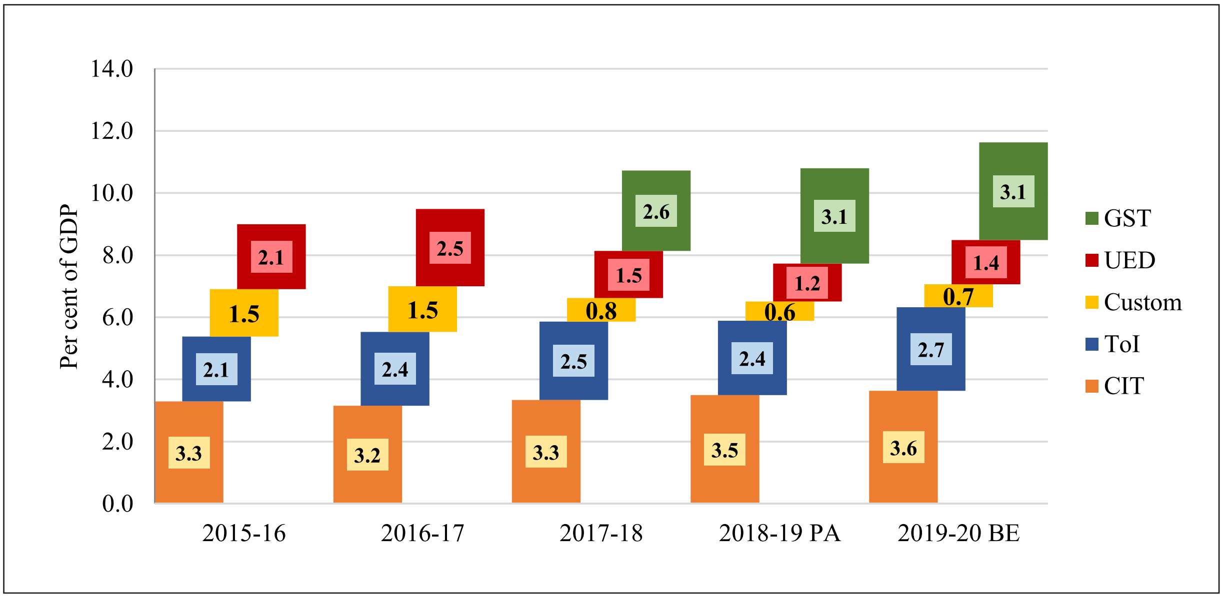

स्रोतः संघीय बजट दस्तावेज और महालेखा नियंत्रक बी. ई.: बजट अनुमान, पी. ए.: अनंतिम वास्तविक आंकड़े, सी आई टीः निगम कर, (एस टीटी सहित), यू ई डीः केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जी एस टीः माल सेवा कर; जी एस टी में सी जी एस टी, आई जी एस टी एवं कॉम्पनशेसन सेस शामिल है।

तालिका 3: केन्द्रीय सरकार के कर-भिन्न राजस्व में रूझान

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 PA	2019-20 BE
						(₹ लाख करोड़ में)
ब्याज प्राप्तियां	0.24	0.25	0.16	0.14	0.12	0.14
लाभांश एवं लाभ	0.90	1.12	1.23	0.91	1.13	1.64
वाह्य अनुमान	0.02	0.02	0.01	0.04	0.01	0.01
अन्य	0.83	1.12	1.32	0.84	1.09	1.35
कर भिन्न राजस्व	1.98	2.51	2.73	1.93	2.36	3.13

स्रोत:संघीय बजट दस्तावेज और सीजीए

बी.ई.: बजट अनुमान, पी.ए.: अनंतिम

शामिल है; केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए प्राप्तियां; तथा विदेशी अनुदान शामिल हैं। बजट 2019-20 में ₹ 3.13 लाख करोड़ कर-भिन्न राजस्व, जी डी पी का 1.5 प्रतिशत, और 2018-19 पी. ए. से 0.3 प्रतिशतांक बढ़ाने का लक्ष्य है। मोटे तौर पर, दो-तिहाई बढ़ोतरी लाभांशों और लाभ, विशेषत: आर. बी. आई. द्वारा अंतरित अधिशेष से बढ़ाने की परिकल्पना की गई है (तालिका 3 देखें)।

2.11 कर-भिन्न राजस्व के लिए 2019-20 बी ई के ₹ 3.3 लाख करोड़ की तुलना में नवंबर 2019 तक की वास्तविक वसूली बी.ई. का 74.3 प्रतिशत रही।

ऋण-भिन्न पूंजीगत प्राप्तियां

2.12 ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियों में मुख्य रूप से ऋणों और अग्रिमों की वसूली और विनिवेश प्राप्तियां शामिल हैं। विगत कुछ वर्षों से, ऋण-भिन्न प्राप्तियों के कुल समूह में ऋण-भिन्न पूंजीगत प्राप्तियों के अंशदान में सुधार हुआ है (चित्र 5)। उन्हें 2019-20 बी ई में, ₹ 1.20 लाख करोड़, जीडीपी का 0.6 प्रतिशत तक बनाए रखा गया है जिसका कारण 2018-19 पी. ए. में 6.3 प्रतिशत वृद्धि की परिकल्पना है। पिछले वर्षों में ऋणों और अग्रिमों की वसूली से प्राप्तियों में कमी हुई है, जो 2019-20 बी ई में ऋण-भिन्न पूंजीगत प्राप्तियों का 12.4 प्रतिशत है। ऋण-भिन्न पूंजीगत प्राप्तियों

चित्र 5: केन्द्रीय सरकार की कर-भिन्न प्राप्तियों की संरचना

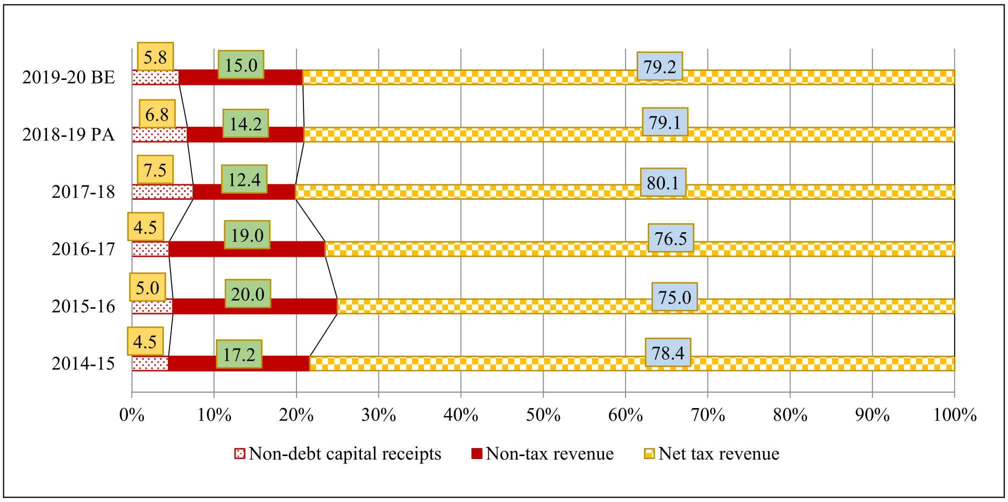

स्रोत: संघीय बजट दस्तावेज और सीजीए

बी.ई.: बजट अनुमान, पी.ए.: अनंतिम

का मुख्य घटक विनिवेश प्राप्तियां हैं जो सरकार के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विक्रय (कार्यनीतिक परिसंपत्तियों के विक्रय सहित) से प्राप्त होते हैं। सरकार का 2019-20 बी ई के अनुसार विनिवेश से ₹ 1.05 लाख करोड़ की प्राप्तियां जुटाने का लक्ष्य रखा है।

2.13 केन्द्र की वर्ष 2019-20 (नवम्बर माह तक) बी ई ₹1.20 लाख करोड़ की तुलना में वास्तविक ऋण भिन्न पूंजीगत प्राप्तियां रही 0.29 लाख करोड़ रही। किन्तु महत्त्वपूर्ण सौदे अभी विचाराधीन हैं और इन प्राप्तियों में और अधिक तेजी आने की संभावना हैं।

व्यय के रूझान

2.14. किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए यह आवश्यक है कि वह महत्वपूर्ण विकास-संबंधी और समष्टि आर्थिक लक्ष्यों से समझौता किए बिना उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम आवंटन करे। चूँकि भारत की जी डी पी में कर का अनुपात कम है, अत: सरकार को राजकोषीय विवेक की सीमाओं के भीतर रहकर, निवेश और अवसंरचना विस्तार के लिए, पर्याप्त निधियाँ उपलब्ध करवाने में चुनोतियों का सामना करना पड़ता है। अत:, व्यय की संरचना और गुणता में सुधार करना महत्वपूर्ण हो जाता है।

2.15 2019-2020 बी.ई. में सरकारी व्यय की संरचना दर्शाती है कि रक्षा सेवाओं, वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान और प्रमुख सब्सिडी पर कुल व्यय का साठ प्रतिशत से अधिक व्यय होता है। रक्षा मंत्रालय द्वारा, रक्षा व्यय की दक्षता और उपयोज्यता सुधारने, आत्मनिर्भरता बढाने तथा रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की सहभागिता प्रोत्साहित करने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान पर व्यय, आमतौर पर कहा जाए तो वचनबद्ध प्रकृति के हैं अत: इनमें अतिरिक्त राजकोषीय संभावना सृजित करने की सीमित गुंजाइश है। लक्ष्य में सुधार करने के जरिए, सब्सिडियों पर बजटीय व्यय में काफी नरमी आई है। सब्सिडियों को युक्तिसंगत बनाने के लिए, विशेषत भोजन सब्सिडी, के लिए अभी भी गुंजाइश है। हाल ही के वर्षों में केन्द्रीय क्षेत्र और केन्द्र

तालिका 4: राजस्व व्यय की प्रमुख मदें

मदें	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 PA*	2019-20 BE
						(₹ लाख करोड़ में)
राजस्व व्यय, जिसमें,	14.67	15.38	16.91	18.79	20.07	24.48
	(6.9)	(4.8)	(9.9)	(11.2)	(6.8)	(21.9)
क. वेतन (वेतन व भत्ते)	1.34	1.45	1.77	1.94	2.18	2.35
	(13.6)	(7.9)	(22.6)	(9.3)	(12.7)	(7.5)
ख. पेंशन	0.94	0.97	1.31	1.46	1.60	1.74
	(25.0)	(3.4)	(35.8)	(10.9)	(9.9)	(8.9)
ग. ब्याज भुगतान	4.02	4.42	4.81	5.29	5.83	6.60
	(7.5)	(9.7)	(8.8)	(10.0)	(10.2)	(13.4)
घ. मुख्य सब्सिड़ी	2.49	2.42	2.07	1.91	1.97	3.02
	(1.6)	(-2.7)	(-14.8)	(-7.5)	(3.1)	(53.1)
ङ. रक्षा सेवायें	1.40	1.46	1.65	1.86	1.96	2.02
	(12.9)	(3.9)	(13.3)	(12.5)	(5.3)	(3.0)

स्रोत: संघीय बजट दस्तावेज और महालेखा नियंत्रक बी.ई.: बजट अनुमान, पी. ए.: अनंतिम वास्तविक आँकडे कोष्ठक में दी गई संख्याएं वृद्धि दर हैं

* वेतन (वेतन एवं भत्ते) के 2018-19 के आँकडे संशोधित अनुमान (आर. ई.) हैं।

द्वारा प्रायोजित योजनाओं की व्यापक पुन:संरचना और पुन: वर्गीकरण किया गया है।

2.16 बजट 2019-2020 में ₹ 27.86 लाख करोड़ के कुल व्यय का आकलन है जिसमें ₹ 24.48 लाख करोड़ का राजस्व व्यय और ₹ 3.39 लाख करोड़ का पूँजीगत व्यय शमिल है जो क्रमश: जीडीपी का 11.6 प्रतिशत और 1.6 प्रतिशत है। 2018-19 पी ए की तुलना में 2019-20 में व्यय के बजट अनुमान का विश्लेषण सुझाव देता है कि केन्द्रीय सरकार ने बजटीय व्यय 2019-20 में जी डी पी के एक प्रतिशतांक की बढ़ोतरी की परिकल्पना की है। संपूर्ण बढ़ोतरी राजस्व खाते पर है, जी डी पी की प्रतिशतता के रूप में पूँजीगत व्यय अपरिवर्तित रहा। राजस्व व्यय के भीतर, बढ़ोतरी का चालीस प्रतिशत से अधिक, ब्याज भुगतान और प्रमुख सब्सिडियों में बढ़ोतरी द्वारा वर्णित है (तालिका 4 देखें)।

2.17 मुख्य सब्सिडियों पर व्यय, जो गैर-प्रतिबद्ध राजस्व व्यय का महत्वपूर्ण घटक है, 2019-20 बी.ई. में जीडीपी के 1.4 प्रतिशत तक रखा गया। विगत वर्षों में मुख्य सब्सिडियों में बजट व्यय में कमी का रूझान देखा गया है। वर्ष 2019-20 के बजट व्यय में खाद्य, उर्वरक एंव पैट्रोलियम की आवश्यकताओं पर ₹ 3.2 लाख करोड़ की प्रमुख सब्सिडी अनुमानित हैं।

2.18 व्यय की गुणवत्ता को कुल व्यय में पूंजी व्यय के हिस्से द्वारा इंगित किया जाता है। चित्र 6 से पता चलता है कि मोटे तौर पर कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का हिस्सा वर्ष 2018-19 पीए से वर्ष 2019-20 बी ई में एक प्रतिशतांक तक गिरावट की परिकल्पना की गई है। हालांकि वर्ष 2019-20 बी ई में पूंजीगत व्यय, 2018-19 की तुलना में 10 प्रतिशत तक बढ़कर ₹ 3.39 लाख करोड़ रुपये होने की संभावना है। रक्षा सेवाओं के अलावा जिन प्रमुख क्षेत्रों में वर्ष 2019-20 बी ई में अधिक मात्रा में पूंजीगत व्यय आवंटन किया गया है उनमें आंतरिक सुरक्षा, वित्तीय संस्थानों में निवेश, मेट्रो परियोजनाओं के लिए सहायता, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी

चित्र 6: कुल व्यय में राजस्व तथा पूंजी का शेयर

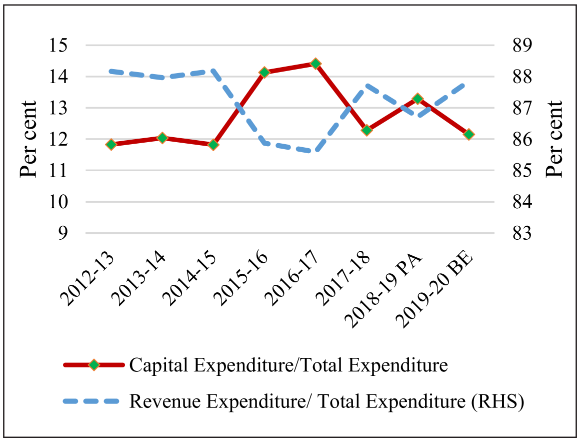

स्रोत: संघीय बजट दस्तावेज और सीजीए

बी.ई.: बजट अनुमान, पी.ए.: अनंतिम

और सड़कों और रेलवे के निर्माण शामिल हैं। वर्ष 2016-17 से वित्त अवसंरचना निवेश हेतु बजटीय व्यय से इतर, अतिरिक्त बजटीय संसाधान (ईबीआर) भी जुटाए गए हैं। अतिरिक्त बजटीय संसाधन (ईबीआर) वे वित्तीय देनदारियां हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उठाए जाते हैं, जिसके लिए पूरे मूलधन और ब्याज का भुगतान केंद्र सरकार के बजट से किया जाता है। सरकार ने 2016-17 से 2018-19 तक तीन वर्षों के दौरान 88,454 करोड़ रुपये का ईबीआर जुटाया है। 2019-20 बीई में 57,004 करोड़ रु. का ईबीआर बढ़ाने का प्रस्ताव है जो कि जीडीपी का 0.27% है। राजकोषीय घाटे की गणना करते समय इन ईबीआर पर ध्यान नहीं दिया जाता है। हालांकि उन्हें सरकारी ऋण की गणना में लिया जाता है।

राज्यों को अंतरण

2.19 आबंटन अवधि 2015-20 हेतु चौदहवें वित्त आयोग (एफ़एफ़सी) ने देश में राजकोषीय संघवाद को मजबूत करने के लिए परिवर्तन किए। इसके फलस्वरूप, राज्यों ने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बड़े कोष अंतरण के साथ-साथ कोष का उपयोग करने के लिए अधिक स्वायत्तता प्राप्त की है। राज्यों को निधियों के

अंतरण में अनिवार्य रूप से तीन घटक होते हैं:- राज्यों को हस्तांतरित किए गए केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी, वित्त आयोग अनुदान तथा केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं (सीएसएस) एवं अन्य अंतरण। वर्ष 2013-14 तक सीएसएस के लिए निधियां, दो चैनलों अर्थात राज्यों की समेकित निधियों तथा राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे अंतरण के माधयम से दी गई थी। वर्ष 2014-15 में राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे अंतरण बंद कर दिए गए तथा सीएसएस सहित सभी अंतरण, राज्यों की समेकित निधियों के माध्यम से दिए गए थे।

2.20 राज्यों को कुल अंतरण, तालिका 5 तथा चित्र 7 में दर्शाए गए हैं। निरपेक्ष स्वरूप और जीडीपी की प्रतिशतता, दोनों ही रूपों में, राज्यों को कुल अंतरण में वर्ष 2014-15 और वर्ष 2018-19 आर.ई के बीच जीडीपी के 1.2 प्रतिशतांक तक वृद्धि हुई है। वर्ष 2019-20 के बजट में परिकल्पना कर गई है कि जीएसटी के प्रारम्भ होने की वजह से राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान के एवज में राज्यों को दिए जाने वाले मुआवजे, ग्रामीण और शहरी निकायों को अनुदान और समग्र शिक्षा के तहत रिलीज की वजह से उच्च

तालिका 5: राज्यों को अंतरण (लाख करोड़ रुपये में)

मदें	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 RE	2019-20 BE
करों में राज्यों के अंश अंतरण	3.36	5.06	6.08	6.73	7.61	8.09
वित्त आयोग अनुदान	0.62	0.85	0.96	0.92	1.06	1.20
सीएसएस और अन्य अंतरण	2.68	2.39	2.77	3.16	3.71	3.90
राज्यों को सकल अंतरण	6.66	8.29	9.81	10.81	12.38	13.19

स्त्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज़

बीई: बजट अनुमान, आरई: संशोधित अनुमान

नोट: राज्यों में केवल 29 राज्य ही शामिल हैं।

चित्र 7: केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को अंतरण

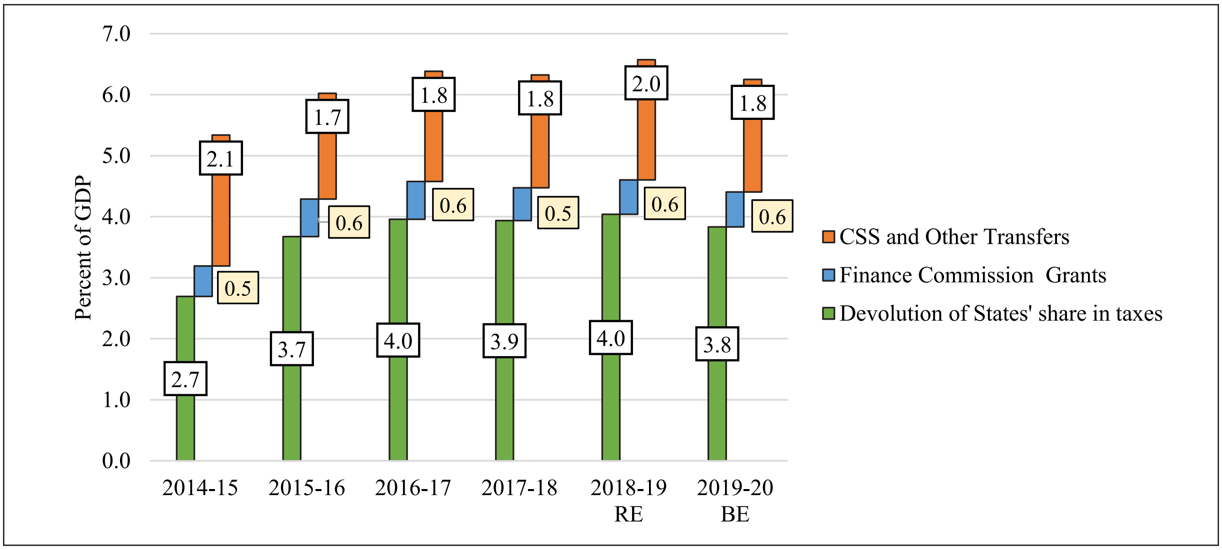

स्रोत: संघीय बजट दस्तावेज

बीई: बजट अनुमान, आर.ई.: संशोधित अनुमान

नोट: ये केवल 29 राज्यों के आंकड़े हैं।

आवश्यकताओं की मद पर वर्ष 2018-19 आई के सापेक्ष राज्यों के अपेक्षित अनुदान और ऋण में 73,963 करोड़ की वृद्धि होगी।

वर्ष 2019-20 बीई की तुलना में वर्ष 2019-20 (नवंबर 2019 तक) में राजकोषीय परिणाम

2.21 वर्ष 2019-20 की पहली छमाही के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में सुस्त संवृद्धि दर्ज की गई। सरकार द्वारा वित्त-वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए उपायों की एक श्रृंखला शुरू की गई थी, जिनसे अर्थव्यवस्था के राजकोषीय प्रदर्शन पर काफी महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।

2.22 नियंत्रक एवं महालेखाकार द्वारा जारी अप्रैल से नवंबर 2019 का लेखा दर्शाता है कि नवंबर 2019 के अंत में सरकार का राजकोषीय घाटा पिछले वर्ष की संगत अवधि के समान ही बजट अनुमान का 114.8 प्रतिशत था। (तालिका) 6)

2.23 राजस्व प्राप्तियों में चालू वित्तीय वर्ष (अप्रैल-नवंबर 2019) में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अधिक वृद्धि हुई (चित्र 8)। गैर-कर राजस्व में महत्वपूर्ण वृद्धि, विशेष रूप से लाभांश और लाभ में, जो इसमें शामिल निवल कर राजस्व में निम्न वृद्धि की भरपाई करती है। आरबीआई से अंतरण के द्वारा लाभांश और लाभ में अप्रैल-नवंबर 2019 में पिछले वर्ष की संगत अवधि की तुलना मोटे तौर पर तीन गुणा वृद्धि हुई। अप्रैल-नवंबर 2019 के दौरान यह रु. 1.58 लाख करोड़ था जबकि गत वर्ष इसी अवधि के दौरान यह रु 0.55 लाख करोड़ था।

2.24 केन्द्र को प्राप्त निवल कर राजस्व में, जिसकी 2018-19 के अंतिम आंकड़ों (पी ए) की तुलना में

तालिका 6: 2019-20 (नवंबर 2019 तक) राजकोषीय परिवर्तन

		2019-20 बजट अनुमान (रु. लाख करोड़ में)	अप्रैल से नवंबर					
			रु. लाख करोड़ में		संबंधित बजट अनुमान का प्रतिशत		पिछली वर्ष की तुलना में वृद्धि	
			2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20
1	राजस्व प्राप्तियां	19.63	8.70	9.83	50.4	50.1	8.1	13.0
2	सकल कर राजस्व	24.61	11.65	11.74	51.3	47.7	7.1	0.8
3	राज्यों के अयिहस्तांकन	8.09	4.32	4.22	54.8	52.1	12.1	-2.3
4	कर राजस्व (केंद्र को निवल)	16.50	7.32	7.51	49.4	45.5	4.6	2.6
5	गैर-कर राजस्व	3.13	1.39	2.33	56.6	74.3	31.4	67.8
6	ऋण रहित पूंजीगत प्राप्तियां	1.20	0.26	0.29	28.5	24.2	-57.5	10.4
7	ऋण रहित प्राप्तियां	20.83	8.97	10.12	49.3	48.6	3.4	12.9
8	कुल व्यय	27.86	16.13	18.20	66.1	65.3	9.1	12.8
9	राजस्व व्यय	24.48	14.22	16.06	66.4	65.6	9.8	13.0
10	पूंजीगत व्यय	3.39	1.91	2.14	63.7	63.2	4.0	11.7
11	राजस्व घाटा	4.85	5.51	6.23	132.6	128.4	12.6	13.0
12	प्रभावी राजस्व	2.78	4.17	4.94	188.8	177.8	15.3	18.5
13	राजकोषीय घाटा	7.04	7.17	8.08	114.8	114.8	17.1	12.7
14	प्रारंभिक घाटा	0.43	3.68	4.66	759.9	1076.5	21.9	26.5

स्त्रोत: सीजीए का मासिक लेखा: बी ई: बजट अनुमान

चित्र 8: 2019-20 (नवंबर तक) में राजकोषीय संकेतकों की वृद्धि का प्रतिशत

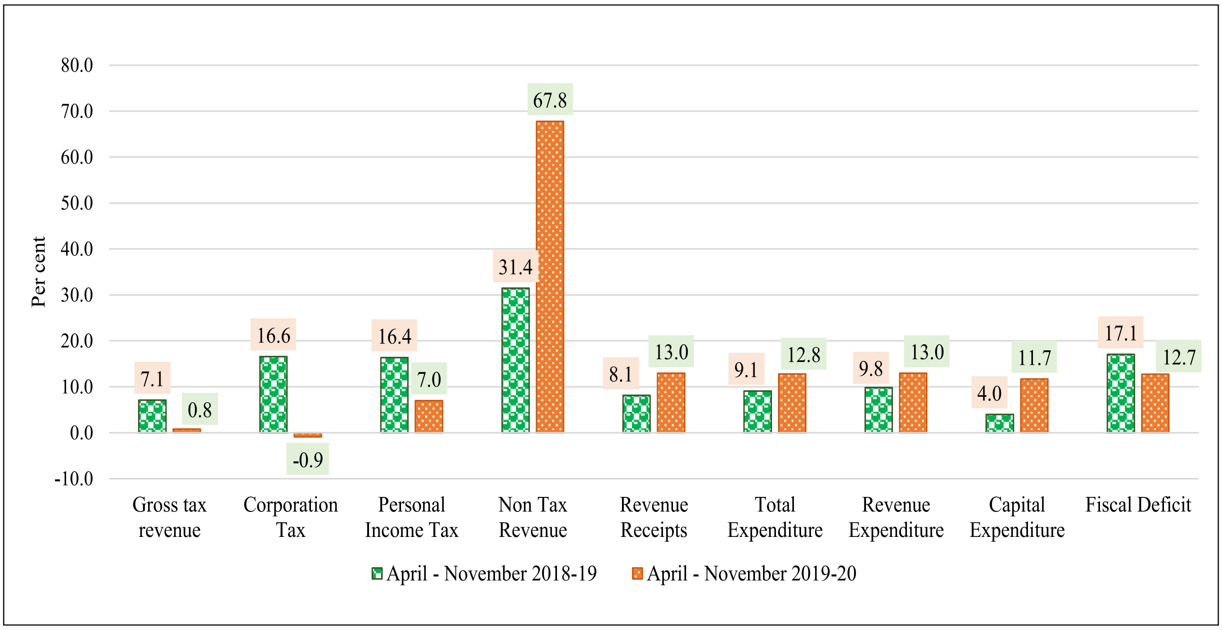

स्रोत: सीजीए मासिक लेखा

2019-20 बजट अनुमानों में 25 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने की परिकल्पना की गई थी। अप्रैल-नवंबर 2019 के दौरान वृद्धि 2.6 प्रतिशत रही जो पिछले वर्ष की इस संगत अवधि की लगभग आधी थी। वर्ष 2019-20 के पहले 8 महीनों के दौरान 2018-19 के इन्ही महीनों में जीटीआर के 7.1 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 0.8 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। प्रत्यक्ष करों के अन्तर्गत व्यक्तिगत आय कर में 7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि कॉर्पोरेट कर में चालू वित्त वर्ष के पहले आठ महीनों के दौरान नकारात्मक गिरावट दर्ज की गई। यह इन करों की पिछले वर्ष के इन्हीं महीनों के दौरान हुई वृद्धि (चित्र 8) क्रमशः 16.4 प्रतिशत एवं 16.6 प्रतिशत की तुलना में खराब स्थिति है। हाल ही में सरकार ने कॉर्पोरेट करों की दरों में बड़े परिवर्तन किए हैं जो बॉक्स 1 में दर्शाए गए हैं।

बॉक्स 1: कॉर्पोरेट कराधान में प्रमुख सुधार

20 दिसंबर, 2019 को सरकार ने घरेलू कंपनियों पर लागू कॉर्पोरेट आयकर (सीआईटी) की दरों में बड़ी कटौती की घोषण ाा की। यह घोषणा कराधान विधियों, संशोधन अधिनियम, 2019 लागू होने के बाद की गई, जिसके अंतर्गत आयकर अधि नियम में दो नई धाराएं यानी, 115 अअ और 155 बअब जोड़ी गई। मौजूदा कंपनियों को, इस अधिनियम के अधीन कतिपय कटौती और प्राप्त की गई कतिपय छूटों को छोड़ देने तथा प्रतिशत की मौजूदा एमएमआर के स्थान पर 25.17 प्रतिशत के, अधिकार एवं उपकर समेत, एक अधिकतम उपांतिक दर (एमएमआर) वाली नवीन सीआईटी दर संरचना अपनाने का विकल्प प्रदान किया गया है। विनिर्माण क्षेत्र को ताकत देने के लिए, दिनांक 01.10.2019 को या उसके बाद पंजीकृत नई विनिर्माण कंपनियों को 17.16 प्रतिशत की एमएमआर वाली सीआईसी दर का विकल्प चुनने की चुनने की सुविधा प्रदान की गई है। यह नई सीआईटी दर संरचना चालू वित्त वर्ष यानी, 20/ 19-20 से ही उपलब्ध होगी। तथापि, विदेशी कंपनियों पर लागू सीआईटी पर व्यवस्था अपर्विर्तित रहेगी। नीचे तालिका में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए घरेलू कंपनियों पर लागू मौजूदा और नई सीआईटी संरचना का एक समग्र अवलोकन दिया गया है।

तालिका- वित्तवर्ष 2019-20 के लिए घरेलू कम्पनियों के संबंध में कार्पोरेट आयकर की मौजूदा और नई दरों की तुलना

	मौजूदा दर		नई दर	
	कसौटी	दर	कसौटी	दर
आधारिक सीआईटी दर	यदि वित्त वर्ष 2017-18 में कुल टर्नओवर या सकल प्राप्ति 400 करोड़ रु. से अधिक न हो।	25%	(क) यदि कोई कंपनी धारा 115 बअअ* का विकल्प चुनती है।	22%
	यदि दिनांक 01.3.2016 को या उसके बाद स्थापित विनिर्माण कंपनी धारा 115 बअ का विकल्प चुनती है।		(ख) यदि दिनांक 01.10.2019 को या उसके बाद स्थापित विनिर्माण कंपनी धारा 115 बअब** का विकल्प चुनती है और दिनांक 31.03.2023 को या उसके पूर्व विनिर्माण कार्य प्रारंभ करती है।	15%
	यदि (क) या (ख) के अंतर्गत नहीं है	30%	यदि (क) या (ख) के अंतर्गत नहीं है।	पुरानी दर संरचना लागू
एमएटी दर	समस्त कंपनियां	18.5%	यदि (क) या (ख) के शामिल हो	15%
			यदि (क) या (ख) के अंतर्गत हो शून्य	शून्य
अधिकर दर	यदि कुल आय 1 करोड़ रु. से अधिक न हो	0%	समस्त कंपनियां	10%
	यदि कुल आय 1 करोड़ रु. से अधिक किंतु 10 करोड़ रु. से अधिक हो	7%		
	यदि कुल आय 10 करोड़ रु. से अधिक हो	12%		
उप कर	समस्त कंपनियां	4%	समस्त कंपनियां	4%

* धारा 115 ब.अअ. के अंतर्गत कंपनियों में शामिल हैं: वे घरेलू कंपनियों को नवीन सीआईटी दर का विकल्प चुनती हैं और निम्न शर्तें पूरी करती है:

* धारा 10 अअ; 32(प) (पपअ) या 32 अद या 33 अब या 33 अबअ अथवा 32(2अअ) (1)(पप)/(पपअ)/(पपप) या 35 अद या 35 ससस या 35 सद अथवा धारा 80 जजअअ के अतिरिक्त अध्याय अप अ के किसी प्रावधान के अंतर्गत कोई छूट नहीं ली जाती है।

* उपर्युक्त किसी छूट के कारण आगे ले जाई गई/वर्तमान हानि या मूल्य ह्रास का दावा नहीं किया गया हो।

* केवल धारा 32(1) (पप अ) के अंतर्गत अतिरिक्त मूल्य ह्रास से भिन्न मूल्य ह्रास का ही दावा किया गया हो।

** धारा 115ब-अब के अंतर्गत कंपनियां: अक्टूबर 1, 2019 को या उसके बाद से स्थापित/पूंजीकृत कंपनियों जो नया निवेश ला रही हो और जिनमें मार्च 31, 2023 से पूर्व उत्पादन प्रारंभ हो जाए तथा उपर्युक्त शर्तों के साथ-साथ कुछ शर्तें भी पूरी कर रही हों।

सुधारों का तर्काधार

विश्व भर में अनेक देशों ने निवेश आकर्षित करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सीआईटी दरों को कम किया है। अन्य देशों, विशेषकर एशियाई विकासशील देशों द्वारा जो निवेश को आकर्षित करने के लिए भारत से स्पर्धा करते हैं, द्वारा सीआईटी घटाने के कारण भारत को भी इस कर की दरें घटानी पड़ी हैं। आशा की जा रही है कि इससे देश में निवेश एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी तथा संवृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा। भारत की घटी हुई सीआईटी दरो की आसियान देशों की दरों से तुलना (विशेषकर नई विनिर्माण कंपनियों के लिए) निम्न चित्र में दिखाई गई है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि अब भारत की सीआईटी दरें अधिकांश आसियान देशों से कम हो गई है। कार्पोरेट कर में कटौती की उत्प्रेरणा के अर्थव्यवस्था में गुणक

प्रभाव होनी की अपेक्षा है। भावी निवेश न केवल नए रोज़गार बल्कि अधिक आय का भी सृजन करेंगे। अत: मध्यम से दीर्घ अवधि में कर संग्रह में भी वृद्धि की आशा है।

आसियान देशों में कॉर्पोरेट कर दर

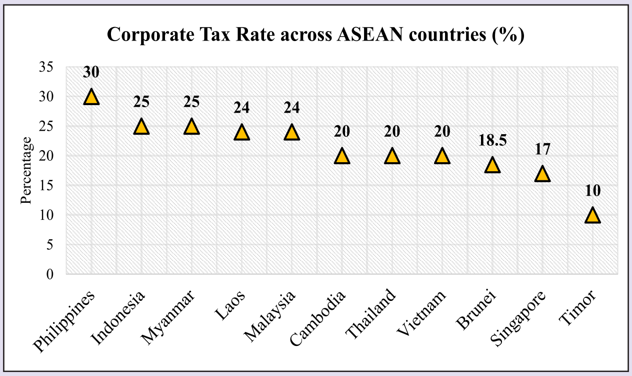

कौन लाभान्वित होगा?

वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु कॉरपोरेटों के आयकर विवरणी आंकड़ों (ITR) के आधार पर, कर नीति अनुसंधान एकक (TPRU) द्वारा किए गए सर्वेक्षण में बताया गया है कि अधिकतर कंपनियों (99.1%) का सकल कारोबार (टर्नओवर) 400 करोड़ रु. से कम है (जैसे लघु और मध्यम कंपनियां) और उन पर पहले ही 25% की CIT दर पर कर लगाया जाता है। अधिभार और उपकर सहित उनका MMR 26% से 29.12% तक परिवर्तनशील है। दूसरी ओर, केवल 0.9% कंपनियों अर्थात 4698 कंपनियों का सकल कारोबार 400 करोड़ रु. अधिक है (जैसे बड़ी कंपनियों) और उनका MMR 30.9% से 34.61% तक परिवर्तनशील है। अत: CIT दर में कमी का प्रभाव, लघु/मध्यम कंपनियों हेतु मौजूदा कर देयता में लगभग 3.2% से 13.5% एवंम बड़ी कंपनियों हेतु मौजूदा कर देयता को लगभग 18.5% से 27.3% लाभ परिवर्तनशील है।

स्रोत: राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय

2.25 इस राजकोषीय वर्ष के पहले आठ महीनों में अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियों में -0.9 प्रतिशत की प्रगति दर्ज की गई है। अप्रैल से नवंबर, 2019 में केन्द्र और राज्यों को मिलाकर सकल GST संग्रहण ₹ 8.05 लाख करोड़ था जो पिछले वर्ष उसी अवधि के संग्रहण सें 3.7 प्रतिशत अधिक है। समान अवधि में, केन्द्र के बड़ा संग्रहण में पिछले वर्ष की उसी अवधि से 4.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

2.26 विशेष रूप से 2019-2020 के दौरान अब तक, GST दरों के युक्तिकरण के बावजूद, मासिक सकल GST संग्रहण, लगातार नवंबर, 2019 और दिसंबर, 2019 महीनों सहित कुल पांच बार एक लाख करोड़ रु. की सीमा पार कर गया है। GST राजस्व संग्रहण पर GST दर युक्तिकरण का विश्लेषण बॉक्स 2 में देखा जा सकता है। बड़ा संग्रहण में वृद्धि का कारण सरकार द्वारा कर अनुपालन और कर राजस्व संग्रहण में सुधार हेतु किए गए ठोस उपाय है। इनमें व्यापारिक प्रक्रियाओं का व्यापक स्वचालन, ई-वे बिल प्रणाली लागू करना, अनुपालन सत्यापन पर लक्षित कार्रवाई, जोखिम मूल्यांकन पर आधारित प्रवर्तन और प्रस्तावित इलैक्ट्रॉनिक इनवॉइस प्रणाली लागू करना शामिल हैं। GST में सुधारों का ब्यौरा अनुलग्नक 1 में देखा जा सकता है। GST अनुपालन में वृद्धि हेतु किए गए सुधारों में, GSTN ने करदाताओं द्वारा स्वैच्छिक अनुपालन को प्रेरित करने के लिए व्यवहारिक मापदंडों को सम्मिलित करने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। इनमें से कुछ बॉक्स 3 में देखे जा सकते हैं।

बॉक्स 2: जीएसटी राजस्व संग्रहण और जीएसटी युक्तिकरण का सदिश स्वप्रतीपगमन विश्लेषण

चर (वेरिएबल) और डेटा

चर: जीडीपी, जीएसटी संग्रहण और जीएसटी युक्तिकरण।

चर विवरण: जीएसटी, युक्तिकरण 28 प्रतिशत श्रेणी में वस्तुओं की संख्या है चूंकि यही वह श्रेणी है जिसमें विगत जीएसटी परिषद की बैठकों में काफी बदलाव देखे गए हैं। जीएसटी संग्रहण में सीजीएसटी, एसजीएसटी और जीएसटी से राजस्व शामिल है।

डाटा: जीएसटी संग्रहण के लिए डाटा जीएसटीएन से है, सीबीआईसी से युक्तिकरण, और सीएसओ, एमओएसपीआई से जीडीपी डाटा लिया गया है। जीएसटी युक्तिकरण और जीएसटी संग्रहण हेतु डाटा मासिक आधार पर उपलब्ध है जबकि जीडीपी डेटा त्रैमासिक अंतर पर उपलब्ध है। जीडीपी हेतु मासिक डाटा को अंतर्वेशित किया है ताकि इस डाटा की अन्य डाटा श्रृंखला से तुलना की जा सके।

कार्यप्रणाली

सदिश स्वप्रतीपगमन विश्लेषण (वीएआर) मॉडल का उपयोग करते हुए हमने जीएसटी संग्रहण पर बड़ा दरों में परिवर्तन के झटके के प्रभाव का विश्लेषण किया। हमने एआईसी मानदंड़ का उपयोग करते हुए अपने विश्लेषण हेतु दो अंतरालों का चयन किया और वीएआर मॉडल का अनुमान लगाया। मॉडल के अनुमान के पश्चात्, हमने जीएसटी पर जीएसटी दरों के आघात के प्रभाव को देखने के लिए मानक आवेग प्रतिक्रिया का उपयोग किया। वीएआर मॉडल से प्राप्त आईआरएफ ग्राफ1 में नीचे दिए गए हैं।

निष्कर्ष

यह देखा गया है कि जीएसटी युक्तिकरण चर (अर्थात् जीएसटी के तहत वस्तुओं की संख्या में वृद्धि करना) को सकारात्मक आघात परिणामस्वरूप पहले कुछ महीनों में, विशेषरूप से आघात के बाद एक से तीन महीने तक, जीएसटी संग्रहण में तेजी आती है और उसके बाद कम होने लगती है।

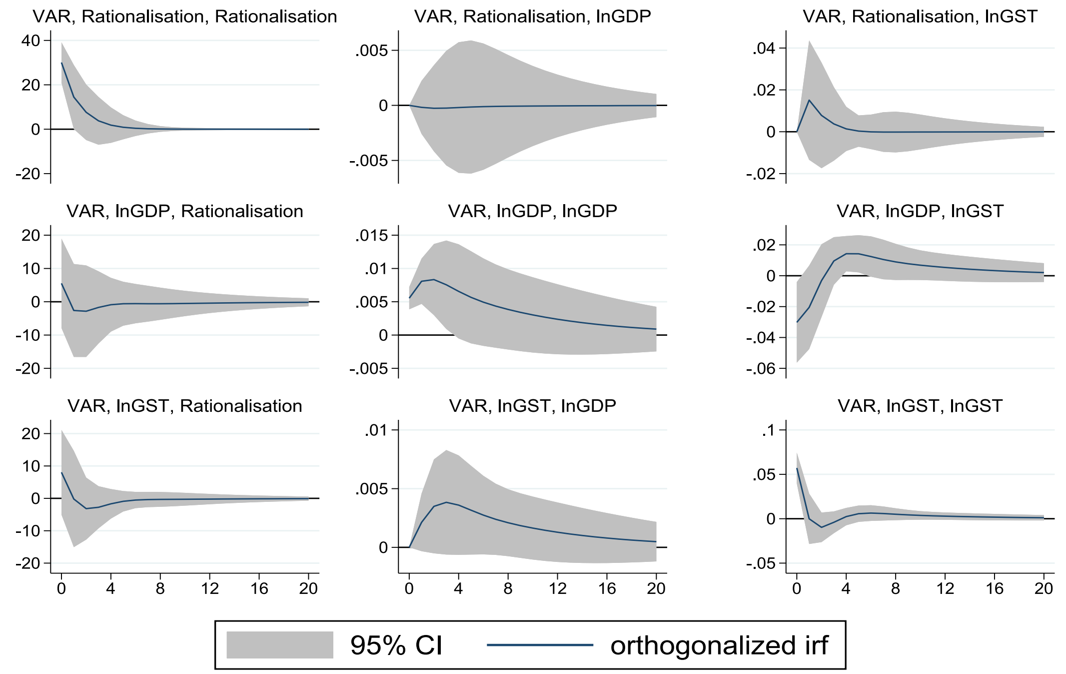

Graphs by IRF Name, impulse variable, and response variable

स्रोत: सर्वेक्षण परिकलन, सीएसओ, एमओएसपीआई, सीबीआईसी,जीएसटीएन

बॉक्स 3: स्वैच्छिक अनुपालन बढ़ाने के लिए जीएसटीएन द्वारा व्यवहार के मापदंडों का उपयोग

सरकार द्वारा जीएसटी कर प्रणाली को आसान बनाने के लिए किए गए विभिन्न उपायों में से जीएसटीएन द्वारा स्वैच्छिक अनुपालन का वातावरण बनाने के लिए की गई अनेक पहले करदाता व्यवहार प्राचलो को शामिल करने वाले कारकों पर आधारित हैं जैसे निवारण, सामाजिक और वैयक्तिक नियम विकसित करना, जटिलता कम करना और निष्पक्षता और विश्वास बढ़ाना। इनमे से कुछ की नीचे चर्चा की गई है:

- **ई-वे बिल**

जीएसटी नियमों में कुछ शुरूआती मूल्य से अधिक मूल्य की वस्तुओं के परिवहन के लिए ई-वे बिल को इलैक्ट्रॉनिक रूप में बनाने का प्रावधान है। ई-वे बिल पोर्टल के डेटा की तुलना जीएसटी पोर्टल के डेटा से करने के परिणामस्वरूप भौतिक चलन वाली वस्तुओं की आपूर्ति का सत्यापन हो जाता है। यह गलत सूचना रिपोर्टिंग के निवारण द्वारा रोक के प्रभावी साधन के रूप में कार्य करता है।

- **ई-वे बिल प्रणाली में पिन कोड से पिन कोड तक दूरी का मानचित्रण करना**

ई-वे बिल पोर्टल में मूल और गंतव्य स्थान के पिन कोड को शामिल करने से दूरी की किसी अधिक रिपोर्टिंग का निवारण होता है जिसके कारण अनेक यात्राओं के लिए ई-वे बिल का गलत उपयोग हो सकता है। यह प्रौद्योगिकी आधारित समाधान करदाताओं द्वारा गलत रिपोर्टिंग पर रोक लगाता है और कर प्रवंचना को रोकने में मदद करता है।

- **जीएसटी पोर्टल पर पब्लिक डोमेन में दिखाई देने वाले जीएसटीईएन की विवरणी दाखित करने की स्थिति**

जीएसटीआईएन की विवरणी दाखित करने की स्थिति पर सार्वजनिक रूप से उपलब्धा सूचना क्रेताओं को कारोबार करने के लिए अनुपालन करने वाले करदाताओं को चुनने में मदद करती है और समयबद्ध आईटीसी का लाभ लेने की संभाव्यता में वृद्धि द्वारा व्यवसाय जोखिम को कम करती है। सरकार की यह पहल सामाजिक और बाजार दबाव के माध्यम से एक बेहतर अनुपालना वातावरण को बढ़ावा देती है।

- **जीएसटीआर- 2क और जीएसटीआर-3ख; तथा जीएसटीआर-/जीएसआरआर-3ख में एक न्यूनतम सीमा से अधिक के असंतुलन के विरूद्ध चेतावनी**

जीएसटी विवरण भरते समय कर देयता जीएसटीआर-1 (इनवॉइस स्तर विवरण) और जीएसटीआर-3ख (सार) दोनों में घोषित की जाती है, और ITC की घोषणा जीएसटीआर-3ख (सार) में की जानी है और साथ ही जीएसटीआर-2क (जीएसटीआर-1 के माध्यम से) में भी स्वत: भरी जाती है। यदि जीएसटीआर-3ख में घोषित देयता जीएसटीआर-1 से अधिक है, इस विसंगति की तुलना में आपूर्तिकर्ता के जीएसटी डैशबोर्ड पर दिखाई देती है ताकि करदाता इसे सही करे और आगे मुकदमें बाजी से बच सके। करदाताओं को महीने-वार आधार पर यह सूचना उपलब्ध कराने; और डेटा में असंतुलन के बारे में एसएमएस भेजकर उन्हें समय पर सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करती है, यदि ऐसा अपेक्षित है।

मासिक विवरणी की अंतिम तारीख (प्रत्येक महीने की 10, 13, और 15 तारीख) और विवरणी दाखिल नहीं करने का स्मरण कराने के लिए एसएमएस।

जीएसटीआर-3ख सार विवरणी भरने की अंतिम तारीख के लिए फर्मों के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ताओं को और यदि अंतिम तारीख छूट गई है तो फर्म प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं और निदेशकों/भागीदारों दोनों को बार-बार स्मरण एसएमएस भेजे जाते हैं ताकि आंतरिक संगठनात्मक दबाव बनाते हुए करदाताओं द्वारा समयबद्ध विवरणी दाखिल करने के व्यवहार को अपनाने को बढ़ावा दिया जा सके और इस प्रकार उनके वैयक्तिक नियमों को बनाया जा सके।

- **छोटे करदाताओं को नि:शुल्क लेखांकन एवं बिलिंग सॉफ्टवेयर प्रदान करना।**

प्रौद्योगिकी साधित जीएसटी व्यवस्था में अनुपालन आसान करने के लिए, सरकार ने छोटे कारोबारियों के लिए लेखांकन एवं बिलिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से इनवॉइस तैयार करने, जीएसटी विवरणी, आयकर विवरणी, तुलनपत्र और लाभ व हानि विवरण तैयार करने के लिए नि:शुल्क सेवाएं उपलब्ध कराई हैं, जिसमें मार्च 2019 में सभी जीएसटी करदाताओं का 80% से अधिक शामिल है।

- **प्रश्नावली आधारित विवरणी भरना और संगत तालिकाएं दिखाना विवरणी की जटिलता कम** करने और प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, जीएसटी पोर्टल प्रश्नावली आधारित विवरणी फाइलिंग प्रणाली अपनाता है जहां करदाता द्वारा दिए प्रश्नावली में गए उत्तर के आधार पर केवल संगत तालिकाएं ही भरने के लिए डैशबोर्ड पर दिखाई देंगी। इस सरलीकरण से करदाताओं द्वारा अनुपालन व्यवहार में वृद्धि होगी।

- **पब्लिक डोमेन में उपलब्ध करदाताओं का अनुपालना अनुक्रमांक**

रेटिंग स्कोर जीएसटी अधिनियम में प्रत्येक पंजीकृत जीएसटी करदाता की अनुपालन रेटिंग स्कोर के सार्वजनिक प्रदर्शन का प्रावधान है जो जीएसटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन के उसके रिकॉर्ड पर आधारित होता हैं यह क्रेताओं को कारोबार करने के लिए अनुपालन करने वाले करदाताओं को चुनने में मदद करता है चूंकि उनका समयबद्ध आईटीसी दावा विक्रेता द्वारा जीएसटी विवरणी समयबद्ध दाखिल करने पर निर्भर होता है। निम्न अनुपालना अनुक्रमांक से संभावी व्यवसाय की हानि करदाताओं को अपनी अनुपालना बढ़ाने को प्रेरित करेगी। इसके साथ-साथ इस सूचना का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन पारदर्शिता को बढ़ाएगा और परिणामस्वरूप कर प्रशासन में कारोबार में विश्वास को बढ़ाएगा तथा दीर्घकाल में अच्छे अनुपालन के सामाजिक नियम विकसित करेगा।

- **समयबद्ध अनुपालना हेतु करदाताओं को धन्यवाद देना**

सरकार द्वारा अच्छे अनुपालन रिकॉर्ड वाले जीएसटी करदाताओं को सकारात्मक स्वीकृति संदेश भेजने की पहल का उद्देश्य उनके अच्छे अनुपालन व्यवहार को बनाए रखना एवं उन्हें प्रोत्साहित करना है।

स्रोत: वस्तु एवं सेवाकर नेटवर्क (जीएसटीएन)

2.27 गैर ऋणपूंजी प्राप्तियों में ऋण और विनिवेश प्राप्तियों की वसूली शामिल है। सरकार का लक्ष्य विनिवेश प्राप्तियों से 1.05 लाख करोड़ रु. जुटाने का है। अब तक वह 0.18 लाख करोड़ रु. जुटा पाई है जो 2019-20 के बजट आकलन का 17.2 प्रतिशत है। वर्ष 2019-20 के दौरान विनिवेश का विवरण और निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) द्वारा शुरु की जा रही नई पहल बॉक्स 4 में दी गई हैं।

बॉक्स 4: विनिवेश

वर्ष 2019-20 हेतु विनिवेश प्राप्तियों का बजट अनुमान 1.05 लाख करोड़ निर्धारित किया गया था। 31 दिसंबर 2019 को सरकार ने विभिन्न लेख-पत्रों जैसे प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (IPO), बिक्री के लिए प्रस्ताव (OFS), एक्सचेंज पर कारोबार कोष (ETF) आदि का उपयोग करते हुए 0.18 लाख करोड़ रु. जुटाए हैं। विवरण निम्नलिखित है:

शेयरों को सूचीबद्ध करना (IPO): वर्ष 2019-20 के दौरान, दो IPO नामशः भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) और रेल विकास लि. (RVNL) सफलतापवूर्क सूचीबद्ध किए गए जिनमें क्रमश: 636 करोड़ रु. और 475.89 करोड़ रु. प्राप्त हुए, जबकि पांच और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSE) नामत: भारतीय रेल वित्त निगम (IRFC), कुदेरमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड (KIOCL) (FPO), रेलटेल, जल एवं विद्युत परामर्श सेवाएं (APCOS) तथा टेलीकम्यूनिकेशंस कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड (TCIL) को सूचीबद्ध करने का प्रक्रिया चल रही है।

बिक्री के लिए प्रस्ताव (OFS): वर्ष 2019-20 के दौरान, राइट्स का OFS पूरा कर लिया है जिसमें 729.45 करोड़ रु. प्राप्त हुए।

ETF : वर्तमान वर्ष के दौरान ETF प्राप्तियों के सबसे बड़े साधान थे जहां क्रमश: जुलाई 2019 और अक्टूबर 2019 में CPSE-ETF का फर्थर फंड ऑफर-5 (FFO) जिसमें 10,000.39 करोड़ रु. प्राप्त हुए और भारत 22 FTF से ₹4368.80 करोड़ प्राप्त किए (कुल मिला कर ETF से 31.12.2019 तक 14.369.19 करोड़ ₹ प्राप्त हुए हैं।

अन्य: शत्रु संपत्ति के संरक्षक द्वारा शत्रु शेयरों की बिक्री-1,881.21 करोड़ रु.

DIPAM द्वारा शुरू की गई मुख्य पहलें

1. यौक्तिक विनिवेश:

CCEA ने सार्वजनिक क्षेत्र के पांच उपक्रमों में प्रबंधन नियंत्रण सहित भारत सरकार की शेयरधारिता के यौक्तिक विनिवेश के लिए सैद्धांतिक मंजूरी (20.11.2019) को दे दी गई है। ये है: भारत पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लि. (BPCL)य शिपिंग कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SCI); कंटेनर कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CONCOR); टिहरी हाइड्रोपॉवर डेवलपमेंट कोपोरेशन (THDCIL); और नोर्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पॉवर कोर्पोरेशन लि. (NEEPCO). THDC, NEEPCO और BPCL की नुमालीगढ़ अनुषंगी की यौक्तिक बिक्री किसी CPSE खरीदार को जाएगी। सीसीईए द्वारा 8 जनवरी 2020 को भारत सरकार के शेयरधारी नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (NINL) को यौक्तिक विनिवेश की मंजूरी दे दी गई है इसके साथ अब कुल 34 CPSE/CPSSE की अनुशंगी/इकाईयों, (एयर इंडिया सहित) में भारत सरकार द्वारा यौक्तिक विनिवेशन की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है।

सरकार ने पिछले दो वर्षों में 5 CPSE नामश: हिंदुस्तान पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL), रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कोर्पोरेशन लिमिटेट (REC), ड्रेजिंग कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (DCIL), हॉस्पीटल सर्विसेज कंसल्टेंसी कोर्पोरेशन लिमिटेड (HSCC) और नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कोर्पोरेशन लिमिटेड (NPCC) में यौक्तिक रूप से अपना हिस्सा बेच दिया है जिसमें 52,869 करोड़ रु. प्राप्त हुए हैं। वर्तमान वर्ष में चुनिंदा CPSE में यौक्तिक विनिवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

यौक्तिक विनिवेश की प्रक्रिया सुचारू बनाना: इस यौक्तिक विनिवेश की प्रक्रिया को और अधिक तीव्र और परिणामोन्मुख बनाने के लिए, CCEA ने यौक्तिक विनिवेश हेतु एक संशोधित प्रक्रिया को मंजूरी दी है जिसके अध्यक्ष, क्प्चड के सचिव होंगे और वे संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव की सह-अध्यक्षता में अंतर मंत्रालय समूह प्रक्रिया को चलाएंगे और पूरी प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका निभाएंगे।

2. प्रबंधन नियंत्रण रखते हुए चुनिंदा CPSE में शेयरधारिता 51% से कम करना: 2019-20 के बजट भाषण में सरकार ने सरकार नियंत्रित संस्थानों में अपने हिस्से सहित 51% हिस्से को बनाए रखने के लिए मौजूदा 51% सरकारी हिस्सेदारी को बनाए रखने की नीति में संशोधन के निर्णय की घोषणा की थी। तदनुसार CCEA ने चुनिंदा CPSE में भारत सरकार के शेयरों को प्रदत्त पूंजी को 51% से कम करने की सैद्धांतिक मंजूरी (20.11.2019) दे दी है जबकि प्रबंधन नियंत्रण अपने पास रखा जाएगा, ऐसी कोई कमी करने के बाद सरकारी शेयरधारिता और सरकार द्वारा नियंत्रित संस्थानों की शेयरधारिता को ध्यान में रखा जाएगा। इस नीतिगत निर्णय से अल्प हिस्सेदारी की बिक्री के माध्यम से विनिवेश के आकार में वृद्धि होगी।

3. परिसंपत्ति मुद्रीकरण ढांचा: केन्द्रीय मंत्रीमंडल ने फरवरी 2019 में CPSE/PSU/ अन्य सरकारी संगठनों और अचल शत्रु संपत्तियों की परिसंपत्ति के मुद्रीकरण हेतु प्रक्रिया और प्रणाली को मंजूरी दे दी है। शत्रु संपत्ति के संरक्षक (CEPI), गृह मंत्रालय के संरक्षण के अधीन अचल शत्रु संपत्ति के तहत CPSE की चुनिंदा अचल संपत्ति का मुद्रीकरण होगा। यह ढांचा अन्य CPSE/PSU/ अन्य सरकारी संगठनों और घाटे में चल रही/बीमार CPSE की संपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए भी उपलबध है।

4. ऋण ETF: आर्थिक मामले की मंत्रिमंडल समिति (CCEA) ने भारत के पहले कोर्पोरेट ऋण विनियम कारोबार निधि (ऋण ETF) को तैयार किया और शुरू किया है जो के केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के क्षेत्रों (CPSE), केन्द्रीय सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों (CPFI) और अन्य सरकारी संगठनों के लिए वित्तपोषण हेतु एक अतिरिक्त स्रोत तैयार करेगा और भारतीय कोर्पोरेट बॉण्ड मार्केट में खुदरा भागीदारी में वृद्धि करेगा।

भारत बॉण्ड की शुरूआत 12 दिसंबर, 2019 को की गई जिसे विभिन्न खंडों के निवेशकों से जोरदार स्वागत मिला और यह 1.7 गुणा अधिक भरा गया। इसने बॉण्ड मार्केट में खुदरा निवेशकों की पहुंच की एक नई खिड़की उपलब्ध कराई है। नियंत्रित निर्गमों सहित भारत बॉण्ड ईटीएफ भारत में बॉण्ड बाजार को मजबूत बनाने में मदद करेगा और एक निर्धारित समय के लिए CPSE हेतु एक प्राप्ति वक्र विकसित करेगा।

स्रोत: निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधा विभाग (डीआईपीएएम)

2.28 व्यय के पक्ष में अप्रैल से नवंबर (2019-20) के दौरान पूंजीगत व्यय, 2018-19 में समान अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय की तुलना में लगभग तीन गुणा बढ़ा है। साथ ही 2019-20 के इन आठ महीनों के दौरान पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में राजस्व व्यय उच्च दर सहित बढ़ा है। अप्रैल से नवंबर 2018-19 की तुलना में इस अवधि के दौरान यूरिया और पेट्रोलियम सब्सिडी पर व्यय में वृद्धि अधिक रही है। (तालिक 7 का संदर्भ लें)।

तालिका 7: मुख्य सब्सिडी पर व्यय

मद	बजट आकलन (लाख करोड़ रु. में)	अप्रैल से नवंबर (लाख करोड़ रु. में)		
	2019-20	2017	2018	2019
सकल मुख्य सब्सिडी	3.02	2.06	2.19	2.35
खाद्य सब्सिडी	1.84	1.35	1.42	1.32
पोषक आधारित उर्वरक सब्सिड़ी	0.26	0.18	0.20	0.22
यूरिया सब्सिडी	0.54	0.32	0.33	0.51
पेट्रोलियम सब्सिडी	0.37	0.21	0.23	0.30

स्रोतः सीजीए मासिक लेखा

2.29 उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर एक शंका उठती है कि 2019-20 बजट आकलन में परिकल्पित लक्ष्य की तुलना में चालू राजकोषीय वर्ष हेतु कर राजस्व मंद रहेगा। निम्न कर प्राप्तियों के कारण अंतराल की कुछ हद तक 2019-20 के गैर-कर राजस्व और विनिवेश प्राप्तियों के अधिक संचालन द्वारा प्रतिपूर्ति की जा सकती है। तथापि, गैर-कर राजस्व में उच्च वृद्धि को वर्ष दर वर्ष बनाए रखना कठिन है। गैर-कर राजस्व और विनिवेश से प्राप्तियों की अनिश्चतता, राजस्व लक्ष्य में अस्थिरता पैदा करती है।

2.30 अतः मध्यम अवधि राजकोषीय नीति विवरण द्वारा रेखांकित राजकोषीय मार्ग के साथ सामंजस्य बनाए रखने के लिए व्यय को युक्तिसंगत बनाना अनिवार्य है। हालांकि, राजकोषीय वर्ष की प्रथम छमाही में सूचित निजी उपभोग व्यय में सुस्त मांग और गिरावट को देखते हुए व्यय में, विशेषकर पूंजीगत व्यय में, कोई कमी करने के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव होंगे। इसके अलावा चूंकि राजस्व व्यय, जैसे ब्याज भुगतान, वेतन एवं मेहनताना तथा पेंशन, का महत्वपूर्ण भाग प्रतिबद्ध व्यय के रूप में है जिसमें छेड़छाड़ के लिए मामूली राजकोषीय गुंजाइश है। इसलिए, सरकार का ध्यान अन्य गैर-प्रतिबद्ध राजस्व व्यय, जैसे सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाने पर होना चाहिए। इसके साथ ही घरेलू मांग में तेजी लाने के लिए, जो विकास के पुनरुत्थान के लिए महत्वपूर्ण है, चालू वित्तीय वर्ष हेतु राजकोषीय घाटे के लक्ष्य में शिथिलता लानी पड़ेगी ताकि अर्थव्यवस्था में आवश्यक वृद्धि को बल मिल सके।

केन्द्रीय सरकार ऋण

2.31 केन्द्रीय सरकार की कुल देयताओं में भारत की समेकित निधि पर अनुबंधित ऋण, जो तकनीकी रूप से लोक ऋण कहलाता है, के साथ-साथ लोक लेखा की देयताएं शामिल हैं। इन देयताओं में[1] चालू विनिमय दर पर बाह्य ऋण (वित्तीय वर्ष के अंत में) शामिल है और इसमें से राज्यों द्वारा NSSF की धनराशि उधारी तक और NSSF से सार्वजनिक एजेंसियों में निवेश शामिल नहीं है, जो केन्द्रीय सरकार के घाटे का वित्तपोषण नहीं करता है। मार्च 2019 के अंत में केन्द्रीय सरकार की कुल देयताएं 84.7 लाख करोड़ रु. रही और इनमें से 90% लोक ऋण था (तालिका 8 का संदर्भ ले)।

2.32 चित्र 9 में केन्द्रीय सरकार की कुल देयताओं को GDP के अनुपात के रूप में लगातार गिरते हुए दिखाया

[1] सरकारी ऋण पर स्टेटस पेपर के अनुसार

तालिका 8 : केन्द्रीय सरकार की ऋण स्थिति (लाख करोड़ में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (पी)
क. लोक ऋण स्थिति (क1 +क2)	40.97	46.15	51.05	57.11	61.50	68.84	75.79
क1. आंतरिक ऋण (क+ख)	37.65	42.41	47.38	53.05	57.42	64.01	70.66
(i) बिक्री योग्य प्रति भूतियां	33.61	38.54	43.09	47.28	50.49	55.10	59.68
(ii) गैर बिक्री योग्य प्रति भूतियां	4.04	3.87	4.29	5.77	6.93	8.91	10.98
क 2. बाहय ऋण	3.32	3.74	3.66	4.07	4.08	4.83	5.13
ख. लोक ऋण - अन्य देयताएं	6.10	7.23	7.62	8.16	8.57	9.15	8.89
ग. कुल देयताएं (क+ख)	47.07	53.39	58.66	65.27	70.07	77.99	84.68

स्त्रोत: दिसंबद 2018 हेतु लोक ऋण पर सरकारी ऋण और तिमाही रिपोर्ट पर स्टेटस पेपर के विभिन्न मामले पी: अनंतिम * वित्त मंत्रालय के सहायता, लेखा एवं लेखापरीक्षा प्रभाग से मौजूदा विनिमय दरों पर बाहय ऋण।

गया है। विशेष रूप से FRBM अधिनियम, 2003 के लागू होने के पश्चात। यह राजकोषीय समेकन प्रयासों के साथ-साथ अपेक्षाकृत उच्च GDP विकास दोनों का परिणाम है। (चित्र 10)

चित्र 9: केन्द्र के ऋण - GDP अनुपात में रुझान

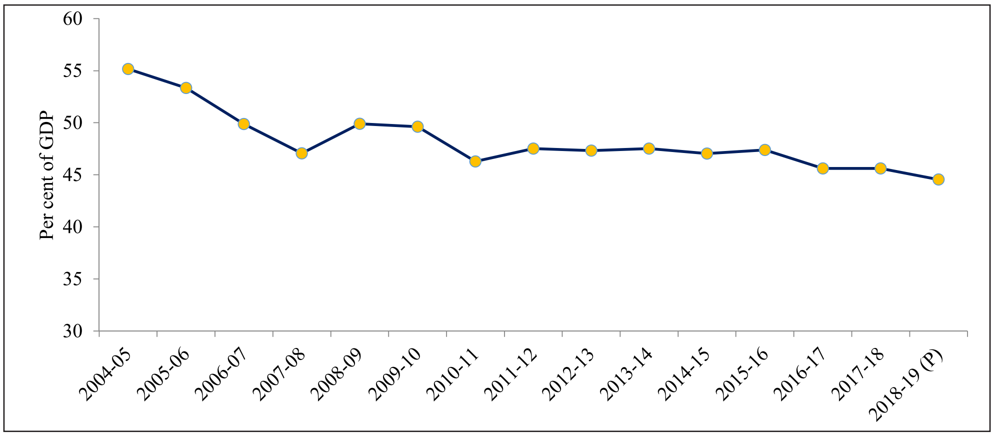

स्त्रोत: सरकारी ऋण पर स्टेटस पेपर के विभिन्न मामले

चित्र 10: GDP संवृद्धि और बकाया देयताओं में वृद्धि

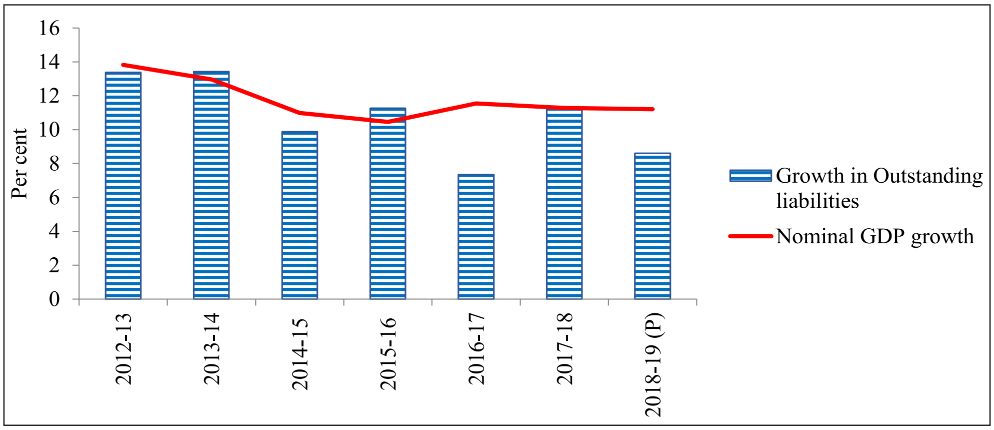

स्रोत: सरकारी ऋण पर विभिन्न स्थिति पत्रक; पी=अनंतिम

2.33 केन्द्रीय सरकार ऋण कम मुद्रा और ब्याज दर जोखिम के कारण विशिष्ट बना हुआ है। इसका कारण ऋण निवेश सूची में बाह्य ऋण का कम अंश और उसका आधिकारिक उधार स्रोतों से होना है। इसके अलावा, अधिकतर लोक ऋण नियत ब्याज दर पर अनुबंधित है जो भारतीय ऋण पूंजी को ब्याज दर की अनियतता से अलग रखता है। इसके परिणामस्वरूप ब्याज भुगतान की शर्तों में बजट को निश्चितता और स्थिरता मिलती है।

2.34 अन्य मुख्य विशेषता केन्द्रीय सरकार के ऋण की परिपक्वता अवधि विन्यास का क्रमिक विकास है जिससे पुनर्निर्धारण जोखिम में कमी आती है। (चित्र 11 देखें) पांच वर्ष से कम अवधि में परिपक्वता प्राप्त करने वाली दिनांकित प्रतिभूतियों के अनुपात में हाल के वर्षों में निरंतर गिरावट देखी गई है। भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की भारित औसत परिपक्वता में मार्च 2010 के अंत में 9.7 से मार्च 2019 के अंत में 10.4 वर्ष तक वृद्धि हुई है।

चित्र 11: केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों बकाया परिपक्वता अवधि संरचना

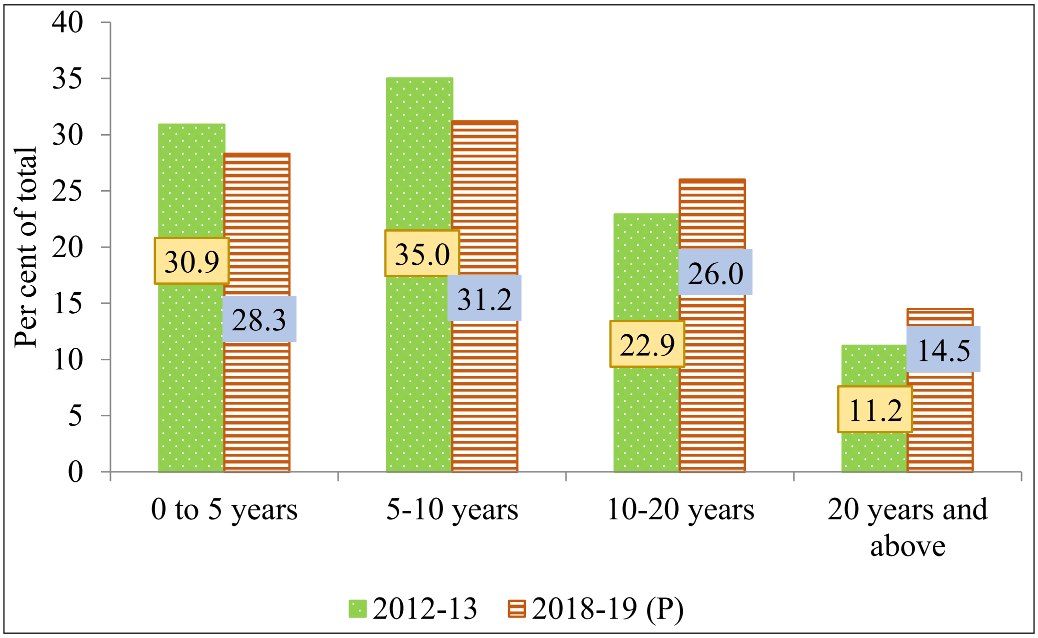

स्रोत: सरकारी ऋण का अवस्था पत्र, 2017-18; अप्रैल मार्च 2018-19 की लोक ऋण प्रबंधन पर तैमासिक रिपोर्ट

P: अनंतिम

राज्य वित्त

2.35 राज्य सरकारों के 2019-20 के बजट आकलन के अनुसार राज्यों का स्व-कर राजस्व और गैर-कर राजस्व के क्रमशः 11.1 प्रतिशत और 9.9 प्रतिशत से बढ़ने की संभावना है, जो 2018-19 बजट आकलन के प्रदर्शित भारी वृद्धि की तुलना में कम है। 2018-19 संशोधित आकलन के संबंध में कुल व्यय में 8.4 प्रतिशत की परिकल्पित वृद्धि का काफी हद तक कारण राजस्व व्यय में 9.4 प्रतिशत की वृद्धि की संभावना है। (तालिका 9 देखें)। राजस्व व्यय में बढ़ते रूझान का कारण पेंशन और ब्याज सहित प्रतिबद्ध व्यय में वृद्धि है। यह कोई अच्छा संकेत नहीं है। वास्तव में, राज्य वित्त पर RBI का अध्ययन, पिछले चार से पांच वर्षों में राज्यों के राजकोषीय समेकन का श्रेय व्यय में तेजी से गिरावट (मुख्यतः पूंजीगत) को देता है जिसके संघीय स्तर पर लोगों के जीवन पर बड़े कल्याणकारी प्रभावों को देखते हुए आर्थिक विकास की गति एवं गुणवत्ता के लिए प्रतिकूल निहितार्थ हो सकते हैं।

2.36 अतः राज्य राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के पथ चलते रहे हैं और उन्होंने अपने राजकोषीय घाटे को एफआरबीएम अधिनियम द्वारा नियत लक्ष्यों के अनुरूप रखा है। वर्ष 2019-20 में राज्यों ने जीडीपी के 2.6 प्रतिशत के समान सकल राजकोषीय घाटे का बजट बनाया है-जबकि 2018-19 का संशोधित अनुमान 2.9 प्रतिशत रहा है (2018-19 में अनंतिम अनुमान 2.4 प्रतिशत था) हां 2017-18 का संशोधित अनुमान 2.4 प्रतिशत ही था। पिछले वर्षों में राज्यों के राजकोषीय घाटे की वित्तीयन रचना में भी बदलाव आए हैं। बाजार से उधार को अंश 2015-16 के 61.6 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 73.7 प्रतिशत हो गया। इसके 2019-20 के बजट अनुमानों के अनुसार 87.9 प्रतिशत तक पहुंचने की आशा है।

2.37 दूसरी ओर राज्यों के ऋण-जीडीपी अनुपात में 2014-15 से निरंतर वृद्धि हो रही है। इसके कारण रहे

तालिका 9: राज्यों के राजकोषीय सूचक*

मद	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 RE	2019-20 BE
						(लाख करोड़ रु. में)
स्व कर राजस्व	7.8	8.5	9.1	10.9	12.3	13.6
	(9.4)	(8.7)	(7.8)	(19.6)	(12.4)	(11.1)
स्व गैर-कर राजस्व	1.4	1.5	1.7	1.8	2.2	2.4
	(8.4)	(6.95)	(10.3)	(4.7)	(24.4)	(9.9)
बजट आकलन	16.4	18.4	20.9	23.0	28.3	30.9
	(18.7)	(12.3)	(13.5)	(10.2)	(22.9)	(9.4)
पूंजीगत व्यय	3.0	4.2	5.1	4.3	5.9	6.1
	(23.3)	(40.5)	(20.4)	(-16.6)	(38.1)	(3.7)
कुल व्यय	19.4	22.6	26.0	27.3	34.2	37.0
	(19.4)	(16.7)	(14.8)	(5.0)	(25.3)	(8.4)

स्त्रोत: आरबीआई राज्य वित्त: बजट और केन्द्रीय बजट दस्तावेजों का अध्ययन,
RE: संशोधित आकलन BE बजट अनुमान्य कोष्ठक में संख्या वृद्धि दर है,
राज्यों में केवल 29 राज्य शामिल हैं।

चित्र 12: राज्यों की राजस्व प्राप्तियां #

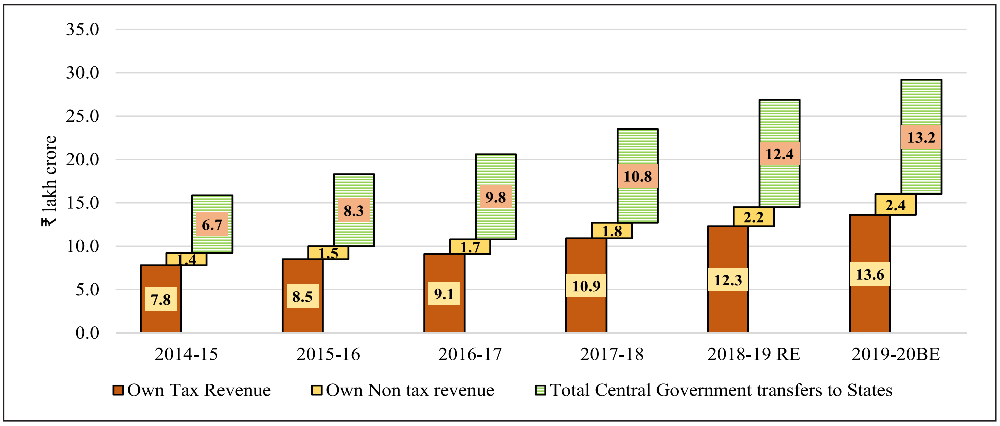

स्त्रोत:- आरबीआई राज्य वित्त: बजट और केन्द्रीय बजट दस्तावेजों का अध्ययन,
RE: संशोधित आकलन BE बजट आकलन
राज्यों में केवल 29 राज्य शामिल हैं।

हैं 2015-16 और 2016-17 में जारी उदय बांड, कृषि ऋणों की माफी और वेतन आयोग अनुशंसाएं लागू करना। (चित्र 13) राज्यों का ऋण जीडीपी अनुपात 2019-20 में 25 प्रतिशत बने रहने का अनुमान है। स्पष्टत: ऋण की धारणीयता को बनाए रखना राज्यों के लिए एक बड़ी मध्यावधि चुनौती बना हुआ है।

2.38 राज्यों के लिए 2019-20 में ऋण लेने की निवल सीमा ₹ 6,11,186 करोड़ रखी गई है और प्रत्येक राज्य को राजकोषीय घाटा चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा

चित्र-13: राज्यों के ऋण सूचक और मुख्य घाटे

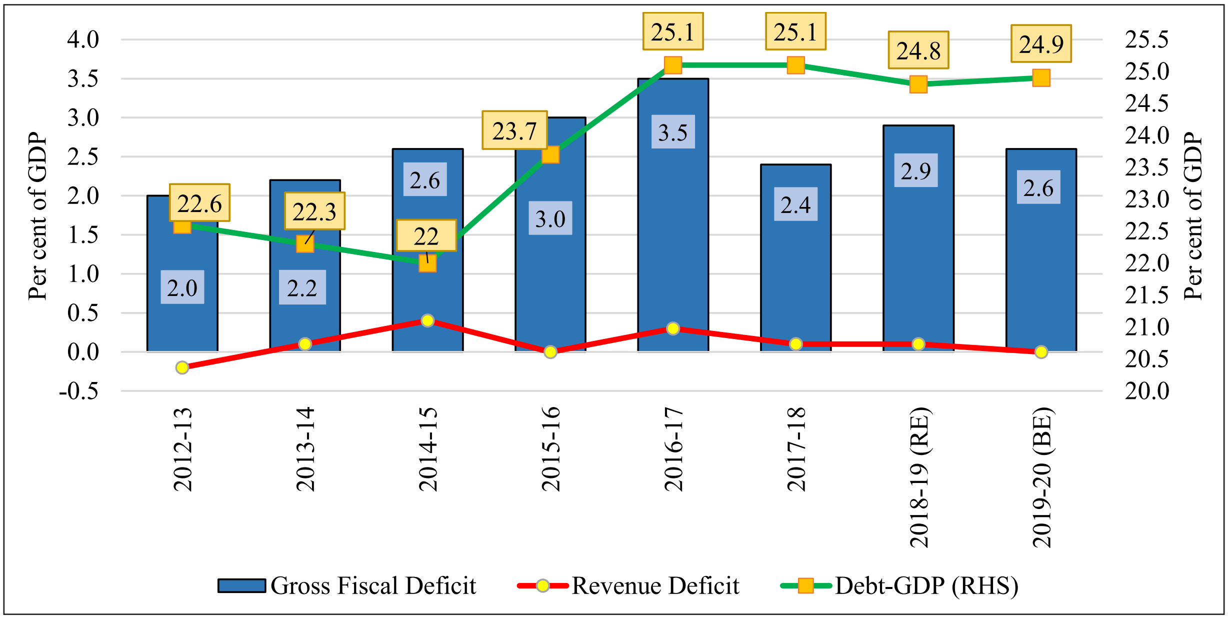

स्त्रोत:- आरबीआई राज्य वित्त: बजट और केन्द्रीय बजट दस्तावेजों का अध्ययन,
RE: संशोधित आकलन BE बजट आकलन
राज्यों में 29 राज्य एवं 2 केन्द्र शासित प्रदेश शामिल हैं।

के अनुसार, अपना राज्य जीडीपी के 3 प्रतिशत तक सीमित रखना है। (अनुशंसा अवधि 2015-20)। केन्द्र सरकार ने उक्त वित्त आयोग के सुझाव पर 2016-17 से 2019-20 के बीच राज्यों को वर्षानुसार उक्त 3 प्रतिशत की सीमा से ऊपर 0.5 प्रतिशत तक की नम्यता रखी है ताकि राज्य का ऋण जीडीपी का अनुपात 25 प्रतिशत ही बना रह सके और ऋण भुगतान एवं सकल राजस्व प्राप्ति पिछले वर्ष के लिए 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो जाए। हां, यदि जिस वर्ष ऋण सीमा नियत की जाती है उसमें एवं उससे एक दम पिछले वर्ष में कोई राजस्व घाटा नहीं हो तो ऐसे राज्य को अतिरिक्त राजकोषीय घाटे में कुछ और नम्यता मिल सकती है। इन शर्तों को पूरा करने के बाद सात राज्यों को 2016-17 में ₹12264 करोड़, 2017-18 में नौ राज्यों को ₹12873 करोड़ तथा 10 पात्र को 2018-19 में ₹12664 करोड़ तक तथा वर्ष 2019-20 में (4 नवंबर तक) 4 पात्र राज्यों को ₹4214 करोड़ वित्त आयोग अंशसित नम्यता प्रदान की गई है।

सामान्य राजकीय वित्त

2.39 समस्त राजकीय स्तर पर वित्तीय अवस्था को समझने के लिए सामान्य राजकीय वित्त का विश्लेषण बहुत आवश्यक है। सामान्य सरकार (केन्द्र तथा राज्य) से राजकोषीय सुदृढ़ता के पथ पर अग्रसर रहने की आशा की जाती है क्योंकि इस सामान्य स्तर पर राजकोषीय

चित्र-14: केन्द्रीय सरकार के ऋण और घाटे की प्रवृत्तियां
(जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)

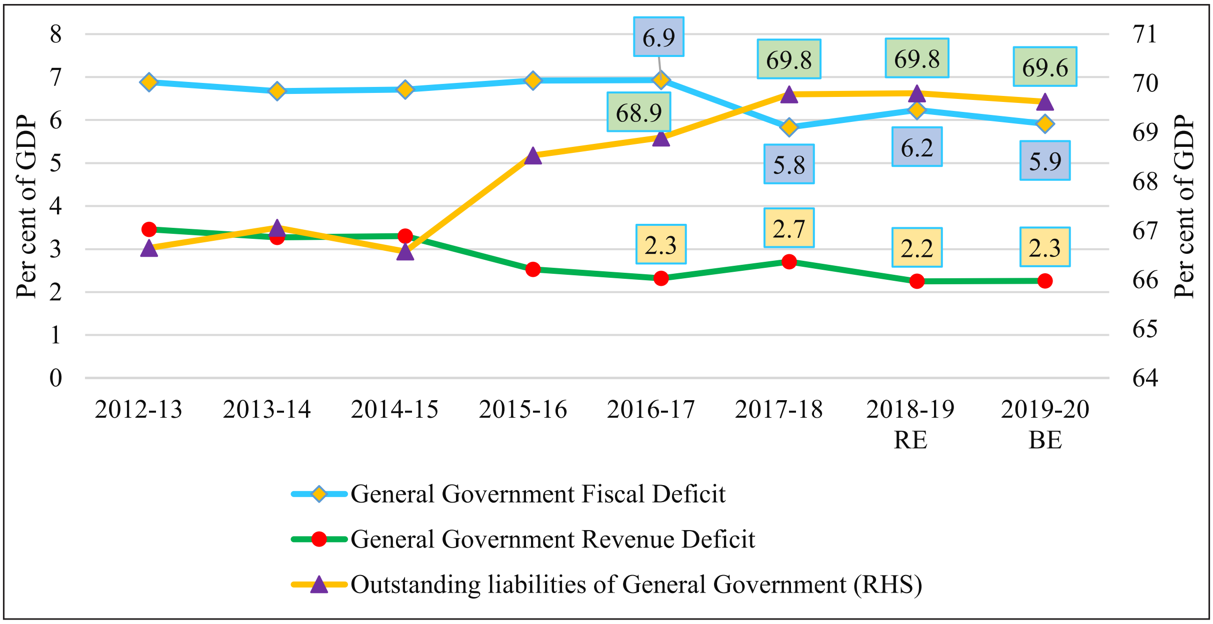

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

BE: बजट अनुभाग RE संशोधित अनुमान

घाटे के 2018-19 संशोधित अनुमान के जीडीपी के 6.2 प्रतिशत से घटकर 2019-20 के बजट में 5.9 प्रतिशत पर आ जाने का अनुमान लगाया गया है। (चित्र-14)। जबकि, केन्द्र एवं राज्यों की सम्मिलित देयताएं मार्च, 2016 के अंत में जीडीपी 68.5 प्रतिशत की अपेक्षा मार्च, 2019 में बढ़कर 69.8 प्रतिशत पर पहुंच चुकी है।

भावी परिदृश्य

2.40 वर्ष 2020-21 राजकोषीय मोर्चे पर चुनौतियां लेकर आने वाला है। जहां एक और वैश्विक पटल पर संवृद्धि में नरमी बनी रहेगी, व्यापार संबंधों में तनाव भी जोखिम का कारण बन रहे हैं। दूसरी ओर संवृद्धि के पुनर्उत्थान की गति भी राजस्व संकलन पर प्रभाव डालने वाली है।

2.41 शिथिल मांग एवं उपभोक्ता की भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रतिचक्रीय राजकोषीय नीति को अपनी कर राजकोषीय गुंजाइशें बढ़ानी पड़ सकती है। वर्ष 2019-20 के पहले 8 महीनों में अप्रत्यक्ष कर संग्रह प्रायः स्थिर रहा है। अतः केंद्र और राज्यों, दोनों के राजस्व में उत्प्लवन के लिए जीएसटी से प्राप्ति में उछाल आवश्यक होगा। व्यय के पटल पर सब्सिडियों, विशेषकर खाद्य सब्सिडी को युक्तियुक्त बनाना राजकोषीय क्रियाओं के लिए गुंजाइश पैदा करने में सहायक हो सकता है। सूचना है कि 15वें वित्त आयोग ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट दे दी है और कर अंतरण पर इसकी सिफारिशों के केंद्रीय सरकार के वित्त के लिए गंभीर निहितार्थ हो सकते हैं।

2.42 और अंत में, पश्चिम एशिया में बन रहे राजनीतिक घटनाक्रम का तेल की कीमतों एवं परिणामतः पेट्रोलियम सब्सिडी पर गंभीर प्रभाव हो सकता है। देश के चालू खाते पर घाटे पर तो इसका प्रभाव होगा ही।

अध्याय एक नजर में

- वर्ष 2019-20 के प्रथम आठ महीनों के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में राजस्व की प्राप्ति में अधिक वृद्धि हुई है जिसमें गैर-राजस्व प्राप्ति की वृद्धि का बड़ा योगदान रहा है।
- 2019-20 के दौरान (दिसम्बर, 2019 तक) कुल पांच बार सकल मासिक जीएसटी संग्रहण एक लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।
- चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कर के क्षेत्र में जो संरचनात्मक सुधार किए गए हैं उनमें कारपोरेट टैक्स की दर में परिवर्तन करने और जीएसटी के क्रियान्वयन को सरल बनाए जाने के लिए किए गए उपाय भी शामिल हैं।
- राज्य राजकोषीय मजबूती की राह पर चलते रहे हैं और राजकोषीय घाटे को उस लक्ष्य के भीतर ही रखा गया है जो कि एफ आर बी एम एक्ट के द्वारा निर्धारित किया गया है।
- सामान्य सरकारें (केंद्र तथा राज्य) वित्तीय मजबूती की राह पर चल रही हैं।
- आगे बढ़ते हुये, अर्थ-व्यवस्था को उभारने कि दृष्टि से सरकार की तात्कालिक प्राथमिकता पर विचार कराते हुए, वित्तीय घाटे के लक्ष्य में थोड़ी ढील दी जा सकती है ताकि संवृद्धि को आवश्यक प्रोत्साहन मिल सके।

अनुलग्नक I

2019-20 के दौरान अप्रत्यक्ष कर के लिए किए गए प्रमुख उपाय

क. आधारभूत सीमाशुल्क (बी सी डी)

- विनिर्माण के लिए उद्योगों में प्रयोग किए जाने वाले आदानों/मध्यवर्ती उत्पादों (जैसे कि औद्योगिक रसायनों अयस्कों और सांद्रो, टेक्सटाइल्स फाइबर्स और यार्न, आदि) पर सामान्य रूप से शून्य/2.5%/5% 7.5% की दर से आधारभूत सीमाशुल्क लगाया जाता है। उपभोग के लिए अंतिम रूप से तैयार मदों पर उच्च दर से शुल्क लगाया जाता है, जैसे कि कागज, कागज उत्पाद, मार्बल पट्ट, ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रानिक वस्तुओं आदि पर।

- शुल्क संरचना में प्रतिगामी स्थितियों को दूर करने के लिए किए गए प्रयासों के अनुरूप, टेरीफ़ आयोग और औद्योगिक एवं अन्तर्देशीय व्यापार संवर्धन विभाग (डी पी आई आई टी) घरेलू उद्योगों के प्रतिलोमकारी/ नकारात्मक रूप से प्रभावशाली संरक्षण के मुद्दे पर विचार किया है। अधिकतर मामलों में टैरीफ़ आयोग ने किसी प्रतिलोमकारी स्थिति को नहीं पाया है। कुछ मामलों में उनके द्वारा की गयी सिफ़ारिश के अनुसार यथोचित सुधार किए गए थे। अब ज्यादातर बात यही कही जा रही है कि प्रतिलोमकारी स्थिति मुक्त व्यापार करार (एफ टी ए) और इ टी ए के कारण पैदा हो रही है।

- देश के विनिर्दिष्ट रक्षा उपकरणों के राजनैतिक हितों की सुरक्षा और उनके भागों को रक्षा मंत्रालय अथवा सशस्त्र सेना द्वारा आयात किया गया, उन्हें बजट 2019-20 में मूल कस्टम ड्यूटी से छूट प्रदान की गयी।

- सरकार के द्वारा शुरू किए गए 'मेक इन इंडिया' अभियान के अनुरूप और बराबरी का अवसर (लेवल प्लेईग फील्ड) सुलभ कराने, उपयोग क्षमता को और बेहतर बनाने तैयार आयात का विकल्प खोजने के लिए इलेक्ट्रिकल/ इलेक्ट्रॉनिक/टेलिकॉम उपकरणों और हार्डवेयर, पोलीविनाइल क्लोराइड, नायलान की विशिष्ट वस्तुओं एच डी पी ई और प्लास्टिक्स स्टेनलेस स्टील और अन्य अलाय स्टील और उनके अर्ध-निर्मित उत्पादों, कुछ आटोमोबाइल पार्ट्स, न्यूजप्रिंट, अंकोटेड पेपर्स, जो कि समाचार पत्रों की प्रिंटिंग में प्रयोग आते हैं, और लाइट वेट कोटेड पेपर्स, जिनके प्रयोग मंगजीन्स के मुद्रण में होता है, जैसी वस्तुओं पर सीमाशुल्क को बढ़ा दिया गया है। पाम स्टेयरिन और फैटी आयल्स को जो अंतिम उपभोग आधारित छूट दी गयी थी उसको वापस ले लिया गया है।

- आदान लागत को कम करने और/या शुल्क की प्रतिगामी स्थिति को दूर करने और इसके उलट इन क्षेत्रों के घरेलू मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहित करने के लिए, कुछ वस्तुओं, जैसे कि विद्युत वाहनों के विनिर्माण में प्रयोग आने वाले कुछ विशिष्ट पार्ट्स, नेफ्था, एथिलीन क्लोराइड (ई डी सी), प्रोपिलीन आक्साइड (पी ओ) और कृत्रिम किडनी के विनिर्माण में प्रयोग होने वाले कच्चे माल, डिस्पोज़ेबल स्टेरीलाइजड डायालाइजर और माइक्रो बैरियर, जो कि कृत्रिम किडनी में काम आते हैं, पर सीमाशुल्क को कम कर दिया गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएं, जैसे कि पोपुलेटेड पी सी बी ए, सेल्यूलर मोबाइल्स फोनों के कैमरा माड्युल्स, सेल्यूलर मोबाइल फोनों के चार्जर/अडॉप्टर, लीथियम आयन सैल्स, डिस्प्ले माड्यूल, सेट टॉप बाक्स और कम्पैक्ट कैमरा माड्यूल जैसे पूंजीगत माल पर बी सी डी से छूट दी गयी थी।

- निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ई आई लेदर पर निर्यात शुल्क को समाप्त कर दिया गया है और हाइड्स, स्किन्स और लेदर्स (टैंड और अनटैंड, सभी प्रकार के) पर निर्यात शुल्क को कम कर दिया गया है।

- इसके अलावा, राजस्व को बढ़ाने के प्रयास के एक हिस्से के रूप में, सोना, चांदी, प्लेटिनम, जैसी बहुमूल्य धातुओं, बहुमूल्य धातुओं की कतरन आदि (रेडियम को छोड़कर), गोल्ड एँड सिल्वर डोर, सोना/चांदी, जिसे किसी पात्र यात्री द्वारा लाया गया हो, पर सीमाशुल्क की दर में 2.5 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी कर दी गयी है (अर्थात 10% से बढ़ा कर 12.5 प्रतिशत कर दिया गया है)।

ख. वस्तु एवं सेवाकर (जी एस टी)

- जी एस टी के लागू किए जाने से भारत की अर्थ व्यवस्था में आमूल परिवर्तन आया है और इससे पहले की बहु-स्तरीय, जटिल कर संरचना की जगह अब एक सरल, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी संचालित कर व्यवस्था स्थापित हो गयी है। जी एस टी के लागू हो जाने से राज्यों के बीच परस्पर होने वाले व्यापार और वाणिज्य के सामने आनेवाली बाधाएं हट गयी हैं और भारत एक एकीकृत बाजार में बदल गया है। बहु स्तरीय कर व्यवस्था के समाप्त हो जाने से और संव्यवहार की लागत कम हो जाने से 'ईज़ आफ ड्इंग बीजनेस' बढ़ गया है और 'मेक इन इंडिया' को भी प्रोत्साहन मिला है।

- बहरहाल, जी एस टी को लागू किए जाने को लेकर कुछ आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा है। दरों की संख्या बहुत अधिक है, ढेर सारी वस्तुओं को बाहर रख दिया गया है और यह व्यवस्था जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा जटिल है विशेषकर आदान पर भुगतान किए गए कर की 'क्रेडिट' और निर्यातकों को रिफ़ंड करने को लेकर। सरकार ने इन सारी समस्याओं को अपने संज्ञान में लिया है और इनका नियमित आधार पर समाधान किया जा रहा है।

- अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में और आगे भी सुधार करने के लिए सरकार निम्नलिखित उपाय कर रही है:

I. एक पूर्णतया आटोमेटेड एकल स्रोत रिटर्न सिस्टम:

- माल एवं सेवा कर (जी एस टी) को लागू किए जाने के पीछे सरकार का इरादा यह था कि संव्यवहार के इनवाइस स्तरीय समाधान के लिए एक मजबूत व्यवस्था होनी चाहिए। यह बात जीएसटीआर.1. जीएसटीआर.2 और जीएसटीआर.3 के रिटर्न प्रपत्र में ही सोची गयी थी। हालांकि, कर दाताओं की सुविधा और राजस्व-हित को देखते हुये, जीएसटीआर.1 के साथ पठित फार्म जी एसटीआर 3 बी को लागू किया गया। सरकार का इरादा जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-2 और जीएसटीआर-3 के क्रम को लागू करके इनवाइस स्तरीय समस्या का समाधान करने के अपने प्रधान विचार को क्रियान्वित करना था।

- एक नयी रिटर्न प्रणाली, जिसे 01.04.2020 से लागू किए जाने का प्रस्ताव है, का उद्देश्य मैन्युअल प्रयासों को कम करना और उसके स्थान पर प्रौद्यौगिकी के ज्यादा से ज्यादा प्रयोग को बढ़ावा देना है। साथ ही साथ इसी प्रकार के वर्क-मॉडल को भी बनाए रखना है। इसका उद्देश्य एक एकल मुख्य रिटर्न (जीएसटीआर त्ग्ज्.1/2/3), जिसके साथ दो अनुबंध (जीएसटीआर एएनएक्स-1 और जीएसटीआर एनएक्स-2) भी होंगे, जो अलग-अलग सुविधाओं में कार्य करेंगे, को लाकर इस लक्ष्य को प्राप्त करना है।

II. प्रवर्ग जीएसटीआर आरएफएडी-01 : रिफंड की पूर्णतया इलैक्ट्रॉनिक प्रक्रिया और एकल वितरण:

- रिफंड की एक पूर्णतया इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया, जिसमें जमा किए जाने से लेकर प्रसंस्करण तक के सभी चरण की प्रक्रिया इलेक्ट्रानिक रूप से होगी, के लिए आवश्यक क्षमता 26.09.2019 से सभी सामान्य पोर्टल पर सुलभ करा दी गयी है।

- इसके अलावा विभिन्न कर शीर्षकों के अंतर्गत, विभिन्न कर प्राधिकारियों के द्वारा रिफ़ंड की राशि का अलग-अलग संवितरण किए जाने से, जैसे कि केंद्रीय कर अधिकारियों के द्वारा किए जाने वाले केन्द्रीय कर, एकीकृत कर और प्रतिपूर्ति-उपकर का संवितरण, राज्य के कर अधिकारियों के द्वारा किए जाने वाले राज्य कर के संवितरण, के कारण रिफंड के आवेदकों के सामने अनावश्यक कठिनाई आ रही थी। इस कार्य में रिफंड के आवेदकों को सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से अब सभी कर शीर्षकों के अंतर्गत स्वीकृत रिफंड आदेश और उससे संबंधित स्वीकृत रिफंड धन-राशि को अब केवल एक ही कर अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।

III. कैश-लेजर (नकद खाते) तर्कसंगत बनानाः

- जहां तक सिंगल कैश-लेजर की बात है, इस लेजर को इस ढंग से तर्कसंगत बनाया जा रहा है कि इसके पहले के 20 शीर्षो को अब मिलाकर 5 शीर्ष बनाए जा रहे हैं। इसे एक यूनिफ़ाइड कैश लेजर कहा जाएगा और जिसे 01.02.2020 से लागू किया जाएगा।

IV. कागजात पहचान संख्या (डाक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर) तैयार करना और उसको उल्लिखित करनाः

- सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तृत प्रयोग के माध्यम से अप्रत्यक्ष कर के क्षेत्र में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व लाने के सरकार के उद्देश्य को देखते हुए केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड ने दिनांक 08.11.2019 से एक डाक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर (DIN) जारी किया है जो अधिकारियों के द्वारा करदाताओं और सभी संबंधित व्यक्तियों को भेजे जाने वाले सभी संप्रेषणों पर लागू होगा। इस समय DIN केवल तलाशी लेने के अधिकार, सम्मन, गिरफ्तारी के ज्ञापन, निरीक्षण नोटिसों और उन पत्रों के मामलों में लागू होता है जिन्हें किसी जांच के दौरान जारी किया जाता है।

VI. सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना 2019

- यह योजना केन्द्रीय उत्पादशुल्क, सेवाकर और 26 अन्य अप्रत्यक्ष कर नियमों से संबंधित पिछले विवादों का एक बारगी समाधान करने के लिए है। इसके तहत अनुपालन न करने वाले कर-दाताओं को एक मौका दिया जाता है कि वे स्वेच्छा से अपने घोषणा कर दें। इस योजना के अंतर्गत आने वाले मामले है -(i) कारण बताओ नोटिस और या ऐसी अपील जो कारण बताओ नोटिस से पैदा हुई हो और 30 जून 2019 तक लंबित पड़ी हो, (ii) बकाया राशि, (iii) कोई जांच, पड़ताल या लेखा-परीक्षा जिसमें राशि की प्रमात्रा का निर्धारण 30 जून, 2019 को या उसके पहले किया जा चुका हो और (iv) कोई स्वैच्छिक घोषणा।

VI. इलेक्ट्रानिक इन्वाइसिंगः

* सरकार का विचार सभी B2B इन्वाइसेस के लिए एक इलेक्ट्रानिक इन्वोइसिंग सेस्टम (e-invoice) को चरणबद्ध ढंग से लागू करने का है। चरण 1 की प्रक्रिया स्वैच्छिक होगी और इसे जनवरी 2020 से लागू किया जाना है। इसके अलावा 01.04.2010 से ई-इन्वाइसिंग को उन लोगो के लिए अनिवार्य बना दिया जाएगा जिनका कुल वार्षिक कारोबार 100 करोड़ रूपये से अधिक का होता हो। इससे क्रेडिट का निर्बाध प्रवाह हो सकेगा और इन्वॉइस मैचिंग में भी सुविधा होगी, जैसा कि जी एस टी की व्यवस्था में परिकल्पना की गयी है। इससे GSTN सिस्टम पर रीयल-टाइम डाटा का अद्यतन हो सकेगा और रिटर्न को भरे जाने में लगने वाले समय में भी बहुत कमी आएगी।

VII. क्विक रेस्पोंस (क्यूआर) कोड

- सरकार का विचार 01.04.2020 उन कर दाताओं के लिए सभी बी 2 सी इन्वॉइसेस के लिए डायनामिक क्यूआर कोड वाले एक इन्वॉइस सिस्टम को लागू करने का है जिनका कुल वार्षिक कोराबार 500 करोड़ रूपये से ज्यादा होता हो। इसके अलावा इसको सहज रूप से लागू किए जाने के लिए करदाताओं के पास यह विकल्प होगा कि वे 01.03.2020 से स्वैच्छिक रूप से क्यूआर कोड वाले इन्वॉइस जारी कर सकते हैं।

VIII. छोटे-मोटे करदाताओं के लिए वार्षिक रिटर्न भरने से छूटः

सरकार ने उन छोटे-मोटे करदाताओं को 2017-18 ओर 2018-19 की अवधि के लिए फॉर्मेट जीसटीआर 9 में अपना वार्षिक रिटर्न भरने से छूट दे रखी है जिनका कुल वार्षिक कारोबार 2 करोड़ रूपये या इससे कम हो। ऐसा अधिसूचना से 47/2019-सीटी, दिनांक 09.10.2019 को जारी करके किया गया है जिसमें यह प्रावधान है कि यदि इन करदाताओं ने निर्धारित तारीख तक अपना वार्षिक रिटर्न नहीं भरा है तो यह माना जाएगा कि उन्होंने उस निधारित तारीख तक अपना रिटर्न भर दिया है।

IX. वस्तुओं की दरों से संबंधित परिवर्तन:

* वर्ष 2019 के दौरान जीएसटी की दरों में इसलिए परिवर्तन किया गया है कि जीएसटी की दर संरचना को सरल बनाया जा सके, निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके, क्रेडिट के संचयन की समस्या का समाधान किया जा सके और पिछली अवधि के विवादों का समाधान भी किया जा सके। इसका ब्यौरा निम्नलिखित है:

(क) वस्तुओं की आपूर्ति पर जीएसटी की दर में कटौती:

i- सभी विद्युत चालित वाहनों पर 12% से 5%

ii. विद्युत चालित वाहनों के चार्जर या चार्जिंग स्टेशन पर 18% से 5%

iii. स्लाइड फास्टेनर्स के पार्ट्स पर 18% से 12%

iv. मैरीन फ्यूल 0.5% (एफ ओ) 18% से 5%

v. वेट ग्राइन्डर्स (जिसमें पत्थर का ग्राइन्डर लगा हो) पर 12% से 5%

vi. सूखी इमली पर और पत्तियों/फूलों/छाल से बने प्लेट्स और कप्स पर 5% से शून्य

vii. कटाई और पॉलिस सेमी-प्रशियस स्टोन के बाद पर 3% से 0.25%

viii. हाइड्रोकार्बन एकसप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी (एचईएलपी) के अंतर्गत किये गये पेट्रोलियम परिचालनों के लिए विनिर्दिष्ट माल पर लागू दर से 5% तक

(ख) निम्नलिखित पर जीएसटी/आईजीएसटी से छूट:

i. देश में निर्मित न किये जाने वाले विनिर्दिष्ट रक्षा माल के आयात पर (2024)

ii. भारत में अन्डर-17 महिला फुटबाल विश्वकप को आयोजित करने के लिए फीफा एवं अन्य विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की माल एवं सेवाओं की आपूर्ति

iii. भारत में विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के लिए खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) को माल एवं सेवाओं की आपूर्ति

(ग) जीएसटी दर में निम्नलिखित पर वृद्धि की जा चुकी है:

i. माल पर 5 प्रतिशत से 12 प्रतिशत टैरिफ के अध्याय 86 के अंतर्गत आने वाले जैसे रेलवे वैगन, रेल डिब्बे, रेल के डिब्बे और इंजन (संचित आईटीसी के रिफण्ड के बिना) यह इन वस्तुओं के आपूर्तिकर्ताओं के साथ आईटीसी संचयन की समस्या से निपटने हेतु किया गया है।

ii कैफीनयुक्त पेय पर यह 28% + 12% क्षतिपूर्ति उपकर स्थान पर किया गया है।

(घ) निर्यात संवर्धन हेतु उपाय

i. जीएसटी/आईजीएसटी में छूट:

(क) विनिर्दिष्ट नामांकित एजेंसियों द्वारा चांदी/प्लेटिनम के आयात पर

(ख) आभूषण के निर्यात पर निर्यातकों से विनिर्दिष्ट नामांकित एजेंसियों द्वारा चांदी/प्लेटिनम की आपूर्ति पर।

ii. सोना/चांदी/प्लेटिनम के आयातों पर आईजीएसटी छूट हेतु पात्र नामांकित एजेंसियों की सूची में डायमंड इंडिया लि. का समावेशन ताकि आभूषण निर्यातकों को शून्य जीएसटी पर आपूर्ति की जा सके।

(ङ) निर्दिष्ट अवधि हेतु कतिपय मामलों में जीएसटी छूट:-

i. 01.07.2017 से 30.09.2019 की अवधि के लिए 'फिशमील' पर छूट दी गई। व्याख्यात्मक मुद्दों के मद्देनजर फिशमील पर कर लगाने से संबंधित कुछ संदेह थे। तथापि, इस अवधि के दौरान संचित किसी भी कर को जमा कराना आवश्यक होगा।

ii. पुल्ली, पहियों एवं अन्य पुर्जों (शीर्ष 8483 के अंतर्गत आने वाले) एवं कृषि उपकरण के पुर्जों के रूप में

प्रयोग होने वाले पुर्जों पर 01.07.2017 से 31.12.2018 की अवधि के दौरान 12 प्रतिशत जीएसटी लगाई गई।

* ऑटो या ऑटो पार्ट्स पर जीएसटी दर संरचना पर पिछले कुछ महीनों में काफी चर्चा और बहस हुई है। जीएसटी राजस्व में ऑटो सेक्टर का महत्वपूर्ण योगदान है। अतः ऑटोमोबाइल और पुर्जों पर लगने वाली जीएसटी दर में किसी भी परिवर्तन का राजस्व एवं क्षतिपूर्ति आवश्यकताओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। ऑटो सेक्टर पर लगने वाली जीएसटी दरों पर जीएसटी परिषद में काफी चर्चा हुई है। परिषद ने किसी भी परिवर्तन की अनुशंसा नहीं की है। यह महसूस किया गया था कि अस्थायी ऑटो मंदी कई कारणों के फलस्वरूप हो सकती है, जैसे कि क्रेडिट की कमी, आधार प्रभाव (पिछले कुछ वर्षों में ऑटो सेक्अर में तेजी से विकास हुआ है और संरचनागत परिवर्तन जैसे अप्रैल, 2020 से नए ईंधन मानकों बीएस-IV को अपनाना आदि।

X सेवाओं की दरों के संबंध में परिवर्तन

- सेवाओं पर जीएसटी दरों को 4 स्लैब में रखा गया है अर्थात 5%, 12%, 18% एवं 28% जो कि मुख्यतः केन्द्र एवं राज्य दोनों में जीएसटी से पूर्व कर की स्थिति (अप्रत्यक्ष कर) पर आधारित है जिनमें अंतर्निहित कर भी शामिल है। ये दरें जीएसटी परिषद की 18.05.2017 एवं 03.06.2017 को आयोजित क्रमशः 14वीं एवं 15वीं बैठकों में सिफारिश की गयी थी।
- उक्त जीएसटी दर संरचना की जीएसटी परिषद द्वारा उसके बाद की बैठकों में समीक्षा की गई थी और दर संरचना में कतिपय परिवर्तनों की सिफारिश की गयी थी।
- सेवाओं की निम्नलिखित श्रेणियों को जीएसटी कराधान से विशेष रूप से कई बार छूट दी गयी है: कृषि, खेती एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, शिक्षा प्रशिक्षण एवं कौशल विकास, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा और वृद्धायु सहायता, बैंकिंग/वित्त/बीमा सेवाओं, सरकारी सेवाओं, पर्यटन एवं अतिथि सत्कार सेवाएं, निर्माण एवं कार्य प्रबंधान सेवाएं अतिथि सत्कार एवं पर्यटन उद्योग।
- 2019-20 में जीएसटी दरों पर लिए गए मुख्य निर्णयों का ब्यौरा निम्नलिखित है:

(क) 2019-20 के दौरान सामान्य व्यक्ति हेतु किए गए उपाय:

i. भूसंपदा क्षेत्र में मांग को बढ़ाने के उद्देश्य से 01.04.2019 से किफायती आवास अपार्टमेंट पर बिना आईटीसी के 1% की दर से एवं मंहगे आवासी अपार्टमेंट पर बिना आईटीसी के 5% की दर से जीएसटी लगायी गई है।

ii. विकासपरक अधिकार जैसे कि विकासपरक अधिकार का अंतरण दीर्घकालीन पट्टा (प्रीमियम), फ्लोर स्पेस इन्डैक्स पर लगने वाली मध्यवर्ती कर से छूट दे दी गयी है जिससे कि सम्पदा क्षेत्र में नकद के प्रवाह की समस्या का समाधान किया जा सके।

iii. होटल में रहने की सुविधा पर लगने वाली जीएसटी दरों को निम्नलिखित कर वर्गों में पुनः बांटा गया है।

प्रति इकाई (रुपये) प्रति दिन लेनदेन मूल्य	जीएसटी
1000 रुपये एवं उससे कम	शून्य
1001 रुपये से 7500 रुपये	12%
7501 रुपये एवं उससे अधिक	18%

iv. उन परिसरों से भिन्न जिनका दैनिक टैरिफ प्रति यूनिट एकोमोडेशन 7501 रुपये है से पृथक आउटडोर कैटरिंग सेवाओं पर जीएसटी का 18: से कम करके 5: कर दिया गया है और इस पर कोई भी आईटीसी नहीं दिया जाता है।

(ख) एमएसएमई के लिए 2019-20 के दौरान किये गये उपाय।

i. एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 01.04.2019 से सेवा प्रदाताओं के लिए एक कम्पोजीशन स्कीम चलायी गयी हैं। इस स्कीम का लाभ ऐसा कोई भी पंजीकृत व्यक्ति ले सकता है जिनका पिछले

वित्तीय वर्ष में वार्षिक कारोबार 50 लाख रुपये तक हो। इस नयी कम्पोजीशन स्कीम को अपनाने वाले सेवा प्रदाता अब 6% की दर से जीएसटी का भुगतान कर सकते हैं और वे किसी भी प्रकार के इनपुट टैक्स के पात्र नहीं होंगे।

ii. हीरों से संबंधित जॉब वर्क सेवा पर लगने वाली जीएसटी की दर को 5% से कम करके 1.5% कर दिया गया है।

iii. बस बॉडी बिल्डिंग से संबंधित जॉब वर्क, जिस पर जीएसटीकर दर 18% ही बनी रहेगी, को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की जॉब वर्क सेवाओं की आपूर्ति, जिन पर इस समय 5% की दर नहीं लगायी जाती है (जैसे कि इंजीनियरिंग उद्योग में मशीन जॉब वर्क), पर जीएसटी की दर को 18% ही रहेगी।

अनुलग्नक II

2019-20 के दौरान प्रत्यक्ष करों के लिए किए गए प्रमुख उपाय और अन्य उपाय

- **संघीय बजट 2019-20 में घोषित महत्वपूर्ण उपायों का सार:**
- **कॉर्पोरेट कर की दर में कमी:** वित्तीय वर्ष 2017-18 में 400 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए आयकर की दर को घटाकर 25% किया गया है, जबकि अन्य के लिए यह 30% है।
    - स्रोत पर आयकर कटौती के प्रावधान (टीडीएस): यह प्रावधान किया गया है कि:
    - व्यक्तिगत या एचयूएफ द्वारा ठेकेदारों/संविदाकारों या व्यावसायिकों को 50 लाख रुपये से अधिक के भुगतान पर टीडीएस /5% की दर से की कटौती की जानी है।
    - वर्ष के दौरान किसी बैंकिंग कंपनी/सहकारी बैंक/डाकघर से एक करोड़ रुपये से अधिक नकदी आहरण करने पर दो प्रतिशत की दर से कटौती की जाएगी बशर्ते कि आहरणकर्ता को छूट प्रदान न की गई हो।
    - अचल संपत्ति की खरीद के लिए भुगतान किए गए प्रतिफल पर एक प्रतिशत का टीडीएस काटते समय, प्रतिफल में क्लब सदस्यता शुल्क, कार पार्किंग शुल्क, बिजली और पानी शुल्क, रखरखाव शुल्क, अग्रिम शुल्क या समान प्रवत्ति के किसी भी अन्य शुल्क की ऐसे सभी शुल्क शामिल होंगे जिनकी प्रकृति, अचल संपत्ति, अचल संपत्ति के हस्तांतरण के प्रासंणीक।
    - जीवन बीमा पॉलिसी के तहत किसी भी राशि के भुगतान के समय, पे-आउट के आय घटक पर अर्थात भुगतान की गई राशि में से जमा की गई प्रीमियम राशि घटाकर, 5% की दर से टीडीएस कटौती की जाएगी।
    - अप्रवासी को किए गए भुगतान से टीडीएस की कटौती न किए जाने के मामले में, यदि अप्रवासी ने रिटर्न फाइल करने की नियत तारीख से पहले इस तरह की आय घोषित करते हुआ आईटीआर फाइल किया है तो किसी भी प्रकार की चूक की स्थिति में कटौतीकर्ता को करदाता नहीं माना जाएगां
- **भारत के बाहर किसी भी व्यक्ति को उपहार का उपयुक्त प्रोभ्द्वन/भारत के बाहर किसी व्यक्ति को दिए गए उपहार के बारे में समझा जाना:** यह प्रावधान किया गया है कि 05.07.2019 को या इसके पश्चात् भारत के निवासियों द्वारा भारत के बाहर रह रहे व्यक्तियों को दिए गए किसी भी तरह के उपहार को, भारत तथा विदेशी राष्ट्रो के बीच हुए दोहरा कराधान बचाव समझौते के प्रावधानों के अधीन भारत में प्रोत आय माना जाएगा।
- **आय कर विवरणी अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना:** यह प्रावधान किया गया है कि एक या एकाधिक चालू खातों में एक करोड़ रुपये से अधिक राशि जमा करने वाले व्यक्ति, या जिसने स्वयं की या अन्य किसी

व्यक्ति की विदेश यात्रा पर दो लाख रुपये से अधिक धनराशि व्यय की हो या एक लाख रुपये से अधिक राशि का बिजली का बिल जमा किया हो या अन्य कोई निर्धारित शर्त पूरी करता हो, उसे अनिवार्य रूप से आईटीआर फाइल करना होगा।

- **पैन तथा आधार की अंतर्विनिमेयता:** यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति के पास पैन नहीं है पर आधार है तथा वह कुछ सूचना देने योग्य लेनदेन करता तो उसे आधार कार्ड के आधार पर ही पैन संख्या आबंटित कर दी जाएगी। इसके अलावा जिस व्यक्ति ने अपनी पैन संख्या को आधार संख्या से लिंक कर दिया है वह आवश्यकता पड़ने पर पैन के बजाय आधार का उपयोग कर सकता है।

- **पहले से भरी आयकर विवरणी (प्री-फिलिंग ऑफ रिटर्न):** पहले से भरे हुए आयकर रिटर्न (आईटीआर) व्यक्तिगत करदाताओं को वेतन, घट की संपत्ति, प्रतिभूतियों से पूंजीगत लाभ, बैंक ब्याज, लाभांश और विभिन्न कर कटौती से आय प्रदान की गई है। इन आय और कटौती के बारे में जानकारी संबंधित स्रोतों जैसे बैंक, म्यूचुअल फंड, ईपीएफओ से प्री-फिलिंग को सक्षम करने के लिए एकत्रित की जा रही है। वित्तीय लेनदेन (एसएफटी) के विवरण को प्रस्तुत करने के दायरे और अधिक संगठनों/संस्थानों को वित्तीय लेन-देन की सुविधा या उनके द्वारा किए गए वित्तीय लेनदेन के संबंध में जानकारी देने की आवश्यकता है।

- **डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना:** अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने की दृष्टि से यह प्रावधान किया गया है कि कुछ निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक मोड भी अधिनियम के तहत भुगतान की इलेक्ट्रॉनिक विधि के स्वीकार्य रूप होंगे। इसके अलावा दिनांक 01.11.2019 से पिछले वित्त वर्ष में 50 करोड़ रुपये से अधिक कुल बिक्री करने वाले व्यवसायी को भुगतान की अन्य इलेक्ट्रॉनिक विधियों के साथ-साथ निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक विधि के द्वारा भुगतान स्वीकार करने की सुविधा अनिवार्य तौर पर उपलब्ध कराने के लिए आयकर अधिनियम 1961 में धारा 269 एसयू भी जोड़ी गई है।

- **अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केन्द्रों (आईएफएससी) को प्रोत्साहन:** आईएफएससी को कई प्रत्यक्ष कर प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं जैसे कि, 15 साल की अवधि में किसी भी दस साल के ब्लॉक में अधिनियम की धारा 80-एल ए के तहत 100% लाभ-लिंक्ड कटौती, वर्तमान/चालू और संचित आय से लाभांश वितरण कर से कंपनियों और म्युचुअल फंड को छूट, तृतीय श्रेणी एआईएफ को पूंजीगत लाभ पर छूट और गैर-निवासियों से लिए गए ऋण पर ब्याज भुगतान में रियायत।

- **कुछ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को प्रोत्साहन:** यह प्रावधान किया गया है कि क्या वास्तव में इसका भुगतान, प्रासंगिक पिछले वर्ष की आय की विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख को या उससे पहले किया जाता है।

- **अपतटीय निधियों के लिए विशेष कराधान शासन-पद्धति/व्यवस्था की शर्तों में छूट:** अधिनियम की धारा 9-ए, जो ऐसी शर्तों का प्रावधान करती है, जिनके तहत एक अपतटीय निधि के संचालन का भारत में किसी भी प्रकार का व्यावसायिक कनेक्शन नहीं होगा, इसमें यह प्रावधान करने के लिए संशोधन किया गया हैं न्यूनतम 100 करोड़ रुपये की धन राशि की पूर्ति, वित्त वर्ष के अंत तक या इसके गठन से छः माह के भीतर, जो भी बाद में हो, की जा सकती है और फंड मैनेजर को भुगतान किया गया पारितोषिक कम से कम निर्धारित ढंग के अनुसार गणना की गई राशि के बराबर हो।

- **इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन:** इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद के लिए किसी भी वित्तीय संस्थान से अधिकतम 1,50,000/- रुपये तक के ऋण पर ब्याज में कटौती प्रदान करने के लिए अधिनियम में धारा 80 ईईबी को डाला गया है बशर्ते कि उक्त ऋण, दिनांक 01.04.2019 से दिनांक 31.03.2023 तक की अवधि क दौरान स्वीकृति किया गया हो।

- **अनिवासी की कुछ ब्याज आय को छूट:** कम लागत वाली विदेशी उधारी को प्रोत्साहन करने के लिए, अधिनियम की धारा 194एलसी और धारा 10 में संशोधन किया गया है, ताकि यह प्रावधान किया जा सके

कि किसी विदेशी कंपनी सहित एक गैर-निवासी को किसी भारतीय कंपनी या व्यापारिक ट्रस्ट द्वारा दिनांक 17.9.2018 से 31.03.2019 तक की अवधि के दौरान भारत के बाहर रुपये के मूल्यवर्ग में जारी किए गए बॉड पर देय ब्याज की मद पर आय में छूट दी जाएगी।

- **सभी के लिए आवासः** किफायती आवास परियोजनाओं के विकास के लिए दिनांक 31.3.2020 तक लाभ से जुड़ी कटौती का लाभ प्रदान करने के लिए, सभी के लिए किफायती आवास के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु, अधिनियम की धाारा 80 आईबीए के संशोधित किया गया है। ऋण आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80EEA में भी संशोधन किया गया है और 45 लाख ₹ मूल्य तक के अर्थसाध्य मकान की खरीद के लिए दिनांक 31.03.2020 तक लिए गए ऋणों पर संदत्त ब्याज के लिए 1,50,000/- ₹ की अतिरिक्त कटौती की व्यवस्था की गई है।

- **राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस)** अंशदाताओं को प्रोत्साह-एनपीएस स्कीम में खाते की समाप्ति के समय एनपीएस से बाहर निकलने के समय छूट की सीमा को बढ़ाकर अंशदाता को देय कुल राशि के 60 प्रतिशत के बराबर किया गया है। धारा 80 CCD में संशोधन किया गया है और केंद्रीय सरकार द्वारा अपने कर्मचारी के खाते में किए जाने वाले अंशदान को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया गया है। इसके अलावा, किसी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी द्वारा नवीन पेंशन स्कीम के टियर-II खाते में अंशदान के रूप में संदत्त या जमा की गई प्रत्येक राशि विशिष्ट दशाओं के अध्यधीन धारा 80C के तहत कटौती के दायरे में आएगी।

- **स्टार्टःअप्स के लिए प्रोत्साहनः**-किसी पात्र स्टार्ट अप के मामले में व्यवसाय सुगमता की सुविधा के लिए, यह व्यवस्था की गई है कि यदि एकाधिकार वाले पात्र स्टार्ट अप में मौजूदा शेयरधारक आगे भी ऐसे शेयरधारकों के रूप में बने रहते हैं तो, चाहे शेयरधारण की पद्धति में कोई परिवर्तन क्यों न हो जाए, पूर्ववर्ती वर्ष की हानियों को अग्रेनीत करने और पूर्ववर्ती वर्ष की आय की तुलना में इसकी मुजराई करने की अनुमति होगी। साथ ही, आवधिक भवन को विक्रय से होने वाले पूंजीगत लाभों को स्टार्ट-अप्स में निवेश करने के लिए छूट की अवधि को बढ़ाकर दिनांक 31.03.3021 तक कर दिया गया है।

- **श्रेणी-II वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) के लिए प्रोत्साहन**-उद्यम पूंजी उपक्रमों की सुविधा के लिए अधिनियम की धारा 56 में संशोधन करते हुए श्रेणी-II एआईएफ में, प्राप्त प्रतिफल की अतिरिक्त राशि पर कर के भुगतान से छूट प्रदान की गई है यदि शेयरों के निर्गम के लिए प्राप्त समग्र प्रतिफल का मूल्य निष्पक्ष बाजार-मूल्य से अधिक है।

- **संकटग्रस्त कंपनियों के समाधान के लिए प्रोत्साहन-यह व्यवस्था की गई है कि**-कतिपय लेन-देनों के संबंध में शेयरों के निष्पक्ष बाजार-मूल्य के निर्धारित से छूट यह व्यवस्था की गई है कि कतिपय श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों को, पूंजीगत लाभों और मानित उपहारों की गणना के समय शेयरों के निष्पक्ष बाजार मूल्य को मान्य करने से संबंधित उपबंधों से छूट प्रदान की जाएगी यदि ऐसे लेन-देन से संबंधित पक्षकारों का शेयर की कीमत के निर्धारण पर कोई नियंत्रण न हो।

- **सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों की पुनः** खरीद पर कर-अधिनियम की धारा 115QA में संशोधन क्या गया है और व्यवस्था की गई है कि सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों की पुनर्खरीद पर कर नहीं लगेगा। कराधान विधियां संशोधन, अधिनियम (2019) (टीएलएए) की प्रभावित की तारीख को संशोधित करते हुए व्यवस्था की गई है कि दिनांक 05.07.2019 को या उससे पूर्ण घोषित पुनर्खरीद के मामले में, सूचीबद्ध शेयरों पर पुनर्खरीद कर लागू नहीं होगा।

- **छूटप्राप्त संस्था के रजिस्ट्रेशन का निरसन**-यह व्यवस्था की गई है कि किसी भी धमार्थ न्यास/संस्था जिसे अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त है, को इस प्रयोजन के लिए सारवान् प्रत्येक विधि के उपबंधों का अनुपालन

करना अपेक्षित है, जिनका उल्लंघन किए जाने पर रजिस्ट्रेशन को निरस्त कर दिया जाएगा।

- **भारतीय लेखाकरण मानक अनुपालक कंपनियों के विसंबद्धन की सुविधा प्रदान करना**-अधिनियम की धारा 2 में संशोधन करते हुए व्यवस्था की गई है कि विसंबद्धन के मामले में, परिणामी कंपनी द्वारा अंकित मूल्य पर संपत्ति और देयताओं के अभिलेखन की अपेक्षा को ऐसे मामले में लागू नहीं किया जाएगा जहां इसके द्वारा प्राप्त उपक्रमों की संपत्ति और देयताओं को, भारतीय लेखाकरण मानकों के अनुपालन में विसंबद्धन के ठीक पूर्व, विसंबद्ध कंपनी की खाता-बहियों में अंकित मूल्य से भिन्न मूल्य पर अभिलिखित किया जाए।

- **अग्रिम कीमत-निर्धारण करार (एपीए)** किए जाने के अनुक्रम में दाखिल की गई आय-विवरणी में आशोधन अधिनियम की धारा 92CD में संशोधन करते हुए स्पष्ट किया जाता है कि जिन मामलों में निर्धारण या पुनर्निर्धारण पहले ही पूर्ण किया जा चुका है और एपीए पर हस्ताक्षर होने के बाद करदाता द्वारा आशोधित आय-विवरणी फाइल कर दी गई है उनमें निर्धारणकर्ता अधिकारी द्वारा कुल आय की संगणना तदनुसार की जाए।

- **द्वितीयक समायोजन**-अनुपालन की दृष्टि से द्वितीयक समायोजन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं सरल बनाने के लिए धारा 92CE में संशोधन करते हुए अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था भी की गई है कि निर्धारिती, जो भारत का निवासी नहीं है, के किसी भी संबद्ध उद्यम से अतिरिक्त धनराशि को प्रत्यावर्तित किया जाए और जिन मामलों में ऐसी अतिरिक्त धनराशि या उसका कोई भाग समय से प्रत्यावर्तित नहीं किया गया हो उनमें निर्धारिती को ऐसी अतिरिक्त धनराशि अथवा उसके ऐसे भाग पर अठारह प्रतिशत की दर पर अतिरिक्त आयकर का भुगतान करने का विकल्प उपलब्ध होगा तथा ऐसे भुगतान की गई कर की राशि के संबंध में किसी प्रकार के क्रेडिट की अनुमति नहीं होगी।

- **निधियों में से कतिपय इक्विटी आधारित निधियों के संबंध में अल्पावधि पूंजी लाभ (एसटीसीजी) कर की रियायती दर**-केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) के विनिवेश हेतु स्थापित निधियों के बारे में निर्धारित प्रोत्साहन के क्रम में अल्पावधि पूंजी लाभों के लिए रियायती कर की दर को निधियों में से ऐसी निधियों की इकाइयों के अंतरण के संबंध में बढ़ाया गया।

- **श्रेणी I और श्रेणी II एआईएफ के मामलों में हानियों को वहन करना**-अधिनियम की धारा 115UB में संशोधन किया गया है और श्रेणी I और श्रेणी II एआईएफ के कतिपय मामलों में हानियों को वहन करने की व्यवस्था की गई है।

- **धारा 286 में ''लेखा वर्ष'' की परिभाषा**-अधिनियम की धारा 286, जो किसी मूल संस्था द्वारा अथवा किसी ऐसे अंतरराष्ट्रीय समूह की भारत में स्थानिक किसी वैकल्पिक रिपोर्टिंग संस्था (एआरई) जिसकी यह एक घटक है, देश-वार रिपोर्ट (सीबीसीआर) प्रस्तुत किए जाने की व्यवस्था करती है, उसमें संशोधन करके यह व्यवस्था की गई है कि जब एआरई द्वारा सीबीसीआर प्रस्तुत किया जाना हो तब रिपोर्टिंग लेखा वर्ष वह होगा जो मूल संस्था पर लागू होता है।

- **मास्टर फाइल का रख-रखाव** अधिनियम की धारा 92D में संशोधन करते हुए यह व्यवस्था की गई है कि भारत में स्थानिक किसी अंतरराष्ट्रीय समूह की किसी घटक संस्था द्वारा मास्टर फाइल का रख-रखाव किया जाएगा चाहे ऐसी घटक संस्था द्वारा कोई अंतरराष्ट्रीय लेन-देन किया गया हो या नहीं।

- **आय कम बताकर सूचना देने के लिए दंड का निर्धारण**-अधिनियम की धारा 270A में संशोधन करते हुए यह विहित किया गया है कि जहां किसी व्यक्ति ने अपनी आय को कम बताते हुए सूचित किया है और धारा 148 के अधीन प्रथम बार विवरणी प्रस्तुत की है वहां दंड की मात्रा की संगणना करने की रीति क्या होगी।

- **आय-विवरणी दाखिल करने में विफलता के मामले में अभियोजन**-यह व्यवस्था की गई है कि आय-विवरणी दाखिल करने में विफलता के लिए अभियोजन की कार्यवाही ऐसे मामलों में नहीं की जाएगी जहां पहले से ही संदत्त अन्य करों के अलावा, स्वनिर्धारित कर और स्रोत पर संग्रहीत कर के समायोजन के बाद देय कुल कर 10,000/- ₹ से अधिक नहीं है।

- **दूसरे देशों के साथ करारों के अनुपालन में कर की वसूली**-यह व्यवस्था की गई है कि जहां कोई कर व्यतिक्रमी भारत में या किसी अन्य देश में निवासी (स्थानिक) है वहां संगत कर उद्ग्रहण अधिकारी, जो ऐसे व्यक्ति पर क्षेत्राधिकार रखता हो, संबंधित देश में उक्त व्यतिक्रमी की संपत्तियों (चाहे ऐसी संपत्तियों का विवरण उपलबध हो या नहीं) के बाबत कर की वसूली कर सकता है।

  धनवापसी (रिफंड) का दावा - अधिनियम की धारा 239 में संशोधन करके धनवापसी का दावा करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिनियम की धारा 139 के उपबंधों के उपबंधों के अनुसार रिटर्न दाखिल करते हुए धनवापसी के प्रत्येक दावे का निपटान किया जा सके

ख. वर्ष 2019-20 के दौरान किए गए अन्य उपाय

- **कराधान कानून (संशोधन)** अध्यादेश, 2019 को 20.09.2019 को जारी किया गया। इसके बाद अध्यादेश को टीएलएए द्वारा बदल दिया गया है, जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि:
- मौजूदा घरेलू कंपनियां यदि निर्दिष्ट कटौती और प्रोत्साहन का लाभ नहीं लेती है और कुछ निश्चित् पूर्व-शर्तें को पूरा करती हैं तो वे 25.17% (10% अधिभार के साथ 22% कर, और 4% उपकर) के प्रभावी कर दर पर रियायती कर व्यवस्था का विकल्प चुन सकती हैं।
- 01.10.2019 को या उसके बाद स्थापित नई विनिर्माण घरेलू कंपनियां जिन्होंने 31.03.2023 तक विनिर्माण या उत्पादन शुरू दिया है, वे उन पर 17.16 (10% अधिभार के साथ 15% कर, और 4% उपकर के प्रभावी दर पर कर लगाए जाने) के विकल्प को चुन सकती है, बशर्ते कि वे किसी निर्दिष्ट प्रोत्साहन या कटौती का लाभ न लें और कुछ पूर्व शर्तें को पूरा करें।
- रियायती कर व्यवस्था का चयन करने वाली कंपनियों को एमएटी का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- जिन कंपनियों ने रियायती कर व्यवस्था का विकल्प नहीं चुना है, उनके लिए एमएटी की दर 18.5% से घटाकर 15.5% कर दी गई है।
- वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2019 के लागू होने पर संवर्धित अधिभार कुछ ऐसी निश्चित प्रतिभूतियों और इकाइयों, जिन पर प्रतिभूति संव्यवहार कर का भुगतान किया जा चुका है, के हस्तांतरण के कारण प्राप्त होने वाले पूंजीगत लाभ पर लागू नहीं किया जाएगा। बढ़ा हुआ अधिभार रियायती कर व्यवस्था वाले डेरिवेटिव्स सहित किसी भी प्रतिभूति के हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाली एफपीआईएस की पूंजीगत लाभ आय पर भी लागू नहीं होगी।
- धारा 269एसयू के प्रयोजन के लिए निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक मोड: राजपत्र में प्रकाशित जीएसआर 60 (ई) के माध्यम से अधिसूचना संख्या 105/2019, दिनांक 30.12.2019 के द्वारा यह अधिसूचित किया गया है कि 01.01.2020 के प्रभाव से, ऐसे व्यवसाय, जिसका कुल बिक्री लाभ वित्त वर्ष में रू. 50 करोड़ है, से भुगतान स्वीकार करने के लिए धारा 269एसयू के अधीन यथा अधिदिष्ट, रूप द्वारा संचालित कोई भी डेबिट कार्ड, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) (भीम-यूपीआई) और युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस क्विक रिस्पांस कोड (रूपीआईकयूआर कोड) (भीम)-यूपीआईक्यूआर कोड) निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक मोड होगा।

- मोटर-वाहन पर परिवर्धित मूल्यह्रास- राजपत्र में प्रकाशित जीएसआर संख्या, 679 (ई) के माध्यम से अधिसूचना संख्या, 69/2019 दिनांक 20.09.2019 के द्वारा यह अधिसूचित किया गया है कि 23.08. 2019 के प्रभाव से व्यापार या पेशे के उद्देश्य से नए मोटर-वाहन खरीदने वाले कर दाताओं को राहत प्रदान करने के लिए, मोटर कारों के लिए 30% और मोटर्स बसों/लॉरियों के लिए 45% के परिवर्धित मूल्यह्रास का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- ई-निर्धारण योजना-2019- कर निर्धारण प्रक्रिया में प्रचलित मौजूदा मानव इंटरफ़ेस और व्यक्तिगत इंटरएक्शन को हटाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मोड में फेसलेस निर्धारण योजना, जिसमें कोई मानव इंटरफ़ेस शमिल नहीं है, को राजपत्र में प्रकाशित एसओ 3264 (ई) के माध्यम से

अधिसूचना संख्या 61/2019 दिनांक 12.09.2019 के द्वारा अधिसूचित किया गया है।

- **स्टार्टअप के लिए अनुपालन मानदंडों का सरलीकरण-** सदस्य (आईटी व सी) के तत्वावधान में सीबीडीटी द्वारा शिकायतों के निवारण और स्टार्ट अप से संबंधित विभिन्न कर संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए एक स्टाट-अप प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। स्टार्टअप के मूल्यांकन से संबंधित प्रावधानों को स्पष्ट करने वाला एक समेकित परिपत्र भी जारी किया गया है, जो इस बात को स्पष्ट करता है कि एंजल कर के संबंध में अतिरिक्त परिवर्धन से संबंधित बकाया कर की मांग संबंधी कार्रवाई नहीं की जाएगी और बकाया मांग के संबंध में कोई पत्रचार भी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, स्टार्ट-अप की अन्य आयकर की मांग संबंधी कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी, जब तक नहीं की जाएगी, जब तक कि आईटीएटी द्वारा मांग की पुष्टि नहीं की जाती।
- **दस्तावेज़ पहचान संख्या (डीआईएन)-** तारीख 01.10.2019 से जारी किए गए विभाग के ऐसे प्रत्येक पत्राचार, भले ही वह मूल्यांकन, अपील जाँच, जुर्माना और अन्य चीजों में सुधार से संबंधित हो, में अन्य बातों के अलावा, अनिवार्य रूप से एक कंप्यूटर-जनित यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर (डीआईएन) होगी। किसी भी कॉपरोरेट या व्यक्तिगत कर दाता को जारी किया गया कोई भी कर नोटिस, समन या पत्र इस नंबर के बिना अमान्य होगा।
- **मुकदमेबाजी में कमी-** आईटीएटी के समक्ष विभागीय अपील दायर करने की मौद्रिक सीमा ंको बढ़ाकर 20 लाख से 50 लाख, उच्च न्यायालय के समक्ष विभागीय अपील दायर करने की मौद्रिक सीमां को बढ़ाकर 50 लाख से 1 करोड़ और उच्चतम न्यायालय के समक्ष विभागीय अपील दायर करने की मौद्रिक सीमां को बढ़ाकर 1 करोड़ से 2 करोड़ कर दिया गया। लंबित अपीलें, जिसमें इस सीमा से कम कर प्रभाव वाली अपीलें शमिल हैं, वापस ले ली जाएंगी या उन पर जोर नहीं दिया जाएगा।
- **अभियोजन के लिए मानदंडों में छूट-** यह प्रावधान किया गया है कि उपयुक्त मामलों में अभियोजना तभी प्रारंभ किया जाएगा जब कर अपवंचन की मात्रा न्यूनतम सीमा से अधिक है। इसके अलावा, ऐसे मामले, जहां कर वंचन न्यूनतम मौद्रिक सीमा से कम है, वहां अभियोजन प्रारंभ किए जाने के लिए कॉलेजियम, जिसमें दो उच्च रैंक के अधिकारी शामिल हो, से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। इसके अलावा, वास्तविक मामलों में कठिनाई को कम करने के लिए संयुक्त आवेदन दाखिल करने के 12 महीने की समय सीमा में, एक बार छूट देने के रूप में, छूट दी गई है।

वैदेशिक क्षेत्र

03

अध्याय

भारत के वैदेशिक क्षेत्र में वर्ष 2019-20 की प्रथम छमाही में भुगतान शेष की स्थिति में सुधार को देखते हुए स्थिरता प्राप्त हुई है। भारत का विदेशी रिजर्व 10 जनवरी 2020, को यूएस डॉलर 461.2 बिलियन तक पहुंच गई भुगतान संतुलन (बीओपी) में यह सुधार चालू खाता घाटा (सीएडी) के समिति होने के कारण वर्ण 2018-19 में 2.1 प्रतिशत से घट कर वर्ष 2019-20 की प्रथम छमाही में जीडीपी का 1.5 प्रतिशत हो गया हैं। चालू खाता घाटे में कच्चे तेल की कीमतों में सुधार के कारण हुआ है। निर्यात वृद्धि सेवा क्षेत्र में लचीलेपन के बावजूद वैश्विक निवेश, आउट पुट में मंदी तथा अत्यधिक व्यापार तनाव के कारण बाह्य मांग में कमी होने से कमजोर बनी हुई है। सेवा आयात में वृद्धि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) में बढ़ोत्तरी तथा 'मेक इन इंडिया' के कारण अपरिहार्य है। पेट्रोलियम उत्पाद, कीमती पत्थर, औषधीय फार्मूले एवं जैविक मदें, स्वर्ण एवं अन्य कीमती धातुएं निर्यावित वस्तुओं में शीर्ष पर बनी हुई हैं, जिनमें से औषधीय फार्मूलों एवं जैविक मदों के संबंध में वर्ष 2019-20 (अप्रैल-नवंबर) में सबसे तेज वृद्धि देखी गई है। अपरिष्कृत पेट्रोलियम, स्वर्ण, पेट्रोलियम उत्पाद, कोयला कोक एवं ब्रिकेट शीर्षस्थ आयातित वस्तु-समूह में हैं और वर्ष 2019-20 (अप्रैल-नवंबर) में इलेक्ट्रानिकी के संबंध में सबसे तेज वृद्धि देखी गई है। संयुक्त राज्य अमेरिकी, चीन, यूएई, सउदी अरब और हांग कांग भारत के शीर्ष पांच व्यापारिक साझेदार बने हुए हैं। साथ ही भुगतान संतुलन में सुधार के लिए वैदेशिक वित्तीय दशाओं में राहत, एफडीआई में प्रभावी वृद्धि, पोर्टफोलियो प्रवाहों की पुनः सुदृढ़ता तथा धनप्रेषणों की बड़ी प्राप्तियों का भी योगदान है। वर्ष 2019-20 में निवल एफडीआई अन्तर प्रवाह भी उत्साहवर्धन रहे हैं जिनसे प्रथम आठ महीनों में 24.4 बिलियन अमेरिकी डालर की राशि प्राप्त हुई है, जो कि वर्ष 2018-19 की संगत अवधि की तुलना में उच्चतर है। यह वैश्विक स्तर पर उस भावना को परिलक्षित करता है कि भारत की विकास गाथा और सरकार द्वारा किए गए सुधारात्मक उपायों पर भरोसा बढ़ा है। सितंबर 2019 के अंत में यथास्थिति, विदेशी ऋण, जीडीपी के 20.1 प्रतिशत के निचले स्तर पर बना हुआ है। वर्ष 2018-19 की तुलना में जीडीपी अनुपात की दृष्टि से भारत की निवल अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति (एनआईआईपी) में भी सुधार हुआ है। वर्ष 2014-15 से ही काफी गिरावट देखने के बाद जून, 2019 के अंत में जीडीपी के संदर्भ में भारत की वैदेशिक देयताओं (ऋण एवं इक्विटी) में वृद्धि हुई है जिसके लिए मुख्य कारकों के रूप में एफडीआई में वृद्धि, पोर्टफोलियो प्रवाहों और वैदेशिक वाणिज्यिक उधारियों (ईसीबी) का उल्लेख किया जा सकता है।

विहंगावलोकन: भारत का 'भुगतान-संतुलन'

3.1 वर्ष 2014-19 की अवधि में 7.5 प्रतिशत की सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के लगभग साथ-साथ, भारत की 'भुगतान शेष' स्थिति में सुधार हुआ है। यह सुध ार वित्त वर्ष 2018-19 की समाप्ति तक संचित विदेशी रिजर्व के 412.9 की बिलियन अमेरिकी डालर तक पहुंचने के कारण हुआ है जोकि वित्त वर्ष 2013-14 के अंत तक केवल 304.2 बिलियन अमेरिकी डालर था। भारत जैसी खुली व बढ़ती हुई बाजार अर्थव्यवस्था के लिए 'भुगतान-संतुलन' की स्थिति अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। यह कच्चे तेल और इस तरह के अन्य आदानों के लिए आवश्यक आयातों के वित्तपोषण को सुनिश्चित करता है,

विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित करता है जो देश के करोड़ों लागों को आजीविका प्रदान करता है। एक ऐसे देश के लिए जो लगभग हमेशा चालू खाता घाटे की स्थिति में रहा है, अपनी आय के स्त्रोत में विदेशी निवेश द्वारा उतनी प्राप्ति नहीं होती है जितनी कि विदेशों को भुगतान के माध्यम से निकल हो जाती है। बीओपी की स्थिति में लगातार सुधार होना एक ऐसी वैश्विक भावना का प्रतिबिंब है जो भारत की विकास गाथा में विश्वास को सुदृढ़ करता है। यह विश्वास देश को उस वक्त अच्छी गति प्रदान करेगा जब यह यूएस $ 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लिए निवेश संबंधी आवश्यकता की पूर्ति हेतु विदेशी बचतों के प्रयोग में वृद्धि करने के बारे में सोचेगा।

3.2 वर्ष 2019-20 में जीडीपी वृद्धि में काफी गिरावट के बावजूद वैश्विक भावना सकारात्मक ही रही है। भुगतान शेष/में सुधार हुआ है। मार्च-2019 के अंत में विदेशी मुद्रा भंडार $ 412.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो सितंबर-2019 में बढ़कर $ 433.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर तथा 10 जनवरी, 2020 को $ 461. 2 बिलियन हो गया। किन्तु अभी भी इस सुधार में भेद्यता का अन्तर्भाव बना हुआ है। वर्ष 2014-2019 के विपरीत जब कच्चे तेल के मूल्य में तेज गिरावट के साथ विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह बढ़ गया और भुगतान संतुलन में सुधार हुआ; वर्ष 2019-20 की प्रथम छमाही में होने वाला सुधार आयात वृद्धि दर के कम होने के बाद सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में कमी तेज गिरावट के साथ हुआ है, यहां कुछ हद तक कच्चे तेल के दामों में कमी भी आयी और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह सतत् रूप से उच्च स्तर पर बना रहा। देश की भुगतान-संतुलन स्थिति को सुधारने में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का कमजोर होना ''शुद्ध विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) तथा शुद्ध विदेशी पोर्टफोलिओ निवेश (नेट एफपीआई) दोनों के लिए चुनोती देने वाला है। यदि भारत की प्रत्याशित आर्थिक वृद्धि में ऐसे निवेशों की कमी की पृष्टभूमि बन गयी तो भुगतान शेष की स्थिति बिगड़ सकती है जिसके परिणामस्वरूप भविष्य में विदेशी बचत को देश में लाना कहीं अधिक कठिन हो जाएगा।

3.3 भुगतान-शेष के कुछ ऐसे घटक हैं जिनसे वर्ष 2014-19 तथा वर्ष 2019-20 दोनों ही अवधियों में भुगतान-शेष की स्थिति में सुधार हुआ है अथवा बाधाएं खड़ी हुई हैं। प्रभावी नीतियों के माध्यम से वे घटक जिनसे सुधार हुआ है उन पर और अधिक ध्यान दिया जाएगा तथा जिन घटकों से बाधाएं हुई हैं उन को पुनः क्रियाशील बनाया जाएगा। 2019-20 के आंकड़े अनंतिम है। वर्ष 2014-19 से 2019-20 (अप्रैल से सितंबर) तक की अवधि की भुगतान-शेष तालिका को अनुलग्नक-1 में दिखाया गया है।

क. चालू खाता घाटा (सी.ए.डी.)

3.4 चालू खाता घाटे और सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में वृद्धि होने से भुगतान-शेष बिगड़ जाएगा क्योंकि विदेशी-मुद्रा रिज़र्व घट जाएगा अथवा ऐसी संभावनाएं बन जाएंगी जिनसे विदेशी कर्ज का भार बढ़ जाएगा। तथापि यह 'चालू खाता घाटा सकल घरेलू

चित्र 1: चालू खाता घाटा

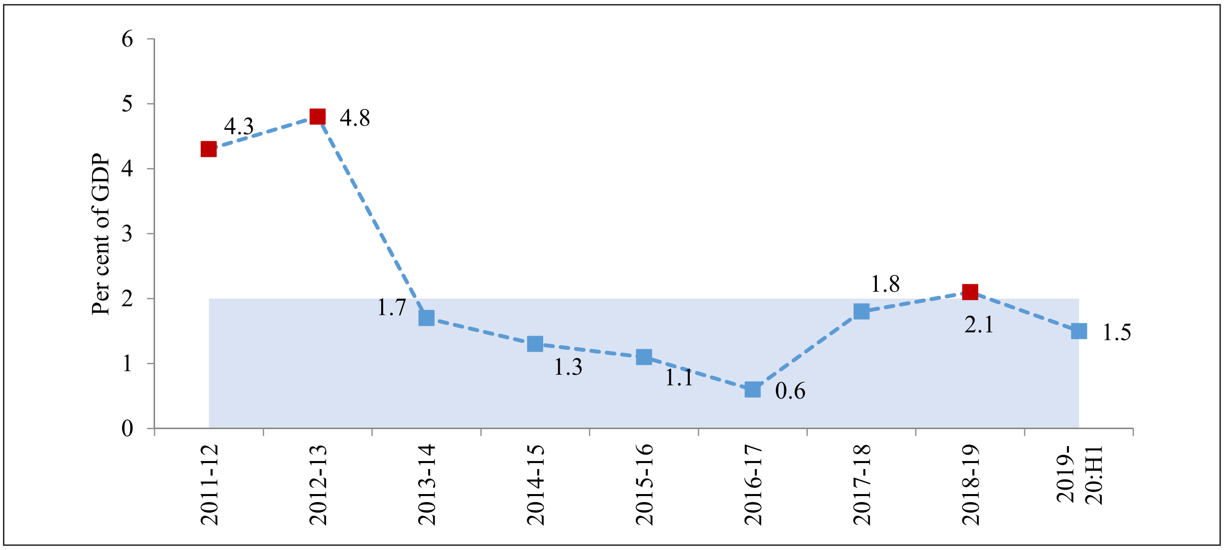

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

उत्पाद' के अनुपात का केवल मामला नहीं है, जिसमें वर्ष 2009-14 से 2014-19 तक की अवधि में महत्पपूर्ण रूप से सुधार हुआ है (तालिका 1)। वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 की प्रथम छमाही में 'सीएडी/जीडीपी अनुपात' के कम रहते हुए भी सुधार हो रहा है (चित्र 1)।

तालिका 1: चालू खाता घाटा सीएडी/जीडीपी (चालू खाता घाटा/सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात

2009-14	2014-19	2018-19	2019-20 H1
-3.3	-1.4	-2.1	-1.5

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

3.5 चालू खाता घाटे की पूर्ति विदेशी मुद्रा रिज़र्व करता है, यहां, ''चालू'' खाता घाटा/विदेशी मुद्रा-रिज़र्व अनुपात'' के बढ़ने से कमी को पूरा करने वाली विदेशी मुद्रा का रिज़र्व घट जाता है। इस शक्ति के घटने से मुद्रा मूल्य ह्रास होता है। यह अनुपात 2013-14 में 10.6 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 13.9 प्रतिशत हो गया, जिसके कारण भारतीय रुपये का मूल्य इन दो समय अंतरालों में एक अमेरिकी डॉलर की तुलना में 69.92 रुपये से घटकर 60.50 रुपए हो गया। जैसा कि सांकेतिक विनिमय दर (एनईआर) वर्ष 2019-20 में लगभग स्थिर रही है तो इससे यह प्रतीत होता है कि पूर्ति करने वाली विदेशी मुद्रा शक्ति में परिवर्तन

चित्र 2: चालू खाता घाटा/विदेशी मुद्रा और सांकेतिक विनिमय दर की प्रवृति

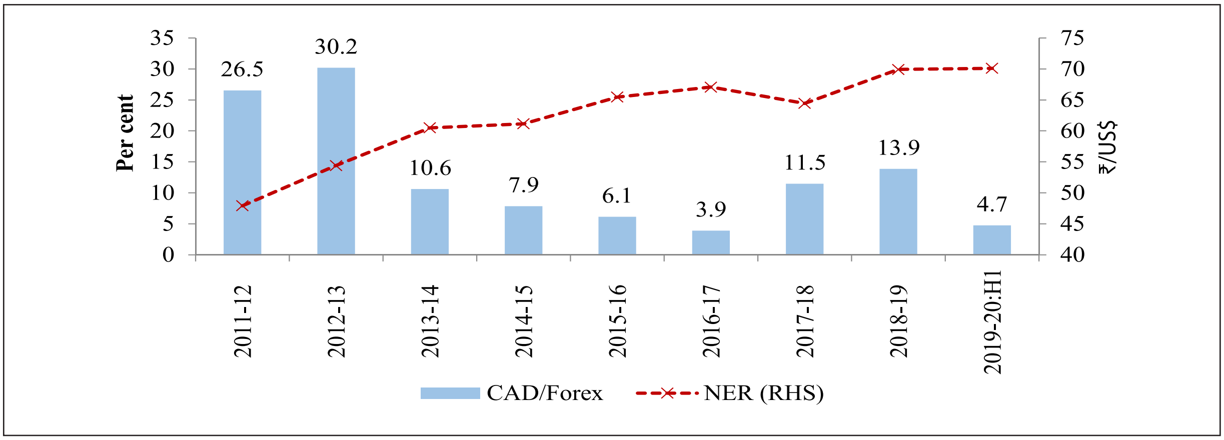

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

नहीं हुआ है। यदि अन्य संगत कारकों में परिवर्तन नहीं होता है तब ऐसी स्थिति में सांकेतिक विनिमय दर घट जाने से आयात होने वाली वस्तुएं महंगी हो जाएंगी विदेशी-निवेश-सूची में निवेशक निरुत्साहित हो जाएंगे जिसके परिणामस्वरूप भुगतान-शेष पर दबाव बढ़ जाने से यह और क्षीण हो जाएगा।

क.1. पण्य व्यापार घाटा

3.6 वाणिज्यिक व्यापार घाटा वैश्विक आर्थिक क्रियाकलापों में वसूली के साथ 2020 में भारत के चालू खाता घाटे के सबसे बड़े घटक हैं। तथापि वैश्विक श्रृंखला की भावी संरचना और प्रौद्योगिकी पर व्यापार तनाव के परिणामों की अनिश्चितता बढ़ गई है जो विश्व व्यापार में वृद्धि को कम कर सकती है। 2.9 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि के साथ-साथ वैश्विक व्यापार में वृद्धि 1.1 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। विश्व व्यापार में मंदी अनेक कारकों के साझे प्रभाव को दर्शाता है जिनमें निवेश में गिरावट, अधिक व्यापार किए जाने वाले पूंजीगत मालों पर किए जाने वाले व्यय में कमी और कार तथा कार के पुर्जों के व्यापार में भारी गिरावट शामिल हैं। तथापि, 2020 में वैश्विक आर्थिक गतिविधियों में सुधार होने से वैश्विक व्यापार में 3.2 प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है। किन्तु वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं की भावी संरचना और प्रौद्योगिकी के व्यापार में कमी के अप्रत्याशित प्रभाव के संबंध में अनिश्चितता बढ़ी है जिसके कारण विश्व व्यापार में वृद्धि में गिरावट जारी रह सकती है।[1]

3.7 औसतन, भारत के पण्य व्यापार शेष में 2009-14 की तुलना में 2014-19 सुधार हुआ है (तालिका 2),

1. तथ्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक से किए गए हैं।

चित्र 3: सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में पण्य व्यापार शेष

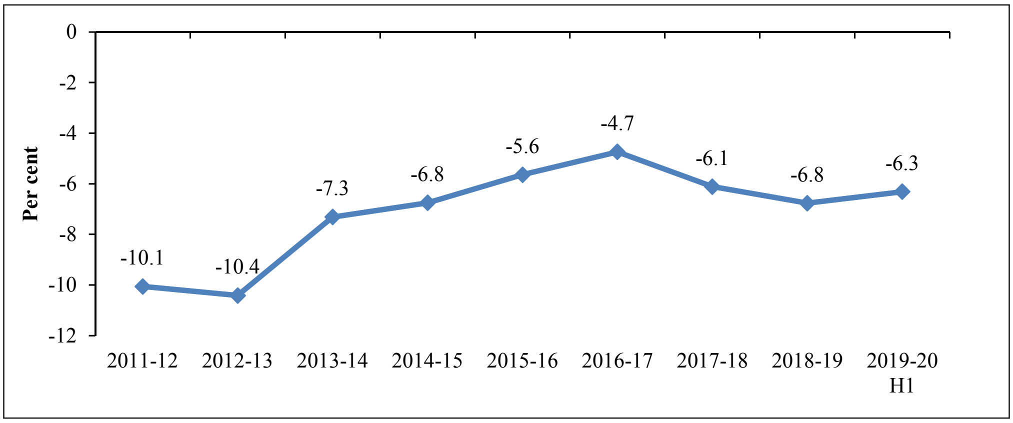

स्रोत: वाणिज्य विभाग एवं केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ)

चित्र 4: व्यापार की शर्तें (आधार वर्ष 1999-2000)

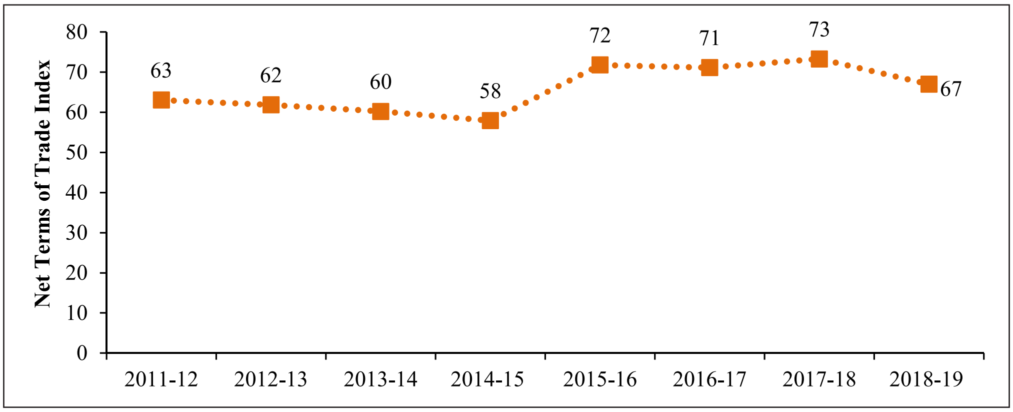

स्रोत: वाणिजिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एण्ड एस), कोलकाता

तथापि बाद की अवधि में अधिकांश सुधार 2016-17 में कच्चे तेल की कीमतों में 50 प्रतिशत से अधिक गिरावट के कारण हुआ। हाल ही में इस अनुपात में सुधार के कारण भुगतान शेष में सकारात्मक सुधार हुआ है (चित्र 3)।

तालिका 2: सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में पण्य व्यापार शेष

2009-14	2014-19	2018-19	2019-20 H1
-8.6	-6.0	-6.8	-6.3

स्रोत: वाणिज्य विभाग एवं केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ)

3.8 निर्यात और आयात के मूल्यों के बीच निवल व्यापार[2] स्थिति के प्रतिकूल होने के कारण निर्माताओं में निराशा पैदा होगी, परन्तु पण्य व्यापार घाटे में सुधार हो सकता है क्योंकि महंगे आयातों के कारण आयातित माल की खरीद कम होगी। 2017-18 से मूल्यों में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव आरंभ हो गया है, जिससे भुगतान शेष के व्यापार शेष में सुधार हुआ है (चित्र 4)।

3.9 2019-20 के दौरान भारत के सबसे बड़े 10 व्यापारिक भागीदारों का भारत के कुल पण्य व्यापार में 50 प्रतिशत से अधिक योगदान है (चित्र 5)।[3]

2. निवल व्यापार शर्त [NTT] देश के निर्यात और आयात के इकाई मूल्यों का अनुपात है।

3. किसी व्यापार भागीदार के आयात और निर्यात का भारत के समस्त आयात और निर्यात से अनुपात उस भागीदार का हमारे पण्य व्यापार में अंश है।

चित्र 5: 2019-20 अप्रैल-नवंबर में भारत के सबसे बड़े 10 व्यापारिक भागीदार (प्रतिशत में)

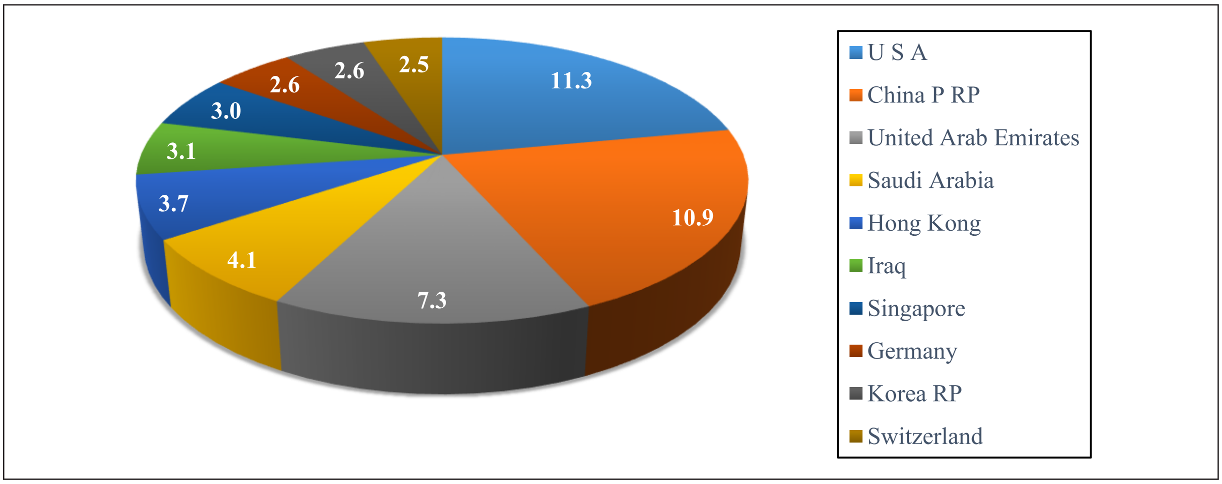

स्रोत: वाणिज्य विभाग के वेबसाइट 'https://commerce-app.gov.in/eidb/default.asp' पर उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों से परिकलित।

3.10 पिछले कुछ समय से सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों से संबंधित द्विपक्षीय व्यापार स्थिति नीचे तालिका 3 में दर्शायी गई है। भारत 2014-15 से लगातार दो सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार अर्थात् संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के साथ व्यापार अधिशेष कर रहा है। दूसरी तरफ, भारत का अन्य बड़े व्यापारिक भागीदारों जैसे चीन पीआरपी, सऊदी अरब, ईराक, जर्मनी, कोरिया आरपी, इण्डोनेशिया और स्विटजरलैण्ड के साथ 2014-15 से लगातार व्यापार घाटा हो रहा है। 2018-19 में भारतीय व्यापार घाटे में परिवर्तन पूर्व 2017-18 तक तो भारत का हांग-कांग और सिंगापुर से व्यापार अधिशेष था। धीरे-धीरे अधिकांश मामलों में द्विपक्षीय असंतुलन में स्थिरता आई है।

तालिका 3: द्विपक्षीय व्यापार अधिशेष/घाटा (वर्ष 2018-19 से दिए गए)

(बिलियन यू.एस. डॉलर में मूल्य)

	देश	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (April-November)
व्यापार अधिशेष देश	संयुक्त राज्य अमेरिका	20.63	18.55	19.90	21.27	16.86	10.91
	संयुक्त अरब अमीरात	6.89	10.87	9.67	6.41	0.34	0.25
व्यापार घाटा देश	चीन पीआरपी	-48.48	-52.70	-51.11	-63.05	-53.57	-35.32
	सऊदी अरब	-16.95	-13.94	-14.86	-16.66	-22.92	-14.32
	ईराक	-13.42	-9.83	-10.60	-16.15	-20.58	-13.98
	जर्मनी	-5.25	-5.00	-4.40	-4.61	-6.26	-3.09
	कोरिया आरपी	-8.93	-9.52	-8.34	-11.90	-12.05	-7.80
	इंडोनेशिया	-10.96	-10.31	-9.94	-12.48	-10.57	-6.99
	स्वीटरजलैण्ड	-21.06	-18.32	-16.27	-17.84	-16.90	-11.97
	हांग कांग	8.03	6.04	5.84	4.01	-4.99	-3.88
	सिंगापुर	2.68	0.41	2.48	2.74	-4.71	-3.15

स्रोत: वाणिज्य विभाग के वेबसाइट 'https://commerce-app.gov.in/eidb/default.asp' पर उपलब्ध नवीनतम डाटा से परिकलित

क.1.1. पण्य निर्यात

3.11 सकल घरेलू उत्पाद की तुलता में पण्य निर्यातों के अनुपात में वृद्धि का भुगतान शेष की स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। पिछले कुछ वर्षों में सकल घरेलू अनुपात के साथ पण्य निर्यातों के अनुपात में गिरावट आई है जो भुगतान शेष की स्थिति पर ऋणात्मक प्रभाव को सूचित करता है (तालिका 4 और चित्र 6)।

तालिका 4: पण्य निर्यात्/सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में

2009-14	2014-19	2018-19	2019-20 H1
15.7	12.7	12.1	11.3

स्रोत: वाणिज्य विभाग एवं केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (सीएसओ)

3.12 वैश्विक आउट पुट में मंदी जीडीपी अनुपात की तुलना में निर्यात पर विशेष रूप से 2018-19 से 2019-20 की पहली छमाही में गिरावट का प्रभाव पड़ता है। रीअल विनमिय दन में वृद्धि (ताालिका 5 चित्र -6) का भी जीडीपी अनुपात में निर्यात की गिरावट योगदान होता है।

सारणी 5: वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आधार 2004-05-100)

2009-14	2014-19	2018-19	2019-20 H1
107.1	113.9	114.0	116.5

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

3.13 विश्व में मंदी का भारत के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और भारत की वास्तविक विनियम दर में बढ़ोतरी वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ भारत के निर्यात के बढ़ते हुए एकीकरण का परिणाम है। विनिर्माण निर्यात में सापेक्षिक रूप से उच्चतर बढ़ोतरी के कारण वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकरण में वृद्धि हो गई है। सरकार द्वारा 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम पर अधिक बल देने को ध्यान में रखते हुए कुल निर्यात में विनिर्माण निर्यात के भाग में बढ़ोतरी अपरिहार्य है (तालिका 6 और चित्र 7)।

सारणी 6: कुल पण्य निर्यात में भारत में विनिर्मित पण्यों का निर्यात

2009-13	2014-18	2017	2018
66.5	72.8	74.4	72.8

स्रोत: Trademap.org.

नोट: उल्लिखित वर्ष कैलेण्डर वर्ष है।

3.14 पेट्रोलियम (पीओएल) निर्यातों का भारत के निर्यात पण्यों में बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। तथापि, चूंकि पेट्रोलियम निर्यात पेट्रोलियम आयातों का एक मूल्य संवर्धन मद है, अत: पीओएल निर्यातों में से शुद्ध निर्यात यह दर्शाता है कि विदेशों से होने वाले भारत के निर्यात से देश में कितना मूल्य संवर्धन प्राप्त हो रहा है। 2009-14 से 2014-19 तक गैर पीओएल निर्यातों में वृद्धि में काफी गिरावट आई है (तालिका 7 और चित्र 8)। यह एक चुनौती है जिसका आने वाले समय में समाधान करने की आवश्यकता है।

चित्र 6: वास्तविक विनमिय और जीडीपी अनुपातके रूप में पाठ्य निर्यात

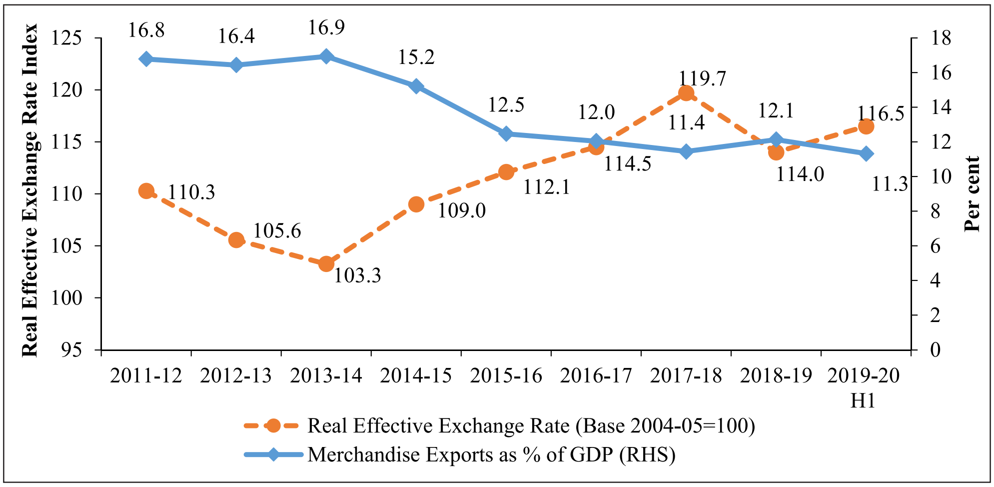

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यि विभाग और केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (सीएसओ)।

चित्र 7: भारत की विश्व के निर्यातों में हिस्सेदारी, भारत के कुल पण्य निर्यातों में विनिर्मित एवं गैर-विनिर्मित मदों की हिस्सेदारी

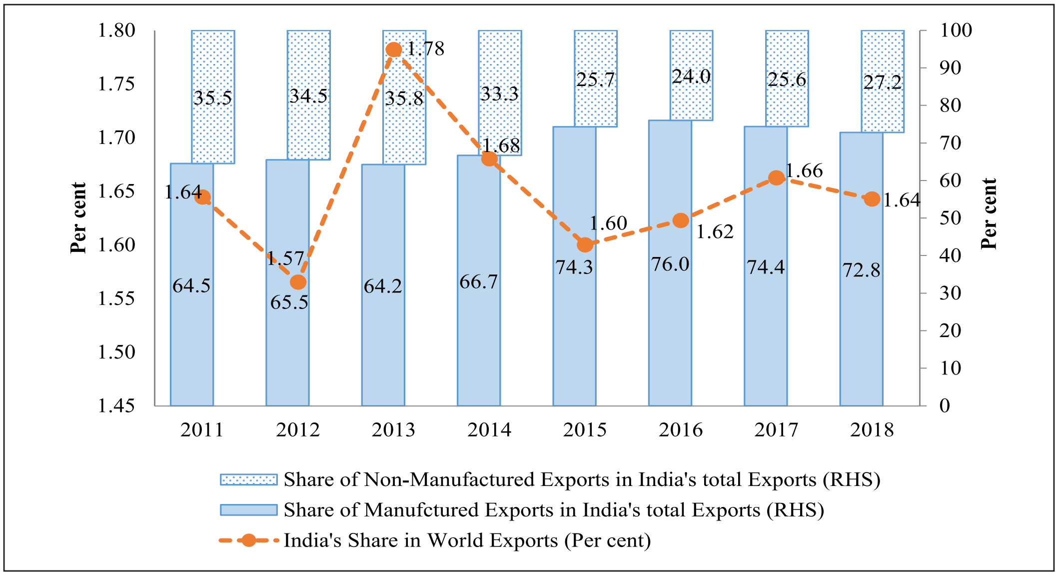

स्रोत: Trademap.org.
नोट: उल्लिखित वर्ष कैलेण्डर वर्ष है।

तालिका 7: गैर-पीओएल निर्यातों में वृद्धि

2009-14	2014-19	2018-19	2019-20 (Apr-Dec)
11.0	2.6	6.6	-0.8

स्रोत: वाणिज्यि विभाग

चित्र: 8: गैर-पीओएल निर्यात एवं उसमें वृद्धि दर

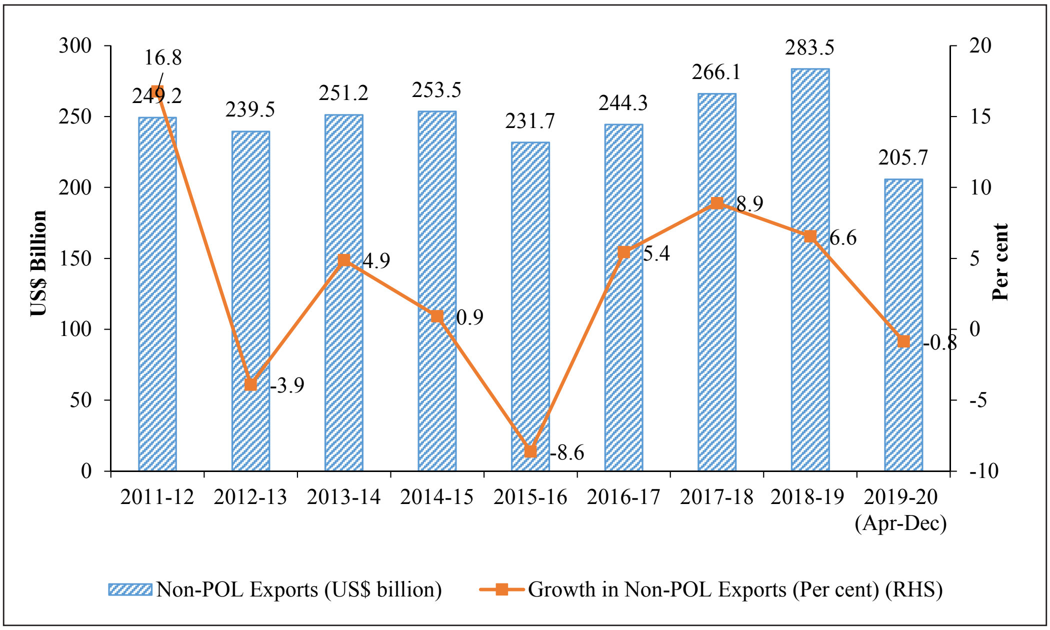

स्रोत: वाणिज्यि विभाग

चित्र 9: निर्यातों की पण्यवार रचना (प्रतिशत में शेयर द्वारा)

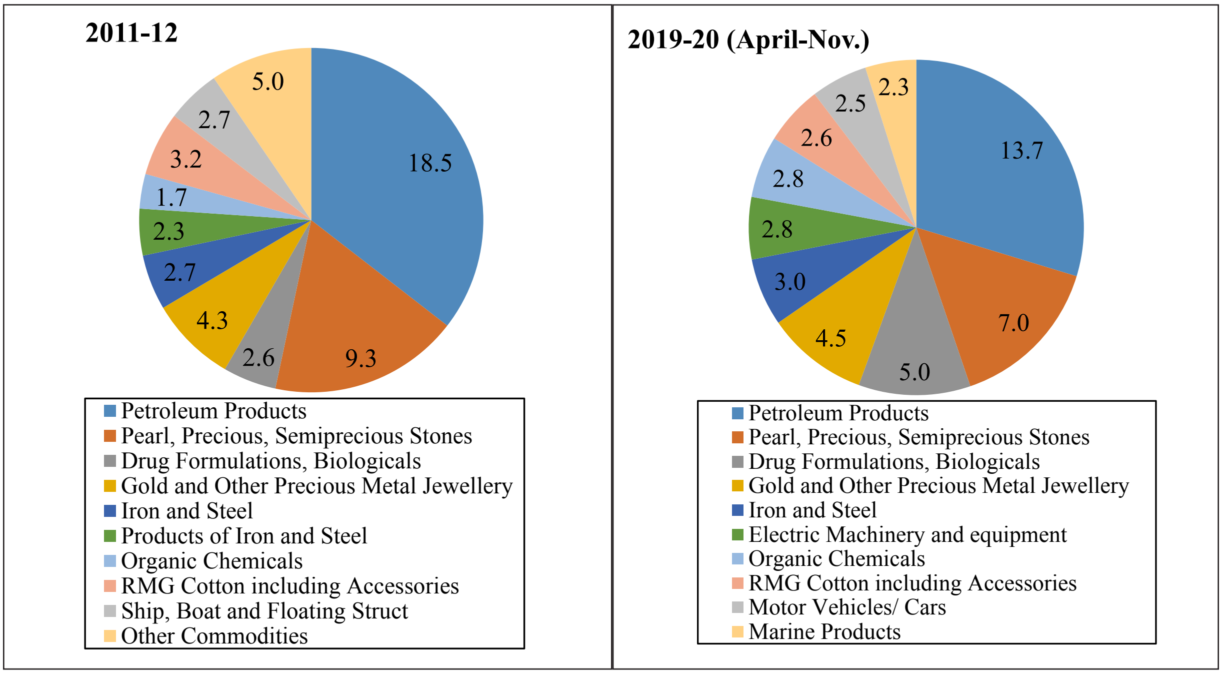

स्रोतः वाणिज्य विभाग

3.15 2019-20 (अप्रैल-नवंबर) में मूल्य के संदर्भ में पेट्रोलियम उत्पादों का सबसे अधिक निर्यात होना जारी रहा। वृद्धि के संदर्भ में, औषध-यौगिकों, जैवपदार्थों में 2011-12 और 2019-20 (अप्रैल-नवम्बर) के बीच सबसे अधिक वृद्धि हुई (चित्र 9)।

3.16 संयुक्त राज्य अमेरिका वर्ष 2019-20 (अप्रैल-नवम्बर) भारत से सबसे अधिक निर्यात होने वाला देश रहा, जिसके वाद संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), चीन और हांग-कांग है। 2011-12 और 2019-20 के बीच यूएसए भारत से होने वाले सब से अधिक निर्यात वाला देश हो गया (चित्र 10)।

चित्र 10: 2011-12 और 2019-20 (अप्रैल-नवम्बर) में सबसे बड़े 10 निर्यात गन्तव्य

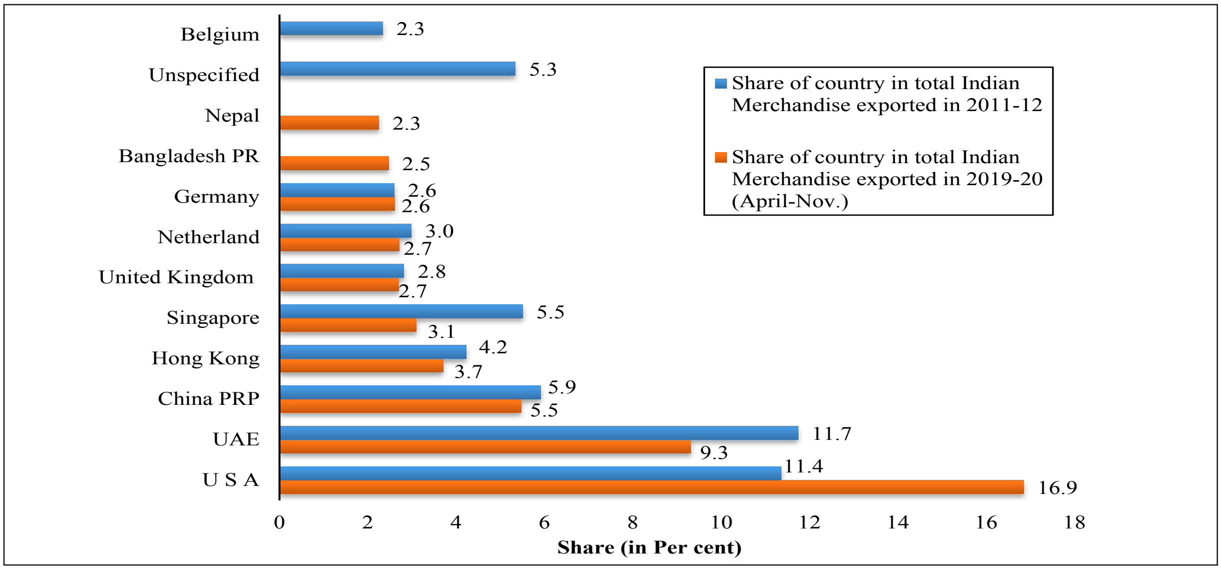

स्रोतः वाणिज्य विभाग

चित्र 11: जीडीपी के प्रतिशत के रूप में भारत के पण्य आयात

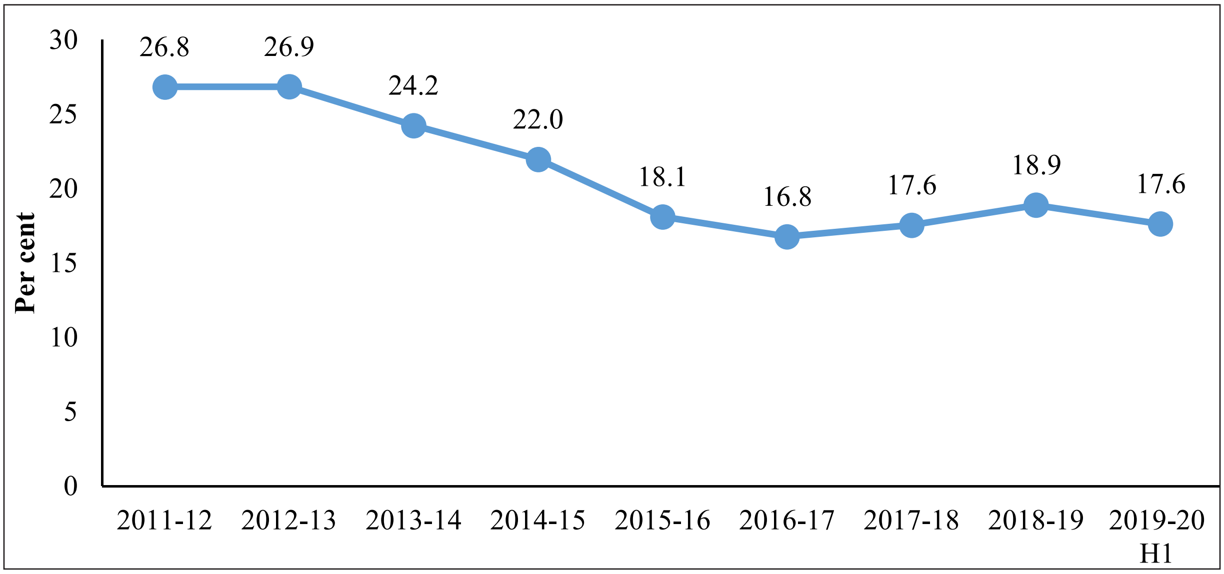

स्रोतः वाणिज्य विभाग और केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ)

क.1.2 पण्य निर्यात

3.17 पण्य आयात/सकल घरेलू अनुपात में वृद्धि का भुगतान शेष की स्थिति पर निवल ऋणात्मक प्रभाव होता है। कई वर्षों से भारत में इस अनुपात में गिरावट आ रही है जो भुगतान शेष की स्थिति पर निवल सकारात्मक प्रभाव को सूचित करता है (तालिका 8 और चित्र 11)।

3.18 आयात समूह में कच्चे तेल के आयात का बहुत अधिक हिस्सा है जो कच्चे तेल की कीमतों के साथ भारत के कुल आयात तालिका से सहसबंधित। प्रमाण भी इसकी पुष्टि करते हैं, जब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो कुल आयात में कच्चे तेल का अंश भी बढ़ता है जिस से सकल घरेलू उत्पाद के साथ आयात के अनुपात में वृद्धि होती है (तालिका 9 और चित्र 12) ।

तालिका 8: भारत की जीडीपी के प्रतिशत के रूप में पण्य आयात

2009-14	2014-19	2018-19	2019-20-H1
24.3	18.7	18.9	17.6

स्रोतः वाणिज्य विभाग एवं केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (सीएसओ)

तालिका 9: भारत के कुल आयात में पीओएल आयात का हिस्सा और कच्चे तेल की कीमत (भारतीय पण्य)

मद	2009-14	2014-19	2018-19	2019-20-H1
कुल आयात में पीओएल का हिस्सा (%)	32.1	25.2	27.4	26.3
भारतीय पण्य समूह में कच्चे तेल का कीमतें (बिलियन यूएस डॉलर)	96.0	60.8	69.9	64.7
सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में पण्य आयात	24.3	18.7	18.9	17.6

स्रोतः वाणिज्य विभाग और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

चित्र 12: भारत का आयात, कुल आयात में पीओएल आयात का हिस्सा और कच्चे तेल की कीमतें

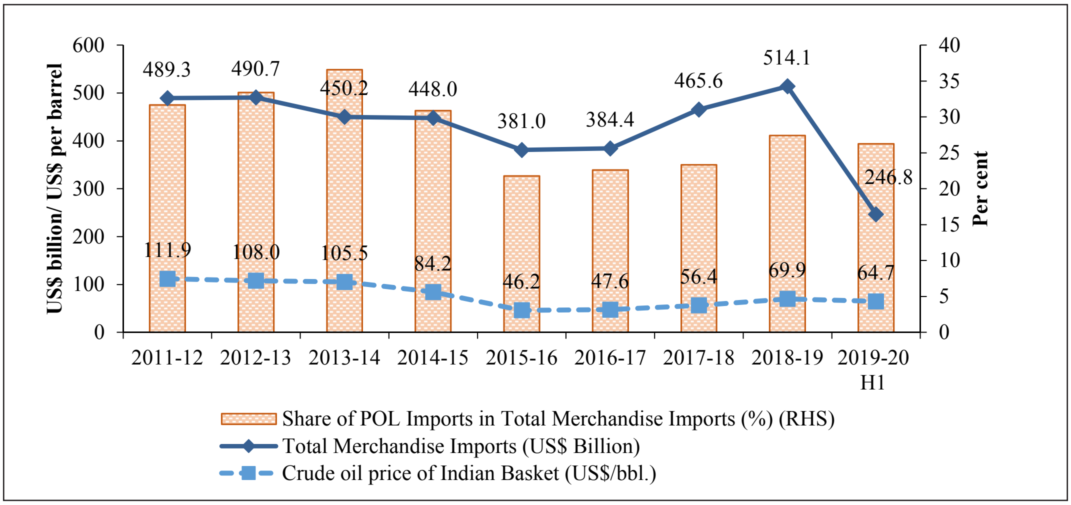

स्रोत: वाणिज्य विभाग और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

चित्र 13: भारत के सोने के अयात का मूल्य एवं कीमत के संदर्भ में अंश

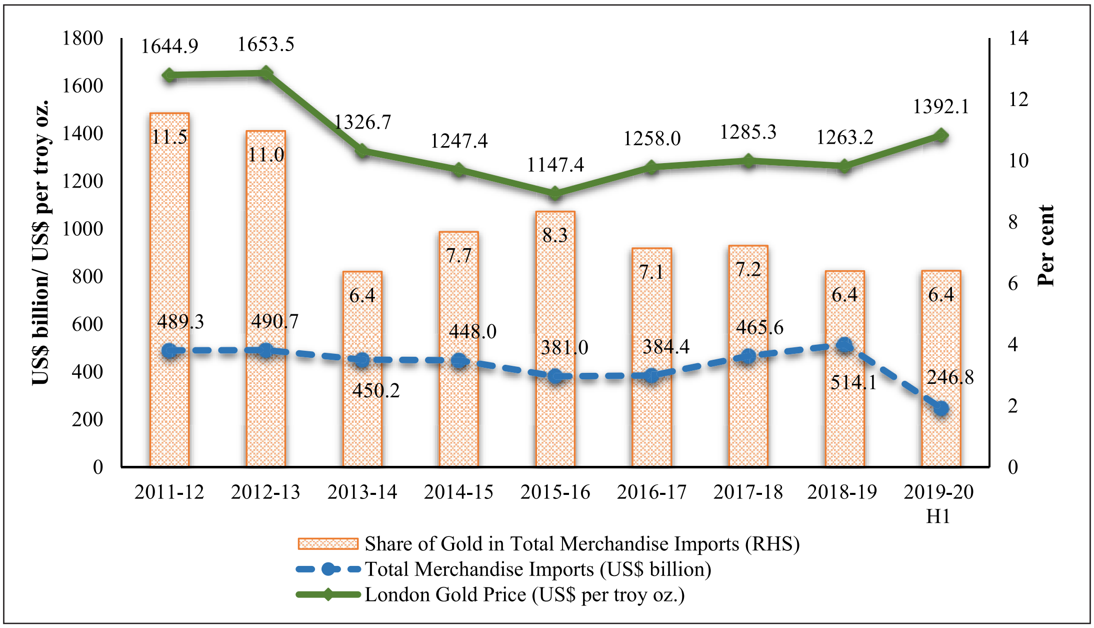

स्रोत: वाणिज्य विभाग एवं विश्व बैंक, पिंकशीट

3.19 सोने के आयात का आयात बास्केट में महत्वपूर्ण भाग होता है जो भारत के कुल आयात का सोने की कीमतों से संबंध स्थापित करता है। जबकि व्यापक रूप में पिछली दो पंचवर्षीय अवधियों, 2009-14 एवं 2014-19, के लिए यह सच है, कि यह अंश सोने की कीमतों में वृद्धि होने के बावजूद 2018-19 एवं 2019-20 की पहली हमाही के बीच स्थिर रहा है, ऐसा शायद आयात शुल्क में वृद्धि होने से हुआ है जिससे सोने का आयात कम हुआ है (तालिका 10 और चित्र 13)।

3.20 हालांकि जीडीपी में पण्य आयात की गिरावट का बीओपी स्थिति पर निवल सकारात्मक प्रभाव पड़ता है; यह जीडीपी वृद्धि में गिरावट को भी दर्शाता है। गैर पीओएल -गैर स्वर्ण आयात निश्चित रूप से जीडीपी वृद्धि से जुड़ा है। यद्यपि दो अवधियों के बीच जब जीडीपी वृद्धि में बढ़ोत्तरी हुई तब 2009-14 से लेकर 2014-19 की जीडीपी के अनुपात में गैर पीओएल गैर तेल आयात गिरा (तालिका 11)। ऐसा खपत में वृद्धि के कारण हो सकता है, जबकि गैर पीओएल एवं गैर

तालिका 10: कुल आयातों के स्वर्ण के आयत की जिम्मेदारी और लंदन गोल्ड बिगत

कीमत	2009-14	2014-19	2018-19	2019-20-H1
कुल आयात में सोने के आयात का अंश और कीमत	10.0	7.4	6.4	6.4
London Gold Price (US$ per troy oz.)	1388.3	1240.3	1263.2	1392.1
जीडीपी के प्रतिशत के रूप में व्यापारिक आयात	24.3	18.7	18.9	17.6

स्रोत: वाणिज्यिक एवं विश्व बैंक/पिंक स्ट्रीट विभाग

तालिका 11: गैर पीओएल, गैर स्वर्ण आयात एवं वास्तविक जीडीपी में वृद्धि

Item	2009-14	2014-19	2018-19	2019-20-H1
जीडीपी के प्रतिशत के रूप में गैर पी ओ एल, गैर स्वर्ण आयात	14.0	12.5	12.5	10.3
वास्तविक जीडीपी में वृद्धि	6.7	7.5	6.8	4.8

स्रोत: वाणिज्यि विभाग एंव केन्द्रीय सांख्यिकि कार्यालय (सीएसओ)

स्वर्ण आयात दर कम होने का कारण निवेश दर गिरावट है। निवेश दर में होने वाली सतत गिरावट जीडीपी वृद्धि में कमी आई है, उपभोग कम हुआ है, निवेश परिप्रेक्ष्य (आउटलुक) मंद हो गया है, जिससे आगे चलकर वर्ष 2018-19 से 2019-20 के मध्य, में जीडीपी के अनुपात के रूप में गैर-पीओएल, गैर स्वर्ण आयात के साथ जीडीपी वृद्धि में कमी आई है (चित्र 14)।

3.21 वर्ष 2019-20 (अप्रैल-नवंबर) के आयात बास्केट में, कच्चे पेट्रोलियम का सबसे बड़ा अंश था, इसके बाद सोना एवं पेट्रोलियम उत्पाद आते हैं। यद्यपि वर्ष 2011-12 एवं 2019-20 के बीच इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं का आयात नगण्य शेयर से तेजी से बढ़कर 3.6% हो गया (चित्र 15)।

चित्र 14: जीडीपी के प्रतिशत के रूप में गैर पी ओ एल, गैर गोल्ड आयात एवं वास्तविक जीडीपी में वृद्धि

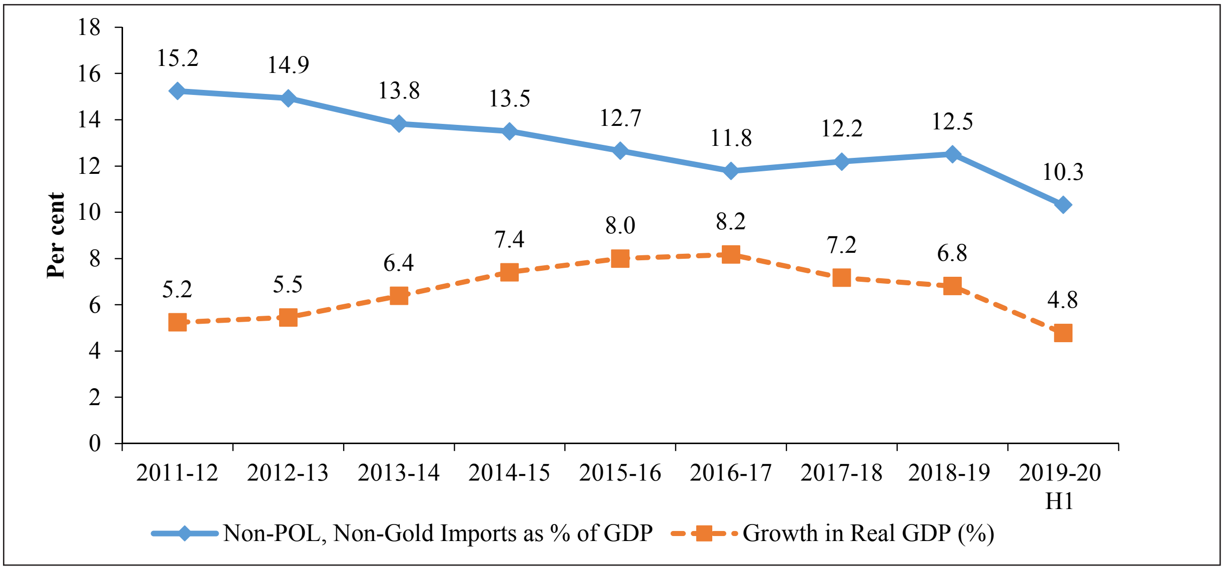

स्रोत: वाणिज्यि विभाग एवं केन्द्रीय साख्यिकीय कार्यालय (सीएसओ)

चित्र 15: आयात का वस्तुवार संगठन (% अंश अनुसार)

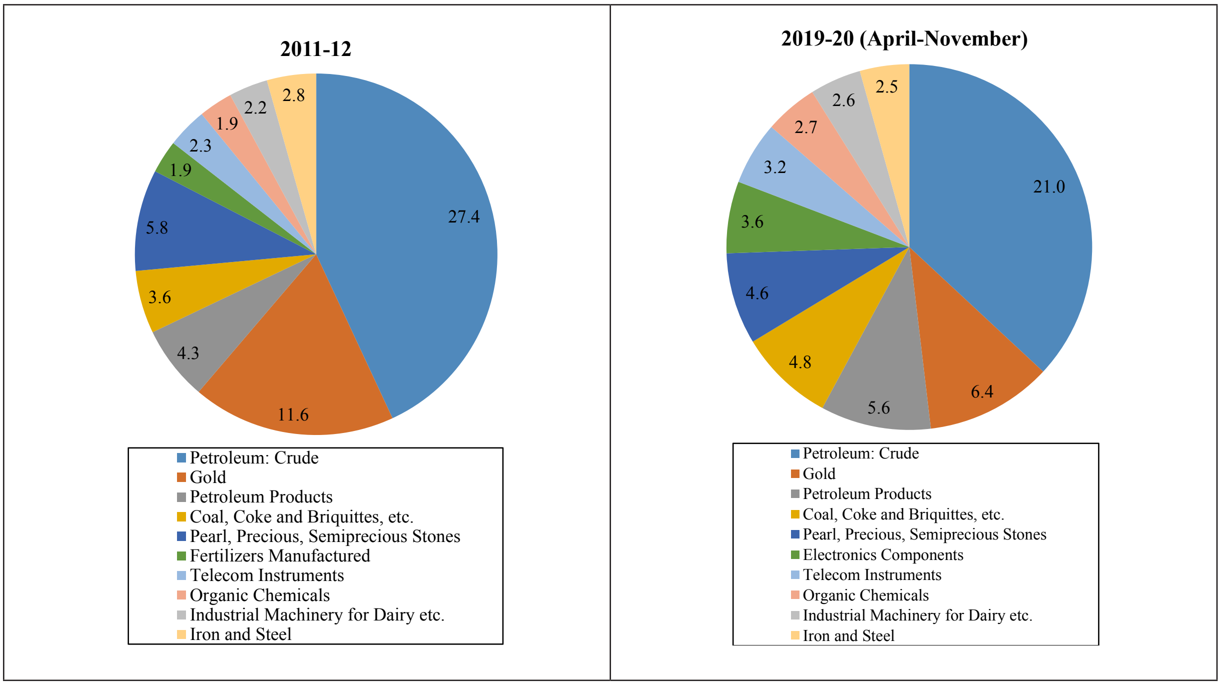

स्रोतः वाणिज्यि विभाग

चित्र 16: 2011-12 एवं 2019-20 (अप्रैल-नवंबर) में भारत के 10 शीर्ष आयात उद्‌गम (% में शेयर द्वारा)

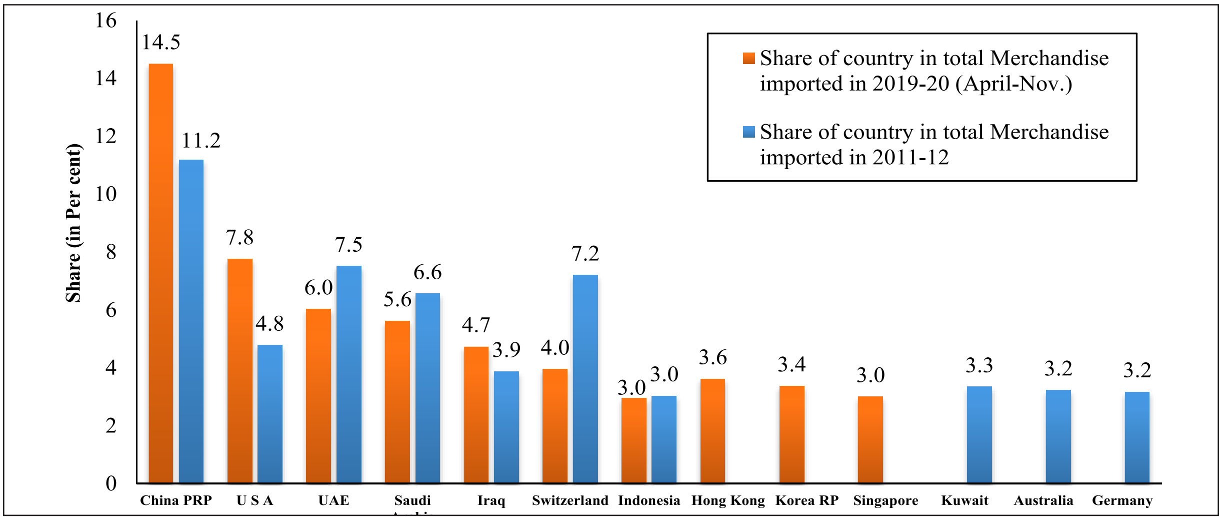

स्रोतः वाणिज्यि विभाग

3.22 चीन भारत का सबसे बड़ा आयात स्त्रोत है, इसके बाद सं.रा. अमरीका, यूएई एवं सउदी अरब आते हैं। हाल ही में हांगकांग, कोरिया एवं सिंगापुर भी भारत के लिए महत्वपूर्ण आयात स्त्रोत के रूप में उभरे हैं (चित्र 16)।

3.23 ऊंचे सीमा शुल्क के कारण, जीडीपी में वृद्धि की गति का गैर-पीओ एल-गैर स्वर्ण आयात पर पड़ने वाला प्रभाव कुछ हद तक शिथिल हो गया है, जो भुगतान-संतुलन के खराब प्रदर्शन पर रोक लगाता है। दूसरी और, जीडीपी वृद्धि में कमी आती है, तो उच्च सीमा शुल्क गैर पीओएल -गैर स्वर्ण आयात के कम होने के प्रभाव को बढ़ा देते हैं, जिससे बीओपी में अधिक अनुपातिक सुधार होता है। इस संबंध में भारत को अन्य देशों से अधिक सीमा शुल्क होने का लाभ हुआ है (चित्र 17) ।

चित्र 17: वर्ष 2017 के दौरान व्यापार भारित आयात सीमा शुल्क (कुल)

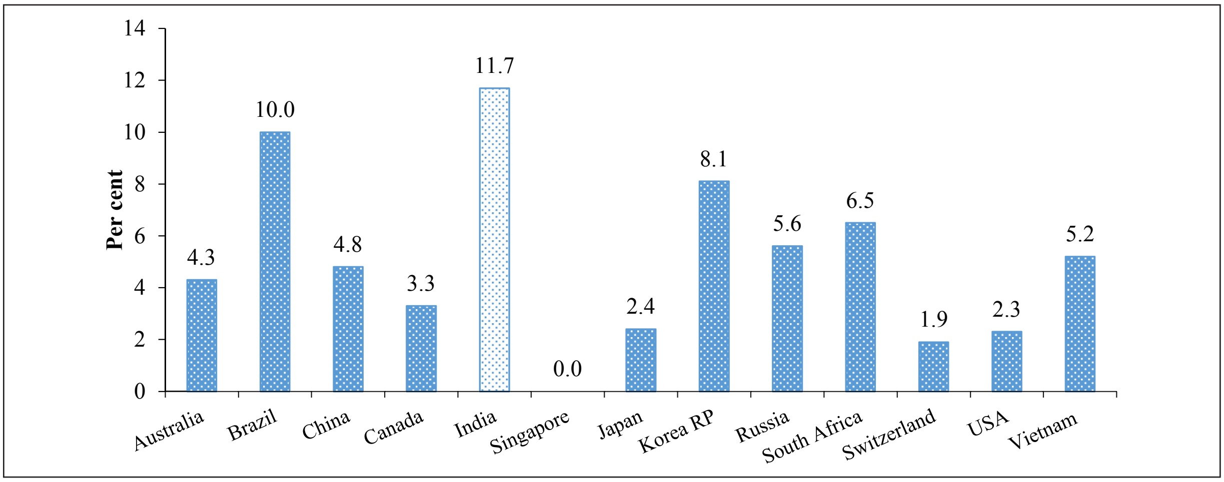

स्रोत: डब्ल्यू टी ओ टैरिफ प्रोफाइल डाटाबेस, 'https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/tariff_profiles_list_e.htm'

क. 2. निवल सेवाएं

3.24 सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के तौर पर निवल सेवाएं बीओपी पर सेवा निर्यात और आयात के निवल प्रभाव को दर्शाता है। सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में भारत की निवल सेवां अधिशेष में धीरे-धीरे ह्रास हो रहा है। (तालिका 12 और चित्र 18)

तालिका 12: जीडीपी के प्रतिशत के रूप में निवल सेवाएँ

Net Services/GDP			
2009-14	2014-19	2018-19	2019-20 H1
3.3	3.2	3.1	2.9

स्रोत: भारत रिजर्व बैंक

3.25 निवल सेवाओं से अधिशेष व्यापार घाटे का महत्वपूर्ण रूप में वित्तपोषण कर रहा है। विगत कुछ वर्षों में आधे से कम रह जाने से पूर्व 2016-17 में व्यापार घाटे के लगभग दो-तिहाई तक वित्तपोषण इससे हो रहा था (चित्र 19)। सकल घरेलू उत्पाद में निवल सेवाओं की धीमी गिरावट होने से वित्तपोषण उस समय तक धीरे-धीरे गिरता जाएगा जब तक कि जीडीपी के संबंध में पण्य वस्तु घाटे में सुधार न आ जाए।

क. 2.1 सेवा निर्यात

3.26 सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में होने वाली सेवा निर्यात वृद्धि का बीओपी परिवेश पर निवल सकारात्मक

चित्र 18: निवल सेवा जीडीपी अनुपात के रूप में

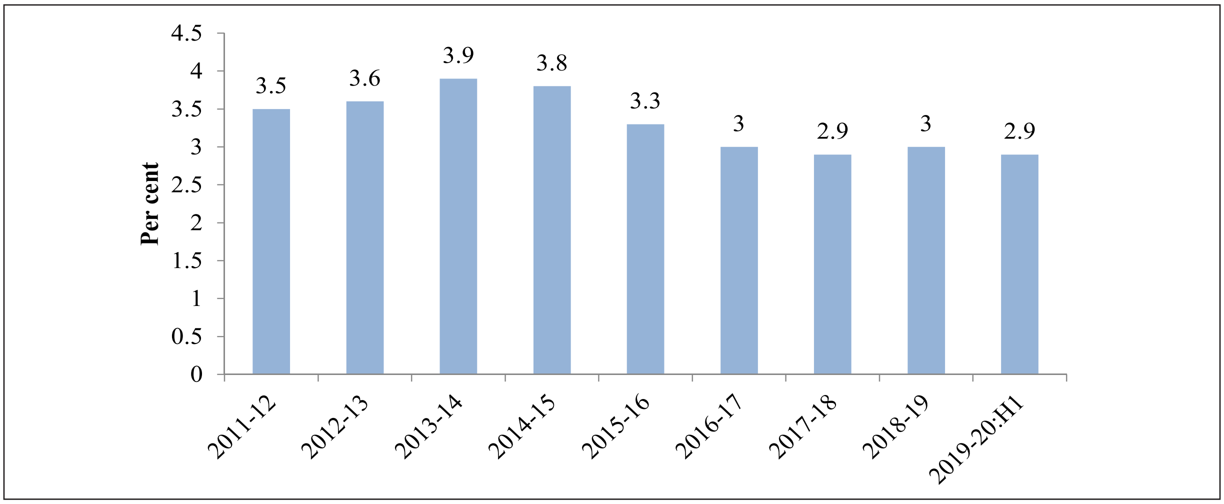

स्रोत: भारत रिजर्व बैंक

चित्र 19: निवल सेवाएं और व्यापार घाटा

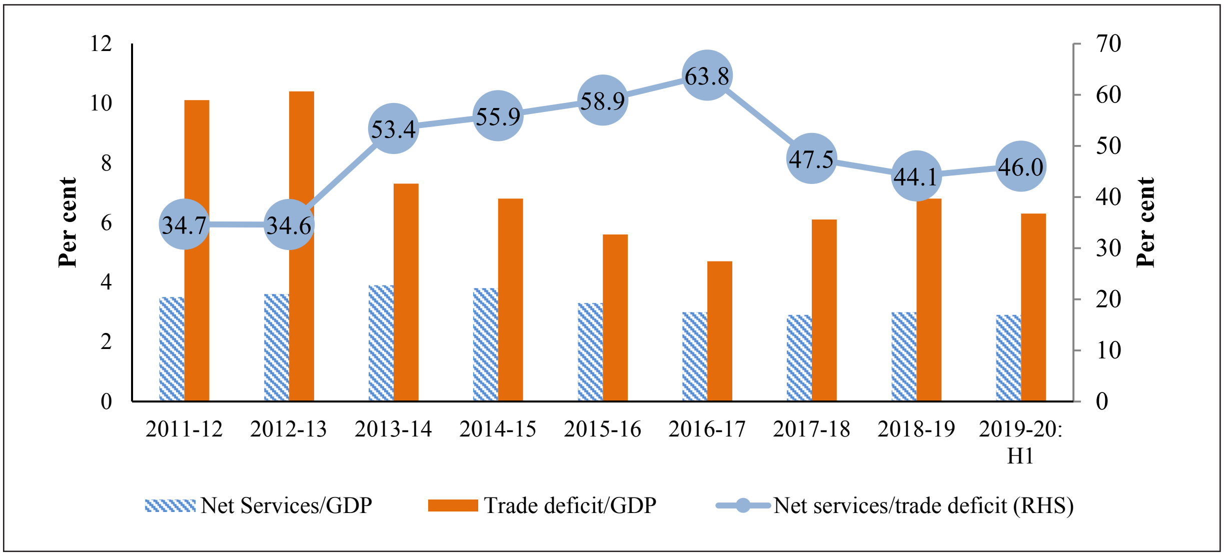

स्रोत: भारत रिजर्व बैंक

प्रभाव होता है। भारतीय सेवा निर्यात सतत् रूप से जीडीपी के 7.4 से 7.7 प्रतिशत के बीच रहा जो बीओपी के स्थायित्व में योगदान करने वाले इस स्रोत की निरंतरता को प्रदर्शित करता है (तालिका 13 और चित्र 20) ।

तालिका 13: जीडीपी के अनुपात के रूप में सेवा आयात

2009-14	2014-19	2018-19	2019-20 H1
7.7	7.5	7.7	7.4

स्रोत: भारत रिजर्व बैंक

चित्र 20: जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सेवा निर्यात

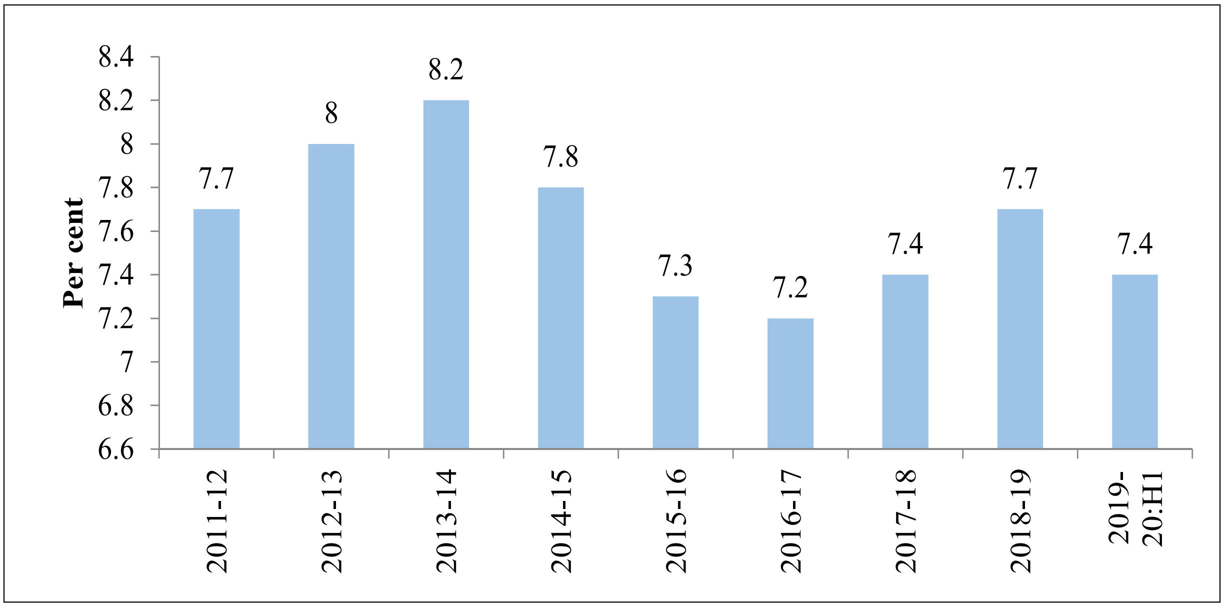

स्रोत: भारत रिजर्व बैंक

3.27 वर्षों से सेवा निर्यात की रचना काफी हद तक अपरिवर्तित रही है। इसमें सॉफ्टवेयर सेवाओं का योगदान बहुत ज्यादा है, लगभग 40 से 45 प्रतिशत है, इसके बाद व्यापार सेवाएं आती हैं जिनकी भागीदारी 18 से 20 प्रतिशत है, पर्यटन की भागीदारी 11-13 प्रतिशत एवं परिवहन की भागीदारी 9 से 11 प्रतिशत है (चित्र 21)।

चित्र 21: सेवा निर्यात संरचना

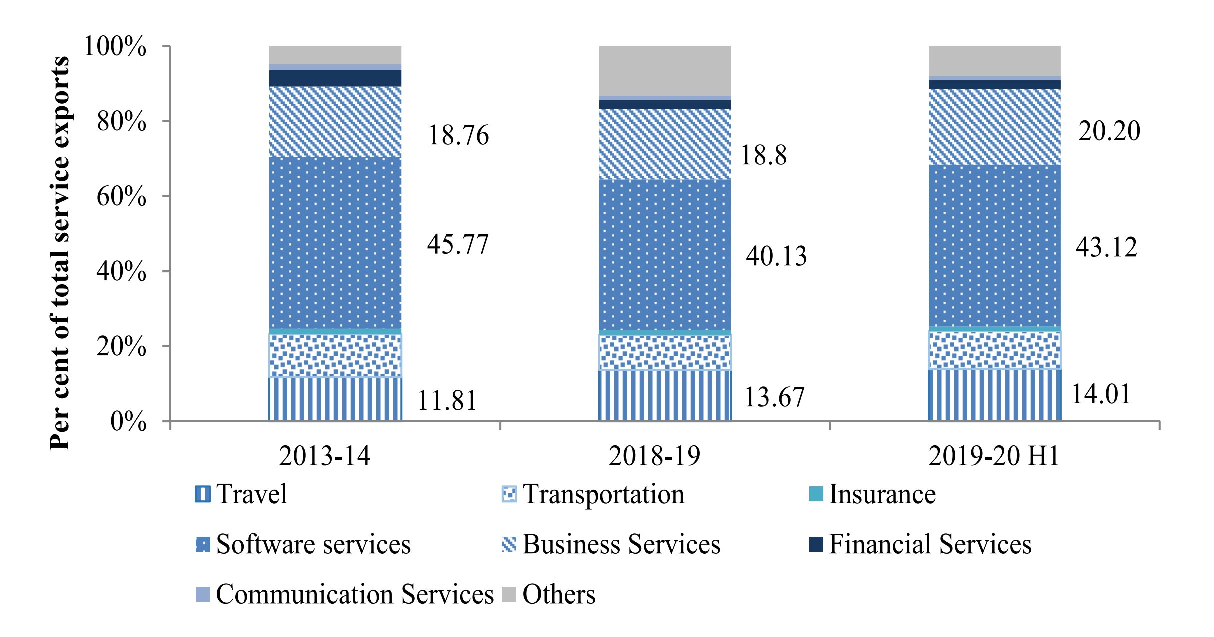

स्रोतः भारतीय रिवर्ज बैंक

क. 2.2 सेवा आयात

3.28 जीडीपी अनुपात में सेवा आयात में वृद्धि का बीओपी स्थिति पर निवल नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पिछले कुछ वर्षों में, जीडीपी के संबंध में सेवा आयात में तेजी से वृद्धि हो रही है, जिससे बीओपी पर दबाव बढ़ रहा है (तालिका 14 चित्र 22)। हालांकि, एफडीआई में वृद्धि एवं 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम में उत्तरोत्तर प्रगति से जीडीपी अनुपात में सेवा के आयात में वृद्धि होना अवश्यभावी है।

तालिका 14: जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सेवा आयात

2009-14	2014-19	2018-19	2019-20 H1
4.4	4.3	4.6	4.6

स्रोतः भारत रिजर्व बैंक

चित्र 22: जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सेवा आयात

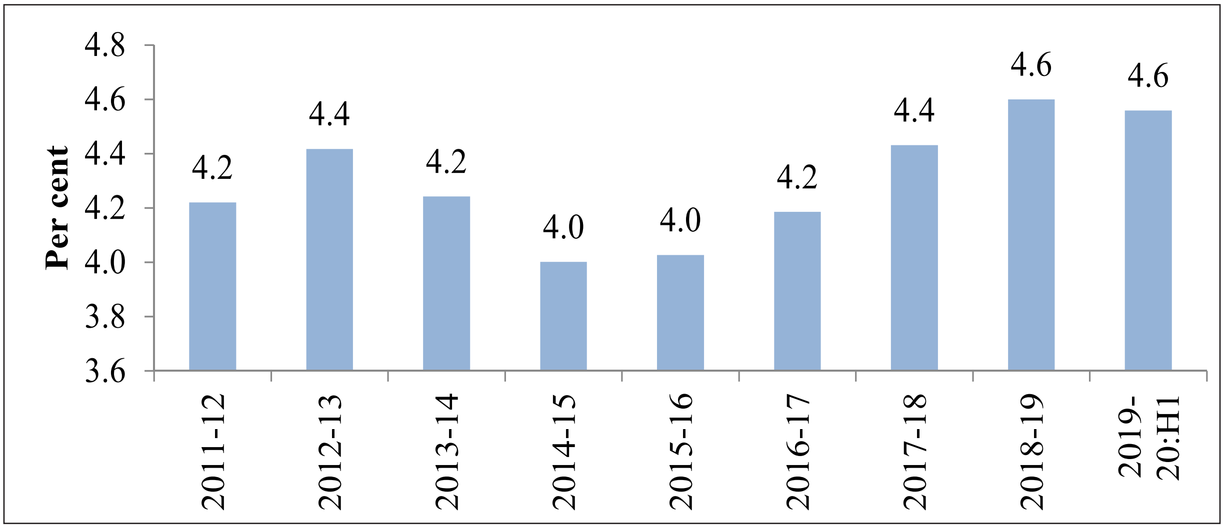

स्रोतः भारत रिजर्व बैंक

चित्र 23: सेवा आयात संरचना

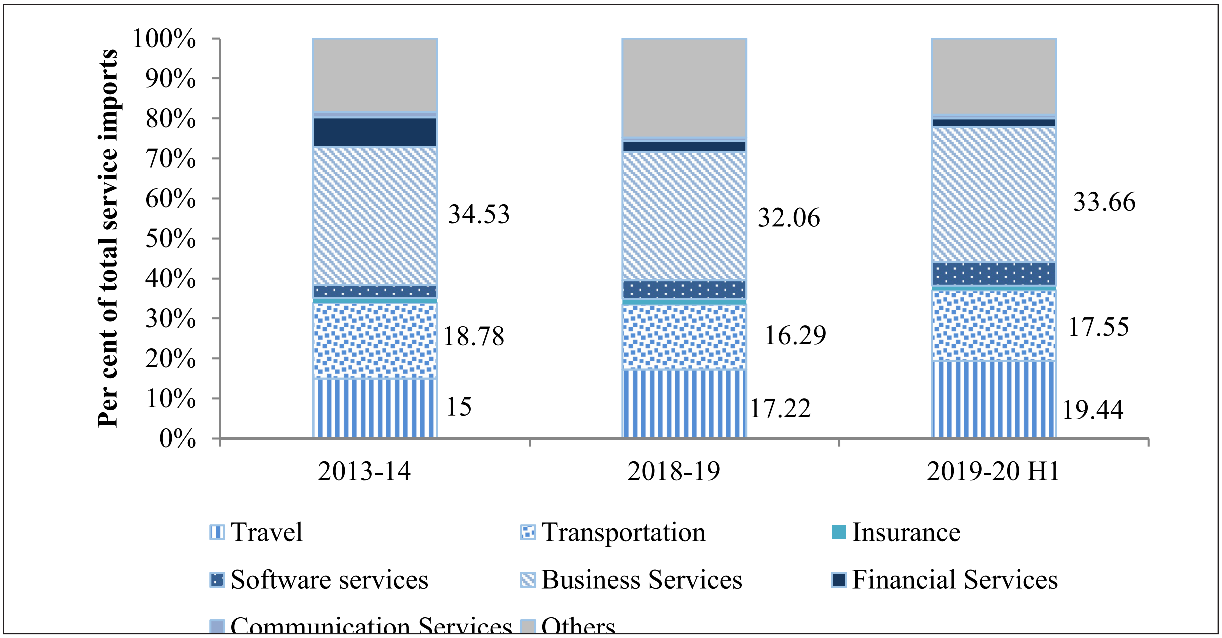

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

3.29 सेवा आयातों के विभिन्न घटकों के सापेक्षिक हिस्से और व्यवसायिक सेवा, जो कि सेवा आयात का लगभग एक तिहाई है, के साथ अधिाक बदले नहीं है, यह देश में आर्थिक गतिविधि के बढ़ते स्तर के अनुरूप है। हालांकि, पर्यटन सेवा के घटक में लगातार वृद्धि हो रही है, जो उच्च मध्य वर्गों में वैश्विक गंतव्यों के बढ़ते आकर्षण को दर्शाता है (चित्र 33)।

क. 3 नीति पर्यावरण

क. 3.1 भारत और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ)

3.30 भारत ने 13-14 मई, 2019 को नई दिल्ली में व्यापार मंत्रियों के साथ मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी की जिसमें सदस्य देशों के लिए, जो चिंता का विषय है, उस पर विचार-विमर्श करने के लिए महानिदेशक, विश्व व्यापार संगठन के साथ सोलह विकासशील और छह सबसे कम विकसित देशों ने भाग लिया। बैठक का समापन एक परिणाम दस्तावेज के साथ हुआ, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में विकासशील देशों की प्राथमिकताओं को तय किया गया और विश्व व्यापार संघ की विवाद निपटान प्रणाली द्वारा सामना किए जाने वाले चुनौतियों का समाधान करने की परिकल्पना की गई है।

3.31 भारत भी अन्य विकासशील देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है और विश्व व्यापार संगठन की जनरल कांउसिल की बैठक में एक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उन प्राथमिकताओं को रेखांकित किया गया है, जिन पर विश्व व्यापार संगठन में सुधार करते समय ध्यान दिया जाना आवश्यक है। यह अपेक्षा की गई है कि बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के मुख्य सिद्धांतों के संरक्षण, विशेष और विभेदक उपचार के प्रावधानों की रक्षा, अपीलीय निकाय संकट के समाधान, एकतरफा कार्रवाइयों का निपटान किया जाए और अधिदिष्ट क्षेत्रों में विचारविमर्श जारी रखा जाए। विशेष रूप से भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि वैश्विक व्यापार प्रणाली में विकासशील देशों के बेहतर एकीकरण के लिए विशेष और विभेदक उपचार प्रावधान आवश्यक हैं। ये प्रावधान विश्व व्यापार संगठन के मूल में हैं और इनको अवश्य संरक्षित किया जाना चाहिए।

3.32 इसके अलावा, भारत और क्यूबा सहित अन्य विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों द्वारा विश्व व्यापार संगठन में पारदर्शिता सुनिश्चत करने और अधिसूचना की आवश्यकता के बात पर जोर दिया गया है। इस प्रस्तुतिकरण की रूपरेखा बताती है कि विश्व व्यापार

संगठन के सभी कार्यों में पारदर्शिता एक सामान्य सूत्र होना चाहिए। कम विकसित देशों सहित विकासशील देश, जो पहले से ही संसाधान/क्षमता से बाधित हैं, को पारदर्शिता में सुधार के नाम पर दंडित नहीं किया जाना चाहिए।

3.33 विश्व बैंक संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जून 2020 में नूर-सुल्तान कजाकिस्तान में आयोजित किया जाना है। विश्व बैंक की विभिन्न अनऔपचारिक मंत्री स्तरीय बैठकों और नियमित बैठकों में एमसी 12 के परिणामों पर चर्चा चल रही है। विचार विमर्श के विभिन्न क्षेत्रों में धारित पदों के संबंध में सदस्यों में भारी मतभेद होने के बावजूद भारत नियमित रूप से सदस्यों से ऐसे समाधान तलाशने के लिए बातचीत कर रहा है जिससे कि विश्व बैंक संगठन की बहुत से सदस्यों की समस्याओं का समाधान होता है।

3.34 भारत समय-समय पर खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के लिए सार्वजनिक भण्डारधारण में एक स्थायी समाधाान की आवश्यकता को रेखांकित करता है। हालांकि, बातचीत के इस क्षेत्र में रचनात्मक कार्य नहीं हुआ है। इसके अलावा भारत विश्व व्यापार संगठन में मत्स्य सब्सिडी वार्ता में पूरी तरह से जुड़ा है और गरीब छोटे और कारीगर किसान के हितों की रक्षा को प्राथकिमता के रूप में मानता है।

3.35 भारत की बहुत से क्षेत्रीय समूहों/देशों के साथ द्विपक्षीय व्यवस्थाएं हैं। मुक्त व्यापार करार (एफटीए) और अधिमानी व्यापार समझोता (पीटीए) पहले से लागू हैं और चालू व्यापार पर वार्ताओ की सूची परिशिष्ट II में दी गई है।

3.2 व्यापार सुगमता

3.36 भारत ने अप्रैल, 2016 में व्यापार सुगमता संबंधी विश्व बैंक संगठन करार की अभिपुष्टि की थी और तदनुसार इसका कार्यान्वयन आरंभ करने के लिए राष्ट्रीय व्यापार सुगमता समिति (एनसीटीएफ) गठित की थी। व्यापार सुगमता के लाभ का अनुकूलन करने के लिए, जिससे कि व्यापार की वर्तमान बुनियादी ढांचे की बाधाओं को अधिक सुगम बनाया जा सके, राष्ट्रीय व्यापार सुगमता कार्य योजना (एनटीएफएपी 2017-20) विशिष्ट गतिविधियों सहित तैयार की गई थी जिसे भारत की व्यापार की सक्रिय सुगमता प्रदाता छवि के लिए सरकार का समग्र दृष्टि कोण दर्शाने के लिए 20 जुलाई 2017 के जारी किया गया था। तब से एसीटीएफ ने निर्यात और आयात की उच्च कीमत को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जिससे देश के सीमा पर व्यापार को वैश्विक मूल्य श्रृंखला से एकीकृत किया जा सके। सतत व्यापार सुगमता व्यापार के परिणाम स्वरूप भारत ने 'सीमा पर व्यापार' संकेतक के तहत 2016 में 143वें स्थान से 2019 में 68वें स्थान पर अपनी रैंकिग में सुधार किया जिसकी विश्व बैंक संगठन द्वारा अपनी 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' रिपोर्ट में लगभग 190 देशों की समग्र रैंकिग का निर्धारण करने के लिए संवीक्षा की जा रही है।

3.37 सूचक के उप प्राचल, ''सीमा पार व्यापार'' के लिए नामित, दस्तावेज अपेक्षाओं के साथ समय और लागत का अनुपालन करना होगा और भारत ने जब से विश्व बैंक संगठन, 2016, के व्यापार सुगमता करार को अभिपुष्ट किया है तब से निर्यात और आयात के लिए सीमा संबंधी अपेक्षाओं में महत्वपूर्ण सुधार परिलक्षित हुआ है। इसके अतिरिक्त कार्गो निकासी समय लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत समुद्र पत्तन, अंतरदेशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी), वायु कार्गो काम्पलेक्स और एकीकृत जांच पोस्ट को कवर करते हुए बहुत से स्थलों पर 2019 में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर टाइम रिलीज स्टडी (टी आर एस) कर रहा है। राष्ट्रीय टी आर एस का अभीष्ट उद्देश्य निकासी समय को कम करने, विद्यमान प्रक्रियाओं की जांच करने, प्रौद्योगिकी और इंफ्रास्ट्रक्चर तथा प्रशासनिक सरकारों के लिए वर्तमान उपायों के प्रभावों का मूल्यांकन करना है और जिसके द्वारा मैनुअल प्रक्रिया तथा प्रत्यक्ष स्पर्श बिंदु, मौजूदा बुनियादी ढांचे की बाधाओं को कम करने तथा समग्र रिलीज समय को कम करने में अक्षमता (पणधारकों द्वारा) की पहचान करना है।

3.38 कार्गो के निर्गमन के समग्र समय में कमी और उसके परिणामस्वरूप 'सीमापार व्यापार' संकेतक के अंतर्गत भारत की रैकिंग में सुधार में निम्नलिखित नीतिगत पहलों का विशेष योगदान रहा है:-

बाक्स 1 मुख्य निर्यात संवर्धन योजनाएं

भारत से वाणिज्यिक वस्तु निर्यात स्कीम (एम ई आई एस): 01.04.2015 से आरंभ एम ई आई एस का उद्देश्य है भारत में उत्पादिक/विनिर्मित माल/उत्पादों के निर्यात में आने वाली अवसंरचनात्मक अदक्षताओं को दूर करना और संबंध लागतों को कम करना है। यह स्कीम निर्यातकों को किए गए निर्यात के पोतपर्यात (एफओबी) मूल के 2,3,4,5,7 प्रतिशत दर पर डयूटी क्रेडिट स्क्रिप से प्रोत्साहित करती है। यह स्क्रिप हस्तांतरणीय होती हैं तथा सीम-शुल्क सहित कुछ केन्द्रीय शुल्कों/करों को अदा करने के लिए प्रयुक्त की जा सकती है। यह स्कीम 8000 से अधिक टैरिफ लाइनों के निर्यात को कवर करती है। आवेदन करने से लेकर अंतिम रूप में जारी करने की एमईआईएस स्क्रिप की प्रक्रिया शुरू से अंत तक डिजीटाइज्ड है, एच एस कूट के 99 प्रतिशत से अधिाक जिन पर एम ई आई एस लागू होती है बिना किसी वैयक्तिक अंतरक्रिया के हैं।

भारत से सेवाओं के निर्यात की स्कीम (एस ई आई एस): इस स्कीम के तहत, उन सेवा प्रदाताओं को जो भारत से शेष विश्व में अधिासूचित सेवाएं उपलब्ध करवा कर निवल विदेशी मुद्रा आय करते हैं, उन्हें डयूटी क्रेडिट स्क्रिप के रूप में पारितोषिक उपलब्ध है। यह स्क्रिप, एम ई आई एस की तरह ही हस्तांतरणीय है और इनका उपयोग सीमा शुल्क सहित कुछ केन्द्रीय शुल्कों/करों के भुगतान के लिए किया जा सकता है। सेवा निर्यातक किसी वित्त वर्ष के दौरान किए गए निर्यात के निवल विदेशी मुद्रा आय (एन एफ ई ई) के 5 प्रतिशत और 7 प्रतिशत की दर पर एस ई आई एस के लिए अर्ह है।

पूंजीगत माल निर्यात संवर्धन (ई.पी.सी.जी.) स्कीम: यह स्कीम निर्यातकों को उत्पादन-पूर्व, उत्पादन और उत्पादन पश्चात के लिए शून्य सीमा शुल्क पर पूंजीगत माल के आयात (इस स्कीम के तहत कुछ विशिष्ट मदों के अलावा) की अनुमति देती है। इसकी एवज मे निर्यातक से यह अपेक्षित है कि वह स्वीकृति देने की तारीख क छह साल के भीतर, पूंजीगत माल पर बचाए गए आयात शुल्कों, करों और उप-करों से छह गुना अधिक निर्यात दायित्व पूर्ण करे। ईपीसीजी स्वीकृति के तहत, आयातित पूंजीगत माल, जो भौतिक निर्यात के लिए है को वर्तमान में 31.03.2020 तक स्वीकृति माल और सेवाएं कर (आई जी एस टी) और क्षतिपूर्ति उपकर की भी छूट प्राप्त है।

अग्रिम स्वीकृति स्कीम: अग्रिम स्वीकृति (एए) के तहत आगत के शुल्क रहित आयात की अनुमति प्रदान की जाती है जो भौतिक रूप से निर्यात उत्पादों (बर्बादी के लिए सामान्य अनुमति देना) में समाहित होती है। इसके साथ-साथ, ईंधन, तेल, उत्प्रेरक जो निर्यात उत्पादों के उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त/उपयोज्या किए जाते हैं, उनकी भी अनुमति है।

सीमा शुल्क मुक्त आयात स्वीकृति (डी एफ आई ए): सीमा शुल्क मुक्त आयात स्वीकृति (डी एफ आई ए) उन उत्पादों के लिए निर्यात-पश्चात् आधाार में जारी की जाती है जिसके लिए मानक आगत-निर्गत मानक (एस आई ओ एन) अधिासूचित किए जाते हैं इस स्कीम का एक उद्देश्य एक बार निर्यात होने के बाद एस आई ओ एन के अनुसार आयातित आगत अथवा स्वीकृति स्कीम के प्रावधाान अग्रिम स्वीकृति स्कीम के ही समान हैं।

ब्याज समकारी स्कीम (आई ई एम): यह स्कीम 01.04.2015 के 5 वर्ष की अवधिा के लिए प्रभावी हुई थी। यह स्कीम डी जी एफ टी द्वारा पूर्व और पश्च पोतलदान रुपया निर्यात क्रेडिट के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से कार्यानिवत की जाती है। इस स्कीम के तहत, अर्ह निर्यातकों को @ 3 प्रतिशत की दर से ब्याज समकर किया जाता है। 02.11.2018 से ब्याज समकारी दर, पूर्व और पश्च पोतलदान रुपया निर्यात क्रेडिट पर चालू ब्याज समकारी स्कीम (आई ई एस) के तहत एम एस एम ई क्षेत्र के निर्यात के लिए 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है। 02.01.2019 से इस स्कीम के तहत ब्यापार निर्यातकों को भी 3 प्रतिशत की ब्याज समकारी दर में शामिल कर लिया गया है।

निर्यात उन्मुखी इकाइयां (ईओयू)/इलैक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (ईचवटीपी)/सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपी)/जैव प्रौद्योगिकी पार्क (बीटीपी) योजनाः निर्यात उन्मुखी इकाइयां (ईओयू)/इलैक्ट्रनिकी हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (ईएचटीपी)/सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपी)/जैव प्रौद्योगिकी पार्क (बीटीपी) नामक इन चार योजनाओं का उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना, विदेशी मुद्रा के अर्जन को बढ़ावा देना, निर्यात के उत्पादन के लिए निवेश को आकर्षित करना और रोजगार उत्पन्न करना है। अपनी वस्तुओं एवं सेवाओं (डीटीपी के अंतर्गत अनुमत बिक्री को छोड़कर) के पूरे उत्पादन का निर्यात करने वाले उपक्रमों को इस योजना के अंतर्गत स्थापित किया जा सकता है। इन योजनाओं के अंतर्गत व्यापारिक इकाइयों को शामिल नहीं किया जाता। इस योजना के अंतर्गत ईओयू आदि को डीटीए या डीटीए के अंतर्गत परिबद्ध अथवा दिनांक 31.03.2020 तक भारत में आयोजित की जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी (जैसा कि जीएसटी परिषद तथा उसके अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं द्वारा प्रावधान किया गया है) से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत सीमाशुल्क का भुगतान किए बिना आयात और/या खरीद की अनुमति होती है और यदि धारा 3(1), 3(3) एवं 3(5) के अंतर्गत वसूल किए जाने वाले सीमा शुल्क के अतिरिक्त कोई शुल्क, यदि कोई हो तो और समय-समय पर राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 3(7) एवं 3(9) के अंतर्गत वसूल किए जाने वाले एकीकृत कर और जीएसआई प्रतिपूरक प्रतिकर का भुगतान किए बिना खरीद की जा सकती है।

मानित निर्यात योजनाः मानित निर्यात में उन लेनदेन का संदर्भ होता है जिसमें आपूर्तित वस्तुएं देश से बाहर नहीं जाती और इस प्रकार की आपूर्ति का भुगतान भारतीय रुपयों में या निशुल्क विदेशी मुद्रा में प्राप्त होता है। मानित निर्यात की योजना के अंतर्गत विनिर्मित वस्तुओं और मानित निर्यात की विनिर्दिष्ट श्रेणियों को आपूर्तित वस्तुओं पर विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के अंतर्गत शुल्क से छूट/वापसी का प्रावधान होता है जिससे कि स्वदेशी विनिर्माताओं के लिए समान अवसर सुनिश्चित किए जा सकें। इस योजना में लाभों के अंतर्गत शुल्क से छूट, अंतिम बिन्दु पर लगने वाले उत्पाद शुल्क की वापसी, मानित निर्यात की विनिर्दिष्ट श्रेणियों में वस्तुओं के विनिर्माण और आपूर्ति में प्रयुक्त सामग्री के कारण व्यर्थ हो गए शुल्क की वापसी शामिल होते हैं। जीएसटी प्रणाली के अंतर्गत शुल्क की वापसी मूल सीमाशुल्क में छूट/वापसी तक सीमित होती है।

विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद योजना के लिए परिवहन एवं विपणन सहायता (टीएमए): माल के वाहनांतरण के कारण और विनिर्दिष्ट विदेशी बाजारों में भारतीय कृषि के ब्रांड की पहचान को बढ़ावा देने के लिए विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों के निर्यात की उच्च परिवहन लागत की हानि को कम करने के लिए फरवरी, 2019 में विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों के लिए 'परिवहन एवं विपणन सहायता'' (टीएमए) योजना को लागू किया गया था और यह दिनांक 01.03.2019 से 31.03.2020 के दौरान होने वाले निर्यात के लिए उपलब्ध है।

निर्यात योजना के लिए व्यापार अवसंरचना (टीआईईएस): भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2017-18 से निर्यात योजना के लिए व्यापार अवसंरचना (टीआईईएस) नामक एक योजना प्रारंभ की है जिसका उद्देश्य राज्यों से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त अवसंरचना के सृजन के लिए केन्द्रीय एवं राज्य सरकार की एजेंसियों की सहायता की जा सके। इस योजना में केन्द्र एवं राज्य सरकार की एजेंसियों को योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। टीआईईएस के अंतर्गत निर्यात निरीक्षण एजेंसी, मुंबई में मूल के निर्धारण और प्रामाणिकता के लिए सुविधा की स्थापना और ईआईए चेन्नई एसओ विशाखापट्टनम के कार्यालय एवं प्रयोगशाला परिसर का निर्माण नामक दो परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

स्रोतः वाणिज्य विभाग

- सीमाशुल्क पोर्टल पर व्यापार की सुविधा के लिए एकल विंडों इंटरफेस (स्विफ्ट) की स्थापना
- क्लियरेंस के बाद की लेखा परीक्षा
- विश्वसनीय निर्यातकों द्वारा आरएफआईडी टैग के माध्यम से स्व ई-सीलिंग
- आयात/निर्यात के लिए केवल 3 अनिवार्य दस्तावेज की अपेक्षा
- सहायक दस्तावेजों को ऑनलाइन दर्ज करने के लिए 'ई-संचित' प्रारंभ
- भारतीय सीमाशुल्क व्यापार करने की सुगमता डैशबोर्ड (आईसीईडीएएसएच) के माध्यम से आयातित कार्गो क्लियरेंस समय की निगरानी
- 24X7 ऑनलाइन सीमाशुल्क क्लियरेंस सुविधा
- अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए 'अतिथि' ऐप का प्रारंभ और
- व्यापारी समयोपति शुल्क का उन्मूलन और स्कैनर के माध्यम से ड्राइव का अधिष्ठापन

3.39 आयात के लिए सीधे बंदरग्राह पर डिलीवरी (डीपीडी) एवं निर्यात के लिए सीधे प्रत्यक्ष बंदरगाह प्रवेश (डीपीई) जैसी नई योजनाओं से बंदरगाहों पर तीव्र गति से क्लियरेंस हो रही है। बंदरगाह अवसंरचना के उन्नयन, बंदरगाहों पर नए स्कैनरों के अधिष्ठापन, सुदृढ़ जोखिम आधारित उपायों के विकास एवं समस्य बड़े बंदरगाहों पर नई बंदरगाह समुदाय प्रणाली के प्रारंभ से समुद्री बंदरगाहों पर लगने वाले औसत समय में सुधार हुआ है। सीमाशुल्क 'तुरंत'[4] (कस्टम) जैसे नए प्रयासों से सीमाशुल्क क्लियरेंस तेजी से और व्यक्तिरहित होगी।

3.40 डिजिअल एवं धारणीय व्यापार सुविधा सेवा 2019, पर अभी हाल ही में जारी किए गए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सर्वेक्षण में भारत ने न केवल अपने समग्र व्यापार सुविधा के अंकों को 69 प्रतिशत से बढाकर 80 प्रतिशत कर लिया है अपितु एशिया-प्रशांत और दक्षिण एवं दक्षिण-पश्चिम एशिया प्रशांत क्षेत्र (चित्र 24) में अन्य देशों से भी बेहतर प्रदर्शन किया है।

चित्र 24: डिजिटल एवं धारणीय व्यापार सुविधा में एशिया प्रशांत एवं दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम एशिया की तुलना में भारत का प्रदर्शन (2019)

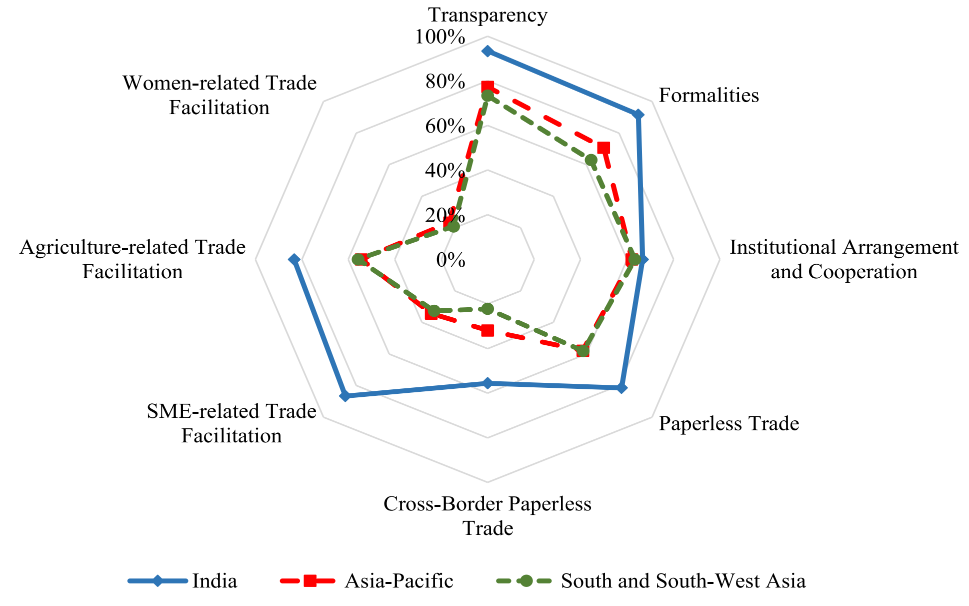

स्रोतः डिजिटल एवं सतत धारणीय सुविधाओं पर संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक सर्वेक्षण, 'https://untfsurvey.org/economy?id=IND'

4. यह अगली पीढ़ी के सुधार कार्यों का एक समूह है जिसके अंतर्गत भारतीय सीमा शुल्क की साफ्टवेयर प्रणालियों मे एक नई सुविधा प्रारंभ की गई है जो सीमाशुल्क अधिकारियों के समक्ष अनुमोदन के लिए आयात से संबंधित दस्तावेजों को वास्तव में प्रस्तत करने की आवश्यकता को समाप्त करती है। इससे समय में कमी आई है।

सारणी 15: 2018 में विश्व बैंक लॉजिस्टिक्स निष्पादन सूचकांक

देश	एलपीआई में स्थान	सीमाशुल्क	अवसंरचना	अंतर्राष्ट्रीय नौवहन	लॉजिस्टिक्स सक्षमता	ट्रैकिंग एवं ट्रेसिंग	समय-सीमा
जर्मनी	1	1	1	4	1	2	3
स्वीडन	2	2	3	2	10	17	7
बेल्जियम	3	14	14	1	2	9	1
आस्ट्रिया	4	12	5	3	6	7	12
ज्ञापन	5	3	2	14	4	10	10
भारत	44	40	52	44	42	38	52

स्रोत: विश्व बैंक

क.3.4 व्यापार से संबंधित लॉजिस्टिक्स

3.41 भारतीय लॉजिस्टिक्स सेक्टर का तेजी से विकास हो रहा है और यह एक सफल होने वाला उद्योग है। अनुमानों के अनुसार, भारतीय लॉजिस्टिक्स सेक्टर का मध्यावधि में 8-10 प्रतिशत बढ़ने की अपेक्षा है। भारत में लॉजिस्टिक्स उद्योग वर्तमान में लगभग 160 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है और 2020 तक 215 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की अपेक्षा है।[5]

3.42 भारतीय भंडार एवं लॉजिस्टिक बाजार को पिछले कुछ वर्षों (जनवरी, 2014 जनवरी, 2018) में लगभग 3.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर संस्थागत पूंजी प्राप्त हुई इस अवधि के दौरान, भंडार क्षेत्र में निवेश भू-संपदा में कुल निजी इक्विटी निवेश का लगभग 26% है लॉजिस्टिक्स परितंत्र में अनेक नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं जिनमें से 350 स्टार्टअप्स पहले से ही पंजीकृत हैं। कृषि लॉजिस्टिक्स भी ध्यान आकर्षित कर रहा है। सौर ऊर्जा से चलने वाले सूक्ष्म कोल्ड स्टोर्स तैयार किए गए रहे हैं और ऐप आधारित ग्रेडिंग सुविधाएं तैयार की जा रही हैं। वाहनों को अधिक ईंधन-कुशल और वातावरण के अनुकूल बनाने के लिए साधान मुहैया कराने पर भी स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। रोजगार पैदा करने के संदर्भ में, विशेषज्ञों का अनुमान है कि लॉजिस्टिक्स सेक्टर 2022 तक सबसे बड़ा रोजगार सृजनकर्ता होगा। वर्तमान में यह सेक्टर देश में 22 मिलियन लोगों को रोजगार मुहैया करा रहा हैं

3.43 विश्व बैंक के लॉजिस्टिक निष्पादन इंडैक्स के अनुसार भारत 2014 में 54वें रैंक की तुलना में 2018 में 44वें रैंक पर ऊपर आया। लॉजिस्टिक निष्पादन इंडेक्स में विश्व के 5 उच्चतम देश तालिका -15 में भारत सहित एलपीआई मं इनकी रैंकिंग ओर प्रत्येक के पृथक संकेतक सहित दर्शाए गए हैं।

3.44 व्यापार लॉजिस्टिक्स में सुधार लाने के लिए सरकार भारतमाला, सागरमाला और समर्पित माल गलियारों जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं के माध्यम से अवसंरचना तैयार कर रही है। परिवहन के किफायती साधनों के रूप में अंतर्देशीय जलमार्ग तैयार किए जा रहे है। मल्टीमॉडल परिवहन को प्रोत्साहित करने के लिए मल्टिमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाए जा रह है। ये 102 लाख करोड़ रूपए की लागत से तैयार होने वाले अवसंरचना परियोजना का एक हिस्सा है, जिसका विवरण दिसम्बर, 2019 में सरकार द्वारा जारी किया गया है। अवसंरचना संबंधी परियोजनाएँ अगले पांच वर्षो में तैयार हो जाएंगी।

3.45 भारत सरकार राष्ट्रीय लौजिस्टिक्स नीति और एक राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स कार्य योजना पर कार्य कर रही है। महत्वपूर्ण पण्यों की पहचान की गई है और उन्हें सबसे

5ण वाणिज्य विभाग से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार

सस्ते माध्यमों से रेलवे, तटीय मार्गो, जलमार्गो और स्लरी पाइपलाइनों जैसे अन्य माध्यमों से संचलन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। टोल प्लाजाओं पर विलम्ब में कमी लाने के लिए फास्ट टैग्स को अनिवार्य बनाया गया है। इस सेक्टर में कौशल में सुधार लाने के लिए योग्यता पैक का सृजन किया गया है। उद्योगों की भागीदारी के माध्यम से अप्रेंटिस कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जा रहा है/दक्षता लाने के लिए मानक तैयार किए जा रहे हैं।

3.46 लॉजिस्टिक्स की लागत में कमी लाने पर सरकार जोर दे रही है। जिससे हमारे विनिर्माण क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। ड्राइविंग लॉजिस्टिक्स लागत सकल घरेलू उत्पाद के वर्तमान अनुमानित स्तर 13-14 प्रतिशत से घटकर 10 प्रतिशत हो गई, जो कि विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने के लिए भारत के लिए वैश्विक मानकों की श्रेणी में सर्वेश्रेष्ठ होना अनिवार्य है।

क.3.4 न्यूनमूल्यरोधी (एंटी डंपिंग) एवं संरक्षा उपाय

3.47 भारत देश में मालों के मूल्य में गिरावट कर घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच आकस्मिक साठगांठ के प्रथम दृष्टया साक्ष्य वाले घरेलू उद्योगों द्वारा लाये आवेदनों के आधार पर मूल्यन्यूनरोधी अन्वेषण करता है। चीन पीआर, हांग-कांग, कोरिया, जर्मनी, इयू, यूएसए, मलेशिया, दक्षिण अफ्रिका, थाइलैण्ड, ब्राजील, इन अन्वेषणों में शमिल अन्य देश हैं।

3.48 01.04.2019 से 31.11.2019 तक की की अवधि के दौरान व्यापार उपचार महानिदेशालय ने 25 मूल्यन्यूनरोधी अन्वेशण, 5 प्रतिकारी शुल्क अन्वेषण और 6 सुरक्षा अन्वेषण आरंभ किए। इस अवधि के दौरान 14 न्यूनमूल्यरोधी अन्वेषणों, 4 प्रतिकारी अन्वेषणों में अंतिम परिणाम और 5 अन्वेषणों में प्राथमिक परिण ाम जारी किए गए थे।

3.49 घरेलू उत्पादकों के लिए पारदर्शिता, दक्षता और शीघ्र राहत को बढावा देने के प्रयासों में डी.जी.टी.आर ने न्यून मूल्य रोधी शुल्क, सुरक्षा शुल्क और प्रतिकारी शुल्क जैसे विभिन्न व्यापार उपायों के लिए ऑनलाइन याचिका प्रस्तुत करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पेश किया है। पोर्टल को आरटिस नाम दिया गया है। (भारतीय उद्योग और अन्य हितधारकों के लिए व्यापार में उपायों के लिए आवेदन)। आवेदक ऑनलाइन पोर्टल द्वारा अपने आवेदनों की वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते है।

3.50 डी.जी.टी.आर के अफसरों द्वारा समय समय पर उपलब्ध उपायों के बारे में विभिन्न हितधारकों को जागरूक करने के लिए 'आउटरीच' कार्यकम आयोजित किये जा रहे हैं। इसके अलावा जी सी सी और ज़िंबावे के प्रतिनिधिमंडल के लिए व्यापार उपाय तंत्र पर संगोष्ठी और पारस्परिक अनुक्रिया सत्र आयोजित किए गए। अवैध व्यापार को रोकने के उद्देश्य से उपलब्ध व्यापार उपचारात्मक उपायों के विभिन्न हितधारकों द्वारा इष्टतम उपयोग की सुविधा के लिए एक सहायता डेस्क और सुविधा केन्द्र की स्थापना की गई है।

क.4 निवल धनप्रेषण

3.51 निवल प्रेषण में वृद्धि से बी ओ पी स्थिति में सुधार होता है। विदेशों में कार्यरत भारतीयों से निवल प्रेषण साल-दर-साल बढता जा रहा है और 2018-19 के कुल प्राप्तियों के पचास प्रतिशत से अधिक 19-20 की पहली छमाही में प्राप्त हुई है (तालिका 16)। कच्चे तेल की कीमत में उतार चढाव के संबंध में भारत में प्रेषण की चक्रीयता को आर्थिक सवेक्षण, 2016-17 सहित विभिन्न अध्ययनों द्वारा अनुभविक रूप से स्थापित किया गया है (चित्र 25)।

तालिका 16: निवल धन प्रेषण (बिलियन अमेरिकी डॉलर)

2009-14	2014-19	2018-19	2019-20 H1
298.21	319.53	70.60	38.4

स्रोतः भारतीय रिजर्व बैंक

चित्र 25 धन प्रेषण और पण्य व्यापार घाटा

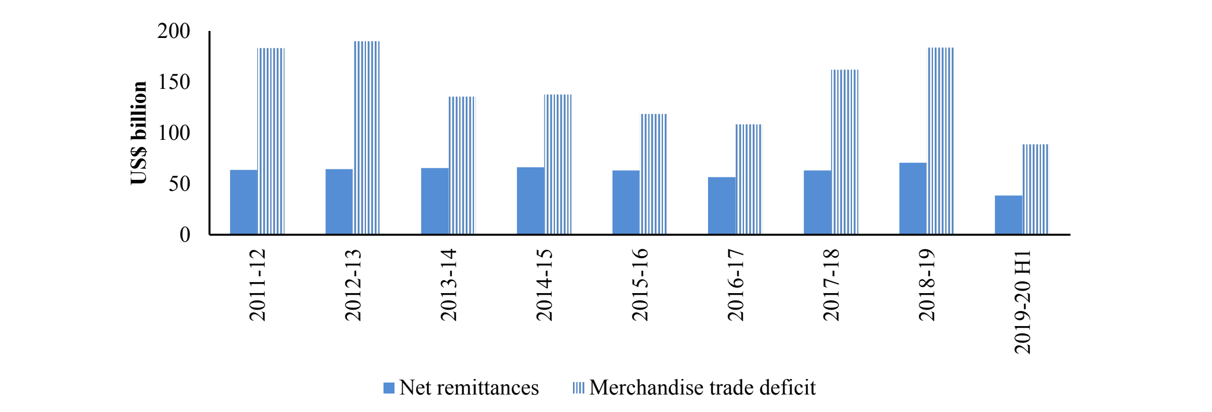

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक एवं वाणिज्यि विभाग

चित्र 26: निवल एफडीआई ओर सीएडी

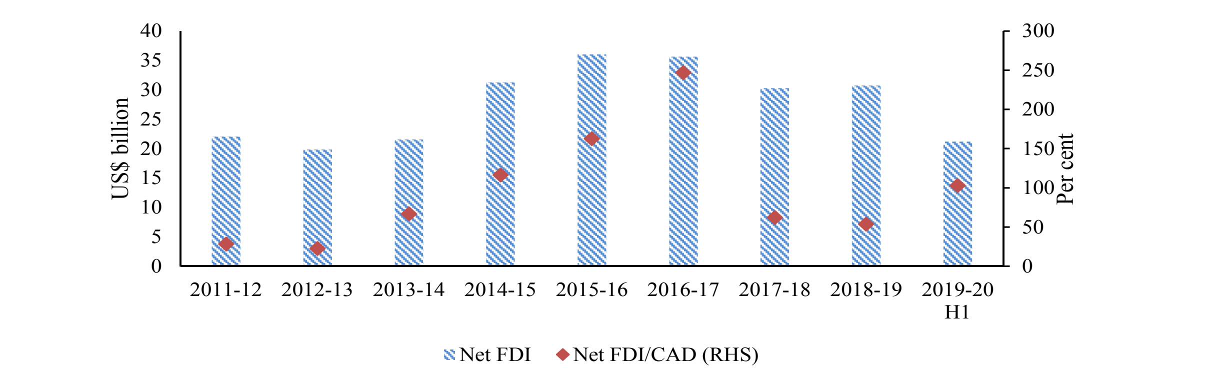

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

3.52 संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2019 में जारी 'द माइग्रेशण रिपोर्ट' में भारत को 2019 में 17.5 मिलियन की प्रवासी ताकत के साथ अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों की उत्पत्ति का प्रमुख देश बताया है। विश्व बैंक की अक्तूबर 2019 की रिपोर्ट की तहत, भारत 2018 में शीर्ष धन प्रेषण पाने वाला देश बना रहा, इसके बाद चीन, मेक्सिको फिलिप्पिन्स और मिश्र का स्थान रहा।

बी. विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई)

3.53 2019-20 के शुरू के आठ महीनों में निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 24.4 अमरीकी बिलियन डॉलर था। निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में वृद्धि से बी ओ पी स्थिति में सुधार होता है। मार्च 2014 से मार्च 2019 तक बी ओ पी स्थिति में जो प्रभावशाली सुधार आया है, उसका मुख्य जिम्मेदार 2009-14 से 2014-2019 तक देश में निवल एफ.डी.आई. के लगभग दुगुना होना है। निवल एफ.डी.आई. का उछाल जारी रहने से पहली छमाही में ही पिछले साल से पचास प्रतिशत ज्यादा धनराशि आकर्षित हुई है (तालिका 17) देश में विदेशी निवेश के बढते प्रवाह के लिए एफ.डीआई दिशानिर्देशों का लगातार उदारीकरण जिम्मेदार रहा है।

तालिका 17: निवल एफडीआई (यूएस डालर बिलियन में)

2009-14	2014-19	2018-19	2019-20 H1
92.51	163.87	30.7	21.3

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

3.54 निवल एफ.डी.आई. में वृद्धि सीएडी के निधिकरण का एक अधिक उपयुक्त स्रोत प्रदान करती है, और इस लिहाजे से अन्य पूंजी प्रवाह की तुलना में बीओपी स्थिति में सुधार के लिए अधिक स्थिरता प्रदान करती है। देश में 2019-20 की प्रथम छः माही में निवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश द्वारा चालू खाता घाटे का वित्तीय 2018-19 की समतुल्य अवधि से अधिक रहा है। (चित्र 26)

सी. विदेशी पत्रक निवेश (एफ पी आई)

3.55 देश में वर्ष 2019-20 के पहले 8 महीनों में निवल एफपीआई प्रवाह 12.6 बिलियन अमेरीकी डालर रहा निवल एफ.पी आई प्रवाह में वृद्धि से बी ओ पी स्थिति में सुधार होता है और प्रत्यक्ष निवेश या आरक्षित संपत्तियों में के अलावा, सीमा पर लेनदेन में शामिल ऋण और इक्विटी प्रतिभूतियों के कारण उत्पन्न हुई है। किन्तु एफ.पी आई को अक्सर उसकी, एक अर्थव्यवस्था में मुसीबत के पहले संकेत पर या दुनिया में कहीं और विशेष रूप से अमरिका में फेडरल रिजर्व के हाथों निवेश आकर्षण में बढावा देखकर भाग जाने की प्रवृत्ति के कारण 'हॉट मनी' कहा जाता है। 2009-14 की 45.6 प्रतिशत की तुलना में 2014-19 की 17.1 प्रतिशत, निवल एफडीआई के संबंध में, सी ए डी को वित्त प्रदान हेतु निवल एफ पी आई पर निर्भरता कम है (चित्र 27)। 2018-19 में देश से निवल पोर्टफोलियो बहिर्वाह रहा जिसे भारत की आर्थव्यवस्था पर निवेशकों के विश्वास की कमज़ोरी के रूप में देख गया। हालॉकी 2019-20 प्रथम छमाही में पोर्टफोलिया प्रवाह का सकारात्मक बनने के लिए अमेरिका की मौद्रिक नीति, वैश्विक बाजार में तरलता में वृद्धि और बजट घोषणा के पश्चात भारत के विकास की प्रबल संभावनाओं को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है (तालिका 18)।

तालिका: 18 निवल एफ पी आई (बिलियन अमेरीकी डालर)

2009-14	2014-19	2018-19	2019-20 H1
59.1	67.18	-0.62	7.3

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

चित्र 27: निवल एफपीआई ओर सीएडी

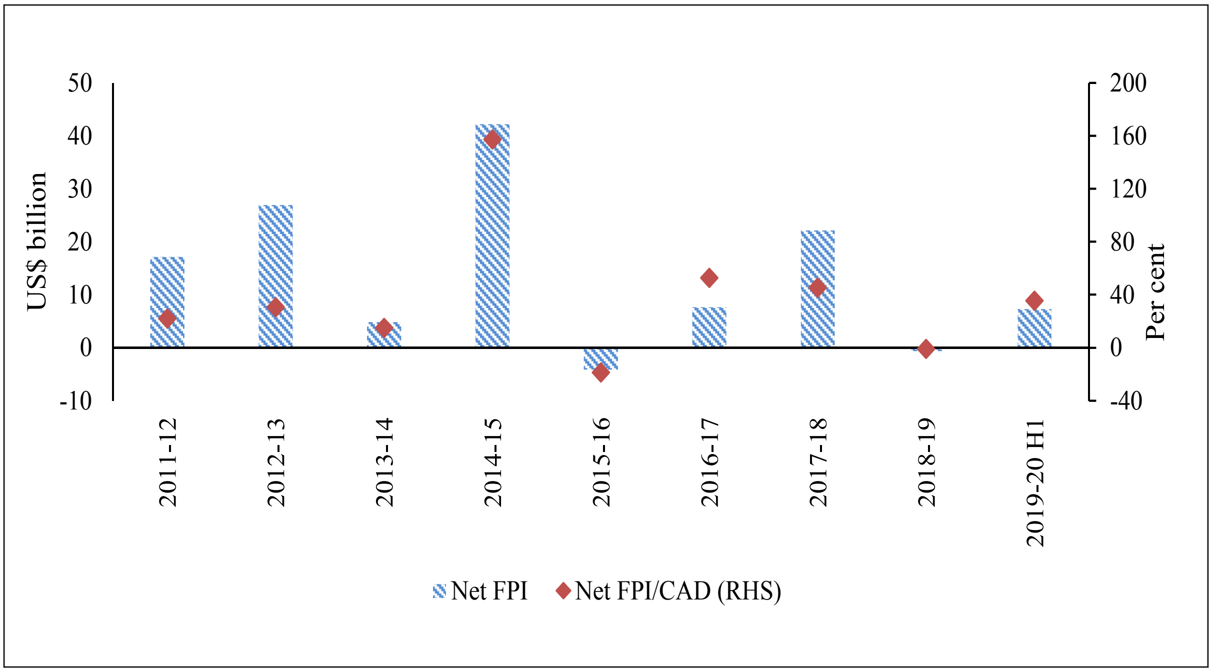

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

3.56 बाहरी ऋण की सेवा को प्रभावित करने के मामले में निवल एफ पी आई की ऋण-इक्विटी रचना मायने रखती है। एक कम ऋण घटक, ऋण सर्विसिंग के बोझ को कम करना है और बी ओ पी स्थिति में सुधार करता है। 2019-20 तक हाल की तिमाहियों में, एफ पी आई की संरचना में बदलाव इक्विटी और निवेश फंड बनाने

चित्र 28: एफ पी आई प्रवाह की संरचना

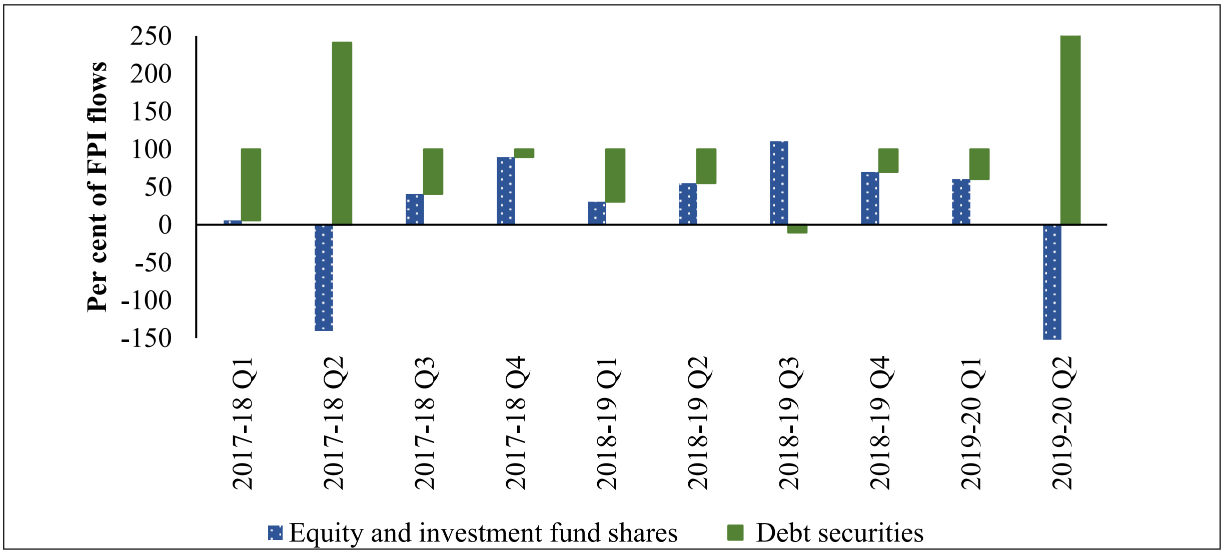

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

चित्र 29: सरकारी प्रतिभूतियों में एफ पी आई

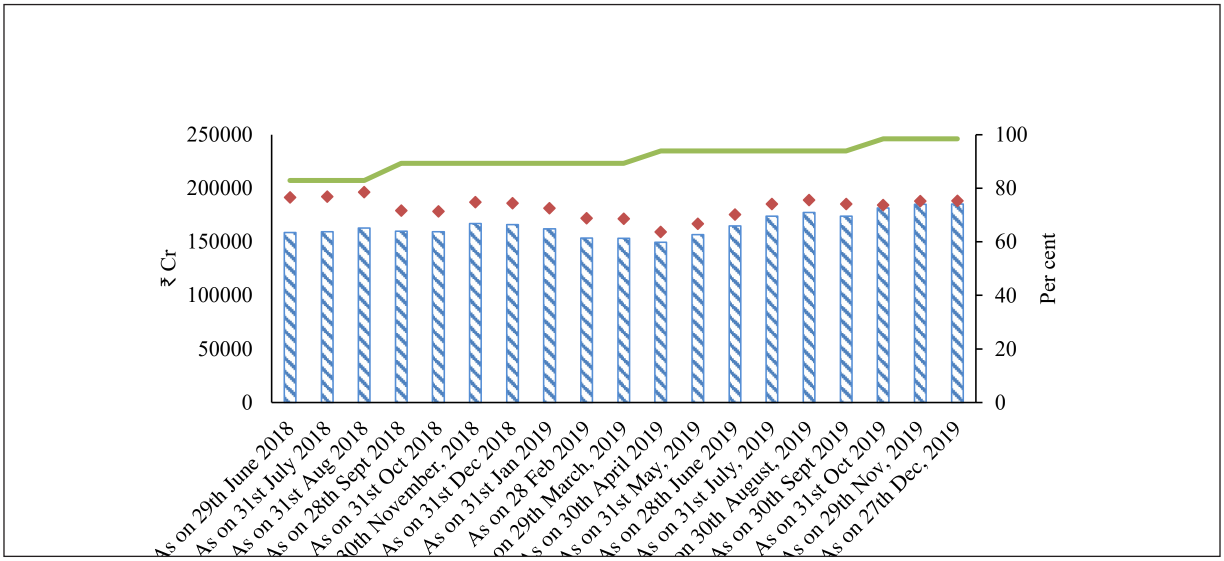

स्रोत: भारतीय आशोधन निगम (सीसीआइएल)

वाली अधिक गैर-ऋण रचना की ओर चला है । दूसरी तरफ, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश में बढोत्तरी, देश के ऋण बाजार को गहरा बनाने के लिए जरूरी है (चित्र 28)।

3.57 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नवम्बर, 2019 में प्रकाशित 2018-19 में भारत के भुगतान शेष के मूल्यांकन संबंधी एक रिपोर्ट में यह कहा गया था कि ऋण खंड में सर्वाधिक एफ पी आई बहिरवाहि सरकारी क्षेत्र (अर्थात, सरकारी प्रतिभूतियों) से हुआ। इस संबंध में सरकारी प्रतिभूतियों में एफ पी आई की निवेश सीमाओं में वृद्धि करने और न्यूनतम अवशिष्ट परिपक्वता को सुगम बनाने की हालिया सरकारी पहलों से एफ पी आई प्रवाहों को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है। अप्रैल, 2018 में, भारतीय रिजर्व बैंक ने केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों (सरकारी प्रतिभूतियों) में एफ पी आई निवेश की सीमा संशोधित की थी जिसमें सीमा को प्रत्येक वर्ष 0.5 प्रतिशत तक बढ़ाकर 2018-19 में प्रतिभूतियों के बकाया स्टॉक का 5.5 प्रतिशत तक और 2019-20 में प्रतिभूतियों के बकाया स्टॉक का 6 प्रतिशत तक कर दिया जाएगा। उपलब्ध अद्यतन आंकड़ों के आधार पर, सरकारी प्रतिभूतियों में एफ पी आई सीमाओं की उपयोग दर मार्च, 2019 में 68.6 प्रतिशत से बढ़ाकर

दिसम्बर, 2019 में 75.6 प्रतिशत कर दी गई (चित्र 29)।

घ. विदेशी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी)

3.58 निवल विदेशी वाणिज्यिक उधारों में वृद्धि से भुगतान शेष की स्थिति में सुधार तो होता है किन्तु इससे 2009-14 में स्वस्थ सकारात्मक स्तर से 2014-19 के दौरान ऋणात्मक होने पर भुगतान शेष की स्थिति बदतर हो गई (तालिका 19)। तथापि, 2018-19 में निवल ईसीबी में उछाल आया और 2019-20 का पहली छमाही में देश में लगभग इतनी ही राशि का पहले ही प्रवाह हो चुका है।

तालिका 19: निवल विदेशी वाणिज्यिक उधार (बिलियन अमेरिकी डॉलर)

2009-14	2014-19	2018-19	2019-20 H1
42.80	-4.24	9.77	9.76

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

3.59 जबकि हालिया वर्षों में घरेलू बैंक ऋण वृद्धि में गिरावट आई है, 2017-18 से ईसीबी मार्ग के जरिए ऋण में अत्याधिक वृद्धि देखने में आई है। ईसीबी मार्ग के लिए कार्पोरेट की बढ़ती तरजीह का कारण निम्न वैश्विक ब्याज दरें और विदेश में बेहतर तरलता हो सकता है (चित्र 30) । इसके अतिरिक्त, ईसीबी के उदारीकरण, ईसीबी की सभी कीमत का समाहन, योग्य उधारकर्ताओं की सूची का विस्तार, 750 मिलियन अमरीकी डालर तक सभी योग्य उधारकर्ताओं के लिए क्षेत्रवार उधार सीमाओं को हटाने के प्रति भारत सरकार द्वारा हाल ही में बहुत सारे उपाय शुरू किये गए है, तथा 10 बिलियन अमरीकी डालर तक कार्यशील पूंजी जुटाने हेतु तेल कंपनियों को अनुमोदन ने ईसीबी की आकर्षकता बढायी है।

3.60 ईसीबी मार्ग की उपलब्धता तथा इसकी लगातार आसानी से उपलब्धता इस दावे पर प्रश्न उठाती है कि क्या राजकोषीय घाटे में बढ़ोत्तरी निधि की आवश्यकता के लिए निजी निवेश को बाजार से बाहर कर देती है खुली अर्थव्यवस्था में विदेशी बचत हमेशा उपलब्ध होती है तथा भारत एफडीआई तथा ईसीबी आकर्षित करने के द्वारा इससे लाभान्वित हुआ है। इस संदर्भ में, यदि 2014-19 के दौरान नियत कारपोरेट निवेश दर नहीं बढ़ी तो यह इसलिए नहीं था क्योंकि बजट उधारियों सहित सरकार की संपूर्ण निवल उधारियों बैंको से कार्पोरेट क्षेत्र को ऋण सुलभता में बाधक हो गई थी। यह एक कारण रहा होगा कि कारपोरेट क्षेत्र आसानी से ईसीबी को प्राप्त कर सका जैसाकि इसने 2017-18 के पश्चात् किया था। नियत निवेश मंद निवेश दृष्टिकोण के कारण नहीं बढ़ा था, तथा जैसे ही निवेश दृष्टिकोण में सुधार हुआ वैसे ही इसकी दर में भी सुधाार हुआ जोकि लगातार ईसीबी द्वारा वित्त पोषित हो रहा था।

3.61 यद्यपि, खुली अर्थव्यवस्था में बढ़ते हुए राजकोषीय घाटे से निजी निवेश को बाहर नहीं किया जा सकता है यह दो अपरिहार्य समस्याएं अवश्य खडी करता है। पहला, यह कारपोरेट को घरेलू बाजार में उनके अधिक निवेश करने का प्रलोभन देते हुए पूंजी की घरेलू लागत को बढ़ाता है जब वे ईसीबी के जरिए अपने निवेश में वित्त पोषण करने के लिए मांग करते है। साथ ही यह विदेश

चित्र 30. ईसीबी, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) ऋण (वर्षानुवर्ष) तथा सीएडी

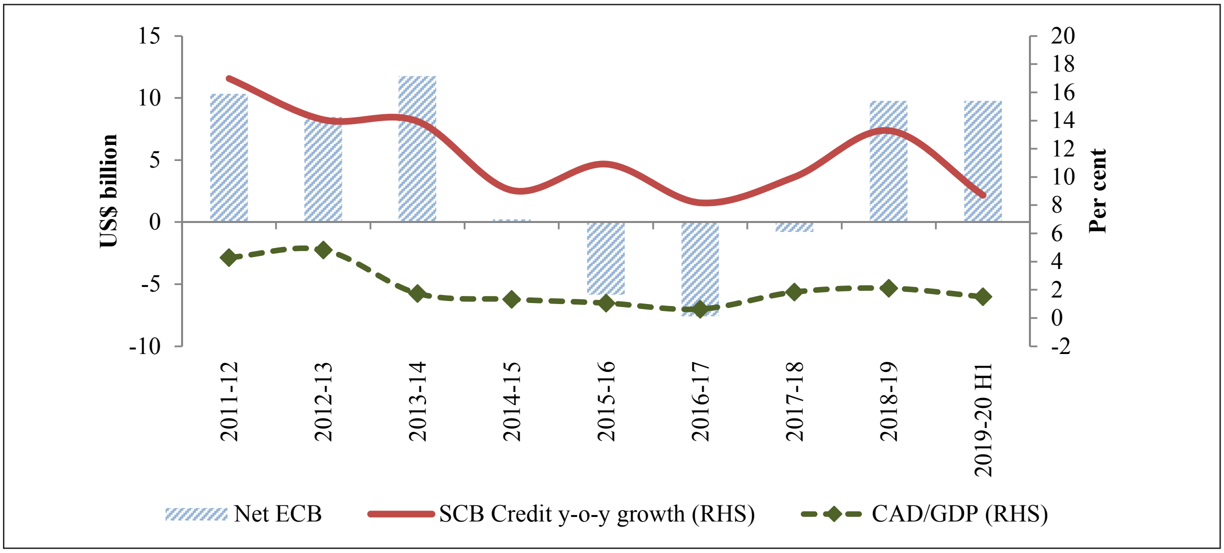

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

में निम्नतम ब्याज दर साथ ही हेजिंग की लागत का पूंजी की घेरलू लागत से कम होने में परिणत होता है। दूसरा, उच्चतर राजकोषीय घाटा कारपोरेट को विदेशी बचत की अधिक राशि मांगने पर मजबूर करता है जिससे चालू खाता घाटा बढ़ता है, देश को दोहरे घाटे की चुनोतियों के समीप लाता है, जहाँ निवेशक आत्मविश्वास को छोटा सा नुकसान भी पूंजी पलायन तथा रूपये की तीव्र गिरावट में परिणत हो सकता है। इस परिस्थिति में, भुगतान शेष में असाहयता अधिक संभाव्य बन जाती है।

ङ विदेशी ऋण

3.62 जीडीपी अनुपात की तुलना में वैदेशिक ऋण में वृद्धि ऋण की अदायगी तथा विदेशी मुद्रा भंडार पर आहरण को बढ़ाती है, जिससे भुगतान संतुलन बिगड़ता रहा है। 2009-2014 की तुलना में 2014-2019 में प्रमुख गिरावट के पश्चात् जीडीपी की तुलना में भारत का वैदेशिक ऋण वाणिज्यिक उधारियों, गैर निवासियों द्वारा की गई जमाओं तथा लघु आवधिक व्यापार ऋण में बढोत्तरी के कारण मुख्य रूप से मार्च अंत 2019 के अपने स्तर से 2020 की पहली छमाही के अंत तक 0.3 प्रतिशत थोड़ी सी बढ़ गई थी (तालिका 20 और चित्र 31)। तथापि, यह बढ़ोत्तरी आंशिक रूप से भारतीय रूपये के अमरीकी डालर तथा 2019-20 की दूसरी तिमाही में प्रमुख मुद्राओं के प्रति अधिमूल्यन के परिणामस्वरूप मूल्य वृद्धि द्वारा हुई थी। विश्व बैंक की अंतर्राष्ट्रीय ऋण सांख्यिकी, 2020 के अनुसार भारत का विदेशी ऋण सभी विकासशील देशों के जीडीपी के साथ अनुपात की तुलना में (25.6 प्रतिशत) की तुलना में निम्न बना रहा।

तालिका 20: विदेशी ऋण (जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)

2009-14	2014-19	2018-19	2019-20 H1
23.9	19.7	19.8	20.1

स्त्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक, तिमाही विदेशी ऋण रिपोर्ट आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय

3.63 लघु अवधि ऋण का बढ़ता हुआ हिस्सा भुगतान संतुलन की स्थिति और अधिक कमजोर कर देता है क्योंकि ऐसी उधारियों में अपेक्षाकृत ब्याज की दर उच्च होती है। तथापि, 2012-13 से कुल वैदेशिक ऋण में लघु ऋण (एक वर्ष तक की मूल परिपक्वता के साथ) के हिस्से देखा जा सकता है (चित्र 32)। ऐसे समय पर जबकि तेजी से नहीं बढ़ रहा है तथा उच्च ब्याज दर पर ऋण भविष्य में भुगतान संतुलन पर दबाव सृजित कर सकता है।

च. वैदेशिक देनदारियां (ऋण इक्विटी)

3.64 जीडीपी के अनुपात में वैदेशिक देनदारियाँ (ऋण इक्विटी) वैदेशिक देनदारियों का अधिक व्यापक पैमाना है क्योंकि यह लाभांश अदायगी और ब्याज को जोड़ता है। इस अनुपात में बढ़ोत्तरी बहुत हद तक विदेशी मुद्रा भंडार का गिराती है तथा भुगतान स्थिति को बिगाड़ता है। एफ पी आई तथा एफ डी आई दोनों के भीतर

चित्र 31: विदेशी ऋण/जीडीपी तथा विदेशी मुद्रा भंडारण

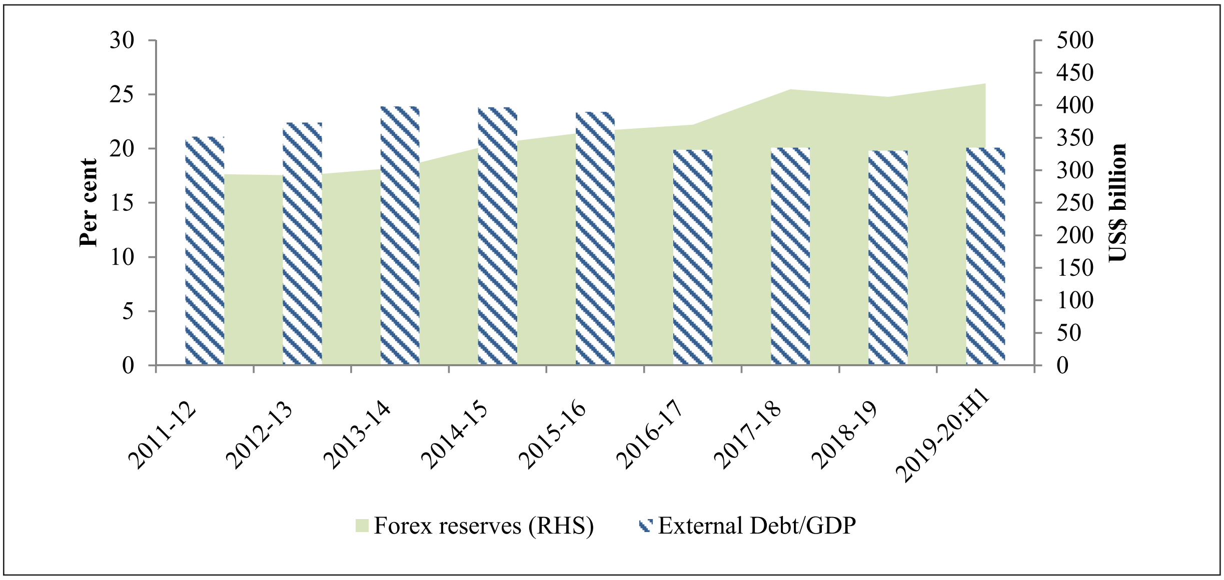

स्त्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक, तिमाही विदेशी ऋण रिपोर्ट आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय

चित्र 32: लघु अवधि वैदेशिक ऋण

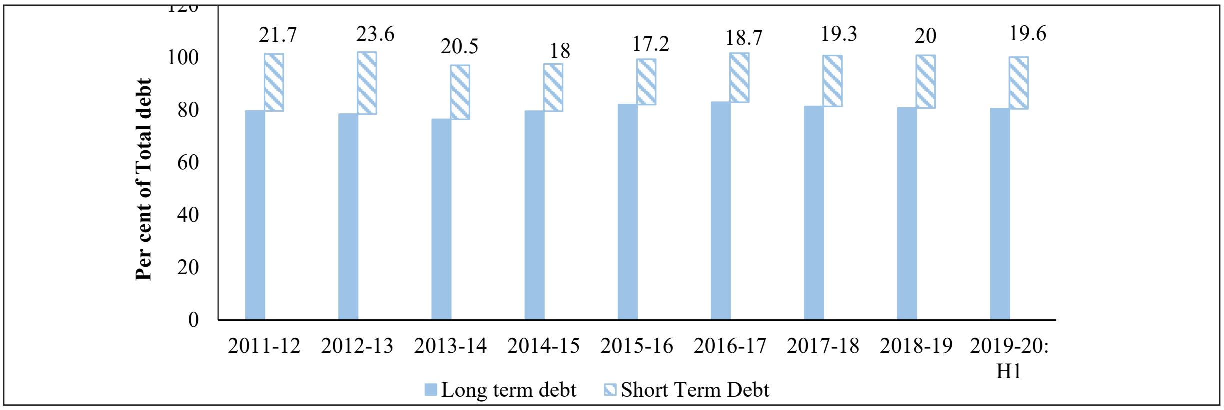

स्रोतः भारतीय रिजर्व बैंक, तिमाही वैदेशिक ऋण रिपोर्ट, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय

ईक्विटी निवेश को मिला लेना भुगतान संतुलन स्थिति की कमजोरी को बना सकता है। जीडीपी के अनुपात में भारत की वैदेशिक देनदारियों मे 2009-14 की तुलना में 2014-19 के दौरान प्रमुख गिरावट देखी गई है (तालिका 21 और चित्र 33)। साधारण वैदेशिक ऋण स्तर के बावजूद 2019-20 की पहली तिमाही में इस अनुपात में हाल ही की वृद्धि यह इंगित करती है कि कुल वैदेशिक देनदारियां ईक्विटी के प्रति सिकुड़ी है। यह एफडीआई एवं एफपीआइ अंतर्वाह में बढ़ोत्तरी के कारण हो सकती है जिसका बहुत बड़ा हिस्सा ईक्विटी के द्वारा बना हुआ होता है। ईक्विटी में विदेशी निवेश पर लाभांश अदायगी के रूप में गैर ऋण देनदारियों में बढ़ोत्तरी भुगतान संतुलन पर दबाव देगा। तथापि, दूसरी ओर ऐसे निवेश भविष्य के धन सृजन की क्षमता रखते है तथा यदि लाभांश अदायगी देश में वापस लगा दी जाए तो। भुगतान संतुलन पर दबाव कुछ हद तक हटाया जा सकता है

तालिका 21: वैदेशिक देनदारियां (ऋण, ईक्विटी) जीडीपी (समयावधि अंत)

2009-14	2014-19	2018-19	2019-20 Q1
42.2	38.2	38.4	40.8

स्रोतः आई एस एफ (नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर)

छः निवल अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति (एन आई आई पी)

3.65 निवल अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति किसी विनिर्दिष्ट समय पर उस राष्ट्र की विदेशी संपत्तियों के

चित्र 33: वैदेशिक देनदारियां (ऋण, ईक्विटी) अवधि-अंत (ईपी) पर

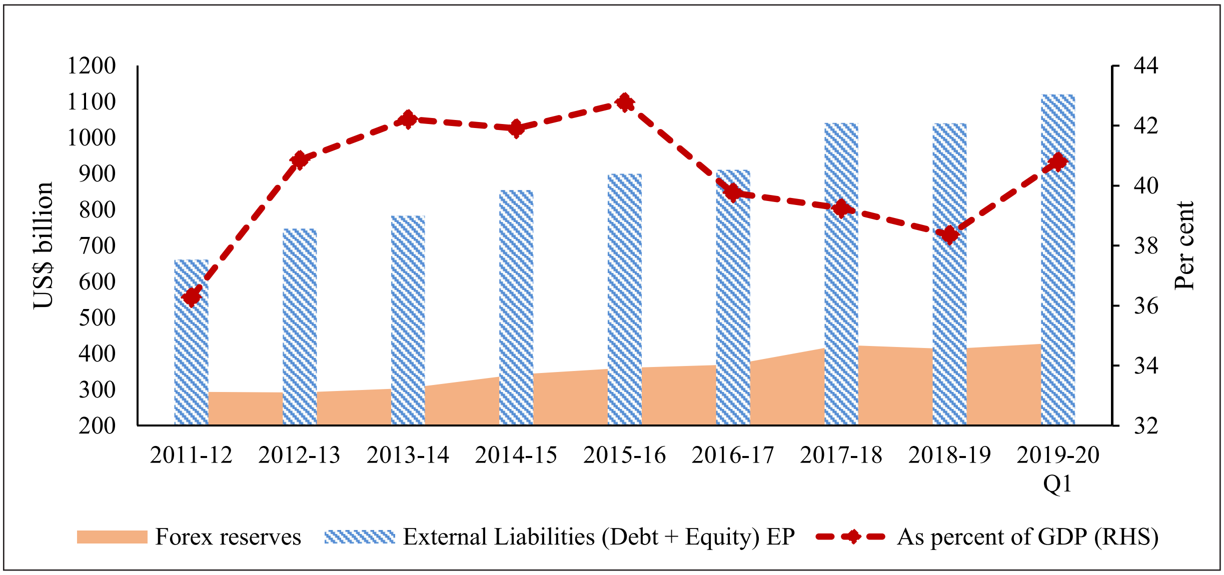

स्रोतः भारतीय रिजर्व बैंक, आई एम एफ (नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर)

भंडार तथा उस राष्ट्र कर आस्तियों के विदेशी भंडार के बीच अंतराल को मापता है। एनआईआईपी/जीडीपी अनुपात में बदलाव देश द्वारा वहन की गई वैदेशिक देनदारियों से विदेशी देश द्वारा किए गए निवेश का निवल प्रभाव है जिसके द्वारा ऋण में निवल बदलाव को मापना तथा जीडीपी के संबंध में ईक्विटी शोधन भार पर मापा जाता है। 2009-14 से 2014-19 तक निवल एफडीआईपी स्तर से बिगड़ी है (तालिका 22)। हाँलाकि, जीडीपी के संबंध में भार कम हुआ है तथा : ऋण एवं ईक्विटी शोधन दायित्व भी कम हुए हैं। 2019-20 की पहली छमाही के अंत पर एनआईआईपी/जीडीपी अनुपात 2018-19 के अंत में जिनता था उतना ही बना रहा (चित्र 34)।

संभावी परिदृश्य

3.66 2018-19 में कमजोरियों में बढ़ोत्तरी को देखने के पश्चात्, जिसने विदेशी मुद्रा भंडार की साधारण गिरावट की थी, भारत के वैदेशिक क्षेत्र ने भुगतान संतुलन

तालिका 22: निवल आईआईपी (अवधि अंत पर)

मद	2009-14	2014-19	2018-19	2019-20 H1
एनआईआईपी (बिलियन अमरीकी डालर में)	-340.8	-436.8	-436.8	-436.7
एनआईआईपी/जीडीपी	-18.4	-16.1	-16.1	-15.7

स्त्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

चित्र 34: निवल आईआईपी/जीडीपी

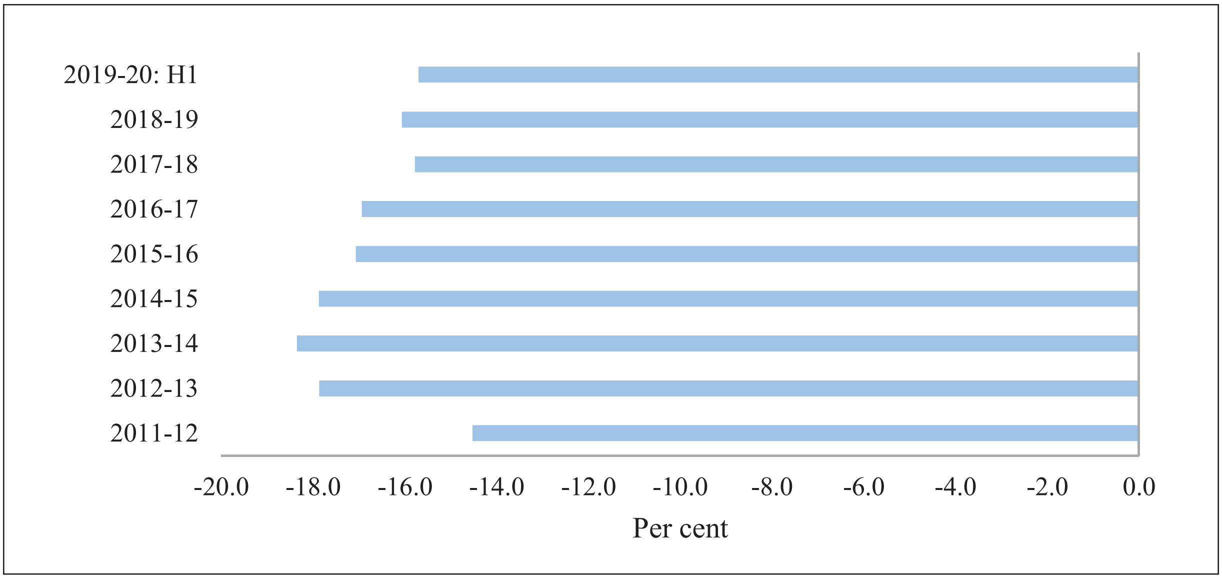

स्त्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

की स्थिति में सुधार के साथ 2019-20 की पहली छमाही में स्थिरता प्राप्त की थी जो कि एफडीआई, एफपीआइ एवं ईसीबी, मजबूत धनप्रेषण की प्राप्ति तथा जीडीपी के अनुपात में सीएडी के संकुचन के जरिए पूंजी प्रवाह की हालत सुधरने का परिणाम थी। वैदेशिक ऋण जीडीपी के 20 प्रतिशत के निम्न स्तर पर है। 10 जनवरी 2020 के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2019-20 की पहली छमाही में 27.5 बिलियन अमरीकी डालर की अभिवृद्धि दर्ज करते हुए 461.2 बिलियन अमरीकी डालर हो गई कई वर्षो विदेशी मुद्रा भंडार मे बदलाव का सारांश अनुलग्नक-III में दिया गया है (चित्र 35।)

चित्र 35: चालू खाता घाटा का वित्त पोषण

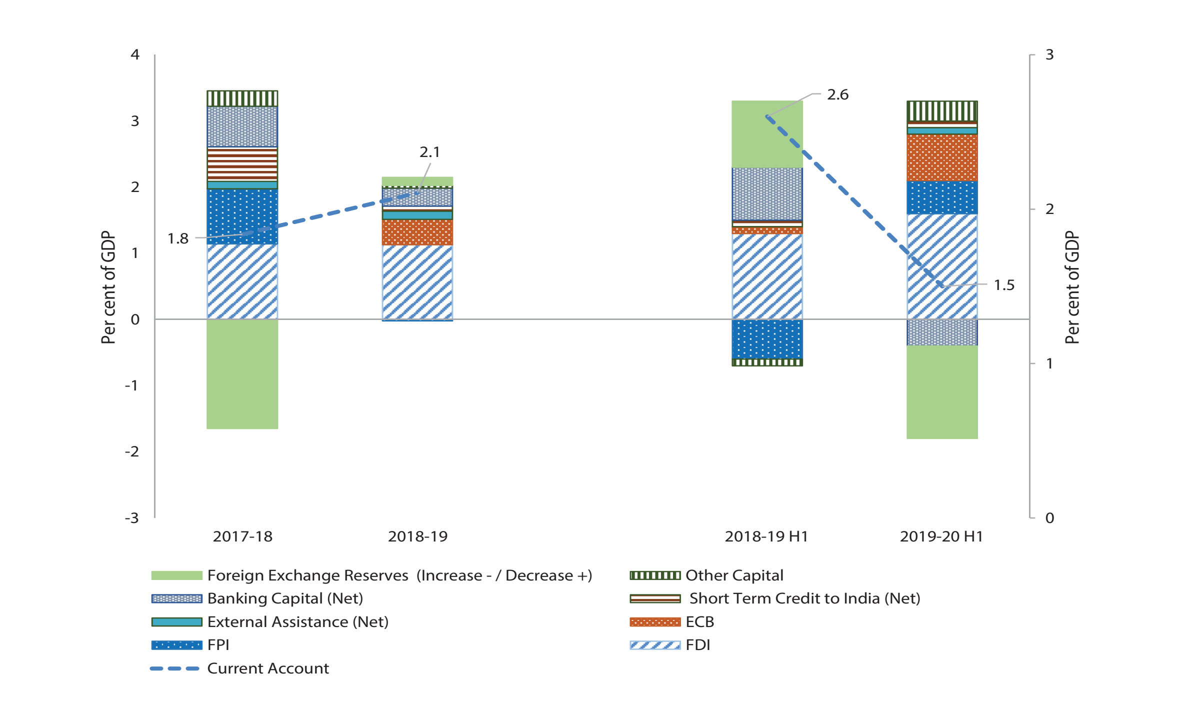

स्त्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

3.67 हाल ही में भारत का सीमा शुल्क प्रबंधन व्यापारिक सहयोगियों के चलते दबाव में है जो देश के मूल सीमा शुल्क में कटौती चाहते हैं। भारत ने अपने सीमा शुल्क प्रबंधन का यह कहते हुए बचाव किया है कि भारत के संवेदनशील कारोबार को संरक्षित रखने के लिए यह आवश्यक है। यद्यपि व्यापारिक सहभागियों से अलग भारत सरकार इस बात से परिचित है कि वर्तमान के विपरीत शुल्क-ढांचे को ठीक करने के लिए मध्यवर्ती आदानो एवं कच्चे माल के संबंध में शुल्क दरों को कम करना पड़ सकता है। समन्वित शुल्क ढांचे से निर्यात के विनिर्माण के लिए आयातित माध्यमिक आदान की लागत कम होगी जिससे देश का निर्यात और अधिक प्रतियोगी बनेगा। निर्यात की परिणामी वृद्धि से भारत की बीओपी स्थिति में सुधार आएगा। बाक्स 2 में यह चर्चा की गई है कि प्रत्येक बार मध्यवर्ती आदान का भारतीय आयात बढ़ा है।, ताकि सबंद्ध उपभोग वस्तुओं का निर्यात हो सके। तदनुसार, मध्यवर्ती आदान के मूल सीमा शुल्क की कटौती से न केवल विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उचित प्रोत्साहन सृजित कर वाला विपरीत शुल्क ढ़ांचा सही होगा बल्कि उन उपभोग वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि भी होगी जो आयातित मध्यवर्ती वस्तुओं का अधिक प्रयोग करती है।

बॉक्स-2: निर्यातों की आयात लोच शीलता

यहां तैयार माल के निर्यात और कच्चे माल व मध्यवर्ती वस्तुओं के आपात के बीच संबंध का विश्लेषण किया जा रहा है। कच्चे (मध्यवर्ती पदार्थ उन चीज़ों का उत्पादन करने के लिए आयात किए जाते हैं जिन्हें आंतरिक रूप से उपभोग और निर्यात भी किया जा सकता है (उदाहरण के लिए ट्रकों का निर्माण करने के लिए ट्रांस एक्सल आयात किए जाते हैं; आभूषण बनाने के लिए स्वर्ण का आयात होता है। यह विश्लेषण अक्तूबर 2018 से सितंबर 2019 के ई-बे बिलों के आंकड़ों पर आधारित है। विश्व समेकित व्यापार तन्त्र खडब्ल्यूआईटीएस, के उत्पाद स्तरीय वर्गीकरण क प्रयोग किया गया है– अर्थात् कच्चा माल, मध्यवर्ती वस्तुएं, उपभोक्ता वस्तुए एवं पूंजीगत वस्तुएं के उत्पादन स्तर वर्गीकरण का प्रयोग 4 अंकीत स्तर पर इस डाटा को

आगे उपयोग करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, चमड़ा क्षेत्र में डब्ल्यू आईटी एस उत्पाद स्तर वर्गीकरण का प्रयोग 4 अंकीय स्तर पर कच्चामाल मध्यवर्ती वस्तुओं एवं उपभोक्ता/पूंजीकृत वस्तुओं की पहचान करने के लिए अध्याय 41,42 और 43 के इस तन्त्र के कोड़ प्रयोग किए गए हैं। चार-अंकीय स्तर पर ई वे बिल उत्पाद स्तर डाटा भी उपलब्ध है। ऑटोमोबाइल एवं औषधि जैसे क्षेत्रों के लिए रिसर्च पेपर एवं रिपोर्टो का प्रयोग किया गया है जिन्होंने कच्चा माल एवं तैयार वस्तुओं को 4 अंकीय स्तर पर वर्गीकृत किया है।

भारत में, एकीकृत स्तर पर, निर्यात की आयात लोच (चित्र के में दर्शाए अनुसार) 1.1 है। अर्थात् कच्चे माल एवं मध्यवर्ती वस्तुओं के आयात में 1% वृद्धि से तैयार वस्तुओं के निर्यात में 1.1% वृद्धि होती है। चित्र 'ख' और ग' में यह दर्शाया गया है कि उपभोक्ता वस्तुओं एवं पूंजीगत वस्तुओं के निर्यात की लोच क्रमशः 1.1 एवं 0.9 हैं। इसका अर्थ है कि उपभोक्ता वस्तुओं का निर्यात कच्चा माल एवं मध्यवर्ती वस्तुओं का आयात, पूंजीगत वस्तुओं की तुलना में अधिक संवेदनशील है।

निर्यात की आयात लोच

चित्र कः एकीकृत | **चित्र खः उपभोक्ता वस्तुएं** | **चित्र गः पूंजीगत वस्तुएं**

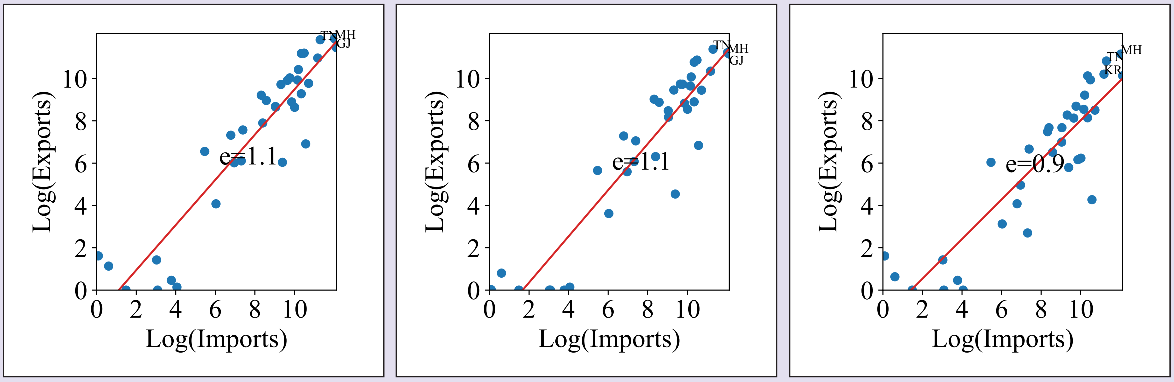

स्रोतः ई-वे बिल डाटा एवं सर्वोत्तम परिकलन

टिप्पणीः अध्याय 10 से 99 पर आधारित

क्षेत्र वार विश्लेषण

क्षेत्रवार विश्लेषण यह दर्शाता है कि ऑटो मोबाइल, मोटर साइकिल, कार्बनिक एवं अकार्वनिक रसायन, औषधि उत्पाद, मशीनरी, परिधान की मदें, जूते जैसे क्षेत्रों विविध विनिर्मित वस्तुएं जैसे खिलोने एवं कुशन, ग्लासवेयर एवं सिरामिक उत्पाद, आरिटकल यंत्र, बायलर्स, स्टेनलेस स्टील एवं स्विच की आयात लोच 1 से अधिक है। चित्र ध में कुछ क्षेत्रों की आयात लोच को दर्शाया गया है।

चित्र धः 1 से अधिक निर्यात की महत्वपूर्ण लांच वाले क्षेत्र

ऑटोमोबाइल | **औषधि निर्यात** | **मशीनरी**

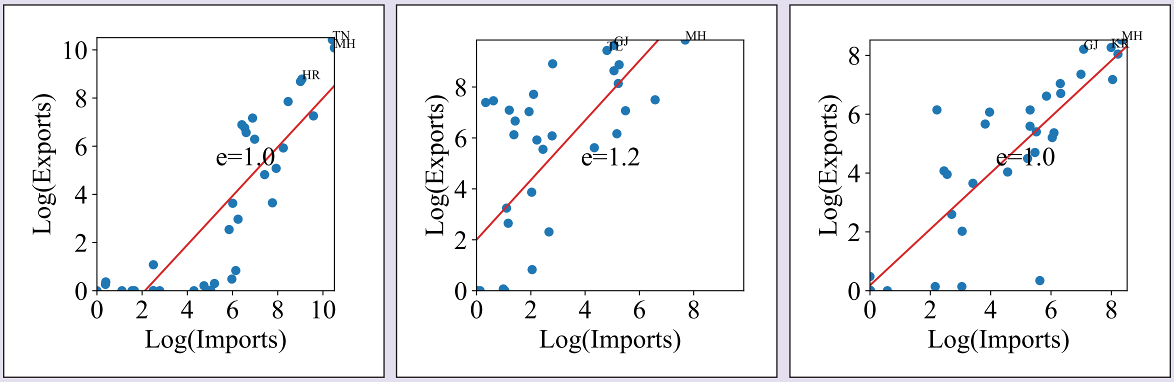

परिधान की वस्तुएं | चमड़े की वस्तुएं | जूते

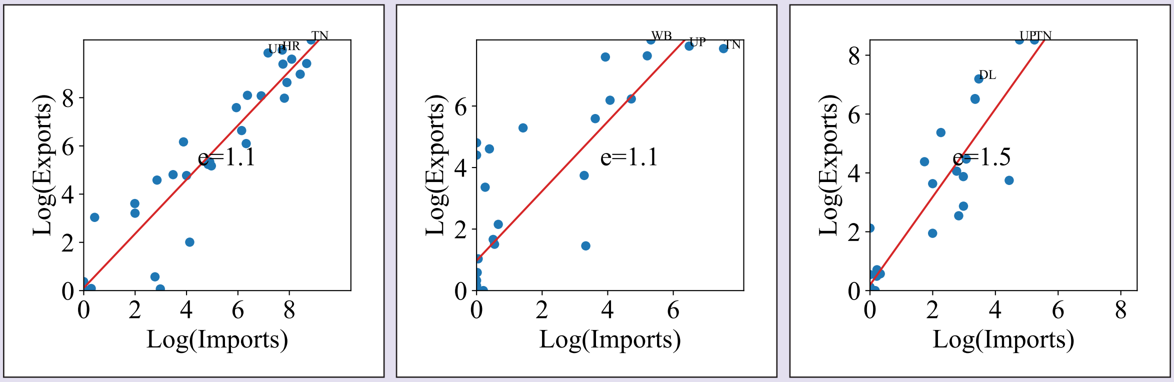

स्त्रोतः ई-वे बिल एवं सर्वेक्षम परिकलन

यह दर्शाता है कि संवर्धित मूल्य के माध्यम से भारत इन क्षेत्रों में कच्चा माल का आयात करके संसाधित तैयार उत्पाद का निर्यात कर रहा है।

क्षेत्र	कच्चा माल/मध्यवर्ती वस्तुएं	तैयार वस्तुएं
ऑटो मोबाइल	चैसिस, बॉडीज ऑटो पार्टस एवं उपसाधन, वलनीकृत रबड़ की टयूब एवं पाइप, सुरक्षा ग्लास	टैक्टर, मोटर वाहन डम्पर विशेष प्रयोजनी वाहन मोटर साइकिल
औषधि	एन्टीसेरा वैक्सीन, प्रतिरक्षा उत्पाद, पशु उत्पति की औषधि जिनकी खुदरा बिक्री नहीं है।	खुदरा बिकी के लिए दवाईयां एवं औषधियां,
मशीनरी	शेवर्स के पार्ट, विद्युत ट्रांसफार्मर, प्राइमरी सैल	परिधान, डिश, वाइंग मशीन, वाशिंग मशीन, वैक्यूमक्लीनर, ओवन, फिले लैंप डीसी मोटर, जनरेटर, ट्रॉसफार्मर
परिधान की वस्तुएं	कॉटन, सिल्क यार्न, ऊन, ऊनी कपड़ा, सश्लिस्ट स्टैपल फायबर, जूट	सैनेटरी तौलिया, कारपेट, वस्त्र, वॉल कवरिंग, कम्बल, शाल, मैट्रस
चमड़े की वस्तुएं	पशुओं की खाल एवं पशु का चमड़ा	ट्रंक, हैण्ड, दस्ताने, जैकेट, बैल्ट
जूते	चमड़े की सोल, शीप लाइनिंग, छतरी फेम, फैल्ट हेट फार्म एवं बॉड़ीज	जूते, टोपियाँ, छाते

स्रोतः विश्व एकीकृत व्यापर समाधान (डब्ल्यू आई टीएस) (बड़े इंटीग्रेटेड ट्रेड सॉल्यूशन)

भारत इन क्षेत्रों में की मूल्य श्रृंखला में प्रगति कर रहा हे। इसे और आगे सहायता करने के लिए यह आवश्यक है इन क्षेत्रों के मध्यवर्ती आदान के मूल सीमा शुल्क को कम कर के कच्चे माल एवं मध्यवर्ती वस्तुओं के आयात को सरल बनाएं। इससे न केवल विपरीत शुल्क संरचना सही होगी बल्कि इससे विनिर्माण, रोजगार उपभोक्ता वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि करने के संवर्धन के लिए उचित प्रोत्साहन भी सृजित होगा।

अध्याय एक नजर में

- ➢ भारत की भुगतान संतुलन (बीओपी) की स्थिति में, मार्च, 2019 के अंत में, फोरेक्स रिजर्व में 412.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में सितंबर, 2019 के अंत में 433.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सुधार देखा गया जिसे चालू खाता घाटे (सीएडी) के संकुचन से स्थिरता मिली जोकि वर्ज़ 2018-19 में 2.1 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2019-20 की प्रथम छमाही में जीडीपी का 1.5 प्रतिशत हो गया। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 10 जनवरी, 2020 को यथास्थिति, 461.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।
- ➢ वर्ष 2019 में वैश्विक में 2.9 प्रतिशत की प्राक्कलित वृद्धि दर के अनुरूप वैश्विक व्यापार में, वर्ष 2017 की 5.7 प्रतिशत की चरम स्थिति के बाद, 1.0 प्रतिशत की वृद्धि का प्राक्कलन किया गया है। हालांकि, वैश्विक आर्थिक गतिविधियों के पुन:स्थापन के साथ वर्ष 2020 में इसके 2.9 प्रतिशत तक भरपाई करने की आशा है।
- ➢ वर्ष 2009-14 से वर्ष 2014-19 के दौरान भारत के वाणिज्यिक व्यापार संतुलन में सुधार हुआ है यद्यपि बाद की अवधि में अधिकांश सुधार वर्ष 2016-17 में क्रूड की कीमतों पचास प्रतिशत से अधिक की गिरावट के कारण हुआ है।
- ➢ पेट्रोलियम उत्पाद, कीमती पत्थर, औषधीय फार्मूले एवं जीव-वैज्ञानिक मदें, स्वर्ण और अन्य कीमती धातुएं शीर्ष निर्यातित वस्तुएं बनी हुई हैं। क्रूड पेट्रोलियम, स्वर्ण, पेट्रोलियम उत्पाद, कोयला, कोक एवं ब्रिकेट शीर्ष आयातित मदों में शामिल हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, यूएई, सऊदी अरब और हांगकांग भारत के पांच शीर्ष व्यापारिक साझेदार बने हुए हैं।
- ➢ जीडीपी के सामेक्षत: भारत का निवल सेवा अधिशेष निरंतर कम हो रहा है। पिछले दो वर्षों में आधे से कम की गिरावट से पूर्ण वर्ष 2016-17 में इसने दो तिहाई व्यापार घाटे का वित्तपोषण किया।
- ➢ व्यापारिक सुविधाकरण के तहत विश्व बैंक की निगरानी में इसकी व्यवसाय सुगमता रिपोर्ट में लगभग 190 देशों के समग्र श्रेणी निर्धारण के अंतर्गत "ट्रेडिंग एक्रॉस बॉर्डर्स" संकेतक के अंतर्गत भारत ने वर्ष 2016 में अपनी 143 वीं रैंकिंग में सुधार करके वर्ष 2019 में 68वीं रैंक प्राप्त की है।
- ➢ भारत की प्रचालन संबंधी (लॉजिस्टिक्स) उद्योग वर्तमान में 160 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आस-पास प्राक्कलित किया गया है और वर्ष 2020 तक इसके 215 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की आशा है।
- ➢ विदेशों में नियोजित भारतीयों से प्राप्त धनप्रेषणों में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हो रही है और वर्ष 2019-20 की प्रथम छमाही में भी यह प्रक्रिया जारी है जहां प्राप्त धनराशि विगत वर्ष के स्तर से पचास प्रतिशत से अधिक है।
- ➢ वर्ष 2019-20 में निवल एफडीआई अंतर्प्रवाह वृद्धिशील बने हुए हैं और प्रथम आठ माह में 24.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश आकर्षित हुआ जोकि वर्ष 2018-19 की संगत अवधि की तुलना में उच्चतर है। वर्ष 2019-20 के प्रथम आठ माह में निवल एफपीआई 12.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर आ गया।
- ➢ सितंबर, 2019 के अंत में यथास्थिति, विदेशी ऋण जीडीपी के 20.1 प्रतिशत के निचले स्तर पर है। वर्ष 2014-15 से अच्छी-खासी गिरावट देखने के बाद, भारत की वैदेशिक देयताओं (ऋण एवं इक्विटी) में जीडीपी के संदर्भ में जून, 2019 के अंत में यथास्थिति, वृद्धि है जिसके मुख्य कारणों तौर पर एफडीआई, पेरिफालियों प्रवाहों और विदेशी वाणिज्यिक उधारियों (ईसीबी) में वृद्धि का उल्लेख किया जा सकता है।

अनुबंध 1

भुगतान शेष

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

क्र. सं.	मद	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2018-19 अप्रैल-सितं	2019-20 अप्रैल-सितं
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	**चालू खाता**							
1	निर्यात	3,16,545	2,66,365	2,80,138	3,08,970	3,37,237	1,66,788	1,62,743
2	आयात	4,61,484	3,96,444	3,92,580	4,69,006	5,17,519	2,62,575	2,47,037
3	व्यापार संतुलन (1-2)	-1,44,940	-1,30,079	-1,12,442	-1,60,036	-1,80,283	-95,788	-84,294
4	अदृश्य (निवल)	1,18,081	1,07,928	98,026	1,11,319	1,23,026	60,931	63,673
	क. सेवाएं	76,529	69,676	68,345	77,562	81,941	38,932	40,474
	ख. आय	-24,140	-24,375	-26,302	-28,681	-28,861	-14,363	-14,739
	ग. अंतरण	65,692	62,627	55,983	62,438	69,946	36,362	37,938
5	माल और सेवा संतुलन	-68,411	-60,402	-44,098	-82,474	-98,342	-51,240	-43,820
6	**चालू खाता शेष (3+4)**	**-26,859**	**-22,151**	**-14,417**	**-48,717**	**-57,256**	**-34,857**	**-20,621**
II	**पूंजी खाता**							
	पूंजी खाता शेष	**89,286**	**41,128**	**36,447**	**91,390**	**54,403**	**21,391**	**39,935**
	i. विदेशी ऋण (निवल)	1,725	1,505	2,013	2,944	3,413	478	1,913
	ii. |विदेशी वाणिज्यिक उधार (निवल)	1,570	-4,529	-6,102	-183	10,416	877	9,767
	iii. लघु आवधिक ऋण	-111	-1,610	6,467	13,900	2,021	1,298	1344
	iv. बैंकिंग पूंजी (निवल) जिसमें से:	11,618	10,630	-16,616	16,190	7,433	10,583	-5,702
	अनिवासी निक्षेप (निवल)	14,057	16,052	-12,367	9,676	10,387	6,838	5,034
	v. विदेशी निवेश (निवल) जिसमें से:	73,456	31,891	43,224	52,401	30,094	9,040	28,646
	A. प्रत्यक्ष विदेश निवेश (निवल)	31,251	36,021	35,612	30,286	30,712	16,983	21,327
	B. पोर्टफोलियो (निवल)	42,205	-4,130	7,612	22,115	-618	-7,943	7,319
	vi. अन्य अंतर्वाह (निवल)	1,028	3,242	7,460	6,138	1,026	-885	3967
III	**भूलचूक**	**-1,021**	**-1,073**	**-480**	**902**	**-486**	**259**	**-211**
IV	**समग्र शेष**	**61,406**	**17,905**	**21,550**	**43,574**	**-3,339**	**-13,206**	19102
V	भण्डार परिवर्तन वृद्धि (-) / कमी (+)	-61,406	-17,905	-21,550	-43,574	3,339	13,206	-19,102

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

टिप्पणी: पी : प्राथमिक

अनुबन्ध 2

मुक्त व्यापार करार (एफटीए) पहले से ही प्रवर्तमान

क्र. सं.	करार का नाम	करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख	करार के कार्यान्वयन की तारीख और हाल की गतिविधियां
1	भारत-श्रीलंका एफटीए	28 दिसम्बर, 1998	समझौतें के कार्यान्वयन की तारीख 01 मार्च, 2000 थी, सामानों के व्यापार, सेवाओं के व्यापार को शामिल करते हुए प्रस्तावित आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग करार (ईटीसीए), निवेश तथा आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए बातचीत प्रगति पर है। ग्यारह दौर की वार्ता पूरी कर ली गई है।
2	साफ्टा पर करार (भारत पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, मालद्वीव और अफगानिस्तान)	4 जनवरी, 2004	समझौते के कार्यान्वयन की तारीख 01 जनवरी, 2006 थी *(प्रशुल्क रियायतें 01 जुलाई, 2006 से कार्यान्वित की गई)*
3	भारत-नेपाल व्यापार समझौता	27 अक्तूबर, 2009	समझौते की अवधि का विस्तार आगे और 7 वर्षों के लिए किया गया और यह वर्तमान में 26 अक्तूबर, 2023 तक लागू है। वर्ष 2018 में प्रारंभ, भारत नेपाल व्यापार समझौते की व्यापक समीक्षा जारी है।
4	भारत-भूटान व्यापार वाणिज्य और पारगमन करार	17 जनवरी, 1972	परस्पर सहमत संशोधनों के साथ, आवधिक रूप से पुनर्नवीकरण किया जाता है। 29 जुलाई, 2006 का करार 10 वर्षों तक वैध है। परस्पर सहमति से वैधता एक वर्ष की अवधि या प्रस्तावित नया करार प्रभावी होने की अवधि के लिए बढ़ाई जाती है। नवीकृत करार 12.11.2016 को किया गया और यह 29 जुलाई, 2017 से प्रभावी हुआ।
5	भारत-थाईलैंड एफटीए शीघ्र लाभ प्राप्ति योजना (ईएचएस)	9 अक्तूबर, 2003	समझौते के कार्यान्वयन की तारीख 01 सितंबर, 2004 थी।
6	भारत-सिंगापुर सीईसीए	29 जून, 2005	समझौते के कार्यान्वयन की तारीख 01 अगस्त, 2005 थी। भारत सिंगापुर सीईसीए की दूसरी समीक्षा संयुक्त रूप से पूरी की गई और भारत के प्रधानमंत्री के सिंगापुर दौरे के दौरान इसकी घोषणा 01 जून, 2018 को की गई।
7	भारत-आसियान सीईसीए-समान सेवाओं तथा निवेश व्यापार करार (ब्रुनेई, कम्बोडिया इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम)	13th August, 2009 for goods and November, 2014 for Services and Investment	• भारत और मलेशिया, सिंगापुर थाईलैंड के संबंध में 01 जनवरी, 2010 को। • भारत और वियतनाम के संबंध में 01 जून, 2010 को। • भारत और म्यांमार के संबंध में 01 सितंबर, 2010 को। • भारत और इंडोनेशिया के संबंध में 01 अक्तूबर, 2010 को। • भारत और ब्रुनेई के संबंध में 01 नवंबर, 2010 को। • भारत और लाओस के संबंध में 24 जनवरी, 2011 को। • भारत और फिलीपींस के संबंध में 01 जून, 2011 को। • भारत और कम्बोडिया के संबंध में 01 अगस्त, 2011 को। **सेवाएं और निवेश** सेवाओं तथा निवेश हेतु समझौता कार्यान्वित होने की तारीख 01 जुलाई, 2015 थी।
8	भारत दक्षिण कोरिया सीईपीए	7 अगस्त, 2009	समझौतें के कार्यान्वयन की तारीख 01 जनवरी, 2010 थी। 2016 में दोनों ही पक्षों ने सीईपीए का और भी विस्तार करने की संस्तुति की थी। आठ दौर की वार्ता जून 2019 में पूरी कर ली गई है।
9	भारत जापान सीईपीए	16 फरवरी, 2011	समझौते के कार्यान्वयन की तारीख 01 अगस्त, 2011 थी।
10	भारत मलेशिया सीईसीए	18 फरवरी, 2011	समझौते के कार्यान्वयन की तारीख 01 जुलाई, 2011 थी।

स्रोत: वाणिज्य विभाग

अनुबंध 2 (जारी)

पहले से ही प्रवृत्त तरजीही व्यापार करार (पीटीए)

क्रम सं.	करार का नाम	करार पर हस्ताक्षर करने की तारिख	करार के कार्यान्वयन की तारीख और हालिया विकास
1	एशिया प्रशांत व्यापार करार (एपीटीए) (बांग्ला देश, चीन, भारत कोरिया गणराज्य, लाओ लोकतांत्रिक गणराज्य और श्रीलंका)	जुलाई, 1995 (2 नवंबर, 2005 को संशोधित)	संधि के कायन्विियन की तारीख 1 नवंबर, 1976 थी।
2	व्यापार तरजीह है की वैश्विक प्रणाली (जीएसटी पी) (अल्जीरिया, अर्जेंटिना, बांग्लादेश, बेनिन, बोलीबिया, ब्राजील कैमरुन, चिली, कोलम्बिया, कयूवा, लोकतांत्रिक गणराज्य कोरियां, इक्वाडोर, मिस्र, धाना, गिनिया, गुयाना, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, लीबिया, मलेशिया, मॉक्सिको, रक्को, मोजांबि, म्यांमार, निकारागुआ, नाइजीरिया, पाकिस्तान, पेरू, फिलापीन्स, कोरिया गणराजय, रोमानिया, सिंगापुर, श्रीलंका, सुडान थाइलैण्ड, ट्रिनिडाड और टोबेगो, ट्यूनीशिया, तंजानिया, बेनेजुएला, वियतनाम, यूगोस्लाबिया, जिम्बाबवे)	13 अप्रैल, 1988	संधि के कार्यान्वयन की तारीख 19 अप्रैल, 1989 थी।
3	सार्क तरजीही व्यापार करार (एसएपीटीए) (बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीप, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका)	11 अप्रैल, 1993	संधि के कार्यान्वयन की तारीख 7 दिसम्बर, 1995 थी।
4	भारत-अफगानिस्तान	6 मार्च, 2003	संधि के कार्यान्वयन की तारीख 13 मई, 2003 थी।
5	भारत-मेर्कोसुर (अर्जेंटिना, ब्राजील, पैराग्वे और युरुग्वे)	25 जनवरी, 2004	संधि के कार्यान्वयन की तारीख 1 जून 2009 थी।
6	भारत-चिली	8 मार्च, 2006	संधि के कार्यान्वयन की तारीख 11 सितम्बर, 2007 थी। इस करार का 6 सितम्बर, 2016 को विस्तार कर दिया गया है और यह 16 मई, 2017 से लागू हुआ।

स्रोतः वाणिज्य विभाग

अनुबंध 2 (जारी)

चालू व्यापार वार्ताएं

क्र. सं.	करार का नाम	स्थिति
1	भारत-यूरोपीय संघ बी टी आई ए	माल, सेवाओं, निवेश, स्वच्छता एवं फाइटोसेनिटरी उपायों, व्यापार में तकनीकी बाधाओं, व्यापार सुविधा एवं सीमाशुल्क सहयोग, प्रतिस्पर्धा आई पी आर एवं जी आई, इत्यादि के क्षेत्रों से संबंधित वार्ताएं, 28 जून 2007 को प्रारंभ हुईं। अब तक 16 दौर आयोजित हो चुके हैं।
2	भारत-श्रीलंका आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग करार (ई टी सी ए)	अब तक 11 दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं।
3	भारत-थाईलैंड सी ई सी ए	83 मदों पर अर्ली हारवेस्ट स्कीम कार्यान्वित। अब तक भारत-थाईलैंड व्यापार वार्ता समिति (आई टी टी एन सी) की बैठकों के 30 दौर आयोजित हो चुके है।
4	भारत-मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग एवं साझेदारी करा (सी ई सी पी ए)	व्यापक आर्थिक सहयोग एवं साझेदारी करार के अन्तर्गत वस्तुओं, सेवा व्यापार, व्यापारिक उपचारों, एस पी एस/टी बी टी मुद्दों एवं विवाद समाधानों के बारे में वार्ताएं सी ई सी वी ए हेतु वार्ताओं को अंतिम रूप दिया जा चुका है।
5	भारत-एफ्टा (ई एफ ओ ए) टी ई पी ए (आइसलैण्ड, नार्वे, लिचेंस्टीन और स्विटजरलैण्ड	भारत-ई एफ वी ए टी ई पी ए (व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी करार) जनवरी, 2008 में प्रारंभ किया गया। अब तक 17 दौर की वार्ताएं आयोजित हो चुकी हैं।
6	भारत-न्यूजीलैंड एफ टी ए/सी ई सी ए	अब तक सी ई सी ए की 10 दौर की वार्ताएं आयोजित हो चुकी हैं। 10वें दौर की आयोजन 17-18 फरवरी 2015 को नई दिल्ली में किया गया।
7	भारत-इजराइल व्यापार करार	अब तक भारत-इजराइल एफ टी ए पर 9 दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं।
8	भारत-सिंगापुर सी ई सी ए (तृतीय समीक्षा)	भारत-सिंगापुर सी ई सी ए की तृतीय समीक्षा 01 सितंबर 2018 को प्रारंभ हुई।
9	भारत-एस ए जी यू पी टी ए (दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, लेसोथो, स्वाजीलैण्ड और (नांबिया)	अब तक 5 दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं
10	भारत-मर्कोसुर पी टी ए विस्तार (अर्जेंटीना, ब्राजील, परागुवे और उग्रवे)	मौजूदा भारत-मर्कोसुर पी टी ए का विस्तार किया जा रहा है। संयुक्त प्रशासनिक समिति (जे ए सी) की तृतीय बैठक 29 सितंबर, 2016 को ब्राजीलिया में आयोजित की गई। 14 सितंबर 2017 को दोनों पक्षों ने अपने-अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए।
11	बिम्सटेक, सी ई सी ए (बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल)	अब तक व्यापार वार्ता समिति (टी एन सी) की 21 बैठकें हो चुकी हैं। बिम्सटेक व्यापार वार्ता समिति की 21वीं बैठक का आयोजन 18-19 नवंबर, 2018 के दौरान ढाका, बांग्लादेश में किया गया था।

(Contd.)

अनुबंध 2 (जारी)

On-going Trade Negotiations

क्र. सं.	करार का नाम	स्थिति
12	भारत-खाड़ी सहयोग परिषद (जी सी सी) फ्रेमवर्क करार	अब तक वर्ष 2006 तथा 2008 में दो दौर की वार्ता हो चुकी है। वर्ष 2011 में जी सी सी सचिवालय को सभी देशों के साथ तब तक वार्ता स्थगित रखने के लिए कहा गया, जब तक कि जी सी सी राज्यों द्वारा वार्ता के मुद्दों की पूरी तरह से समीक्षा नहीं कर ली जाती। हाल ही में जी सी सी सचिवालय ने दिनांक 6 नवंबर, 2019 के अपने मौखिक नोट के माध्यम से सूचित किया है कि जी सी सी, भारत-जी सी सी एफ टी ए वार्ता को फिर से शुरू करने का स्वागत करती है।
13	भारत-कनाडा एफ टी ए	अब तक भारत-कनाडा व्यापक आर्थिक नीति समझौता (सी ई पीए) के बीच दस दौर की वार्ता हो चुकी है। वार्ता का दसवें दौर नई दिल्ली में अगस्त, 2017 में हुआ था। इसका एक अंतर-समीप दौर ओटावा में फरवरी, 2018 में आयोजित किया गया था।
14	भारत-ऑस्ट्रेलिया	नौ दौर की वार्ता हो चुकी है। वार्ता का नवां दौर नई दिल्ली, भारत में 21-23 सितंबर, 2015 को संपन्न हुआ।
15	भारत-मलेशिया सी ई सी ए (प्रथम समीक्षा)	भारत-मलेशिया सी ई सी ए के कार्यान्वयन की समीक्षा हेतु भारत-मलेशिया संयुक्त समिति की पहली बैठक का आयोजन 8, दिसंबर 2014 को किया गया।
16	भारत-आसियान वस्तु व्यापार समझौता (प्रथम समीक्षा)	भारत ने भारत-आसियान वस्तु व्यापार समझौता (ए आई जी ए) की समीक्षा के लिए अनुरोध किया है।
17	भारत-कोरिया सी ई पी ए समीक्षा	भारत-कोरिया सी ई पी ए को अपग्रेड करने के लिए अब तक संधि वार्ताओं के 8 दौर आयोजित किए गए हैं। 8वां दौर 17-18 जून 2019 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।
18	भारत-ईरान पी टी ए	अब तक 4 बैठकें हो चुकी हैं
19	भारत-पेरू पी टी ए	अब तक 4 दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं
20	भारत-ई ए ई यू तकनीकी परामर्श	तकनीकी परामर्श का पहला दौर 30-31 जनवरी, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ था।
21	भारत-बंगलादेश सी ई पी ए	सी ई पी ए की सुगमता की जांच करने के लिए एक संयुक्त अध्ययन किया जा रहा है। भारत ने यह अध्ययन करने के लिीए क्षेत्रीय व्यापार केंद्र की पहचान की ली है और बंगलादेश से इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त संगठन की पहचान करने का अनुरोध किया गया है।
22	भारत-चिली पी टी ए (द्वितीय विस्तार)	भारत-चिली के दूसरे प्रसार की पहली बैठक 10-11 दिसंबर 2019 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

स्रोत: वाणिज्य विभाग

अनुबंध 2 (जारी)

विदेशी मुद्रा रिजर्व में परिवर्तनों का सार

(यू एस डालर बिलियन)

क्रम सं.	वर्ष	वित्त वर्ष की समाप्ति (मार्च समाप्ति) पर विदेशी मुद्रा रिजर्व	रिजर्व में कुल वृद्धि (+)/(-)	रिजर्व में बी ओ पी आधार वृद्धि +)/कमी(-)	मूल्यांकन प्रभाव के कारण (रिजर्व में) लाभ (+)/हानि (-)
1	2007-08	309.7	110.5	92.2	18.4
2	2008-09	252.0	-57.7	-20.1	-37.7
3	2009-10	279.1	27.1	13.4	13.6
4	2010-11	304.8	25.8	13.1	12.7
5	2011-12	294.4	-10.4	-12.8	2.4
6	2012-13	292.0	-2.4	3.8	-6.2
7	2013-14	304.2	12.2	15.5	-3.3
8	2014-15	341.6	37.4	61.4	-24.0
9	2015-16	360.2	18.5	17.9	0.6
10	2016-17	370.0	9.8	21.6	-11.8
11	2017-18	424.5	54.6	43.6	11.0
12	2018-19	412.9	-11.7	-3.3	-8.3
13	H1: 2018-19	400.5	-24.0	-13.2	-10.8
14	H1: 2019-20	433.7	20.8	19.1	1.7

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई)

मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता

04

अध्याय

मौद्रिक नीति वर्ष 2019-20 में उदार बनी रही। धीमी गति से विकास और निरन्तर मुद्रास्फीति के कारण, उक्त वित्त वर्ष में एमपीसी की लगातार चार बैठकों में रेपो दर में 110 आधार अंकों की कटौती की गई। हालांकि, दिसंबर, 2019 में आयोजित पांचवीं बैठक में इसे अपरिवर्तित रखा गया। वर्ष 2019-20 में आरंभिक दो महीनों में नकदी की तंगी की स्थिति थी; परंतु बाद में इस स्थिति में सुधार हो गया है। तथापि, अर्थव्यवस्था को वित्तीय प्रवाहों में विवशताएं बनी रहीं क्योंकि बैंकों तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय निगमों, दोनों के लिए ही क्रेडिट वृद्धि में गिरावट रही। वर्ष 2019 के मार्च से सितंबर के बीच अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल अनिष्पादक अग्रिम अनुपात 9.3 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहा तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय निगमों के संबंध में यह मामूली वृद्धि के साथ मार्च, 2019 में 6.1 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर, 2019 में 6.3 प्रतिशत हो गया। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के जोखिम-भारित परिसंपत्ति अनुपात की पूंजी मार्च 2019 और सितंबर, 2019 के बीच 14.3 प्रतिशत से बढ़कर 15.1 प्रतिशत हो गई। वर्ष 2019-20 के दौरान (16 जनवरी, 2020 तक) निफ्टी 50 और S&P पी बी (BSE) सेन्सेक्स रिकार्ड उच्चतर सीमा पर पहुंचकर क्रमशः 12,335 और 41,952 पर बंद हुआ। पूर्ववर्ती समाधान चैनलों की तुलना में आईबीसी (IBC)के अंतर्गत समाधान काफी अधिक रहा। शामिल राशि की प्रतिशतता के रूप में वसूल की गई राशि वर्ष 2017-18 में 49.6 प्रतिशत और 2018-19 को 42.5 प्रतिशत था। आई.वी.सी. के अंतर्गत की जाने वाली कार्यवाहियों के औसत लगभग 340 दिन लगते है। जिसमें मुकदमें बाजी में लगा समय भी शामिल है। इसके विपरीत पूर्व व्यवस्था 4.3 वर्ष लगते थे।

वर्ष 2019-20 के दौरान मौद्रिक घटनाक्रम

4.1 वर्ष 2019-20 के दौरान मौद्रिक नीति का कार्यान्वयन संशोधित सांविधिक रूप रेखा के अधीन किया गया जो कि 27 जून, 2016 को लागू हुई। जनवरी 2020 के अंत में यथास्थिति, वित्त वर्ष 2019-20 में मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की पांच बैठकों का आयोजन किया गया है। प्रथम चार बैठकों में एमपीसी ने मौद्रिक नीति की स्थिति में तटस्था से उदारता की ओर जाने का बदलाव करते हुए नीतिगत रेपो दर में कटौती करने का निर्णय लिया। इस रेपो दर को अप्रैल, 2019 में 6.25 प्रतिशत से अक्तूबर, 2019 में 5.15 प्रतिशत पर लाते हुए इसमें 110 आधार अंकों (बीपीएस) की कटौती की गई (तालिका 1)। एसपीसी का यह निर्णय कम मुद्रास्फीति तथा अर्थव्यवस्था में निजी निवेश को प्रोत्साहित कर घरेलू विकास को सुदृढ़ करने की आवश्यकता से प्रेरित था।

4.2 दिसंबर, 2019 में अपने पांचवें द्विमासिक मौद्रिक नीतिगत विवरण में, एमपीसी ने अनेक कारणों में से एक बढ़ती हुई उपभोक्ता मूल्यवृद्धि को रेखांकित करते हुए रेपो दर को 5.15 प्रतिशत पर अपरिवर्तित

रखने का निर्णय लिया। एमपीसी ने प्रभावी मौद्रिक नीतिगत परिवर्तन होने तक प्रतीक्षा करने के अपने आशय का भी संकेत दिया। रिजर्व बैंक द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के साथ-साथ विभिन्न आवृत्ति संकेतकों ने घरेलू और बाहरी दोनों ही मांग दशाओं में कमजोरी का संकेत किया; अतः वर्ष 2019-20 के लिए वास्तविक जीडीपी अनुमानों को संशोधित कर 5 प्रतिशत तक कम किया गया।

तालिका 1: नीतिगत दरों में संशोधन

प्रभावी तारीख	रेपो दर (प्रतिशत)	विपरीत (रिवर्स) रेपो दर (प्रतिशत)	बैंक दर/ एमएसएफ दर* (प्रतिशत)	नकद रिजर्व अनुपात (एनडीटीएल का प्रतिशत)	सांविधिक तरलता (लिक्विडिटी) अनुपात (एनडीटीएल का प्रतिशत)
04-04-19	6.00	5.75	6.25	4.00	19.25
06-06-19	5.75	5.50	6.00	4.00	19.00
07-08-19	5.40	5.15	5.65	4.00	18.75
04-10-19	5.15	4.90	5.40	4.00	18.50**
05-12-19	5.15	4.90	5.40	4.00	18.50
04-01-20	5.15	4.90	5.40	4.00	18.25

स्रोत: आरबीआई

टिप्पणियां: एनडीटीएल नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी है।

* बैंक दर को 13 फरवरी, 2012 से एमएसएफ दर के समरूप बनाया गया।

** सांविधिक नकदी अनुपात को विभिन्न चरणों में कम कम करके 18 प्रतिशत पर लाने, यथा, 5 जनवरी, 2019 से 19.25 प्रतिशत; 13 अप्रैल, 2019 से 19.00 प्रतिशत; 6 जुलाई, 2019 से 18.75 प्रतिशत; 12 अक्तूबर, 2019 से 18.50 प्रतिशत; 4 जनवरी, 2020 से 18.25 प्रतिशत तथा 11 अप्रैल, 2020 से 18.00 प्रतिशत पर लाने के लिए आरबीआई की 5 दिसंबर, 2018 की अधिसूचना देखें।

तालिका 2: प्रत्येक वर्ष के मार्च के अंत में मौद्रिक समुच्चयों में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (प्रतिशत)

Items	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17*	2017-18	2018-19	2019-20#
प्रचालन में मुद्रा	9.2	11.3	14.9	-19.7	37	16.8	11.9
बैंकों के पास नकदी	10.7	12.4	6.6	4.2	-2.1	21.4	15.8
जनता के पास नकदी	9.2	11.3	15.2	-20.8	39.2	16.6	11.8
भारतीय रिजर्व बैंक के पास बैंकरों का जमा	34	8.3	7.8	8.4	3.9	6.4	17.1
मांग जमा	7.8	9.8	11	18.4	6.2	9.6	13.1
मियादी जमा	14.9	10.7	9.2	10.2	5.8	9.6	9.8
आरक्षित धन	14.4	11.3	13.1	-12.9	27.3	14.5	13.2
संकीर्ण धन	8.5	11.3	13.5	-3.9	21.8	13.6	12.5
Broad Money (M3)	13.4	10.9	10.1	6.9	9.2	10.5	10.4

स्रोत: आरबीआई

टिप्पणी: * 1 अप्रैल, 2016 की तुलना में 31 मार्च, 2017 (इसमें एमओ, सीआईसी और आरबीआई के पास बैंकरों का जमा शामिल नहीं है)

दिसम्बर 2019 को

4.3 वर्ष 2018-19 क दौरान मौद्रिक समुच्चयों की वृद्धि दरों में, वर्ष 2016-17 में विमुद्रीकरण के कारण तथा पुन: वर्ष 2017-18 में पुनर्मुद्रीकरण की प्रक्रिया के कारण असामान्य व्यवहार का अनुभव करने के बाद प्रत्यावर्तन की दीर्घकालिक प्रवृत्ति देखी गई।

4.4 दिसंबर, 2019 तक की स्थिति के अनुसार आरक्षित (रिजर्व) धन की वृद्धि दर 13.2 प्रतिशत थी (तालिका 2 और चित्र 1)। अवयव (कपोनेंट) पक्ष के संदर्भ में, मुद्रा संचलन (सीआईसी) के फलस्वरूप आरक्षित धन का विस्तार हुआ। (तालिका 2 और चित्र 1) स्रोत पक्ष के संदर्भ में, वर्ष 2019-20 के दौरान अब तक (27 दिसंबर, 2019 तक की स्थिति) धन-विस्तार में मुख्य रूप से आरबीआई निबल विदेशी परिसंपत्तियों (एनएफए) का योगदान रहा जबकि पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान यह योगदान निवल घरेलू परिसंपत्तियों (एनडीए) का था। एनडीए के अंतर्गत सरकार को आरबीआई द्वारा दिया जाने वाला ऋण निवल मुख्य ने आरक्षित धन के प्रसार में योगदान किया है, जबकि पिछले वर्ष की तुलना में इसका परिणाम निम्नतर रहा है। अन्य स्रोतों के अंतर्गत बैंकों को आरबीआई के देनदारीयों में कमी आई जोकि वर्ष 2019-20 में अब तक अधिशेष नकदी

चित्र 1: आरक्षित धन वृद्धि (वर्ष दर वर्ष)

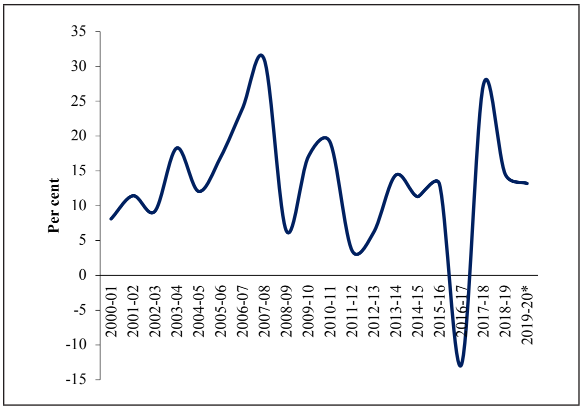

चित्र 2: व्यापक धन वृद्धि (वर्ष दर वर्ष)

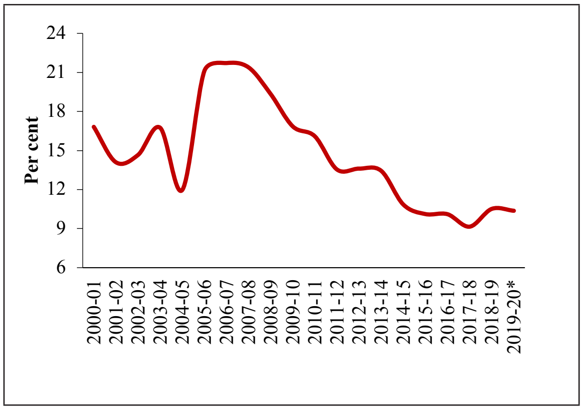

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

नोट: *: दिसंबर 20, 2019 को।

चित्र 3: मियादी जमा (वर्ष दर वर्ष)

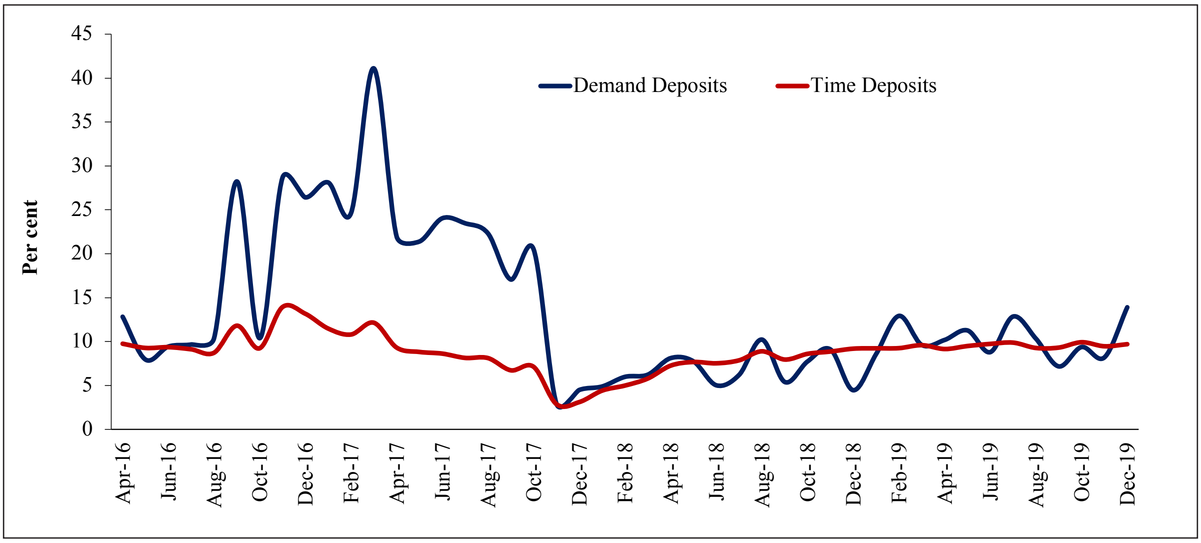

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

नोट: दिसंबर 2019 के आँकड़े, दिसंबर 20 तक के हैं।

अवस्था का संकेत है। इस पर अगले खंड में अधिक विस्तार से चर्चा की गई है।

4.5 व्यापक मुद्रा (एम 3) की वृद्धि में 2009 से गिरावट आ रही है (चित्र 2)। हालांकि, 2018-19 से इसमें थोड़ा बढ़ है, जो मुख्यत: सकल जमाओं में वृद्धि के कारण हुआ और दिसंबर, 2019 में यह 10.4 प्रतिशत है। यद्यपि, यह नोट किया जाए कि यह 2000-01 से 2018-19 के बीच 14.9 प्रतिशत वृद्धि से काफी कम है (चित्र 2)। संघटक पक्ष पर, इस वर्ष के दौरान एम 3 में विस्तार सकल जमाओं के कारण है जिससे 20 दिसंबर 2019 को 10.1 प्रतिशत की उच्चतर वृद्धि दर्ज की गई जो एक वर्ष पूर्व 9.2 प्रतिशत थी। 2019-20 में मियादी जमा और मांग जमा दोनों में वृद्धि हुई जो दिसंबर 2018 की तुलना में दिसंबर 2019 में उच्च रही (चित्र 3)। स्रोत पक्ष में, बैंक द्वारा सरकार के लिए ऋण से, मुख्यत: एम 3 के विस्तार का योगदान रहा है।

4.6 1990 के दशक के मध्य से 2016-17 के बीच, मौद्रिक गुणक (एम 3/एम 0 के अनुपात में मापा गया) अधिकतर बढ़ रहे थे (चित्र 4) हालांकि 2017-18 से यह घट रहा है। मौद्रिक गुणक में 2019-20 के दौरान थोड़ी गिरावट दर्ज की गयी। (चित्र 4)

चित्र 4: मौद्रिक गुणक (एम 3/एम 0)

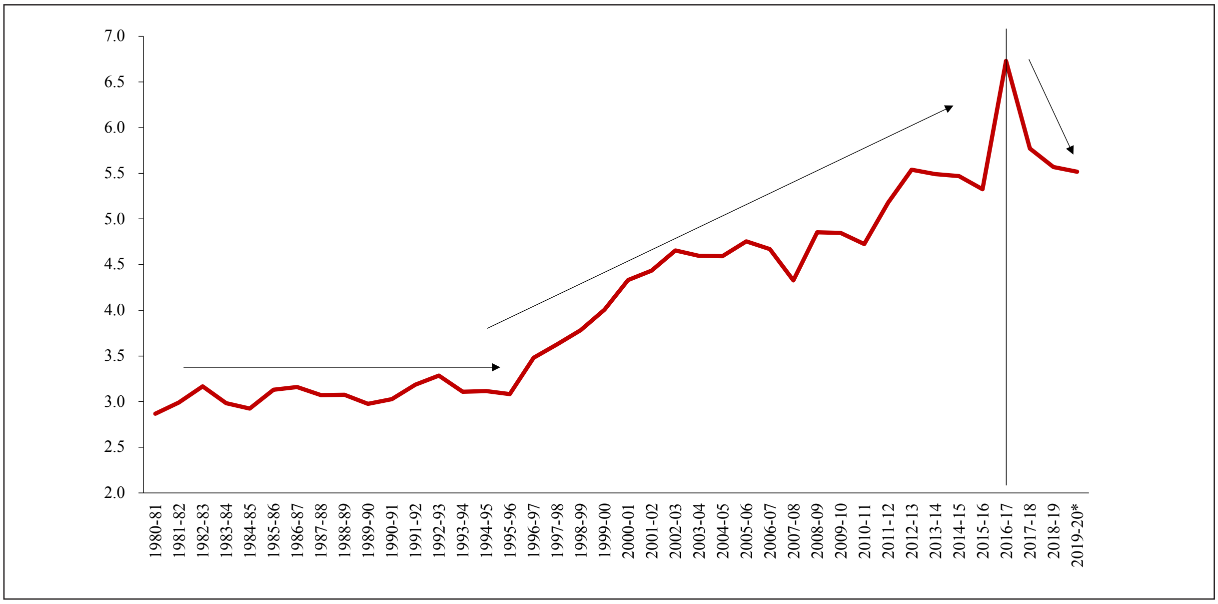

स्रोत: आरबीआई
नोट: * दिसंबर, 2019 को

तरलता (नकदी) की स्थिति और इसका प्रबंधन

4.7 वर्ष 2019-20 में प्रणालीगत तरलता जून 2019 से काफी हद तक अधिशेष में रही है (चित्र 5)। चार खुला बाजार संचालन नीति (ओएमओ) क्रय नीलामी और एक यू.एस. 5 विलियन की क्रय-विक्रय नीलामी से 2019-20 की प्रथम तिमाही में स्थिर नकदी संचरण किया गया। इसके अतिरिक्त, रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा प्रचालन ने गत वर्ष के समायोजन के विपरीत घरेलू रुपए की तरलता का संवर्धन किया। साथ ही, सांविधिक नकदी अनुपात (एसएलआर) चार चरणों में प्रत्येक बार 25 आधार बिंदु दर (बीपीएस) कम की गई जो क्रमश: 13 अप्रैल 2019, 6 जुलाई 2019, 12 अक्तूबर 2019 तथा 4 जनवरी 2020 से प्रभावी हुई जिससे बैंकों की शुद्ध सावधिक और मांग उत्तरदायित्व (एनडीटीएल) 18.25 प्रतिशत हुई, यह दिसंबर 2018 में घोषित रूपरेखा के अनुसार है जिसका लक्ष्य है एसएलआर को तरलता व्याप्ति अनुपात (एलसीआर) से साथ एकरूप करना। विमुद्रीकरण के बाद, अधिशेष तरलता के सृजक अन्य कारक, दो वर्ष की उच्च मांग के पश्चात्, मुद्रा मांग सीमित रही।

चित्र 5: दैनिक नकदी प्रबंधन

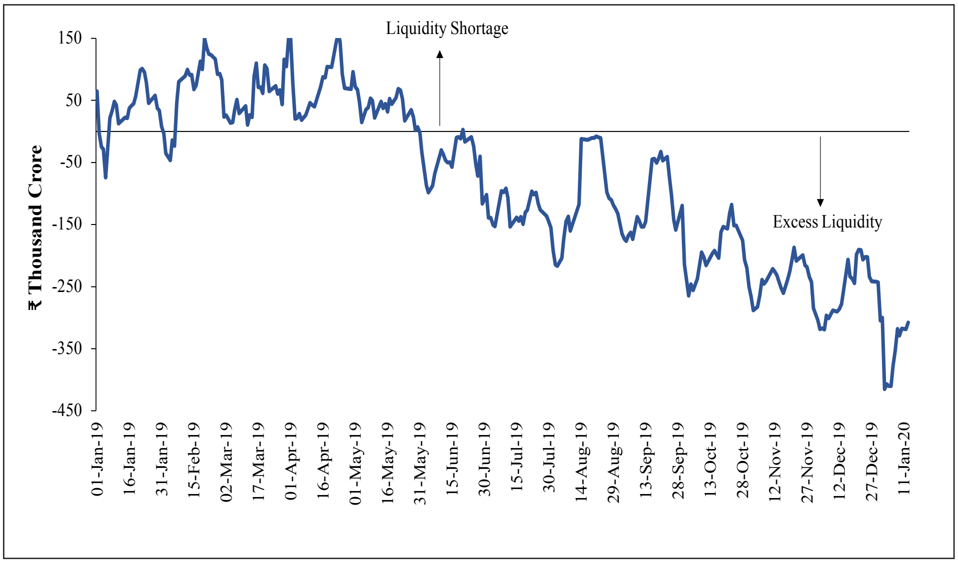

स्रोतः मुद्रा बाजार परिचालन द्वारा निबल तरलता संवर्धन, आर बी आई

4.8 2019-20 में (जनवरी 2020 तक) अप्रैल और मई, केवल दो माह ऐसे रहे जब सरकार के सीमित व्यय तथा नकदी की उच्च मांग के कारण तरलता न्यून रही। भारत सरकार के नकदी-शेष का मोचन - प्रतिवर्ष अप्रैल में एक नियमित लक्षण - इस चालू वर्ष में काफी कम रहा जिसका कारण चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के लागू होने के कारण सरकारी खर्च में नियंत्रण होना है। साथ ही, इसके फलस्वरूप, आर बी आई ने, अप्रैल में तीन वर्ष की समयावधि के लिए यू.एस. $5 बिलियन की यू.एस. $/₹ की विनिमय नीलामी की गई जिससे ₹ 34,874 करोड़ का संचरण हुआ तथा मई में दो ओ.एम.ओ. क्रय नीलामी से ₹ 25,000 करोड़ प्राप्त हुए। सरकार द्वारा बढ़ाए गए खर्च, आर बी आई द्वारा क्रय विदेशी मुद्रा और बैंकिंग प्रणाली में मुद्रा की वापसी, ₹ 27,500 करोड़ के दो ओ. एम. ओ. क्रय नीलामी से रिजर्व बैंक जून में अधिशेष तरलता बनाए रख सका। जुलाई और अगस्त में विदेशी मुद्रा विक्रय की कुछ घटनाओं के बावजूद तरलता अधिशेष में रही।

चित्र 6: पॉलिसी कॉरिडॉर और कॉल दर

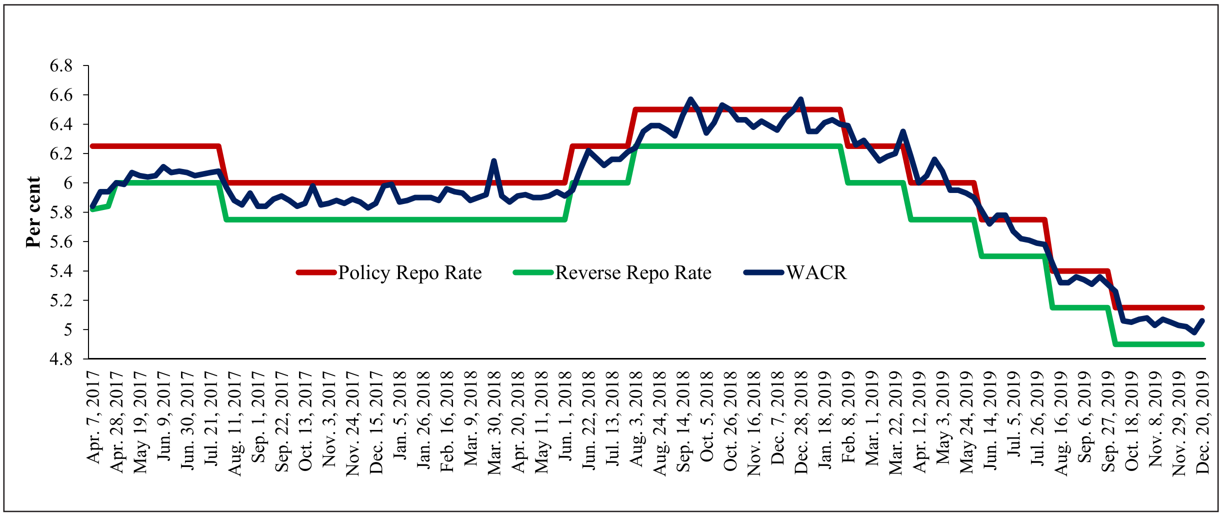

स्रोत-आरबीआई

4.9 भारित औसत कॉल दर (डब्ल्यू. ए. सी. आर) में भी सुखद तरलता स्थिति नजर आ रही है जो तरलता समायोजन स्थिति (एल ए एफ) कॉरीडार के भीतर अधिकांशत: रेपो दर के समीप देखी जाती है। (चित्र 6)

4.10 एलसीआर के साथ बैंकों की प्रभावी तरलता आवश्यकताओं को समंजस्य स्थापित करने की दिशा में बढने की दृष्टि से अप्रैल 2019 में एक रूपरेखा दी गई थी ताकि अप्रैल 2020 तक एन डी टी एल के 15 प्रतिशत तक पहुंचने के लिए चार चरणों में 50 बी पी एस द्वारा तरलता व्याप्ति अनुपात के लिए तरलता प्राप्ति की सुविधा को बढ़ाया जा सके। अत: इस प्रकार, 1 अप्रैल 2020 तक, एस एल आर से निकाले गए कुल उच्च गुणता नकदी पूंजी बैंकों के एन डी टी एल का 17.0 प्रतिशत हो जाएंगी।

जी-सैक (सरकारी प्रतिभूति) बाजार घटनाक्रम

4.11 2019-20 की पहली छमाही के दौरान, 10 साल के बैंचमार्क जी-सेक की लाभप्राप्ति ज्यादातर कम रही (चित्र-7) इसके मुख्य कारण कच्चे तेल की कीमतों की कमी, अधिशेष तरलता और लगातार चार नीतिगत दर में कटौती की मात्रा (जो 110 बीपीएस) की कमी हैं।

4.12 2019-20 की पहली तिमाही में, अप्रैल से शुरू होकर मई 2019 तक, 10-वर्ष की बेंचमार्क लाभप्राप्ति (यील्ड) में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोत्तरी के कारण मामूली वृद्धि हुई। इसके बाद, इसमें अधिकतर गिरने की प्रवृत्ति दिखी। लाभप्राप्ति (यील) में नरमी के लिए प्राथमिक कारकों में यूएस फेड के मौद्रिक नीति रुख (वैश्विक विकास सरोकारों और चल रहे व्यापारिक तनाव) में बदलाव, बैंकिग क्षेत्र की तरलता में सुधार, आरबीआई द्वारा लगातार नीतिगत दर में कटौती के साथ-साथ तटस्थ रुख से परिवर्तनशील रुख में बदलाव है। इसके अतिरिक्त, कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी ने भी धारणा को बल दिया है। सरकार को आरबीआई अधिशेष के स्थानांतरण, एमपीसी द्वारा समावेशी रुख, महत्वपूर्ण और निरंतर अधिशेष चल निधि, ने भी लाभप्राप्ति (यील्ड) को सीमित किया।

4.13 2019-20 की दूसरी तिमाही की शुरूआती अवधि के दौरान बेंचमार्क यील्ड में नरमी का दौर जारी रहा, जिससे अर्थव्यवस्था में गिरावट के बीच दूसरे भाग में कटौती की उम्मीद थी। इसके बाद नए 10 साल की प्रतिभूति और कच्चे तेल की कीमत में अप्रत्याशित वृद्धि की खबर के बाद लाभप्राप्ति में मजबूती आने लगी। दिसम्बर 2019 की एमपीसी की बैठक के बाद जहां पॉलिसी रेपो दर अपरिवर्तित थी वहीं दस साल की जी-सेक लाभप्राप्ति (यील्ड) 16 दिसंबर, 2019 को 6.8 प्रतिशत हो गई।

4.14 आरबीआई द्वारा ''स्पेशल मार्केट अपरेशन'', जिसका अर्थ था दीर्घकालिक प्रतिभूतियों की खरीद और साथ ही लघु अवधि की प्रतिभूतियों की बिक्री से दस

चित्र 7: वर्ष का बैंचमार्क जी-सैक लाभप्राप्ति (यील्ड)

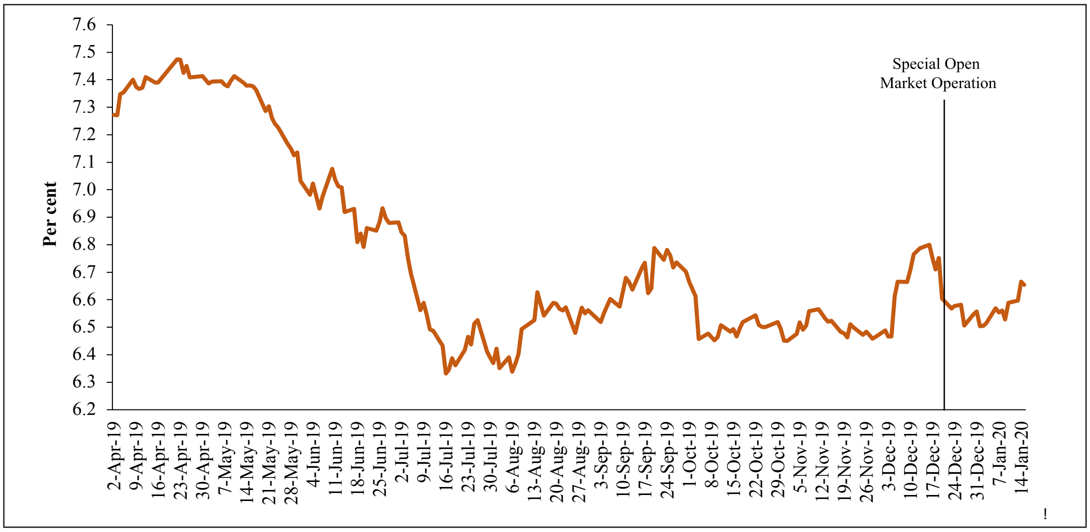

स्रोत: सी सी आई एल

साल के जी-सेक पर लाभप्राप्ति (यील्ड) को नीचे लाने में सहायता की। इससे दीर्घ और अल्प अवधि बॉन्ड लाभप्राप्ति (यील्ड) के बीच अंतर को कम करके लाभ प्राप्ति (यील्ड) वक्र में सुधार लाने की उम्मीद बनी। पहले दौरे में 10000 करोड़ ₹ मूल्य का बिक्री और खरीद की गयी। जो 23 दिसम्बर 2019 को पूरा किया गया। दूसरा और तीसरा दौर क्रमशः 30 दिसम्बर, 2019 और 6 जनवरी, 2020 को इसी राशि के लिए पूरा किया गया था। इसकी वजह से दस साल की जी-सेक की लाभप्राप्ति (यील्ड) में मामूली गिरावट आई। 10 वर्षीय बेचमार्क बॉड (6.45 प्रतिशत जीएस 2020) लाभप्राप्ति (यील्ड) 16 दिसम्बर, 2019 को 6.8 प्रतिशत पर बंद हुआ और 20 दिसंबर, 2019 को घट कर 6.6 प्रतिशत और 02 जनवरी, 2020 को घटर 6.5 प्रतिशत हो गया। तथापि 10 वर्षीय बेंचमार्क में पुनः परिवर्तन आया और 15 जनवरी, 2020 को यह 6.63 प्रतिशत हो गया।

बैंकिंग क्षेत्र

4.15 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल गैर निष्पादित अग्रिम अनुपात प्रतिशत के रूप में जी.एन.पी.ए. का सकल गैर निष्पादित अग्रिम अनुपात सितंबर 2019 के अंत में 9.3 प्रतिशत पर समान बना रहा, जैसा कि मार्च, 2019 के अंत में था। इसी प्रकार उसी अवधि में उनका पुनर्गठित मानक अग्रिम अनुपात 0.4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहा। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का स्ट्रेस्ड अग्रिम अनुपात सितंबर 2009 तक 9.7 प्रतिशक पर बना रहा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) का जीएनपीए अनुपात 12.3 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहा, जबकि स्ट्रेस्ड एडवांस अनुपात मार्च 2019 में 12.7 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर 2019 के अंत में 12.9 प्रतिशत हो गया।

4.16 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पूंजी और जोखिम भारित परिसंपदा अनुपात (कैपिटल टू रिस्क वेटेड अनुपात (सीआरएआर) मार्च 2019 से सितंबर 2019 के बीच 14.3 प्रतिशत से बढ़कर 15.1 प्रतिशत तक हो गया था, बहुत हद तक ऐसा इस वजह से हुआ था कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों सी सीआरएआर में सुधार होना था। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की परिसंपदा पर प्रतिप्राप्ति (आरओए) 2019-20 की पहली तिमाही में (-) 0.1 प्रतिशत से 0.4 तक वसूल की गई जबकि उनकी इक्विटी पर प्रतिप्राप्ति इसी अवधि के दौरान (-) 1.6 प्रतिशत की तुलना में 4.1 प्रतिशत हो गई थी। तथापि बहुत से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक मार्च 2016 से निरंतर ऋणात्मक लाभप्रदता अनुपात दिखा रहे हैं मुख्य रूप से प्रावधान करने की आवश्यकता के लिए।

मौद्रिक संचरण

4.17 मौद्रिक संचय का प्रसारण 2019 में तीनों स्तरों पर कमजोर रहा: दरसंरचना दर, ऋण की मात्रा और अवधि संरचना तीनों स्तर पर 2019 में कमजोर, उधार की मात्र और अवधि संरचना

(क) दर संरचना: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएएलआर) में जनवरी

चित्र 8: बकाया ऋणों और रेपो दर भारित औसत ऋण दर

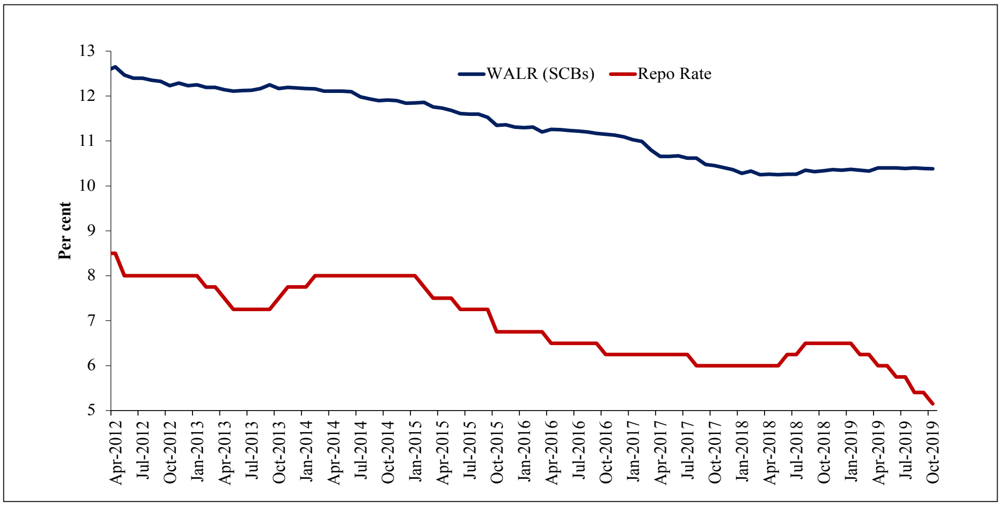

स्रोत: आरबीआई

2019 से 135 बीपीएस की रेपो दर में कमी होने के बावजूद 2019 में बिल्कुल गिरावट नहीं आई है। जनवरी 2019 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक का डब्ल्यूएएलआर 10.38 प्रतिशत था और अक्तूबर, 2019 में 10.40 प्रतिशत है। (चित्र 8) ताजा ऋणों के लिए मौद्रिक संचरण थोड़ा बेहतर हुआ है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के ताजा ऋणों पर डब्ल्यूएएलआर 47 बीपीएस की कमी हुयी और जबकी निजी क्षेत्र के बैंकों में जनवरी से अक्टूबर 2019 में 40 बीपीएस की कमी आई। हालांकि यह कटौती, 2019 के रेपो दर में की गई 135 बी पी एस की कटौती से बहुत कम है।

4.18 इस दशक में क्रेडिट स्प्रेड (रेपो रेट और डब्ल्यूएएलआर के बीच अंतर) सबसे ऊंचे स्तर पर है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बकाया ऋण पर डब्ल्यूएएलआर रेपो दर की तुलना में 525 बीपीएस अधिक है, जो यह स्पष्ट करता है कि 2019 में बैंकों

चित्र 9: क्रैडिट स्प्रैड

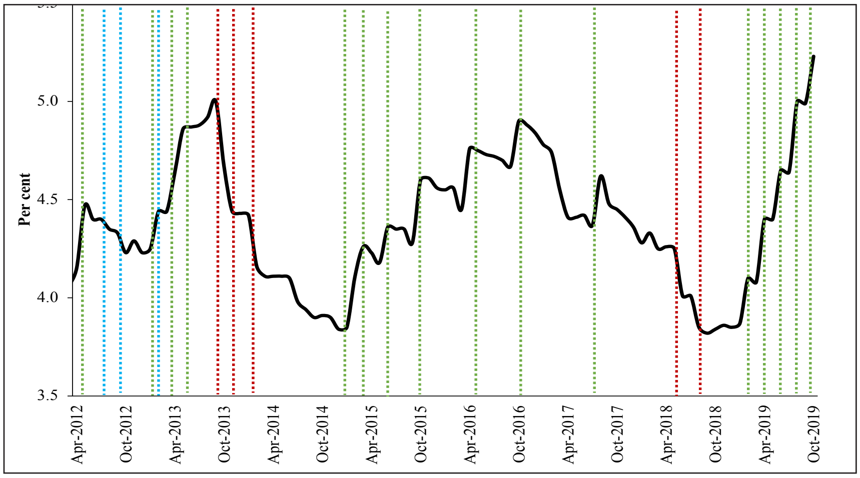

स्रोतः आर बी आई

टिप्पणीः नीले रंग का आशय आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सी.आर.आर) में कटौती, लाल रंग, रेपो दर में वृद्धि हरा रंग रेपो दर में कटौती को दर्शाता है।

क्रेडिट स्प्रेड को रेपो रेट और डब्ल्यु ए एल आर के बकाया ऋण के अन्तर के रूप में परिभाषित किया गया है।

चित्र 10: बचत जमा दर

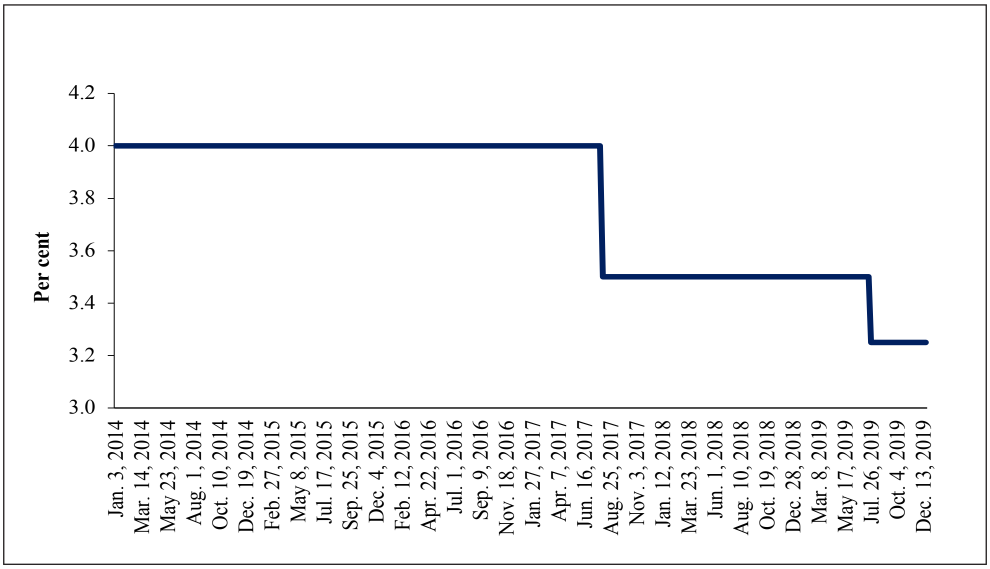

स्रोतः आरबीआई

की रेपो दर में कमी उधारी दरों की तरफ कोई प्रसारण नहीं है। (चित्र 9)

4.19 बचत जमा दर में 2019 में 25 बी पी एस की कमी की गयी है। (चित्र 10)। मियादी जमा दर जो अधिक महत्वपूर्ण है, में जनवरी, 2019 और अक्तूबर 2019 के बीच में 16 बीपीएस की कमी देखी गई है। एक महत्वपूर्ण सीमित करने वाला कारण लोक भवष्यि निधि (पी पी एफ) जैसी लघु बचत योजना पर दी जाने वाली दर प्रतीत होती है। वर्ष 2014 में भारित औसत मियादी जमा दर वही थी जो सार्वजनिक भविष्य निधि की थी, परन्तु अक्तूबर, 2019 के अंतर में उसमें अंत 115 बी पी एस है (चित्र 11)। इस बात की संभावना नहीं है कि मियादी जमा दर इन्हीं किस्मों की योजनाओं पर निर्धारित दरों में कमी के बिना कम हो सके।

(ख) मियादी संरचना

4.20 भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक सुगमता और एलएएफ तरलता का प्रभाव अल्पकालीन ब्याज दरों पर रहा। परन्तु इस क्षति की भरपाई, दीर्घकालिक परिपक्वता के माध्यम से नहीं हो रही है। क्योकि वर्ष के प्रारंभ में अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूतियों (364 दिन टी बिल) पर प्रतिफल में कमी, दीर्घकालिन सरकारी प्रतिभूतियों

चित्र 11: राज्य सरकारी बैंकों की मियादी जमा दर और लोक भविष्य निधि पर ब्याज दर लोक

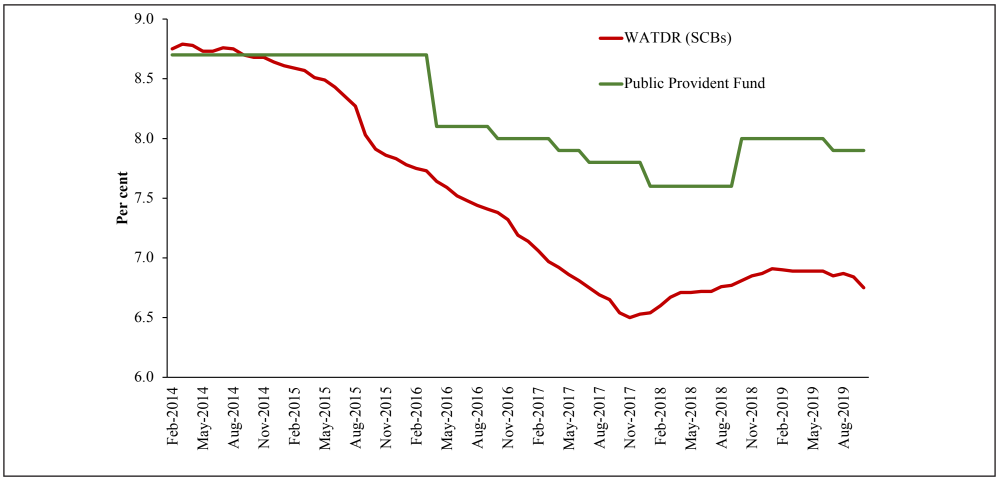

स्रोत: आर बी आई और वित्त मंत्रालय

चित्र 12: बांड लाभप्राप्ति (यील्ड) (प्रतिशत)

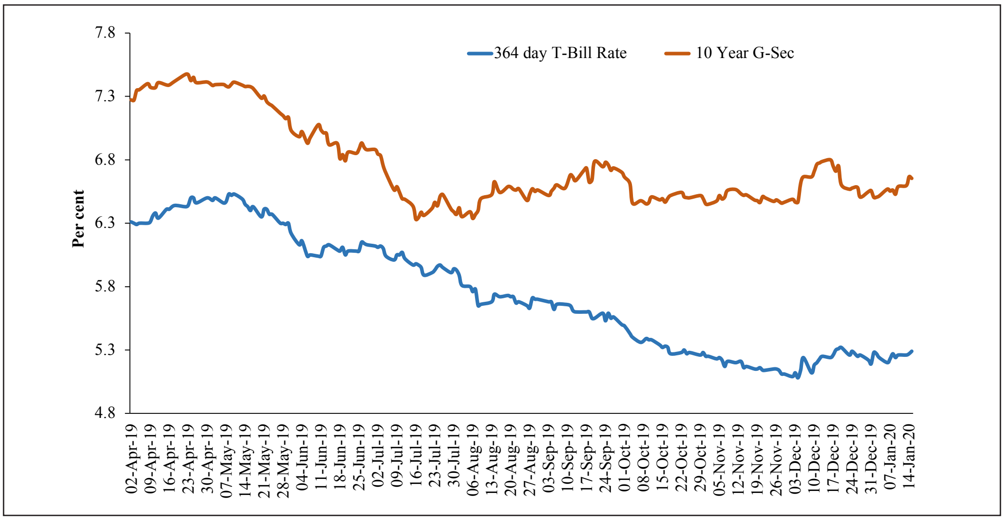

स्रोत: सी सी आई एल

(10 वर्ष सरकारी प्रतिभूति) की तुलना में काफी तेजी गति से हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विशेष खुले बाजार संचालन द्वारा प्रचालन में बदलाव करने के बाद छुट-पुट कमी को छोड़कर वास्तव में माह अगस्त 2019 के बाद 10 वर्ष सरकारी प्रतिभूति पर प्रतिफल में अधिक कमी नहीं आई है (पूर्व खंड में विवरण) (चित्र 12)।

(ग) साख वृद्धि

4.21 पॉलिसी दरों में कमी आने के बावजूद अर्थव्यवस्था में इस वर्ष के प्रारंभ से ही साख वृद्धि में गिरावट होती रही है। बैंक क्रेडिट वृद्धि (वर्ष दर वर्ष) माह अप्रैल 2019 में 12.9 प्रतिशत से सामान्य होकर 20 दिसंबर 2019 तक 7.1 प्रतिशत हो गई। साख वृद्धि में सुधार होना दिसंबर 2018 से उस समय से हो गया जब यह 13.9 प्रतिशत था (चित्र 13 (क))। साख वृद्धि में सुधार उन व्यक्तिगत ऋणों को छोड़कर जिनका तीव्र गति पर और वर्ष 2019-20 के दौरान अब तक अत्यधिक तीव्र गति पर बढ़ना जारी रहा, गैर खाद्य क्रेडिट के सभी प्रमुख खंडों में देखा गया (आंकड़े नवंबर, 2019 तक उपलब्ध हैं)। ऐसी नरमी सेवा क्षेत्र की क्रेडिट वृद्धि में तीव्र गिरावट के परिणामस्वरूप हुई है। उद्योग में क्रेडिट वृद्धि वृद्धि भी हाल ही के माहों में काफी धीमी गति से देखी गई है (चित्र 13 (ख))। इसके धीमी गति होने का मुख्य कारक, लघु और मध्यम उद्यमों एवं वस्त्र उद्योगों की क्रेडिट वृद्धि का ऋणात्मक वृद्धि होना है। (तालिका 3)।

चित्र 13 (क): बैंक क्रेडिट वृद्धि (वर्ष दर वर्ष)

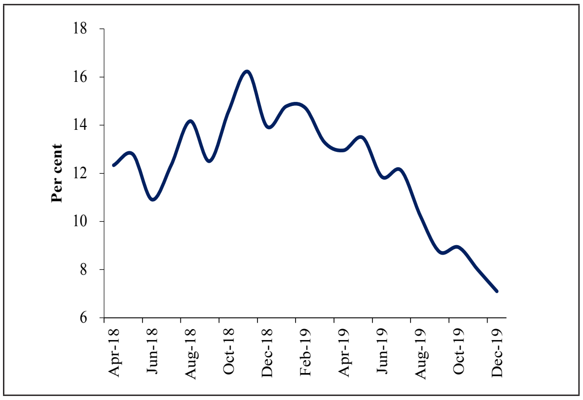

चित्र 13 (ख): क्षेत्रीय बैंक क्रेडिट वृद्धि (वर्ष दर वर्ष)

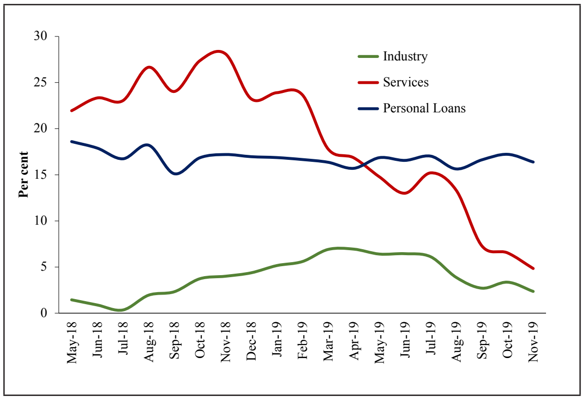

स्रोत: आर बी आई

तालिका 3: मुख्य क्षेत्रों में उद्योग वार बैंक क्रेडिट में वृद्धि (वर्ष दर वर्ष प्रतिशत)

मद	मार्च-15	मार्च-16	मार्च-17	मार्च-18	मार्च-19	नवंबर-19#
गैर खाद्य क्रेडिट	8.6	9.1	8.4	8.4	12.3	7.2
उद्योग	5.6	2.7	-1.9	0.7	6.9	2.4
सूक्ष्म एवं लघु	9.1	-2.3	-0.5	0.9	0.7	-0.1
मध्य	0.4	-7.8	-8.7	-1.1	2.6	-2.4
बड़े	5.3	4.2	-1.7	0.8	8.2	3.0
वस्त्र उद्योग	-0.1	1.9	-4.6	6.9	-3.0	-6.1
अवसंरचना	10.5	4.4	-6.1	-1.7	18.5	7.0

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई)

टिप्पणी: आंकड़े अनंतिम है ओर उन चुनिंदा बैंकों से संबंधित हैं जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रदान किए गए 90 प्रतिशत तक कुल गैर खाद्य क्रेडिट समाविष्ट करते हैं।

नवंबर 22, 2019 को

बॉक्स 1: बैंकिंग विनियमों से संबंधित मुख्य पॉलिसी में परिवर्तन

1. परिसंपत्ति वर्गीकरण में दरजा घटाए बिना 'मानक' के रूप में वर्गीकृत सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को ऋणों की एकबार भुगतान अनुसूची पुनः बनाने की अनुमति देना।

उन एम एस एम ई को जो 1 जनवरी, 2019 का 'मानक' के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण के साथ चूककर्ता थे मौजूदा ऋणों की एक बार भुगतान अनुसूची तैयार करने की अनुमति, परिसंपत्ति वर्गीकरण दर्जा घटाए बिना दी गई थी। यह योजना उन एम एस एम ई के लिए उपलब्ध है जो लक्ष्य मानदंड को पूरा करतें हैं जिसमें अन्य बातों के साथ साथ 1 जनवरी 2019 को बैंकों एवं गैर बैंकिंग वित्त निगमों के कुल एक्सपोजर पर 25 करोड़ की पूँजी भी शमिल है। ऋणों की भुगतान अनूसची पुनः बनाने की स्कीम को 31 मार्च, 2020 तक लागू करना होगा और इस योजना के अधीन तैयार की गई ऋणों की भुगतान सूची के खातों के संबंध में 5 प्रतिशत के अतिरिक्त प्रावधान को बनाए रखना होगा।

2. अवसंरचना निवेश न्यासों को बैंक ऋणः

बैकों को कुछ रक्षोपायों की शर्तो के अधीन अवसंरचना निवेश न्यासों को ऋण देने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया था जिसमें अवसंरचना निवेश न्यासों को आरक्षित छोड़ देने से संबंधित बोर्ड अनुमोदित नीति, अवसंरचना निवेश न्यास स्तर पर नकदी प्रवाह की पर्याप्तता सहित सभी महत्पूर्ण पैरामीटरों का निर्धारण, अवसंरचना निवेश न्यासों का समग्र नियंत्रण और नियंत्रणाधीन विशेष प्रयोजन संस्थाओं का बोर्ड अनुमोदित नीति के अंतर्गत अनुमत्य नियंत्रण के अंतर्गत होना, नियंत्रणाधीन विशेष प्रयोजन संस्थाओं के कार्य निष्पादन जारी आधार पर मॉनीटर करना और उन्हीं अवसंरचना निवेश न्यासों को ही ऋण देना जहां कोई भी नियंत्रणाधीन विशेष प्रयोजन संस्था 'वित्तीय कठिनाई' का सामना नहीं कर रही हो।

3. दबावग्रस्त (स्ट्रेस्ड) परिसंपत्तियों का समाधानः

रिजर्व बैंक ने दबावग्रस्त (स्ट्रेस्ड) परिसंपत्तियों के समाधान के लिए नया प्रडेशियल ढ़ांचा जारी किया है। दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए विनियामक प्रस्ताव के नियंत्रक मूल सिद्धांत निम्नवत हैं:-

(i) बैंकों के बड़े उधारकर्ताओं, वित्तीय संस्थाओं और गैर-बैंकिंग वित्तीय निगम क्षेत्रों के चूककर्ताओं की शीघ्र पहचान और रिपोर्टिंग;

(ii) विनिर्दिष्ट समय सीमा और स्वतंत्र उधार मूल्यांकन की शर्तो के अधीन, समाधान योजनाओं के अभिकल्प और कार्यान्वयन के संबंध में उधारदाताओं को पूर्ण विवेकाधिकार;

(iii) पूर्व की सभी समाधान स्कीमों (54ए, एसडीआर 5/25 आदि) का अतिक्रमण करते हुए, दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए सामंजस्यपूर्ण रूपरेखा;

(iv) दिवालियापन कार्यवाहियों को प्रारंभ करने और समाधान योजना के कार्यान्वयन में विलंब के लिए अतिरिक्त व्यवस्था के रूप में हतोत्साहन कार्रवाई की प्रणाली;

(v) पुनर्गठन किए जाने पर परिसंपत्ति वर्गीकरण व्यवस्थाओं को वापस लेना। भावी मूल्यवद्धि युक्ति अवधि के लिए संतोषजनक कार्यनिष्पादन के सार्थक प्रदर्शन पर होना।

(vi) ऋणों का भुगतान अनुसूची पुनः बनाने के प्रयोजनार्थ, 'वित्तीय कठिनाई' को बैंकिंग पर्यवेक्षण से संबंधित बेसल समिति द्वारा जारी दिशानिर्देशों की संगति में किया जाना; और

(vii) सभी उधारदाताओं द्वारा इंटर-क्रेडिटर एग्रीमेंट (आईसीए) पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा, जिससे अनेक निर्णय लेने से संबंधित मानदंड प्राप्त होगा।

4. विदेशी बेंचमार्क आधारित ऋणः

चूंकि मौजूदा एमसीएलआर ढ़ांचे के अंतर्गत बैंकों की ऋण दर में नीति दर परिवर्तनों का हस्तांतरण संतोषजनक नहीं था, इसलिए, बैंकों के लिए 4 सितम्बर, 2019 को दिशानिर्देश जारी किए गए थे जिनमें बैंकों को 1 अक्तूबर, 2019 से सभी नए अस्थायी दर के व्यक्तिगत अथवा खुदरा ऋणों को और अस्थायी दर के ऋणों को विदेशी बेंचमार्क पर आधारित एमएसई से निम्नानुसार जोड़ना अनिवार्य किया गया है।

(क) बेंचमार्क: बैंक, रेपोरेट, 3 और 6 महीने की राजकोष बिल लाभप्राप्ति और कोई अन्य बेन्चमार्क जो इंडिया लि. द्वारा प्रकाशित हो, का चयन करने में स्वतंत्र हैं।

(ख) प्रसार: बैंक, विदेशी बेंचमार्क को प्रसारित करने का निर्णय लेने में स्वतंत्र हैं। तथापि ऋण जोखिम प्रीमियम में तभी परिवर्तन किया जा सकता है जब उधारकर्ता के उधार निर्धारण में ऋण संविदा में यथा अनुबंधित, पर्याप्त परिवर्तन हुआ हो। इसके अतिरिक्त, प्रचालन लागत सहित प्रसारण के अन्य घटकों को तीन वर्षो में एक बाार परिवर्तित किया जा सकता है।

(ग) ब्याज दरों का पुर्नियतन: विदेशी बेंचमार्क के अंतर्गत ब्याज दर का कम-से-कम तीन माह में एक बार पुनर्नियतन किया जाएगा।

5. सभी प्राइवेट क्षेत्र के बैंकों (एलएबी, एसएफबी, पीबी डब्ल्यूओएस एवं विदेशी बैंक सहित) के लिए पूर्णकालिक निदेशकों /मुख्य कार्यकारी अधिकारियों महत्वपूर्ण जोखित उठाने वालों और नियंत्ग्ण प्रकार्य कर्मचारियों आदि के लिए 01, अप्रैल, 2020 से लागू किए जाने वाले क्षतिपूर्ति संबंधी संशोधित दिशानिर्देश;

(क) क्षतिपूर्ति का बड़ा भाग अर्थात कम से कम 50 प्रतिशत भाग परिवर्तनीय होना चाहिए (पूर्व में ऐसी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई थी;

(ख) कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व योजनाएं (ईएसओपी) शेयर संबद्ध लिखत के रूप में परिवर्तनीय भुगतान के घटक के रूप में शामिल की जाएं। (जिसे पहले अलग रखा गया था)

(ग) परिवर्तनीय भुगतान को नियत भुगतान के 300 प्रतिशत पर सीमित किया जाएगा (पूर्व में परिवर्तनीय भुगतान को नियत भुगतान के 70 प्रतिशत पर सीमित किया गया था किन्तु इसमें ईएसओपी/शेयर संबद्ध लिखत को शामिल नहीं किया गया था)

(घ) न्यूनतम 50 प्रतिशत परिवर्तनीय भुगतान गैर-नकदी घटक (जैसे कि ईएसओपी) के माध्यम से होगा (पूर्व में कोई विशिष्ट अनुपात निर्धारित नहीं किया गया था)।

(ड़) परिवर्तनीय भुगतान की मात्रा पर ध्यान दिए बिना, परिवर्तनीय भुगतान के लिए अनिवार्य आस्थगन तंत्र अनिवार्य करना (पूर्व में इसे एक विनिर्दिष्ट सीमा के ऊपर ही अनिवार्य किया गया था)।

(च) एनपीए/अपसरण/भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिए निर्धारित सीमा के ऊपर व्यवस्थापन के मामले में 'मलुस' अधिरोपित करना अनिवार्य करना। (नया परिवर्धन)।

(छ) महत्वपूर्ण जोखिम ग्रहणकर्ताओं की पहचान करने के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक मानदंड निर्धारित किए जा रहे हैं। (नया परिवर्धन)।

गैर बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र (एनबीएफसी)

4.22 वर्ष 2017-18 और वर्ष 2018-19 की अर्ध छमाही में अति तेजी से बढ़ने के बाद, इस क्षेत्र में तब से तेजी से अवमंदन हुआ है। गैर बैंकिंग वित्तीय निगमों से ऋणों की वृद्धि सितम्बर, 2018 में 27.6 प्रतिशत और दिसम्बर, 2018 में 21.6 प्रतिशत से सितम्बर, 2019 के अंत में 9.9 प्रतिशत गिरी है (चित्र 14)।

4.23 गैर-बैंकिंग वित्तीय निगम क्षेत्र के तुलन-पत्र में राशि वर्ष 2018-19 के दौरान 26.18 लाख करोड़ ₹ से बढ़कर 30.85 करोड़ रुपये हो गई है जो 17.9 प्रतिशत है। एन बी एफ सी से सम्बन्धित चिंताओं के बावजूद 21.3 प्रतिशत की यह वृद्धि वर्ष 2017-18 के दौरान दर्ज की गई शीर्ष वृद्धि थी। वर्ष 2018-19 की तीसरी तिमाही में तरलता दबाव देखा गया। गैर-बैंकिंग वित्तीय निगमों के लिए एनबीएफसी के लिए निधियों की लागत में मार्च, 2019 तक गिरावट आई और आगे सितम्बर, 2019 तक और भी गिरावट हुई जैसा कि 3 माह की सीपी डिस्काउण्ट दर में दर्शाया गया है। (चित्र 15)

4.24 एनबीएफसी के वित्तपोषण के स्रोतों में एक प्रेक्षणीय बदलाव आया है। बैंक ऋण जो कि अक्तूबर

1. सिप्तम्बर 2019 के आकड़ें अनंतिम है।

चित्र: 14 एनबीएफसी (वर्ष दर वर्ष) 3.4 द्वारा ऋणों और अग्रिमों में वृद्धि।

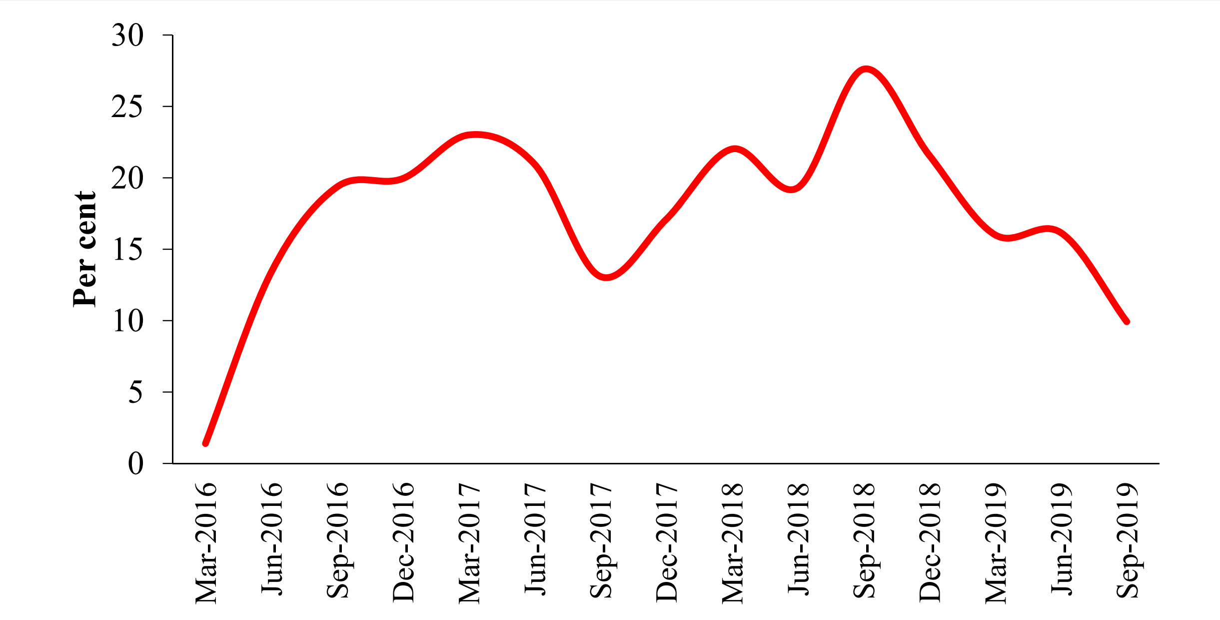

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक।

टिप्पणी: 1. आंकड़े जमा लेने वाले एन बी एफ सी और गैर-जमा लेने वाले महत्वपूर्ण एन बी एफ सी, सरकारी कम्पनियों सहित।

2. जून 2018 के बाद के आंकड़े अनन्तिम हैं।

चित्र 15: तीन माह की श्रेणी-वार सी पी दर[2]

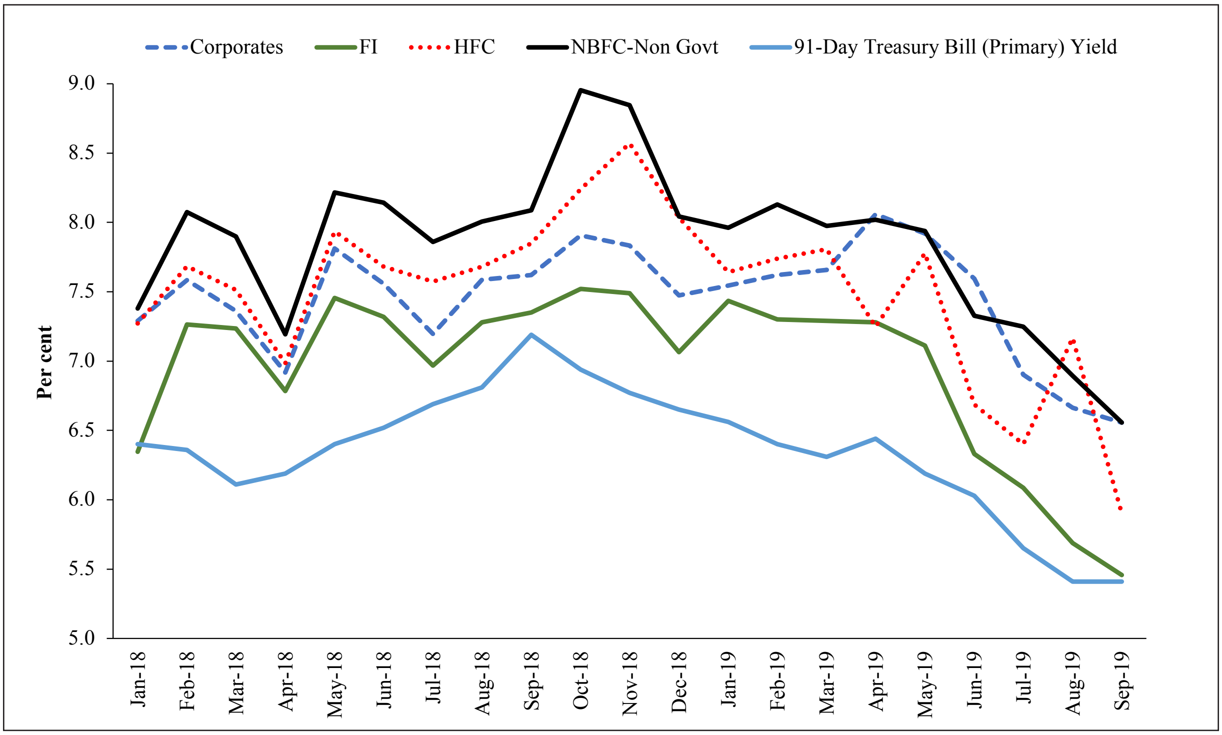

स्रोत: आरबीआई (भारतीय रिजर्व बैंक)

2. सितम्बर 2019 के आंकड़े अनन्तिम हैं।

2018 में 5.62 लाख करोड़ था, अक्तूबर 2019 में बढ़कर 7.13 लाख करोड़ हो गया अर्थात इसमें 26.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई (चित्र 16(क)। हालांकि यह वृद्धि अक्तूबर 2018 के अंत तक की तुलना में काफी कम है। एनबीएफसी को म्यूचुअल फंड द्वारा क्रेडिट/धन का अविनियोजन, अक्तूबर 2018 से काफी कम/संकुचित हुआ है (चित्र 16(ख))।

4.25 बाजार ऋण जो कि सितंबर 2018 में 10.4 लाख करोड़ था, सितंबर 2019 के दौरान बढ़कर 10.5 लाख करोड़ हो गया। बाजार उधार के साधनों में, वाणिज्यिक कागजात की हिस्सेदारी सितंबर 2018 से सितंबर 2019 तक 31.2 प्रतिशत घट गई, जबकि अपरिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) का हिस्सा इसी अवधि में 7.7 प्रतिशत बढ़कर 8.61 लाख करोड़ से 9.27 लाख करोड़ हो गया।

4.26 15 प्रतिशत की विनियामक आवश्यकता के स्थान पर एनबीएफसी (गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी) क्षेत्र की जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) मार्च 2019 के अंत तक और सितंबर, 2019 के अंत में 19.5 प्रतिशत तक बनी रही। एनबीएफसी (गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी) क्षेत्र की सकल अनर्जक आस्ति (एनपीए) अनुपात, मार्च 2018 के 5.8 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2019 में 6.1 प्रतिशत हो गई तथा सितंबर 2019 तक इसमें मामूली वृद्धि हुई और यह 6.3 प्रतिशत हो गई। निवल अनर्जक आस्ति (एनपीए) अनुपात में मार्च 2018 के 3.3 प्रतिशत की तुलना में मामूली वृद्धि हुई तथा यह मार्च 2019 में 3.4 प्रतिशत हो गई तथा सितंबर 2019 तक यही स्थिति बनी रही। इस क्षेत्र का परिसंपत्ति प्रतिफल (आरओए), मार्च 2018 के 1.6 प्रतिशत से घटकर मार्च 2019 में 1.5 प्रतिशत ही रह गया। इसके अलावा इक्विटि पर प्रतिफल (आरओई), मार्च 2018 के 6.9 प्रतिशत से घटकर मार्च 2019 में 6.6% ही रह गया।

चित्र 16 (क): एनबीएफसी में बैंक क्रेडिट में वृद्धि

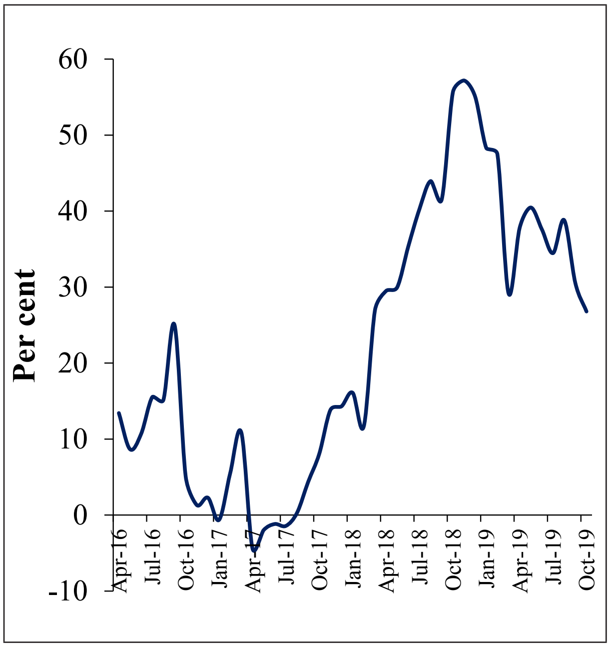

चित्र 16 (ख): एनबीएफसी में एमएफ द्वारा धन के अविनियोजन में वृद्धि

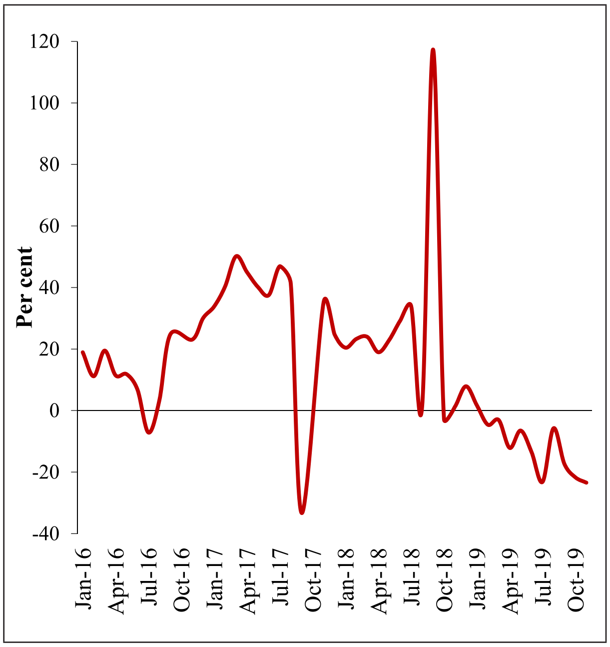

स्रोत: आरबीआई (भारतीय रिजर्व बैंक) तथा सेबी (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड)

नोट चित्र 16 (क) के लिये

1. यह आंकड़े एच एफ सी को भी शामिल करता है।
2. यह आंकड़े अनंतिम हैं और उन चुनिंदा बैंकों से सम्बन्धित हैं जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रदान किये गये 90 प्रतिशत तक गैर खाद्य क्रेडिट समाविष्ट करते हैं।

बॉक्स 2: गैर-बैंकिंग वित्तीय विनियमन/पर्यवेक्षण से संबन्धित प्रमुख नीतिगत परिवर्तन

आईएल एंड एफएस के बाद, एनबीएफसी (गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी) क्षेत्र के नियमन और पर्यवेक्षण को मजबूत करने के लिए कई उपाय किए गए, जैसा कि नीचे दिया गया है।

1. एनबीएफसी सेक्टर के विनियमन और पर्यवेक्षण को मजबूत करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में संशोधन ताकि रिजर्व बैंक में निम्नलिखित अतिरिक्त शक्तियां निहित की जा सकें:

क) एनबीएफसी के लिए न्यूनतम शुद्ध स्वामित्वाधीन निधि आवश्यकता को ₹ 100 करोड़ (मौजूदा ₹ 2 करोड़ से) तक बढ़ाना;

ख) एक एनबीएफसी के निदेशक को कार्यालय/पद से हटाना (सरकारी कंपनियों के अलावा);

ग) एनबीएफसी के निदेशक मंडल का अधिक्रमण करना (सरकारी कंपनियों के अलावा);

घ) वैधानिक लेख परीक्षक को भारतीय रिजर्व बैंक की किसी भी विनियमित संस्थाओं में से किसी के लेखा परीक्षक के रूप में कर्तव्यों का उपयोग करने से हटाना या विवर्जित करना;

ङ) एनबीएफसी की अलग-अलग इकाइयों में व्यवहार्यता और गैर-व्यवहार्य व्यवसायों को अलग करते हुए, समामेलन पुनर्निर्माण के माध्यम से या एककों का समामेलन करते हुए समाधान करना;

च) एक एनबीएफसी को अपने या एनबीएफसी के किसी भी समूह कंपनी के वित्तीय विवरणों को व्यवसाय या मामलों से संबंधित बयानों और सूचनाओं के रूप में संलग्न करने के लिए निर्देशित करना और एक एनबीएफसी के किसी भी समूह की कंपनी की लेखाबही का निरीक्षण या लेखापरीक्षा करना।

छ) रिजर्व बैंक द्वारा लगाए जाने वाले जुर्माने की मात्रा में वृद्धि करना।

2. अधिकृत डीलर (एडी) के रूप में योग्य एनबीएफसी-एनडी-एसआई-द्वितीय श्रेणी: रिजर्व बैंक ने जनता को अपने दैनिक गैर-व्यापार चालू खाता लेनदेन के लिए प्रदान की गई सेवाओं की पहुंच और दक्षता बढ़ाने के लिए 16 अप्रैल, 2019 से गैर-डिपॉजिट लेने वाली प्रणालीगत महत्वपूर्ण एनबीएफसी-आईसीसी को ए डी-द्वितीय श्रेणी अनुज्ञप्ति/लाइसेंस प्राप्त करने की अनुमति दी है। पात्र एनबीएफसी को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा और रिजर्व बैंक से विशिष्ट अनुमति लेनी होगी।

3. एनबीएफसी के लिए तरलता जोखिम ढांचा: ₹ 100 करोड़ और उससे अधिक की आस्तियों वाली सभी गैर-डिपॉजिट लेने वाले एनबीएफसी, ऐसी महत्वपूर्ण कोर इन्वेस्टमेंट कंपनियां जो व्यवस्थित हैं और डिपॉजिट लेने वाली सभी एनबीएफसी, भले ही उनकी परिसंपत्ति का आकार कुछ भी हो, लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट दिशा-निर्देशों के सेट का पालन करेंगे:

क) ग्रेन्युलर परिपक्वता समूह और छूट का स्तर,

ख) तरलता स्थिति में विकृति का पता लगाने के लिए तरलता जोखिम निगरानी उपकरण/मीट्रिक,

ग) संरचनात्मक और गतिशील तरलता के अलावा, तरलता के लिए ''स्टॉक'' दृष्टिकोण को अपनाना,

घ) ऑफ-बैलेंस शीट और आकस्मिक देयताएं, इंट्रा-ग्रुप फंड ट्रांसफर, आदि जैसे पहलुओं के लिए सुदृढ़ नकदी जोखिम प्रबंधन के सिद्धांतों का विस्तार, और

ङ) ₹ 5000 करोड़ और उससे अधिक आस्ति आकार के सभी डिपाजिट न लेने वाली सभी एनबीएफसी तथा डिपॉजिट लेने वाली सभी एनबीएफसी, (कोर निवेश कंपनियों, गैर प्रचालन वित्तीय धारक कंपनियों, स्टैंड एंलोन प्राइमरी डीलर और टाईप-1 एनबीएफसी को छोड़कर) भले ही उनकी परिसंपत्ति का आकार कुछ भी हो, के लिए तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) की शुरूआत ताकि किसी भी तीव्र तरलता दबाव से बचने के लिए पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्ति (एचक्यूएलए) को बनाए रखा जा सके। समस्त एलसीआर को 1 दिसंबर 2024 तक उत्तरोत्तर 100% तक बढ़ाया जाएगा।

4. एनबीएफसी-सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं (एनबीएफसी-एमएफआई) के लिए सीमाओं की समीक्षा: एनबीएफसी-एमएफआई के उधारकर्ताओं के लिए घरेलू आय सीमा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ₹ 1,00,000 के वर्तमान स्तर तथा शहरी/अर्ध-शहरी क्षेत्रों

के लिए ₹ 1,60,000 से बढ़ाकर क्रमशः ₹ 1,25,000 तथा ₹ 2,00,000 की गई है, साथ ही योग्य उधारकर्ताओं के लिए उधार देने की सीमा भी ₹ 1,00,000 से बढ़ाकर ₹ 1,25,000 प्रति उधारकर्ता कर दी गई है। यह नवम्बर 8, 2019 से प्रभावी है।

5. हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां: भारत सरकार द्वारा दिनांक 9 अगस्त, 2019 को आवास/गृह वित्त कंपनी (एचएफसी) का विनियमन, राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को हस्तांतरित कर दिया गया है।

पूंजी बाजार का घटनाक्रम

प्राथमिक बाजार

क. सार्वजनिक निर्गमन

4.27 पब्लिक इश्यू तथा राइट्स इश्यू के माध्यम से पिछले वर्ष की इसी अवधि में जो ₹ 44,355 करोड़ रुपये जुटाए गए थे, वर्ष 2019-20 में (दिसंबर 31, 2019 तक) कुल धनराशि बढ़कर ₹ 73,896 करोड़ हो गई। वर्ष 2018-19 की इसी अवधि में, पब्लिक एंड राइट्स इश्यू के माध्यम से प्राथमिक बाजार आर्थिक संसाधान जुटाना वर्ष 2017-18 की तुलना में कम हो गया था।

4.28 सार्वजनिक निर्गम/पब्लिक इश्यू (इक्विटी) के माध्यम से संसाधन जुटाना, अप्रैल-दिसंबर, 2019 में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में घट गया, जो पिछले वर्ष की गिरावट के रुझान/प्रवृत्ति के अनुसार ही जारी रहा है। अप्रैल-दिसंबर, 2019 के दौरान, 47 कंपनियों ने सार्वजनिक इक्विटी जारी करने के माध्यम से ₹ 10,895 करोड़ जुटाए, जबकि अप्रैल से दिसंबर, 2018-19 में ₹ 13,947 करोड़ रुपये जुटाने वाली 103 कंपनियों ने 21.9 प्रतिशत की कमी का संकेत दिया। दूसरी ओर अप्रैल-दिसंबर, 2019 के दौरान राइट्स इश्यू (इक्विटी) के माध्यम से संसाधन जुटाने में पिछले वर्ष की इसी अवधि (तालिका) की 1,843

तालिका 4: लोक निर्गम (पब्लिक इशू) और अधिकार के बदले में दिए गए शेयर (राइट इशू) के माध्यम से प्राथमिक बाजार संसाधन जुटाना

निर्गम प्रकार (जारी करने के प्रकार)	2016-17 से (31 दिसम्बर, 2016 तक)		2017-18 से (31 दिसम्बर, 2017 तक)		2018-19 से (31 दिसम्बर, 2018 तक)		2019-20 से (31 दिसम्बर, 2019 तक)	
	निर्गमों की संख्या	राशि ₹ (करोड़ में)	निर्गमों की संख्या	राशि ₹ (करोड़ में)	निर्गमों की संख्या	राशि ₹ (करोड़ में)	निर्गमों की संख्या	राशि ₹ (करोड़ में)
सार्वजनिक निर्गम (इक्विटी)	70	24,515	134	64,141	103	13,947	47	10,895
राइट इशू (इक्विटी)	5	1,297	14	4,522	6	1,843	11	51,255
सार्वजनिक निर्गम (ऋण)	12	27,161	4	3,896	15	28,565	27	11,746
कुल सार्वजनिक निर्गम	**87**	**52,973**	**152**	**72,559**	**124**	**44,355**	**85**	**73,896**

स्रोत: सेबी

की तुलना में ₹ 51,255 करोड़ ₹ के संसाधन जुटाने के साथ तेजी से वृद्धि दर्ज की गई (तालिका 4)।

ऋण कर्ज

4.29 पिछले साल की इसी अवधि में 15 इश्यू के माध्यम से जो ₹ 28,565 करोड़ की राशि जुटाई गई थी, उसकी तुलना में अप्रैल-दिसंबर, 2019 के दौरान पब्लिक को ऋण प्रतिभूति जारी करके संसाधान जुटाने में ₹ 11,746 करोड़ तक की कमी आई।

ख: निजी तौर पर शेयर आवंटन (प्राइवेट प्लेसमेंट)

4.30 2019-20 के दौरान (31 दिसम्बर 2019 तक) भारतीय कॉरपोरेट्स ने पिछले वर्ष की इस अवधि में पूंजी को बढ़ाने के लिए निजी तौर पर शेयर आवंटन को प्राथमिकता दी। पिछले वर्ष की इसी अवधि (तालिका 5) में 2006 के निर्गम के माध्यम से ₹ 5.3 लाख करोड़ की तुलना में प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से अप्रैल दिसंबर 2019 में, 1520 निर्गम के माध्यम से ₹ 6.29 लाख करोड़ रुपये जुटाए गए हैं।

इक्विटी

4.31 225 निर्गमों ने अप्रैल-दिसम्बर 2019 के दौरान इक्विटी के निजी प्लेसमेंट के माध्यम से ₹ 1.79 लाख करोड़ रुपये जुटाए गए जब कि अप्रैल-दिसम्बर 2018 की अवधि में 335 निर्गमों ने ₹ 1.57 लाख करोड़ रुपये जुटाए गए थे। 225 निर्गमों में से 9 और संस्थागत स्थानन (क्यू आई पी) और ₹ 216 तरजीही आवंटन के माध्यम से ₹ 34029 करोड़ और ₹ 1.45 लाख करोड़ अप्रैल-दिसम्बर 2018 में जुटाए गए जबकि 11 क्यू आई पी आबंटन और ₹ 324 तरजीही आबंटन के माध्यम से अप्रैल-दिसम्बर 2018 में क्रमशः ₹ 6958 करोड़ और ₹ 1.50 लाख करोड़ रुपये जुटाए गए।

ऋण

4.32 इसके अलावा अप्रैल-दिसम्बर 2019 के दौरान कॉरपोरेट बॉन्ड के प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से जुटाए गए संसाधन ₹ 4.50 लाख करोड़ थे जबकि अप्रैल-दिसम्बर 2018 के दौरान ₹ 3.73 लाख करोड़ थे।

तालिका 5: प्राइवेट प्लेसमेंट (निजी तौर पर शेयर आवंटन) के माध्यम से प्राथमिक बाजार संसाधन को जुटाना

निर्गम प्रकार	2016-17 से (दिसम्बर 31, 2016 तक)		2017-18 से (दिसम्बर 31, 2017 तक)		2018-19 से (दिसम्बर 31, 2018 तक)		2019-20 से (दिसम्बर 31, 2019 तक)	
	निर्गमों की संख्या	राशि ₹ (करोड़ में)	निर्गमों की संख्या	राशि ₹ (करोड़ में)	निर्गमों की संख्या	राशि ₹ (करोड़ में)	निर्गमों की संख्या	राशि ₹ (करोड़ में)
क्यू आई पी आवंटन (इक्विटी)	14	4,395	37	57,711	11	6,958	9	34,029
तरजीही आवंटन (इक्विटी)	299	30,224	307	40,668	324	1,49,921	216	1,45,404
बॉन्ड का प्राइवेट प्लेसमेंट	2,662	4,78,974	1,943	4,60,061	1,671	3,73,375	1,295	4,49,939
कुल प्राइवेट प्लेसमेंट	**2,975**	**5,13,593**	**2,287**	**5,58,440**	**2,006**	**5,30,254**	**1,520**	**6,29,372**

स्रोतः बीएसई, एनएसई, एमएसईआई और सेबी

म्यूचअल फंड गतिविधियां

4.33 अप्रैल से दिसम्बर 2019 के दौरान म्यूचअल फंड उद्योग में निवल आमद ₹ 1.9 लाख करोड़ थी जबकि पिछले वर्ष इस अवधि के दौरान निवल आमद 0.8 लाख करोड़ था। दिसम्बर 31, 2019 के अंत तक निवल परिसंपत्ति के अर्न्तगत सभी म्यूचअल फंड प्रबंधन में 18.4 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी से यह ₹ 26.3 लाख करोड़ पहुंच गया था जबकि 31 दिसंबर 2018 में यह ₹ 22.2 लाख करोड़ था। (तालिका 6)।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक द्वारा निवेश (एफपीआई)

4.34 अप्रैल-दिसम्बर 2019 के दौरान भारतीय पूंजीगत बाजार में एफपीआई के संदर्भ में निवल आमद ₹ 0.81 लाख करोड़ था जब कि अप्रैल-दिसम्बर 2018 के दौरान निवल प्रवाह ₹ 0.94 लाख करोड़ था। 31 दिसम्बर 2019 तक एफपीआई द्वारा कुल संचित निवेश (अधिग्रहण लागत पर) 31 दिसम्बर 2018 (तालिका 7) तक 240.1 बिलियन यूएस डॉलर से 7.8 प्रतिशत बढ़कर 31 दिसम्बर 2019 को 259.5 बिलियन यूएस डॉलर पहुंच गया।

भारतीय बेंचमार्क सूचकांक की गतिविधि

4.35 भारतीय बेंचमार्क सूचकांक जैसे निफ्टि 50 और एस एवं पी बी एस ई सूचकांक 2019-20 (16 जनवरी 2020 तक) के दौरान रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। 14 जनवरी, 2020 को एस और पीबीएसई सूचकांक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के बेंचमार्क सूचकांक 41.952 के उच्चत्तम स्तर तक पहुंच गया, जिसके कारण 1 अप्रैल 2019 को 38,871 के स्तर से 7.9 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी

तालिका 6: म्यूचअल फंड द्वारा निधियों को जुटाना

अवधि	फोलियो की संख्या (करोड़ में)	सकल निधियां जुटाना (₹ लाख करोड़ में)	मोचन (₹ लाख करोड़ में)	निवल आमद (₹ लाख करोड़ में)	अवधि के अंत तक निवल एयूएम (₹ लाख करोड़ में)
2018-19 (31 दिसम्बर 2018 तक)	8.03	139.30	138.50	0.80	22.20
2019-20 से (31 दिसम्बर 2019 तक)	8.71	134.30	132.50	1.90	26.30

स्रोत: सेबी

तालिका 7: विदेशी पोर्टफोलियों निवेशक द्वारा निवेश

वर्ष/महीना	सकल खरीद (₹ करोड़ में)	सकल बिक्री (₹ करोड़ में)	सकल निवेश (₹ करोड़ में)	सकल निवेश (यूएस डॉलर मिलियन से)	संचयी निवल नि. वेश (यूएस डॉलर मिलियन में)
2018-19 (31 दिसंबर, 2018 तक)	11,78,809	12,72,988	-94,179	-13,442	2,40,171
2019-20 (31 दिसंबर, 2019 तक)	13,79,888	12,99,141	80,746	11,465	2,59,579

स्रोत: एनएसडीएल

चित्र 17: भारतीय बैंचमार्क सूचकांक में उतार-चढ़ाव

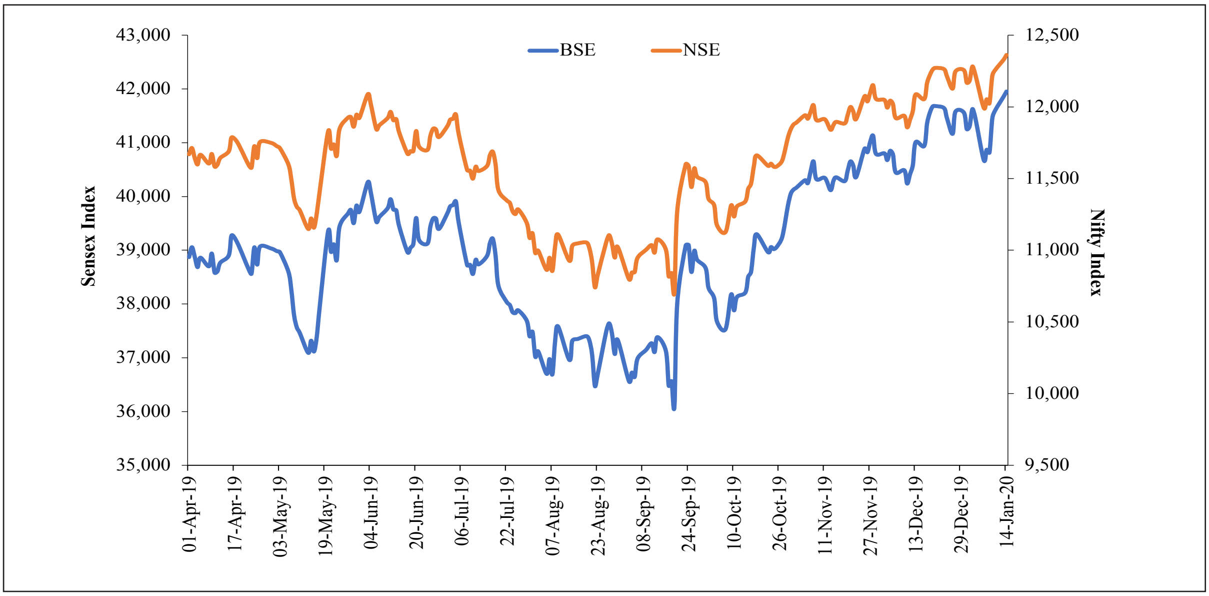

स्रोत: बीएसई और एनएसई

बॉक्स 3: भारत में वित्तीय संविदाओं के लिए द्विपक्षीय नेटिंग को सक्षम करने के लाभ

द्विपक्षीय नेटिंग करार के द्वारा दो प्रतिपक्षकार, एक किसी दूसरे प्रतिपक्षकार को देय एकल निवल भुगतान देयता का निर्धारण करने के लिए, किसी वित्तीय संविदा में एक-दूसरे के दावों का समायोजन कर सकते हैं। इसी तरह, बहुपक्षीय नेटिंग करार के द्वारा प्रतिपक्षकार समाशोधन गृह में एक केन्द्रीय प्रतिपक्ष (सीसीपी) मे माध्यम से एक दूसरे के दावों का समायोजन कर सकते हैं। चूक, जिसमें प्रतिपक्षकारों का दिवालियापन, विघटन या समापन शामिल है, की स्थिति में क्लोज-आउट नेटिंग के द्वारा गैर-चूककर्ता प्रतिपक्षकार वित्तीय संविदा को अवधिपूर्ण के पूर्व समाप्त कर सकता है और किसी एक पक्षकार का दूसरे पक्षकार को देय एकल निवल राशि का निर्धारण करने के लिए आपसी दावों का योग प्रस्तुत कर सकता है।

वर्तमान में, संदाय और निपटान प्रणाली (संशोधन) अधिनियम (2015) के अधीन किसी सीसीपी, जैसे कि क्लीयरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल), के माध्यम से अधिनिर्मित वित्तीय लेनदेन के बहुपक्षीय क्लोज़-आउट नेटिंग के लिए विधिक प्रावधन मौजूद हैं। हालांकि, भारत में वित्तीय करारों के लिए द्विपक्षीय नेटिंग की अनुमति नहीं है यह कई चैनलों के माधयम से बैंकों और अन्य वित्तीय बाजार सहभागियों को नाकारात्मक रूप से प्रभावित करता है:

(i) द्विपक्षीय नेटिंग की अनुपस्थिति में, बैंकों को आरबीआई के विनियमों के अधीन निवल बाजार से बाजार तक (एमटीएम) एक्सपोजर के स्थान पर सकल एमटीएम एक्सपोजर पर आधारित ओटीसी डेरिवेटिन संविदा के लिए किसी प्रतिपक्षकार के क्रेडिट एक्सपोजर का मान निर्धारण करना आवश्यक है। इससे वित्तीय बाजार सहभागियों, विशेषकर किसी एक प्रतिपक्षकार के दिवाला हो जाने की स्थिति में, के क्रेडिट जोखिम में वृद्धि हो जाती है, जिससे सिस्टेमिक जोखिम में वृद्धि हो जाती है।

(ii) बेसल III विनियामक सुधार को लागू करने के लिए आरबीआई के अनुसार बैंकों को निवल एमटीएम एक्सपोजर के स्थान पर सकल एमटीएम पर आधारित ओटीसी डेरिवेटिव संविदा के लिए विनियामक पूंजी अपेक्षा की गणना करना आवश्यक है।[3] यह बैंकों को द्विपक्षीय नेटिंग के लिए आवश्यक विनियामक पूंजी से अधिक विनियामक पूंजी धारण करने के लिए बाध्य करता है। आरबीआई के अनुमान के अनुसार, द्विपक्षीय नेटिंग व्यवस्था भारत के ओटीसी डेरिवेट बाजार में भाग लेने वाले 31 मुख्य बैंकों को सहायता प्रदान कर सकता था, जिससे वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान विनियामक पूंजी में लगभग ₹ 22.58 बिलियन की बचत होती।

3. ओटीसी डरिवेटिव बाजार में पोस्ट क्राईसिस जी20 और बेसेल सुधार के लिए गैर-केंद्रिय समाशोधित डेरिवेटिव लेनदेन, उच्च पूंजी आवश्यकता, जो सीसीपी के माधयम से अधिनिर्मित ललेनदेन के सापेक्ष हो, के अधीन होने की आवश्यकता है।

(iii) वैश्विक ओटीसी डेरिवेटिव सुधाार को लागू करने संबंधी आरबीआई के वर्तमान प्रस्ताव के लिए आवश्यक है कि वित्तीय संस्थान निवल प्रतिपक्षी एक्सपोजर के स्थान पर सकल प्रतिपक्षी एक्सपोजर के आधार पर ओटीसी डेरिवेटिव लेनदेन के लिए प्रतिपक्षकारों के साथ मार्जिन4 (संपाश्विक5) विनियम करें। इस सुधार के लागू होने से बैंक, द्विपक्षरीय नेटिंग की अनुमति प्राप्त होने पर जितनी पूंजी की आवश्यकता होगी, उससे अधिाक पूंजी संपार्शिवक अपेक्षाआओं की ओर डायवर्ट करने के लिए प्रेरित होंगें। सीसीआईएल के अनुमान के अनुसार, यदि मार्जिन विनियम लागू हो जाती तो बैंकों और प्राथमिक डिलरों को मार्च, 2018 तक मार्जिन5 के रूप में लगभग ₹ 436.98 बिलियन धारण करना होगा। *(भारत में कॉर्पोरेट बॉड बाजार के विकास पर आरबीआई कार्य ग्रुप का रिपोर्ट, 2016)*

(iv) उच्च विनियामक पूंजी बोझ वित्तीय संविदा के संबंध में व्यापार क्रियाकलाप को लेन-देन के उच्च लागत में रूपांतरित करके अधिक पूंजी इंटेंसिव बनाता है। यह गहराई के संबंध में बाजार चलनिधि और बाजार विकास को प्रभावित करके बैंको और प्राथमिक डीलरों के बाजार में सहभागिता को कम कर देता है। यह उन मुख्य कारकों में से एक है जो भारत के क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप (सीडीएस) बाजार के कार्यकलाप में व्यवधान उत्पन्न करता है।

वित्तीय स्थिरिता बोर्ड (एफएसबी) और बेसेल समिति जैसी वैश्विक नियामक निकायों ने वित्तीय स्थिरिता पर सकारात्मक प्रभाव के कारण क्लोज-आउट नोटिंग के उपयोग का समर्थन किया है। वर्तमान में, संयुक्त राष्ट्र, यू.के., ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर और मलेशिया जैसे मुख्य अधिकार क्षेत्रों में नोटिंग करार के स्थान पर विधिक प्रावधान मौजूद हैं।

अत:, भारत में द्विपक्षीय क्लोज-आउट नेटिंग के लिए एक विधिक ढांचा स्थापित करने से निम्नलिखित सहायताएं प्राप्त होंगी: (क) बैंकों के क्रेडिट जोखिम और नियामक पूंजी बोझ को कम किया जा सकेगा, अन्य उत्पादक उपयोगों के लिए पूंजी को मुक्त किया जा सकेगा; (ख) बचाव (हेजिंग) लागत कम किया जा सकेगा और बैंकों के चलनिधि की आवश्यकता को कम किया जा सकेगा, जिसके फलस्वरूप जोखिम से बचाव के लिए ओटीसी डेरिवेटिव बाजार में भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सकेगा। सीडीएस बाजार में बाजार की भागीदारी बढ़ने से भी कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार के विकास के लिए एक प्रोत्साहन प्राप्त होगा; (ग) प्रतिपक्षकार द्वारा चूक की स्थिति में वित्तीय संविदाओं के लिए एक कुशल वसूली तंत्र स्थापित किया जा सकेगा; और (घ) ओटीसी डेरिवेटिव बाजार में वैश्विक विनायामक सुधाारों को लागू करने के लिए भारत की जी 20 और एफएसबी प्रतिबद्धता का पालन किया जा सकेगा।

देखी गई है। 16 जनवरी, 2020 को निफ्टी 50 का सूचकांक 12355 के उच्चतम स्तर पर बंद हुआ (चित्र 17)।

बीमा क्षेत्र

4.36 अंतर्राष्ट्रीय रूप से, बीमा क्षेत्र की संभावना और निष्पादन सामान्यत: दो पैरामीटरों के आधार पर मूल्यांकित की जाती है अर्थात् बीमा संबंधी निवेश और बीमा संबंधी सघनता। बीमा संबंधी निवेश और सघनता का मापन देश में बीमा क्षेत्र के विकास स्तर को प्रदर्शित करता है। यद्यपि बीमा निवेश जीडीपी के बीमा प्रीमियम की प्रतिशतता के रूप में मापित होता है, जब कि बीमा संबंधी सघनता जनसंख्या के प्रीमियम के अनुपात के रूप में परिकलित किया जाता है(अंतर्राष्ट्रीय तुलना की सुविधा के लिए अमेरिकी डालर में मापा गया है)।

4.37 भारत में बीमा संबंधी सघनता 2001 में 11.5 अमेरिकी डालर थी, जो 2018 में 74 अमेरिकी डालर तक पहुँच गई (जीवन बीमा-55 अमेरिकी डालर और गैर जीवन बीमा-19 अमेरिकी डालर)। इसी अवधि के दौरान मलेशिया, थाईलैंड और चीन के लिए तुलनात्मक

4. ओटीसी डेरिवेटिव बाजार में पोस्ट क्राइसिस जी20 और इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमिशन (आईओएससीओ सुधाारों के लिए प्रतिपक्षकार द्वारा गैर-केंद्रित समाशोधित डेरिवेटिव लेनदेन के लिए मार्जिन (संपार्श्विक) का विनियम किए जाने की आवश्यकता है।

5. ओटीसी डेरिवेटिव लेनदेन में प्रतिपक्षकार एक्सपोजर के दो प्रकारों पर आधारित दो प्रकार के मार्जिन होते हैं। वेरियेशन मार्जिन किसी भी समय में डेरिवे. टिव के एमटीएम मूल्य पर आधारित वर्तमान एक्सपोजर से प्रतिक्षकार को सुरक्षा प्रदान करता है। इनिशियल मार्जिन प्रतिपक्षकार द्वारा चूक की स्थिति में इसे क्लोज आउट किए जाने और स्थिति में परिवर्तन होने के दौरान डेरिवेटिव संविदा के एमटीएम मूल्य में होने वाले परिवर्तन के कारण संभावित भावी एक्सपोजर से प्रतिपक्षकार को सुरक्षा प्रदान करता है।

6. ये अनुमान इनिशियल मार्जिन के लिए हैं। यदि वेरियेशन मार्जिन अनुमान को शामिल कर लिया जाता है तो बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता उत्पन्न हो जाएगी।

बॉक्स 4: परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना: राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली

नई पेंशन योजना, जिसके नाम को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस.) के रूप में बदल दिया गया है, जिसे 22 दिसम्बर, 2003 को सरकार द्वारा प्रारम्भ किया गया था और जिन केंद्र सरकारी कर्मचारियों (सशस्त्र बल के अलावा) ने 1 जनवरी, 2004 से सरकारी सेवा में कार्यभार ग्रहण किया है, उनके लिए इसे अनिवार्य बना दिया गया था। राज्य सरकारों तक इस योजना का विस्तार किया गया था और अब तक 28 राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए एन. पी. एस. को अधिसूचित किया है। मई 2009 से स्वैच्छिक आधार पर देश के सभी नागरिकों तक इस योजना का विस्तार किया गया था।

30 सितम्बर, 2019 तक, एन. पी. एस. के तहत कुल लगभग 3.06 लाख अभिदाताओं को (अटल पेंशन योजना सहित) नामांकित किया गया है। प्रबंधन के तहत ऐसी परिसम्पत्तियाँ (ए. यू. एम.), जिनमें एन. पी. एस. के तहत कोर्पस पर प्रतिलाभ शामिल होते हैं, वे 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसान, 3.18 लाख करोड़ ₹ से 30 सितम्बर, 2019 की स्थिति के अनुसार, 3.71 लाख करोड़ तक की वृद्धि के साक्ष्य रह चुके हैं। 30 सितम्बर, 2019 की स्थिति के अनुसार ए. पी. वाई. (अटल पेंशन योजना) के कुल 178.21 लाख अभिदाता हैं और 8,743 करोड़ की जिसकी ए. यू. एम. (प्रबंधन के तहत परिसम्पत्तियाँ) हैं (तालिका 1)।

तालिका 1: एन. पी. एस./ए. पी. वाई. के तहत अभिदाताओं की संख्या, कोर्पस और प्रबन्धन के तहत परिसम्पत्तियाँ (30 सितम्बर 2019 की स्थिति के अनुसार)

सेक्टर (क्षेत्र)	अभिदाओं की संख्या		अंशदान (करोड़ में)		प्रबंधन के तहत परिसंपत्ति (करोड़ में)	
	Absolute	%	Absolute	%	Absolute	%
केंद्र सरकार	18,31,307	14	75,504	28	1,07,409	30
केंद्रीय स्वायत्त निकाय (सी. ए. बी.)	1,94,419	2	12,796	5	17,294	5
राज्य सरकार	38,56,844	30	1,26,668	46	1,68,547	46
राज्य स्वायत्त निकाय	7,01,274	5	17,229	6	18,412	5
कॉर्पोरेट	9,68,019	8	28,307	10	36,580	10
असंगठित क्षेत्र	9,25,810	7	10,986	4	10,777	3
एन. पी. एस. लाइट	43,39,836	34	2,624	1	3,631	1
कुल	1,28,17,509	100	2,74,115	100	3,62,650	100
ए. पी. वाई	1,78,21,441		7,927		8,743	
कुल	3,06,38,950		2,82,042		3,71,393	

स्रोत: सी. आर. ए. रिपोर्ट

टिप्पणी: * मिलान करके दर्ज किया गया है।

सरकार के भीतर, उत्तर प्रदेश में अभिदाताओं की अधिकतम संख्या है और उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र आते हैं। प्रबंधन के तहत अत्यधिक परिसम्पत्तियाँ राजस्थान में हैं और उसके बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र आते हैं (तालिका 2)।

तालिका 2: एम. पी. एस. के तहत भौगोलिक विस्तार (सरकारी क्षेत्र)

क्रम सं.	राज्य सरकार	अभिदाताओं की कुल संख्या	अंशदान (₹ करोड़)	ए. यू. एम. (₹ करोड़)
1.	आंध्र प्रदेश	1,85,951	7,946.11	10,408.51
2.	अरुणाचल प्रदेश	17,411	406.50	485.19
3.	असम	1,55,251	5,296.16	6,814.88
4.	बिहार	1,68,073	5,423.78	7,297.47
5.	चंडीगढ़**	10,968	630.45	836.18

6.	छत्तीसगढ़	2,96,468	7,317.75	9,428.50
7.	गोवा	32,450	1,394.32	1,756.79
8.	गुजरात	2,17,338	7,331.63	9,531.89
9.	हरियाणा	1,71,028	6,807.18	9,071.93
10.	हिमाचल प्रदेश	93,260	3,865.18	4,716.86
11.	जम्मू और कश्मीर	1,22,831	3,541.61	4,525.77
12.	झारखंड	1,08,136	4,226.41	5,814.52
13.	कर्नाटक	2,40,767	8,304.64	11,426.90
14.	केरल	1,25,480	2,164.48	2,558.24
15.	मध्य प्रदेश	4,87,695	12,703.13	16,465.36
16.	महाराष्ट्र	3,14,158	12,019.46	14,936.13
17.	मणिपुर	41,973	971.69	1,252.80
18.	मेघालय	14,554	333.18	411.49
19.	मिजोरम	7,985	211.56	250.44
20.	नागालैंड	21,073	402.80	476.23
21.	ओडिशा	1,64,378	4,406.22	5,662.72
22.	पुदुचेरी**	13,207	729.50	970.02
23.	पंजाब	1,82,190	6,740.35	8,931.20
24.	राजस्थान	4,81,493	16,897.74	22,118.90
25.	सिक्किम	15,344	443.08	577.30
26.	तेलंगाना	1,53,764	5,449.12	7,372.21
27.	उत्तराखंड	80,962	4,005.84	5,410.68
28.	उत्तर प्रदेश	6,26,116	13,800.19	17,280.20
29.	तमिलनाडु*	187	18.25	20.75
30.	त्रिपुरा	652	3.76	4.47
31.	पश्चिम बंगाल*	330	23.47	34.09
	कुल	45,51,473	1,43,815.54	1,86,848.62

स्रोत: पीएफआरडीए

टिप्पणी: *: अखिल भारतीय सेवा संबंधी अधिकारी के लिए केवल सी.आर.ए. और एन.पी.एस. ट्रस्ट के साथ निष्पादित करार।
**: राज्य सरकार के तहत शामिल की गई स्थिति।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान उठाए गए प्रमुख कदम

केंद्र सरकार के एन.पी.एस. के अभिदाताओं के लिए निम्नलिखित विकल्पों की शुरूआत करने का निर्णय लिया गया है (केवल वृद्धिशील अधिकता के संबंध में पेंशन फंड्स या निवेश संबंधी पैटर्न में परिवर्तन करने की अनुमति दी जाती है):

क) पेंशन फंड का विकल्प: जैसा कि निजी क्षेत्र के अभिदाताओं के मामले में, सरकारी अभिदाताओं को निजी क्षेत्र के पेंशन फंड्स को सम्मिलित करते हुए किसी एक पेंशन फंड को चुनने की भी अनुमति दी जाएगी। वे वर्ष में एक बार अपना विकल्प बदल सकते हैं। हालांकि, सार्वजनिक क्षेत्र पेंशन फंड्स के संयोजन का वर्तमान प्रावधान मौजूदा और साथ ही साथ नए सरकारी अभिदाताओं के लिए डिफॉल्ट विकल्प के रूप में उपलब्ध होगा।

ख) निवेश पैटर्न का विकल्प: सरकारी कर्मचारी वित्तीय वर्ष में दो बार निवेश पैटर्न के निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं:

- जिस मौजूदा योजना में पी.एफ.आर.डी.ए. द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम संबंधी फंड के तीन प्रबंधकों के बीच सरकारी कर्मचारियों के लिए पी.एफ.आर.डी.ए. के दिशानिर्देशानुसार उनके गत क्रियानिष्पादन के आधार पर फंड्स आवंटित किए जाते हैं।

- जो सरकारी कर्मचारी कम से कम जोखिम वाले नियत प्रतिलाभ को तरजीह देते हैं, उन्हें सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार के फंड्स का 100 प्रतिशत हिस्सा निवेश करने का विकल्प दिया जाएगा।
- जो सरकारी कर्मचारी बढ़िया प्रतिलाभ को तरजीह देते हैं, उन्हें लाइफ साइकिल (जीवन काल) पर आधारित निम्नलिखित दो योजनाओं का विकल्प दिया जाएगा:
  - ➢ 25 प्रतिशत की उच्चतम सीमा निर्धारित की गई इक्विटी के लिए अधिकतम अरक्षितता के साथ अपरिवर्तनशील लाइफ साइकिल फंड।
  - ➢ 50 प्रतिशत की उच्चतम सीमा निर्धारित की गई इक्विटी के लिए अधिकतम अरक्षितता के साथ संयत लाइफ साइकिल फंड।

आँकड़े क्रमश: 518 अमेरिकी डालर, 385 अमेरिकी डालर और 406 अमेरिकी डालर थी। 2011 से जीवन बीमा के लिए प्रवेश में कमी आई है जबकि गैर-जीवन बीमा में निरंतर रूप से वृद्धि हुई है तथा वर्ष 2018 में जीवन बीमा के लिए 2.74 प्रतिशत और गैर जीवन बीमा के लिये 0.97 प्रतिशत है। (तालिका 8 और 9) वैश्विक रूप से बीमा निवेश और सघनता 3.31 प्रतिशत तथा जीवन बीमा खण्ड के लिए 370 अमेरिकी डालर थी, गैर-जीवन बीमा खण्ड के लिए 2.78 प्रतिशत और 312 अमेरिकी डालर थी। क्रमश:

4.38 12.47 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए, वर्ष 2018-19 के दौरान, गैर-जीवन बीमित क्षेत्र का सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम पिछले वित्तीय वर्ष 2017-18 में ₹ 1.51 लाख करोड़ की तुलना ₹ 1.69 लाख करोड़ था। मोटर और स्वास्थ्य खण्ड ने प्राथमिक रूप से इस वृद्धि की रिपोर्ट करने में उद्योग की सहायता की। 10.75 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए, जीवन बीमा उद्योग ने पिछले वित्तीय वर्ष में ₹ 4.59 लाख करोड़ रुपये की तुलना वित्तीय वर्ष 2018-19 में ₹ 5.08 लाख करोड़ की प्रीमियम आय दर्ज की गई। यद्यपि नवीकरण प्रीमियम ने जीवन बीमित से प्राप्त कुल प्रीमियम का 57.68 प्रतिशत का लेखा जोखा किया, शेष नव व्यवस्था ने 42.32 प्रतिशत का योगदान दिया।

अक्षमता और दिवालियापन संहिता

महत्वपूर्ण परिवृद्धि (विकास)

4.39 प्रचालन के तीन वर्षों में, शोधन अक्षमता और दिवालियापन संहिता (आई.बी.सी.) के अंतर्गत मौजूद व्यवस्था एक मजबूत परिस्थितिकी तंत्र पर आत्मश्लाघा करती है, जो निर्णयन प्राधिकारी, आई.बी.बी.आई., तीन शोधन अक्षमता पेशेवर एजेंसियों, आरबीबीआई, 11 पंजीकृत मूल्य निर्धारक संगठनों और 2,374 पंजीकृत

तालिका 8: जीवन बीमा में पैठ

विवरण	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
बीमा पैठ (प्रतिशत में)	3.40	3.17	3.10	2.60	2.72	2.72	2.76	2.74
बीमा संबंध सघनता (अमेरिकी डालर में)	49.0	42.7	41.0	44.0	43.2	46.5	55.0	55.0

स्रोत: स्विस रे, सिग्मा

तालिका 9: गैर-जीवन बीमा में विस्तार

विवरण	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
बीमा संबंधी पैठ(प्रतिशत में)	0.70	0.78	0.80	0.70	0.72	0.77	0.93	0.97
बीमा संबंधी सघनता (अमेरिकी डॉलर में)	10.0	10.5	11.0	11.0	12.0	13.2	18.0	19.0

स्रोत: स्विस रे, सिग्मा

7. तिमाही जुलाई-सितम्बर, 2019 के लिए आई.बी.बी.आई. तिमाही सूचनापत्र में प्रकाशित 30 सितम्बर, 2019 की स्थिति के अनुसार आंकड़े।

मूल्य निर्धारकों[7] व 2,911 शोधन अक्षमता संबंधी पेशेवरों 31 दिसम्बर, 2019 की स्थिति के अनुसार) से मिलकर बनती है। सदृश्य देनदार और लेनदार 2,542 कॉर्पोरेट्स के साथ इस संहिता के प्रक्रियाओं को आरंभ कर रहे हैं, उनमें से कुछ कॉर्पोरेट्स के पास बहुत ही अधिक मात्र में गैर निष्पादित परिसम्पत्ति संबंधी लेखा है और जो कॉर्पोरेट शोधन अक्षमता प्रस्ताव प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। सितम्बर, 2019 तक, उनमें से लगभग 743 कॉर्पोरेट्स ने या तो प्रस्ताव या परिसमापन को मानने वाली प्रक्रिया पूरी कर ली है और 498 कॉर्पोरेट्स ने स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया[8] प्रारंभ कर ली है। उनमें से 562 कॉर्पोरेट्स ने अक्टूबर-दिसम्बर, 2019 में कॉर्पोरेट शोधन अक्षमता प्रस्ताव प्रक्रिया (सी.आई.आर.पी.) शुरू की थी, 132 परिसमापन के अंतर्गत है, 14 का पहले से ही निपटान किया जा चुका है (तालिका 10)। दिसम्बर, 2019 को समाप्ति स्थिति के अनुसार हल किए गए मामलों में 1.58 लाख करोड़ ₹ वसूली योग्य थे (तालिका 11)

तालिका 10: मामलों की तिमाही प्रवृत्तियां

तिमाही के दौरान	अप्रैल-जून 2019	जुलाई-सितम्बर 2019	अक्तूबर-दिसंबर 2019
तिमाही के दौरान प्रारंभ किए गए/स्वीकृत सी.आई.आर.पी. की कुल संख्या	300	565	562
तिमाही के दौरान जिन मामलों में समाधान योजना अनुमोदित की गई है, उनकी कुल संख्या	27	32	30
तिमाही के दौरान वापिस लिए गए मामलों की कुल संख्या	24	18	5
तिमाही के दौरान निपटान किए गए मामलों की कुल संख्या	22	24	14
तिमाही के दौरान परिसमापन के तहत मामलों की कुल संख्या	96	153	132
सभी स्वीकृत मामलों में सी.आई.आर.पी. आरंभ किया गया है, उनका श्रेणी-वार वितरण (वित्तीय लेनदार, प्रचालनात्मक लेनदार, कॉर्पोरेट देनदार)।	वित्तीय लेनदार-129 प्रचालनात्मक लेनदार-154 कॉर्पोरेट देनदार-17	वित्तीय लेनदार-265 प्रचालनात्मक लेनदार-291 कॉर्पोरेट देनदार-9	वित्तीय लेनदार-245 प्रचालनात्मक लेनदार-301 कॉर्पोरेट देनदार-16

स्रोत: आई.बी.बी.आई.

तालिका 11: कॉर्पोरेट दिवालियापन संकल्प प्रक्रिया के अंतर्गत समाधान किए गए मामलों के लिए वसूलनीय मूल्य (करोड़ ₹ राशि)

	अप्रैल-जून 2019	जुलाई-सितंबर, 2019	अक्तूबर-दिसंबर 2019
समाधान किए मामले में वित्तीय लेनदारों और प्रचालनात्मक लेनदारों के द्वारा समग्र वसूलनीय मूल्य	7,331.90	27,534.48	1,900.52
संबंधित तिमाही के अंत तक कुल प्राप्त मूल्य	1,28,095.16	1,55,861.99	1,57,762.51

स्रोत: आईबीबीआई

टिप्पणी: # 1 प्रतीक्षित मामले का आंकड़ा

8 प्रतीक्षित मामलों के आंकड़े

मामले, एनसीएलटी आदेशों की तारीख के अनुसार शामिल किए जाते हैं।

8. जुलाई-सितम्बर, 2019 के लिए आई.बी.बी.आई. तिमाही सूचनापत्र में प्रकाशित 30 सितम्बर, 2019 की स्थिति के अनुसार आंकड़े।

4.40 ये मामले विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत फाइल लिए गए हैं। सीआईआरपी के लिए एनसीएलटी के द्वारा स्वीकृत मामलों का 41.2 प्रतिशत विनिर्माण क्षेत्र में तथा उसके बाद स्थावर संपदा (रियल इस्टेट), किराया और व्यवसाय गतिविधियां सेक्टर (तालिका 12) में 19 प्रतिशत है।

4.41 सरकार ने मुद्दों को अग्रसक्रिय रखा है जो सुधार के कार्यान्वयन में आया है। 2016 में इसके अधिनियमन से, इतने अल्प अवधि में संहिता में तीन बार संशोधन किए जा चुके हैं, जिससे मुख्य रूप से प्रक्रिया को सरल बनाने और किसी कमी को दूर करने के लिए कोड का प्रावधान का उचित प्रचालन सुनिश्चित हो सके।

4.42 प्रथम संशोधन धारा 29क में शुरूआत की गई थी जो अपनी कंपनियों के लिए बोली लगाने से बार प्रवर्तकों को पेश किए गए प्रावधान से संबंधित है। इससे चूककर्ताओं को सस्ते मूल्य पर अपनी कंपनियों को पुनः नियंत्रण प्राप्त करने से रोकता है। द्वितीय संशोधन धाारा 12क की शुरूआत याचिका फाइल करने के 30 दिन के अंदर दिवालियापन आवेदन वापस करने के लिए लेनदारों को विकल्प प्रदान करने के लिए की गई थी। संशोधन यह भी दर्शाता है कि घरेलू क्रेताओं को वित्तीय लेनदारों के रूप में माना जाएगा क्योंकि जो दिवालियापन गतिविध क्रेताओं का मत व्यक्त करेंगे। वे अग्रिम भुगतान करते हुए परियोजनाओं के लिए निधि भी प्रदान करता है और न केवल बैंकों अपितु अपने ग्राहकों को भी वचनबद्धता की दृष्टि से रियल इस्टेट डेवलपर को हतोत्साहित करते हैं। तृतीय संशोधन प्राथमिक रूप से समाधान प्रक्रिया का

तालिका 12: सीआईआरपी के लिए एनसीएलटी द्वारा स्वीकृत कुल मामले का सेक्टर-वार ब्यौरा

सेक्टर*	अप्रैल-जून 2019	जुलाई-सितंबर 2019	अक्तूबर-दिसंबर 2019
अतिरिक्त प्रादेशिक संगठन और निकाय	1	4	3
कृषि, शिकार और वानिकी	9	18	15
निर्माण	28	64	65
शिक्षा	2	1	2
बिजली, गैस और जल आपूर्ति	7	23	22
वित्तीय मध्यस्थता	4	6	5
स्वास्थ्य और समाज कार्य	3	5	9
होटल और रेस्टोरेंट	8	12	12
विनिर्माण	125	208	232
खनन और उत्खनन	2	5	5
अन्य समुदाय, सामाजिक और व्यक्तगत सेवा गतिविधियां	4	5	7
अन्य	4	8	8
स्थावर संपदाः किराया और व्यवसाय गतिविधियां	62	125	109
परिवहन, भंडारण और संप्रेषण	8	22	12
थोक बिक्री और खुदरा व्यापार मोटर वाहन, मोटर साइकिल और व्यक्तिगत एवं घरेलू सामग्री की मरम्मत	33	59	55
मत्स्य पालन	0	0	1
कुल योग	**300**	**565**	**562**

स्रोतः आई बी बी आई

नोटः वितरण राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण-2004 के अनुसार निगम उधारकर्ताओं (सीडी) के सी आई एन पर आधारित है।

समय से नामांकन और पूर्ण सुनिश्चित करते हुए सीडी का पुन:प्रर्वतन पर केंद्रित किया है। संशोधन सुनिश्चित करता है कि समाधान आवेदन स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए एनसीएलटी को दिए गए 14 दिन की समय सीमा अवधि का कड़ाई से पालन किया जाएगा। संशोधन में बिना अपवाद के कार्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (सी आई आर पी) को पूर्ण करने के लिए 330 दिनों की अनिवार्य समयावधि का अलग से उल्लेख किया गया है, दिवालियापन समाधान प्रक्रिया में अत्यधिक विलंब से बचने के लिए स्टेकहोल्डरों के बीच अनुशासन लाने के लिए अविरत प्रयास करता है। सरकार विशेष रूप से केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण में बाध्यकारी समाधान योजना बनाने हुए तृतीय संशोधन में सुविधाकारक के रूप में अपनी दृष्टिकोण की पुन: पुष्टि भी करती है जिसे देयता की अदायगी के संबंध में ऋण देय है।

4.43 भारतीय शोधन अक्षमता और दिवालियापन बोर्ड (आई बी बी आई) ने 24 माह के उत्कृष्ट स्नातक दिवालियापन कार्यक्रम की परिकल्पना की है। 31 दिसंबर, 2019 के अनुसार पंजीकृत दिवालियापन पेशेवर 2911 है (तालिका 13) भारतीय कार्पोरेट कार्य संस्थान ने 1 जुलाई, 2019 को जी आई पी के प्रथम बैच की शुरूआत की।

4.44 आईबीसी के तहत संकल्प अन्य प्रक्रियाओं की तुलना में बहुत अधिक है। भारत में बैंकिंग प्रक्रिया और रूझान की 2018-19 की रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों के अनुसार 2017-18 और 2018-19 में वसूल की गई प्रतिशत में राशि के अनुसार यह राशि लोक अदालत, डीआरटी की तुलना में बहुत अधिक है (तालिका 14) । इस कोड में सीआईआरपी का समापन करने के लिए 330 दिनों का प्रावधान किया गया है। इस प्रोत्साहन का अर्थ है कि कोड के तहत कार्यवाही लगभग 340 दिन चलती है, जिसमें मुकदमेबाजी पर लगाया गया समय भी शामिल है, इसके विपतरी पिछली प्रक्रियाओं में लगभग 4.3 साल लगते थे।

तालिका 13: 31 दिसंबर, 2019 के अनुसार पंजीकृत दिवालियापन पेशेवर

शहर/क्षेत्र	भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान का दिवालियापन पेशेवर का भारतीय संस्थान	आईसीएसआई दिवालियापन पेशेवर संस्थान	भारतीय लागत लेखाकार संस्थान का दिवालियापन पेशेवर एजेंसी	कुल
नई दिल्ली	355	223	60	638
शेष उत्तर क्षेत्र	287	161	46	494
मुंबई	340	114	31	485
शेष पश्चिम क्षेत्र	208	89	29	326
चेन्नई	113	72	11	196
शेष दक्षिण क्षेत्र	288	153	43	484
कोलकाता	169	34	16	219
शेष पूर्वी क्षेत्र	50	18	5	73
कुल पंजीकृत	**1,810**	**864**	**241**	**2,915**
निरस्त किये गए	1	3	0	4
31 दिसंबर, 2019 के अनुसार पंजीकृत	**1,809**	**861**	**241**	**2,911**

स्रोत: आई बी बी आई

तालिका 14 विभिन्न चैनलों के माध्यम से वसूल किए गए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के एनपीए

वसूली का चैनल	2017-18				2018.19(पी)			
	संदर्भित मामलों की संख्या	शामिल राशि	वसूली गई राशि	कॉलम (3) के प्रतिशत के रूप में कॉलम (4)	संदर्भित मामलों की संख्या	शामिल राशि	वसूली गई राशि	कॉलम 7 के प्रतिशत के रूप में कॉलम 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
लोक अदालत	33,17,897	45,728	1,811	4.0	40,80,947	53,506	2,816	5.3
डीआरटी	29,345	1,33,095	7,235	5.4	52,175	30,66,499	10,574	3.5
एसएआरएफएईएसआई अधिनियम	91,330	81,897	26,380	32.2	2,48,312	2,89,073	41,876	14.5
आईबीसी	704@	9,929	4,926	49.6	1,135@	1,66,600	70,819	42.5
कुल	**34,39,276**	**2,70,631**	**40,352**	**14.9**	**43,82,569**	**8,15,678**	**1,26,085**	**15.5**

स्रोतः भारत में बैंकिंग और प्रक्रिया पर रिपोर्ट 2018-19 (जिनका स्रोत आरबीआई और आईबीबीआई की ऑफ साइट विवरणियां हैं)

टिप्पणीः पी. : अनंतिम

* : दिए गए वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि से संदर्भित, जो पिछले वर्ष के समान दिए गए के दौरान भेजे गए मामलों के संबंध में हो सकते हैं।

डीआरटीः ऋण वसूली अधिकरण; वित्तीय अस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

/ : राष्ट्रीय कंपनी नियम अधिकरण (एलसीएलटी) द्वारा स्वीकार किए गए मामले।

2017-18 और 2018-19 के लिए आईबीसी से संबंधित आंकड़ों की गणना आईबीबीआई न्यूज लैटर से त्रैमासिक संख्याओं को जोड़ कर की गई है।

अध्याय एक नजर में

- ➢ वर्ष 2019-20 में मौद्रिक नीति उदार बनी रही।
- ➢ वर्ष 2019-20 में (दिसंबर तक) आयोजित पांच बैठकों में से चार में रेपों दर में कटौती की गई। वर्ष 2019-20 में अब तक, रेपों दर में 110 आधार बिंदुओं में कटौती की गई।
- ➢ वर्ष 2019-20 में बैंक ऋण वृद्धि की दर में मंदी रही और अप्रैल, 2019 में 12.9 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 20 दिसंबर, 2019 को यथास्थिति, यह 7.1 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) पर है।
- ➢ एनआईएफसी से ऋणों की वृद्धि दर (वर्ष-दर-वर्ष), सितंबर, 2018 में 27.6 प्रतिशत और दिसंबर, 2018 में 21.6 प्रतिशत से गिरकर सितंबर, 2019 के अंत में 9.9 प्रतिशत पर आ गई।
- ➢ मार्च से सितंबर, 2019 के दौरान, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको का सकल एनपीए 9.1 प्रतिशत पर अपरिवर्तित बना रहा।
- ➢ प्रणालीगत तरलता 2019-20 में ज्यादातर अधिशेष में रही। भारित औसत काल मुद्रा दर अधिकतर नकदी समायोजन सुविधा (एस ए एफ) के अंतर्गत रेपो रेट के नजदीक रही।

- वर्ष 2019-20 के दौरान (16 जनवरी, 2020 तक) निफ्टी 50 और बीएसई सूचकांकों ने क्रमश: 12,355 और 41,952 अंकों की उच्च बंदी दर्ज की।

- सार्वजनिक निर्गम एवं अधिकारों के माध्यम से उठाई गई कुल धनराशि वर्ष 2019-20 में (31 दिसंबर, 2019 तक) बढ़कर 73,896 करोड़ रुपए हो गई जोकि विगत वर्ष की संगत अवधि में 44,355 करोड़ रुपए थी। वर्ष 2019-20 में (31 दिसंबर, 2019 तक) निजी स्थापनों (संस्थाओं) के माध्यम से 6.29 लाख करोड़ रुपए की धनराशि जुटाई गई जबकि विगत वर्ष की संगत अवधि में यह धनराशि 5.3 लाख करोड़ थी।

- दिसंबर, 2019 में अंत में यथास्थिति, कार्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया के तहत निपटाए गए मामलों में 1.58 लाख रुपए की वसूली की गई। आईबीसी कोड के अधीन की जाने वाली कार्यवाही में औसतन लगभग 340 दिन लगते हैं, जिनमें अदालती कार्यवाही पर खर्च होने वाली अवधि भी शामिल है, जबकि इसके विपरीत पूर्ववर्ती व्यवस्था में ऐसी प्रक्रिया में लगभग 4.3 वर्ष लग जाते थे।

कीमतें और मुद्रास्फीति

05
अध्याय

निम्न खाद्य मुद्रास्फीति की मदद से, 2014 से मुद्रास्फीति सामान्य दर्ज की गयी है। हालांकि, वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान, खाद्य और पेय-पदार्थ संबंधी मुद्रास्फीति में अलग प्रकार से रूझान पर रहा है। मुख्यत: सब्जियों, फलों और दालों की कीमत में वृद्धि की मदद से, खाद्य मुद्रास्फीति में ऊर्ध्वमुखी रूझान रहा है। हालांकि, कुछ अपवाद के साथ दाल जैसी अधिकांश कृषि संबंधी अनिवार्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अस्थिरता का अधोमुखी रूझान रहा। जुलाई 2018 से शहरी सीपीआई मुद्रास्फीति, ग्रामीण-सीपीआई मुद्रास्फीति से लगातार ऊंची रही है। यह पहले के रुझानों के विपरीत है जहां ग्रामीण मुद्रास्फीति शहरी मुद्रास्फीति से ऊंची रहती थी। अधिकांश राज्यों की मुद्रास्फीति में गिरावट रही है यद्यपि समय के साथ-साथ मुद्रास्फीति में उतार-चढ़ाव बढ़ रहा है। 2012 से स्फीति की गति में परिवर्तन हुआ है। वर्तमान अवधि में, मुद्रास्फीति का प्रेषण गैर-कोर घटकों से कोर घटकों की तरफ न्यून रहा है।

परिचय

5.1 विगत पाँच दशकों से वैश्विक अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति में तीव्र कमी के साक्ष्य रहे हैं। (विश्व बैंक-2019) विश्व के लगभग सभी देशों में मुद्रास्फीति में कमी आई है। उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में भी उसी अवधि में उल्लेखनीय कमी का अनुभव किया गया है। 1993 में मुद्रास्फीति 118.7 प्रतिशत के साथ शिखर पर थी और तत्पश्चात उभरते बाज़ार और विकासशील अर्थव्यवस्था में 2018 में 4.8 प्रतिशत की कमी आई (वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक, अक्तूबर 2019)। मुद्रास्फीति में तीव्र कमी के कई सहायक कारण हो सकते हैं जैसे समायोजनशील मौद्रिक और राजकोषीय नीति की स्वीकार्यता, ऋण और उत्पाद बाजार में संरचनात्मक सुधार जो प्रतिस्पर्धा की मजबूती दे और लक्ष्यात्मक मुद्रास्फीति तंत्र का विकास। चौबीस उभरते और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं ने 1990 के दशक के उत्तरार्ध से लक्ष्यात्मक स्फीति तंत्र की मौद्रिक नीति का सूत्रपात किया है (विश्व बैंक-2019)। भारत ने 5 अगस्त, 2016 को लक्ष्यात्मक मुद्रास्फीति का सूत्रपात किया जो 31मार्च, 2021 को समाप्त होनेवाली पाँच वर्षों की अवधि के लिए मान्य रहेगी।

5.2 भारत में, मुद्रास्फीति 2014 से अनतिक्रम का साक्ष्य रही है। हालांकि हाल में ही इसमें चढ़ाव दिखा है। हेडलाइन उपभोक्ता कीमत सूचकांक (सी.पी.आई. सी.) मुद्रास्फीति-2019-20 (अप्रैल से दिसंबर, 2019 तक) में 4.1 प्रतिशत थी जो कि 2018-19 (अप्रैल से दिसंबर, 2018 तक) में 3.7 प्रतिशत थी। थोक कीमत सूचकांक (डब्ल्यू. पी. आई.) मुद्रास्फीति भी कम रही है। यद्यपि डब्ल्यू. पी. आई. मुद्रास्फीति में 2015-16 और 2018-19 के बीच वृद्धि देखी गई है, तथापि इसमें 2018-19 (अप्रैल से दिसंबर, 2018 तक) में 4.7 प्रतिशत से 2019-20 (अप्रैल से नवम्बर, 2019 तक) के दौरान 1.5 प्रतिशत तक की गिरावट आई थी (तालिका 1)। खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट, 2014-15 ओर 2018-19 के बीच मुद्रास्फीति में देखी गई प्रबल कमी में एक प्रमुख सहायक घटक रही है। साथ ही साथ, यह भी देखा गया है कि मुद्रास्फीति संबंधी गतिकी में विस्थापन रहा है। 2013-14 से मुद्रास्फीति

तालिका-1. विभिन्न कीमत सूचियों पर आधारित सामान्य मुद्रास्फीति

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2018-19*	2019-20*
डब्ल्यू. पी. आई.	5.2	1.2	-3.7	1.7	3.0	4.3	4.7	1.5 (P)
सी.पी.आई.-सी.	9.4	5.9	4.9	4.5	3.6	3.4	3.7	4.1 (P)
सी.पी.आई.-आई. डब्ल्यू.	9.7	6.3	5.6	4.1	3.1	5.4	4.9	7.6
सी.पी.आई.-ए.एल.	11.6	6.6	4.4	4.2	2.2	2.1	1.7	7.3
सी.पी.आई.-आर.एल.	11.5	6.9	4.6	4.2	2.3	2.2	1.9	7.1

स्रोत: आर्थिक, सलाहकार कार्यालय, थोक कीमत सूचकांक (डब्ल्यू.पी.आई.) के लिए औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डी.पी.आई.आई. टी.), सी.पी.आई.-सी. के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एन.एस.ओ.) और सी.पी.आई. (आई. डब्ल्यू.), सी.पी.आई.-ए.एल. और सी.पी. आई.-आर.एल. के लिए श्रम ब्यूरो।

टिप्पणी: 2013-14 के लिए सी.पी.आई.-सी. मुद्रास्फीति पुरानी श्रृंखला 2010-100 पर आधारित है; (पी.-अनंतिम; सी. का अर्थ संयुक्त, आई. डब्ल्यू. का अर्थ औद्योगिक कामगार, ए.एल. का अर्थ कृषि संबंधी श्रमिक और आर.एल. का अर्थ ग्रामीण श्रमिक होता है।

*2019-20 सी.पी.आई.-सी, डब्लू पी आई, सी.पी.आई-एएल, सी.पी.आई-आर.एल. के लिए अप्रैल से दिसम्बर 2019 से संबंधित है और सी. पी.आई.-डब्लू हेतु अप्रैल से नवम्बर 2019 से संबंधित है।

के औसतन स्तरों में अत्यधिक गिरावट हुई है। न केवल मुद्रास्फीति के औसतन स्तरों में गिरावट आई है, बल्कि इस वित्तीय वर्ष के दौरान मुद्रास्फीति के अधिकतम स्तर अब भी बहुत कम हैं। इसक अलावा, हमनें यह देखा है कि सी.पी.आई.-संयुक्त (सी.पी.आई.-सी.) के अनुसार 2012 के बाद से कोर मुद्रास्फीति की ओर हेडलाइन मुद्रास्फीति का अभिसरण हुआ है।

मुद्रास्फीति में वर्तमान प्रवृतियां

5.3 सी.पी.आई.-सी. पर आधारित हेडलाइन मुद्रास्फीति में 2014 से अधोमुखी गिरावट हो रही है (चित्र-1) औसत सी.पी.आई.-सी. हेडलाइन मुद्रास्फीति 2014-15 में 5.9 प्रतिशत थी, उसमें 2018-19 में लगभग 3.4 प्रतिशत तक की अनवरत गिरावट हुई है। खाद्य मुद्रास्फीति में तीव्र गिरावट इसका मुख्य कारण रहा है, जिसमें 2014-15 में 6.4 प्रतिशत से 2018-19 में 0.1 प्रतिशत तक की गिरावट हुई है। 2019-20 में, अगस्त, 2019 से हेडलाइन और खाद्य मुद्रास्फीति के अंकों में थोड़ा इज़ाफा हुआ है। कुल मिलाकर, दिसंबर, 2019 में सी.पी.आई.सी. हेडलाइन मुद्रास्फीति 7.4 प्रतिशत तक कायम थी, जबकि सी.पी.आई.-खाद्य मुद्रास्फीति

चित्र 1: सी.पी.आई.-सी. हेडलाइन, कोर और खाद्य मुद्रास्फीति

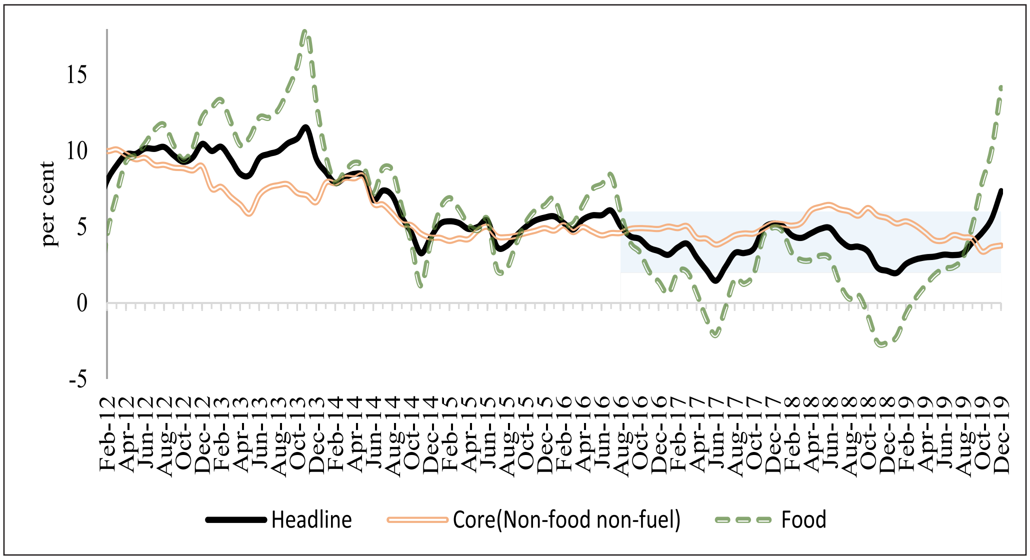

स्रोत: एन.एस.ओ.

तालिका 2: उपरोक्त कीमत सूचकांक संयुक्त के चुनिंदा समूहों में मुद्रास्फीति आधार 2012 (प्रतिशत में)

विवरण	Weights	2017-18	2018-19	2019-20#	Jul-19	Aug-19	Sep-19	Oct-19	Nov-19	Dec-19 (P)
सभी समूह	100	3.6	3.4	4.1	3.2	3.3	4.0	4.6	5.5	7.4
सी.एफ.पी.आई.	39.1	1.8	0.1	5.3	2.4	3.0	5.1	7.9	10.0	14.1
खाद्य एवं पेय पदार्थ	45.9	2.2	0.7	4.8	2.3	3.0	4.7	6.9	8.7	12.2
अनाज और उत्पाद	9.7	3.5	2.1	2.0	1.3	1.3	1.7	2.2	3.7	4.4
मीट और मछली	3.6	3.2	4.0	9.0	9.1	8.5	10.3	9.8	9.4	9.6
अंडा	0.4	3.6	2.3	3.4	0.6	0.3	3.3	6.3	6.2	8.8
दुध और दुग्धोत्पाद	6.6	4.1	1.8	1.8	1.1	1.5	1.8	3.1	3.5	4.2
तेल और वसा	3.6	1.6	2.1	1.4	0.9	0.6	1.2	2.0	2.6	3.1
फल	2.9	4.6	2.3	-0.5	-0.9	-0.8	0.8	4.1	3.2	4.4
सब्जियां	6.0	5.8	-5.2	17.6	2.8	6.9	15.5	26.1	36.1	60.5
दालें और उत्पाद	2.4	-21.0	-8.3	7.8	6.8	6.9	8.4	11.7	13.9	15.4
चीनी और मिठाइयां	1.4	6.1	-7.0	-0.2	-2.1	-2.4	-0.4	1.3	2.1	3.4
इंधन और प्रकाश	6.8	6.2	5.7	-0.1	-0.3	-1.7	-2.2	-2.0	-1.9	0.7
सीपीआई खाद्य और इंधन समूह को छोड़कर	47.3	4.6	5.8	4.1	4.5	4.3	4.2	3.4	3.6	3.8

स्रोत: एन.एस.ओ.

टिप्पणी: पी.: अनंतिम, *उपभोक्ता खाद्य कीमत सूचकांक, रु अप्रैल से दिसंबर 2019 तक

में 14.1 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है, जो कि मुख्यत: सब्जी की कीमतों में वृद्धि द्वारा संचालित थी। दिसंबर, 2019 में कोर (अखाद्य और गैर ईंधन) मुद्रास्फीति में 3.8 प्रतिशत तक की थोड़ी गिरावट हुई है।

5.4 2019-20 के दौरान, डब्ल्यू.पी.आई. पर आधारित मुद्रास्फीति अप्रैल 2019 में 3.2 प्रतिशत से नवबर 2019 में 0.6 प्रतिशत तक की लगातार गिरावट होती जा रही है (चित्र-2)। 2017-18 और 2018-19 के बीच वार्षिक आधार पर जिस खाद्य सूचकांक में गिरावट हुई है, उसमें वर्तमान वित्तीय वर्ष (अप्रैल-दिसंबर, 2019) के दौरान इज़ाफा देखा गया है। (तालिका-3)

चित्र 2: डब्ल्यू.पी.आई. मुद्रास्फीति

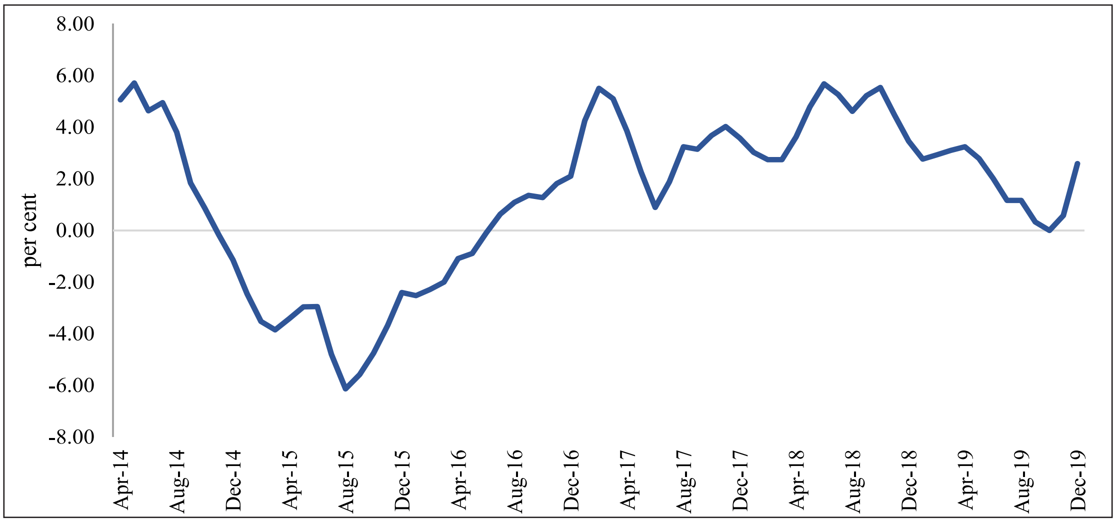

स्रोत: आर्थिक सलाहकार कार्यालय, डी.पी.आई.आई.टी.

तालिका 3: थोक कीमत सूचकांक के चुनिंदा समूह में मुद्रास्फीति- आधार वर्ष 2011-12 (प्रतिशत)

	Weight	2017-18	2018-19	2019-20*	Jul-19	Aug-19	Sep-19	Oct-19	Nov-19(P)	Dec-19(P)
सभी उत्पाद	100	3.0	4.3	1.5	1.2	1.2	0.3	0.0	0.6	2.6
खाद्य सूचकांक	24.4	1.9	0.6	6.7	4.9	5.9	6.1	7.6	9.0	11.0
खाद्य सामग्री	*15.3*	*2.1*	*0.4*	8.6	*6.6*	7.8	7.5	9.8	11.1	13.2
अनाज	2.8	0.3	5.5	8.2	8.7	8.5	8.7	8.3	7.9	7.7
दालों	0.6	-27.1	-9.4	17.3	20.0	16.4	17.9	16.6	16.6	13.1
सब्जियों	1.9	18.8	-8.4	31.4	10.5	12.9	19.3	39.0	45.3	69.7
फलों	1.6	5.0	-1.7	4.4	*15.4*	*19.8*	*6.7*	*2.7*	*4.3*	*3.5*
दूध	4.4	4.0	2.4	1.7	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	2.6
अंडा, मीट और मछली	2.4	2.0	1.7	6.6	3.6	7.0	7.7	7.6	8.2	6.2
खाद्योत्पाद	*9.1*	*1.6*	*0.9*	3.2	1.8	2.2	3.6	3.8	5.0	6.9
वनस्पति और पशु तेल वसा	2.6	2.2	7.5	-2.4	*-6.6*	*-4.1*	*-2.8*	*-1.9*	*2.2*	*9.7*
चीनी	1.1	3.4	-10.7	4.0	-1.0	1.4	4.7	3.2	3.1	4.7
इंधन और बिजली	13.2	8.1	11.6	-3.1	-3.6	-3.5	-6.7	-8.1	-7.3	-1.5
गैर खाद्य विनिर्मित उत्पाद (मुख्य)	*55.1*	*3.0*	*4.2*	-0.3	0.0	-0.4	-1.2	-1.8	-1.9	-1.6

स्रोत: आर्थिक सलाहकार कार्यालय, डी.पी.आई.आई.टी.पी.: अनंतिम

5.5 जुलाई 2018 से, सी.पी.आई.-शहरी-मुद्रास्फीति-सी.पी.आई.-ग्रामीण मुद्रास्फीति से लगातार ऊपर रही है (चित्र-3)। यह प्रारम्भिक अनुभव के विपरित है, जहां ग्रामीण मुद्रास्फीति मुख्यत: शहरी मुद्रास्फीति से अधिक रहा है। यह विचलन मुख्यत: इस अवधि के दौरान देखे गए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच खाद्य मुद्रास्फीति की विभेदक दरों के कारण हुआ है। 2019-20 की अवधि में रुझानों में अकस्मात परितर्वन हुआ। जुलाई, 2019 से शहरी क्षेत्रें की खाद्य मुद्रास्फीति काफी ऊंची दर्ज की गई (चित्र 4)। इस अवधि के दौरान ग्रामीण-शहरी खाद्य मुद्रास्फीति में विचलन मुख्यत: अनाज, दालें, सब्ज़ियां, अंडे आदि के कारण हुआ था (चित्र 5 (क) से (घ) तक)।

चित्र 3: सी.पी.आई. ग्रामीण और शहरी मुद्रास्फीति

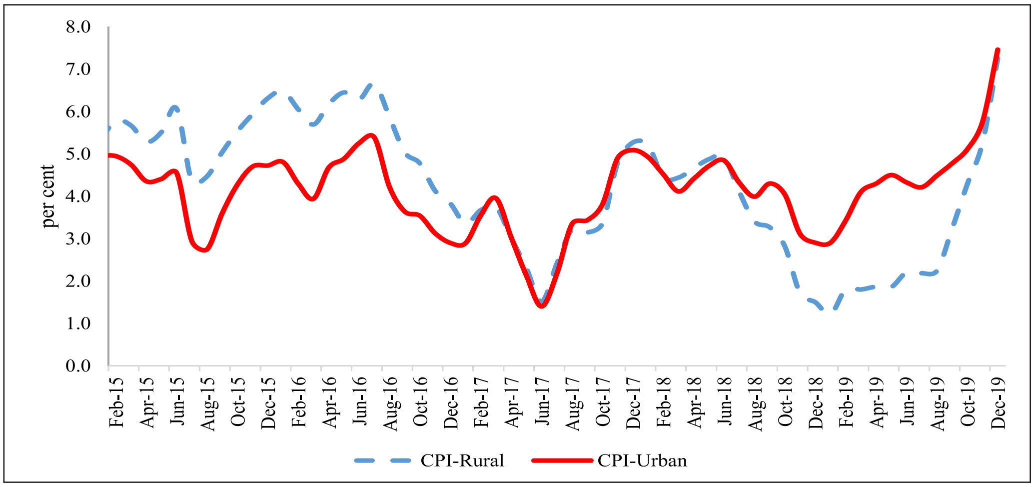

स्रोत: एन.एस.ओ.

चित्र 4: ग्रामीण शहरी खाद्य मुद्रास्फीति

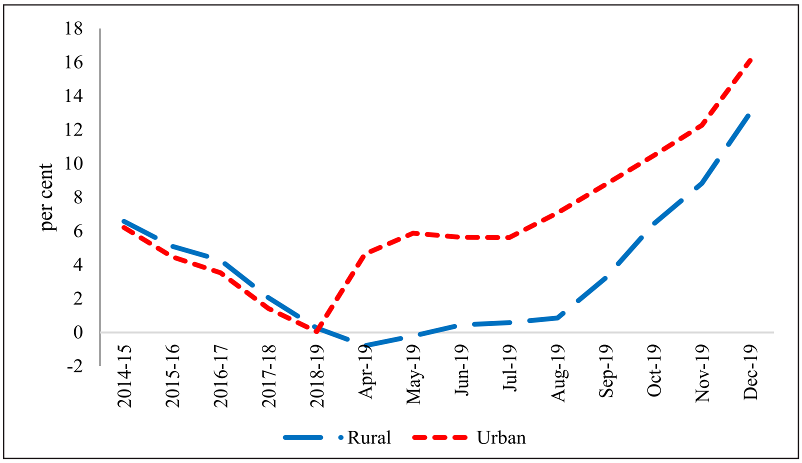

स्रोतः एन.एस.ओ.,

चित्र 5(क): अनाज की सी.पी.आई. मुद्रास्फीति दर

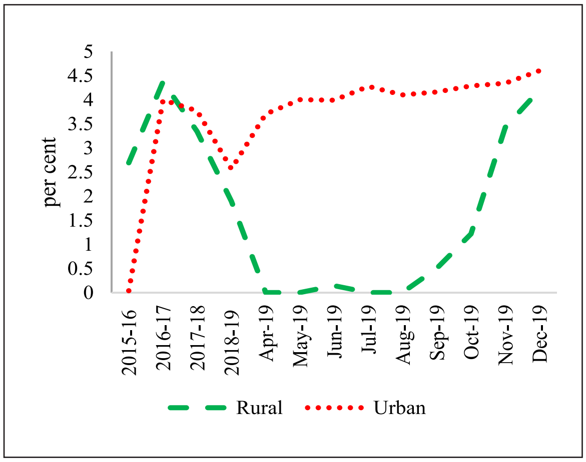

चित्र 5 (ख): सब्ज़ियों की सी.पी.आई. मुद्रास्फीति दर

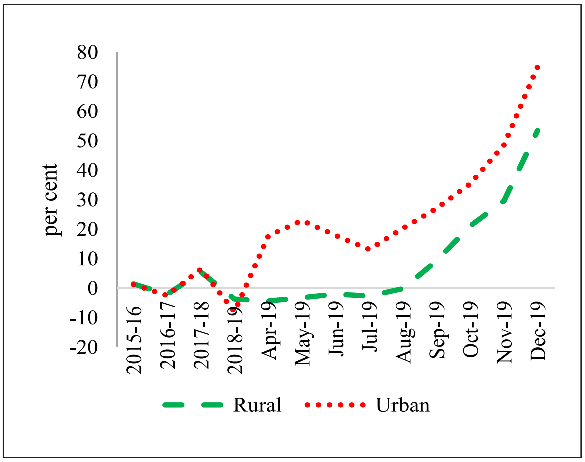

चित्र 5 (ग): फलों की सी.पी.आई. मुद्रास्फीति दर

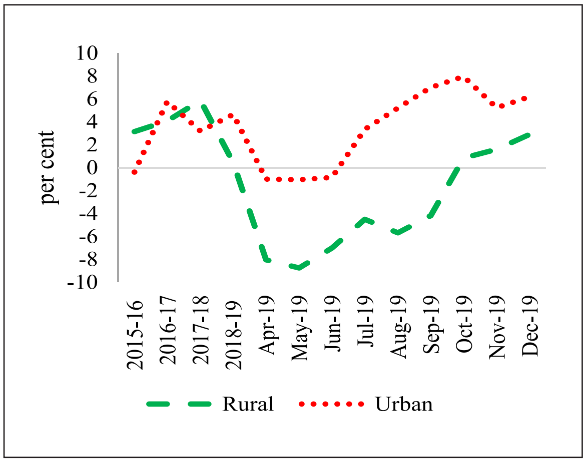

चित्र 5 (घ): अण्डों की सी.पी.आई. मुद्रास्फीति दर

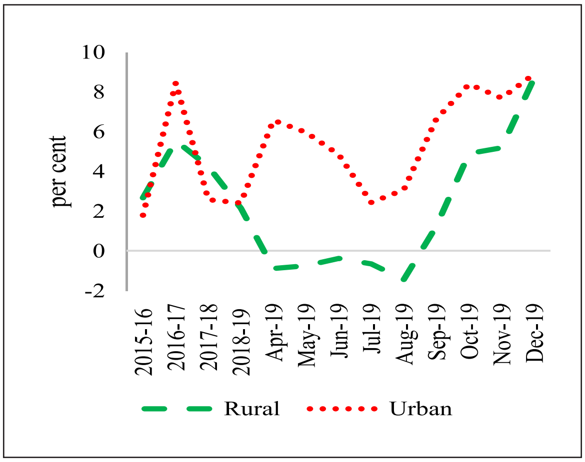

स्रोतः एन.एस.ओ.

चित्र 6: 2016 से 2019 के दौरान कृषि-संबंधी कामगारों के लिए औसत वास्तविक मजदूरी दर की साल दर साल वृद्धि (अक्तूबर, 2019 तक)

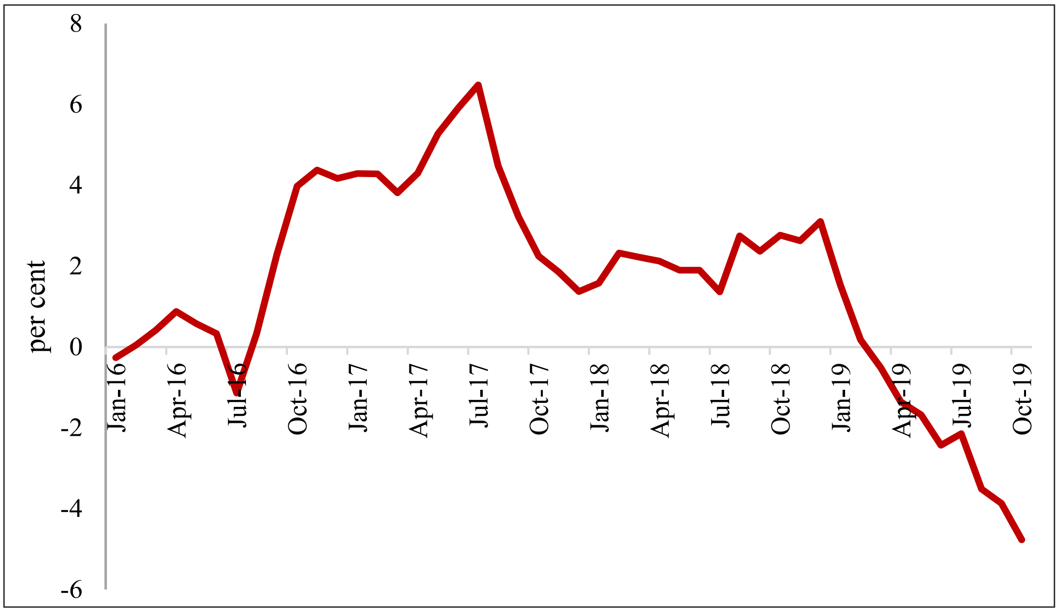

स्रोत: श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

टिप्पणी: वास्तविक मजदूरी दर की गणना सामान्य कृषि श्रमिकों की मजदूरी दर को सीपीआई.एएल से विभाजित करके की गयी है।

5.6 ग्रामीण मुद्रास्फीति में मामूली गिरावट फिसलन का कारण वास्तविक ग्रामीण मेहनताना की वृद्धि में मंदी है। (चित्र 6)।

5.7 ग्रामीण शहरी मुद्रास्फीति में विचलन केवल खाद्य घटकों में ही नहीं देखा जाता हैं अपितु यह विचलन अन्य घटकों में भी देखा जाता है। नीचे दिया गया चित्र-7 ग्रामीण और शहरी मुद्रास्फीति घटकवार दर्शाता है। शहरी क्षेत्र में कपड़ों और जूतों मे वर्ष 2019-20 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान मुद्रास्फीति 3.3 प्रतिशत थी जो ग्रामीण क्षेत्र में मुद्रास्फीति से लगभग 3 प्रतिशत अधिक थी। पान, तंबाकू और मादक प्रदार्थो, ईंधन और बिजली तथा अन्य विविध ग्रुपों के संबंध में ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक थी। इस विविध बास्केट घरेलू सामान और सेवाएं, स्वास्थ्य, परिवहन और संचार, मनोरंजन और आमोद-प्रमोद, शिक्षा, व्यक्तिगत देखभाल और सामान इत्यादि हैं। तथापि ग्रामीण क्षेत्र में खाद्य और कपड़ा एवं जूता समूह से जुड़े समग्र भारता के चलते ग्रामीण क्षेत्र में देखी गई समग्र मुद्रास्फीति 3.4 प्रतिशत थी जो वर्ष 2019-20 (अप्रैल-दिसंबर) में शहरी क्षेत्र में देखी गई समग्र मुद्रास्फीति के 5.0 प्रतिशत से कम थी। कपड़ों और जूतों, ईंधन और बिजली जैसी मदों में ग्रामीण क्षेत्र में मुद्रास्फीति की दर में गिरावट वास्तविक ग्रामीण मेहनताने की वृद्धि में कमी के कारण हो सकता है, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यक्तिगत देखभाल आदि जैसी मदों में ग्रामीण मूल्य सूचकांक में उछाल से ग्रामीण क्षेत्रों में इन मदों की वहनीयता का प्रश्न भी खड़ा हो जाता है।

राज्यों में मुद्रा-स्फीति

5.8 (सीपीआई-सी) समेकित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में राज्यों के स्तर पर अत्यधिक भिन्नता है। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2019-20 (अप्रैल-दिसंबर) में (-) 0.04 प्रतिशत से 8.1 प्रतिशत की तुलना में वित्त वर्ष 2018-19 (अप्रैल-दिसंबर) में (-) 1.3 प्रतिशत से 9.1 प्रतिशत के बीच में थी। परन्तु प्राय: सभी राज्यो में समग्र मुद्रा-स्फीति दर काफी कम रही। पंद्रह राज्यों/संघ शसित क्षेत्रो में मुद्रा-स्फीति वित्त वर्ष 2019-20 (अप्रैल-दिसंबर) में 4 प्रतिशत नीचे थी। वित्त वर्ष 2018-19 (अप्रैल-दिसंबर) की

वित्त वर्ष 2019-20 (अप्रैल-दिसंबर) से तुलना करने पर हमें पता चलता है कि मुद्रा-स्फीति में वास्तविक आधार पर 15 राज्यों में गिरावट आई है। उन्नीस राज्यों/संघ शसित क्षेत्रों में वित्त वर्ष 2019-20 (अप्रैल-दिसंबर) के अखिल भारतीय औसत की तुलना में मुद्रा-स्फीति दर कम थी जिसमें दमन एवं दीव की मुद्रा-स्फीति दर सबसे कम थी और उसके बाद बिहार और छत्तीसगढ़ में कम थी (चित्र 8)।

5.9 यद्यपि अधिकांश राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों की समग्र मुद्रास्फीति दर शहरी क्षेत्रों की समग्र मुद्रास्फीति दर से कम है, सभी राज्यों में किसी विशेष माह में ग्रामीण मुद्रास्फीति समग्र विचरण पूरे राज्यों के शहरी मुद्रास्फीति की विचरण से अधिक थी। चित्र 8 में ग्रामीण और शहरी मुद्रा-स्फीति को चित्रित किया गया है जिसमें हम देखते है कि ग्रामीण मुद्रास्फीति की विचरण शहरी मुद्रास्फीति की विचरण की तुलना में बहुत अधिक है। (चित्र 9 और 10)

चित्र-7: 2019-20 (अप्रैल-दिसम्बर) में घटक के अनुसार ग्रामीण और शहरी मुद्रास्फीति

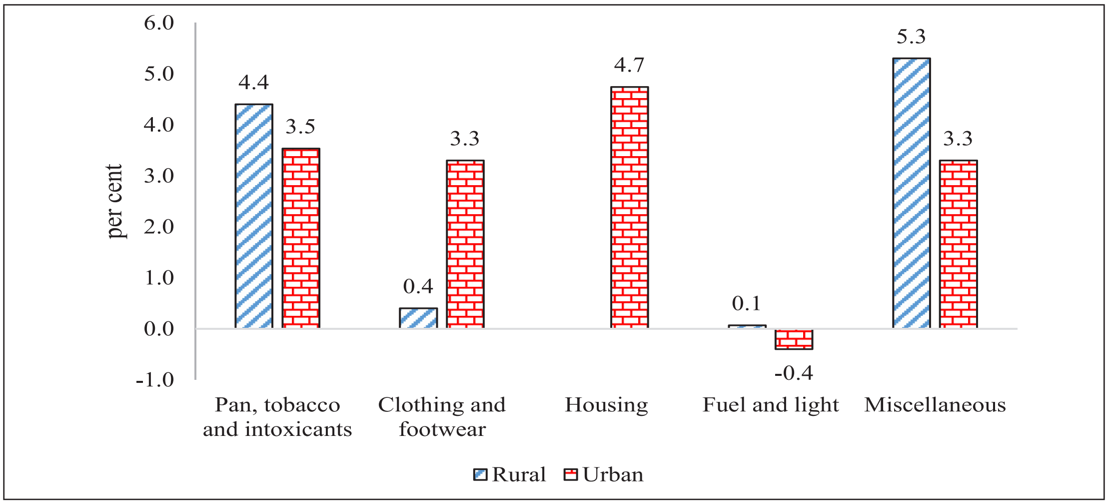

स्रोतः- एन. एस. ओ.

चित्र 8: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सीपीआई आधारित संयुक्त मुद्रास्फीति (प्रतिशत)

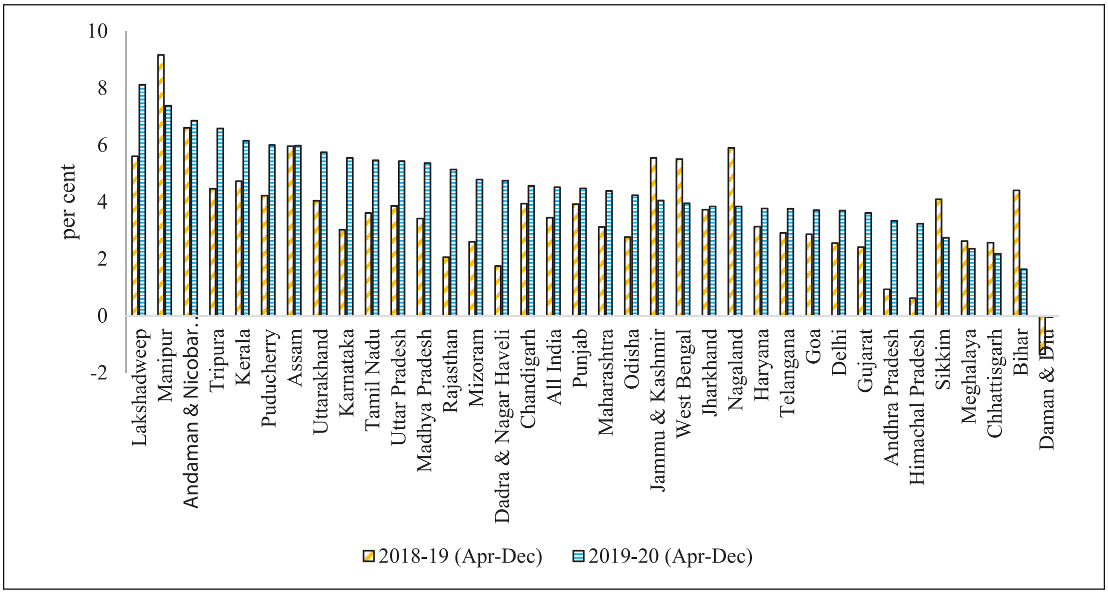

स्रोतः- एन. एस. ओ.

5.10 चित्र-3 और 9 ये दर्शाते हैं कि भले ही ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र मुद्रास्फीति अखिल भारतीय स्तर पर कम हो, परंतु सर्वत्र राज्यों में उच्च भिन्नता के कारण कुछ राज्यों के पास ग्रामीण क्षेत्रों की मुद्रास्फीति शहरी क्षेत्रों की मुद्रास्फीति से अधिक हो सकती है। चित्र-10 यह दर्शाता है कि पंजाब, उत्तराखंड, में दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा और केरल राज्य में ग्रामीण मुद्रास्फीति वस्तुतः अप्रैल-दिसम्बर, 2019 में शहरी मुद्रास्फीति से अधिक थी।

चित्र 9: वर्ष 2019-2020 (अप्रैल-दिसम्बर माह) में राज्यों में ग्रामीण एवं शहरी मुद्रा-स्फीति में अंतर

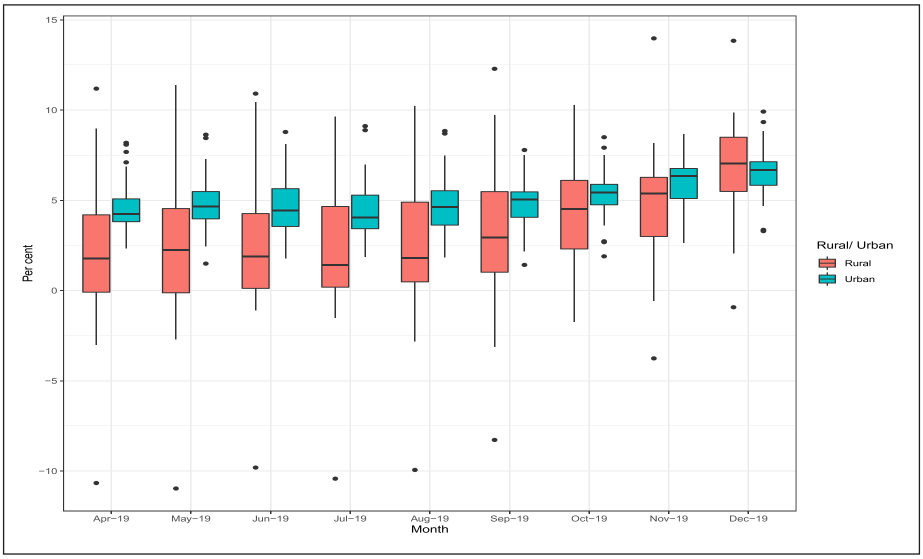

स्रोतः- एन. एस. ओ.

चित्र 10: वर्ष 2019-20 (अप्रैल-दिसम्बर) में राज्यों में सीपीआई मुद्रास्फीति

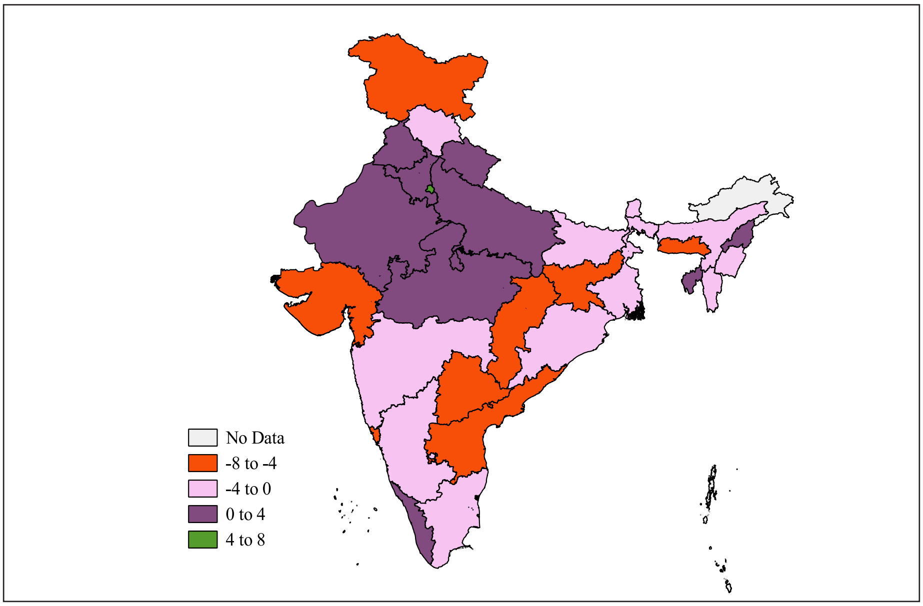

स्रोतः- एन. एस. ओ.

मुद्रास्फीति के कारक

5.11 वर्ष 2018-2019 के दौरान सीपीआई-सी मुद्रास्फीति का प्रमुख कारक, विविध समूह था। वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2018-19 में कुल मुद्रास्फीति में भोजन तथा पेय पदार्थों का योगदान कम था। (चित्र 11) हालांकि वर्ष 2019-20 के दौरान (अप्रैल-दिसम्बर) में खाद्य पदार्था (भोजन) तथा पेय पदार्थ मुद्रास्फीति में मुख्य योगदानकर्ता के रूप में उभरे। इस अवधि के दौरान इन दोनों का मुद्रास्फीति में कुल 54% का योगदान रहा। इस अवधि के दौरान विविध समूह दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता था। (चित्र-12)

कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) तथा ईंधन की कीमतों में वृद्धि

5.12 अप्रैल से दिसंबर, 2019 के दौरान वैश्विक स्तर पर कमजोर वैश्विक मांग की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में भी गिरावट देखी गई थी। देश के आयात समूह में एक प्रमुख भाग होने के नाते इस मद का पेट्रोलियम उत्पादों की घरेलू कीमतों पर काफी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। डब्ल्यू पी आई में खनिज तेल समूह में अप्रैल 2019 में 5.8% महंगाई दर देखी गई तत्पश्चात दिसंबर 2019 में -3.2 तक की गिरावट दर्ज की गई। (चित्र 13) वास्तव में डब्ल्यू पी आई में यह समूह भारतीय कच्चा तेल समूह (इंडियन क्रूड बास्केट) में मूवमेंट की दिशा पर बारीकी से नजर रखता है। सीपीआई के ईंधन कारक/घटक भी इसी दिशा में ही मूवमेंट दर्शाते हैं। (चित्र 13)

दवा मूल्य निर्धारण

5.13 सस्ती स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच सुनिश्चित करना भारत सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। लोगों की स्वास्थ्य देखभाल पर होने वाले कुल जेब खर्च में से, प्रमुख हिस्सा दवाओं पर ही खर्च होता है। यह सस्ती दवाओं के प्रावधान को अनिवार्य बनाता है। भारतीय फार्मास्युटिकल क्षेत्र न केवल कल्याण ाकारी निहितार्थो के कारण एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं वरन इसकी तकनीकी क्षमता और वश्विक स्थित के सिद्ध रिकॉर्ड के साथ एक क्षेत्र के रूप में इसका आर्थिक महत्व है। इस क्षेत्र में हाल ही के वर्षों के दौरान काफी महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है तथा आने वाले वर्षों के दौरान इसमें और अधिक विकास की क्षमता भी है।

चित्र 11: 2017-18 से 2018-19 में सीपीआई-सी मुद्रास्फीति में योगदान

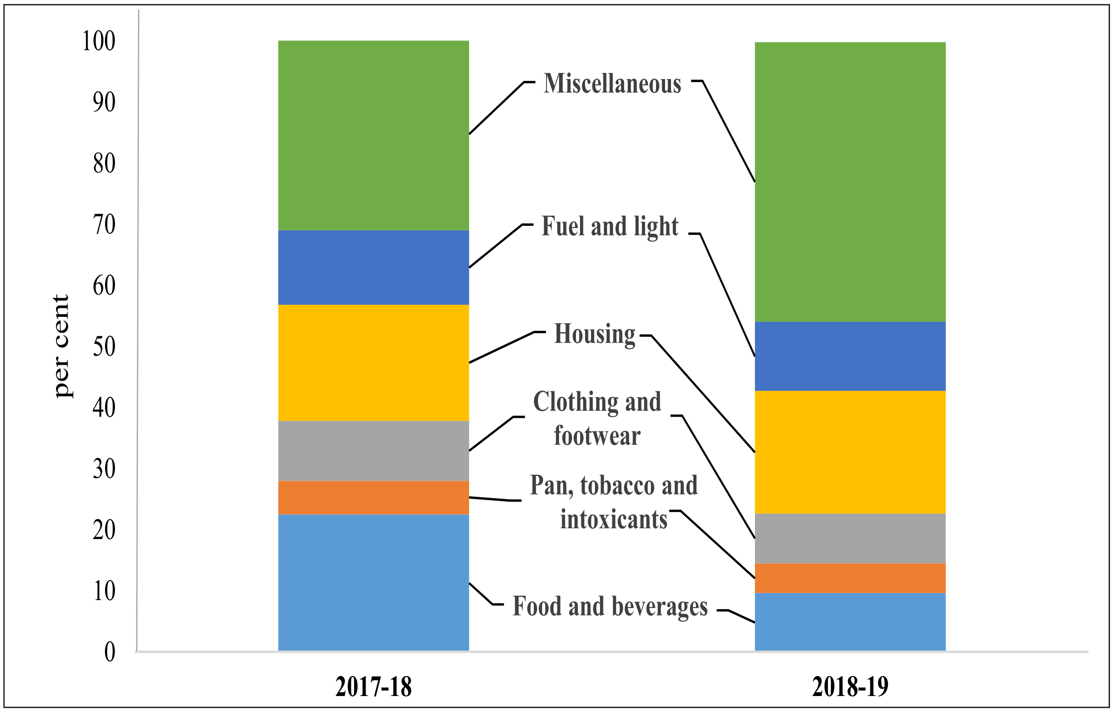

स्रोत: एनएसओ

चित्र 12: वर्ष 2018-19 (अप्रैल से दिसम्बर) तथा वर्ष 2019-20 (अप्रैल से दिसम्बर) में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त (सी पी सी-आई) मुद्रास्फीति में योगदान

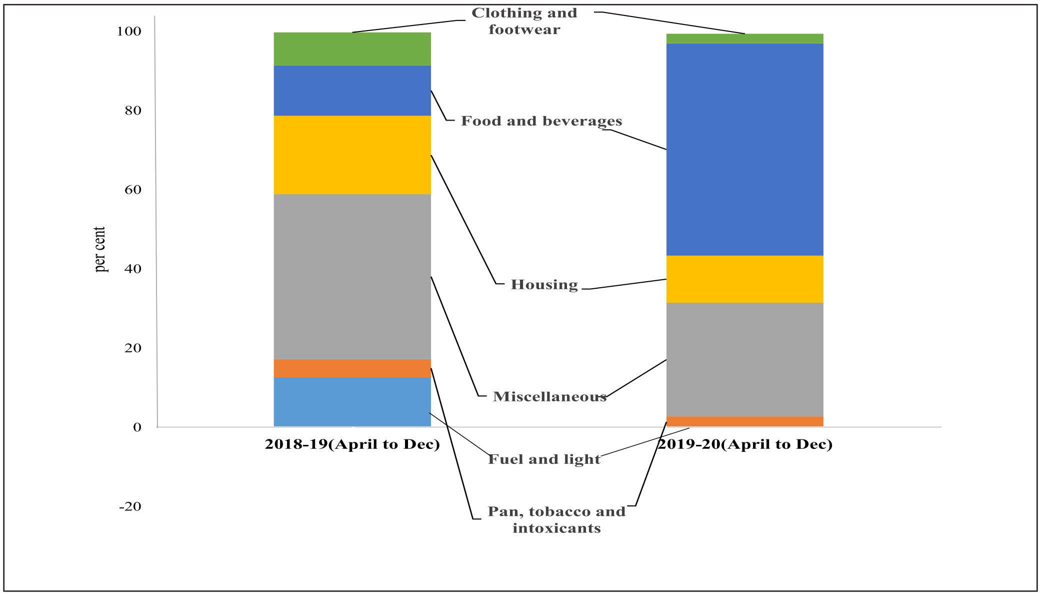

स्रोत:- एन. एस. ओ.

चित्र 13: भारतीय क्रूड बास्केट की कीमत में साल दर साल वृद्धि, डब्ल्यूपीआई में खनिज तेलों तथा सीपीआई-सी में ईंधन में मूल्यवृद्धि/मुद्रास्फीति

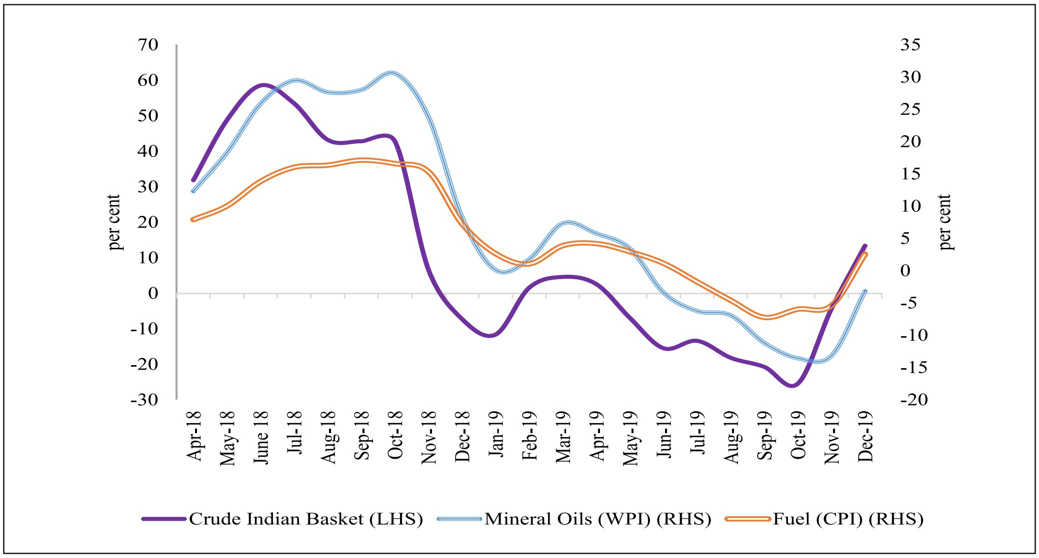

स्रोत: एनएसओ से लिया गया सीपीआई डाटा, पैट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल से इंडियन क्रूड बास्केट की दर, आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, डब्ल्यूपीआई डाटा ऑफिस, डीपीआईआईटी; सर्वेक्षण गणनाएँ।

नोट: सीपीआई में ईंधन में मूल्यवृद्धि/मुद्रास्फीति की गणना-एलपीजी, केरोसिन, डीजल, अन्य फ्युल, वाहनों के लिए पेट्रोल, वाहन के लिए डीजल तथा अन्य वाहनों के लिए अन्य इंधनों के आधार पर की गई है।

5.14 सरकार आवश्यक दवाओं के मूल्य निर्धारण के लिए एक नियामक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय दवा मूल्य निर्धारण नीति, 2012 लेकर आई ताकि जरूरी दवाओं- ''अत्यावश्यक दवाईयों''- की उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए उद्योग के विकास का समर्थन करने के लिए नवाचार और

प्रतिस्पर्धा के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा सके जिससे रोजगार के लक्ष्य भी पूर्ण हों और सभी का साझा आर्थिक कल्याण हो सके।

5.15 आवश्यक दवाओं और औषधियों को आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची 2011 (एनएलईएम) के अंतर्गत रखते हुए डीपीसीओ, 2013 की पहली अनुसूची में शामिल किया गया और फिर मूल्य नियंत्रण के तहत लाया गया। एनपीपीए ने दिसम्बर. 2019 तक की पहली अनुसूची में शामिल दवाओं के 860 फॉर्मूलेशन/पैक्स की उच्चतर कीमतें तय की हैं। एनएलईएम 2015 तैयार करने के लिए डीओपीसीओ 2013 की घोषणा से पूर्व प्रचलित उच्चतम मूल्य की तुलना में डीपीसीओ 2013 के तहत आने वाले निर्धारित फॉर्मूलेशन/सूत्रण की कीमतों में कमी का विवरण तालिका 5 में दिखाया गया है।

5.16 उच्चतम मूल्य/अधिकतम खुदरा मूल्य (एम आर पी) के निर्धारण से डी पी सी ओ 2013 के कार्यान्वयन के उपरांत जनता को कुल ₹12,447 करोड़ की बचत हुई। इसमें कोरोनरी स्टेंट उच्चतम मूल्य के निर्धारण से ₹ 4,547 करोड़, (नी इंप्लांटेशन) घुटना पत्यारोपण के मूल्य के निर्धारण के लिए ₹ 1500 करोड़ और कैंसर रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन युक्तिकरण (टी एम आर) के लिए ₹ 984 करोड़ की बचत शामिल है।

5.17 कार्डिएक स्टेंट के मामले में पोस्ट मूल्य कैपिंग अवधि (2017) दो वर्ष से अधिक अवधि के बाद यह देखा गया कि भारत के बाजार में इस कार्डिएक स्टेंट की बिक्री में 26 प्रतिशत वृद्धि हुई। यह भी पाया गया कि भारतीय निर्माताओं को कार्डिएक स्टेंट की मूल्य कैपिंग से लाभ हुआ क्योंकि उत्पादन में इनकी भागेदारी में उत्तर मूल्य कैपिंग अवधि में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

खाद्य स्फीति (महंगाई)

5.18 जैसा कि पैरा में 5.3 चर्चा की गई है, खाद्य महंगाई की कुंल महंगाई में चालू वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान मुख्य भूमिका है। कुछ जिन्स यथा प्याज, टमाटर और दालों में अगस्त 2019 से बहुत अधिक महंगाई हुई हैं बेमौसम वर्षा के कारण कम उत्पादन हुआ और साथ ही साथ प्याज टमाटर की बाजार में कम आपूर्ति हुई। दालों के मामले में पिछले वर्ष की तुलना में बुवाई बहुत कम स्तर की हुई।

तालिका 4: डीपीसीओ, 2013 की घोषणा से पूर्व प्रचलित उच्चतम मूल्य के संबंध में अधिसूचित फॉर्मूलेशन/सूत्रण के अधिकतम मूल्य में कमी की रेंज/सीमा दर्शाता विवरण।

अधिकतम मूल्य में संबंध में % कटौती नियमन	एन एल ई एम 2015 में नियमन
0<= 5%*	236
5<=10%	138
10<=15%	98
15<=20%	100
20<=25%	92
25<=30%	65
30<=35%	46
35<=40%	26
40% से अधिक	59
Total formulations in NLEM 2015	860

स्रोत: एनपीपीए; फार्मासूटिकल विभाग

(क) प्याज

5.19 प्याज की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित महंगाई दर में अप्रैल 2019 से बढ़ोत्तरी का रूझान दिख रहा है और वर्ष दर वर्ष आधार पर दिसंबर 2018 की तुलना में दिसंबर, 2019 के माह को दौरान 328.0 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई (चित्र 14)। दिसंबर, 2019 के माह के दौरान प्याज की डब्ल्यू.पी.आई. आधारित मुद्रास्थिति दर में वर्ष आधार पर दिसम्बर, 2018 में (–)63.8 की गिरावट की तुलना में 455.8 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी भी हुई।

5.20 प्याज की मूल्य वृद्धि के बहुत से कारण हो सकते हैं। प्रत्येक वर्ष देखे जाने वाला एक प्रारंभिक कारण

चित्र-14: 2015-2019 के दौरान प्याज की महीनेवार उपभोक्ता सूचकांक (संयुक्त) के अनुसार महंगाई दर (प्रतिशत)

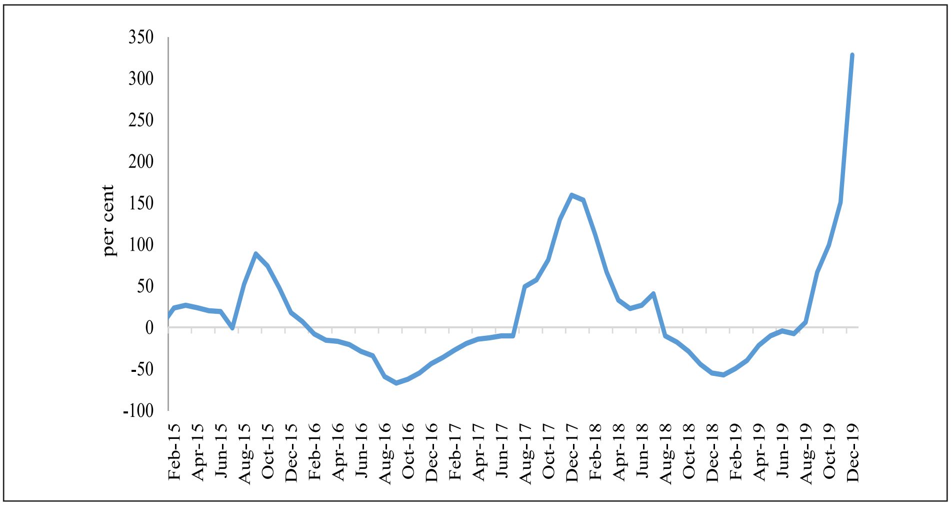

स्त्रोतः- एन. एस. ओ.

चित्र15: टमाटर की महंगाई दर में सीपीआई (संयुक्त) में महीनेवार रुझान 2015-2019 के दौरान (नवंबर तक)

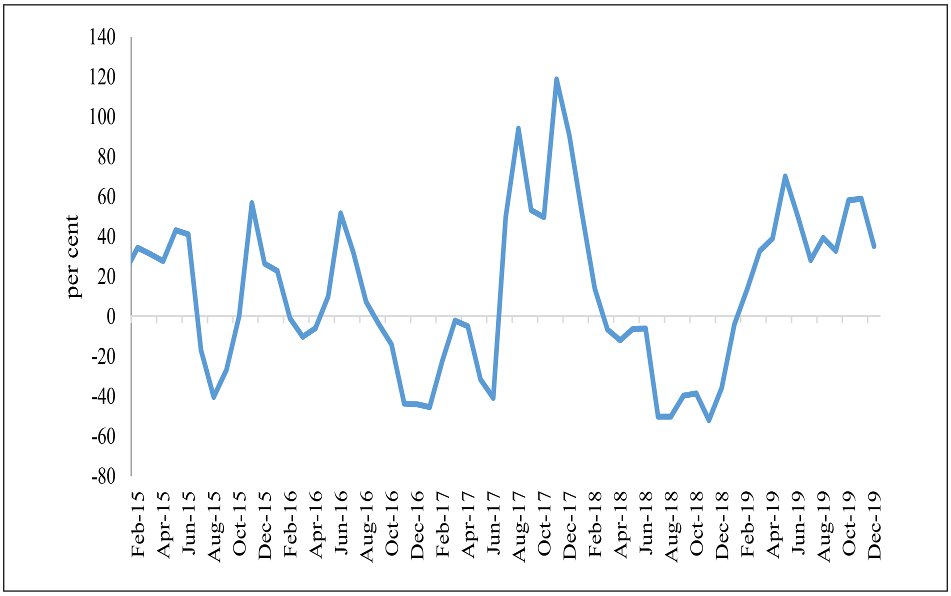

स्त्रोतः- एन. एस. ओ.

तालिका-5 भारत में प्याज की आगत

साह	All India Arrivals (in Lakh Tonnes)		
	पांच साल का औसत (2013-2017)	**2018**	**2019**
जनवरी	12.9	11.1	13.0
फरवरी	10.5	11.0	13.6
मार्च	9.9	9.5	12.0
अप्रैल	10.0	8.9	12.8
मई	11.6	12.5	11.6
जून	10.5	12.9	13.5
जुलाई	8.0	9.8	11.0
अगस्त	7.2	10.3	10.0
सितंबर	7.1	10.0	7.4
अक्तूबर	8.0	10.8	7.4
नवंबर	8.7	8.3	6.1
दिसंबर	11.1	10.6	N.A.

स्रोत: मासिक रिपोर्ट प्याज, नवंबर 2019, बागवानी सांख्यिकी विभाग

मांग-आपूर्ति में असंतुलन है जो मूल रूप से मौसम की वजह से हो सकता है। इस मांग और आपूर्ति के असंतुलन को और अधिक बढ़ाने के अन्य कारणों में दर्शाए बोआई क्षेत्र में गिरावट और बरसात की वजह से खरीफ प्याज की क्षति होना है। जैसे कि खरीफ उत्पादक राज्यों (महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध प्रदेश, गुजरात और राजस्थान) ने सूचित किया कि गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 7 प्रतिशत कम बुवाई/प्रतिरुपण है। खरीफ प्याज की फसल की क्षति का कारण सितम्बर-अक्तूबर 2019 में भारी बारिश भी है (जैसा कि बागवानी राज्य निदेशालय द्वारा सूचित किया गया मध्य प्रदेश में (58 प्रतिशत), कर्नाटक में (18 प्रतिशत) और आंध्र प्रदेश में (2 प्रतिशत) की क्षति हुई। महाराष्ट्र में फसल उपज के लिए तैयार थी किंतु बारिश के कारण के कारण इसमें विलंब हुआ जैसा कि जुलाई से नवंबर 2019 के महीनों के दौरान बाजार में प्याज की कम आगत से पता चलता है (तालिका 5)

(ख) टमाटर

5.21 बोए गए टमाटर की सीपीआई के आधाार पर महंगाई दर में जुलाई 2019 से वृद्धि का रुझान देखा गया और यह वृद्धि वर्ष दर वर्ष के अनुसार दिसंबर, 2018 की तुलना में दिसम्बर 2019 के दौरान 35.2 प्रतिशत तक थी। (चित्र 15)

5.22 जुलाई-दिसंबर 2019 के दौरान टमाटर की कीमत वृद्धि 2017 के दौरान देखी गई वृद्धि की तुलना में अपेक्षाकृत कम थी। 2019 में टमाटर की कीमतों में हो रही बढ़ोत्तरी मुख्य रूप से महाराष्ट्र और कर्नाटक आदि में अधिक वर्षा के कारण है जो कि टमाटर के मुख्य उत्पादक राज्य है। इस प्रकार टमाटर की आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न हुआ। नवम्बर 2019 में बाजार में टमाटर की आगत अक्तूबर 2019 से कम है और पिछले पांच वर्ष (2013-17) वर्ष की औसत से भी कम है। किन्तु यह पिछले वर्ष के इसी माह से कुछ अधिक

रही। बाजार में टमाटर की आपूर्ति में विसंगति के कारण कीमतों में बढ़ोत्तरी हुई। टमाटर की मासिक अखिल भारतीय आगत नीचे चित्र 16 में दी गई है:-

(ग) दालें

5.23 दालों की डब्ल्यूपीआई महंगाई दर जनवरी 2018 के -20.2 प्रतिशत तुलना में दिसंबर 2019

चित्र 16- महीनेवार टमाटर की भारत में आगत

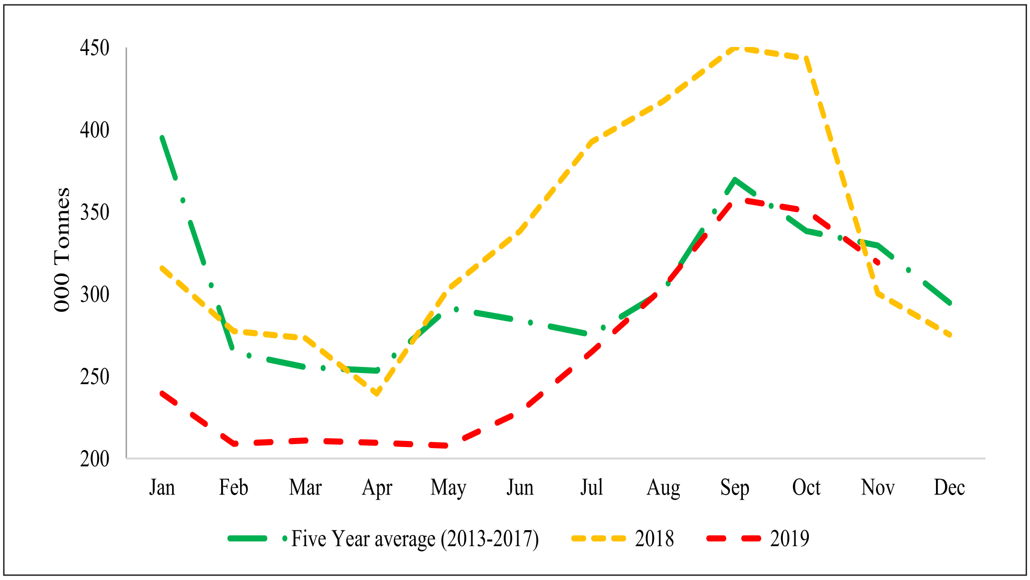

स्रोत - एगमार्केटनैट, कृषि मंत्रालय, निगम और कृषक कल्याण

में 15.4 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के आधार पर समग्र महंगाई दर दिसंबर 2018 के दौरान (-) 7.2 प्रतिशत की तुलना में दालों के संबंध में दिसंबर 2019 के दौरान 15.4 प्रतिशत रही।

5.24 तथापि मदवार दालों की मंहगाई दर का रुख यह प्रकट करती है कि विभिन्न दालों के मूल्यों में वर्तमान

चित्र 17: सीपीआई आधारित दालों में मुद्रास्फीती दर (प्रतिशत)

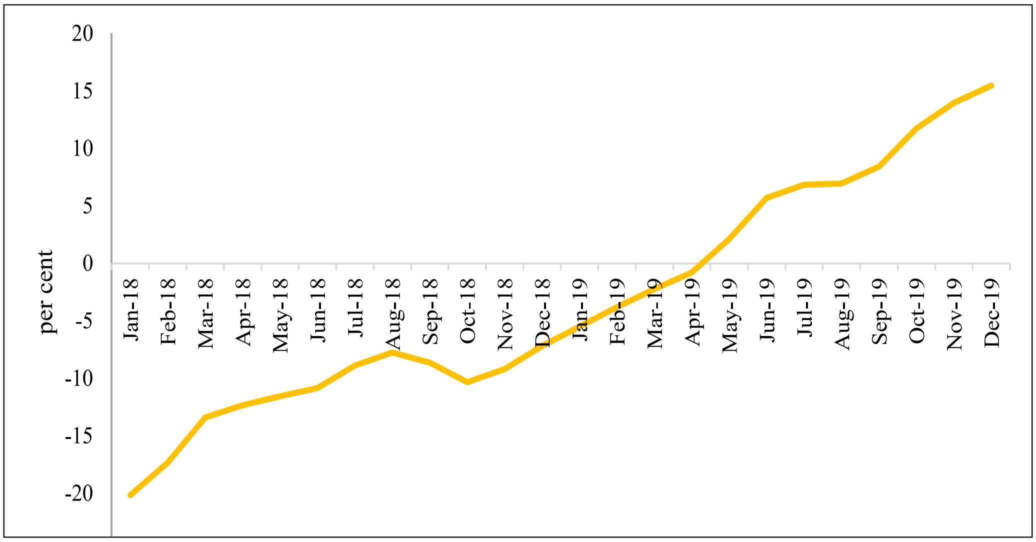

स्त्रोतः- एन. एस. ओ.

वृद्धि इनके दीर्घकालिक प्रवृत्ति की तुलना में बहुत अधिक नहीं है। (चित्र 18)

5.25 2019 से कीमतों में वृद्धि का दौर के कारणों में-उगाने वाले राज्यों में बुबाई क्षत्रों में कमी, पिछले साल पैदावार के आधिक्य से मूल्यों में कम वसूली हो सकती है। यह ध्यान रखा जाए कि दालों का उत्पादन वर्ष, 2015-2016 में 163.5 मिलियन टन से बढ़ कर 2016-2017 में 231.3 मिलियन टन बढ़ा – एक वर्ष की अवधि में 41 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2017-18 और 2016-17 (चित्र 19) में 298 लाख हैक्टेयर और 294 लाख हैक्टेयर की तुलना में वर्ष 2018-19 में औसत सीमान्त घटकर 290 लाख हैक्टेयर हो गयी है। 2018-2019 के दौरान कम बाजार मूल्य के परिणामस्वरूप कुछ दालों की बुवाई में कमी हो सकती है।

5.26 दालों का उत्पादन जिसमें 2015-2016 तक

चित्र 18: डब्ल्यूपीआई के आधार पर दालों की महंगाई दर (प्रतिशत में)

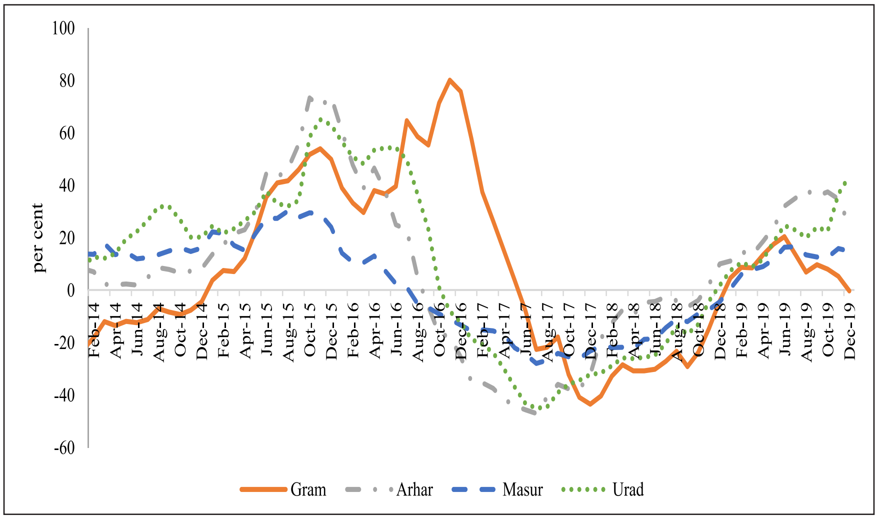

स्रोतः आर्थिक सलाहकार का कार्यक्रम, डीपीआईआईटी कृषि संख्यकों की पॉकेट बुक, कृषि और कृषक

चित्र 19: भारत में दालों के अंतर्गत क्षेत्र

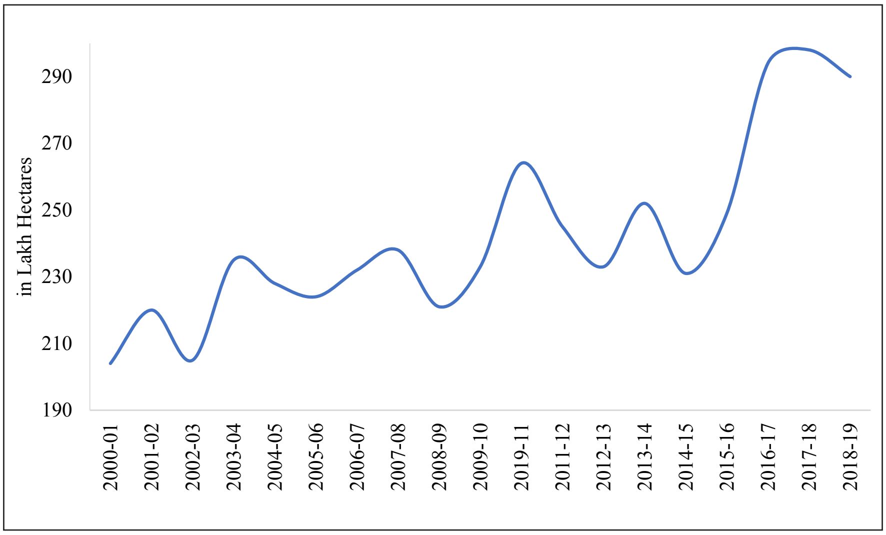

स्रोतः कृषि सांख्यिकि पाकेट बुक, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

निरंतर बढ़ोत्तरी हुई थी, वर्ष 2017-18 से 2018-19 से निरंतर कमी दिखाई देती है पिछले वर्ष की तुलना में 2018-19 के दौरान 7.9 प्रतिशत की कमी रही। (चित्र-20)

बाक्स 1 दालों में मकड़ जाल की विद्यमत्ता की संभावना के लिए जांच का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

चित्र 20 भारत में दालों का उत्पादन (लाख टन में)

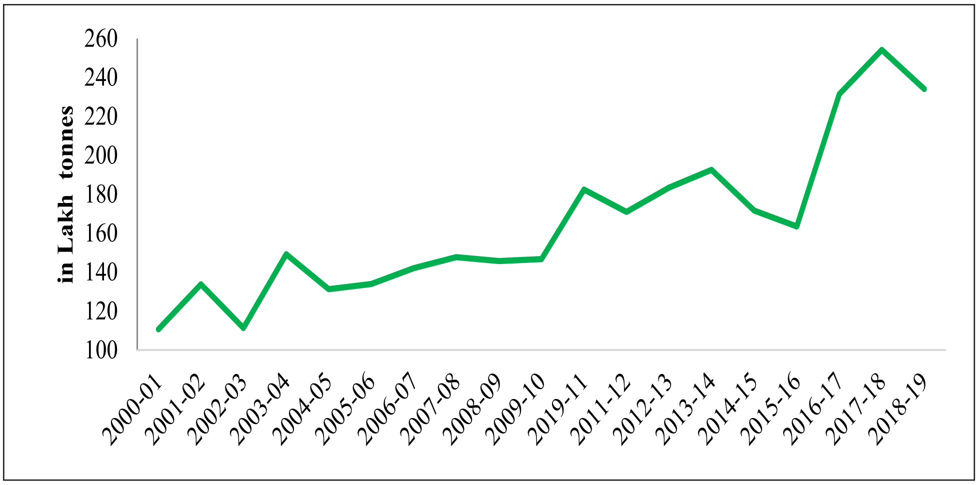

स्रोत कृषि सांख्यिकी पॉकेट बुक, कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय

बॉक्स 1: दालों में मकड़ जाल

मकड़ जाल का सिद्धांत एक विचार है कि मूल्य में उतार-चढ़ाव आपूर्ति में उतार चढ़ाव कर सकता है, जिसकी वजह से मूल्यों में बढ़ोत्तरी और गिरावट की क्रम बनता है। किसान उस समय मकड़ जाल के घटना क्रम में फस जाते हैं। जब वे अपनी फसल की बुवाई गत वर्ष की बजार अवस्था अवधि के आधार पर करने का निर्णय लेते हैं। अत: किसान किसी 'टी-1' अवधि के दौरान किसी फसल विशेष के लिए उच्च मूल्य देखता है तो वह 'टी' अवधि के दौरान इसकी अधिक पैदावार करने की सोचता है। तथापि यदि इसका उत्पादन बाजार की मांग से अधिक हो जाता है तो अवधि 'टी' में मूल्य में गिरावट हो जाती है, किसानों को संकेत जाता है कि अवधि -टी+1' में इस उत्पाद का कम उत्पादन किया जाए।

नीचे दिया गया आंकडा दलहन की मुद्रास्फीति दर को दर्शाता है। कमी और वृद्धि दोनों ही मामलों में उच्चता देखी गई है। वर्तमान उच्चता वर्ष 2015-16 में देखी गई उच्चता की तुलना में कम है। वर्तमान उच्चता दलहन में मौजूद मकडजाल की प्रवृति की ओर इंगित करता है।

अप्रैल 2012 से दिसम्बर 2019 तक दलहन का डब्ल्यू पी आई मुद्रास्फीति दर

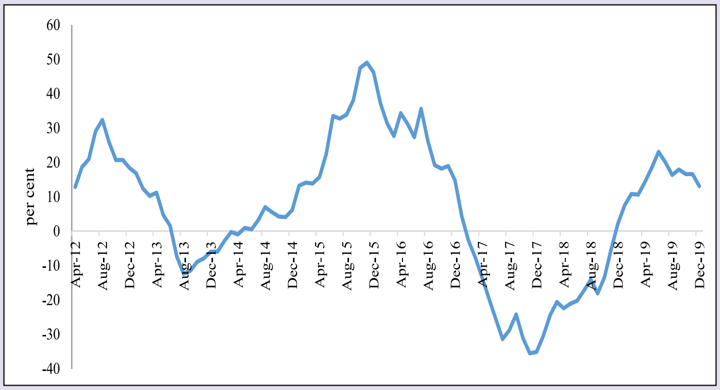

स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, डीपीआईआईटी

अवधि (टी-1) में दाल के थोक मूल्य और अवधि t में बुआई क्षेत्रों के बीच संबंध

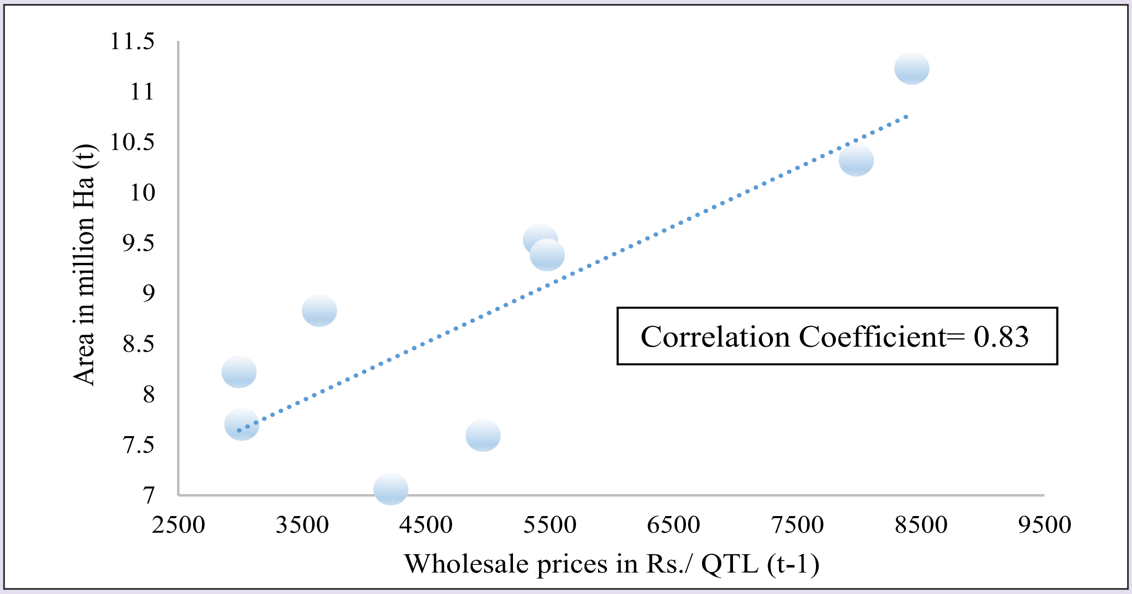

स्रोतः पीएमसी, उपभोक्ता मामले विभाग एवं कृषि मंत्रालय

वर्ष 2009-10 से वर्ष 2017-18 की अवधि के लिए चना, अरहर उड़द और मूंग के संबंध में बुवाई और थोक मूल्यों का विश्लेषण। अवधि 'टी' मं बोया गया क्षेत्र अवधि 'टी-1' के थोकविक्रय मूल्य पर विचार किया जाता है।

उपरोक्त आंकड़ा अवधि टी-1 में थोक मूल्यों और अवधि टी में बोए गए क्षेत्र के बीच सकारात्मक संबंध दर्शाता है। सहसंबंध गुणाक दो चर के बीच संबंध की शक्ति और दिशा को मापता है। चना के मामले में सहसंबंध गुणांक 0.83 होता है।

चना के मामले में भी, दो चर के बीच संबंध सकारात्मक है और सहसंबंण गुणांक के मूल्य के अनुसार अधिक मजबूत (0.86) है।

(टी-1) अवधि और अवधि टी में चने के थौक मूल्य के मध्य संबंध

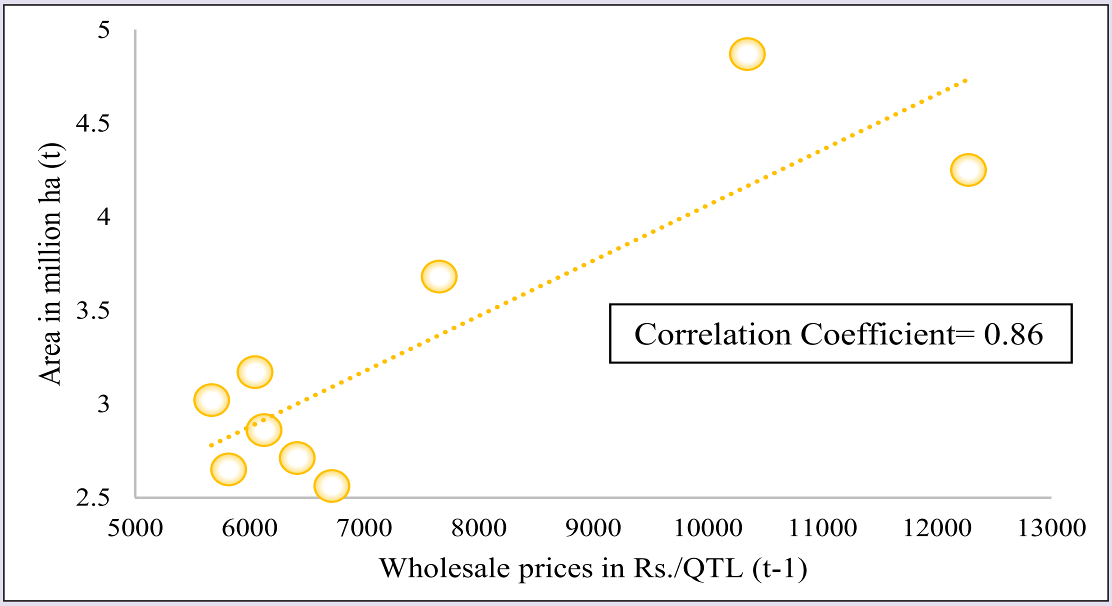

स्रोतः पीएमसी, उपभोक्ता मामले विभाग और कृषि मंत्रालय

अवधि (टी-1) में उड़द के थोक मूल्य और और अवधि टी में बोए गए क्षेत्र के बीच संबंध

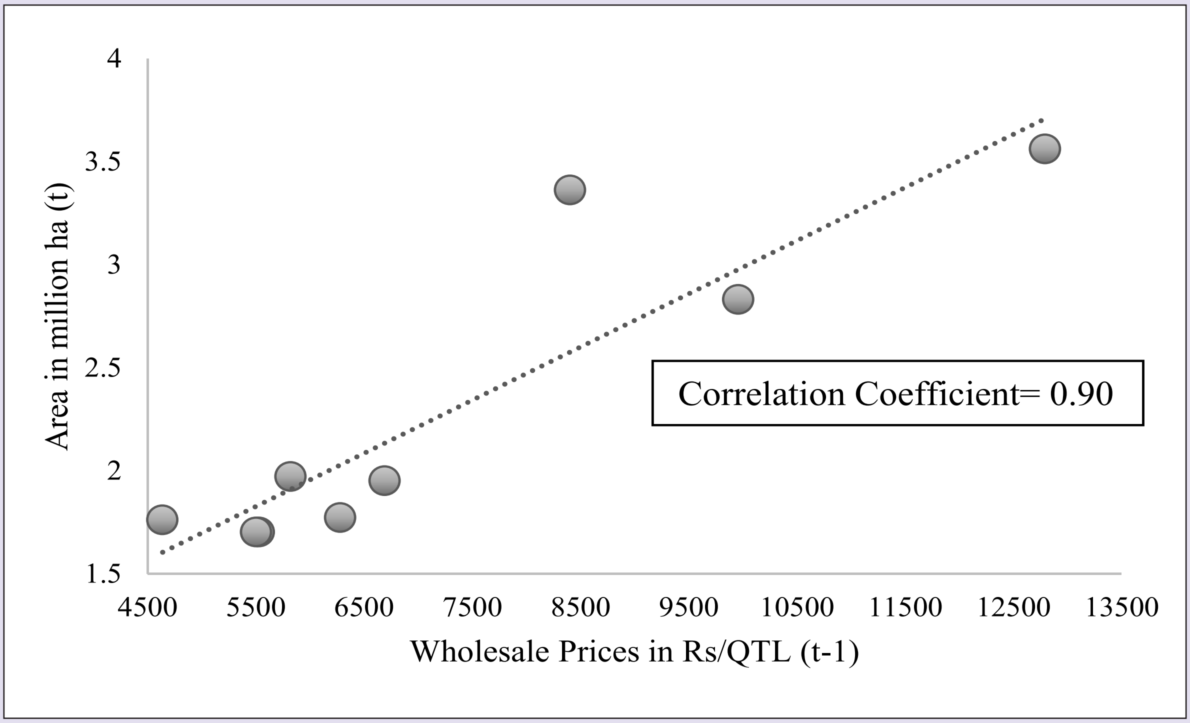

स्रोतः पीएमसी, उपभोक्ता मामले विभाग एवं कृषि, मंत्रालय

अवधि (टी-1) में मुंग के थौक मूल्य और और अवधि टी में बोए गए क्षेत्र के बीच संबंध

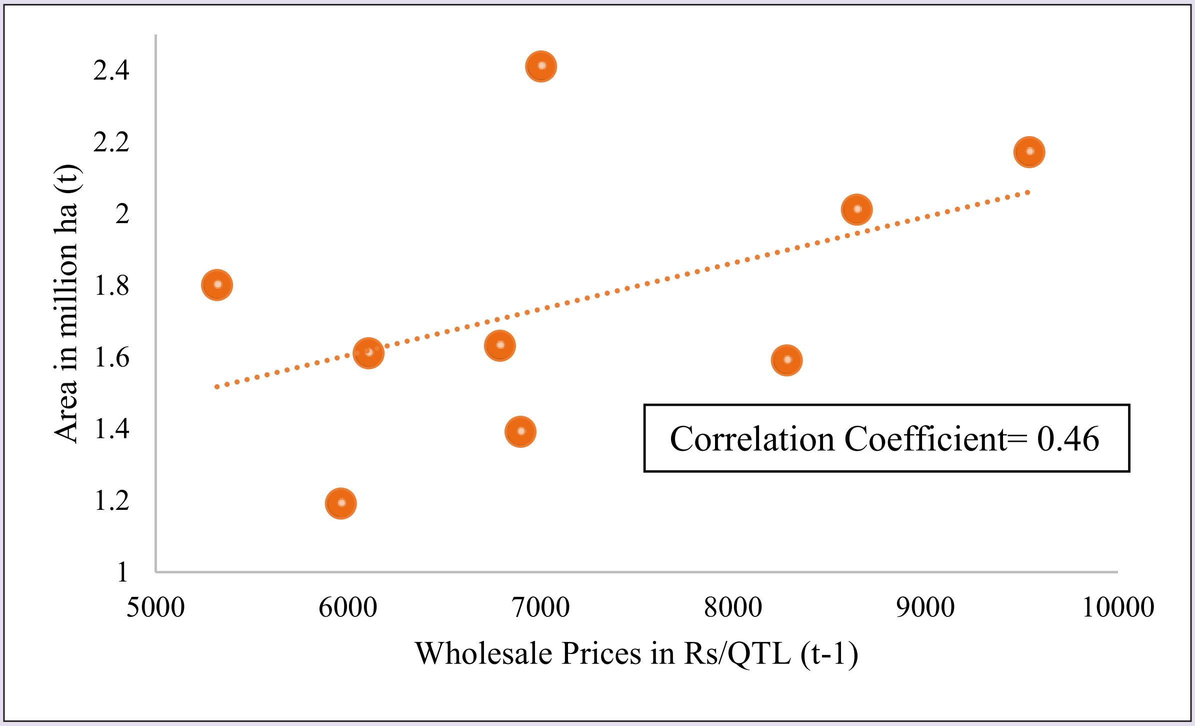

स्रोतः पीएमसी, उपभोक्ता कार्य विभाग और कृषि मंत्रालय

उड़द के संदर्भ में भी धनात्मक संबंध है और सहसंबंध गुणांक 0.90 है। मूँग के लिए भी इसी तरह की सकारात्मक संगति देखी गई थी। तथापि मूंग के मामले में सहसंबंध गुणांक अनुपातिक रूप से 0.46 पर कम रहा।

मकड़तंत्र की स्थिति को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि मौजूदा उपायों के अलावा किसानों द्वारा दलहन को खराब/कीमत आघात से होने से बचाने के लिए तथा सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित उपाय करने होंगे जो इस प्रकार हैं: मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) के तहत दखल, प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना के तहत कवरेज, पी एम-आशा, गोदाम उपलब्ध कराना, परिवहन में सुधार, ई-एनएएम आदि के माध्यम से कीमतों की पड़ताल करना, भारत को दलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए दालों के नि:शुल्क निर्यात को भी प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

शोधों से यह भी पाता चलता है कि सरकारी एजेन्सियों द्वारा खरीद की स्थिति मजबूत करने, बाहरी व्यापार का विस्तार बढ़ाने, मूल्यों के स्तरीकरण, किसानों हेतु यातायात लागतों में कमी करना जिसके लिए उन्हे बेहतर सड़कों और प्रभावशाली बाजार चैनलों से जोड़ा जाएगा ताकि उत्पादन साथ ही साथ दालों की निवल डपलब्धता बढ़ सके और इस प्रकार दालों की आपूर्ति में सुधार लाया जा सके (क्रिसिल, 2017)।

विभिन्न अतिआवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्यों की परिवर्तनशीलता का विश्लेषण

5.27 दो समयावधि अर्थात वर्ष 2009-14 और वर्ष 2014-19 की अवधि के दौरान किया गया था। परिवर्तनशीलता को मापने के लिए विचरण गुणांक का प्रयोग किया गया है। यह आंकड़ों के इसके मध्य बिन्दु से प्रकीर्णन की एक सांख्यिकीय माप करता है। चावल और गेहूं की कीमतें पर्याप्त घरेलू उत्पादन से और खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चावल और गेहूं के पर्याप्त बफर स्टॉक के रख-रखाव के कारण आपूर्ति में वृद्धि होने से वर्ष 2014 तक स्थिर रहीं हैं। परिणामस्वरूप, कीमत में उतार-चढ़ाव चावल और गेहूं के मामले में कम था (चित्र 21)। यह देखा जा सकता है कि समग्र कीमत उतार-चढ़ाव सब्जियों के लिए उच्चतम था और चावल, गेहूं तथा खजूर तेल के लिए सबसे कम था। 2014-2019 के दौरान दाल, चीनी और टमाटर के लिए कीमत उतार-चढ़ाव में महत्वपूर्ण वृद्धि थी।

चित्र 21: विविध आवश्यक कृषि वस्तुओं के परिवर्तन का गुणांक

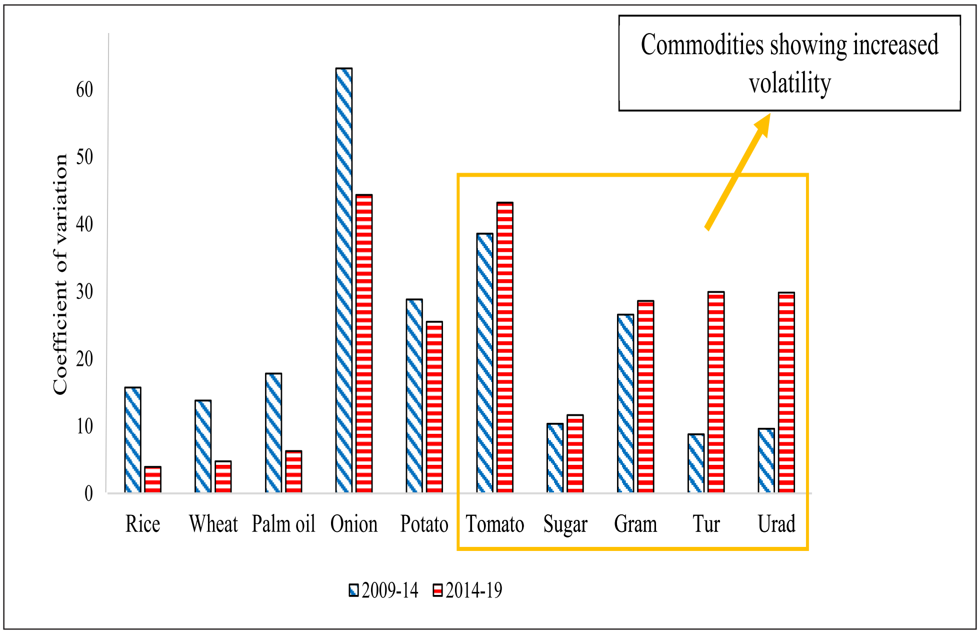

स्त्रोत: पीएमसी, उपभोक्ता मामले विभाग

5.28 वह परिमाण जिस पर उत्पादन और खपत बुरी तरह प्रभावित होती है, कीमत में उतार-चढ़ाव का कारण बनता है, जो कि आपूर्ति और मांग के लोच पर निर्भर करता है। स्टॉक धारण और अटकलबाजी का कीमत परिवर्तनशीलता पर, स्थायीकारी अथवा अस्थायीकारी भारी प्रभाव हो सकते हैं। वस्तुओं की नश्वरता भी कीमत उतार चढ़ाव में वृद्धि करती है। विपणन चैनलों की विद्यमानता, भंडारण सुविधाएं, प्रभावों एम एस पी प्रणाली भी कीमत उतार-चढ़ाव को सीमित करने में मददगार होती है।

कृषि संबंधी आवश्यक वस्तुओं के खुदरा और थोक मूल्यों में अंतर

5.29 विभिन्न आवश्यक वस्तुओं के खुदरा एवं थोक बिक्री मूल्य में वर्ष 2014 से 2019 तक की अवधि के दौरान देश के चार महा नगरों में अंतर देखा गया। प्रति कि.ग्रा. 10 से 15 प्रतिशत का मूल्य वैज, यदि हम बाजार लागतों और मार्जिनों (लाभांश) से इसकी तुलना करें, तो यह बहुत अधिक नहीं है। वर्ष 2019 में कुछ वस्तुओं के ये मार्जिन (लाभांश) अत्यधिक है, और सभी वस्तुओं के मार्जिन दिल्ली और मुंबई में सबसे अधिक है। अरहर के मामले में मार्जिन (लाभांश) दिल्ली में 16 प्रतिशत प्रति कि. ग्रा. और मुम्बई में 14 प्रतिशत प्रति कि. ग्रा. चना के मामले में, दिल्ली में मार्जिन प्रति कि. ग्रा. 28 प्रतिशत और मुंबई के मामले में प्रति कि. ग्रा. लगभग 20 प्रतिशत आता है। (चित्र 23) । मूंगफली तेल के मामले में, थोक बिक्री और खुदरा मूल्यों के बीच मार्जिन दिल्ली में लगभग 15 प्रतिशत था, जबकि कोलकाता और चेन्नई में मार्जिन 5-7 प्रतिशत था। मुंबई में मुंगफली तेल के मामले में मार्जिन सबसे अधिक 26 प्रतिशत था (चित्र 24)। सब्जियों के मामले में, दोनों प्याज और टमाटर के लिए कीमत वैज विश्लेषण किया गया है। दिल्ली एवं मुंबई में विशेष रूप से अधिक है। दिल्ली में यह मूल्य मार्जिन प्याज के लिए 51 प्रतिशत और टमाटर के मामले में यह 59 प्रतिशत था (चित्र 25 और 26) इसका निहितार्थ यह है कि मूल्यों में ऊर्ध्वाधर वृद्धि उन सब्जियों के लिए अधिकतम है जो नष्ट होने के योग्य हैं और इसके बाद दालों के लिए है और खाद्य तेलों के लिए सबसे कम है।

चित्र 22: अरहर के थोक और खुदरा मूल्यों का अनुपात

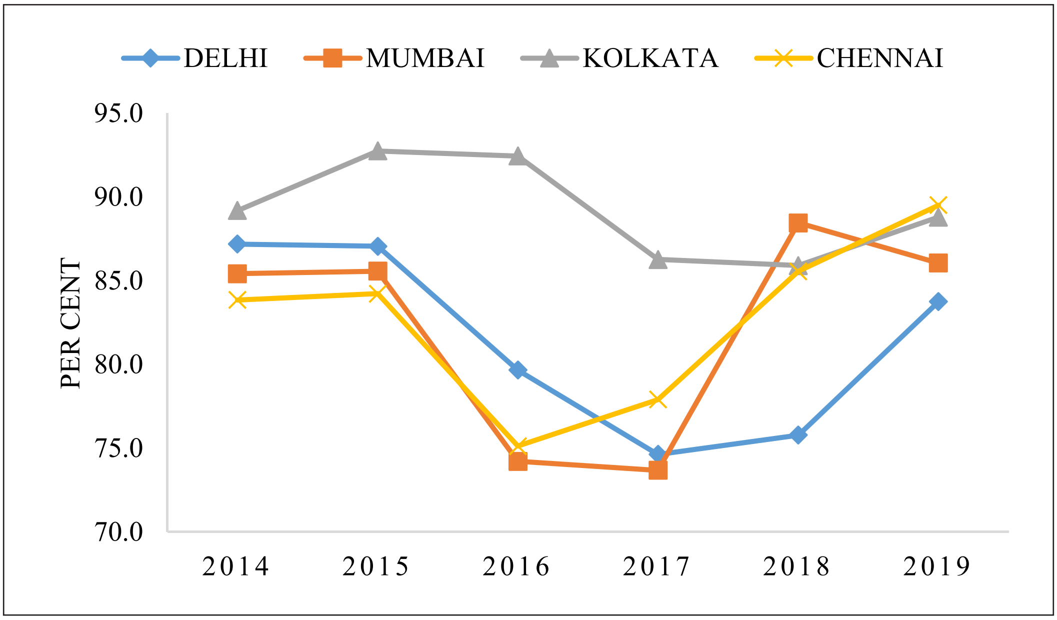

स्रोत: पी एम सी, उपभोक्ता मामले विभाग

2. वैज [1-(प्रति किलोग्राम थोक मूल्य/प्रति किलोग्राम खुदरा मूल्य)]*100

चित्र 23. चना का थोक-खुदरा मूल्य दर अनुपात

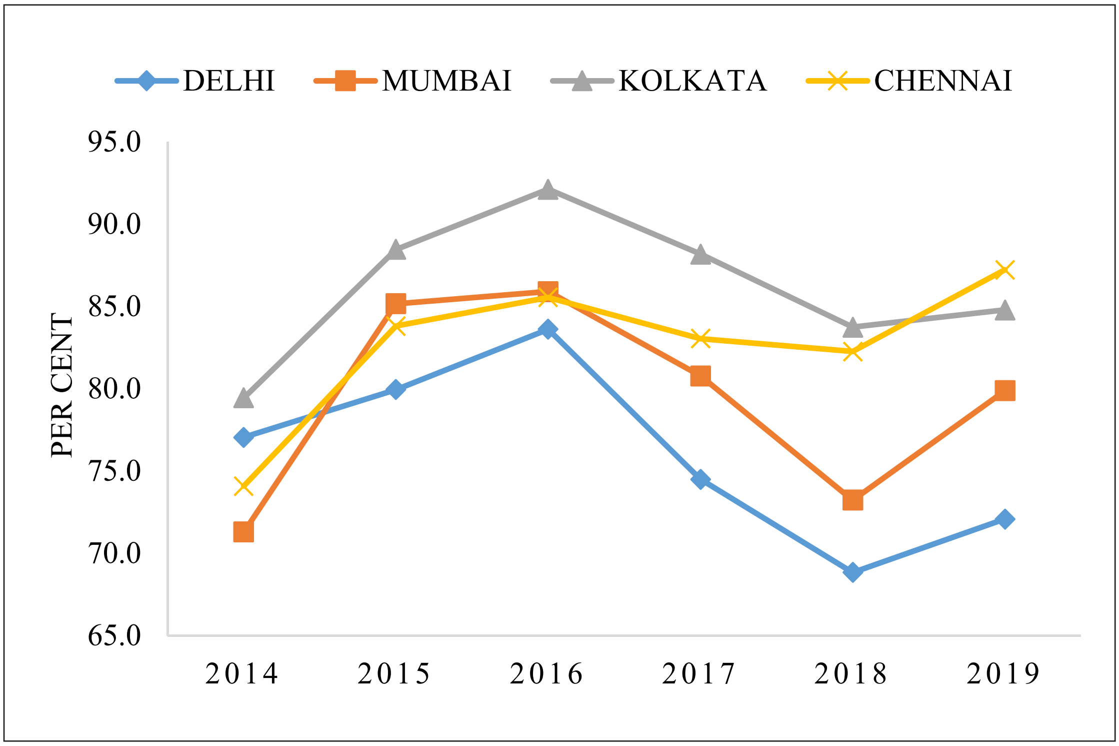

स्रोतः पी एम सी, उपभोक्ता मामले विभाग

चित्र 24. मूंगफली तेल का थोक-खुदरा मूल्य दर अनुपात

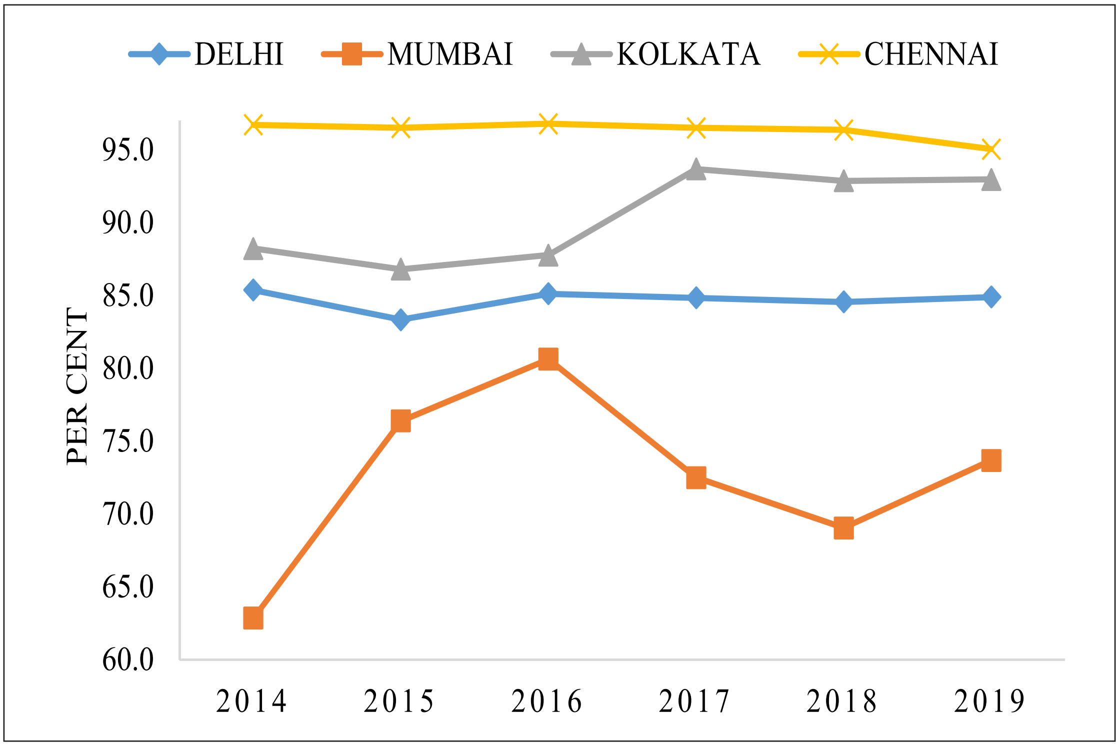

स्रोतः पी एम सी, उपभोक्ता मामले विभाग

चित्र 25. प्याज का थोक-खुदरा मूल्य दर अनुपात

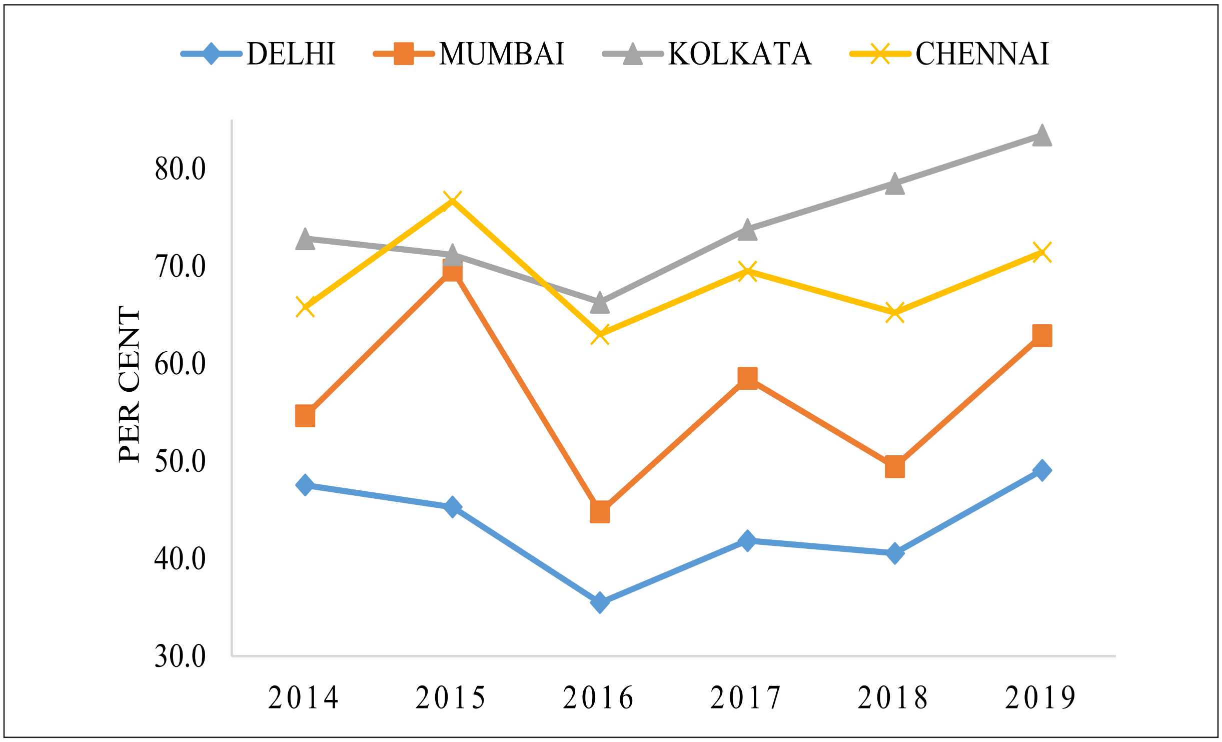

स्रोतः पी एम सी, उपभोक्ता मामले विभाग

चित्र 26. टमाटर का थोक-खुदरा मूल्य दर अनुपात

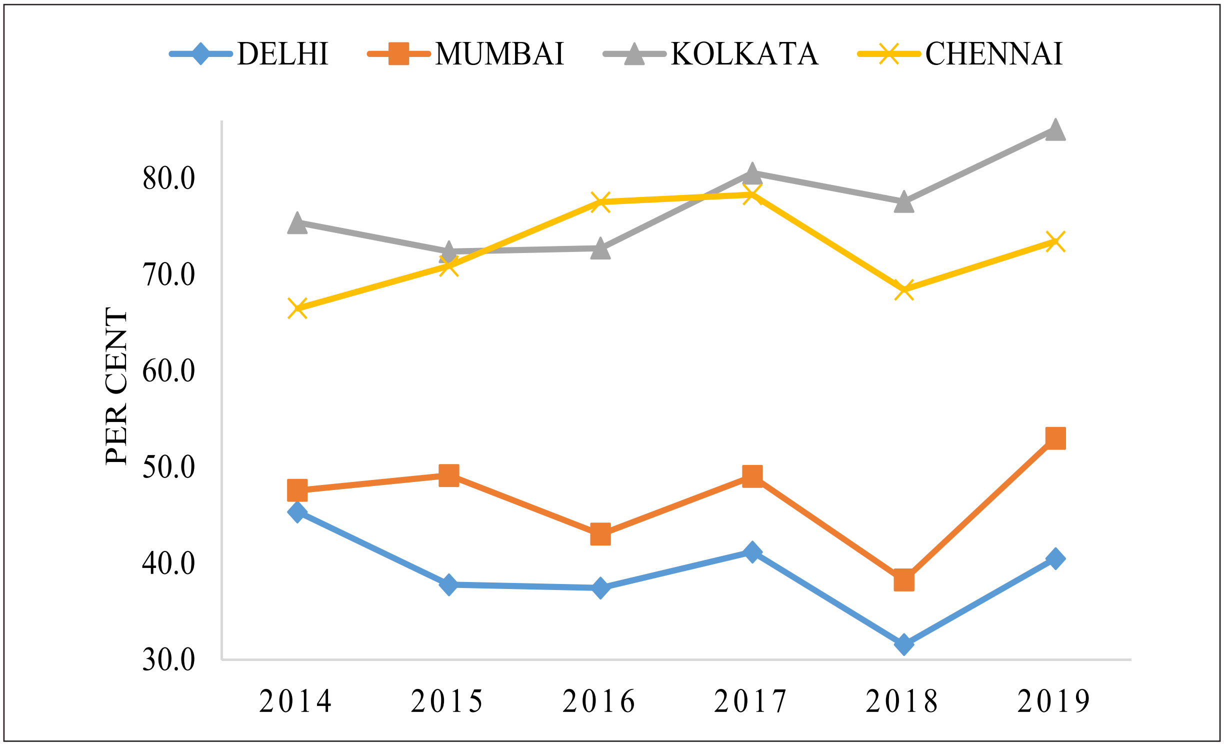

स्रोतः पी एम सी, उपभोक्ता मामले विभाग

5.30 थोक एवं खुदरा मूल्यों के बीच इतने उच्च विस्तार के लिए अनेक कारक जिम्मेदार हैं जिनमें मुख्य रूप से ऊंची लेनदेन लागतों, कमजोर अवसंरचना एवं सूचना प्रणालियों, त्रुटिपूर्ण विपणन व्यवस्था, मध्यस्थों के ऊंचें लांभाश, मध्यवर्तियों (बिचौलियों) की बड़ी संख्या में मौजूदगी, इत्यादि को सम्मिलित किया जा सकता है। यह एक तथ्य है कि देश के उत्तरी राज्यों में लेनदेन संबंधी लागते अन्य राज्यों की तुलना में उच्च हैं। (शर्मा और प्रमोद, 2001) विभिन्न राज्यों में बाजार संरचना भी भिन्न-भिन्न रूपों में है। यदि व्यापारियों के बीच पर्याप्त सीमा तक प्रतियोगिता हो तो प्राइस-वेज अधिक उच्च नहीं होगा। वहीं दूसरी और, यदि व्यापारियों के बीच साठ-गांठ हो जाए तो प्राइस-वेज में अधिक उच्चता होगी। इसका एक अन्य कारण थोक से खुदरा और खुदरा से थोक कीमतों के कीमत संबंधी संकेतों के आदान-प्रदान में असंगति का हो सकता है और ऐसा मध्यवर्तियों की कार्रवाइयों के कारण हो सकता है। इसलिए, इस प्राइस-वेज को कम करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि बाजार की रुकावटों को तथा प्रणाली में लेनदेन लागतों को बढ़ाने वाली संरचनात्मक सख्तियों को हटाया जाए।

क्या महंगाई की गति में कोई बदलाव रहा है?

5.31 जैसा कि पूर्ववर्ती पैरा 5.3 में चर्चा की गई है, वर्ष 2012-13 के दौरान महंगाई के उच्च स्तरों को देखने के बाद, सीपीआई-सी मूल्यवृद्धि वर्ष 2013-14 में नीचे आई तथा वर्ष 2014-15 और उसके बाद इसमें तेजी से गिरावट हुई। हाल के वर्षों में मुद्रास्फीति (मूल्यावृद्धि) की गिरावट की वजह से यह प्रश्न उठता है कि क्या मुद्रास्फीति प्रक्रिया में कोई बदलाव है? चित्र 27 में, वर्ष 2012-13 से 2019-20 (अप्रैल-नवंबर) की अवधियों के संबंध में सीपीआई-सी सीरीज के लिए वित्त वर्ष-वार बॉक्स-प्लॉट[2] दर्शाए गए है। इस अविध के दौरान मुद्रास्फीति (मूल्यवृद्धि) के औसत स्तरों में पर्याप्त गिरावट हुई है। न केवल मुद्रास्फीति के औसत स्तरों में गिरावट हुई है बल्कि वित्त वर्ष के दौरान मुद्रास्फीति के चरम स्तर भी अब काफी नीचे हैं।

चित्र 27: वर्ष 2012-13 से 2019-20* सीपीआई-सी मूल्यवृद्धि का वितरण

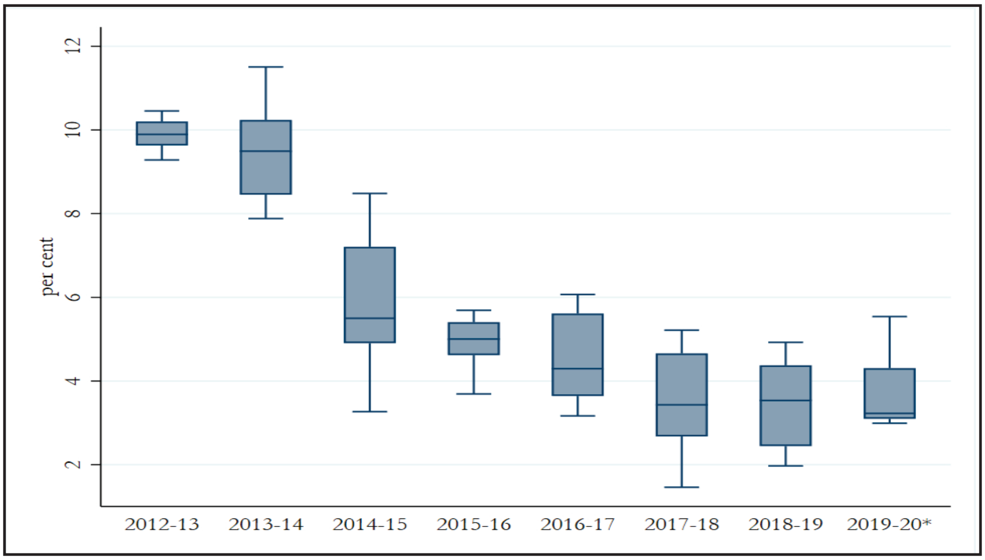

स्रोतः परिकलन सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से प्राप्त सीपीआई-सी आंकड़ों पर आधारित

टिप्पणी*: वर्ष 2019-20 अप्रैल-नवंबर, 2019 की अवधि के संगत है।

2 बॉक्स एवं व्हिस्कर प्लॉट हमें किसी वितरण की विशेषताओं का अध्ययन करने में सहायक होते है। बॉक्स उस अंतर-चतुर्थक विस्तार को दर्शाता है जोकि वितरण पर 75वें बिंदु हैं। बॉक्स में क्षैतिज रेखा वितरण की माध्यिका का संकेत करती है तथा व्हिस्कर ऐसी रेखाएं है जो बॉक्स से अधिकतम और न्यूनतम मानों तक जाती है।

5.32 सामान्यत: ऐसा विश्वास किया जाता है कि भारत में खाद्य तथा ईंधन महंगाई के जोरदार द्वितीयक प्रभाव पडें हैं जिनके कारण घरेलू मुद्रास्फीति (महंगाई) संबंधी पूर्वानुमान बने रहे हैं। इससे मूल मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है और इसीलिए हेडलाइन मुद्रास्फीति (महंगाई) पर प्रभाव बने रहते हैं (आनंद एवं अन्य, 2014; राज एवं मिश्रा, 2011)। खाद्य तथा ईंधन महंगाई के अतिरिक्त प्रभावों की उपस्थिति की जांच करने का एक तरीका उस तेजी का अवलोकन करना है जिसके कारण हेडलाइन मुद्रास्फीति (महंगाई) खाद्य या ईंधन की कीमतों में किसी आघात के बाद मूल मुद्रास्फीति में रूपांतरित हो जाती है। यदि हेडलाइन मुद्रास्फीति एक सम्यक् अल्प समयावधि के भीतर मूल मुद्रास्फीति की ओर पूर्णत: अपनी पुरानी स्थिति में नहीं लौटती है तो यह जोरदार द्वितीयक प्रभावों का संकेत हो सकता है। शीर्ष मुद्रास्फीति का मूल मुद्रास्फीति में प्रत्यावर्तन किसी स्फीति-लक्षक फ्रेमवर्क की दिशा में मौद्रिक नीति के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त निहितार्थ रखता है। जोरदार द्वितीयक प्रभावों से युक्त किसी अर्थव्यवस्था में, खाद्य या ईंधन की कीमतों में किसी आघात की स्थिति में, मौद्रिक नीति को, किसी ऐसी अर्थव्यवस्था की तुलना में जहां ऐसे प्रभाव न्यूनतम होते हैं, अधिक सख्त किया जाना आवश्यक हो सकता है।

5.33 हेडलाइन मुद्रास्फीति के मूल मुद्रस्फीति में रूपांतरण के संबंध में हम देखते हैं कि वर्ष 2012 से सीपीआई-सी आंकड़ों के अनुसार हेडलाइन मुद्रास्फीति का मूल मुद्रास्फीति में रूपांतरण हो रहा है। हम जनवरी, 2012 और नवंबर, 2019 के बीच, मासिक सीपीआई-सी मुद्रास्फीति आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं। हेडलाइन मुद्रास्फीति के मूल मुद्रास्फीति में प्रत्यावर्तन के लिए हम सामान्य रूप से प्रयुक्त निम्नलिखित समीकरण का प्राक्कलन करते हैं-

$$\pi_t^{Headline} - \pi_{t-12}^{Headline} = \alpha_1 + \beta_1(\pi_{t-12}^{Headline} - \pi_{t-12}^{Core}) + e_t$$

where, $\pi_t^{Headline}$ is the headline CPI-C inflation at time point *t*, $\pi_{t-12}^{Headline}$ is the headline CPI-C inflation 12 months prior to *t* and π_{t-12}^{Core} is the core inflation 12 months prior to *t*.

5.34 ये परिणाम (तालिका 6 और चित्र 28) संकेत करते हैं कि विचारित अवधि में हेडलाइन मुद्रास्फीति के मूल मुद्रास्फीति में दृढ़ प्रत्यावर्तन का प्रमाण मौजूद है। इस अवधि के लिए प्रतिगमन का ढाल गुणात्मक है और -1 के निकट है, जो 12 माह की अवधि के भीतर, हेडलाइन मुद्रास्फीति के मूल मुद्रास्फीति में पूर्ण रूपांतरण का संकेत है। मूल मुद्रास्फीति के हेडलाइन मुद्रास्फीति में प्रत्यावर्तन के बारे में किए गए परीक्षण के अंतर्गत समान प्रतिगमन के लिए समान प्रमाण उपलब्ध नहीं होते (तालिका 6)। इसका अभिप्राय यह है कि गैर-मूल अवयवों से मूल अवयवों पर पड़ने वाले द्वितीयक प्रभाव न्यूनतम हैं। इससे खाद्य और ईंधन की कीमत संबंधी आघात के लिए मौद्रिक नीति की प्रतिक्रिया के लिए निहितार्थ हो सकते हैं: मौद्रिक नीति को गैर-प्रमुख घटकों में अल्पकालिक,

तालिका 6: सीपीआई-सी हेडलाइन मुद्रास्फीति के मूल मुद्रास्फीति में प्रत्यावर्तन का परीक्षण

जनवरी, 2012 से नवंबर, 2019 आश्रित चर:: $\pi_t^{Headline} - \pi_{t-12}^{Headline}$			
	ढाल गुणांक	संख्याओं के लिए पी-मान	R^2
$\pi_{t-12}^{Headline} - \pi_{t-12}^{Core}$	-0.96***	0.000	0.47
आश्रित चर: $\pi_t^{Core} - \pi_{t-12}^{Core}$			
$\pi_{t-12}^{Headline} - \pi_{t-12}^{Core}$	-0.045	0.6865	0.002

*** p<0.01, ** p<0.05.

चित्र 28: सीपीआई-सी हेडलाइन मुद्रास्फीति का मूल मुद्रास्फीति में प्रत्यावर्तन

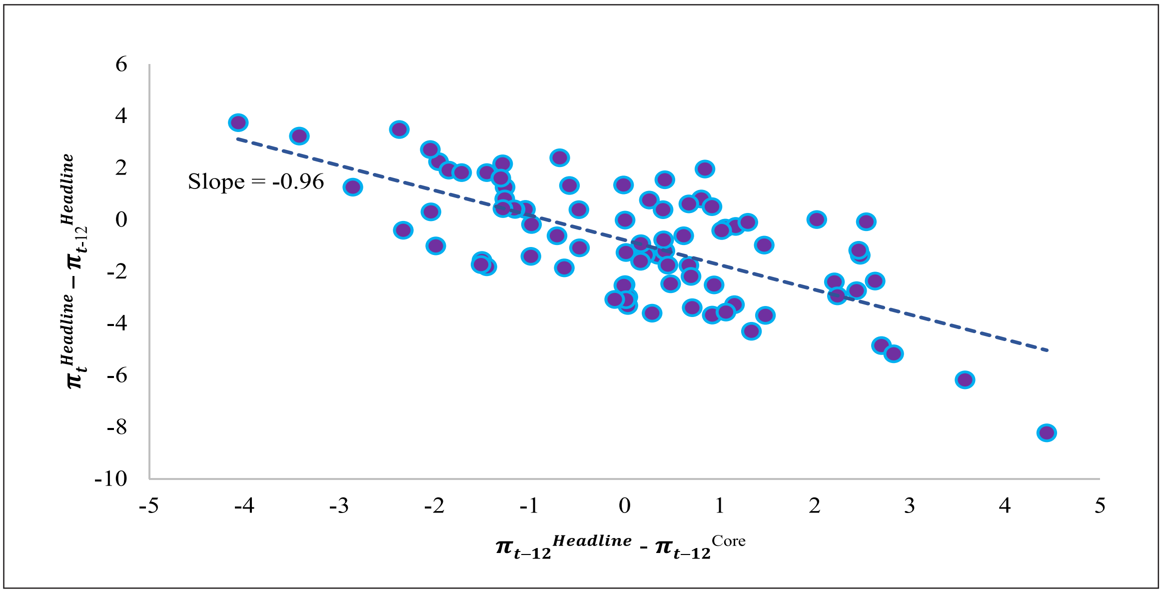

स्रोत: जनवरी, 2012 - नवंबर, 2019 की अवधि के लिए सीपीआई-सी आंकड़ों पर आधारित परिकलन

बीच-बीच में लगने वाले झटकों के मद्देनजर ज्यादा सख्त बनाने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, भारत में उपभोकताओं की उपयोग मदों के अंतर्गत खाद्य एवं ईंधन को अधिक महत्त्व तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि न केवल आपूर्ति पक्ष के कारक बल्कि मांग पक्ष की ओर से पड़ने वाले दबाव भी खाद्य और ईंधन संबंधी मूल्यवृद्धि (मुद्रास्फीति) के लिए महत्त्वपूर्ण होते हैं, मौद्रिक नीति संबंधी निर्णयों के लिए हेडलाइन मुद्रास्फीति पर ध्यान केंद्रित किया जाए।

5.35 भारत में मुद्रास्फीति की बदलती गतिकी में संभवतः दो मुख्य कारकों का योगदान है। प्रथम, हम पाते हैं कि विचारित अवधि के दौरान खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट की प्रकृति देखी गई है (चित्र 29)। मुद्रास्फीति में यह

चित्र 29: उपभोक्ता खाद्य मूल्यवृद्धि (मुद्रास्फीति)

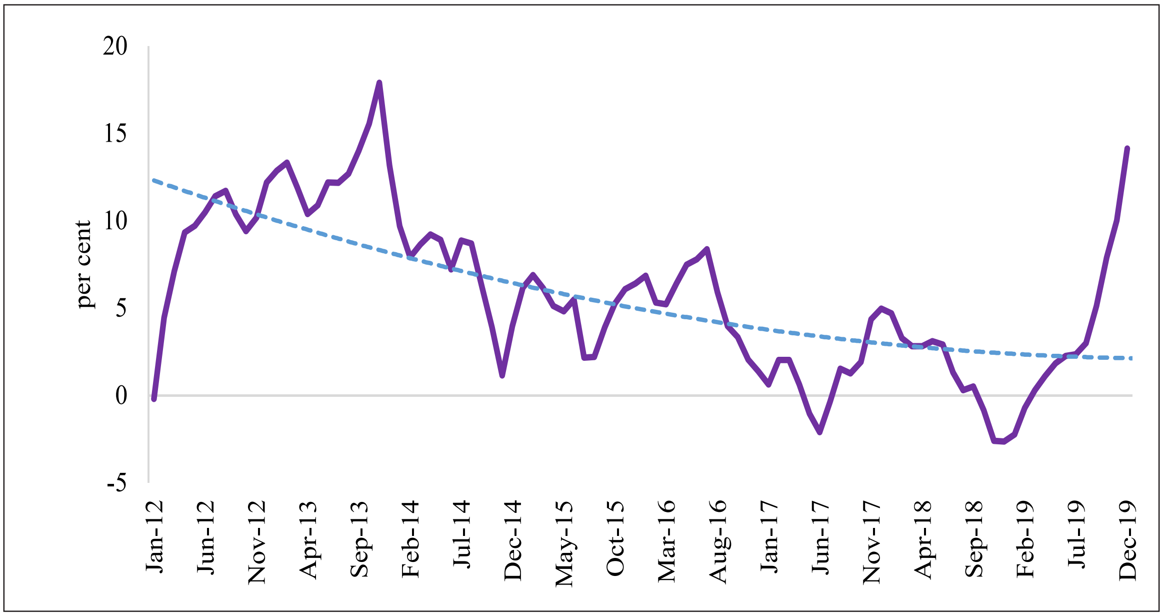

स्रोत: एन एस ओ

गिरावट खाद्य समूह की अधिकांश श्रेणियों में देखी गई है जिनमें उच्च भारांक वाली मदें, जैसे कि अनाज और इनके उत्पाद, फल, सब्जियां, दालें और इनके उत्पाद, भी शामिल हैं। दूसरे मुद्रास्फीति अपेक्षायें वर्ष 2015 से ही गिरावट दर्शाते हैं (चित्र 30) ऐसा अंशतः, मुद्रास्फीति संबंधी अपेक्षाओं को थामने में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अंगीकृत मौद्रिक नीति के मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण उपागम की सफलता के कारण हो सकता है। वहीं दूसरी ओर, घरेलू वस्तुओं की मुद्रास्फीति प्रतयाशाएं प्रायः खाद्य मुद्रास्फीति के आस-पास बनी रहती है। हो सकता है कि समग्र घरेलू मदों की मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं में कमी इस अवधि के दौरान खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट के प्रभावस्वरूप आई हो। यह इस तथ्य से भी परिलक्षित होता है कि उन घरेलू मदों का अनुपात, जिनके संबंध में एक वर्ष आगे के लिए खाद्य उत्पादों की कीमतों में वृद्धि की प्रत्याशा की गई, उसमें सितंबर, 2013 और

चित्र 30: घरेलू मदों का मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण

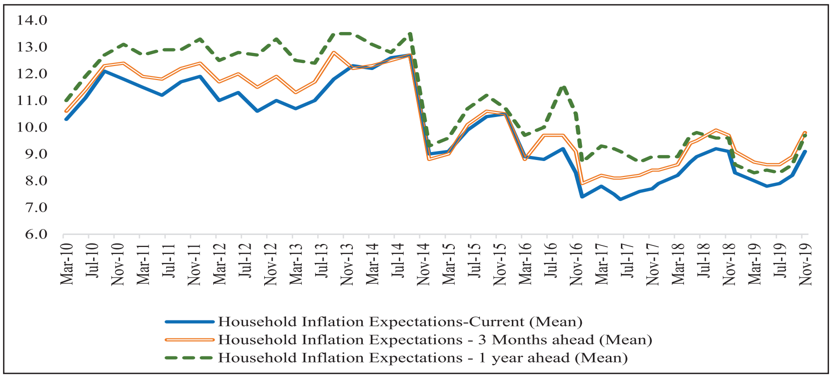

स्रोतः भारतीय रिजर्व बैंक

नवंबर, 2019 के बीच लगातार गिरावट हुई है।

वैश्विक वस्तु कीमतों में वैश्विक रुझान

5.36 विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित कीमतों के अनुसार, ऊर्जा पण्यवस्तु कीमतों ने वर्ष 2019-20 (अप्रैल-नवंबर) में गिरावट की प्रवृत्ति दर्शाई है। इनमें, वर्ष 2018-19 (अप्रैल-नवंबर) में 35.5 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2019-20 (अप्रैल-नवंबर में (-) 16.8 प्रतिशत की औसत मुद्रास्फीति दर्ज की गई)। खाद्य कीमतों के संदर्भ में, अवस्फीति की प्रवृत्ति जारी रही, जिसके अनुसार मुद्रास्फीति की दर वर्ष 2018-19 (अप्रैल-नवंबर) में 0.3 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2019-20 (अप्रैल-नवंबर)

चित्र 37: वैश्विक स्तर पर वस्तुओं की किमतों में मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति (जन. 2019 - नव. 2019)

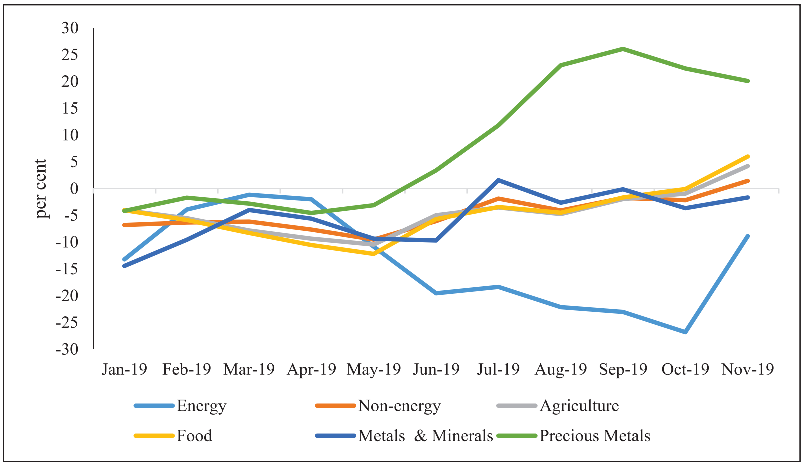

स्रोतः विश्व बैंक

में (–) 4.3 प्रतिशत रही। धातु एवं खनिज सूचकांक में भी अवस्फीति की प्रवृत्ति देखी गई है, जो वर्ष के दौरान वैश्विक स्तर पर लगातार धीमे आर्थिक परिदृश्य का संकेत देता है

आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि को रोकने के उपाय

5.37 सरकार ने आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों को स्थिर रखने हेतु समय-समय पर विभिन्न उपाय किए हैं, जिनमें व्यापार और राजकोषीय नीति तन्त्रों का प्रयोग जैसे आयात शुल्क, न्यूनतम निर्यात मूल्य, निर्यात प्रतिबंध, स्टॉक सीमाओं को लागू करना तथा जमाखोरों और कालाबाजारियों आदि के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के संबंध में राज्यों को परामर्श साथ ही साथ सरकार उत्पादन वृद्धि हेतु समर्थन मूल्यों की घोषणा करके किसानों को प्रोत्साहन प्रदान कर रही है और ऐसी योजनाएं अमल में ला रही है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ उचित उपायों के माध्यम से उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना है। इन योजनाओं में बागवानी के एकीकृत विकास संबंधी मिशन (एमआईडीएच) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन एफ एस एम), राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल पाम संबंधी मिशन (एनएमओओपी) आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार दाल, प्याज और आलू जैसी कृषि-बागवानी समूह की वस्तुओं की कीमतों में कमी और अस्थिरता को संभालने हेतु 'मूल्य स्थिरीकरण निधि' (पी एस एफ) का कार्यान्वयन भी कर रही है। वर्ष 2019-20 के दौरान अगस्त, 2019 से प्याज की कीमतों में वृद्धि देखी गई है, और स्थिति को सामान्य बनाने हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित कई उपाय किए गए हैं:–

- वर्ष 2019-20 के दौरान, महाराष्ट्र (48183.5 मीट्रिक टन) तथा गुजरात (9,189.4 मीट्रिक टन) से खरीद के माध्यम से मूल्य स्थिरीकरण निधि (पीएसएफ) के तहत 57,372.90 मी.ट. प्याज का सुरक्षित भंडार तैयार किया गया हैं। जो कि विभिन्न राज्य सरकारों को वितरित किया गया और अन्य एजेंसियों को खुली निविदा के माध्यम से मंडियों में बेचा गया।

- कीमत एवं उपलब्धता की स्थिति में सुधार हेतु हरियाणा, केरल, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों को हानि-लाभ रहित आधार पर प्याज की आपूर्ति की गई है। जुलाई से अक्तूबर 2019 के दौरान से दिल्ली एनसीआर में मदर डेयरी, एनसीसीएफ, एनएएफईडी और दिल्ली सरकार के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के माध्यम से सीधे खुदरा मूल्य पर बफर स्टॉक की आपूर्ति की गई थी ताकि उचित मूल्य पर प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

- भारत से व्यापारिक निर्यात योजना (एम ई आई एस) के अंतर्गत प्याज निर्यातकों के लाभ की व्यवस्था को दिनांक 11.06.2019 की अधिसूचना के माध्यम से वापस ले लिया गया हैं।

- दि. 13 सितम्बर 2019 को ब्याज पर 850 डॉलर/एम टी का नयूनतम् निर्यात मूल्य (एम ई पी) आरोपित किया गया और तदनुसार उसके लगातार बढ़ते कीमतो को इेखते हुए सरकार ने 29 सितम्बर 2019 को डसके निर्यात पर राक लगा दी।

- सरकार ने 29 सितंबर, 2019 को प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत पूरे देश में व्यापारियों के लिए स्टॉक सीमा-खुदरा व्यापारियों के लिए 100 क्विंटल और थोक व्यापारियों के लिए 500 क्विंटल निर्धारित कर दिया है। जो कि बाद में परिवर्तित करके स्टाक सीमा खुदरा व्यापारियों के लिये 20 क्विंटल और थोक व्यापारियों के लिये 250 क्विंटल कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने राज्य सरकारों से जमाखोरी, सट्टा व्यापार तथा मुनाफाखोरी, उत्पादक संघ (कार्टेलिंग) आदि जैसे अनुचित एवं अवैध व्यापार कार्यों को रोकने हेतु प्याज निर्यातकों के साथ राज्य तथा जिला स्तर पर नियमित रूप से बैठकें आयोजित करने का अनुरोध किया है।

- सुगंधीकरण शर्तों में ढ़ील देकर और भड़ारण सीमाओं से आयातकर्ताओं के छूट देकर प्याज के निजी आयातों को सुकर बनाया गया।

- सरकार ने एमएमटीसी के द्वारा प्याज का अन्य देशों जैसे मिस्र और टर्की से आयात किया और नाफेड को राजस्थान, महाराष्ट्र से अतिरिक्त प्याज का क्रय करने और घाटे वाले राज्यों में वितरित करने का निर्देश दिया था।

निष्कर्ष:

5.38 कुल मिलाकर, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान डब्ल्यू पी आई मुद्रास्फीति कम रही, वहीं सी. पी. आई-सी मुद्रास्फीति में मामूली वृद्धि देखी गई, जो मुख्य रूप से खाद्य कीमतों से प्रेरित थी। कृषि

वस्तुओं में आपूर्ति पक्ष के झटके जैसे कि अनियमित बारिश के कारण इन वस्तुओं की कीमतों में अचानक वृद्धि हुई। सरकार वस्तुओं में बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए आवश्यक उपाय कर रही है। दलहन के अलावा अधिकांश आवश्यक कृषि वस्तुओं के मूल्यों में मुद्रास्फीति में अस्थिरता भी समय के साथ कम हो गई है। हालाँकि, एक प्रमुख मुद्दा जो अभी भी बना हुआ है, वह है प्याज और टमाटर जैसी कुछ वस्तुओं के खुदरा और थोक मूल्यों के बीच अत्यधिक अंतर होना है। विभिन्न केंद्रों में प्याज और टमाटर जैसी कुछ वस्तुओं के खुदरा और थोक मूल्यों के बीच भिन्नता के कई कारण हैं जिसमें बड़ी संख्या में बिचौलिए और उच्च परिवहन लागत प्रमुख हैं। राज्य स्तर पर मुद्रास्फीति के आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए, राज्यों में मुद्रास्फीति में भिन्नता देखने को मिलती है। इसी प्रत्येक राज्य के भीतर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बीच भी मुद्रास्पीति में एक विचलन पाया जाता हैं। समय के साथ ही मुद्रास्फीति की गतिशीलता में बदलाव आया है। मौजूदा अवधि में शीर्ष मुद्रास्फीति का मूल मुद्रास्फीति में जोरदार प्रत्यावर्तन होने के प्रमाण हैं। भविष्य में मुद्रास्फीति की संभाावना और मुद्रास्फीति की गतिशीलता महत्वपूर्ण रूप से समग्र सूक्ष्म आर्थिक परिदृश्य के साथ-साथ कुछ कृषि वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के लगाम लगाने पर निर्भर करती है।

अध्याय: एक नजर में

- 2018-19 (अप्रैल से दिसंबर, 2018) में 3.7% की तुलना में 2019-20 (अप्रैल से दिसंबर, 2019) में हेडर्लाइन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति 4.1% थी।
- 2019-20 के दौरान, डब्ल्यू पी आई आधारित मुद्रास्फीति अप्रैल 2019 में 3.2 प्रतिशत से घटकर नवंबर, और दिसम्बर 2019 में 2.6% रही है।
- खाद्य सूचकांक जिसमें 2017-18 और 2018-19 के बीच वार्षिक आधार पर गिरावट आई, चालू वित्त वर्ष (अप्रैल-दिसंबर, 2019) के दौरान तजी देखी गई।
- जुलाई 2018 के बाद से सीपीआई शहरी क्षेत्र मुद्रास्फीति, सीपीआई ग्रामीण क्षेत्र मुद्रास्फीति, सीपीआई ग्रामीण क्षेत्र मुद्रास्फीति से लगातार उपर रही है जो कि पिछले रुझानों के विपरित है जिसमें ग्रामीण मुद्रास्फीति, शहरी मुद्रास्फीति से ऊंची रहती थी।
-
- 2019-20 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान, खाद्य और पेय पदार्थ सीपीआई-सी मुद्रास्फीति के मुख्य योगदानकर्ता के रूप में उभरे और इस अवधि के दौरान कुल मुद्रास्फीति के 54% के लिए उक्त खाद्य एवं पेय पदार्थ जिम्मेदार है।
- देश के चार महानगरों में विभिन्न आवश्यक वस्तुओं में खुदरा इतने वर्षो के थोक मूल्यो से पृथक जा रहे है। वर्ष 2012 से ही मुद्रास्फीति की गति में बदलाव आया है। शीर्ष मुद्रास्फीति का मूल मुद्रास्फीति में जोरदार प्रत्यावर्तन होने के प्रमाण हैं। तथपि गैर मुख्य घटकों तक मुद्रा स्फीति का अंतरण न्यूनतम है। अत: मुद्रास्फीति के गैर-मुख्य घटकों में बदलाव के साथ आते झटकों के प्रति मौद्रिक नीति की अनुक्रिया ना करने की स्थिति बन सकती हैं।
- वित्त वर्ष 2019-20 (अप्रैल-दिसम्बर) में पन्द्रह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यू टी) में मुद्रास्फीति 4 प्रतिशत से नीचे थी। वित्त वर्ष 2019-20 (अप्रैल-दिसम्बर) में वित्त वर्ष 2018-19 (अप्रैल-दिसम्बर) की तुलना में वास्तविक मुद्रास्फीति आठ राज्यों में घटी है।
- मुद्रास्फीति प्रत्याशा घटी है जो कि यह दर्शाता है कि लक्ष्यात्मक मुद्रास्फीति तन्त्र ने अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं को प्रभावित करना शुरू कर दियाा है।

संदर्भ

आयोग, नीति, 2018, ''स्ट्रेटेजी फॉर न्यू इण्डिया''।

आनन्द आर. डिंग डी. तुलिन वी. 2014। फूड इनफ्लेशन इन इण्डिया: *रोल ऑफ मोनेटरी पालिसी*। आईएमएफ।

क्रिसिल 2017।'' पलसैस एण्ड रिदम्स: अनैलाइजिंग वोलेटिलिटि, साइक्लिकेलिटी एण्ड कॉबवैब फिनोमेनन इन प्राइसैस'' *Http://www.crisil.com.*

ढोलकिया, कडियाला, 2018 ''*चेन्जिंग डयनैमिक्स ऑफ इंफ्लेशन इन इंण्डिया*'' इकॉनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली वाल्यूम स्प्प्प् संख्या 9

आईएमएफ, 2019 वल्ड इकानॉमिक आउटलुक

कुण्ड; सुजाता, 2018 *रूरल वेज डायनैमिक्स इन इण्डिया*; वाट रोल डज इनफ्लेशन प्ले: रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया वर्किंग पेपर

राज जे. मिश्रा एण्ड एस, 2011 ''मेजर्स ऑफ कोर इंफ्लेशन इन इण्डिया एन इम्पिरिकल इवेलुएशन।'' *रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया वर्किंग पेपर सिरीज नं. 16/2011*

शर्मा अनिल, प्रमोद कुमार, 2001 *एन एनैगिलिसिस ऑफ दि प्राइस बिहेवियर ऑफ सेलेक्टेड कमोडिटीज*। प्लानिंग कमिशन

विश्व बैंक, 2019'' इनफ्लेशन इन इमर्जि एण्ड डेवलपिंग इकॉनॉमीज, ड्राईवर और पालिसीज *http://www.worldbank.org/inflash*

संधारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन

06
अध्याय

संधारणीय विकास लक्ष्य (एसडीजी), सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय असमानताओं से मुक्त एक संधारणीय भविष्य प्राप्त कराने हेतु तथा एतदद्वारा भावी पीढ़ियों के लिए एक अधिक हरी-भरी और स्वास्थ्यप्रद पृथ्वी सुनिश्चित करने हेतु विकास संबंधी चुनातियों से निपटने के लिए एक सुव्यवस्थित ढांचा तैयार करते हैं। समग्र एसडीजी इंडेक्स में भारत की उपलब्धि प्रशंसनीय है जिसमें भारत का प्राप्तांक वर्ष 2018 में 57 से सुधरकर वर्ष 2019 में 60 हो गया है। स्कीमों की एक व्यापक व्यूहरचना के कार्यान्वयन द्वारा इन एसडीजी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए साकल्यवादी दृष्टिकोण के अनुसरण के साथ संधरणीय विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के अंगीकरण, कार्यान्वयन और निगरानी में भारत की प्रगति उल्लेखनीय है। एसडीजी संकेतक संबद्ध रिपोर्टिंग मॉनीटरिंग ढांचे ने भारत के विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नेक्सस एप्रोच के अन्वेषण में सहायता की है। संधारणीय विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में, विभिन्न स्कीमों की शुरुआत के साथ, भारत आर्थिक विकास की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। भारत विश्व के उन चुनिंदा देशों में से एक है जहां वन एवं वृक्षाच्छादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है। वन एवं वृक्ष आच्छादन 80.73 मिलियन हेक्टेयर पर पहुंच गया है। जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.56 प्रतिशत है। संधारणीयता को अधिक फोकस में लाने के लिए व्यक्तिगत एवं संस्थागत क्षमता निर्माण, ज्ञान के त्वरण और प्रौद्योगिक हस्तांतरण एवं विकास, वित्तीय तंत्र में सामर्थ्यनिर्माण, पूर्व-सचेतक प्रणालियों के कार्यान्वयन, जोखिम प्रबंधन के व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन एवं अपस्कोलिंग के अंतर को पाटने की दिशा में अनेक कार्यों को अमल में लाया जाना आवश्यक है। इन निष्पक्ष एवं उचित विषयों पर अनेक बहुपक्षीय वार्ताओं में चर्चा की गई है परंतु, बहुधा इनका समाधान नहीं हो पाया है। संधारणीय विकास उपलब्ध कराने और जलवायु परिवर्तन के समाधान के वैश्विक एजेंडे को तभी पूरा किया जा सकता है जब विकसित विश्व द्वारा विकासशील देशों की कार्यान्वयन के साधनों की कमी को पूर्ति करते हुए, समस्त राष्ट्र अपने-अपने हिस्से की जिम्मेदारी का समयक् रूप से निर्वाह करें। इसलिए, वर्धित महत्वाकांक्षों और वर्धित सहयोग के स्तर समान होने चाहिएं।

परिचय

6.1 वर्ष 2019 में संधारणीय विकास हेतु एजेंडा-2030 और पेरिस करार को अपनाने के चार वर्ष पूरे हो गए। ग्रामीण परिवारों का विद्युतीकरण, नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग संवर्धन, कुपोषण निवारण, गरीबी उन्मूलन, सभी बालिकाओं के लिए प्राथमिक शिक्षा की उपलब्धता, सबके लिए स्वच्छता एवं आवासन, वैश्विक श्रम बाजार में स्पर्धा के लिए युवाओं का कौशल विकास, वित्त एवं वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने की क्षमता का विकास जैसी अपनी नीतियों में प्रतिष्ठापित समावेशी विकास हेतु सुविचारित पहलों के माध्यम से भारत 'संधारणीयता' के तत्व को आर्थिक विकास से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। संधारणीय विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में भारत के प्रयास वैश्विक स्तर पर इनकी सफलता में सहयोग करेंगे। भारत संधारणीय विकास लक्ष्यों के

कार्यान्वयन के पथ पर आगे बढ़ रहा है। भारत विश्व के उन गिने-चुने देशों में है जहां, विकास कार्यों के रहते-रहते, वन एवं वृक्ष आच्छादन में पर्याप्त वृद्धि हो रही है। अन्य कुछ उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं से तुलना करने से पता चलता है कि भारत में वनाच्छादन में धनात्मक वृद्धि हो रही है। इसके साथ-साथ, जलवायु परिवर्तन के समाधान के लिए भारत द्वारा की जाने वाली सतत् कार्रवाइयों द्वारा बड़े-बड़े फासले तय करने में इसकी सहायता की है जो वर्ष 2005-2014 के दौरान भारत के जीडीपी की उत्सर्जन सघनता को 21 प्रतिशत कम करके प्रयासों में भी परिलक्षित होती है। चूंकि भारत सतत् प्रगति के पथ पर अग्रसर है अत: संधारणीय विकास कार्यान्वयन और जलवायु परिवर्तन समाधान के वैश्विक एजेंडे को केवल तभी कार्यान्वित किया जा सकता है जब विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को वित्तीय आबद्धता की कमीपूर्ति के साथ-साथ समस्त राष्ट्र अपने हिस्से की जिम्मेदारी के सम्यक, निर्वाह के लिए अपेक्षित तत्परता का प्रदर्शन करें।

भारत और संधारणीय विकास लक्ष्य (एसडीजी)

6.2 स्कीमों की एक व्यापक व्यूहरचना के कार्यान्वयन द्वारा भारत संधारणीय विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक समग्रतामूलक अवधारणा का अनुसरण करता है। संधारणीय विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की दिशा में की गई प्रगति का आकलन एसडीजी इंडिया इंडेक्स-2019 द्वारा किया गया है। वर्ष 2018 की एसडीजी इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट के प्रमुख पहलुओं पर पूर्ववर्ती आर्थिक समीक्षा 2018-19, खंड II, अध्याय 5 में विस्तार से चर्चा की गई है। प्रथम संस्करण द्वारा राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की प्रगति का मापन 13 लक्ष्यों से संबंधित 62 संकेतकों के एक समूह के आधार पर किया गया जबकि 2019 इंडेक्स अधिक व्यापक है और 16 लक्ष्यों से संबंधित 100 संकेतकों के एक वृहत्तर समूह के आधार पर, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा की जा रही प्रगति को रेखांकित करता है। यह इंडेक्स एसडीजी लक्ष्य-17 पर गुणात्मक आकलन को भी समाविष्ट करता है। इसके अतिरिक्त, इस वर्ष एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2019 रिपोर्ट में राज्यों/संघ राजयक्षेत्रों के प्रोफाइलों पर एक नया अनुभाग भी शामिल किया गया है।

6.3 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों का श्रेणी निर्धारण 16 एसडीजी लक्ष्यों के अंतर्गत इनके सम्पूर्ण कार्य निष्पादन के आधार पर किया जाता है। एसडीजी प्राप्तांक 0 से 100 तक की सीमा में होते हैं। 100 अंकों के प्राप्तांक का अभिप्राय है कि ऐसे राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने वर्ष 2030 के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं; 0 प्राप्तांक का अभिप्राय है कि संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र तालिका में सबसे नीचे है। 65 या उससे अधिक प्राप्तांक वाले राज्य फ्रंट-रनर (हरे रंग में) जाने जाते हैं; इसी प्रकार 50-64 प्राप्तांक श्रेणी वाले राज्यों (पीले रंग में) को निष्पादनशील तथा 50 से कम प्राप्तांक वालों (लाल रंग में) को आकांक्षी माना जाता है। एसडीजी इंडेक्स के अनुसार, केरल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, सिक्किम, चंडीगढ़ और पुडुचेरी फ्रंट-रनर के रूप में हैं (चित्र-1)। यह उल्लेखनीय है कि कोई भी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र वर्ष 2019 में आकांक्षी की श्रेणी में नहीं है।

6.4 समग्र रूप में, यह नोट करना उत्साहजनक है कि भारत के लिए समग्र प्राप्तांक वर्ष 2018 में 57 से सुधरकर वर्ष 2019 में 60 हो गया है जो संकेत है कि देश ने एसडीजी लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में अपनी यात्रा में प्रभावी प्रगति की है। लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में यह धनात्मक छलांग, पांच लक्ष्यों, यथा-6 (स्वच्छ जल स्वच्छता), 7 (वहनीय एवं स्वच्छ ऊर्जा), 9 (उद्योग, नवीकरणीय और अवसंरचना), 15 (भूमि पर जीवन) और 16 (शांति, न्याय और सामाजिक संस्थाएं), के अंतर्गत प्रशंसनीय देशव्यापी कार्यनिष्पादन द्वारा व्यापक रूप से प्रेरित है, जहां भारत ने 65 और 99 के बीच अंक हासिल किए हैं। जिन लक्ष्यों पर अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है उनमें, लक्ष्य 2 (भूख को शून्य पर लाना) और 5 (लैंगिक समानता) शामिल हैं, जिनके संबंध में देश का समग्र प्राप्तांक 50 से नीचे है। समग्र रूप में देश का प्राप्तांक 50 और 64 के बीच है जो आगामी वर्षों में सुधार के लिए गुंजाइश का संकेत करता है।

मानचित्र 1: इंडिया एसडीजी इंडेक्स 2018 - 2019

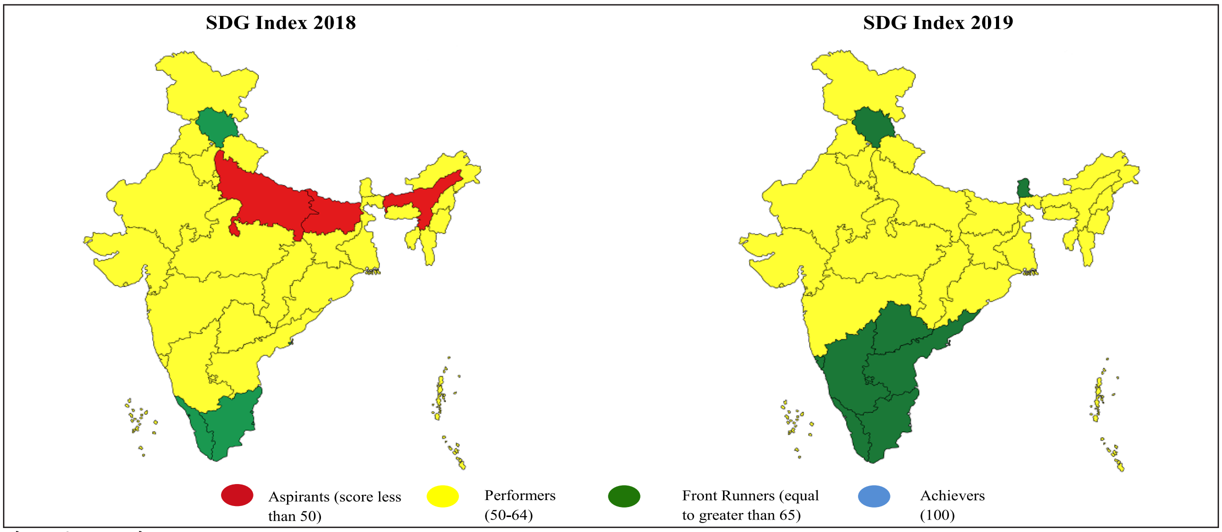

स्रोत: नीति आयोग

एस डी जी नेक्सस: एक निदर्शी उपागम

6.5 संधारणीय विकास लक्ष्यों और प्रयोजनों में आपस में अंतर सबंध होता है। लक्ष्य आधारित दृष्टिकोण नीतियों के सुदृढीकरण और इसके कार्यान्वन में मदद कर सकता है। संधारणीय विकास लक्ष्यों को अपनाते हुए सरकार का लक्ष्य संधारणीय विकास लक्ष्यों से संबंधित संकेतों के साथ अपनी विकास की प्राथमिकताओं को सुदृढ़ करना है। संधारणीय विकास लक्ष्यों के बीच अंतर संबंध होता है और नीतियों के सुदृढीकरण में इसका जबर्दस्त प्रभाव होता है। हालांकि इस एप्रोच को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। 'नेक्सस' एप्रोच क्षेत्रों और पैमानों पर प्रबंधन और शासन को एकीकृत करने के अवधारण पर ज़ोर देता है। यह व्यक्तिगत घटकों या अल्पालिक परिणामों के बजाय पूरी व्यवस्था के आत्मावलोकन की आवश्यकता पर बल देता है; अन्य क्षेत्रों से अंतर-संबंधित फीडबैक को देखने; और दुर्लभ संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा को कम करते हुए क्षेत्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है। इस दृष्टिकोण में विभिन्न सामाजिक-परिस्थितिकीय प्रक्रियाओं को मान्यता दी गई है जो कि अंतर-संबंधित हैं, और कुछ निश्चित संसाधनों पर पूर्व में डाले गए दबाव पुन: बढ़ सकते हैं जिससे अन्य 'नेक्सस' सेक्टर की गतिविधियों की मांग के कारण गंभीर दीर्घकालिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसमें स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर संस्थानों में वृहतर सहयोग की आवश्यकता होती है। इस एप्रोच का लक्ष्य पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक सीमाओं के बीच संतुलन हासिल करना है। इसके साथ ही साथ इस एप्रोच का लक्ष्य लोगों के हितों का भी ध्यान रखना है। भारत में इस मूल अवधारणा का पालन करने के लिए, संधारणीय विकास लक्ष्यों को एक माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता है जो विभिन्न क्षेत्रों और विषयगत क्षेत्रों के परस्पर जुड़ाव की अनुमति देता है। चूंकि कुछ संधारणीय विकास लक्ष्य एक दूसरे के साथ परस्पर जुड़े हुए हैं, अत: लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विकसित और संरेखित की गई नीतियों के जरिए लक्ष्यों को प्राप्त करने पर अवश्य ही विचार किया जाना चाहिए और इन अंतर्संबंध को चिन्हित कर बारी-बारी से संभावित लेन-देन (ट्रेड-ऑफ) की पहचान करनी चाहिए जो लक्ष्य के तहत प्रयोजन की भौतिक उपलब्धि को सीमित कर सकते हैं।

चुनिंदा क्षेत्रों में नेक्सस के उदाहरण

शिक्षा एवं विद्युत का संबंध (नेक्सस)

6.6 विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के संबंध में बिजली बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं का एक अहम हिस्सा है। यह देखा गया है कि बिजली की सहायता से, विद्यालयों की आधुनिक तरीकों और शिक्षण की तकनीकों तक पहुंच से छात्रों के समग्र विकास में मदद मिलती है और अधिगम के प्रति उनका आकर्षण बढ़ता है (यूएनडीईएसए, 2014)। सूचना और संचार

प्रौद्योगिकियों (आई सी टी) से संबंधित प्रणालियों तक पहुंच और विद्यालयों में कंप्यूटर की शिक्षा प्रदान करने के लिए भरोसेमंद बिजली कनेक्शन की आवश्यकता होती है। तब यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार अपने सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के तहत आमतौर पर विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण और भरोसेमंद बिजली की सुविधाएं क्यों प्रदान करती है। विश्व स्तर पर यह देखा गया है कि गैर-विद्युतीकृत विद्यालयों की तुलना में विद्युतीकृत विद्यालयों में कर्मचारी टिके रहते हैं और छात्रों द्वारा अध्ययन को बीच में छोड़कर जाने (ड्राप-आउट) की समस्या ना के बराबर होती है और विद्युतीकृत विद्यालयों में अन्य शैक्षिक संकेतक भी बेहतर स्थिति में होते हैं। यह देखा गया है कि कम साक्षरता दर वाले राज्यों के विद्यालयों में कम बिजली दर है। (चित्र 1ए और 1बी)

चित्र 1(ए): विद्यालयों में विद्युत दर एवं साक्षरता दर में संबंध (समस्त) राज्यों में)

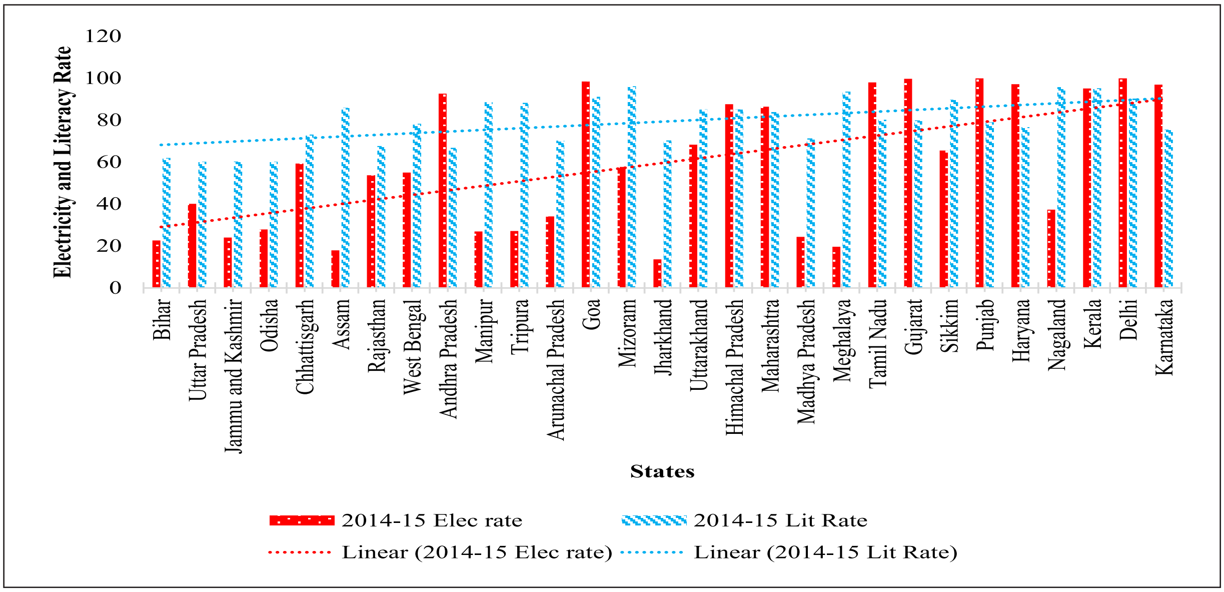

स्रोत: विद्युत दर के लिए डीआईएसई डेटाबेस, साक्षरता दर के लिए एनएसएसओ

* विद्युत दर = विद्युतीकृत विद्यालयों की संख्या/निर्मित किए जा रहे विद्यालयों की संख्या (वर्ष विशेष में)

चित्र संख्या 1(बी): विद्यालयों में विद्युत दर और साक्षरता दर का संबंध (समस्त राज्यों) में

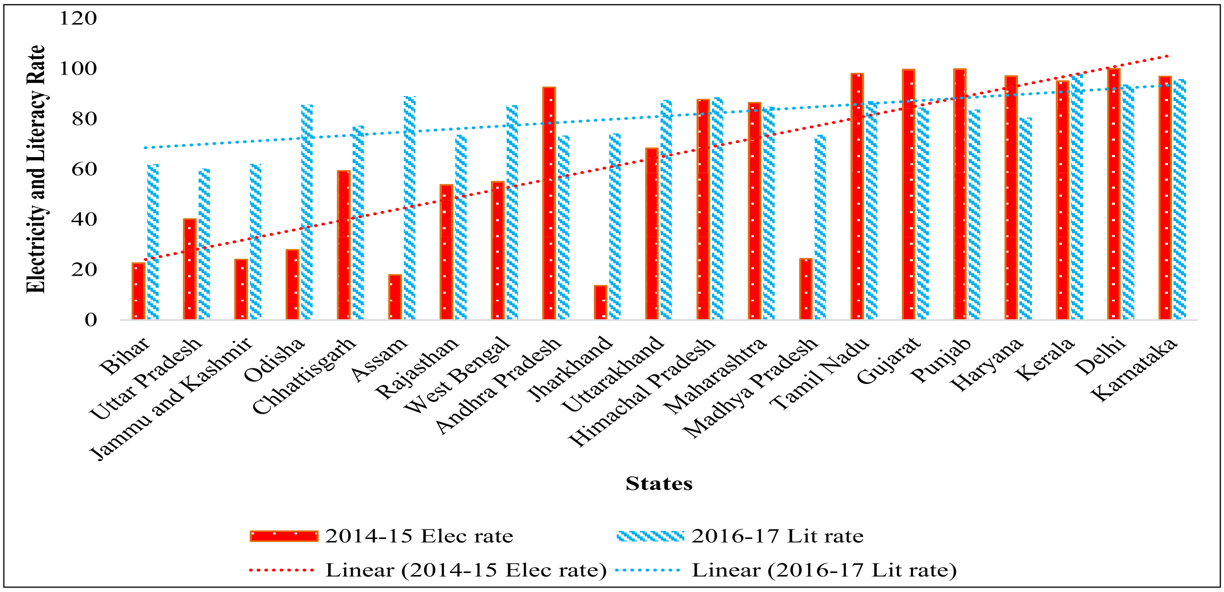

स्रोत: विद्युत दर के लिए डीआईएसई डेटाबेस, साक्षरता दर के लिए एनएसएसओ

6.7 चित्र 2, 3, तथा 4, क्रमशः कम, मध्म मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) वाले चुनिंदा राज्यों के लिए निवल नामांकन अनुपात (एनईआर) और स्कूलों के विद्युतीकरण के बीच का अभिबंध दर्शाते हैं। निम्न और उच्च एचडीआर राज्यों में, एनईआर और बिजली की दर, वर्ष 2014 से 2017 के दौरान सकारात्मक प्रवृत्ति दर्शाती है। मध्यम एचडीआई राज्यों के मामले में, कोई निर्णायक प्रवृत्ति नहीं देखी गई है। क्योंकि समान समयावधि के दौरान उच्च और निम्न एचडी राज्यों की तुलना में बनाए जा रहे स्कूलों की संख्या के अनुपात में विद्युतीकृत स्कूल के विकास की दर इतनी अधिक नहीं है।

चित्र 2: भारत में चयनित राज्यों के लिए एनईआर और बिजली दर में संबंध

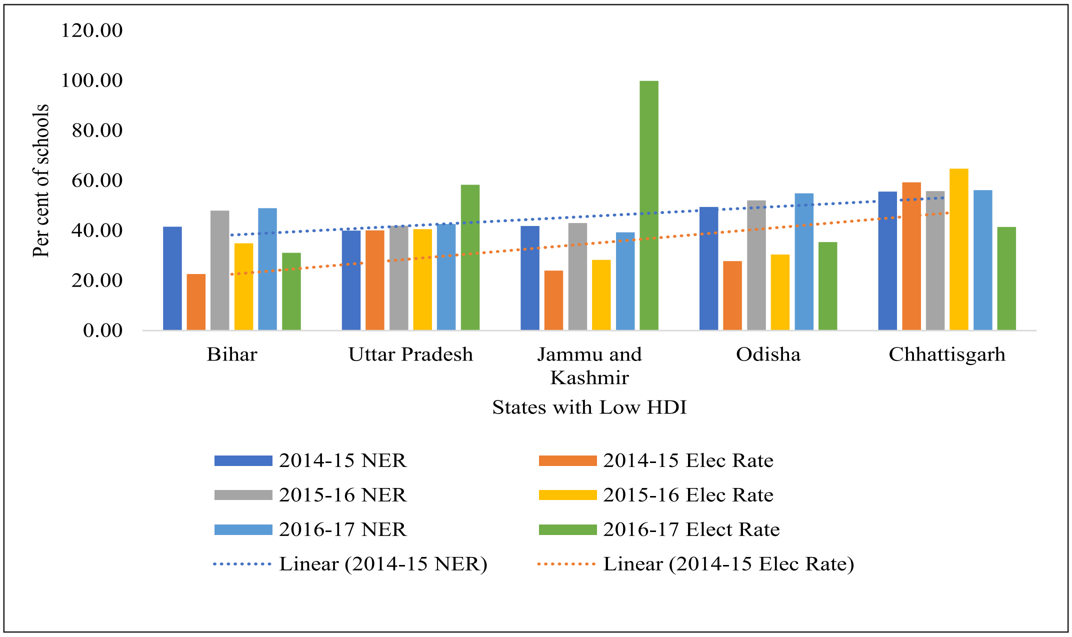

स्रात: डीआईएसई डेटाबेस

चित्र 3: भारत में चयनित राज्यों के लिए एनईआर और बिजली दर में संबंध

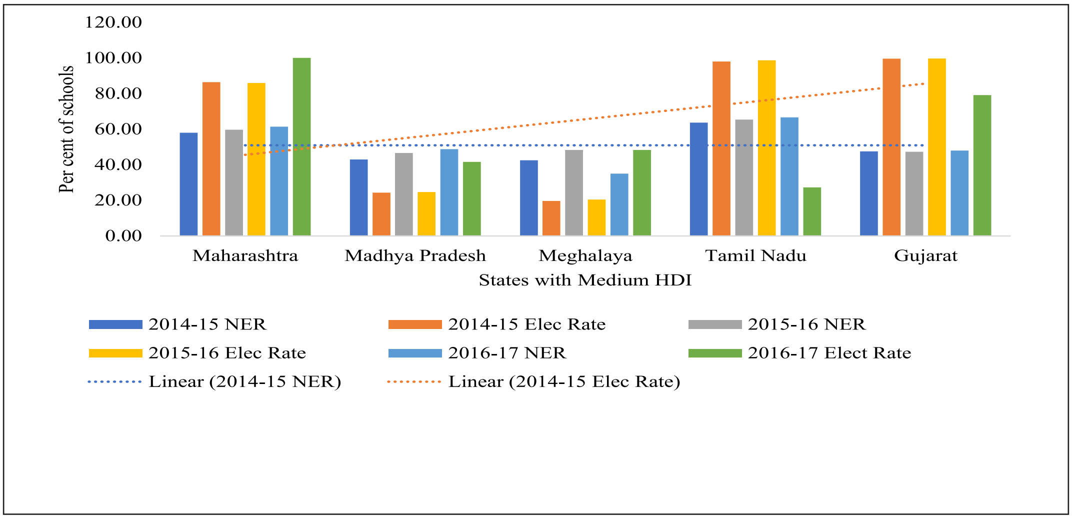

स्रात: डीआईएसई डेटाबेस

चित्र 4: भारत में चयनित राज्यों के लिए एनईआर और बिजली दर में संबंध

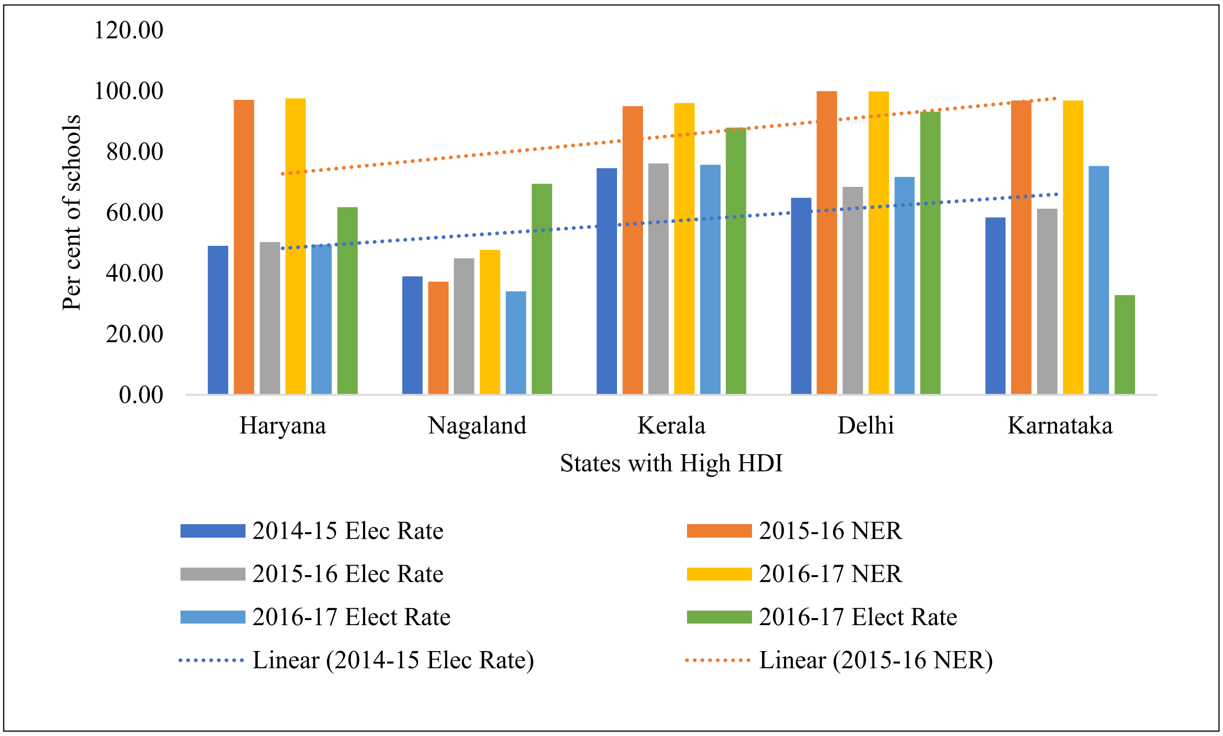

स्रोत: डीआईईएसई डेटाबेस

स्वास्थ्य और ऊर्जा संबंध

6.8 बहुत सी स्वास्थ्य सुधार योजनाएं-बाल चिकित्सा देखभाल, आपातकालीन सेवाएं और सफल टीकाकरण प्रदान करना स्वास्थ्य केंद्रों में बिजली की उपलब्धता पर बहुत अधिक निर्भर करती है। एसडीजी लक्ष्य के तहत संकेतकों के बढ़ते महत्व के साथ, यह महत्वपूर्ण है कि स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों पर विश्वसनीय विद्युत कनेक्शन प्रदान किए जाएं। जैसा कि देखा गया है, देश बिजली की खपत और शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) में गिरावट के बीच सकारात्मक संबंध है (चित्र 5)।

चित्र 5: स्वास्थ्य और ऊर्जा संबंध

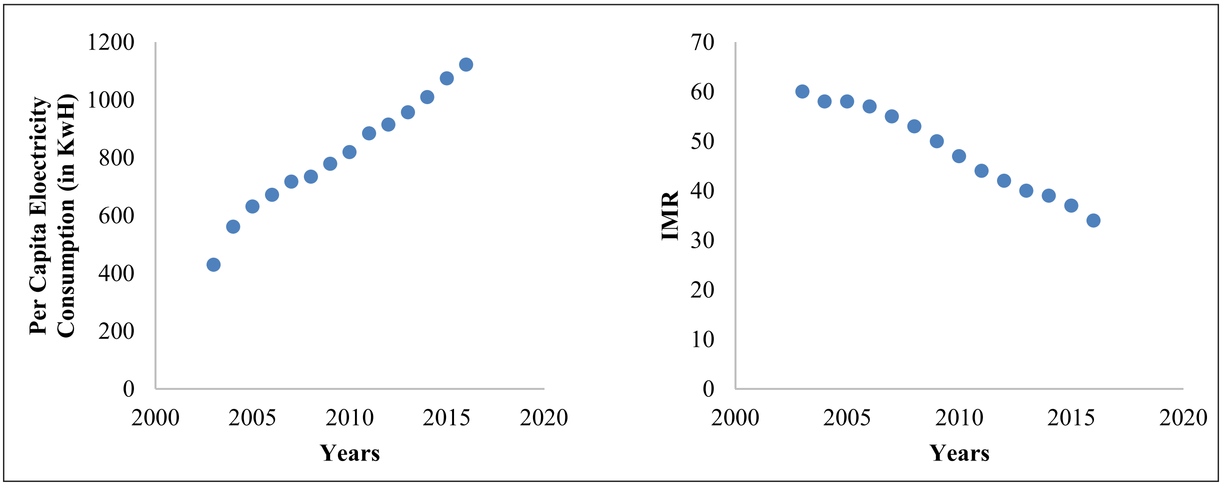

स्रोत: विद्युत खपत: सीईए विभिन्न वर्ष, आईएमआर नीति आयोग विभिन्न वर्ष

जलवायु परिवर्तन

6.9 भारत ने देश की विकासात्मक आवश्यकताओं/अनिवार्यताओं को ध्यान में रखते हुए पेरिस समझौते के तहत ''सर्वश्रेष्ठ प्रयास के आधार'' पर अपना राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी प्रस्तुत किया। अपने एनडीसी में, भारत ने वर्ष 2005 की तुलना में वर्ष 2030 तक अपनी जीडीपी में उत्सर्जन की तीव्रता के स्तर को 33 से 35% कम करने; वर्ष 2030 तक कुल बिजली उत्पादन स्थापित क्षमता का 40%, गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करने तथा इसके वन एवं वृक्ष आच्छादन को बढ़ाकर 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन-डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए कार्बन सिंक के निर्माण का वादा किया है। पेरिस समझौते को वर्ष 2020 के बाद की अवधि में पेरिस समझौते की कार्य-योजना के तहत अपनाए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप लागू किया जाना है।

6.10 भारत ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि यह एक ऐसे विकास पथ पर अग्रसर रहे जो संधारणीय विकास करता है और अपने एनडीसी से जुड़ी विभिन्न योजनाओं में निवेश करके पर्यावरण की रक्षा करता है, जैसे स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन आदि। आर्थिक वास्तविकताओं के बावजूद, भारत की शमन रणनीतियों ने स्वच्छ और प्रभावशाली ऊर्जा प्रणाली, शोधित ऊर्जा दक्षता, लचीला शहरी बुनियादी ढांचा, सुरक्षित, स्मार्ट और संधारणीय हरित परिवहन नेटवर्क, नियोजित वनीकरण, साथ ही साथ सभी क्षेत्रों में समग्र भागीदारी पर जोर दिया है। स्वच्छ भारत मिशन (शहरी को वर्ष 2014 में, समग्र पर्यावरणीय संधार हासिल करने की दृष्टि से (1) 100% वैज्ञानिक ठोस कचरा/अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने और (2) शहरी भारत को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) बनाने के दोहरे उद्देश्यों के साथ शुरू किया गया था। पांच वर्षों की अवधि में, मिशन ने

चित्र 6: भारत की राष्ट्रीय जीएचजी इंवैंट्री (2014)* (गीगाग्राम)

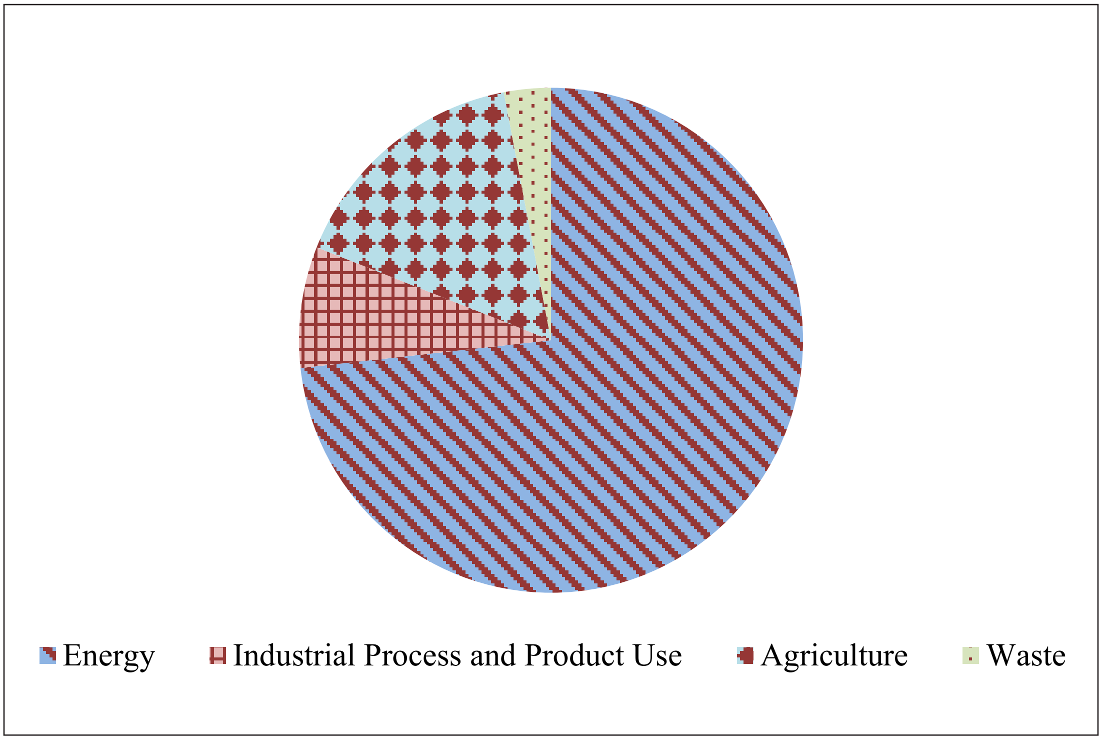

स्रोत: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

1 गीगाग्राम (Gg)=10^9 ग्राम; ग्रीनहाउस गैसें, कार्बनडाइऑक्साइड के समतुल्य (CO_2 CO_2eq.) की संबंद्ध वैश्विक ऊष्णन क्षमता का उपयोग कर। *एलयूएलयूसीएफ के बिना कुलयोग

महत्वपूर्ण प्रगति की है-सभी 35 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के शहरी क्षेत्र ओडीएफ हो गए हैं और अपशिष्ट प्रसंस्करण की प्रतिशतता, जो वर्ष 2014 में लगभग 18% थी, बढ़कर 60% हो गई। वर्ष 2019 में भारत ने अक्षय ऊर्जा की दिशा में एक महत्वपूर्ण छलांग लगाते हुए एक ऐसे कार्यक्रम की शुरूआत की है, जो दुनिया के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार कार्यक्रमों में से एक है। भारत ने 2022 तक नवीनीकरणीय ऊर्जास्रोतों नवीनीकरण के लिए 175 जीडब्ल्यू (गीगावॉट) लक्ष्य की घोषणा की है और इस दिशा में अब तक 83 जीडब्ल्यू (गीगावॉट) हासिल भी किया जा चुका है। बाद में, सितंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन (यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट) में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा बाद में इस लक्ष्य को 175 गीगावाट से आगे लेजाकर 450 गीगावॉट के लक्ष्य की घोषणा की गई। भारत ने यूएनएफसीसीसी के एक पक्ष के रूप में, अधिवेशन के तहत रिपोर्टिंग दायित्व की पूर्ति की दिशा में अपनी दूसरी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट (बीयूआर) यूएनएफसीसीसी को सौंप दी। बीयूआर के अनुसार, भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की उत्सर्जन तीव्रता वर्ष 2005-2014 की अवधि में 21% तक कम हो गई जो कि भारत के जलवायु परिवर्तन पर सक्रिय और निरंतर कार्रवाई का ही परिणाम है। भारत अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित किए गए लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है। वर्ष 2014 में, एलयूएलसयूसीएफ (भू-उपयोग, भू-उपयोग परिवर्तन और वानिकी सहित शुद्ध राष्ट्रीय जीएचजी (ग्रीन हाउस गैस) उत्सर्जन 23,06,295 जीजी* सीओ$_2$ के समतुल्य था (लगभग 2.306 बिलियन टन CO_2 के समतुल्य) (चित्र 6)।

भारत की जलवायु परिवर्तन नीतियों में प्रगति

6.11 भारत द्वारा वर्ष 2008 में प्रारंभ जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) कई ऐसे उपायों की पहचान करती है जो संकेन्द्रीत राष्ट्रीय मिशनों में माध्यम से देश के विकास और जलवायु परिवर्तन से संबंधित अनुकूलन और शमन उद्देश्य को आगे बढ़ाते हैं। यह महत्वपूर्ण अनुकूलन आवश्यकताओं पर ध्यान केन्द्रीत करने और वैज्ञानिक ज्ञान और तत्परता के निर्माण के लिए भी बनाई गई थी क्योंकि जलवायु परिवर्तन, मौजूदा सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों को बिगाडते हुए अतिसंवेदनशील वर्गों के लिए ''जोखिम गुणक'' के रूप में कार्य करता है। भारत ने पेरिस समझौते के तहत एनडीसी के अनुरूप एनएपीसीसी को संशोधित करने का फैसला किया है ताकि इसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के संदर्भ में अधिक व्यापक बनाया जा सके। बॉक्स-1 में आठ राष्ट्रीय मिशनों के कार्यान्वयन की प्रगति के बारे में विस्तार से

बॉक्स 1: राष्ट्रीय मिशन तथा प्रगति

विशिष्ट ऊर्जा खपत में कमी की अवधारणा पर डिज़ाइन किए गए यनेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी (एनएमईईई) के तहत पर्फार्मि, अचीव एंड ट्रेड स्कीम निष्पाद, प्राप्ति एवं व्यापार (पीएटी)। पीएटी चक्र-V (अप्रैल 2019) में, मौजूदा क्षेत्रों से 110 डीसी (नामित ग्राहक) अधिसूचित किए गए है। इन डीसी की कुल ऊर्जा खपत 15.244 मिलियन टन तेल समतुल्य (एमटीओई) है और इससे 0.5130 एमटीओई की कुल ऊर्जा बचत होने की उम्मीद है। यह परिकल्पित किया गया है कि वर्ष 2020 तक, इस योजना के कार्यान्वयन के माध्यम से लगभग 20 एमटीओई ऊर्जा बचत हो जाएगी।

राष्ट्रीय सौर मिशन का उद्देश्य कुल ऊर्जा मिश्रण में सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाना है। ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए मिशन के तहत संचयी लक्ष्य 40 गीगावॉट ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप प्रोजेक्ट्स और 60 जीडब्ल्यू बड़े और मध्यम आकार के भू-आधारित सौर ऊर्जा परियोजनाएं/प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। संयुक्त लक्ष्य अब 100 गीगावॉट पर नियत किया गया है। 100 गीगावॉट क्षमता स्थापित करने में कुल निवेश लगभग 6,00,000 करोड़ रुपये होगा। कुल 32.5 गीगावॉट सौर विद्युत सृजन क्षमता स्थापित हो चुकी है।

राष्ट्रीय जल मिशन के अंतर्गत भू जल के अनुवीक्षण, जलभर की मैपिंग, क्षमता सृजन, जल गुणवत्ता अनुवीक्षण और अन्य बेसलाइन अध्ययनों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ऐसी 1071 निर्धारण यूनिटें हैं जिन्हें केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण के वर्ष 2011 के मूल्यांकन के अनुसार अति दोहन की गई यूनिटों की श्रेणी में रखा गया है। संघ राज्य क्षेत्रों सहित देश के सभी लक्षित क्षेत्रों के लिए, केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा ''पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986'' की धारा 5 के अंतर्गत अनिवार्य वर्षा जल संचयन/छत पर वर्षा जल संचयन हेतु निर्देश जारी किए गए हैं। भूजल निकासी के लिए 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' देते समय, केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अनिवार्य वर्षा जल संचयन के लिए बल देता है।

हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत हरियाली के साकल्यवादी दृष्टिकोण पर विचार किया जाता है और कार्बन पृथक्करण और उत्सर्जन कमी के साथ-साथ विविध पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। इस मिशन के अंतर्गतवन और गैर वन क्षेत्र, सरकारी एवं निजी भूमि दोनों के सन्निहित वृहद क्षेत्रों को कार्यान्वयन और मॉनीटरन की योजना बनाने में स्थानीय समुदायों की महत्वपूर्ण भूमिका की सहायता से शोधित करने के लिए भूदृश्य उपागम पर बल दिया गया। 13 राज्यों में स्थित 126916.32 हेक्टेयर क्षेत्र में वन रोपण करने के लिए इस मिशन के अंतर्गत अब तक 343.08 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। परियोजना क्षेत्रों में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए 56,319 परिवारों को ऊर्जा कार्यक्षम उपकरण प्रदान किए गए हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण के साथ समाभिरूप दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

राष्ट्रीय संधारणीय आवास मिशन तीन कार्यक्रमों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है जो नवजीवन और शहरी कायांतरण अटल मिशन, स्वच्छ भारत मिशन और स्मार्टशहर मिशन हैं। 100 किलोवाट अथवा इससे अधिक के संयोजित भारत वाले वाणिज्यिक भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण भवन नियमावली, 2018 को अनिवार्य किया गया है। समग्र देश में व्यापक तीव्र परिवहन प्रणालियां कार्यान्वित की जा रही हैं और कचरा अपशिष्ट प्रबंधन, जल एवं स्वच्छता, वर्षा जल अपवहन, शहरी योजना, ऊर्जा दक्षता एवं शहरी परिवहन नामक छः उप क्षेत्रों के लिए मानक विकसित किए गए हैं। व्यापक तीव्र प्रणाली के अंतर्गत मेट्रो रेल की 585 किलोमीटर मार्ग पर प्रचालन में है; 620 किलोमीटर मार्ग निर्माणाधीन है। बस तीव्र परिवहन प्रणाली (बीआरटी) के अंतर्गत, 8 नगरों में 223 किमी॰ बीआरटी कोरिडोर प्रचालन में है और 14 नगरों में 505 किलोमीटर लम्बाई के बीआरटी कोरिडोर निर्माणाधीन है।

संधारणीय कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा संवर्धन और संसाधन संरक्षण है। महत्वपूर्ण लक्ष्यों के अंतर्गत 3.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को जैविक कृषि के अंतर्गत, 3.70 हेक्टेयर क्षेत्र को अतिसूक्ष्म सिचाई के अंतर्गत, 4.0 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को चावल सघनीकरण प्रणाली के अंतर्गत, 3.41 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कम पानी खपत की फसल में परिवर्तन के अंतर्गत, 3.09 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को कृष्य भूमि में वृक्षारोपण के अंतर्गत और 7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को बाईपास प्रोटीन संभरक बनाने के अंतर्गत लाना शामिल है। इस मिशन के परिणाम स्वरूप जलवायु प्रतिस्कंदी कृषि संबंधी राष्ट्रीय नवाचार, नामक नेटवर्क परियोजना का निर्माण हुआ है।

हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को संपोषित करने के लिए रक्षोपाय के लिए उपयुक्त प्रबंधन और नीतिगत उपाय विकसित करना है। महत्वपूर्ण उपलब्धियों में वाडिया हिमालयी भूविज्ञान संस्थान में हिमानिकी केन्द्र, 6 अग्रणी संस्थाओं में विषय संबंधी कार्य बलों, 12 हिमालयीन राज्यों में से 11 राज्यों में राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्रों, 5500 प्रशिक्षित व्यक्तियों के साथ व्यवस्थित राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्रों के अंतर्गत 40 प्रशिक्षण कार्यक्रमों की स्थापना हिमालयीन और जलवायु परिवर्तन 4 विश्वविद्यालयों का अंतर विश्वविद्यालय संघ बनाना शामिल है।

जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान संबंधी राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत एक ऐसा ज्ञानतंत्र सृजित करने की कोशिश की जाती है जो पारिस्थितिकीय रूप से संधारणीय विकास सूचित करेगा और उसमें सहायता करेगा। इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण उपलब्धियों में 11 उत्कृष्टता केन्द्र और 10 राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र स्थापित करना शामिल है। 116 प्रशिक्षण कार्यक्रमों

का शुभारंभ किया गया है और उनमें 1400 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है, सम्पूर्ण देश में कुल 23 प्रमुख अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों को फैलाया गया है, जलवायु परिवर्तन विज्ञान ग्रहण और शमन क्षेत्रों में 7 मानव क्षमता सृजन एवं राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क कार्यक्रम शुरू किए गए हैं नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी, उन्नत कोयला प्रौद्योगिकी, उन्नत ऊर्जा दक्षता, हरित वन, संधारणीय आवास, जल संधारणीय कृषि और विनिर्माण के क्षेत्रों में 8 वैश्विक प्रौद्योगिकी निगरानी समूहों की स्थापना की गई है।

बताया गया है।

6.12 केंद्र और राज्य स्तरों पर क्षमता सृजन और सहायता के लिए, जलवायु परिवर्तन मूल्यॉकन के लिए वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक क्षमता को सशक्त करने के लिए, उपयुक्त संस्थागत फ्रेमवर्क स्थापित करने जलवायु कार्रवाईयां कार्यान्वित करने के लिए पांच वर्ष के लिए 290 करोड़ रुपये की कुल लागत से जलवायु परिवर्तन कार्रवाई कार्यक्रम, जो कि एक केंद्रीय सेक्टर स्कीम है, की अन्य प्रमुख पहल का शुभारंभ किया जा रहा है। ऊर्जा लेखा परीक्षा अध्ययनों से अंतिम प्रयोग में 40 प्रतिशत की बचत संभावना सामने आई हैं। ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी) में न्यूनतम ऊर्जा निष्पादन मानक निर्धारित किए जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष 84.34 मिलियन के डब्ल्यू एच ऊर्जा बचत और सीओ 2 की 69,154 टन मात्रा के जीएचजी (ग्रीन हाउस गैस) उत्सर्जन में कमी हुई है। इसे आवासीय सेक्टर के लिए भी प्रारंभ किया गया है। ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता 2017 के अंतर्गत संपूर्ण भारत में निर्माण किए जाने वाले नए वाणिज्यिक भवनों के लिए ऊर्जा निष्पादन मानक विहित किए जाते हैं ताकि वर्ष 2030 तक ऊर्जा प्रयोग में 50 प्रतिशत कमी की जा सके और वर्ष 2030 तक लगभग 300 बिलियन यूनिट की ऊर्जा बचव हो तथा वर्ष 2030 तक 15 जीडब्ल्यू की शीर्ष मांग कमी हैं एलईडी के लिए उजाला जैसी स्कीमों में बल्ब का वितरण 360 मिलियन पार कर चुका है जबकि स्ट्रीट लाइट राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत, 10 मिलियन परम्परागत स्ट्रीट लाइयें को बदलकर एलईडी स्ट्रीट लाइटों को लगाया गया है और इस प्रकार से कुल मिलाकर सीओ उर्त्सजन में 43 मिलियन टन की कमी आई है। राष्ट्रीय विद्युत गतिशीलता मिशन प्लान (एनईएमएमपी) 2020 के एक भाग के रूप में, विद्युत और हाइब्रिड वाहन प्रौद्योगिकी के निर्माण और संधारणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए, भारत में हाइब्रिड एवं विद्युत वाहनों के तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (एमएएमई भारत) स्कीम को वर्ष 2015 में शुरू किया गया था। नवम्बर, 2019 की स्थिति के अनुसार, कुल 280,994 वाहनों की बिक्री की जा चुकी है। राष्ट्रीय बायो-ईंधन पॉलिसी 2018 के अंतर्गत वर्ष 2030 तक 20 प्रतिशत एथनोल को पेट्रोल में मिश्रित करने और 5 प्रतिशत बायोडीजल को डीजल में मिश्रित करने का लक्ष्य रखा गया है। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय अनुकूलन निधि (2015) से उन राज्यों/संघ राजय क्षेत्रों में जो जलवउयु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों का समाना करते है, और जारी स्कीमों के अंतर्गत नहीं आते हैं, गतिविधियों को सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 की अवधि के लिए नियतन/आबंटन 364 करोड़ रुपये है। इस स्कीम को राष्ट्रीय कार्यान्वयन सत्व के रूप में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की सहायता से एक केंद्रीय सेक्टर स्कीम के रूम में लिया गया है। अब तक कृषि, तल, वानिकी, पारिस्थितिकी जंत्र और जैव विविधता आदि में अनुकूलन पर 30 परियोजनाओं कोि अनुमोदित किया गया है। नाबार्ड सम्पूर्ण भारत में कुल 1819.62 करोड़ रुपये की कुल वित्तीय सहायता की अनेक जलवायु अनुकूलन और शमन परियोजनाओं को

चित्र 7: नाबार्ड द्वारा सहायता प्राप्त जलवायु परिवर्तन परियोजनाएं (31 दिसम्बर 2019 को स्थिति के अनुसार) (संख्या में)

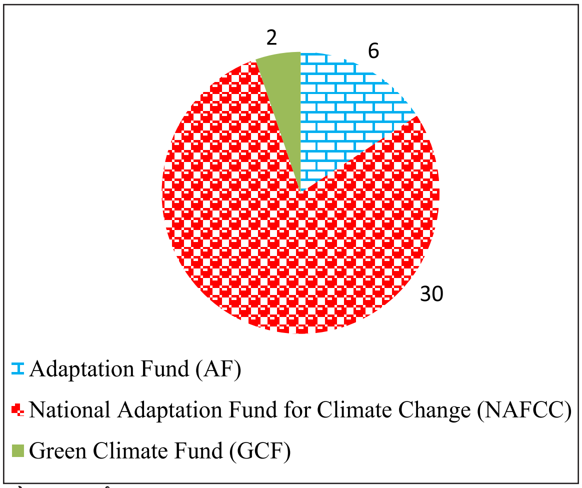

स्रोत: नाबार्ड

कार्यान्वित कर रहा है, जिन्हें बहुपार्श्विक और घरेलू राष्ट्रीय निधियों, दोनों, से सहायता प्रदान की जाती है (चित्र 7)।

वित्तीय प्रणाली के साथ संधारणीयता को एकरूप करना

6.13 उत्पादन के स्वच्छ रूपों के लिए अनिवार्यत: एक सक्षम वित्तीय प्रणाली अपेक्षित है। यह इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि वैश्विक स्तर पर संधारणीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ट्रिलियन डॉलरों अपेक्षा की तरफ अनुमानों ने इशारा किया है। अत:, अब सारा ध्यान संधारणीय विकास के लिए वित्तीय प्रणाली की एकरूपता की ओर है। दिसंबर 2007 में आर.बी.आई. ने भारत के बैंकों को विविध अंतरराष्ट्रीय पहल की तरफ सुग्राही बनाया तथा उन्हें कहा गया कि वे स्वयं को संधारणीयता के क्षेत्र में विकास के साथ चले और ऐसे विकास के आलोक में अपनी उधार देने वाली कार्य नीतियों/योजनाओं का क्रमवेशन करें। 2012 में, भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सेबी) ने वार्षिक व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्टिंग (ए.बी.आर.आर.) का अधिदेश दिया। यह एक रिपोर्टिंग ढाँचा है जो कोर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा व्यापार के सामाजिक, पर्यावरणीय तथा आर्थिक उत्तरदायित्वों पर जारी राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देशों (एन वी जी) पर आधारित है। यह दिशानिर्देश संधारणीय प्रबंधन पद्धतियों को आगे बढ़ाने में चालक की भूमिका का निर्वहन करता है। 2011 में भारतीय कोर्पोरेट कार्य संस्थान ने कोर्पोरेट क्षेत्र द्वारा अंगीकार करने के लिए एन वी जी नामक संकल्पना विकसित की। सेबी ने बैंकों सहित सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों को एन वी जी ज को अंगीकार करने का अधिदेश दिया। 2014-15 में, भारतीय बैंक संघ (आई. बी. ए.) द्वारा उत्तरदायित्व पूर्ण वित्तियन की संकल्पना सृजित करने के लिए एक कार्यकारी समूह की स्थापन की। कार्यकारी समूह ने 'उत्तरदायित्वपूर्ण वित्तीयन के लिए एन वी जी पर दिशा निर्देशों को अंतिम रूप दिया। इन दिशानिर्देशों ने 8 सिद्धांत निर्धारित किए, जो सूचित व्यावसायिक कार्यों के विविध पर्यावरणीय, सामाजिक और सुशासन (ई एस जी) उत्तरदायित्वों के पहलूओं को आच्छादित किया गया। प्रत्येक सिद्धांत उसकी 'विवरण और अनुप्रयोज्यता' तथा 'प्रकटीकरण क्षेत्र' का विवरण देता है जो वित्तीय संस्थानों को उनके व्यापार निर्णय-प्रक्रिया, संरचना और प्रक्रियाओं में ई एस जी सिद्धातों के साथ एकीकृत करने में सक्षम करता हैं।

6.14 हरित बाण्ड (ग्रीन बाण्ड) ऋण प्रतिभूति होती हैं जो वित्तीय-भिन्न अथवा सार्वजनिक संस्थानों द्वारा जारी की जाती है जहाँ आय का 100 प्रतिशत उपयोग हरित परियोजनाओं और अस्तियों के वित्त पोषण के लिए किया जाता है। 2019 के पूर्वार्ध में संधारणीयता/एस डी जी बाण्डों ने यू.एस. $ 10.3 बिलियन के लेन-देन के साथ व्यापक लेबल बाजार में अपना स्थान अनुरक्षित

चित्र 8: वर्ष 2019 की प्रथम छमाही में बांडो का लेबलयुक्त निर्गम (बिलियन अमेरिकी डॉलर में)

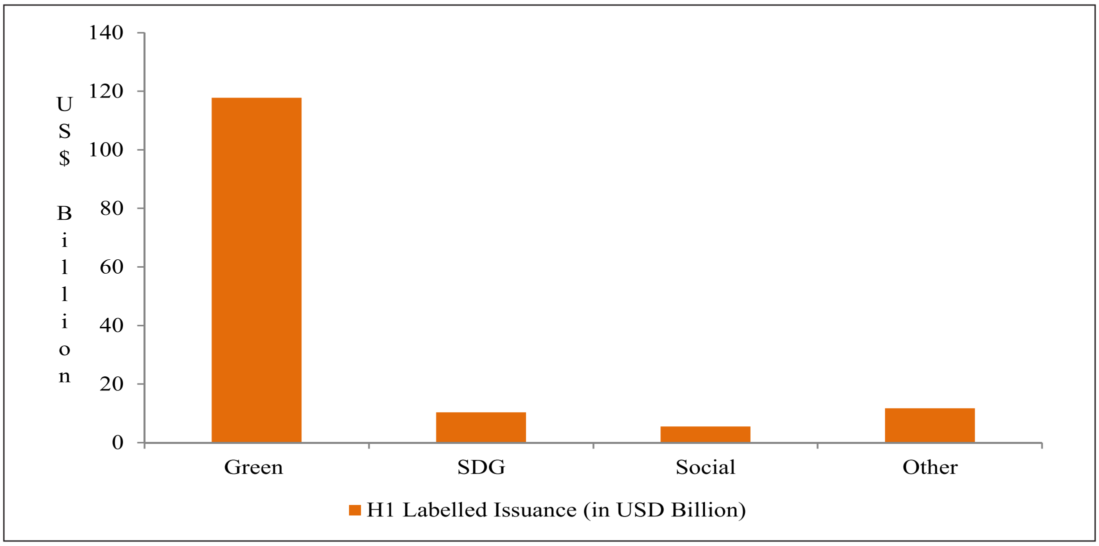

स्रोत: जलवायु बॉन्ड पहल (दि. 19.12.2019 को व्यवथित
*एच1- जनवरी से जून

रखा चूँकि जारी कर्ताओं और निवेशको ने एस डी जी से संबंधित नीतियों और कार्यनीतियों को अंगीकार करना जारी रखा (चित्र 8)। सामाजिक बाण्डों ने भी लेबलड् मार्किट के भीतर यू.एस. $ 5.5 बिलियन जारी करके अपनी दृश्यता बरकरार रखी, जो कुल जा छमाही में यू.एस. $ 145.4 बिलियन का एक अंश था। जलवायु बाण्ड, हरित बाण्डस पर निर्भर रहे, जो विशिष्ट तौर पर जलवायु परिवर्तन शमन, अनुकूलन और समुत्थान से जुड़ा हुआ है। भारत, चीन के बाद हरित बाण्ड बाजार का दूसरा सबसे बडा उभरता हुआ बाजार है (चित्र 9)। अनेक सरकारी अभिकरणों यथा भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (इरेड़ा) और भारतीय रेलवे वित्त निगम (आई आर एफ सी) ने इन्हें जारी करने में अपनी भूमिका निभाई है। 2018 में, एस.बी. आई. ने यू.एस. $ 650 मिलियन प्रमाणित जलवायु बाण्ड सहित इस बाजार में कदम रखा।

चित्र 9: ग्रीन बांड निर्गम 2012-18 हेतू उभरते मुख्य बाजार (बिलियन अमेरिकी डॉलर)

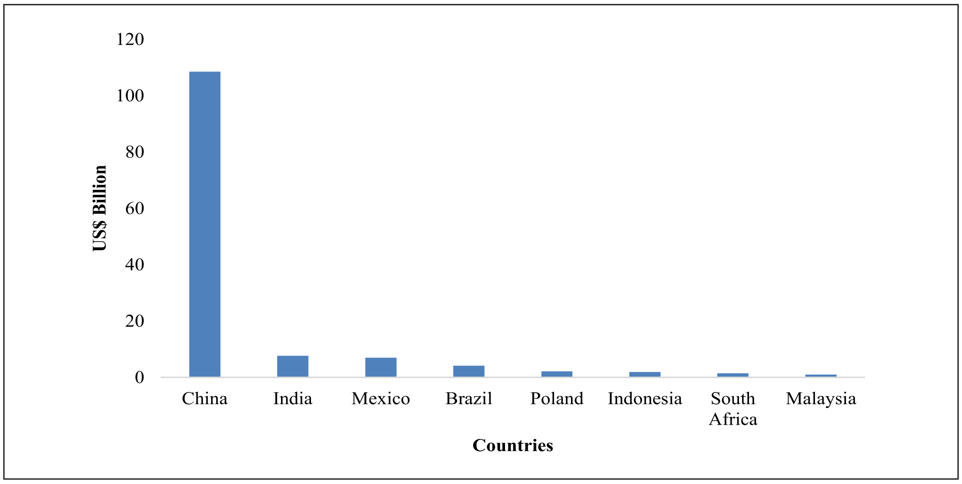

स्रोतः उभरते ग्रीन बाँड बाजारों संबंधी रिपोर्ट 2018

6.15 पर्यावरणीय रूप से संधारणीय निवेश में प्रवर्धन के लिए भारत ने अक्टूबर, 2019 में अंतरराष्ट्रीय संधारणीय वित्तपोषण प्लेटफार्म में भाग लिया है। यह प्लेटफार्म वित्तीय बाजारों की वैश्विक प्रकृति की अभिस्वीकृति देता है जिसमें निधियन के वैश्विक स्रोत वित्त संबंधी आवश्यकताओं को मिला कर हरित, निम्न कार्बन एवं जलवायु प्रत्यास्थी अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने के लिए वित्तीय सहायता करने में सक्षम हो। इनका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सदंर्भो को तरजीह देते हुए पर्यावरणीय दृष्टि से संधारणीय वित्तपोषण के उत्तम व्यवहारों के उन्नयन संबंधी सूचना का आदान-प्रदान करना एवं प्रचार करना; विभिन्न पहलों की तुलना करना एवं अतंरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणीय संधारणीय निवेश का प्रवर्धन करने में सहायता करने के लिए अनुरोधों एवं अवसरों की पहचान करना।

हरित जलवायु निधि

6.16 यूएनएफसीसीसी एवं पेरिस समझौते के अधीन जलवायु वित्तपोषण के उद्देश्य एवं बाध्यता सुस्पष्ट है कि विकसित देश पक्ष विकासशील देशों को उनकी आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं के अनुसार अनुकूलन एवं शमन कार्यो को करने के लिए वित्तीय साधन उपलब्ध कराएंगे। वर्ष 2009 में, विकासशील देशों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विकसित देशों ने वर्ष 2020 तक सयुंक्त रूप से 100 बिलियन यूएस डालर प्रदान करने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संकल्प किया है तथा यह निर्णय लिया गया है कि इस निधियन की अधिकांश राशि को जीसीएम के माध्यम से जुटाई जाएगी। इसके विपरीत वर्ष 2014 में प्रारंभिक साधन स्वरूप जुटाई गई राशि में जीसीएफ की कुल प्रतिभूति, सर्वाधिक समर्पित जलवायु निधि, नितांत कम, 10.3 बिलियन यूएस डालर है। लगभग 10.2 बिलियन यू एस डालर की प्रतिभूतियों को अशंदान करार/व्यवस्थाओं में परिवर्तित कर दिया गया है। 99 विकासशील देशों में 111 जलवायु परिवर्तन अनुकूलन एवं न्यूनीकरण परियोजना एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करने के लिए जीएसएम बोर्ड ने 5.2 बिलियन यूएस डालर की राशि अनुमोदित की है। जीसीएफ के पहले पुनर्भरण (2020-2023) प्रक्रिया

के दौरान अब तक 28 देशों के प्रतिभूति साधनों में 9.7 बिलियन यूएस डालर की राशि का पुनर्भरण किया है, जो कि आईआरएम अवधि से मात्रात्मक रूप में भी काफी कम है। सभी देशों के लक्ष्य एक स्तर पहुंचने तथा पूर्व-औद्योगिक स्तर से 1.5 से 2^0 सेंटीग्रेड अधिक की तापमान वृद्धि को सीमित करने के लिए उत्सर्जन अंतराल को पाटने संबंधी आव्हान हाल ही की जलवायु संबंधी बातचीत में बहुत प्रबल रहे, किंतु, महत्वपूर्ण परिचालक जलवायु वित्तपोषण, जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों का निराकरण नहीं हो पाया। (बॉक्स 2)

बॉक्स 2: भारत एवं सीओपी 25

यूएनएफसीसीसी के पक्षकारों के सम्मेलन का 25 वां सत्र चिली की अध्यक्षता के अधीन मैड्रिड, स्पेन में आयोजित किया गया। भारत ने पेरिस समझौते को क्रियान्वित करने तथा जलवायु परिवर्तन का सामूहिक रूप से सामना करने के अपने संकल्प को दोहराया जिसमें औचित्य एवं सामान्य सिद्धान्तों पर विचार करना, परन्तु, उत्तरदायित्वों एवं संबंधित क्षमताओं में अंतर करना शामिल है। सीओपी 25 निर्णय, शीर्षक चिली मैड्रिड टाइम फॉर एक्शन, में उन अनुवर्ती चुनौतियों पर बल दिया है जिसका सामना विकासशील देश वित्तीय प्रौद्योगिकीय एवं क्षमता निर्माण सहायता के निर्धारण के दौरान करते हैं तथा अपने राष्ट्रीय अनुकूलन एवं न्यूनीकरण प्रयासों को मजबूत करने के लिए विकासशील देशों की सहायता करने के प्रावधान में वृद्धि करने की अत्यावश्यक जरूरत की पहचान करते हैं। इस निर्णय में विकासशील देशों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्ष 2020 तक संयुक्त रूप से 100 बिलियन यूएस डालर राशि को जुटाने संबंधी लक्ष्य को पूरा करने के लिए विकसित देशों द्वारा किए गए संकल्प को भी दोहराया है। जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए वैश्विक महत्वाकांक्षा के मुद्दे पर लिए गए निर्णय में महत्वांकाक्षा के सतुंलित एवं एकीकृत दृष्टिकोण दिया गया है जिसमें न केवल जलवायु परिवर्तन शमन के लिए किए जाने वाले प्रयासों को, बल्कि, विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को दी जाने वाली क्रियान्वयन सहायता संबंधी साधनों एवं अनुकूलन को भी शामिल किया गया है।

हानि एवं क्षति के लिए वारसा अंतरराष्ट्रीय प्रक्रिया की समीक्षा के अधीन, निर्णय में कार्रवाई एवं सहायता के प्रवर्धन की आवश्यकता की पहचान की है, इसमें क्षति एवं हानि के निवारण, कम करने एवं दूर करने के लिए विकासशील देशों के लिए वित्त, प्रौद्योगिकी एवं क्षमता निर्माण शामिल है। निर्णय में विकासशील देशों में संगत दृष्टिकोणों के क्रियान्वयन के लिए तकनीकी सहायता देने के लिए सेन्टिगो नेटवक्र भी स्थापित किया है। अनुकूलन विषय के संबंध में सीओपी 25 के निर्णय में यह याद किया गया है कि प्रवर्धित वित्तीय साधनों का लक्ष्य अनुकूलन एवं शमन के बीच संतुलन प्राप्त करना होना चाहिए।, देश में चलाई जा रही रणनीतियों, एवं विकासशील देश पक्षकारों की प्राथमिकताओं एवं आवश्यकताओं पर ध्यान रखते हुए अनुकूलन के लिए सार्वजनिक एवं अनुदान आधारित साधनों की आवश्यकता पर विचार किया गया है। प्रौद्योगिकी के विषय में लिए गए निर्णय में प्रौद्योगिकी ढांचे के सभी विषयों संबंधी अधिदेशों को सशक्त प्रयासों के साथ क्रियान्वित करने के लिए तकनीकी कार्यकारी समिति (टीईसी) एवं जलवायु औद्योगिकी केन्द्र से अनुरोध किया है। प्रौद्योगिकी विकास के सहकारी कार्रवाई को मजबूत करने तथा प्रौद्योगिकी चरण के विभिन्न चरणों पर अंतरण के लिए जीसीएफ से अनुरोध किया है। भारत ने महात्मा गांधी के 150वें जन्म वर्ष का समारोह मनाने संबंधी विषय पर सीओपी-25 पर इंडिया पैविलियन की मेजबानी की है, जिसमें महात्मा गांधी के जीवन एवं संधारणीय रहन-सहन संबंधी संदेशों को चित्रित किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहल

अंतर्राष्ट्रीय सौर सहयोग (अईएसए)

6.17 इटंरनेशनल सोलर एलांस (आईएसए) आईएसए पहला संधि आधारित अंतर-सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है। 83 हस्ताक्षरी देशों को लेकर आईएसए ने बहुल पण धारक पारिस्थितिकीय प्रणाली तैयारी की है जहां संप्रभु राष्ट्र, बहुपक्षीय संगठन, उद्योग नीतिनिर्माता एवं प्रवर्तक एक साथ मिलकर सुनिश्चित एवं संधारणीय विश्व की ऊर्जा मांगों के सामान्य एवं सांझे लक्ष्य को प्रोत्साहित करते हुए कार्य करेगें। वर्ष 2030 तक आईएसए का लक्ष्य 1000 बिलियन यूएस डालर की राशि जुटा कर सदस्य देशों की मांगों के लिए भावी सौर ऊर्जा उत्पादन, भण्डारण एवं प्रौद्योगिकियों के लिए रास्ता प्रशस्त करना है। आईएसए के उद्देश्यों की प्राप्ति से सदस्य देशों द्वारा की जा रही जलवायु संबंधी कार्रवाई को भी मजबूत मिलेगी अपनी एनडीसी में अभिव्यक्त संकल्पों को पूरा करने में उनकी सहायता करेगी।

6.18 वर्ष 2019 में, मेजबान देश में अग्रणी संस्था (आईआईटी दिल्ली) को लेकर सदस्य देशों से 30 फौलोशिप के संस्थाकरण द्वारा तथा आईएसए सदस्य देशों से 200 मास्टर प्रशिक्षकों के प्रक्षिक्षण देने के लिए समन्वयक के रूप में सौर ऊर्जा एवं परियोजना तैयारी सहायता को संचित करने के लिए एमडीबी निवेश को सुनिश्चित करने के लिए एक्स-इम बैंक ऑफ इंडिया से 2 बिलियन यूएस डालर तथा एजेंस फ्रांसे डि डैवलमेंट (एएफडी) फ्रांस से 1.5 बिलियन यूएस डालर राशि की ऋण लेकर सुविधा प्रदाता के रूप में; सौर ऊर्जा जोखिम न्यूनीकरण पहल जेसी पहले विकसित कर के प्रवर्तक के रूप मे; तथा 1000 मेगावाट से अधिक की सौर ऊर्जा रूफटॉप, 10,000 मेगावाट का सौर ऊर्जा मिनी ग्रिड तथा 2,70,000 सौर ऊर्जा जल पंपिग प्रणालियों के लिए उपस्कर तैयार कर के प्रवर्तक के रूप में अपनी भूमिका निभाई है।

6.19 कृषि प्रयोग के लिए सौर ऊर्जा अनुप्रयोगों के प्रवर्धन संबंधी आईएसए प्रोग्राम में सदस्य देशों में सौर ऊर्जा जल पंपिग प्रणालियों का विकास करके व्यापक ऊर्जा अभिगम एवं संधारणीय सिंचाई समाधान प्रस्तुत किया है। परियोजनाओं को व्यवहार्य एवं किफायती बनाने के लिए आईएसए ने प्रणाली लागतों को काफी हद तक कम करने के लिए विभिन्न देशों से सौर ऊर्जा पंपों की मांग को एकत्र किया है। आईएएए को 22 सदस्य देशों से लगभग 2.72 लाख सौर ऊर्जा पंपिग प्रणालियों की संचित मांग प्राप्त हुई है। इन सदस्य देशों के लिए पंपों की खरीद करने के लिए निविदा के माध्यम से प्राप्त कीमत को बैंचमार्क या संदर्भ कीमत के रूप में लिया जाएगा।

6.20 नवीन वित्तपोषण लिखतों के क्षेत्र में आईएसए की सहायता के लिए विश्व बैंक एवं एएफडी द्वारा सौर जोखिम न्यूनीकरण पहल की शुरूआत की है जिसका लक्ष्य निजी क्षेत्र निवेश को बढ़ावा देने वाले विकासशील देशों में वियोजनीय सौर ऊर्जा कार्यक्रमों के विकास में सहायता प्रदान करना है। विश्व बैंक ने आईएसए की भागीदारी में अफ्रीका के ऑफ ग्रिड क्षेत्र में 23 सदस्य देशों के लिए 337 मिलियन यूएस डालर की जोखिम न्यूनीकरण निधि के लिए दृढसकंल्प है। अफ्रीका में ऑफ ग्रिड अनुप्रयोगों के उन्नयन के लिए रियायती वित्तीय सुविधा एवं जोखिम न्यूनीकाम निधि तैयार करने के लिए यूरोपियन इंवेस्टमेंट बैंक ने 60 मिलियन यूरो अनुदान परियोजना पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। आईएसए सचिवालय भी सौर ऊर्जा मिनी-ग्रिड प्रोग्राम के प्रवर्धन के लिए सुदृढ़ क्रियान्वयन योजना भी तैयार कर रहा है। एशियन डेवल्पमेंट बैंक अतंरराष्ट्रीय सोलर एलायंस की भागीदारी में 6 दक्षिण एशिया देशों के लिए 2 मिलियन यूएस डालर की सूचना सहायता एवं तकनीकी सहायता (केएसटीए) प्रदान कर रहा है। एसटीए तीन स्तम्भों: सौर ऊर्जा परियोजना पाइपलाइप की पहचान एवं प्रारंभिक विकास; वित्तीय लिखतों की पहचान तथा निम्न-लागत वित्त जुटाना; तथा सूचना सहायता एवं क्षमता निर्माण, के माध्यम से पैमाने के अनुसार सौर ऊर्जा के विकास में सहायता प्रदान करेगा।?

6.21 आईएसए की यूएन एवं इसकी एजेंसियों की भागीदारी को सुदृढ़ करने तथा आईएसए की पहली सभा से प्राप्त अधिदेश के प्रत्युत्तिर में सचिवालय ने यूएन जनरल एसेंबली में आईएसए को स्थायी पर्यावेक्षक का दर्जा देने तथा आईएसए एवं यूएस के बीच संस्थागत संबंध स्थापित करने के लिए सहकारी करार करने के लिए अनुरोध करने संबंधी अनुवर्ती कार्रवाई प्रारंभ की है। आईएसए ने संस्था को मजबूत करने के लिए मई 2019 में यूएनईएससीएपी के साथ तथा जून 2019 में हरियाणा सरकार (कल्पना चावला सौर ऊर्जा अवार्ड), मध्यप्रदेश सरकार (आचार्य विनोबा भावे अतंरराष्ट्रीय अवार्ड) एवं कर्नाटक सरकार (श्री विश्वश्वैरया अवार्ड) के सहयोग में संस्थागत सौर ऊर्जा अवार्ड के लिए सभी के साथ संधारणीय ऊर्जा के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं।

आपदा सह्य आधारिक संरचना के लिए समूह

6.22 भारत ने सितंबर 2019 में आयोजित यूएन महासचिव की जलवायु कार्रवाई सम्मेलन के दिशानिर्देशों पर आपदा सह्य आधारिक संरचना (सीडीआरआई) के लिए समूह बनाया है। राष्ट्रीय सरकारों यूएन एजेंसियों, बहुपक्षीय विकास बैंकों, निजी क्षेत्र एवं ज्ञान आधारित संस्थाओं की यह अतंरराष्ट्रीय भागीदारी जलवायु एवं

आपदा जोखिमों के लिए नए एवं मौजूदा आधारित संरचना प्रणालियों क लचीलेपन को बढ़ावा देगी, जिससे संधारणीय विकास सुनिश्चित होगा। 35 से अधिक देशों के परामर्श से तैयार सीडीआरआई को उम्मीद है कि आपदाओं, जिनमें अत्यधिक चरम स्थिति वाली जलवायु घटनाए शामिल है, से होने वाली आधारिक क्षतियों में औसतन कभी होगी। सीडीआरआई का लक्ष्य आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं पेरिस जलवायु समझौते के लिए सैन्डई ढांचे के प्रतिच्छेद पर कार्य करते हुए मूल सेवाओं तक सार्वभौमिक अभिगम का विस्तार करने के उद्देश्यों की प्राप्ति तथा एसडीजी में समृद्धि में सक्षम बनाना है।

6.23 सीडीआरआई देश-विशिष्ट एवं वैश्विक गतिविधियां आयोजित करेगी तथा सदस्य देशों को तकनीकी सहायता एवं क्षमता विकास प्रदान करेगी, आपदा लोच आधारित प्रणालियों में निवेश की सुविधा देने एवं प्रोत्साहित करने के लिए भागीदारी करेगी। अपने विकासात्मक चरण में सीडीआरआई पारिस्थितिकीय आधारिक संरचना, स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर समन्वित बल देते हुए सामाजिक ढांचे, एवं परिवहन दूर संचार, ऊर्जा, एवं जल पर विशेष ध्यान देते हुए आर्थिक ढांचे पर फोकस करेगी। आगामी 2-3 वर्षो में समूह की लक्ष्य सदस्य देशों के नीतिगत ढांचे, भावी आधारिक निवेश में यथेष्ट परिवर्तन लाना तथा जलवायु संबंधी घटनाओं एवं प्राकृतिक आपदा वाले क्षेत्रों में होने वाली आर्थिक क्षति में अत्यधिक कमी लाना है।

भारत और यूएनसीसीडी

6.24 भारत ने 2- 13 सितम्बर 2019 से मरूस्थलीकरण (यू न सी सी डी) से निपटने के लिए संयुक्त राज्य सम्मेलन (सी ओ पी 14) के 14 बी सत्र की मेजबानी की। मरूस्थलीकरण 2019 से निपटने के लिए विश्व दिवस की स्मृति में '' ''भूमि बचाओ भविष्य बचाओ'' के नारे के साथ सी ओ पी 14 के सम्मेलन की परिकल्पना की गई। यू एन सी सी डी में सी ओ पी के अध्यक्ष के रूप में भारत ने कहा है कि मानवीय कृत्यों के द्वारा पर्यावरणीय बदलाव, भूमि अवक्रमण, और जैव विविधता हानि में तेजी आई है। अत: मजबूत मानव इरादे एवं प्रौद्योगिकी के साथ समझ का सहारा लेते हुए नुकसान की भरपाई की जा सकती हैं। 9 सितम्बर 2019 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पर्यावरण पर सबसे बडे सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए अन्य क्रियाकलापों के साथ अपना समर्थन दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिए घोषित किया है जिसका उद्देश्य लागत प्रभावी ओर स्थायी भूमि प्रबंधन रणनीतियों और एक वैश्विक जल रणनीति के साथ समग्र भूमि और जल प्रबंधान के माध्यम से सहक्रियाओं को अधिकत्तम करने के लिए कार्य सूची से सम्बन्धित अनुभवों को साझा करेगा। यू एन सी सी डी में एक पक्षकार के रूप में भारत ने स्वैच्छिक रूप से प्रतिबद्धता जाहिर की है कि भूमि क्षरण की स्थिति की ठीक करने के लिए अब से वर्ष 2030 के बीच 21 मिलियन से 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि को इस स्थिति से बाहर निकाला जाएगा। उनकी घोषणा से अन्य बातो के साथ-साथ भारतीय वानिकी अनुसंधान एव शिक्ष परिषद उच्च गुणवत्ता केन्द्र स्थापित करना शमिल है और सदस्य देशो के साथ सुदूर संवेदन प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित संसाधन साझा करने का प्रस्ताव दिया है जिन्हे अपने देश में होने वाले भूमि क्षरण कार्यक्रम को नवीनतम प्रौद्योगिकी के माधयम से लैस करना है। सी ओ पी 14 ने दिल्ली घोषणा अपनायी है: भूमि में निवेश और अवसरो को अनलॉक करना। घोषणा के माध्यम से मंत्रियों ने नई पहल या तैयारियों के सन्दर्भ में मानव स्वास्थ्य और कल्याण, परि तन्त्रों का स्वास्थ और अग्रिम शांति एंव सुरक्षा के लिए समर्थन व्यक्त किया हैं। निजी क्षेत्र मे भूमि उर्वरकता पुर्नस्थापन के तरफ ध्यान आकर्षित किया गया है जिसमे समष्टि संधारणीय विकास शमिल है।

भारत और इसके वन

6.25 विश्व में भारत उन प्रमुख देशों में शमिल है जहाँ पर हो रहे विकास कार्यो के बावजूद वन और वृक्ष क्षेत्रों में बढ़ोत्तरी हुई हैं। उभरती हुई और विकसित अर्थव्यवस्थाओं से तुलना करने पर पता चलता है कि भारत के वन क्षेत्र में वृद्धि सकरात्मक रूप में अधिक

हुई है (चित्र 10)। वितान वृक्ष की संख्या के संदर्भ में अति सघन वन (वी डी एफ) का क्षेत्र 99,278 वर्ग कि.मी. (3.02 प्रतिशत) है, मध्यम सघन वन (एम डी एफ) 3,08,472 वर्ग कि.मी. (9.39 प्रतिशत) और खुला वन (ओ एफ) 3,04,499 वर्ग कि.मी. (9.26 प्रतिशत) (चित्र 11) हैं। वन एवं वृक्षाच्छदन का क्षेत्रफल 80.73 मिलियन हेक्टेयर पहुँच गया है जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.56 प्रतिशत है। वर्ष 2019 के वर्तमान आकलन के अनुसार देश का कुल वन क्षेत्र 7,12,249 वर्ग कि.मी. है जो कि देश के भौगोलिक क्षेत्र का 21.67 प्रतिशत है। राष्ट्रीय स्तर पर पूर्वर्ती वर्ष 2017 के आकलन गणना की तुलना में वन क्षेत्र में 3,976 वर्ग कि.मी. (0.56 प्रतिशत); वृक्ष अच्छादन क्षेत्र में 1,212 वर्ग कि.मी. (1.29 प्रतिशत) और वन एवं वृक्ष के क्षेत्र को मिलाकर 5,188 वर्ग कि.मी. (0.65 प्रतिशत) वृद्धि हुई है।

चित्र 10: वन क्षेत्र में वार्षिक बदलाव (प्रतिशत में)

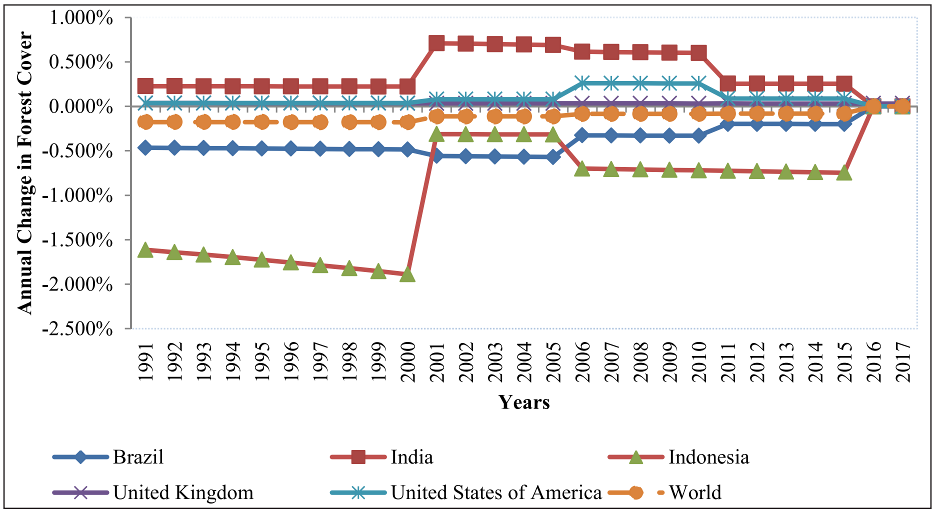

स्रोत विश्व विकास सूचक

चित्र 11: भारत मे वन क्षेत्र (2019) (प्रतिशत)

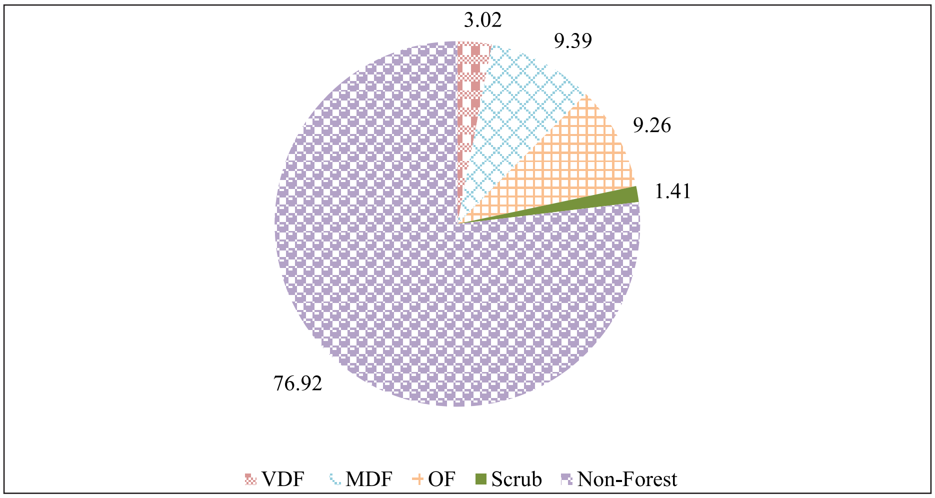

स्रोतः भारतीय वन समिति रिपोर्ट 2019

6.26 वह राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश जिन्होने वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की है उनमे कर्नाटक (1,025 वर्ग कि.मी.) आन्ध्र प्रदेश (990 वर्ग कि. मी.), केरल (823 वर्ग कि. मी.) और जम्मु एवं कश्मीर (371 वर्ग कि. मी.) है जब कि मणिपुर, अरूणाचल प्रदेश और मिजोरम (चित्र 12) जैसे राज्यों में वन क्षेत्रें में कमी दर्ज की गई हैं।

चित्र 12: वर्ष 2017 में भारत के वन क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में 2019 मे भारत का वन क्षेत्र (वर्ग किमी क्षेत्र)

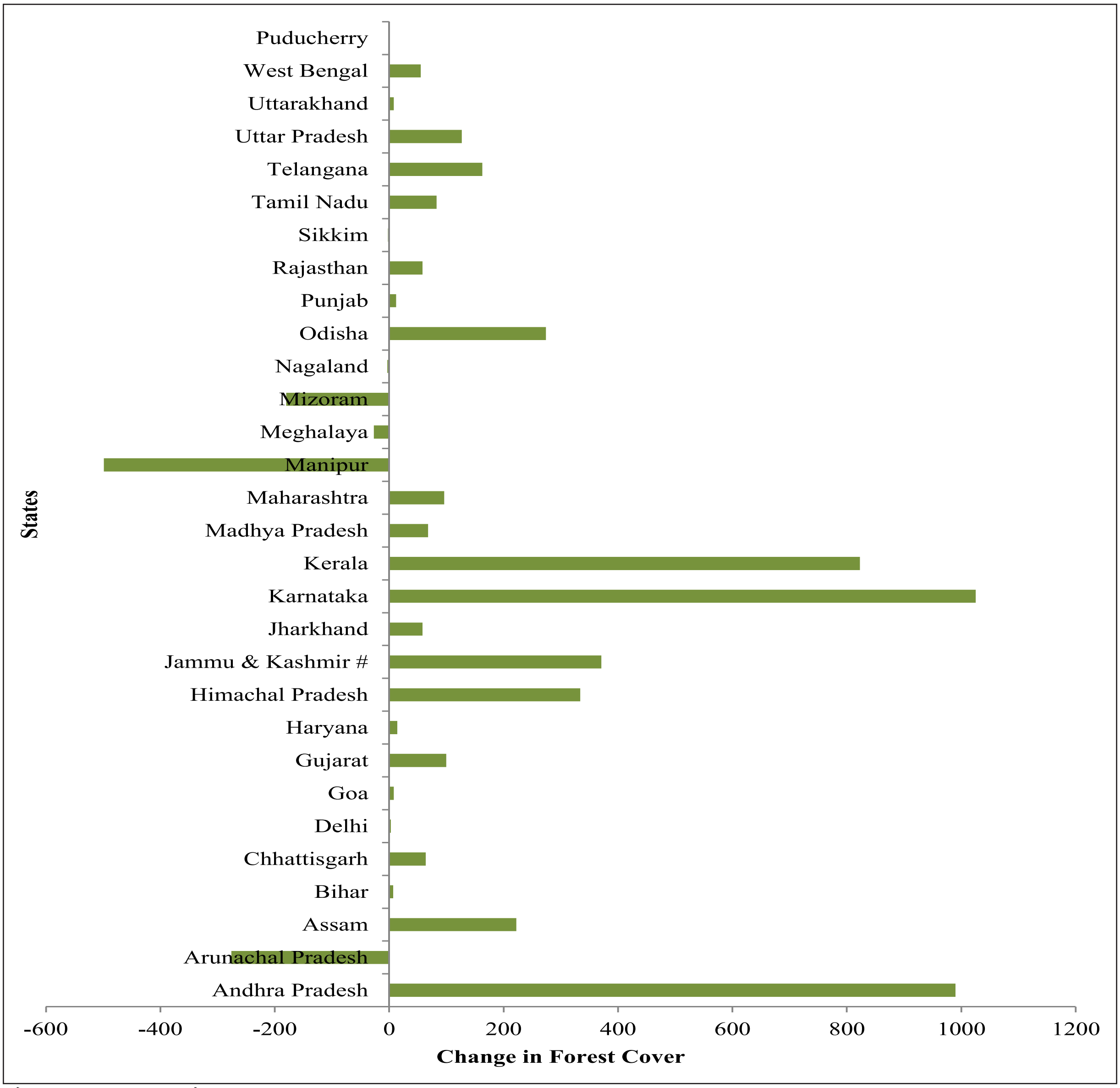

स्रोत: विश्व विकास संकेतक

6.27 भारत, विश्व में 17 अति विविध देशों में से एक है। यह विविधता से संबंधित शैनन-वीनर इंडेक्स में प्रदर्शित होता है जिसका प्रयोग प्रचुर एवं पर्याप्त वर्गों के मापन के लिए किया जाता है। इंडेक्स में विभिन्न आवासों में वर्गों की विविधता की तुलना भी की गई है। भारत के राज्यों की वन रिपोर्ट 2019 में 16 जैव-विविधता क्षेत्रों के लिए शैनॉन-वीनर इंडेक्स का निर्धारण किया गया। उष्णकटिबंधी आर्द्र सदाबहार वन, उष्णकटिबंधी अर्ध-सदाबहार वन, उष्णकटिबंधी आर्द्र पतझड़ी वन, तटीय और दल दल वन, उष्णकटिबंधी शुष्क पतझड़ी वन और उष्णकटिबंधी कांटेदार वनों जैसी छः जैव-विविधा के लिए इंडेक्स चित्र 13 में दिया गया है। इंडेक्स से यह पता चलता है कि उष्णकटिबंधी सदाबहार वन केरल के बाद कर्नाटक में अधिक है। उष्णकटिबंधी आर्द्र पतझड़ी वन क्षेत्र अरूणाचल प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में अधिक है। उष्णकटिबंधी शुष्क पतझड़ी वन अरूणाचल प्रदेश में अधिक है और अर्ध-सदाबहार वन कर्नाटक में अधिक है। उष्णकटिबंधी तटीय और दल दल वन उत्तर प्रदेश में अधिक है और उष्णकटिबंधी कांटेदार वन व्यपक रूप से आंध्र प्रदेश में

चित्र 13: वनों के संबंध में शैनन-वीनर इंडेक्स

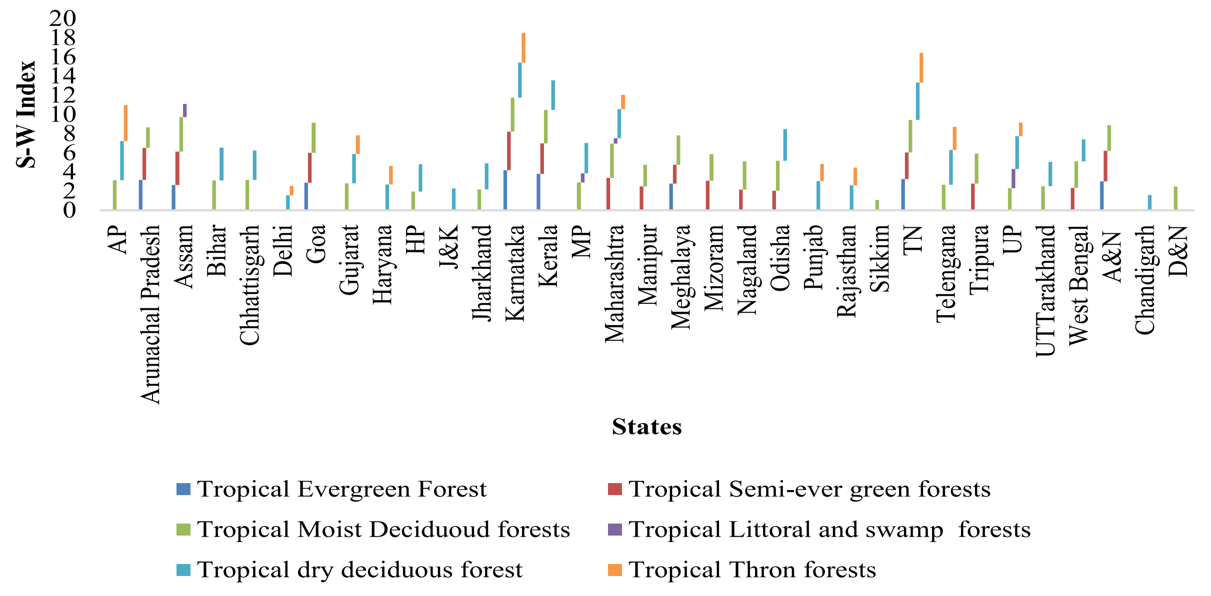

स्रोत: भारत के राज्यों की वन-रिपोर्ट 2019

चित्र 14: शीर्ष दस देशों के लिए वन क्षेत्र

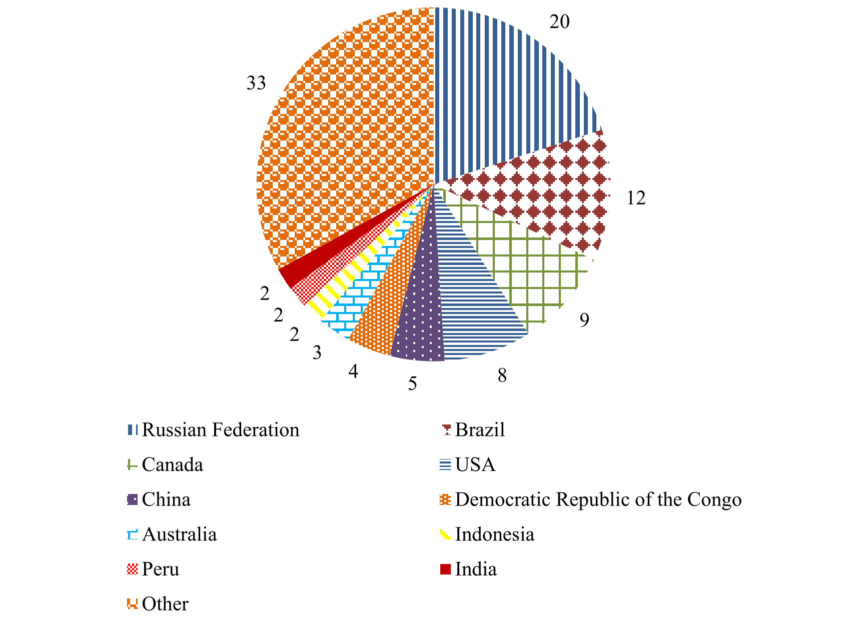

स्रोत: भारत की वन स्थिति की रिपोर्ट 2019

दिखाई देता है (चित्र 13) एफएओ द्वारा विश्वव्यापी वन संसाधन निर्धारण (एफआरए) के अनुसार वर्ष 2015 में कुल विश्वव्यापी वन क्षेत्र के 2 प्रतिशत का भारतीय विवरण।

6.28 वन जलवायु परिवर्तन से अनुकूलन और उसके शमन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। वन किसी अन्य क्षेत्रीय पारिस्थितिकी प्रणाली की अपेक्षा अधिक कार्बन का संग्रह करने में मदद करते है (भारत की वन स्थिति रिपोर्ट, 2019)। वन रिपोर्ट 2019 में वन में कुल कार्बन स्टॉक 7,124.6 मिलियन टन के रूप में आंका गया है। वर्ष 2017 के पिछले आंकलन की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में 42.6 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। शीर्ष 10 राष्ट्रों का कार्बन स्टॉक चित्र 15 में दिया गया है।

चित्र 15: कार्बन स्टॉक (मिलियन घन मीटर में)

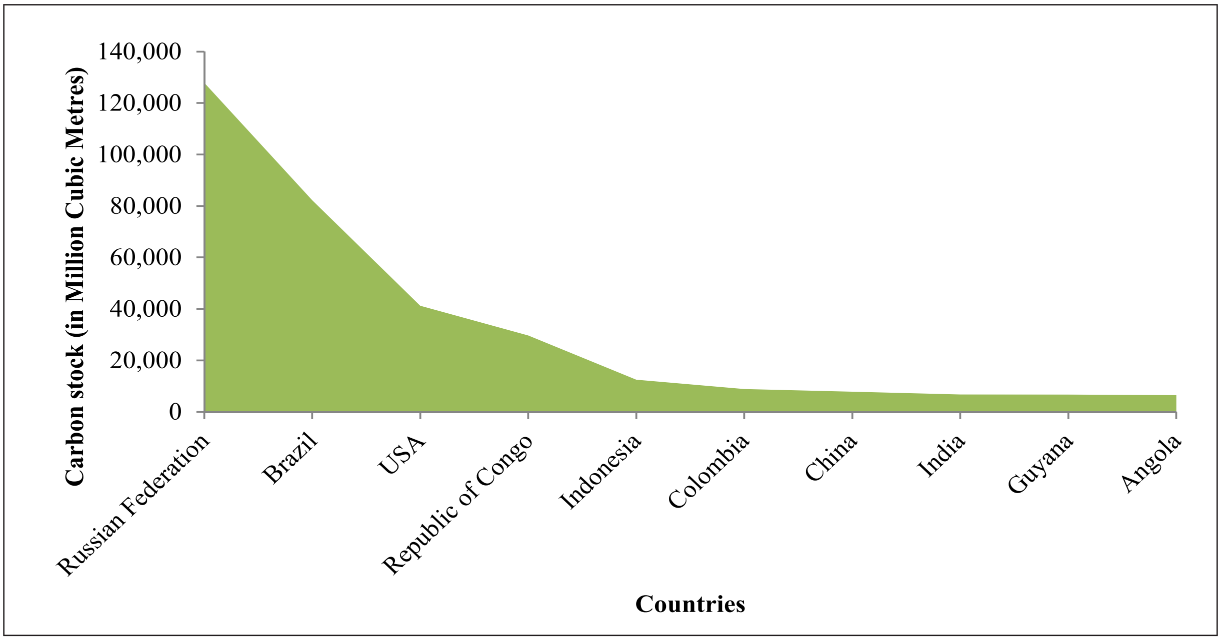

स्रोत: भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2019

6.29 भारत में कार्बन स्टॉक में निवल परिवर्तन यह दर्शाता है कि निवल परिवर्तन सबसे अधिक मृदा जैव कार्बन में है उसके बाद भूमि के ऊपर बायोमास और सूखी लकड़ी में है। वर्ष 2017 के मूल्यांकन की तुलना में कचरा कार्बन ने नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की है। (चित्र 16)

चित्र 16: वर्ष 2017 के मूल्यांकन की तुलना में वर्ष 2019 में वन के कार्बन स्टॉक में निवल परिवर्तन (प्रतिशत में)

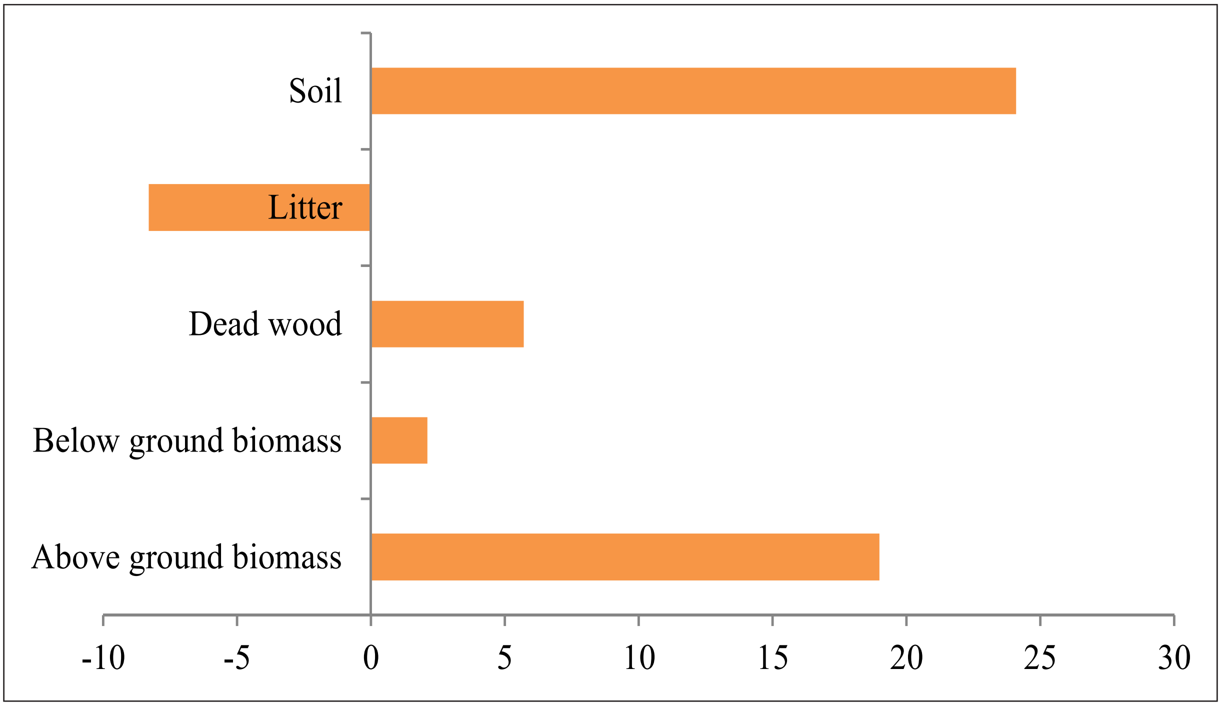

स्रोत: भारत की वन स्थिति रिपोर्ट, 2019

फसल अवशिष्टों का जलाया जाना-एक बड़ी चिंता

6.30 खेतों में फसल (कृषि) अपशिष्टों को जलाया जाना एक ऐसा कार्य है जिससे पर्यावरण संबंधी अनेक समस्याएं खड़ी हो जाती है। भारत के अधिकांश वार्षिक फसल पद्धति वाली खेती के साथ दूसरी सबसे बड़ी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होने के कारण, यहां पर फसल अवशेषों सहित बड़ी मात्रा में कृषि अपशिष्ट बच जाते हैं। खेतों में ही इन फसल अवशेषों को खुले में जलाने से भारत में, विशेष रूप से, धान की फसल के मौसम में, एक बड़ी पर्यावरणीय चिंता का विषय बन गया है। बचे हुए अनेक प्रकार के फसल अवाशिष्टों को कृषि जलवायु क्षेत्र में आधार पर विशेष तौर पर, उत्तरी राज्यों, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में जलाया जाता है, हालांकि, देश में जलाए जाने वाले सहित फसल अवशेषों में से लगभग 50 प्रतिशत चावल की फसल के होते हैं (टीआईएफएसी, 2018)। कंबाइन हार्वेस्टर के उपयोग से फसल अवशेष खेतों में ही छूट जाते हैं तथा खेतों को अगली फसल के लिए तैयार करने के सरलतम तरीके के रूप में किसान इन अवशिष्टों को जला देते हैं। देश में लगभग 178 मिलियन टन फसल अवशेष उपलब्ध होते हैं। (टीआईएफएसी, 2018)। इन अवशिष्टों को जलाए जाने के कारण प्रदूषण के स्तरों में वृद्धि होती है और वायु गुणवत्ता का ह्रास होता है।

6.31 शहरी मानों पर किए गए विभिन्न स्रोत प्रभाजन अध्ययनों से पता चलता है कि कृषि अवशिष्टों को जलाए जाने से पीएम 2.5 (कणिकीय पदार्थों की 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम व्यासीय आभाष) सांद्रणों में काफी बड़ा योगदान है। चूंकि इन अवशिष्टों की एक बड़ी मात्रा को एक बहुत ही छोटी-सी अवधि में (कुछेक सप्ताह की) जलाया जाता है अतः इससे पीएम 2.5 जैसे प्रदूषक स्तरों में पर्याप्त बढ़ोत्तरी होती है (टेरी 2018, एसएएफएआर, 2019)। खरीफ की फसल कटाई के दौरान दिल्ली के ऊपर अवरूद्ध) वातावरणीय अवस्था ने इस क्षेत्र में परिवेशी वायु गुणवत्ता के ह्रास को गंभीर बना दिया है (कांवड़े एवं अन्य, 2019)। जलाने की प्रक्रिया से उत्सर्जित होने वाली प्रदूषक फसल अवशिष्ट के प्रकार पर निर्भर करते हैं, यानी विभिन्न प्रकार की फसल अवशिष्टों को जलाने से होने वाले पीएम 2.5 उत्सर्जन (ग्रा/किग्रा) का अनुक्रम इस प्रकार है: गन्ना (12.0), मक्का (11.2), कपास (9.8), चावल (9.3), गेहूं (8.5), (टेरी, 2019)। कुछ अध्ययनों से पता चला है कि फसल अवशिष्टों को खुले में जलाने से मृदा-जीवी कार्बन और मिट्टी की उर्वरता पर बुरा असर पड़ता है (हेसामी एवं अन्य, 2014)।

6.32 अक्तूबर और नवंबर, 2019 में पराली जलाने की घटनाओं की जानकारी चित्र 17 में दी गई है, जो नासा एनपीपी-बीआईआईआरएस उपग्रह द्वारा अक्तूबर-नवंबर, 2019 के दौरान उत्तर भारत में चिन्हित आग जलने के स्थान (फायर हॉट स्पॉट) को दर्शाता है। यह उपग्रह लगभग 1.30 बजे स्थानीय समय (अपरान्ह) से भारत से होकर गुजरता है। चित्र के अनुसार, अग्नि घटनाओं की संख्या अक्तूबर, 2019 के मध्य से नवंबर, 2019 के प्रथम सप्ताह तक अत्यधिक हैं। इसके कारण दिल्ली में सितंबर, 2019 की तुलना में अक्तूबर और नवंबर माह में पीएम 2.5 और पीएम 10 में वृद्धि हुई है (चित्र 18)। सितंबर माह में पीएम 10 और पीएम 2.5 का उच्चतम स्तर क्रमशः 134 और 80.34 था। अक्तूबर, माह में पीएम 10 का उच्चतम स्तर 384 था, जो कि सितंबर, 2019 में अधिकतम पीएम 10 की तुलना में दुगने से भी अधिक है। इसी प्रकार, अक्तूबर माह में पीएम 2.5 का उच्चतम स्तर 306 था, जो सितंबर के आंकलन की तुलना में अधिक है। नवंबर माह में पीएम 10 तथा पीएम 2.5 क्रमशः 550 और 510 से अधिक हो गया। पीएम 10 और पीएम 2.5 दिसंबर, 2019 में कम होना शुरू हुआ और पीएम 10 और पीएम 2.5 का न्यूनतम स्तर क्रमशः 188 और 153 था।

6.33 इस मुद्दे के समाधान के लिए विभिन्न अध्ययन किए गए हैं जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- चावल, गेहूं, मक्का आदि जैसे निम्न लिग्नोसेलुलोसिक फसल अवशेषों के साथ कृषि के संरक्षण की पद्धति को बढ़ावा देना। कृषि यंत्र किसानों को पिछली फसल के अवशेषों के साथ अगली फसल के बीज बोने में मदद कर सकते हैं और साथ ही इससे उनकी फसल उत्पादकता भी

चित्र 17: अक्तूबर-नवंबर, 2019 के दौरान फसल के अवशिष्ट को जलाने की घटनाएं

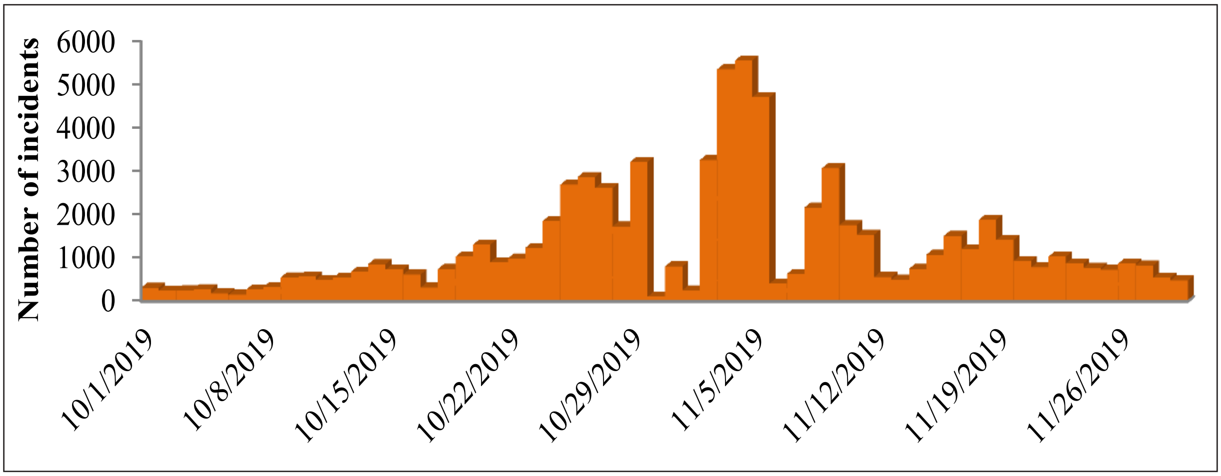

स्रोत: एनएएसए

चित्र 18: सितंबर, अक्तूबर, नवम्बर और दिसंबर माह 2019 में दिल्ली (आईटीओ) के आस-पास वायु गुणवत्ता

सितंबर, 2019

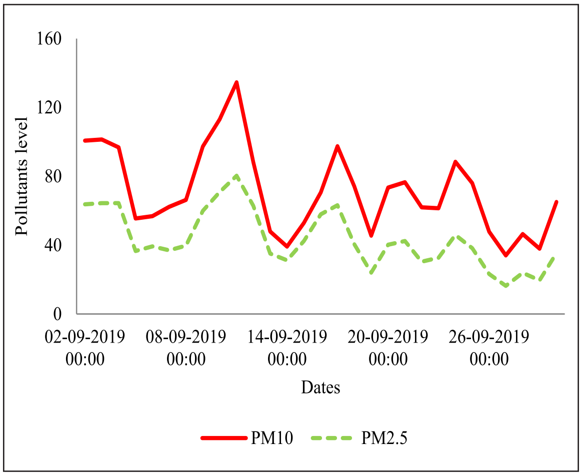

अक्टूबर, 2019

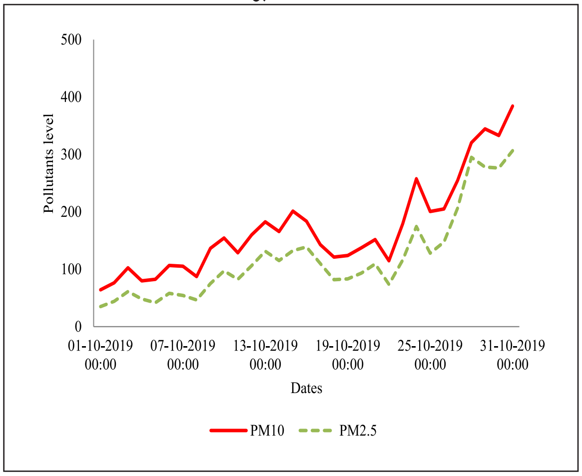

नवम्बर, 2019

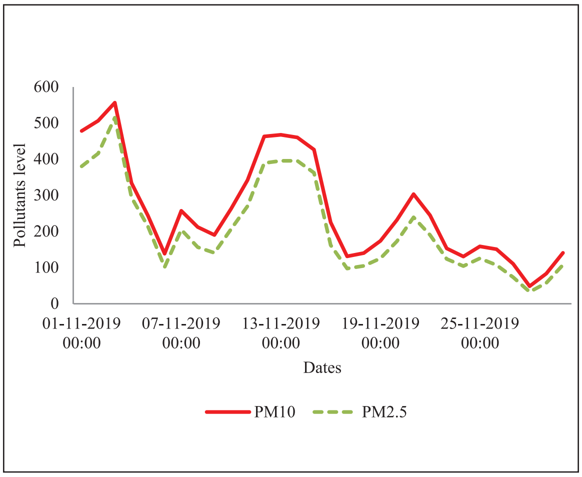

दिसम्बर, 2019

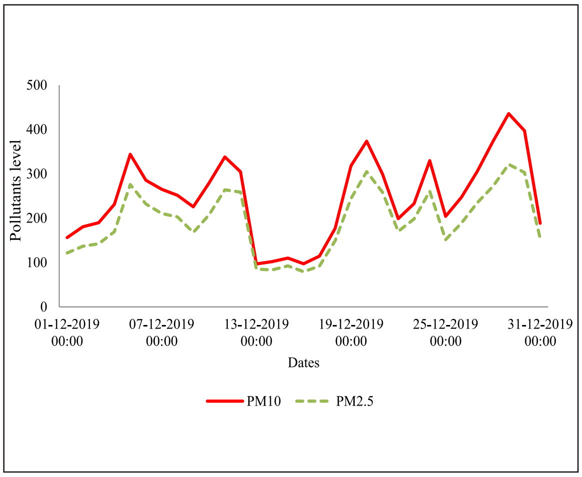

स्रोत: केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

प्रभावित नहीं होती है। यह लंबी अवधि में फसल की भूमि की उत्पादकता में सुधार कर सकती है या यथावत बनाए रख सकती है। इसके अलावा फसल भूमि से आवश्यकतानुसार फसल के अवशेषों का उपयोग करने के लिए अन्य विकल्प हैं और फसल अवशेषों का आवश्यकतानुसार उपयोग करने के लिए पहले से ही कुछ प्रयास किए गए हैं।

- फसल अवशेष आधारित ब्रिकेट के लिए बाजारों का सृजन किया जाए और ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले के साथ फसल अवशेषों को जलाना अनिवार्य किया जाए। उन क्षेत्रों में फसल अवशेषों के भंडारण हेतु बायोमास डिपो स्थापित करने के संबंध में अवसंरचना का निर्माण करना भी महत्वपूर्ण है जिन्होंने आग की बड़ी घटनाओं या किसी विशेष फसल के अधिक उत्पादन को दर्शाया है।

- कृषि उपकरणों के लिए वित्तपोषण और निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए कार्यशील पूंजी हेतु विशेष क्रेडिट लाइन बनाएं।

- एक वैकल्पिक ईंधन के रूप में स्थानीय उद्योगों, ईंट भट्टा और होटल/ढाबा में फसल अवशेष आधारित बायोचर ब्रिकेट के उपयोग को बढ़ावा दें।

- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिये जाने वाले प्रोत्साहन और आवंटन का निर्णय करते समय प्रदूषण नियंत्रण को एक पैरामीटर के रूप में रखा जाए।

6.34 राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने 10.12.2015 को पारित अपने आदेश में अपना निदेश जारी किया और दिल्ली के एनसीटी, राजस्थान राज्य, पंजाब राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य और हरियाणा राज्य के किसी भी हिस्से में फसल अवशिष्टों को जलाने पर रोक लगा दी। कोई भी व्यक्ति या निकाय जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निदेशों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा, यह पर्यावरण क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जिसकी वसूली संबंधित राज्य सरकारी द्वारा की जाएगी। 2014 में, केन्द्र सरकार ने फसल अवशिष्टों के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय नीति जारी की थी, जिसे लागू करने के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने राज्यों को निर्देश दिया है। फसल अवशेष जलाना आईपीसी की धारा 188 और 1981 के वायु और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के तहत तक अपराध है।

6.35 पंजाब, हरियाणा उत्तर प्रदेश राज्य और केन्द्र शासित राज्य दिल्ली में फसल अवशेषों के उसी स्थान पर प्रबंधन के लिए कृषि यांत्रिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक नई केन्द्रीय योजना और 2018-19 से 2019-2020 की अवधि के लिए केन्द्रीय निधि रुपये 1151.80 करोड़ (2018-2019 में 591.65 करोड़ रुपए और 2019-20 में 560.15 करोड़ रुपये) के कुल व्यय के साथ लागू किया जा रही है। इस योजना के तहत सुपर क्रॉप मैनेजमेंट कंबाइन हार्वेस्टर, हैप्पी सीडर, हाइड्रॉलिक रिवर्सिबल एमबी प्लॉ, पैडी स्ट्रॉ चॉपर, मल्चर, रोटरी स्लेशर, जीरो टिल सीड ड्रिल और रोटावेटर के लिए व्यक्तिगत किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी और कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापनाओं को 80 प्रतिशत सब्सिडी के साथ दिए जाते हैं।

6.36 विभिन्न प्रयासों की वजह से हर जगह पराली जलाने की घटनाओं में महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की गई है। (चित्र 19) तथापि किसानों द्वारा पराली जलाने का यह कार्य हर साल शरद ऋतु आरंभ होते ही निरंतर देख जाता है और वायु की गुणवत्ता पर इसके गंभीर प्रभाव पर चिंता भी व्यक्त की जाती है।

निर्माण एवं विध्वंस (सीडी) अपशिष्टः और इसका प्रभाव

6.37 निर्माण एवं विध्वंस (सीडी) अपशिष्ट का अवैज्ञानिक तरीके से निपटान वायु एवं जल प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण कारक है। भारत में निर्माण सामग्री (बालू, मिट्टी और पत्थर) की वाषिक खपत अनुमानतः

चित्र 19: फसल अवशेष जलाने की घटनाएं (संख्या में)

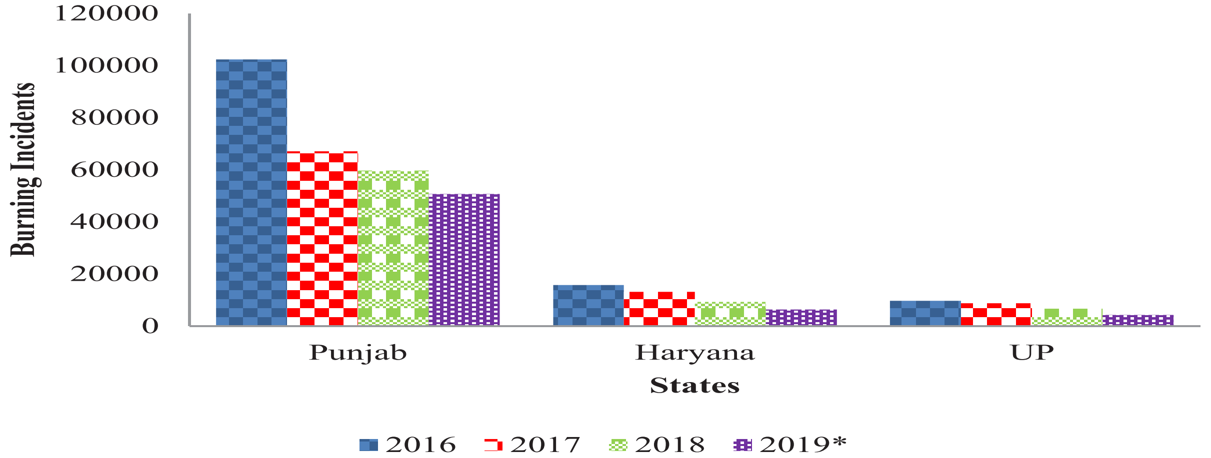

स्रोत: पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्यों में फसल अवशेष के स्वस्थाने प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने "से संबंधित समिति की रिपोर्ट 2019, *स्रोत: अंतरिक्ष से कृषि पारिस्थितिकी प्रणाली मॉनीटरन एवं मॉडलिंग संघ (सीआरईएएमएस), आईसीएआर।

3.100 मिलियन टन है। आईआईटी कानपुर द्वारा वर्ष 2015 में लिए गए अध्ययन के अनुसार, निर्माण एवं विध्वंस दिल्ली के प्रदूषण में कणलीय पदार्थों के उत्सर्जन में एक महत्वपूर्ण कारण है। इसलिए, निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन में चक्रीय अर्थव्यवस्था आधारित उपगम में निवेश की स्वास्थ्य और पर्यावरणीय क्षति से बचाव के रूप में बड़ी सफलता होगी (बॉक्स 3)

बॉक्स 3: सी एवं डी अपशिष्ट प्रबंधन में सार्वजनिक - निजी भागीदारी अनुभव: दिल्ली में सर्कुलर इकॉनॉमी (चक्रीय अर्थव्यवस्था) दृष्टिकोण

2009 में नगर निगम दिल्ली और आईएल एवं एफएस इनवायरमेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (आईईआईएसएल) राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारी के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट का निपटान करने के लिए बुराड़ी, दिल्ली में सी एवं डी अपशिष्ट का 500 टन प्रति दिन (टीसाइकिल करने के लिए परियोजना (देश में अपनी तरह की प्रथम सुविधा) आरंभ करने का बीड़ा उठाया। अभी तक दिल्ली में दो अन्य सी एवं डी पुन:चक्रण सुविधाएं (क्रमश: पूर्वी नगर निगम और दिल्ली मैट्रो रेल निगम के तहत) बुराड़ी की सुविधा सहित दोनों मिलकर 2,650 टीपीडी, सीडी अपशिष्ट को पुन: चक्रित कर रहे हैं। बुराड़ी की सुविधा का संचालन करना सी एवं डी अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 को तैयार करने में भावी परिदृश्य की भूमिका निभाने में भी सहायता करेगा। दिल्ली के ये सभी तीनों संयंत्र 5 मिलियन टन से अधिक सी एवं डी अपशिष्ट का प्रक्रमण कर चुके हैं।

पुन: चक्रण किए गए सी एवं डी उत्पादों का अनुप्रयोग: निर्मित रोड़ी और बारीक मिलावा के उपयोग के मानक, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा निर्धारित किए गए हैं। पुन:चक्रित उत्पाद सीपीडब्ल्यूडी द्वारा जारी दरों की दिल्ली अनुसूची में शामिल हैं। दिल्ली के सिविल निकाय और अन्य सरकारी विभाग यथा सीपीडब्ल्यूडी, डीडीएमआरसी, एनबीसीसी, पीडब्ल्यूडी, दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवेलॉपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, सिंचाई एवं खाद्य नियंत्रण अपने चालू सिविल निर्माण कार्यों के लिए पुन:चक्रित सी एवं डी सामग्रियों और उत्पादों का सक्रिय रूप से उपयोग कर रहे हैं। महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से जहां इनका उपयोग किया जा रहा है, वे उच्चतम न्यायालय अनेक्स भवन और एम पी फ्लैट, हैं जहां 2.3 मिलियन ईंटों का उपयोग किया गया था। इस सामग्री का उपयोग एन एच-1 को जोड़ने वाली 100 मी. चौड़ी सड़क के निर्माण में भी किया गया था।

स्रोत: आईएल तथा एफएस वातावरण

भावी परिदृश्य

6.38 भारत भलीभांति जानता है कि संधारणीयता के लिए कार्रवाई का मानवता से निर्विवादित संबंध है। भारत अपनी राष्ट्रीय कार्यसूची में एसडीजी को दर्शाता है और इसकी नीतियां विकास के तीन स्तंभों में से – आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण के मध्य संतुलन सुनिश्चित करती हैं। एसडीजी सभी स्तरों पर प्रशासन, मॉनीटरन और कार्यान्वयन के उच्च मानकों के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं। सहकारी संघीय व्यवस्था की भावना के अनुरूप राज्य और केंद्र सरकारें उस परिवर्तन के लिए कदम से कदम मिला कर चल रही हैं जिसकी भारत को आवश्यकता है।

6.39 भारत ने 2005-14 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के प्रदूषण की गहनता में 21 प्रतिशत की कमी की है और घोषित लक्ष्यों को प्राप्त करने के रास्ते पर है। भारत ने 2022 तक नवीकरण के लिए 175 जीडब्ल्यू का लक्ष्य घोषित किया था और बाद में, माननीय प्रधानमंत्री ने सितम्बर, 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई सम्मेलन में अपने संबोधान में कहा है कि ''भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को 175 गीगावाट से और आगे लेजाकर बाद में 450 गीगावाट क्षमता तक किया जाएगा। भारत ने दिल्ली में यूएनसीसीडी 14वीं की सीओपी के दौरान 2030 तक 26 मिलियन निम्निकृत भूमि के उद्धार के लक्ष्य को भी तय किया है। यह भूमि स्रोतों में कार्बन सिंक सुनिश्चित करने के लिए विश्व के कार्यक्रमों में से एक बृहत्तम कार्यक्रम है। अंतर्राष्ट्रीय रूप से सीडीआरआई नॉलिज एक्सचेंज के माध्यम से देशों को समर्थन देने में भागेदारी निभाने और आपदा तथा पर्यावरण सह्य उपरिसंरचना को विकसित करने के लिए तकनीकी समर्थन प्रदान करने के लिए लॉच की थी।

6.40 भारत विश्व में उन कुछ देशों में से एक है जहां निरंतर विकासात्मक प्रयासों के बावजूद वन और वृक्ष आच्छादन पर्याप्त रूप से बढ़ रहा है। वन और वृक्ष आच्छादन 80.73 मिलियन हैक्टेयर पहुंच गया है जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.56 प्रतिशत है। 2019 में वन का कुल कार्बन स्टॉक अनुमानतः 7,124.6 मि. टन है जो 2017 की तुलना में देश के कार्बन के स्टॉक में 42.6 मिलियन टन की वृद्धि दर्शाता है।

6.41. कृषि उपज अवशेष और निर्माण तथा निर्माण विखंडन के अपशिष्ट एक बड़ी चिंता का विषय बने हुए है। बहुत से देश पहले से ही पुनः चक्रित किए गए सी एवं डी उत्पादों का निर्माण कार्यों में उपयोग कर रहे हैं। भारत में सी एवं डी अपशिष्ट प्रबंधन में दिल्ली का पीपीपी मॉडल अन्य राज्यों/नगरों के लिए अनुकरणीय रास्ता हो सकता है जो स्वचछ भारत मिशन को सक्षम बनाएगा और एसडीजी का समर्थन करेगा।

6.42 समाज के विभिन्न पणधारकों के निरंतर और संगत प्रयासों के बावजूद आर्थिक संसाधानों की कमी इसके मार्ग में बड़ी बाधा है। विकसित देशों को बहुपक्षीय पर्यावरणीय करार के तहत अपने आर्थिक दायित्वों ओर वायदों का सम्मान करना होगा। कार्बन उत्सर्जन से लाभ प्राप्त करने वाले देशों को, जिसके कारण वे विकसित देश बने हैं, कर्ज उतारना चाहिए। प्रौद्योगिकी विकास और किफायती मूल्य पर स्थानांतरण विकसित देशों के लिए भी महत्वपूर्ण है। अतः विकासशील देशों के लिए, पर्याप्त वित्त की, प्रौद्योगिकी अंतरण ओर क्षमता निर्माण की पर्याप्त व्यवस्था, जैसे कि एसडीजी और पर्यावरण परिवर्तन पर पैरिस करार का कार्यान्वयन सुविधाजनक बनाना, अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत ने, विकासशील देशों को अग्रणी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करने के साथ अपने दायित्वों का भी निर्वहन किया है और आगे भी करना रहेगा।

अध्याय, एक नजर में

- भारत अपनी समृद्ध नीतियों के साथ समावेशी विकास के लिए भलीभांति तैयार की गई पहल के माध्यम से एसडीजी के मार्ग पर अग्रसर है। समग्र एसडीजी इंडेक्स में भारत की उपलब्धि प्रशंसनीय है और इसके प्राप्तांक वर्ष 2018 में 57 की तलना में बढ़कर वर्ष 2019 में 60 हो गए हैं।
- एसडीजी इंडैक्स के अनुसार हिमाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, चंडीगढ़ अग्रणी अनुपालक हैं और आसाम, बिहार और उत्तर प्रदेश आकांक्षी श्रेणी के अंतर्गत आते है।
- भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रीन बॉड बाजार है।
- जीसीएफ ने पहली बार पुन:पूर्ति (2020-23) में यह पाया गया US$ 9.7 बिलियन की राशि के लिए निधि की पुन:पूर्ति के लिए संसाधन उपलब्ध करवाने के लिए 28 देशों ने वचन दिया जो कि आईआरएम अवधि की तुलना में मात्रात्मक रूप से कम है।
- मैड्रिड में यूएनएफ सीसीसी के सीओपी 25 में भारत ने समानता और समान किंतु विभेदी दायित्वों के सिद्धांतों के अनुसार पैरिस करार के कार्यान्वयन की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। सीओपी 25 के निर्णय में महत्वकांक्षा का संतुलित और एकीकृत दृष्टिकोण उपलब्ध कराता है जिसमें जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना, इनका अनुकूलन करना और विकसित देशों से विकासशील देशों के लिए कार्यान्वयन के साधन शामिल हैं।
- आईएसए ने सदस्य देशों की 30 अध्येतावृत्तियों को संस्थागत रूप देते हुए एक 'समर्थकर्ता' की; भारत के एक्जिम बैंक से 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर और एएफडी, फ्रांस, से 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था करते हुए एक 'सुविधाप्रदाता' की; सौर जोखिम शमन पहल जैसी पहलों का पोषण करते हुए एक 'इन्क्यूबेटर' की तथा 1000 मेगावाट सौर साधनों एव 270,000 सौर जल पंपों को संयुक्त करने के लिए साधनों का विकास करते हुए एक 'उत्पेरक' की भूमिका ग्रहण की हैं
- भारत ने सीडीआरआई आरंभ की जिसमें पारिस्थितिक, सामाजिक और आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लचीलापन विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- भारत सरकार ने 2 से 13 सितंबर, 2019 को आयोजित 14 वीं सीओपी का आयोजन किया सीओपी 14 ने दिल्ली घोषणा-भूमि में निवेश और अवसरों के मार्ग खोलना, को अपनाया।
- भारत विश्व के ऐसे कुछ देशों में से है जहां विकास के चल रहे प्रयासों के बावजूद वन और वृक्षों के आच्छदन में पर्याप्त वृद्धि हुई है। वन और वृक्षों का आच्छदन 80.73 मिलियन हैक्टेअर तक पहुंच गई है जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.56 प्रतिशत है।
- कृषि अपशिष्ट को जलाने से प्रदूषण स्तर में बढ़ोत्तरी होती है और वायु की गुणवत्ता में गिरावट आती है जो कि अभी भी बढ़ी चिंता का विषय है हालांकि किए गए विभिन्न प्रयासों के कारण कृषि अपशिष्ट को जलाने की कुल संख्या में कमी आई हैं।

REFERENCES

Climate Bonds Initiative, 2018, "Green Bonds-The State Of The Market 2018", https://www.climatebonds.net/files/reports/cbi_gbm_final_032019_web.pdf

Climate Bonds Initiative, H1 July 2019, "Green Bonds Market Summary H1 2019", https://www.climatebonds.net/files/files/H1%202019%20Highlights_final.pdf

Forest Survey of India, 2019, "India State of

Forest Report 2019", http://164.100.117.97/WriteReadData/userfiles/ISFR2019%20Vol-I.pdf

Green Climate Fund, 2019,"Eighth Report of the Green Climate Fund to the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change", https://www.greenclimate.fund/documents/20182/1674504/GCF_B.23_10_-_Eighth_Report_of_the_Green_Climate_Fund_to_the_Conference_of_the_Parties_to_the_United_Nations_Framework_Convention_on_Climate_Change.pdf/3a253685-3375-563e-00e5-88fce8ef2dd1

Hesammi et al. (2014), Adverse effects of agriculture on the environment, WALIA journal. 30 (4); 192-194

International Finance Corporation, 2018, "Emerging Market Green Bonds Report 2018", https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/9e8a7c68-5bec-40d1-8bb4-a0212fa4bfab/Amundi-IFC-Research-Paper-2018.pdf?MOD=AJPERES

IPCC, 2019, "Global Warming of 1.5 ºC", https://www.ipcc.ch/sr15/

IPCC, 2019, "IPCC Special Report on Climate Change and Land", https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/08/SRCCL-leaflet.pdf ntergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 2019, "Special Report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems (SR2)", https: //www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/07/sr2_background_report_final.pdf

Kanawade et al., 2019, What caused severe air pollution episode of November 2016 in New Delhi? , Atmospheric Environment, 2019, 117125

Ministry of Environment, Forest and Climate Change, PIB, 2019," Statement of Union Environment Minister at UNFCCC COP25", https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=195691

Ministry of Finance, 2018, "3 Essential "S"s of Climate Finance - Scope, Scale and Speed: A Reflection", http://ies.gov.in/pdfs/final-print.pdf

Ministry of Finance, 2019, "Climate Summit for Enhanced Action: A Financial Perspective from India", https://dea.gov.in/sites/default/files/FINAL%2017%20SEPT%20VERSION%20Climate%20Summit%20for%20Enahnce%20Action%20A4%20size.pdf

NITI Aayog, 2019, "Localising SDGs Early Lessons From 2019" http://niti.gov.in/writereaddata/files/LSDGs_July_8_Web.pdf

SAFAR (2019) , URL : http://safar.tropmet.res.in/

TERI (2018), Source Apportionment of PM2.5 & PM10 of Delhi NCR for Identification of Major Sources, The Automotive Research Association of India and The Energy and Resources Institute, New Delhi.

TIFAC (2018), Estimation of Surplus Crop Residues in India for Biofuel Production" Joint Report of TIFAC & IARI October, 2018

UN Climate Action Summit, 2019 https://www.un.org/en/climatechange/unclimate-summit-2019.shtml

UNEP, 2019, "Emissions Gap Report 2019", https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/30797/EGR2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y

UNFCCC, 2015, "India's Intended Nationally Determined Contribution: Working Towards Climate Justice", https://nmhs.org.in/pdf/INDIA%20INDC%20TO%20UNFCCC.pdf

UNFCCC, 2018, "Summary Report of the Standing Committee on Finance of UNFCCC (2018)", https://unfccc.int/scf

कृषि एवं खाद्य प्रबंधन

07

अध्याय

रोजगार, आय एवं प्रमुखतः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में अपनी सतत् भूमिका के कारण कृषि एवं इसके संबद्ध क्षेत्र एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बने हुए हैं। राष्ट्रीय आय में इसका योगदान वर्ष 2014-15 के 18.2% से गिरकर वर्ष 2019-20 में 16.5% हो गया है, जोकि अर्थव्यवस्था में होने वाली विकास प्रक्रियाओं एवं संरचनात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। किसानों की आय को दुगुना करने के उद्देश्य को मूर्त रूप देने के लिए यह अपेक्षित है कि उधार की सुविधा, बीमा कवरेज, सिंचाई सुविधाएं आदि जैसे क्षेत्रों की चुनौतियों का समाधान किया जाए। भारत में निम्न फार्म यांत्रिकी के मुद्दे को (जो लगभग 40 प्रतिशत है) भी हल करने की आवश्यकता है, जो कि चीन में लगभग 60% एवं ब्राजील में 75% है। तथ्य यह है कि पिछले पांच वर्षों में पशुधन क्षेत्र में लगभग 8% वार्षिक चक्र वृद्धि दर (सी.ए.जी.आर.) से वृद्धि हुई है, जिसके कारण इस क्षेत्र की आय, की रोजगार एवं पोषण संबंधी सुरक्षा में अहम भूमिका है। यद्यपि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र वर्ष 2017-18 को समाप्त होने के पिछले 6 वर्षों में 5% से अधिक की औसत वार्षिक दर से बढ़ रहा है, फिर भी फार्म आउटपुट के लिए अतिरिक्त बाजार सृजित करने तथा फसल कटाई के बाद की क्षति को कम करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण इस क्षेत्र पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। जुलाई 2013 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन से खाद्य सब्सिडी बिल वर्ष 2014-15 के 113171.2 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 171127.5 करोड़ हो गया हैं। भारत के खाद्य प्रबंधन को खाद्य सुरक्षा विशेषकर संवेदनशील वर्गों की चुनौतियों का सामना करते हुए खाद्य सब्सिडी को संगत बनाने पर बल देना चाहिए।

प्रस्तावना

7.1 भारत जैसे विकासशील देश का आर्थिक परिवर्तन मुख्यतः इसकी कृषि एवं सहायक क्षेत्रों के निष्पादन पर निर्भर करता है। यह क्षेत्र ग्रामीण आजीविका, रोजगार एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में यह आजीविका का सबसे बड़ा साधन है। रोजगार अवसरों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर रहने वाली भारतीय जनसंख्या का अनुपात अन्य क्षेत्रों की तुलना में सबसे ज्यादा है। अधिकतम 70 प्रतिशत ग्रामीण जनता अपनी आजीविका के लिए मुख्यतः कृषि पर निर्भर रहती है इसमें 82% किसान लघु एवं सीमांत[1] हैं। विकास में समावेशता का उद्देश्य ग्रामीण विकास पर बल देते हुए प्राप्त करना होगा जहां कृषि इसे बेहतर रूप में कर सकती है। सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय को दुगुना करना है। आय सहायक स्कीम, फसल बीमा, जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन तकनीकों से लेकर कृषि विपणन सुधारों जैसे अनेक उपाय किए जा रहे हैं।

---

1. एफएओए, भारत एक नजर में, http://www.fao.org/india/fao-in-india/india-at-a-glance/en/.

कृषि का सिहांवलोकन

कृषि के सकल संवर्धित मूल्य में हिस्सा

7.2 देश में मौजूदा कीमतों पर सकल संवर्धित मूल्य में कृषि एवं सहायक क्षेत्रों का हिस्सा वर्ष 2014-15 के 18.2% से गिर कर वर्ष 2019-20 (तालिका 1) में 16.5% हो गया है। देश के कुल जी वी ए में कृषि एवं सहायक क्षेत्रों का हिस्सा गैर-कृषि क्षेत्रों के अपेक्षाकृत उच्च विकास प्राप्ति के कारण गिर रहा है। यह विकास प्रक्रिया की प्राकृतिक उपलब्धि है जो अर्थव्यवस्था में होने वाले संरचनात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप गैर-कृषि क्षेत्रें में होने वाली त्वरित वृद्धि को बढ़ावा देती है।

तालिका 1: प्रचलित कीमतों पर देश के कुल जी वी ए में कृषि एवं सहायक क्षेत्रों का हिस्सा

मद	वर्ष					
	2014-15	2015-16*	2016-17#	2017-18@	2018-19**	2019-20$
कृषि और संबंध क्षेत्रों का जीवीए (करोड़ में)	2093612	2227533	2496358	2670147	2775852	3,047,187
कुल अर्थव्यवस्था के जीवीए में कृषि और संबंध क्षेत्रों के जीवीए का शेयर (प्रतिशत)	18.2	17.7	17.9	17.2	16.1	16.5
फसल का हिस्सा	11.2	10.6	10.6	10.0	-	-
पशुधन का हिस्सा	4.4	4.6	4.8	4.9	-	-
वानिकी और संलेशन का हिस्सा	1.5	1.5	1.4	1.2	-	-
मत्स्य-पालन का हिस्सा	1.0	1.1	1.1	1.1	-	-

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सी एस ओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (एमओएमपीआई)

टिप्पणी: **वार्षिक राष्ट्रीय आय 2018-19 के अनंतिम प्राक्कलनों तथा 31 मई 2019 को सी एस ओ द्वारा जारी 2018-19 के चौथी तिमाही (क्यू 4) के लिए सकल घरेलू उत्पाद के तिमाही प्राक्कलनों के प्रेस नोट के अनुसार 31 जनवरी 2019 को जारी वर्ष 2017-18 के राष्ट्रीय आय की प्रथम संशोधित प्राक्कलनों उपयोग, व्यय, बचत एवं पूंजी निर्माण

द्वितीय संशोधित प्राक्कलन

* तीसरा संशोधित प्राक्कलन।

$ प्रथम अग्रिम प्राक्कलन 2019-20

कृषि एवं सहायक क्षेत्रें में वृद्धि

7.3 कृषि एवं सहायक क्षेत्रों की जी वी ए के प्रदर्शन में उतार-चढ़ाव देखे गए हैं। कृषि, वानिकी एवं मत्स्य पालन क्षेत्र से वर्ष (2011-12) स्थिर कीमतों पर, वर्ष 2019-20 के जी वी ए में वर्ष 2018-19 के 2.9% की तुलना में 2.8% वृद्धि का अनुमान है। (तालिका 2)

तालिका 2: कृषि क्षेत्र: स्थिर (2011-12) मूल्य (%में) पर वृद्धि के प्रमुख सूचक

वर्ष	कुल अर्थव्यवस्था के जीवीए में वृद्धि	कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के जीवीए में वृद्धि
2013-14	6.1	5.6
2014-15	7.2	-0.2
2015-16*	8.0	0.6
2016-17#	7.9	6.3
2017-18@	6.9	5.0

2018-19**	6.6	2.9
2019-20$	4.9	2.8

स्रोत: सी ए ओ, एम ओ एस पी आई

टिप्पणी: 31 मई, 2019 को सी एस ओ द्वारा जारी वर्ष 2018-19 की वार्षिक राष्ट्रीय आय के अनंतिम प्राक्कलों एवं वर्ष 2018-19 की चौथी तिमाही की जी डी पी के तिमाही प्राक्कलनों के प्रेस नोट के अनुसार

@ 31 जनवरी 2019 को जारी वर्ष 2017-18 के लिए, राष्ट्रीय आय, उपयोग व्यय, बचत एवं पूंजी निर्णय के प्रथम संशोधित प्राक्कलनों के अनुसार * तीसरा संशोधित प्राक्कलन

$ प्रथम अग्रिम प्राक्कलन 2019-20

कृषि में सकल पूंजी निर्माण (जी सी एफ)

7.4 इस क्षेत्र में जीवीए के सापेक्ष कृषि एवं सहायक क्षेत्रें में जी सी एफ वर्ष 2012-13 के 16.5 प्रतिशत से वर्ष 2017-18 के 15.2% के बीच उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति प्रदर्शित होती रही है। (तालिका 3)

तालिका 3: स्थिर (2011-12) कीमतों पर सकल संवर्धित मूल्य के सापेक्ष कृषि एवं सहायक क्षेत्रों में सकल पूंजी निर्माण

वर्ष	कृषि और संबंध क्षेत्रों का जीसीएफ (करोड़ में)	कृषि और संबंध क्षेत्रों का जीवीए (करोड़ में)	जीवीए के प्रतिशत के रूप में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का जीसीएफ (प्रतिशत में)
2012-13	2,51,094	15,24,288	16.5
2013-14	2,84,424	16,09,198	17.7
2014-15	2,72,663	16,05,715	17.0
2015-16*	2,37,648	16,16,146	14.7
2016-17#	2,67,836	17,17,467	15.6
2017-18@	2,73,755	18,03,039	15.2

स्रोत: सी एस ओ, एम ओ एस पी आई

टिप्पणी: 31 जनवरी 2019 को वर्ष 2017-18 के लिए जारी राष्ट्रीय क्रय, उपयोग व्यय, बचत एवं पूंजी निर्माण के प्रथम संशोधित प्राक्कलनों के अनुसार।

#द्वितीय संशोधित प्राक्कलन *तीसरा संशोधित प्राक्कलन

न्यूनतम समर्थन मूल्य

7.5 अधिक निवेश एवं उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने 22 आवश्यक फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य; (एम एस पी) तथा गन्ने के लिए उचित एवं मेहनताना मूल्य की घोषणा की है। केन्द्रीय बजट 2018-19 में एम एस पी को उत्पादन लागत से डेढ़ गुणा रखने के पूर्व निर्धारित सिद्धांत की घोषणा की गई है। तदनुसार सरकार ने 2018-19 सत्र के लिए संपूर्ण भारत में सभी आवश्यक खरीफ, रबी एवं अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए निर्धारित औसत लागत की डेढ़ गुणा आय के लिए एम एस पी को बढ़ाया है। सरकार ने इस सिद्धंत के अनुसार वर्ष 2019-20 में सत्र के लिए सभी आवश्यक खरीफ एवं रबी फसलों के लिए एम एस पी को बढ़ाया है। इसके अतिरिक्त, प्रत्यक्ष आय/निवेश समर्थित स्कीम आरंभ की गई है। (बॉक्स 1)

बॉक्स 1: आय/निवेश समर्थित स्कीम

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पी एम-किसान)

पीएम-किसान भारत सरकार की 100 प्रतिशत निधियन वाली केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है। यह स्कीम 01.12.2018 से प्रभावी है तथा इसमें सभी किसान (कुछेक अपवाद मापदण्ड के अनुसार) शामिल हैं स्कीम के अंतर्गत देश के सभी किसान

परिवारों की आय में प्रत्येक चार महीनों के अंतराल पर ₹ 2000 तीन बराबर किस्तों में प्रतिवर्ष ₹ 6000 की सहायता दी गई है।

उड़ीसा की आजीविका एवं आय बढ़ाने के लिए कृषक सहायता (के ए एल आई ए)

यह स्कीम उड़ीसा सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 की रबी सत्र से राज्य में कृषि-संबंधी समृद्धता लाने एवं गरीबी के उन्मूलन के लिए आरंभ की गई है। विभिन्न घटकों के अधीन मिलने वाले लाभ हैं: लघु एवं सीमांत किसानों को पांच सत्रों तक प्रति कृषि परिवार की ₹ 25000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी ताकि किसान बीज, खाद्य, कीटनाशक, श्रम एवं अन्य निवेश जैसी आगतों की खरीद कर सके। भूमिहीन कृषि परिवारों के लिए लघु बकरी पालन इकाई, मिनी लेयर इकाई, बतख पालन इकाई, मछुवारों के लिए मत्स्य पालन किट, मशरूम खेती एवं मधुमक्खी पालन आदि जैसी कृषि सहायक गतिविधियों के लिए प्रत्येक भूमिहीन कृषि परिवार को ₹ 12,500/- की आर्थिक सहायता की जाएगी। असुरक्षित कल्टीवेटरों/भूमिहीन कृषि श्रमिकों को प्रति परिवार प्रतिवर्ष ₹ 10000/- की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी ताकि वे अपना जीवन निर्वाह कर सकें। इस स्कीम में बहुत कम प्रीमियम पर किसानों के लिए जीवन एवं दुर्घटना बीमा सुरक्षा भी दी जाती है।

झारखण्ड की मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना

इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी लघु एवं सीमांत किसानों, जिनके पास अधिकतम 5 एकड़ कृषि योग्य भूमि है, को प्रति किसान प्रतिवर्ष ₹ 5000/- की अनुदान सहायता दी जाएगी, जिससे उनकी ऋणों की निर्भरता में कमी आएगी। यह राशि लाभार्थी के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (प्रत्यक्ष बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से दो किस्तों में दी जाएगीं यह पी एम किसान निधि योजना से अलग है जिसमें प्रत्येक लघु एवं सीमांत किसान परिवार, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की संयुक्त जोत स्वामित्व है, को प्रतिवर्ष ₹ 6000/- दिए जाएंगे।

तेलंगाना का रायथु बंधु

तेलंगाना सरकार फसली सत्र से पूर्व प्रारंभिक निवेश के रूप में बीजों, खादों आदि जैसी विभिन्न आगतों की खरीद के लिए राज्य के सभी किसानों (पट्टेदारों) को प्रति व्यक्ति प्रति एकड़ ₹ 4000/- की दर से निवेश सहायता देने के लिए नई अवधारणा लेकर आई है। योजना को खरीफ 2018 से क्रियान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 12000/- करोड़ की वित्तीय परिव्यय आबंटित किया गया है। खरीफ 2018-19 के दौरान 51.50 लाख किसान 5,260.94 करोड़ ₹ राशि से लाभान्वित हुए हैं तथा इसका सवितरण चैक के द्वारा किया गया था। रबी 2018-19 के दौरान सरकार ने किसानों के खातों में राशि जमा कराने के लिए ई-कुबेर खजाने के माध्यम से राशि को अंतरित करने का निर्णय लिया है। 49.03 लाख किसानों के खातों में ₹ 5,244.26 करोड़ अंतरित कर दिए गए हैं। वर्ष 2019-20 के दौरान तेलंगाना सरकार ने निवेश सहायता योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि को ₹ 4000/- से बढ़ाकर ₹ 5000/- प्रति एकड़ प्रति व्यक्ति कर दिया है।

कृषि का मशीनीकरण

7.6 मानव की कड़ी मजदूरी एवं खेती की लागत को कम करने के अतिरिक्त अन्य आगतों एवं प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रयोग करके उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए आधुनिक कृषि में कृषि मशीनीकरण आवश्यक आगत बन कर आई है। जल एवं भूमि संसाधनों एवं श्रमिक ससाधन के कम होने से यह जिम्मेदारी उत्पादन के मशीनीकरण एवं कटाई के बाद के प्रचालनों पर आ गई है। कृषि विद्युत एवं कृषि की उपज के बीच रेखीय संबंध होता है तथा सरकार ने कृषि विद्युत को 2.02 किलोवाट प्रति हेक्टेयर (2016-17) से बढ़ाकर वर्ष 2030 के अंत तक 4.0 किलोवाट प्रति हेक्टेयर करने का निर्णय लिया है ताकि खाद्यान्न की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके।

7.7 भारतीय ट्रेक्टर उद्योग संसार का सबसे बड़ा उद्योग है, जो कुल वैश्विक उत्पादन का एक तिहाई है।

पिछले चार दशकों में ट्रेक्टर उद्योग में 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि दर से वृद्धि हुई है। (सी ए जी आर) विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा दिए गए प्रोत्साहन के कारण भारत में खेती मशीनीकरण बाजार में वर्ष 2016-2018

चित्र 1: ट्रेक्टर एवं पॉवर टिल्लर्स की वर्षवार बिक्री ('000' में)

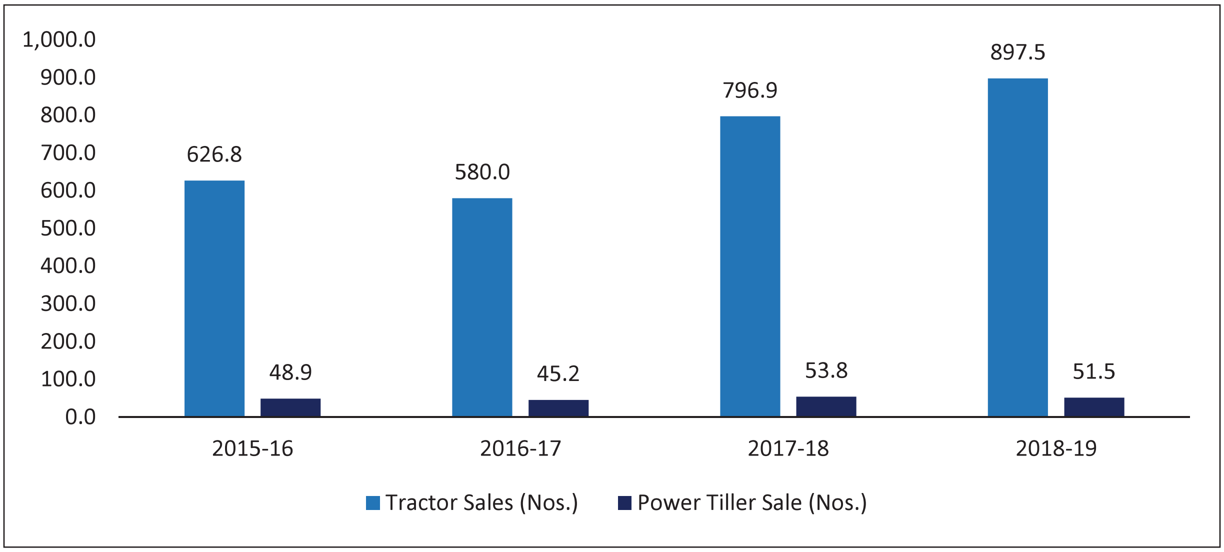

स्रोत: खेती, सहकारी एवं किसान कल्याण विभाग (डी ए सी एण्ड एफ डब्ल्यू)

के दौरान 7.53% की सी ए जी आर से वृद्धि दर्ज की गई है। (चित्र 1)

7.8 देश में खेती मशीनीकरण क्षेत्र की समावेशी प्रगति की आवश्यकता को देखते हुए वर्ष 2014-15 में मशीनीकरण संबंधी सब मिशन आन एग्रीकल्चरल मेकानाइजेसन प्रारंभ किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत कृषि मशीनरी का प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन करने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दी जाती है, ''कस्टम हायरिंग सेंटर'' स्थापित करने के लिए एवं विभिन्न कृषि मशीनरी एवं उपस्कर के प्रापन के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत, वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान ₹ 3377.07 करोड़ की कुल राशि आबंटित की गई तथा 2018-19 के दौरान यह ₹ 1027.46 करोड़ थी। पिछले चार वर्षों के दौरान सरकार ने लेजर लेवलर, हैप्पी सीडर प्रौद्योगिकी, कंबाइन हारवेस्टर एवं पावर वीडर जैसे छोटे उपकरणों जैसी नवीनतम कृषि मशीनरी को प्रोत्साहित करने के लिए अत्यधिक बल दिया है। ''पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली संघ शासित क्षेत्रों में (2018-2019) फसल के इन-सीटू मैनेजमेंट के लिए किसी भूमिकरण को उन्नत्ति'' पर नई केन्द्रीय क्षेत्र योजना के तहत व्यक्तिगत किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी के साथ कृषिय मशीनों और उपकरण और कस्टम हाईरिंग केन्द्रों की स्थापना के लिए 80 प्रतिशत दी गई।

कृषि में फसल वार मशीनीकरण स्तर

7.9 कृषि मशीनी के प्रभावी प्रयोग से एक ही भूमि पर फसलों के त्वरित चक्र के लिए समयबद्ध कृषि प्रचालकों के साथ-साथ कृषि निर्गतों के उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने में मदद मिलती है। एक ही भूमि के टुकड़े से दूसरी फसल या बहु-फसल उगाव कर, फसलों की गहनता में सुधार हुआ है तथा कृषि भूमि वाणिज्यिक दृष्टि से अधिक व्यवहार्य हुई है। (नाबार्ड, 2018) हालांकि, भारत में समग्र खेती मशीनीकरण अमेरिका (95 प्रतिशत) ब्राजील (75 प्रतिशत) एवं चीन (57 प्रतिशत), की तुलना में निम्न (40-45 प्रतिशत) रहा है। भारत के ट्रैक्टर उत्पादन के महत्वपूर्ण हिस्से का भी निर्यात किया जाता है। औसत रूप में भारत हर वर्ष 79000 ट्रेक्टरों का निर्यात करता है; इसके मुख्य बाजार अफ्रीकी देश एवं एशियन देश

हैं; जिनकी समान मृदा एवं कृषि जलवायु स्थितियां हैं। मशीनीकरण के अंतः राष्ट्रीय स्तरों में विसंगतियां हैं जहां पर अन्य क्षेत्रों की तुलना में उत्तरी भारत के मशीनीकरण का स्तर ज्यादा है। खेती मशीनीकरण पर वर्ष 2018 में नाबार्ड के अध्ययन में यह पाया गया है कि छोटी जोतों, विद्युत अभिगम उधार लागत एवं प्रक्रिया, अबीमित बाजार एवं निम्न जागरुकता के कारण प्रचालन की किफायत भारत में कृषि कम मशीनीकरण की निम्न दर के महत्वपूर्ण कारण हैं। भारत में वर्ष 2018-19 की प्रमुख फसलों का मशीनीकरण स्तरों को तालिका 4 में दर्शाया गया है।

सूक्ष्म सिंचाई

7.10 सतत कृषि व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए परिशुद्ध या सूक्ष्म सिंचाई (टपका एवं छिड़काव सिंचाई) के माध्यम से कृषि स्तर पर जल प्रयोग दक्षता पर बल देना अनिवार्य हो गया है। इस पर विचार करते हुए और जल आपूर्ति श्रृंखला अर्थात् जल स्रोत, विवरण नेटवर्क एवं कृषि स्तरीय अनुप्रयोग में अंतिम समाधान प्रदान करने के लिए "हर खेत को पानी" के ध्येय के साथ प्रधानमंत्री कृषि योजना (पीएमकेएसवाई) 01 जुलाई 2015 को आरंभ किया गया था। कृषि स्तर पर जल प्रयोग दक्षता पर बल देने के लिए देश में पी एम के एस वाई (पीएमकेएसवाई-पी डी एम सी) के प्रति बूंद अधिक फसल संघटक वर्ष 2015-16 से कार्य कर रहे हैं। क्षेत्र के संबंध में सूक्ष्म सिंचाई संघटक का निष्पादन चित्र 2 में दर्शाया गया है।

तालिका 4: वर्ष 2018-19 में भारत की प्रमुख फसलों का मशीनीकरण स्तर

प्रमुख फसलें	फसलों का मशीनीकरण स्तर प्रतिशत में			
	सीड-बैड निर्माण	बुआई/रोपण/रोपाई	निराई गुड़ाई एवं पौधों की सुरक्षा	कटाई एवं गाहना (भूस्से को फसल से अलग करना/थ्रेसिंग)
चावल	70	20	30	60
गेंहू	70	60	50	70
मक्का	60	40	30	30
ज्वार एवं बाजरा	50	30	15	10
दालें	50	40	20	25
तिलहन	50	40	20	25
कपास	50	30	25	0
गन्ना	55	10	20	10

स्रोतः कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डी ए आर ई)

7.11 सूक्ष्म सिंचाई, जिसमें टपका एवं छिड़काव सिंचाई शामिल है, एक सिद्ध प्रौद्योगिकी है, जिसने किसानों के बीच अत्यधिक लोकप्रियता अर्जित की है। इस प्रौद्योगिकी के घटकों में-जल, विद्युत, उर्वरक श्रम, फसल उत्पादकता में वृद्धि, उत्पाद की बेहतर गुणवत्ता, जैसी आगतों का बेहतर नियोजन शामिल है। जिससे ऊंची बिक्री कीमत मिलती है परिणमस्वरूप किसान की आय बढ़ती है, इस प्रौद्योगिकी से सिंचाई की परंपरागत विधि की तुलना में जल की उसी मात्रा से अतिरिक्त

चित्र 2: केंद्र प्रायोजित योजना के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के अधीन शामिल क्षेत्र वर्ष-वार (हेक्टेयर में)

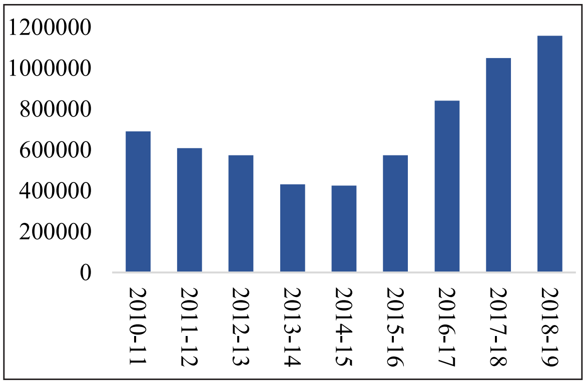

स्रोतः डी ए सी एवं एफ डब्ल्यू

क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती है। इसके अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा के कारण जल की कमी, कृषियोग्य अपशिष्ट भूमि एवं भूमि क्षेत्रों पर खेती की जा सकती है। चावल, गेहूं प्याज, आलू आदि जैसे गहन अंतर पर बोई जाने वाली फसलों में इस प्रौद्योगिकी के प्रयोग की अच्छी संभवानाएं है।। संक्षेप में किसानों को निम्नलिखित लाभ प्राप्त हुए हैं:

- सिंचाई जल की 20 से 48 प्रतिशत तक बचत
- ऊर्जा की 10 से 17 प्रतिशत तक बचत
- श्रम लागत में 30 से 40 प्रतिशत तक बचत
- उर्वरकों में 11 से 19 प्रतिशत तक की बचत
- फसल उत्पादन में 20 से 38 प्रतिशत की वृद्धि
- लाभार्थी किसानों की निवल वार्षिक आय में वृद्धि।

7.12 सूक्ष्म सिंचाई में सरकारी एवं निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नाबार्ड ने जिससे ऊंची बिक्री कीमत मिलती है परिणमस्वरूप किसान की आय बढ़ती है, ₹ 5000/- करोड़ की प्रारंभिक आधारभूत निधि के अनुमोदन के साथ समर्पित सूक्ष्म सिंचाई निधि (एमआईएफ) सृजित की है। निधि का मुख्य उद्देश्य पीएम के-एसवाई-पीडीएमसी के अधीन कल्पित सूक्ष्म सिंचाई के क्षेत्र में विस्तार करने के लिए संसाधनों को जुटाना तथा राज्य सरकारों द्वारा विशेष एवं नवीन पहलों के माध्यम से अतिरिक्त कवरेज करना भी शामिल है।

कृषि ऋण

7.13 वर्ष 2019-20 के लिए कृषि ऋण प्रवाह लक्ष्य 13,50,000 करोड़ ₹ निर्धारित किया गया है तथा 30 नवबंर 2019 तक 9,07,843.37 करोड़ ₹ का संवितरण हो चुका है। भारत में कृषि उधार का क्षेत्रीय वितरण अत्यन्त विषम है (चित्र 3)। यह देखा जाता है कि पूर्वोत्तर पहाड़ी एवं पूर्वी राज्यों में ऋण निम्न है। कुल कृषि ऋण संवितरण में पूर्वोत्तर राज्यों का हिस्सा 1 प्रतिशत से भी कम है।

चित्र 3: वर्ष 2018-19 में कृषि ऋण का वितरण

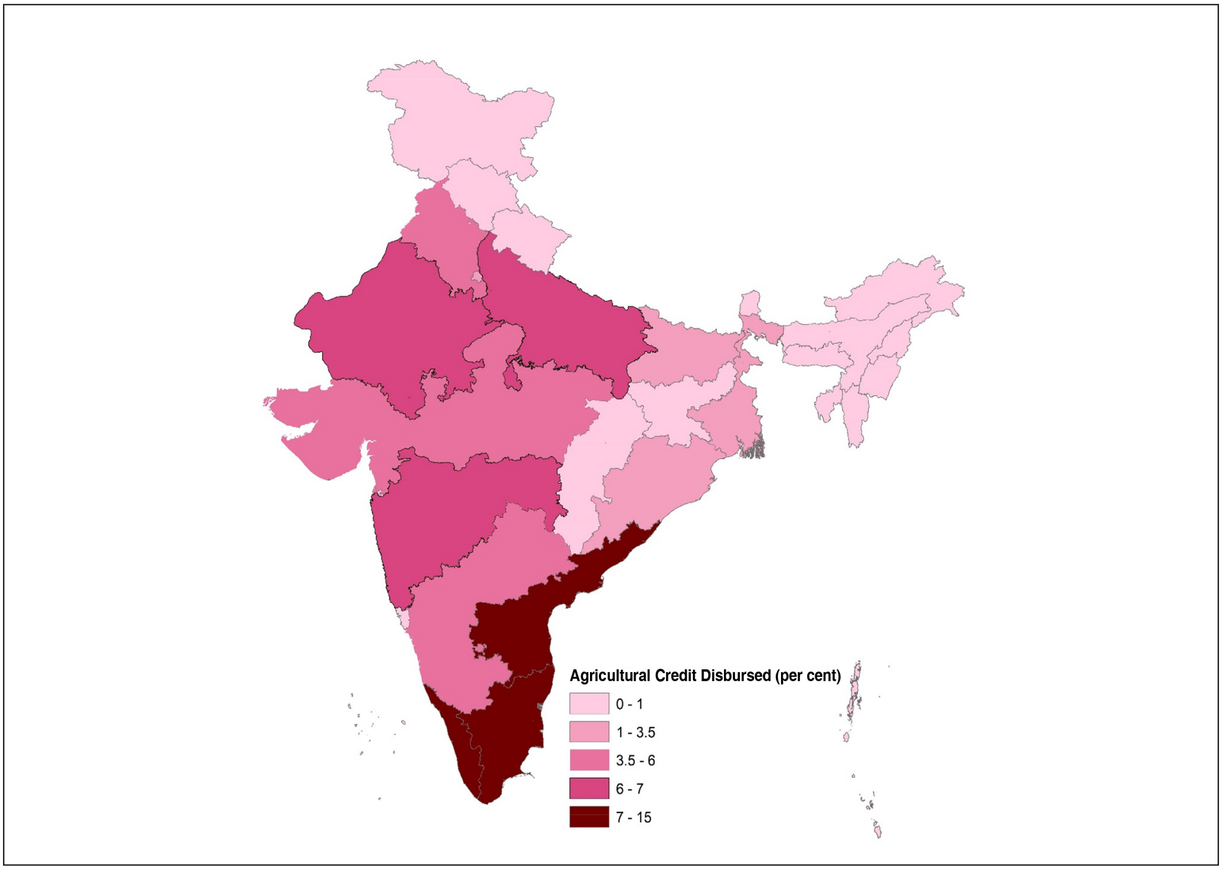

स्रोत: डीएसी एण्ड एफ डब्ल्यू से प्राप्त डाटा पर आधारित।

कृषि में जोखिम कम करना: फसल बीमा

7.14 देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीआई) खरीफ 2016 सत्र से क्रियान्वित हो चुकी है। यह प्राकृतिक गैर परिहार्य जोखिमों के विरूद्ध बुवाई पूर्व से लेकर कटाई के बाद जोखिमों के प्रति व्यापक सुरक्षा प्रदान करती है। बीमा प्रीमियम बीमांकिक/बोली आधार पर बीमा कंपनियों को अदा किया जाता है, इसमें किसानों द्वारा बहुत कम शेयर (खरीफ एवं रबी फसलों के बीमित राशि क्रमश: 2 प्रतिशत एवं 1.5 प्रतिशत) तथा वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए 5 प्रतिशत अदा किया जाता है, शेष प्रीमियम को केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा बराबर रूप में शेयर किया जाता है एवं सीधे भुगतान किया जाता है। यह उस बीमत राशि के संबंध में भी किसानों को बेहतर संरक्षण प्रदान करता है जो उन्होंने वित्त के पैमाने के समान रूप से अदा की है।

7.15 पीएमएफबीवाई में देश में सकल फसली क्षेत्र (जीसीए) के मौजूदा 23 प्रतिशत क्षेत्र से बढ़ाकर 50 प्रतिशत क्षेत्र करने की कल्पना की गई है। वर्ष 2016-17 के लिए जीसीए का लक्ष्य 30 प्रतिशत है। वर्ष 2017-18 के दौरान दो बड़े राज्यों नामत: महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश में एवं वर्ष 2018-19 में राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में ऋण माफी योजना की घोषणा के कारण लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। किसानों की सहायता करने के लिए वर्ष 2017 में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीसी) प्रारंभ किया गया ताकि किसान दावों को सीधे अपने बैंक खातों में प्राप्त कर सके जिनका पंजीकरण अनिवार्य आधार संख्या के माध्यम से हुआ है। यह आधार कार्ड आधारित सत्यापन के माध्यम से वास्तविक किसानों को सहायता प्रदान करने एवं नकली डुप्लीकेट लाभार्थियों की छटनी करने के लिए सरकार का यह विचारशील कदम था। पीएमएफ बीआई के अधीन पूर्व फसली बीमा योजनाओं की तुलना में अधिक क्षेत्र को शामिल करके महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। सरकार ने राष्ट्रीय फसल बीमापार्टल भी तैयार किया है जिसमें सभी स्टैकहोल्डरों के बीच इंटरफेस की व्यवस्था की गई है। (बॉक्स 2)

बॉक्स 2 राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी)

राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल: (http://mpfby.gov.in) एक वेब आधारित एकीकृत आई टी प्लेट फार्म है जो पीएमएफबीवाई एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा स्कीम (आरडब्ल्यू बीसीआईएस) के अधीन बीमित किसानों संबंधी डाटा को लेने/डालने के लिए सभी स्टैक होल्डरों के बीच इंटरफेस की व्यवस्था करता है। इस प्रयोजन के लिए, सभी स्टैक होल्डर अर्थात् नामांकन में प्रक्रिया में लगे राज्य, बैंक बीमा कंपनियां (आईपी), किसान (प्रत्यक्ष आन लाइन नामांकन) एवं सामान्य केन्द्र (सीएससी), को एनसीआईपी में इंटरफेस प्रदान किया गया है, जिसके माध्यम से नामांकन प्रक्रिया निष्पादित की जाती है। इस तरीके से विभिन्न स्रोत के माध्यम से गैर-ऋण किसानों के लिए नामांकन का डाटा पूर्णरूप में एपसीआईपी पर उपलब्ध हो जाता है।

फसल बीमा पोर्टल में पोर्टल से ही प्रीमियम सब्सिडी के सरकारी शेयर की मांग सृजित करने की उम्मीद की गई है, जिसके आधार पर संबंधित आईसी निधि जारी की जाएगी तथा अगले कदम के रूप में पोर्टल यह सुविधा प्रदान करेगा कि सबंधित आईसी द्वारा ग्राहम दावों का निपटान पोर्टल के माध्यम सीधे किसानों के बैंक खातों में किया जा सके ताकि किसान के खाते में दावे के विलंब से बचा जा सके एवं उपयुक्त निरिक्षण हो सके।

7.16 वर्ष 2018-19 सत्र के दौरान, 517.70 लाख हैक्टयर भूमि की शामिल करने वाले 564.50 लाख किसानों के आवेदनों को लगभग 2,35,642 करोड़ ₹ के लिए बीमा किया गया है। अक्टूबर 2019 तक, पीएमएफबीआई के अधीन, 17,756 करोड़ ₹ के कुल दावों की अनुमोदन किया गया है तथा 16,763 करोड रु. की राशि की भुगतान कर दिया गया है। ऋण एवं गैर-ऋण की संख्या क्रमश: 354 लाख एवं 210.40 लाख थी राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी)। पीएमएफबीआई के अधीन पूर्व फसल बीमा योजना की तुलना में अधिक भूमि को शामिल करके महवपूर्ण प्रगति हुई है। यद्यपि राज्यों के लिए यह योजना स्वेच्छिक है, वर्ष 2017-18 में 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने योजना का कार्यान्वयन किया है। वर्ष 2018-19 में 23 राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों ने योजना का क्रियान्वयन किया है।

7.17 पीएमएफबीआई के कार्यान्वयन के अनुभव के आधार पर और बेहतर पारदर्शिता, जवाबदेही और किसानों के दावों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से, सरकार ने योजना के प्रचालनात्मक मार्गदर्शी सिद्धांतों में व्यापक स्तर पर संशोधन किए हैं, जो 01.10.2018 से प्रभावी हो गई है और इसमें अन्य बातों के साथ निम्नलिखित को शामिल किया गया है:

(i) दावों के भुगतान के लिए निर्धारित तारीख के बाद 10 दिन से अधिक अवधि व्यतीत होने पर दावों के निपटान के लिए होने वाले विलंब के लिए किसानों को बीमा कम्पनी द्वारा 12 प्रतिशत ब्याज पर भुगतान किए जाने का उपबंध;

(ii) बीमा कंपनियों द्वारा मांगपत्र की निर्धारित तारीख/ प्रस्तुती के बाद तीन माह से अधिक अवधि के लिए आर्थिक सहायता के तौर पर राज्य का हिस्सा जारी करने में विलम्ब के लिए राज्य सरकार को 12 प्रतिशत की ब्याज दर से भुगतान करना होगा;

(iii) फसल का नाम दर्ज करने के लिए निर्धारित तारीख से दो दिन पहले तक बीमे के लिए फसल के नाम का परिवर्तन करने के लिए संवर्धित समय जबकि पूर्व में एक माह की अवधि का प्रावधान किया गया था;

(iv) स्थानीय आपदाओं और फसल की कटाई के बाह्र होने वाले नुकसान की सूचना की अपेक्षा 72 घंटों की अवधि निर्धारित की गई है; जो पहले 48 घंटे थी।

(v) स्थानीय आपदाओं, फसल की कटाई के बाद होने वाले नुकसान, फसल के स्तर के बीच में प्रतिकूलता और उपचारित बुआई और अन्य विशेषताओं को शामिल करते हुए उपज के आंकड़ों से संबंधित विवादों के निपटारे के अंतर्गत दावों के निपटान के लिए विस्तृत मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी);

(vi) वार्षिक फसलों को शामिल करना और (पायलट आधार) जंगली पशुओं द्वारा नुकसान पहुंचाने पर इस नुकसान को भी शामिल करना।

कृषि व्यापार

7.18 कृषि उत्पादों के वैश्विक व्यापार में भारत अग्रणी स्थिति में है। किंतु विश्व कृषि व्यापार में उसका लगभग 2.15 प्रतिशत का योगदान है। भारतीय कृषि निर्यात के मुख्य भागीदारों में संयुक्त राज्य अमेरिका, साऊदी अरब, इरान, नेपाल और बंग्लादेश आते हैं। उल्लेखनीय बात यह है कि 1991 से आर्थिक सुधारों की शुरूआत से, भारत कृषि उत्पादों के निर्यात को निरंतर बनाए हुए है, जिसने निर्यात के लिए ₹ 2.7 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को प्राप्त कर लिया है तथा 2018-19 में ₹ 1.37 लाख करोड़ रुपये का आयात किया है। विगत तीन वर्षों के मुख्य कृषि-सम्बद्ध मदों का निर्यात तालिका 5 में दिया गया है।

तालिका 5: कृषि और कृषि सम्बद्ध मदों का निर्यात (मूल्य ₹ (000') करोड़ में एवं मात्रा लाख टन में)

वस्तुएं	2016.17		2017.18		2018.19	
	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा
बासमति चावल	21.51	39.85	26.87	40.57	32.80	44.15
मसालें	19.11	10.14	20.08	10.96	23.22	10.92
चावल (बासमति के अतिरिक्त)	16.93	67.71	23.44	88.19	21.19	76.00
कच्चा कपास अपशिष्ट सहित	10.91	9.96	12.20	11.01	14.63	11.43
खली	5.41	26.32	7.04	35.71	10.58	44.86
चीनी	8.66	25.44	5.23	17.58	9.52	39.88
अरंडी का तेल	4.52	5.99	6.73	6.97	6.17	6.19
चाय	4.91	2.43	5.40	2.73	5.83	2.70
कॉफी	5.65	2.89	6.25	3.18	5.72	2.83
ताजा संब्जियां	5.79	34.04	5.30	24.48	5.67	29.33
कुल कृषि एवं संबद्ध निर्यात	227.6		251.56		274.57	

स्रोत: डी ए सी एवं एफ डब्ल्यू

7.19 देश में घरेलू किसानों के संरक्षण के लिए विगत कुछ वर्षों से सरकार द्वारा अनेक व्यापार नीति कदम उठाए गए हैं, जिसमें निम्नलिखित भी शामिल हैं:

(i) तूर पर शून्य से लेकर 10 प्रतिशत तक, मटर पर शून्य प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत तक, ग्राम (चने) पर शून्य से लेकर 60 प्रतिशत तक और मसूर की दाल पर शून्य प्रतिशत से लेकर 30 प्रतिशत तक आयात शुल्क में वृद्धि की गई है।

(ii) तूर की दाल के आयात पर प्रति वर्ष 4 लाख टन और मटर, उड़द मूंग की दाल पर प्रति वर्ष 1.5 लाख टन का मात्रात्मक प्रतिबंध।

(iii) किसानों के उत्पादों के लिए बेहतर मेहनताने के साथ-साथ विपणन में अधिक विकल्प सुनिश्चित करने के लिए 22.11.2017 से दलहनों की सभी किस्मों के निर्यात को अनुमत किया गया है।

(iv) देश में निर्मित खाने योग्य तेल और तेल के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 06.04.2018 से (सरसों के तेल के अलावा) खाद्य तेल के सभी प्रकार के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया है

(v) काली मिर्च और सुपारी पर सरकार ने न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) अधिरोपित किया है। काली मिर्च और सुपारी के घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए वस्तुओं के सस्ते आयात से घरेलू उत्पादकों और आजीविका के संरक्षण के लिए 6 दिसम्बर, 2017 को काली मिर्च के आयात पर प्रति किलो 500/-रु. न्यूनतम आयात मूल्य और 17 जनवरी, 2017 को सुपारी पर प्रति किलो 251 रु. न्यनूतम आयात मूल्य निध र्रित किया गया है।

(vi) विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के अधीन भारत से निर्यात व्यापारिक निर्यात के अधीन उच्च पारगमन लागत को खत्म करने के लिए 1 नवम्बर, 2019 से विभिन्न कृषि मदों के निर्यात पर प्रतिफल की दरों (एमईआईएस) को बढ़ाया गया है।

(vii) कृषि निर्यात को दुगुना करने तथा वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ भारतीय किसानों एवं कृषि उत्पादों के एकीकरण को लेकर सरकार ने हाल ही में व्यापक ''कृषि निर्यात नीति प्रारंभ की है।

(viii) कृषि व्यापार संबंधी मुद्दों की देख-रेख के लिए विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में कृषि प्रकोष्ठों का गठन किया गया है।

कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा

7.20 कृषि अनुसंधाान एवं शिक्षा विभाग (डीएआरई) कृषि बागवानी, मत्स्य पालन एवं पशु विज्ञान सहित कृषि में अनुसंधान एवं शिक्षा के समन्वय, दिशा-निर्देशन एवं प्रबंधन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) के लिए महत्वपूर्ण सरकारी समन्वय की व्यवस्था करता है।

उच्च उपज किस्म एवं ब्रीडर बीज

7.21 आईसीएआर का हाल मार्क नई फसली किस्में हैं जिसमें विशिष्ट अभिलक्षणों वाली नई किस्में हैं जिनमें लक्षित कृषि पारिस्थितिकीय के लिए फसल उत्पादन एवं संरक्षण प्रौद्योगिकियों के मिलान के अतिरिक्त बायोटिक एवं अबायोटिक की सहनीशीलता/एवं प्रतिरोध के साथ उपज एवं पौषण गुणवत्ता में सुधार हो। वर्ष 2019-20 के दौरान कुल 220 क्षेत्रीय फसलों की नई किस्में/हाइब्रिड एवं 93 बागवानी फसलों को अधिसूचित/जारी किया गया है। ये संबर्धित गुणवत्ता एवं प्रमात्रा के साथ विभिन्न बायोटिक एवं अबायोटिक के प्रति अनुकूल है। परिषद ने फसलों की 18 बायोफोर्टिफाइड किस्में विकसित की हैं जो लौह, जिंक, प्रोटीन एवं ग्लूकोआइसोलिनेट एवं कूनिट्ज ट्राइपसीन, इंहिबिटर (के टी आई) हैं से समर्थ हैं, जिसमें राष्ट्रीय खाद्य प्रणाली के माध्यम से पौषण संबंधी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए मुक्त हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान विभिन्न क्षेत्रीय फसलों की ब्रीडर सीड्स का कुल 117772 किवंटल उत्पादन हुआ है। इसके अतिरिक्त वनस्पति विकसित क्षेत्रिय फसलों, फलों, सब्जियों और पौधारोपण फसल के लिए 239 लाख पौधारोपण सामग्री एवं 1.9 लाख उत्तक कल्चर प्लांट केंद्र भी स्थापित किए हैं। मार्कर सम्बद्ध चयन के द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान बायोटिक एवं अबायोटिक दबाव के प्रति सह-एवं उन्नत गुणवत्ता वाली 6 किस्मे विकसित की गई हैं।

पशुधन और मत्स्य-पालन में अनुसंधान और शिक्षा

7.22 आई सी ए आर समस्त उप क्षेत्रों के एकीकृत विकास के लिए भी कार्य करता है क्योंकि ये समस्त किसानों के खेत (फार्म) से जुड़े हुए हैं। वर्ष 2019 में 184 पंजीकृत स्वदेशी बीजों (Breeds) को सर्वप्रथम अधिसूचित किया गया था। यह पंजीकृत उन्नत किस्म की नई बीजों के बौद्धिक संपदा अधिकारों और जारी की गई नई किस्म की बीजों और स्वदेशी बीजों के संरक्षण के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा। यह सार्वजनिक डोमेन में कानूनी टैग के साथ आनुवंशिक जानकारी प्रदान करने और बायो-पायरेसी और अन्य आईपीआर मुद्दों से इन संसाधनों की सुरक्षा में मदद करेगा। वर्ष 2018-19 के दौरान पशु एवं मछली उत्पादों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए पशुधन और मुर्गियों की 15 नई देशी नस्लों को पंजीकृत कर दिया गया था। देश में 535.78 मिलियन पशुधन हैं, जिसमें 192.49 मिलियन पशु, 109.85 मिलियन भैंस, 74.26 मिलियन भेड़ 148. 88 मिलियन बकरी, और 9.06 मिलियन सूअर; और 851.81 मिलियन मुर्गी सम्मिलित हैं (पशुधन की जनगणना, 2019)। जानवरों की यह विशाल और विविध आबादी मुख्य रूप से स्वदेशी है, जबकि एक बड़ी आबादी विदेशी जर्मप्लाज्म और देशी स्टॉक के बीच संकर नस्ल की है। विदेशी नस्लों से संबंधित बहुत कम जानवरों को व्यवस्थित फार्मों में रखा जाता है। देश को पशु रोग मुक्त बनाने के लिए जापानी इंसेफेलाइटिस (जेई) और ब्लूटॉन्ग (बीटी) बीमारी से बचाव के लिए डायग्नोस्टिक किट में और संक्रामक बरसल रोग आधारित सबवायरल पार्टिकल से संबंधित वैक्सीन विकसित की गई थीं।

प्रौद्योगिकियों को प्रयोगशाला से किसान के खेत में स्थानांतरित करना

7.23 देश के 716 कृषि विज्ञान केन्द्रों (केवीके) को 3.37 लाख आम सेवा केन्द्रों से जोड़ (लिंक) दिया गया है ताकि किसानों के बीच कृषि विज्ञान केन्द्रों (केवीके) की पहुंच बढ़ायी जा सके और मांग संचालित सेवाएं और सूचना उपलब्ध करायी जा सके। केवीके ने किसानों के खेतों में प्रयोगशालाओं को प्रौद्योगिकियों को लेने के लिए 42361 ऑन-फार्म ट्रायल एवं 2.71 लाख प्रायोगिक प्रदर्शन किए। इन आउटरीच कार्यक्रमों को खेत की फसलों से संबंधित 1.77 लाख क्विंटल गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन, बागवानी फसलों से संबंधित 365.53 लाख रोपण सामग्री और 154.91 लाख पशुधन नस्लों और एक प्रकार के वृक्षों (फिंगर लिंग्स) के जरिए मजबूती प्रदान की गई है और किसानों को मामूली लागत पर उक्त बीज, रोपण सामग्री एवं पशुधन उपलब्ध कराया जाता था। लगभग 139.67 लाख किसानों ने विविध विस्तारित गतिविधियों में सहभागिता की और 1.21 लाख विस्तारित कार्मिकों और 15.91 लाख किसानों को प्रशिक्षित किया गया था ताकि वो अनुकूल प्रद्यौगिकियों के पुन: प्रचार-प्रसार में पथ-प्रदर्शक के रूप में योगदान दे सकें। डिजिटल विकास के लाभों को गति प्रदान करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है। (बॉक्स 3).

बॉक्स 3: कृषि में डिजिटल प्लेटफॉर्म

भारतीय कृषि को प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु डिजिटल कृषि प्लेटफॉर्म-साइबर एग्रो-फिजिकल सिस्टम (CAPS) के माध्यम से खेती को व्यवहार्य, आत्मनिर्भर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी उद्यम बनाने के लिए आई सी ए आर ने अपने 113 अनुसंधान संस्थान और 716 के वी के तैयार किये हैं। सीएपीएस कंप्यूटर, उपग्रह इमेजरी, अनुसंधान के लिए सुपर कंप्यूटिंग सुविधा के साथ सेंसर के उपयोग को एकीकृत करते हुए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से कृषि कार्यों में अनिश्चितता और जोखिम को कम करने में मदद करेगा, जिससे महत्वपूर्ण कृषि कार्यों और जलवायु संबंधी घटनाओं के लिए किसान परामर्श जारी किया जा सकेगा। भारतीय कृषि को डिजिटल इंडिया थीम के अनुरूप बनाने के लिए नए डिजिटल ऐप विकसित किए गए हैं। डीएआरई ने एकीकृत ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली के लिए कृषि शिक्षा पोर्टल एकता (एकीकृत कृषि शिक्षा तकनीकी आयाम) लॉन्च किया, जिसमें आम की खेती, ई-कल्प, आयल पाम तथा अनार, प्याज और लहसन, काली मिर्च एवं मशरूम के लिए 9 मोबाइल ऐप्स (अंग्रेजी, हिंदी और तेलुगु में) विकसित किए गए; इसी प्रकार किसान समुदाय के लिए एक 02 मोबाइल ऐप्स (किसान सुविधा और पूसा कृषि)। के वी के एम किसान पोर्टल के माध्यम से 612.95 लाख किसानों को विभिन्न फसलों और संबद्ध उद्यमों के बेहतर संचालन, मौसम आधारित सलाह और विभिन्न सरकारी योजनाओं पर आधारित सलाह और जानकारी के लिए एसएमएस सेवा प्रदान की है

कृषि-संबद्ध क्षेत्रः पशुपालन, डेयरी उद्योग एवं मत्स्यपालन

7.24 कृषि के साथ का पशुपालन, डेयरी उद्योग एवं मत्स्यपालन मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बना हुआ है। इन गतिविधियों ने खाद्य की टोकरी और पशु शक्ति का ढांचा तैयार करने में योगदान दिया है और लाखों लोगों को पौष्टिक भोजन प्रदान करने के अलावा भूमिहीन, छोटे और सीमांत किसानों और महिलाओं के बीच लाभकारी रोजगार पैदा करने के साथ पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखा है। पशुधन संबंधी आय लाखों ग्रामीण परिवारों के लिए आय का दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत बन गई है और किसानों की आय को दौगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पिछले 5 वर्षों के दौरान पशुधन क्षेत्र 7.9% के सीएजीआर से बढ़ रहा है। सरकार ने पाँच वर्षों 2019-2024 से 13,343 करोड़ के वित्तीय परिवय के साथ खुर एवं मुख रोग (एफएमडी) और ब्रुसेलोसिस के नियंत्रण के लिए एक नई केन्द्रीय योजना ''राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी) लॉन्च की। यह योजना 2025 तक टीकाकरण के साथ एफएमडी पर पूर्ण नियंत्रण और 2030 तक सम्भावित रूप से समाप्त करने की परिकल्पना करती है। इसके परिणामस्वरूप घरेलू उत्पादन और दुग्ध और पशु उत्पादों के निर्यात में वृद्धि होगी।

7.25 भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश बना हुआ है। 2018-19 में देश में दूध का उत्पादन 187.7 मिलियन टन था और पिछले वर्ष की तुलना में 6.5% की वृद्धि दर दर्ज की गई (आंकड़ा 4)। 2018-19 के दौरान दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 394 ग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। देश में अंडा उत्पादन जो 2017-18 में 95217 मिलियन था, 2018-19 में बढ़कर 103318 मिलियन हो गया। प्रमुख पशुधन उत्पादों को उत्पादन तालिका 6 में नीचे दिया है।

चित्र 4: दूध उत्पादन (मिलियन टन में) और दूध उत्पादन में वृद्धि दर

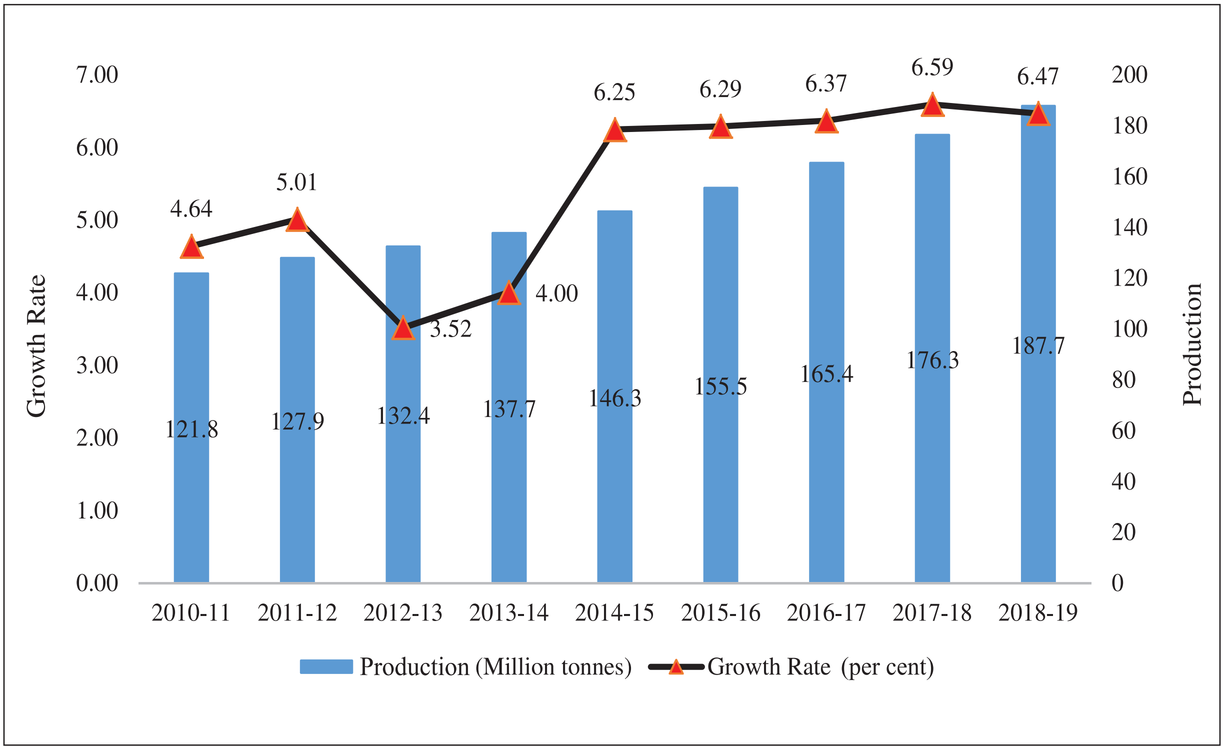

स्रोतः पशुपालन और डेयरी विभाग (डी एच एच डी)

7.26 रोजगार और बेरोजगारी के संबंध में एन एस एस ओ द्वारा किए गए 66 वें राउंड के सर्वेक्षण (जुलाई 2009-जून 2010) के अनुसार सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति एवं सहायक स्थिति को मिलाकर) के आधार पर 15.60 मिलियन कामगार पशुपालन, मिश्रित खेती

तालिका 6: प्रमुख पशुधन उत्पादों का उत्पादन

वर्ष	दुध (मिलियन टन में)	प्रति व्यक्ति दुध की उपलब्धता	अंडा (संख्या मिलियन में)	प्रति व्यक्ति अंडों की उपलब्धता
2008-09	112.2	266	55562	48
2009-10	116.4	273	60267	51
2010-11	121.8	281	63024	53
2011-12	127.9	290	66450	55
2012-13	132.4	299	69731	58
2013-14	137.7	307	74752	61
2014-15	146.3	322	78484	63
2015-16	155.5	337	82929	66
2016-17	165.4	355	88137	69
2017-18	176.3	375	95217	74
2018-19	187.7	394	103318	79

स्रोत: पशुपालन और डेयरी विभाग

तथा मछली पकड़ने के कार्य में संलग्न थे। 68वें राउंड (जुलाई 2011-जून 2012) के अनुमान के अनुसार 16.44 मिलियन कामगार पशुपालन, मिश्रित कृषि, मछली पकड़ने और मत्स्यपालन के कार्य में संलग्न थे।

मत्स्यपालन क्षेत्र

7.27 भारत में मत्स्यपालन खाद्य, पौष्टिकता, रोजगार और आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह क्षेत्र आरंभिक स्तर पर लगभग 16 मिलीयन मछुआरों और मत्स्यपालकों तथा इसकी मूल्य श्रृंखला में इसके लगभग दोगुने लोगों को अजीविका प्रदान करता है। इस क्षेत्र की महत्ता को देखते हुए फरवरी- 2019 में एक अलग विभाग ''मत्स्यपालन विभाग'' स्थापित किया गया है। इस क्षेत्र के महत्व की पहचान करते हुए मत्स्यपालन क्षेत्र के विकास पर सतत् एवं विशेष ध्यान देने हेतु जून, 2019 में मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी का एक स्वतंत्र मंत्रालय सुरू किया गया है।

7.28 यह क्षेत्र कुल योजित सकल मूल्य में नियमित प्रगति दर्शा रहा है और कृषि, वानिकी एवं मछली पकड़ने से प्राप्त जी डी पी का 6.58 प्रतिशत बैठता है। हाल के वर्षों में भारत में मछली उत्पादन की औसत वार्षिक वृद्धि दर 7 प्रतिशत से अधिक देखी गई है। विश्व में भारत के अग्रणी समुद्री भोजन निर्यातक देशों में से एक बनने के साथ ही यह क्षेत्र विदेशी मुद्रा आय में योगदान करने वाला एक प्रमुख कारक बन चुका है। वर्ष 2018-19 के दौरान समुद्री उत्पाद का निर्यात 13,92,559 मीट्रिक टन था और इसका मूल्य 46,589 करोड़ रूपए था। यू एस ए और दक्षिण पूर्व एशिया क्रमश: 34.81 प्रतिशत और 22.67 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ भारत के समुद्री भोजन उत्पाद के प्रमुख निर्यात बाजार हैं। भारत में मत्स्यपालन के समृद्ध एवं विविधतापूर्ण संसाधान मौजूद हैं। समुद्री मत्स्यपालन संसाधन देश के वृहद् समुद्री तट तथा 2.02 मिलियन वर्ग किमी के विशेष आर्थिक क्षेत्र (ई ई जेड) ओर 0.53 मिलियन वर्ग किमी के महाद्वीपीय रेती क्षेत्र में फैला हुआ है। अंतर्देशीय संसाधन नदियों और नहरों (1.95 लाख किमी), बाढ़ जनित झीलों (8.12 लाख हेक्टेयर), तालाब एवं टैंक (24.1 लाख हेक्टेयर), जलाशय (31.5 लाख हेक्टेयर), ब्रैकिंग वाटर (12.4 लाख हेक्टेयर), लवण/क्षार प्रभावित क्षेत्रों (12 लाख हेक्टेयर) आदि के रूप में मौजूद है।

7.29 वर्ष 2018-19 के दौरान देश में कुल मछली उत्पादन 13.42 मिलियन मीट्रिक टन (अनंतिम) था। इसमें समुद्री मछली उत्पादन का योगदान 3.71 मिलियन मीट्रिक टन और अंतर्देशीय मछली उत्पादन का योगदान 9.71 मिलियन मीट्रिक टन था। वर्ष 2018-19 के दौरान, समुद्री मत्स्य उत्पादन क्षमता के 71 प्रतिशत और अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन क्षमता के 58 प्रतिशत का दोहन किया गया है। वर्ष 2017-18 के लिए राज्य-वार मछली उत्पादन का ऑकड़ा तालिका 7 में दिया गया है।

तालिका 7: वर्ष 2017-18 में राज्य-वार अंतर्देशीय एवं समुद्री मछली उत्पादन ('000 टन में)

राज्य	अंतर्देशीय	समुद्री	कुल
आंध्र प्रदेश	2844.61	604.95	3449.56
अरूणाचल प्रदेश	4.25	0.00	4.25
असम	327.26	0.00	327.26
बिहार	587.85	0.00	587.85
छत्तीसगढ़	457.17	0.00	457.17
गोवा	5.54	118.47	124.01
गुजरात	133.79	700.74	834.53
हरियाणा	190.00	0.00	190.00
हिमाचल प्रदेश	12.77	0.00	12.77
जम्मू और कश्मीर	20.70	0.00	20.70
झारखंड	190.00	0.00	190.00
कर्नाटक	188.17	414.35	602.52
केरल	148.28	414.34	562.62
मध्य प्रदेश	143.42	0.00	143.42
महाराष्ट्र	131.02	474.99	606.01
मणिपुर	33.00	0.00	33.00
मेघालय	11.96	0.00	11.96
मिजोरम	7.64	0.00	7.64
नागालैंड	8.99	0.00	8.99
उड़ीसा	534.12	150.84	684.96
पंजाब	136.64	0.00	136.64
राजस्थान	54.04	0.00	54.04
सिक्किम	0.38	0.00	0.38
तमिलनाडु	185.05	496.89	681.94
तेलंगाना	270.04	0.00	270.04
त्रिपुरा	76.80	0.00	76.80
उत्तराखंड	4.58	0.00	4.58
उत्तर प्रदेश	628.75	0.00	628.75
पश्चिम बंगाल	1556.61	185.48	1742.09
भारत	**8902.42**	**3687.86**	**12590.28**

स्रोत: मत्स्यपालन विभाग

प्रमुख मछली उत्पादक राज्यों के संबंध में विगत पाँच वर्षों के दौरान कुल मछली उत्पादन की प्रवृत्ति चित्र 5 में देखा जा सकता है।

मत्स्य और एक्वाकल्चर की आधारभूत संरचना विकास निधि (एफएआईडीएफ)

7.30 मत्स्य पालन के बुनियादी ढ़ांचे के अंतर को दूर करने के लिए सरकार ने रु. 7522.48 करोड़ की कुल निधि से वर्ष 2018-19 के दौरान ''मत्स्य और एक्वाकल्चर की आधारभूत संरचना विकास निधि'' (एफआईडीएफ) स्थापित की है। एफआईडीएफ द्वारा पहचान की गई बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) और राज्य इकाइयों सहित पात्र इकाइयों के लिए रियायती वित्त/ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। एफआईडीएफ के तहत यह रियायती वित्त नोडल ऋण प्रदाता इकाइयों (एनएलई) नामत: i) नाबार्ड, ii) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी और iii) सभी अनुसूचित बैंक के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाता है। आज की तारीख तक इसी क्रम में विभिन्न राज्यों और अन्य पात्र इकाइयों से रु. 2751.33 करोड़ के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों में से 1715.04 करोड़ रु. के प्रस्तावों की सिफारिश की गई और शेष प्रक्रियाधीन हैं।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र

7.31 उच्च स्तर के प्रसंस्करण के साथ भलीभांति विकसित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र अपशिष्ट में कमी करता है, बेहतर मूल्य संवर्धन में सहायता करता है, फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करता है, किसानों को उत्तम लाभ प्राप्ति सुनिश्चित करता है, रोजगार को प्रोत्साहित करता है और साथ ही निर्यात से आय में बढ़ोत्तरी करता है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में वृद्धि से कृषि-मूल्य चेन में प्रबल संबंध रखने वाले भागीदारों के लिए अवसर सृजित होने की संभावना है। 2017-18 में समाप्त होने वाले पिछले 6 वर्षों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र में लगभग 5.6 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से वृद्धि हुई है। इस क्षेत्र में 2011-12 की तुलना में 2017-18 में निर्माण और कृषि क्षेत्रों में क्रमश: जीएवी का प्रतिशत 8.83 प्रतिशत और 10.66 प्रतिशत तक बना रहा।

7.32 वर्ष 2016-17 के लिए उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र

चित्र 5: प्रमुख उत्पादक राज्यों में पिछले पाँच वर्षों के दौरान कुल मछली उत्पादन (000 टन में)

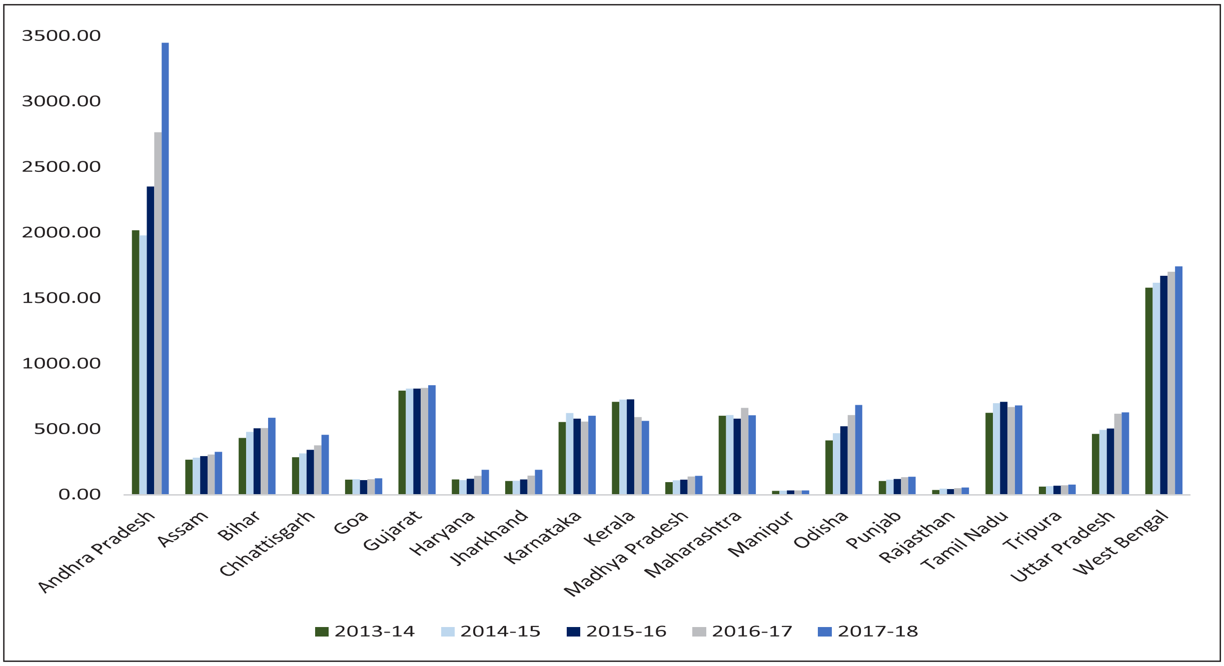

स्रोत: मत्स्य पालन विभाग

में संलग्न कुल व्यक्तियों की संख्या 18.54 लाख थी।

7.33 एनएसएसओ के 73वें दौर के अनुसार गैर–पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र 51.11 लाख कामगारों को रोजगार प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है और गैर–पंजीकृत विनिर्माण क्षेत्र में यह 14.18 प्रतिशत रोजगार उपलब्ध करवाता है। 2018–19 के दौरान प्रसंस्कृत खाद्य प्रदार्थों का मूल्य 35.30 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। भारत के कुल निर्यात का लगभग 10.70 प्रतिशत है (कुल निर्यात 330.08 बिलियन अमेरिकी डालर) । 2018–19 के दौरान प्रसंस्कृत खाद्य प्रदार्थों के आयात का मूल्य 19.32 बिलियन अमेरिकी डालर था जो भारत के कुल आयात का 3.76 प्रतिशत है।

प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई)

7.34 सरकार ने प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना की केन्द्रीय क्षेत्र की नई योजना के तहत अपनी योजना का पुनर्गठन किया है। वर्ष 2016–20 की अवधि के लिए 6000/- करोड़ रुपये के वित्तीय आवंटन के साथ, प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना पूरे मूल्य/आपूर्ति श्रृंखला के साथ मजबूत आधुनिक बुनियादी ढ़ांचा तैयार करने के लिए अनुदान–आधारित सहायता प्रदान करता है। इसमें कृषि उत्पाद के अपशिष्ट को कम करने, प्रसंस्करण स्तर में वृद्धि करने, प्रसंस्कृत खाद्य प्रदार्थों के निर्यात में बढ़ोत्तरी करने, किफायती मूल्य पर उपभोक्ताओं को स्वच्छ और पौष्टिक खाद्य प्रदार्थ उपलब्ध करवाने की आशा की जाती है। इस योजना के निम्नलिखित घटक है: मेगा फुड पार्क, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडीशन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिएशन/एक्सपेंशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन एंड कैपेसिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो–प्रोसेसिंग क्लस्टर, क्रिएसन ऑफ बैकवर्ड एंड फारवर्ड लिंकेजैज, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशन्स और ऑपरेशन ग्रीन प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना में 31,400 करोड़ रुपये के लिवरेज निवेश की परिकल्पना की गई है, जिसमें 334 मीट्रिक टन कृषि–उत्पाद जिसका मूल्य 1,04,125 करोड़ रुपये है, का प्रचालन होगा, जिससे 20 लाख किसानों को लाभ होगा और इस स्वीकृत परियोजना के पूरा होने पर देश में 5,30,500 प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे। अब तक विभिन्न घटक योजनाओं के अधीन 701 परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई है जिसमें लगभग 12455 करोड़ रुपए का निवेश होने, लगभग 259 लाख मीट्रिक टन कृषि उत्पादों जिसकी कीमत लगभग 67,054 करोड़ रुपए हो का लेन देन होने, लगभग 46.37 लाख किसानों को लाभ होने और परियोजनाएं पूरी होने पर देश में लगभग 5.6 लाख प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने की संभावना है।

उर्वरक

7.35 उर्वरक विभाग द्वारा तारीख 25 मई 2015 को ''नई यूरिया पॉलिसी–2015'' (एनयूपी 2015) अधिसूचित की गई। इसका उद्देश्य स्वदेशी यूरिया का उत्पादन बढ़ाना, यूरिया उत्पादन के क्षेत्र में ऊर्जा क्षमता का बढ़ावा देना और सरकार पर सब्सिडी के बोझ को युक्ति संगत बनाना है। वर्ष 2015–16 के दौरान यूरिया का उत्पादन 244.75 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) था जो देश में अब तक के यूरिया उत्पादन से सबसे अधिक था (तालिका 8)। उर्वरकों का आयातों में उतार–चढ़ाव का रूझान दिखाई पड़ता है (चित्र 6)

उर्वरकों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली

7.36 भारत सरकार द्वारा अक्तूबर 2016 से उर्वरकों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली प्रारंभ की गयी है। उर्वरक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली के अधीन विभिन्न उर्वरक श्रेणियों पर 100 प्रतिशत सब्सिडी फुटकर व्यापारियों द्वारा लाभार्थियों के लिए की गई वास्तविक बिक्री मूल्य के आधार पर जारी की जाती है। किसानों/क्रेताओं के लिए सभी सब्सिडी प्राप्त उर्वरकों की ब्रिक्री प्रत्येक खुदरा व्यापारी शॉप में स्थापित ब्रिक्री केंद्र (पीओएस) युक्तियों के माध्यम से की जा रही है और लाभार्थियों की पहचान आधार कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, मतदान पहचान पत्र इत्यादि के माध्यम से की जाएगी। उर्वरक सब्सिडी में रूझान को चित्र 7 में देखा जा सकता हे।

तालिका 8: यूरिया, डीएपी और मिश्रित उर्वरकों के उत्पादन (लाख मीट्रिक टन में)

वर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20*
यूरिया	227.15	225.85	244.75	242.01	240.23	240.00	138.28
डीएपी	36.11	34.44	37.87	43.65	46.50	38.99	25.52
मिश्रित उर्वरक	69.13	78.32	83.01	79.66	82.57	89.98	51.42

स्रोत: उर्वरक विभाग
* अक्तूबर, 2019 तक

चित्र 6: यूरिया, डीएपी, पोटाश म्युरिएट (एमओपी) का आयात (लाख मीट्रिक टन में)

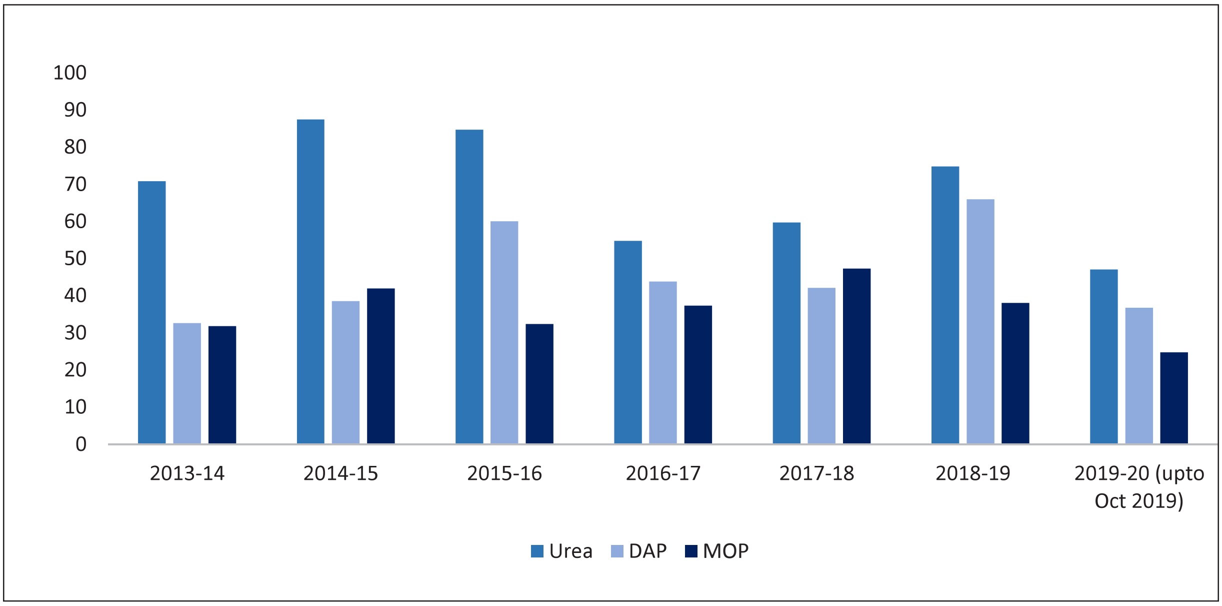

स्रोत: उर्वरक विभाग से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित

खाद्य प्रबंधन

7.37 खाद्य प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य किसानों से लाभकारी मूल्य पर खाद्यान्न प्राप्त करना, उपभोक्ताओं, विशेषकर समाज के कमजोर तबके के उपभोक्ताओं को सस्ते मूल्य पर खाद्यान्न वितरण और खाद्य सुरक्षा एवं मूल्य स्थिरता के लिए कड़ी मात्रा में खाद्यान्न भंडार रखना है। खाद्यान्न प्राप्त करके भंडारण करने वाली नोडल एजेंसी भारतीय खाद्य निगम (एफ सी आई) है। खाद्यान्नों का वितरण मुख्यत: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 (एनएफएसए) और सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अधीन है और इसे नियंत्रण आबंटन और लाभार्थियों द्वारा इसकी खरीद के मापदंड द्वारा किया अभिशासित किया जाता है।

7.38 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जुलाई 2013 से लागू है जिसमें 75 प्रतिशत तक ग्रामीण जनसंख्या और 50 प्रतिशत तक शहरी जनसंख्या को ''लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली'' (टीपीडीएस) के अधीन खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए शामिल करने की व्यवस्था है, ताकि देश की लगभग दो तिहाई जनसंख्या के प्रति कि.ग्रा. क्रमश: 1/2/3 रु. की दर से पौष्टिक-अनाज/गेहूं/चावल प्राप्त हो सके। अधिनियम को अधीन लाभार्थियों की पहचान दो वर्गों अर्थात् अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के अधीन शामिल परिवार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए निर्धारित सुरक्षा के अंतर्गत प्राथमिक परिवारों के अंतर्गत की जाती है। प्राथमिकता श्रेणी के अंतर्गत आने वाले परिवार प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अन्न प्राप्त करने के हकदार हैं, और अत्योदय अन्न योजना के

चित्र 7: वर्ष 2013-14 से 2019-20 के दौरान उर्वरक सब्सिडी (करोड़ रुपए में)

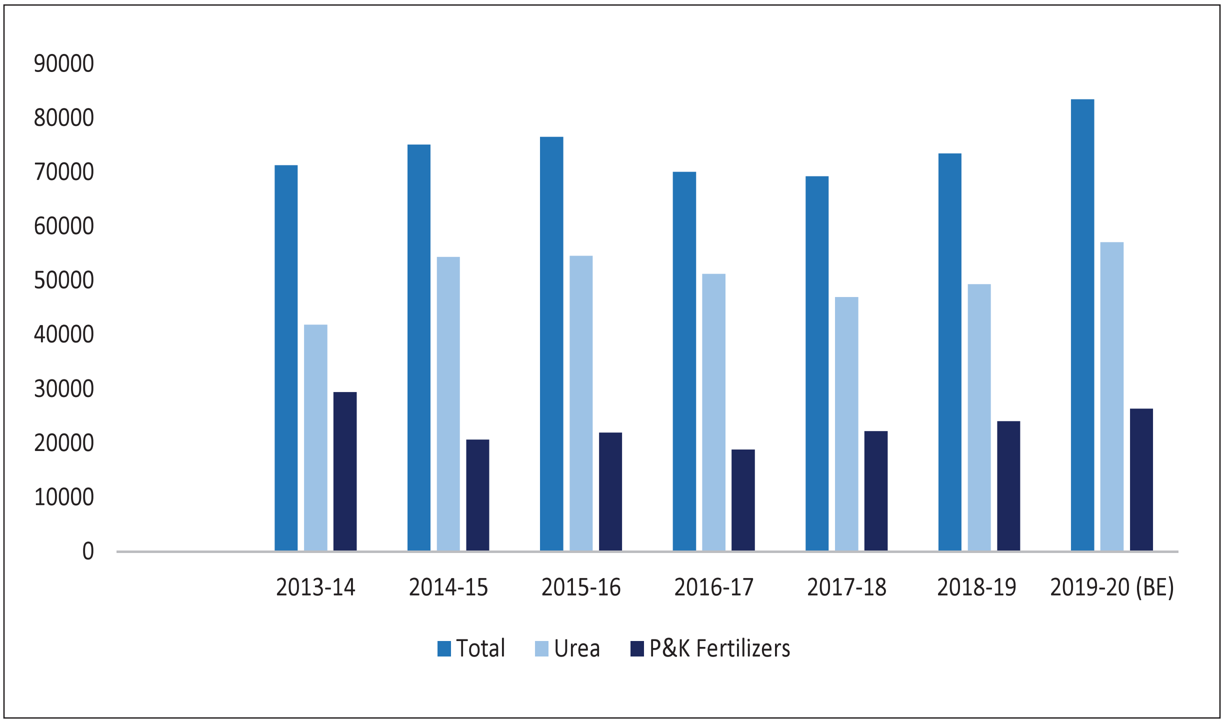

स्रोत: उर्वरक विभाग से प्राप्त आकडों पर आधारित

अंतर्गत आने वाले परिवार, जिसमें निर्धनतम लोग आते हैं, प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करते रहेंगे। इस समय अत्यधिक सब्सिडीयुक्त खाद्यान्नों को प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम के सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में लागू किया जा रहा है जिसमें लगभग 80 करोड़ लाभार्थी है।

7.39 केंद्रीय पूल में गेहूं और चावल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मुक्त बाजार कीमतों पर निगरानी रखने के लिए और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, केंद्र सरकार ने अनेक उपाय किए हैं जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(क) राज्य सरकारों को विशेष रूप से उन राज्य सरकारों को जो विकेन्द्रीकृत प्रापण करती है को गेहूं और चावल अधिकतम खरीदरारी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

(ख) प्रचालनात्मक स्टॉकों से अतिरिक्त 5 मिलियन टन खाद्यान्नों की मात्रा के स्ट्रेटिजिक रिजर्व को अत्यंत जरूरी स्थितियों में प्रयोग किए जाने के लिए रखा जाना चाहिए।

(ग) गेहूं और चावल की बिक्री, मुक्त बाजार बिक्री स्कीम (ओएमएसएस) (घरेलू) के माध्यम से की जाती है ताकि खाद्यान्नों की कीमतों में वृद्धि को रोका जा सके।

(घ) एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड, ई-पोओएस द्वारा आधार आधारित प्रमाणित वितरण आदि जन वितरण प्रणाली में सुधार के अच्छे उदाहरण हैं।

केन्द्रीय पूल के लिए खाद्यान्नों को स्टॉक करने संबंधी मानक:

7.40 भारत सरकार ने बफर संबंधी मानकों को जनवरी, 2015 से संशोधित कर दिया गया है और बफर संबंधीमानकों का नाम बदलकर ''खाद्यान्न स्टॉकिंग संबंधी मानक'' कर दिया गया है जिससे कि खाद्य सुरक्षा के लिए विहित न्यूनतम स्टॉक संबंधी मानकों को पूरा किया जा सके। स्कीमों के माध्यम से आपूर्ति के लिए खाद्यान्नों को मासिक रूप से जारी करना सुनिश्चित किए जा सके, अप्रत्याशित रूप से फसल नष्ट होने से उत्पन्न आपात स्थितियों से निपटा जा सके और आपूर्ति संवर्धन के लिए बाजारी हस्तक्षेप के लिए केंद्रीय पूल में खाद्यान्न स्टॉक का प्रयोग किया जा सके और इस प्रकार से मुक्त बाजार कीमतों को सन्तुलित करने में मदद की जा सके। केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों

बॉक्स-4: एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड

खाद्य एवं लोक वितरण विभाग सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से 2018-19 और 2019-20 के दौरान "लोक वितरण प्रणाली का समेकित प्रबंधन" नाम से एक योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य नया राशन कार्ड प्राप्त करने की जरूरत के बिना देश में किसी भी उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) से उनके खाद्यान्नों की पात्रता बढ़ाने हेतु 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' प्रणाली के माध्यम से एनएफएसए के तहत राशन कार्ड धारकों की राष्ट्र व्यापी पोर्टेबिलिटी का शुभारंभ करना है। इस व्यवस्था से विभिन्न प्रवासी लाभार्थियों, जो कि देश में काम/रोजगार की तलाश में अथवा अन्य कारणों से देश में अपना निवास स्थान बदलते रहते हैं, को लाभ पहुंचता है तथा अंतत अपने निवास स्थान से प्रवास के कारण एनएफएसए के तहत सब्सिडी प्राप्त खाद्यान्नों के कोटे से वंचित रह जाते हैं। इस व्यवस्था से प्रवासी लाभार्थियों को अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एफपीएस पर बिक्री (ईपीओएस) उपकरणों इलैक्ट्रानिक बिंदु पर बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणन के पश्चात् उनके उसी/वर्तमान राशन कार्ड का प्रयोग करते हुए उनके विकल्प/सुविधा के अनुसार किसी भी एफसीएस से उनकी खाद्य सुरक्षा अधिकार को प्रापत किया जा सकेगा।

वर्तमान में 2.24 के चार समूहों में 8 निकटवर्ती राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, गुजरात और महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान तथा कर्नाटक और केरल राज्यों में अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी सुविधा को समर्थ बनाया गया है। आगे यह भी उल्लिखित है कि सभी चार समूहों, जैसा कि ऊपर दिया गया है, तथा कुछ अन्य राज्यों जिनमें अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी पहले ही कार्यान्वित है, को एक राष्ट्रीय प्लेटफार्म पर समेकित किया जाएगा। तत्पश्चात् जब कभी सभी राशन कार्डों, एनएफएसए के तहत लाभार्थियों के राष्ट्रीय डी-डुप्लीकेशन का कार्य पूरा हो तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बायोमेट्रिक/आधार प्रमागन आधारित वितरण को कार्यान्वित किया गया है।

का स्टॉक करने के संबंधी मानक चित्र 8 में दिए गए हैं जिनमें 50 लाख मीट्रिक टन का रणनीतिक रिजर्व भी शामिल है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम/लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीडीपीएस) के अंतर्गत खाद्यान्नों का आवंटन

7.41 सभी राज्यों/संघ में एवं एफएसए का कार्यान्वयन किया गया है। चंडीगढ़, पुदूचेरी और दादरा एवं नागर हवेली के शहरी क्षेत्रों में, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नकदी अंतरण स्वरूप में लागू किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत खाद्यान्न सब्सिडी (आर्थिक मदद) को लाभार्थियों के बैंक खाते में अंतरित किया जा रहा है, जो जिसके बाद उनके पास खाद्यान्नों को मुक्त बाजार से खरीदने का विकल्प होता है। वर्ष 2019-20 में, 31 दिसम्बर 2019 तक, भारत सरकार ने अब तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अन्य कल्याणकारी स्कीमों के अंतर्गत 603.88 लाख टन खाद्यान्नों का आवंटन किया है। (तालिका 9)।

चित्र 8: जनवरी, 2015 से केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों के स्टाकिंग मानक (मिलियन टन में)

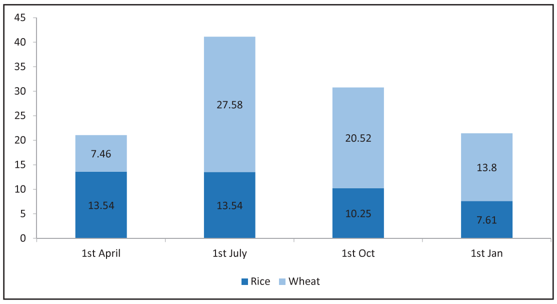

स्रोत: खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी)

7.42 भारत सरकार, राज्य के भीतर खाद्यान्नों के लाने ले जाने पर किए गए और उचित मूल्य की दुकान के डीलरों के लाभांशों पर गए व्यय की प्रतिपूर्ति करने के लिए भी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करती है। वर्ष 2019-20 के दौरान (दिनांक 31.12.2019 तक) इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों के लिए 1433.25 करोड़ रुपये की राशि की गई है।

(i) खरीफ विपणन सत्र (के एम एस) 2018-19 के दौरान 448.00 एल एम टी के अनुमानित लक्ष्य की अपेक्षा 443.99 में लाख मीट्रिक टन (एल एम टी) चावल का प्रापण किया गया। आगामी खरीफ

तालिका 9: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्न का आबंटन

श्रेणी	मात्रा (लाख टन में)
एनएफएसए (आईसीडीएस एवं एमडीएम सहित)	596.63
उत्सव, प्राकृतिक आपदा आदि	2.14
अन्य कल्याणकारी योजनाएं	5.11
कुल	**603.88**

स्रोत: खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग

सत्र 2019-20 के दौरान 31.12.2019 को 256.10 लाख मीट्रिक टन धान का प्रापण किया गया।

(ii) रबी विपणन सत्र (आर एम एस) 2019-2020 के दौरान, 341.33 लाख मीट्रिक टन गेहूँ का प्रापण किया गया जबकि आर एम एस 2018-19 के दौरान 357.95 मीट्रिक टन का प्रापण किया गया था।

(iii) खरीफ विपणन सत्र 2019-20 के दौरान, 3,49,250 मीट्रिक टन मोटे अनाज के प्रापण का अनुमोदन किया गया।

7.43 विगत पांच वर्षों के दौरान मोटे अनाज के प्रापण का विवरण चित्र 9 में किया गया है। खाद्यान्न उत्पादन, प्रापण, खुल-खरीद और स्टाक तालिका 10 में प्रस्तुत किया गया है।

एफसीआई को खाद्यान्नों की आर्थिक लागत

7.44 खाद्यान्नों की आर्थिक लागत में तीन घटक शामिल होते हैं, अर्थात खाद्यान्नों की सामूहिक लागत, प्राप्त संबंधी आनुषांगिक खर्चे और वितरण संबंधी लागत। खाद्यान्नों की सामूहिक लागत वह लागत है जो आर्थिक लागत के परिकलन के समय एफसीआई के पास उपलब्ध खाद्यान्न स्टाक के भारित एमएसपी के रूप में होती है। एमएसपी मूल्यों में वृद्धि और आनुषांगिक खर्चो में आनुपातिक वृद्धि के कारण पिछले कुछ वर्षों के दौरान गेहूं और चावल दोनों की आर्थिक लागत में काफी बढ़ोतरी हुई (चित्र 10)।

7.45 गेहूं के संबंध में वास्तविक आर्थिक लागत के निर्धारक तत्वों की जांच से पता चलता है कि एमएसपी स्टॉक प्रबंधन प्रभार और अनाज का औसत स्टॉक इस विषय में महत्वपूर्ण कारक हैं। वास्तविक एमएसपी में एक यूनिट की वृद्धि से वास्तविक आर्थिक लागत में 0.48 यूनिट की वृद्धि होती है और इसका गहरा प्रभाव पड़ता है।

खाद्य सब्सिडी

7.46 खाद्य सब्सिडी के अंतर्गत (i) एफसीआई को एनएफ एसए और अन्य कल्याणकारी स्कीमों के अधीन गेहूं और चावल प्रापण एवं वितरण के लिए तथा

चित्र 9: विगत पांच वर्षों के दौरान मोटे अनाज (अनाज-वार) का प्रापण (एम टी)

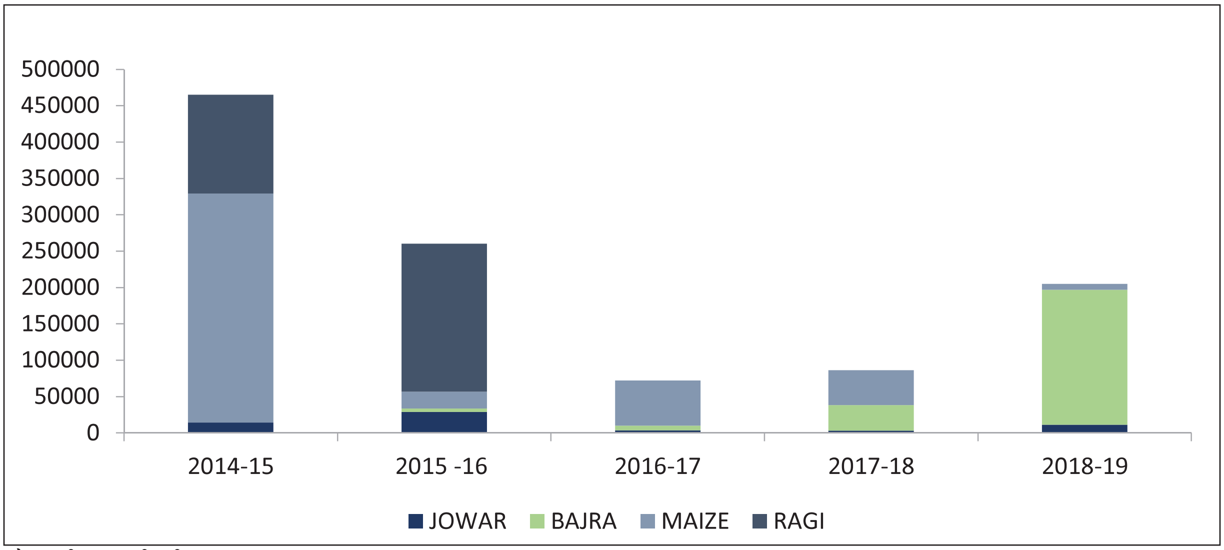

स्रोत: डी एफ पी डी

तालिका 10: खाद्यान्न उत्पादन, प्रापण कुल-खरीद और स्टॉक (मिलियन टन)

वर्ष	दालों को छोड़कर खाद्यान्नों का उत्पादन	खाद्यान्न प्रापण	उत्पादन का प्र. तिशत के तौर पर प्रापण	कुल खरीद (टी वी डी एस/एन एफ एस ए + कल्याण योजना)	प्रथम जुलाई को शेष स्टॉक
2015-16	235.22	64.91	27.6	53.73	54.72
2016-17	251.98	61.14	24.3	56.58	49.85
2017-18	259.60	69.10	26.6	57.85	53.48
2018-19	261.55*	80.40	30.7	56.40	65.14
2019-20	132.35**	60.06@	45.38@	42.82#	74.40

स्रोत: आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, कृषि और किसान विकास मंत्रालय, खाद्यान्न बुलेटिन डीएफपीडी।
* चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार। ** केवल प्रथम खरीफ अग्रिम अनुमान।
@ 31 दिसंबर, 2019 को # दिसंबर, 2019 तक खरीद (आफटेक)

चित्र 10: एफसीआई का खाद्य पदार्थो का आर्थिक मूल्य (₹ क्विंटल में)

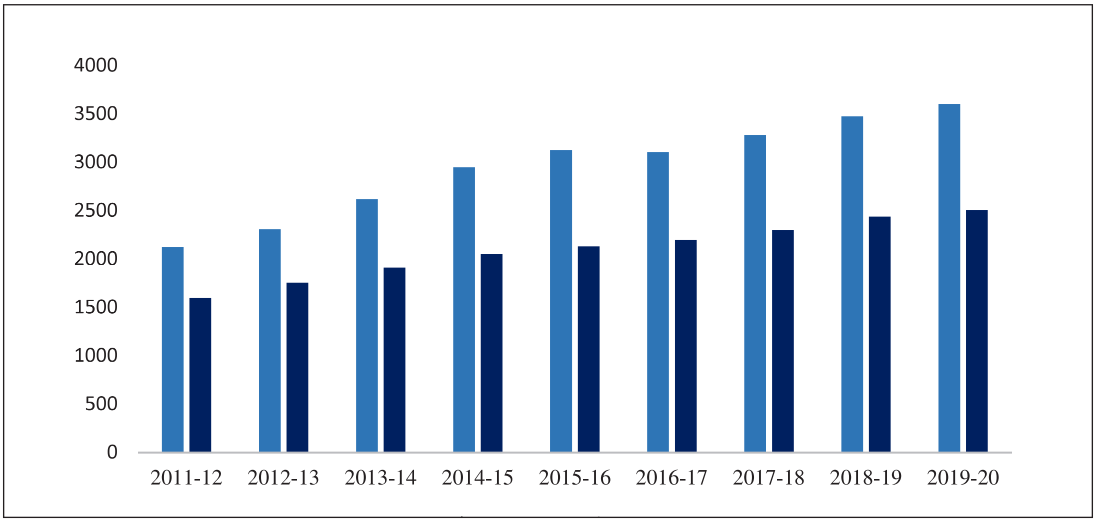

स्रोत: एफसीआई वार्षिक योजना, 2019.20
* Weighted average of common and Grade-A Rice taken together. @ Data from 2014-15 to 2017-18 indicates cost under National Food Security Act (NFSA).

खाद्यान्नों का स्ट्रेटिजिक भंडार बनाए रखने के लिए प्रदान की जाने वाली सब्सिडी और (ii) राज्यों को विकेंद्रीकृत प्रापण शुरू करने के लिए दी जाने वाली सब्सिडी शामिल है। केंद्रीय पूल के लिए खाद्यान्नों के अधिग्रहण एवं वितरण को मिलाकर आर्थिक लागत तय की जाती है। प्रति क्विंटल आर्थिक लागत और प्रति क्विंटल केंद्रीय जारी मूल्य (सीआईपी) के बीच के अंतर से खाद्य सब्सिडी की मात्रा निकाली जाती है। हालांकि आर्थिक लागत में वृद्धि हुई है, एनएफएसए (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) लाभार्थियों के लिए सीआईपी (केंद्रीय निर्गम मूल्य) को गेहूं के मामले में प्रति क्विंटल 200 रु./ और चावल के मामले में प्रति क्विंटल 300 रु./ से संशोधित नहीं किया गया है। अधिनियम के तहत इन दरों का निर्धारण, अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख (जुलाई 13, 2013) से तीन वर्ष की अवधि के लिए किया गया था तथा इसके बाद समय-समय पर इसका निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा, न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक न रखते हुए, किया जाएगा। तथापि वर्ष 2013 से इसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है। इसके फलस्वरूप आर्थिक लागत और सीआईपी के बीच अंतर और बढ़ गया तथा सरकार द्वारा वहन की जा रही सब्सिडी में इतने वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई हैं। (चित्र-11)

7.47 खाद्य सब्सिडी को अधिक व्यापक बनाने के कई कारण रहे हैं। यद्यपि एनएफएसए ने एक ओर पूर्व के टीपीडीएस से अधिक व्यापक कवरेज देते हुए अंत्योदय सीआईपी को सभी एनएफएसए लाभार्थियों पर समान रूप से लागू भी किया है। इसके अतिरिक्त, एनएफएसए के अधीन एपीएल/बीपीएल श्रेणीकरण भी समाप्त कर दिया गया। अधिनियम के तहत कवरेज को भी गरीबी अनुमानों से अलग कर दिया गया क्योंकि यह सुनिश्चित करना अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया था कि समाज के सभी कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को भी उसका लाभ मिले। इसके तहत जहां एएवाई श्रेणी बनी रहेगी, वहीं यह अधिनियम शेष लाभार्थियों को प्राथमिक परिवार के रूप में शामिल करता है। अधिनियम के तहत निम्न सीआईपी के साथ उपलब्ध कराए गए व्यापक कवरेज से खाद्य सुरक्षा में स्वाभाविक रूप से प्रभाव पड़ेगा। साथ ही निर्धारित मानकों से बहुत अधिक मात्रा में खाद्यान्न स्टॉक तैयार करने, आर्थिक लागत और वास्तविक एमएसपी में वृद्धि और एपीएल परिवारों के लिए औसत केंद्रीय जारी मूल्य में कमी के कारण बिक्री की वसूली में कमी से खाद्य सब्सिडी में वृद्धि हुई है।

7.48 जहां जनसंख्या/आबादी के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता है, वहीं एनएफएसए के तहत सीआईपी बढ़ाने के आर्थिक तर्क को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। खाद्य सुरक्षा संचालन की निरंतरता हेतु खाद्य सब्सिडी बिल के बढ़ते हुए स्तर का मुद्दा सुलझाने की आवश्यकता है।

भंडारण

7.49 केंद्रीय पूल से लिए गए खाद्यान्नों के भंडारण हेतु भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध भंडारण क्षमता, केंद्रीय वेयरहाउसिंग निगम (सीडब्ल्यूसी) और वेयरहाउसिंग नियम (एसडब्ल्यूसी) के पास उपलब्ध वेयरहाउसिंग क्षमता के हिस्से और निजी क्षेत्र से धन के एवज में लिए गए स्थान का उपयोग किया जाता है। दिनांक 30.11.2019 तक की स्थिति के अनुसार

चित्र 11: जारी (रिलीज) की गई खाद्य सब्सिडी और इसमें वार्षिक बढ़ोतरी

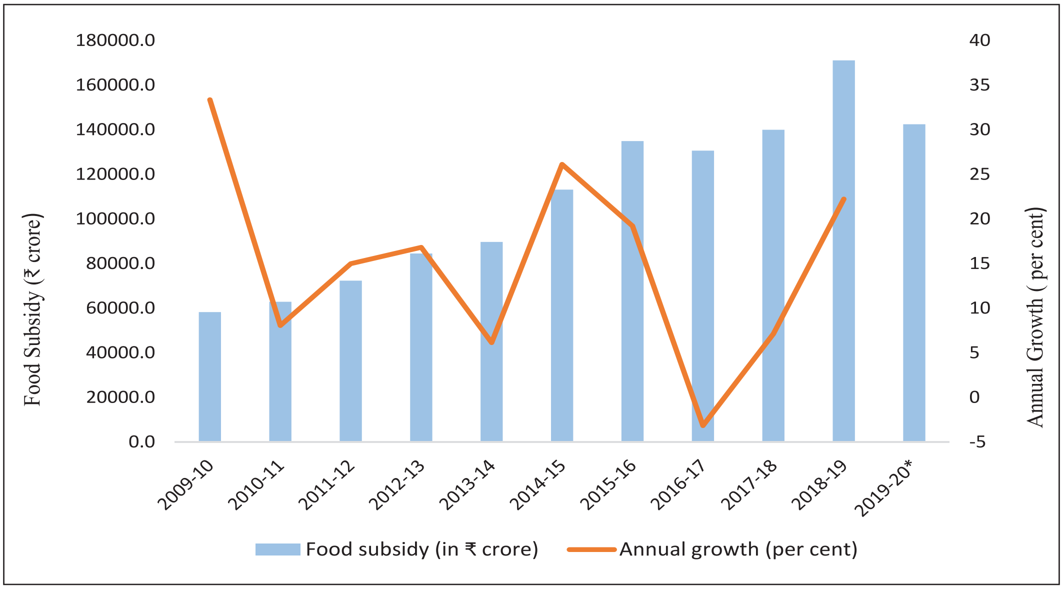

स्रोत: खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग

* 30.12.2019 को स्थिति

नोट I: वित्त वर्ष 2016-17 में जारी की गई खाद्य सब्सिडी 130672.96 करोड़ रुपए थी जिसमें भारतीय खाद्य निगम को दिया गया 25,000 करोड़ रुपए का एनएसएसएफ ऋण भी शामिल था।

नोट II: वित्त वर्ष 2017-18 में जारी की गई कुल खाद्य सब्सिडी 139981.69 करोड़ रुपए थी जिसमें भारतीय खाद्य निगम को दिया गया 40000 करोड़ रुपए का ऋण शामिल था।

नोट III: वित्त वर्ष 2018-19 में जारी की गई कुल खाद्य सब्सिडी 171127.49 करोड़ थी जिसमें भारतीय खाद्य निगम को दिया गया 70,000 करोड़ रुपए का ऋण शामिल था।

खाद्यान्नों के भंडारण के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और राज्य एजेंसियों के पास उपलब्ध कुल क्षमता 750 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) थी, जिसमें 617.60 एलएमटी के कवर किए गए गोदाम और 132. 40 एलएमटी की कवर और प्लिंथ (सीएपी) सुविधााएं शामिल हैं। 750.00 एलएमटी की कुल उपलब्ध भंडारण क्षमता में से 401.87 एलएमटी, भारतीय खाद्य निगम के पास थी और 348.38 एलएमटी, राज्य एजेंसियों के पास उपलब्ध थी। केंद्रीय पूल में दिनांक 01.12.2019 को चावल और गेहूं का भंडार 564.54 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) था।

7.50 निजी उद्यमी गारंटी स्कीम (पीईजी): विद्यमान भंडारण क्षमता में तेजी लाने हेतु निजी क्षेत्र के साथ-साथ सीडब्ल्यूसी और एसडब्ल्यूसी के माध्यम से निजी उद्यमी गारंटी स्कीम के तहत 22 राज्यों में गोदामों के निर्माण का कार्य पीपीपी मोड में शुरू किया गया है। दिनांक 30.11.2019 तक की स्थिति के अनुसार इस योजना के अंतर्गत 143.53 एलएमटी की क्षमता का निर्माण किया गया।

7.51 सेंट्रल सेक्टर स्कीम (पूर्ववर्ती योजनागत स्कीम): यह योजना कुछ अन्य राज्यों सहित पूर्वोत्तर राज्यों में लागू की जाती है। भारत सरकार द्वारा एफसीआई के साथ-साथ राज्य सरकारों को भी गोदामों के निर्माण के लिए वार्षिक बजटीय आबंटन में से निधियां जारी की जाती है। 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के दौरान एफसीआई तथा राज्य सरकारों ने 1,84,175 एमटी की कुल क्षमता का निर्माण पूर्ण किया। इस योजना को दिनांक 01.04.2017 से दिनांक 21.03.2022 तक बढ़ा दिया गया है। एफसीआई तथा राज्य सरकारों द्वारा दिनांक 01.04.2017 से दिनांक 31.11.2019 तक 49,425 का क्षमता-निर्माण किया गया।

7.52 स्टील साइलो (भूमिगत कक्ष/खत्ती) का निर्माण: भारत सरकार ने सरकारी निजी कंपनी भागीदारी (पीपीपी) मोड के तहत भंडारण अवसंरचना के आधुनिकीकरण तथा भंडारित खाद्यान्नों की सामग्री के भंडार और उपयोग होने तक की अवधि में वृद्धि करने के लिए 100 एलएमटी की क्षमता के लिए देश में स्टील साइलो (भूमिगत कक्ष/खत्ती) के निर्माण की कार्य-योजना को भी मंजूरी दी है। इसके लिए 30.12.2019 तक की स्थिति के अनुसार साइलो की 7.25 एलएमटी कुल क्षमता का ही निर्माण पूरा हुआ।

7.53 ऑनलाइन डिपो मैंनेजमेंट सिस्टम (ओडीएमएस): एफसीआई, डिपो में खाद्यान्न की प्राप्ति, भंडारण, रख रखाव गतिविधियों और खाद्यान्न को जारी करने सहित डिपो ऑपरेशंस की पूरी प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए ऑनलाइन डिपो मैंनेजमेंट सिस्टम (ओडीएमएस) को लागू कर रहा है, जिसे डिपो ऑनलाइन सिस्टम (डीओएस) के रूप में भी जाना जाता है। इसमें इनवेंटरी मैंनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, वेटब्रिज इंटीग्रेशन, स्टोरेज और ट्रांजिट लॉस मैंनेजमेंट, गनी इन्वेंट्री मैंनेजमेंट, आदि के लिए इनबिल्ट मॉड्यूल हैं। इससे डिपों स्तर पर लागतों के इष्टतमीकरण और एफसीआई की कार्यात्मक दक्षता में सुधार करने और किसी भी प्रकार की खराबी/चूक का आसानी से पता लगाने/रोकने में मदद मिलती है। दिनांक 30.12.2019 की स्थिति के अनुसार डिपो ऑनलाइन सिस्टम (डीओएस), एफसीआई के 533 डिपो में क्रियाशील है। जबकि केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) के मामले में, एफसीआई द्वारा किराये पर में एफसीआई द्वारा किराये पर लिए गए सीडब्ल्यूसी के सभी 144 डिपों में डीओएस संस्थापित है। सीडब्ल्यूसी ने किराए पर लिए 12 डिपो को अब छोड़ दिया गया है। सभी 380 गोदामों पर अपने स्वयं की गोदाम प्रबंधन प्रणाली (डब्ल्यूएमएस) रोल-आउट को भी पूरा कर लिया है जिसे डीओएस के साथ एकीकृत करने का प्रस्ताव है।

भावी परिदृश्य

7.54 किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य की पूर्ति के लिए कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों की कुछ मूलभूत चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक है। कृषि में निवेश, जल संरक्षण, बेहतर कृषि पद्धतियों के जरिए पैदावार में वृद्धि, बाजार तक पहुंच, संस्थागत ऋण की उपलब्धता, कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच संपर्क बढ़ाना आदि और पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्र पशुपालन, डेरी-उद्योग और मत्स्य पालन जैसे संबद्ध क्षेत्रों को विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए नियोजन का आश्वस्त गौण स्त्रोत उपलब्ध कराने के लिए बढ़ावा दिए जाने आवश्यकता है। कृषि संबंधी आवश्यक वस्तुओं के लिए बाजार का अतिरिक्त स्त्रोत

निर्मित करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की व्याप्ति को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

7.55 चूंकि छोटे और सीमांत जोतों का अनुपात काफी अधिक है, भूमि बाजार मुक्त करने जैसे भूमि सुधार उपाय भूमि किसानों की आय में सुधार लाने में सहायता कर सकते हैं। चूंकि खेती के मशीनीकरण की मात्रा ब्राजील और चीन जैसे अन्य प्रमुख विकासशील देशों की तुलना में अपेक्षाकृत कम है, इसीलिए भारत के छोटी जोतो का मशीनीकरण का उचित उपयोग के माध्यम से बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रभावी जल संरक्षण तंत्र को सुनिश्चित कर सिंचाई सुविधा की सीमा में विस्तार किए जाने की आवश्यकता है। कृषि ऋण के क्षेत्रीय वितरण में विषमता के मुद्दे का समाधान लिए इसके प्रावधान का समावेशी दृषिकोण प्रारम्भ किया जाना चाहिये।

7.56 जबकि उत्पादकता और इसके विपणन में सुधार के लिए अभिप्रेत सरकारी उपाय अमल में हैं, प्रत्यक्ष आय/निवेश समर्थन की बेहतर सीमा के साथ किसानों के प्रयास की कमी पूरी किए जाने की आवश्यकता है। भारत में वर्तमान में मौजूद कृषि उपज के अधिशेष के लिए बाजार का अतिरिक्त स्रोत उपलब्ध कराने के लिए कृषि संबंधी वस्तुओं हेतु वैश्विक बाजार का पता लगाने पर अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

7.57 अन्य क्षेत्रों में श्रम संसाधन पुनः निर्दिष्ट करने की भी आवश्यकता है। यद्यपि, संरचनात्मक परिवर्तन में कृषि क्षेत्र की नौकरियों की कम होती हिस्सेदारी और सेवा क्षेत्र की नौकरियों की बढ़ती हिस्सेदारी सम्मिलित है, तो अधिक संख्या में कामगारों को आमेलित करने के लिए विनिर्माण संबंधी नौकरियां सृजित किए जाने की अत्यधिक आवश्यकता है।

7.58 प्रायः एफ. सी. आई. स्टॉक्स बफर मानदंड से परे हैं, जिसका समय से समाधान किए जाने की आवश्यकता है। गरीबों की संख्या अधिक होने के कारण, खाद्य सुरक्षा बरकरार रखना अब भी एक चुनौती है। प्रारम्भ में तीन वर्षों की अवधि के लिए एन.एफ. एस.ए. के तहत निर्धारित दरों में 2013 से संशोधन नहीं किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप खाद्य सब्सिडी में तेजी से वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत इनकी दरों और विस्तार क्षेत्र में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है।

अध्याय पर एक नज़र

- ➢ रोजगार के अवसरों के लिए कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय आबादी की निर्भरता का अनुपात भारत में अन्य किसी क्षेत्र के अनुपात से अधिक है।
- ➢ गैर-कृषि क्षेत्रों के अपेक्षाकृत उच्च विकास क्रिया निष्पादन जो विकास प्रक्रिया का स्वाभाविक परिणाम है के कारण देश के कुल जी.वी.ए. में कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों की हिस्सेदारी में लगातार गिरावट आई है।
- ➢ कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन क्षेत्र से वर्ष 2019-20 के लिए स्थिर कीमतों पर जीवीए में 2.8 प्रतिशत की दर से वृद्धि होने का अनुमान है।
- ➢ कृषि मशीनीकरण भारतीय कृषि को निर्वाह कृषि से वाणिज्यिक कृषि में परिवर्तन करने में सहायक होता है। भारत में समग्र कृषि मशीनीकरण लगभग 40 प्रतिशत है, जो चीन (59.5 प्रतिशत) और ब्राजील (75 प्रतिशत) की तुलना में कम है।
- ➢ भारत में कृषि ऋण का क्षेत्रीय वितरण एक अत्यधिक विषम पैटर्न दर्शाता है। यह देखा गया है कि उत्तर पूर्वी, पहाड़ी और पूर्वी राज्यों में ऋण कम है। कुल कृषि संवितरण मे उत्तर पूर्वी राज्यों की हिस्सेदारी एक प्रतिशत से कम हो चुकी है।
- ➢ पशुधन आय लाखों ग्रामीण परिवारों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण गौण स्त्रोत बन चुकी है और जो किसानों की आय का दोगुना करने के लक्ष्य की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अंतिम पांच वर्षों के दौरान पशुधन उद्योग क्षेत्र में 7.9 प्रतिशत की सी.ए.जी.आर. वृद्धि हुई है।

- 2017-18 की समाप्ति पर अंतिम 6 वर्षों के दौरान, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र में लगभग 5.06 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर (ए.ए.जी.आर.) रही है। इस क्षेत्र में 2011-12 की कीमतों पर क्रमशः 2017-18 में विनिर्माण और कृषि क्षेत्र में 8.83 प्रतिशत और 10.66 प्रतिशत जी.वी.ए. शामिल है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के जुलाई 2013 के लागू होने के बाद से खाद्य सब्सिडी बिल 2014-15 के ₹ 113171.2 करोड़ से बढ़कर 2018-19 में ₹ 171127.5 करोड़ पहुंच गयी है। जबकि जनसंख्या के कमजोर वर्गों (समाज के) के हितों की सुरक्षा की जानी चाहिए, खाद्य सुरक्षा कार्य में स्थिरता लाने के लिए, खाद्य सब्सिडी बिल में तेजी से वृद्धि के मुद्दे पर ध्यान दिलाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत दरों और व्यापकता में सुधार किया जाना चाहिए।

उद्योग और अवसंरचना

08
अध्याय

औद्योगिक क्षेत्र ने औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के आधार पर, वर्ष 2018-19 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान 5.0 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2019-20 (अप्रैल-नवंबर) में 0.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि वर्ष 2018-19 (अप्रैल-नवंबर) में 4.9 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2019-20 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान 0.9 प्रतिशत पर रही। रिफाइनरी उत्पाद क्षेत्रक की वृद्धि वर्ष 2019-20 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान (-) 1.1 प्रतिशत पर आ गई जो. कि वर्ष 2018-19 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान 5.3 प्रतिशत थी। इस्पात क्षेत्र ने वर्ष 2018-19 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान 3.6 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2019-20 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान 5.2 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त की। सरकार ने विभिन्न अवसंरचनागत क्षेत्रों का क्षमता-संवर्धन करने और उत्पादन बढ़ाने के लिए इन क्षेत्रों में नई नीतियों को लागू किया है। दिनांक 31.12.2019 को जारी, राष्ट्रीय अवसंरचना रूपरेखा पर कार्यबल की रिपोर्ट में भारत में वित्त वर्ष 2020 से 2025 की अवधि के दौरान 102 लाख करोड़ रुपए के कुल अवसंरचना निवेश की योजना है।

परिचय

8.1 भारत को पांच ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से औद्योगिक क्षेत्र का कार्यनिष्पादन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था के अन्य दो क्षेत्रों के साथ अपने पश्चात एवं पूर्वगामी संबंधों के माध्यम से राष्ट्रीय उत्पादन और रोजगार की समग्र संवृद्धि के निर्धारण में निर्णायक भूमिका का निर्वाह करता है। यह कुल सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) के लगभग 30 प्रतिशत का योगदान करता है। तथापि, यह क्षेत्र अनेक ऐसी आंतरिक और बाहरी चुनौतियों के प्रति सुभेद्य है जो इसके समग्र कार्यनिष्पादन को प्रभावित करती है।

औद्योगिक क्षेत्र में प्रवृत्तियां (रुझान)

8.2 जीवीए में अपने योगदान के संदर्भ में औद्योगिक क्षेत्र के कार्यनिष्पाद में वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2018-19 में सुधार हुआ है। हालांकि, राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ) द्वारा किए गए सकल घरेलू उत्पाद के प्राक्कलन के अनुसार, औद्योगिक क्षेत्र के वास्तविक जीवीए में वर्ष 2018-19 के पूर्वार्द्ध (अप्रैल-सितंबर) में 1.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। औद्योगिक क्षेत्रक में निम्न वृद्धि का प्राथमिक कारण विनिर्माण क्षेत्र है जिसने वर्ष 2019-20 के पूर्वार्द्ध में 0.2 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की। औद्योगिक क्षेत्र के लिए आधारभूत कीमतों पर वास्तविक जीवीए की वृद्धि का विवरण तालिका 1 में दिया गया है।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी)

8.3 औद्यगिक उत्पादक सूचकांक (आई आई पी) औद्योगिक कार्य निष्पादन का एक माप है। यह विनिर्माण क्षेत्र को 77.6 प्रतिशत, तत्पश्चात खनन क्षेत्र को 14.4 प्रतिशत और बिजली क्षेत्र को 8.0 प्रतिशत भारांक प्रदान करता है। सब मिलाकर, आईआईपी वृद्धि 2017-18 के 4.4 प्रतिशत की तुलना में 2018-19 में 3.8 प्रतिशत तक घट गई। 2019-20 (अप्रैल-नवंबर) के चालू वर्ष

में, यह पूर्ववर्ती वर्ष की इसी अवधि के 5.0 प्रतिशत की तुलना में 0.6 प्रतिशत बढी (तालिका 2)। वृद्धि में कमी मुख्यत: विनिर्माण गतिविधियों में गिरावट, मध्यम और लघु उद्यमों में धीमें ऋण प्रवाह, एन बी एफ सी द्वारा नकदी संकट के कारण एन बी एफ सी द्वारा कम ऋण मुहैया करने मुख्य क्षेत्रों जैसे ओटोमेटिव क्षेत्र, दवाईयाँ, मशीनरी और उपस्करों की घरेलू माँग में कमी, अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल कीमतों में अस्थिरता, विद्यमान व्यापार संबंधित अनिश्चितताओं आदि के कारण हई। चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रमुख श्रम आधारित क्षेत्रों, जैसे रत्न और आभूषण, मूल धातु, चमड़े के उत्पाद और वस्त्र-उत्पाद जैसे श्रम-आधारित क्षेत्रों के निर्यात में खराब प्रदर्शन हुआ।

तालिका 1: स्थिर कीमतों पर उद्योगों में सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) की वृद्धि दर (प्रतिशत में)

	Share in GVA*	2017-18	2018-19 (PE)	2019-20		2019-20 (1st AE)
				Q1	Q2	
Mining & Quarrying	2.4	5.1	1.3	2.7	0.1	1.5
Manufacturing	16.4	5.9	6.9	0.6	-1.0	2.0
Electricity, Gas, Water Supply & other Utility Services	2.8	8.6	7.0	8.6	3.6	5.4
Construction	8.0	5.6	8.7	5.7	3.3	3.2
Industry	**29.6**	**5.9**	**6.9**	**2.7**	**0.5**	**2.5**

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ)

टिप्पणी: *जीवीए में हिस्सा चालू कीमतों (2018-19) पर है, एई-अग्रिम अनुमान, पी ई-अनंतिम अनुमान

तालिका 2: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आई आई पी)वृद्धि दर (प्रतिशत में)

	भारांक	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2018-19 (April-November)	2019-20 (April-November)
सामान्य सूचकांक	100.0	3.3	4.6	4.4	3.8	5.0	0.6
क्षेत्र संबंधी वर्गीकरण							
खनन	14.4	4.3	5.3	2.3	2.9	3.7	-0.1
विनिर्माण	77.6	2.8	4.4	4.6	3.9	4.9	0.9
बिजली	8.0	5.7	5.8	5.4	5.2	6.6	0.8
उपयोग आधारित वर्गीकरण							
प्राथमिक माल	34.0	5.0	4.9	3.7	3.5	4.8	0.1
पूँजीगत माल	8.2	3.0	3.2	4.0	2.7	7.2	-11.6
मध्यवर्ती माल	17.2	1.5	3.3	2.3	0.9	0.7	12.2
अवसंरचना/विनिर्माण माल	12.3	2.8	3.9	5.6	7.3	8.3	-2.7
उपभोक्ता वस्तुएं	12.8	3.4	2.9	0.8	5.5	7.8	-6.5
गैर-उपभोक्ता वस्तुएं	15.3	2.6	7.9	10.6	4.0	4.0	3.9

स्रोत: एन एस ओ

8.4 आई.आई.पी के प्रयोग आधारित वर्गीकरण के अनुसार, चालू वित्त वर्ष 2019-20 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान पूँजीगत माल और उपभोक्ता वस्तुओं की वृद्धि में क्रमश: 11.6 प्रतिशत और 6.5 प्रतिशत की गिरावट

आई। उपभोक्ता वस्तुओं का वर्ग, मुख्यत: ऑटोमोबाइल उद्योग में, घरेलू क्षेत्र में माँग की कमी के कारण प्रभावित रहा। चालू वित्त वर्ष 2019-20 (अप्रैल-नवबंर) में अवसंरचना/विनिर्माण माल की वृद्धि 2.7 प्रतिशत घटी। फिर भी 2019-20 (अप्रैल-नवबर) के दौरान मध्यवर्ती माल-गैर-उपभोक्ता वस्तुओं और प्राथमिक माल की वृद्धि क्रमश: 12.2 प्रतिशत, 3.9 प्रतिशत और 0.1 प्रतिशत हुई (तालिका 2)। चित्र 1 उपयोग-आधारित वर्गीकरण द्वारा आई आई पी की मासिक वृद्धि दर्शाता है। मध्यवर्ती माल और गैर-उपभोक्ता वस्तुओं ने नवंबर 2019 में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की, यद्यपि प्राथमिक माल, पूँजीगत माल, अवसंरचना/विनिर्माण माल तथा उपभोक्ता वस्तुओं ने नवबंर 2019 में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की।

चित्र 1: आई आई पी की मासिक वृद्धि (प्रतिशत में) (उपयोग आधारित वर्गीकरण)

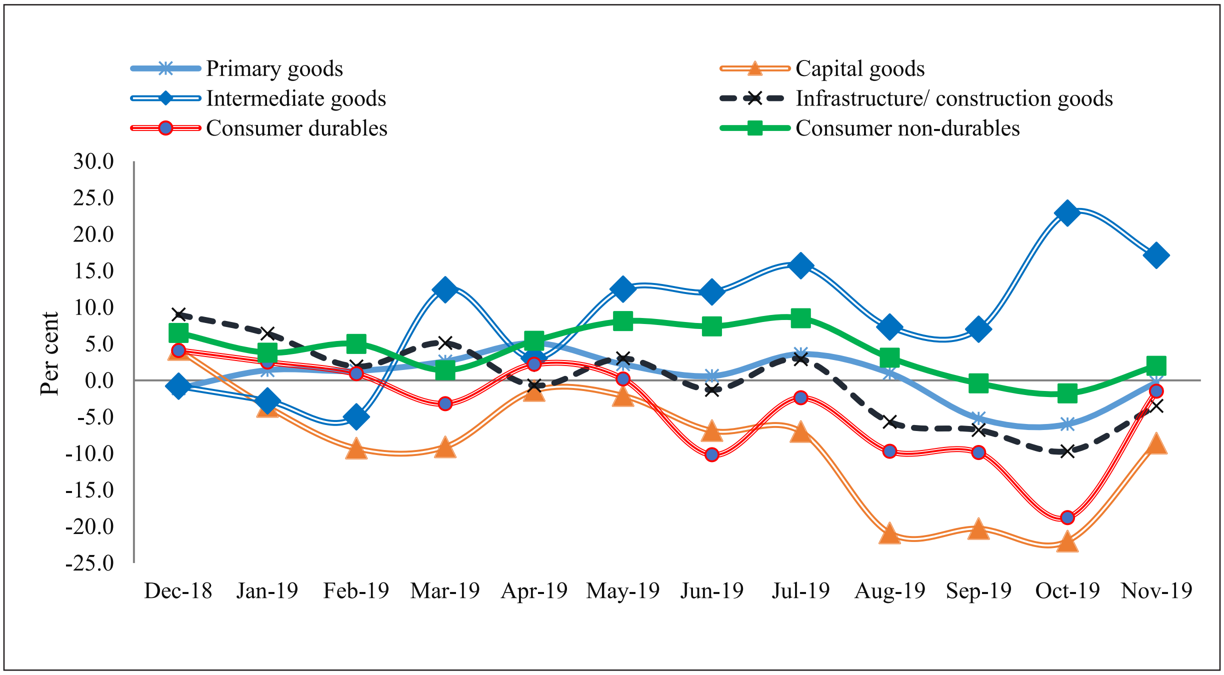

स्रोत: एनएसओ

आठ प्रमुख उद्योग

8.5 आठ प्रमुख उद्योगो का सूचकांक कोयला, कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, पैट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, स्टील, सीमेंट और बिजली के कार्यान्वयन संबंधी विवरण प्रस्तुत करता है। इन आठ प्रमुख उद्योगों का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आई आई पी) में 40.27 प्रतिशत हिस्सा बनता है।

8.6 चालू वित्त वर्ष (अप्रैल-नवंबर 2019) के दौरान आठ प्रमुख उद्योगों की वृद्धि सपाट रही। पूर्ववर्ती वर्ष की इस अवधि के दौरान, इन उद्योगों में 5.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी (तालिका 3)। जहाँ चालू वित्त वर्ष के दौरान उर्वरक, स्टील और बिजली के उत्पादन में विस्तार देखा गया वहीं कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और रिफाइनरी उत्पादों का औद्योगिक उत्पादन सकुंचित हुआ। मानसून के दौरान अतिशय बारिश, खनन क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था की समस्या और सितंबर 2019 के दौरान हड़ताल ने कोयला क्षेत्र को प्रभावित किया। कच्चे तेल उद्योग बिजली कटने, बारिश/तेज हवा/आँधी-तूफान आदि के कारण प्रचालनीय समस्याओं के चलते 2019-20 (अप्रैल-नवबंर) में (-) 5.9 प्रतिशत की वृद्धि दर से लगातार संकुचन की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता रहा। वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान आई आई पी, आठ प्रमुख उद्योगों और विनिर्माण क्षेत्र के संदर्भ में तीन माह की चल औसत माह दर माह वृद्धि दर दर्शाती है कि यह तीनों संकेतक कभी-कभार विचलन सहित साथ-साथ बढ़ते हैं (चित्र 2)।

तालिका 3: आठ प्रमुख उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि (प्रतिशत में)

क्षेत्र (सेक्टर)	भारांक	2016-17	2017-18	2018-19	2018-19 (अप्रैल-नवंबर)	2019-20 (अप्रैल-नवंबर)
कोयला	10.3	3.2	2.6	7.4	9.0	-5.3
कच्चा तेल	9.0	-2.5	-0.9	-4.1	-3.6	-5.9
प्राकृतिक गैस	6.9	-1.0	2.9	0.8	-0.7	-3.1
रिफाइनरी उत्पाद	28.0	4.9	4.6	3.1	5.3	-1.1
उर्वरक	2.6	0.2	0.0	0.3	-1.3	4.0
इस्पात	17.9	10.7	5.6	5.1	3.6	5.2
सीमेंट	5.4	-1.2	6.3	13.3	14.2	0.0
बिजली	19.9	5.8	5.3	5.2	6.6	0.7
समग्र सूचकांक	**100**	**4.8**	**4.3**	**4.4**	**5.1**	**0.0**

स्रोत: आर्थिक सलाहकार कार्यालय, डीपीआईआईटी

टिप्पणी: ऊपर निर्दिष्ट उद्योग-वार भारांक औद्योगिक उत्पादन सूचकांक से व्युत्पन्न अलग-अलग उद्योग के भारांक हैं और 100 के समतुल्य आईसीआई के संयुक्त भारांक के आधार पर यथानुपात उल्लिखित किए गए हैं।

चित्र 2: वर्ष 2017-18 से वर्ष 2018-19 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, आठ प्रमुख उद्योगों और विनिर्माण क्षेत्र के संदर्भ में माह के परिवर्तनशील औसत माह-दर-माह की वृद्धि दर (प्रतिशत में)

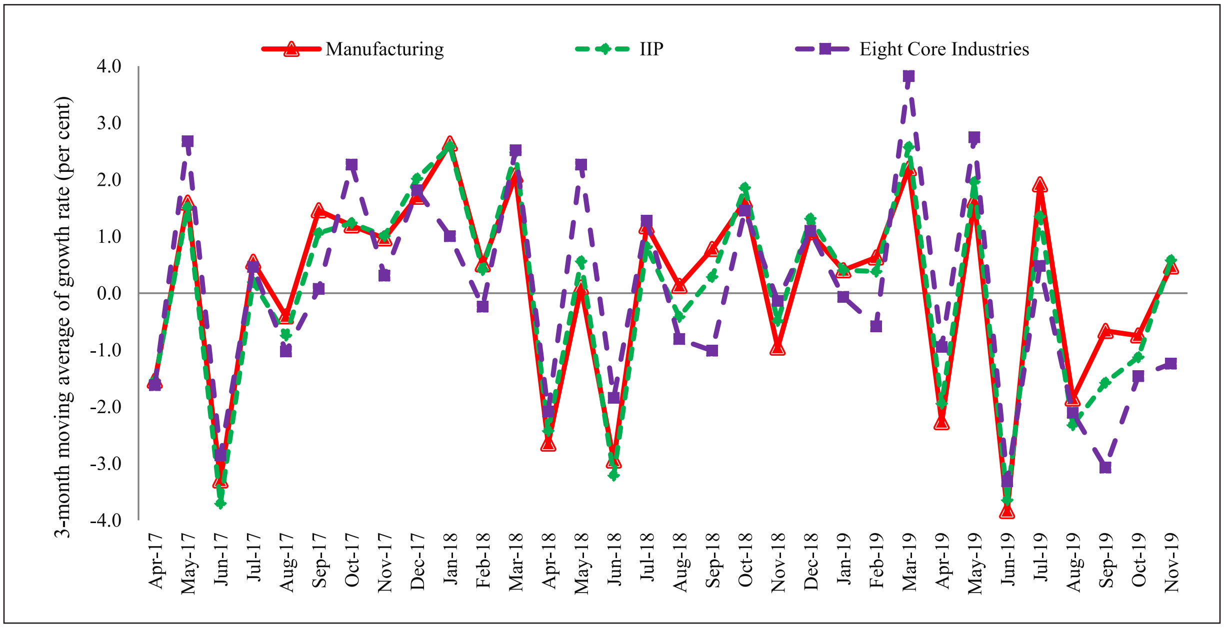

स्रोत: आर्थिक सलाहकार कार्यालय डीपीआईआईटी और एनएसओ आंकड़ों का उपयोग करते हुए 'समीक्षा' परिकलन।

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) का निष्पादन

8.7 लोक उद्यम विभाग के अनुसार, दि. 31.03.2019 को, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की संख्या 348 हैं, इनमें से 249 उद्यम प्रचालनिक स्थिति में हैं। पुन: 86 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को अभी वाणिज्यिक रूप से प्रचालन आरंभ करना है और 13 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम बंद होने परिसमापन की प्रक्रिया में थे।

प्रचालित 249 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में से वर्ष 2018-19 के दौरान 178 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम रु. 1.75 लाख करोड़ लाभ की स्थिति में थे, वर्ष के दौरान 70 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम हानि की स्थिति में थे जिनकी कुल हानि ₹31,635 करोड़ थी। 249 प्रचालित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का समग्र निवल लाभ वर्ष 2017-18 में 1.24 लाख करोड़ रुपये से वर्ष 2018-19 में 15.52 प्रतिशत बढ़कर 1.43 लाख करोड़ रुपये हो गया। केंद्रीय राजकोष में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का अंशदान में पिछले वर्ष 3.52 लाख करोड़ रुपये की तुलना वर्ष 2018-19 में 4.67 प्रतिशत की वृद्धि होकर 3.69 लाख करोड़ रुपये हो गया।

8.8 संचयी निवेश (चूकता पूंजी जमा दीर्घावधि ऋण), जो 31 मार्च, 1951 के अनुसार 5 उद्यमों में 29 करोड़ रुपये थे, 31 मार्च, 2019 के अनुसार 335 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में बढ़कर 16.41 लाख करोड़ रुपये हो गई। सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निवेश में 2017-18 की तुलना 2018-19 में 14.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई और उसी अवधि में नियोजित पूंजी भी बढ़कर 11.71 प्रतिशत हो गई।

कार्पोरेट क्षेत्र का कार्यनिष्पादन

8.9 कार्पोरेट क्षेत्र का कार्यनिष्पादन में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अनुसार अनुमानित बिक्री में सहित वर्ष 2019-20 की द्वितीय तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र में मांग शर्ते कमजोर होने के कारण संकुचन (वर्ष-दर-वर्ष) रहा है। पेट्रोलियम उत्पादों, लोहा और इस्पात, मोटर वाहन और अन्य परिवहन उपकरण कंपनियां इसे धीमा करने में मुख्य अंशदायक रहे। वर्ष 2016-17 के द्वितीय तिमाही से विस्तारणीय जोन में शेष रहने के बाद, वर्ष 2019-20 की द्वितीय तिमाही में 1700 से अधिक सूचीबद्ध प्राइवेट विनिर्माण कंपनियों की बिक्री वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) 7.7 प्रतिशत संकुचित हुई। वर्ष 2019-20 की प्रथम तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र के लिए निवल लाभ संकुचित होने का मुख्य कारण उत्पादन का धीमा होना रहा। वर्ष 2019-20 की द्वितीय तिमाही में कार्पोरेट क्षेत्र की निवल लाभ की पुनः सुधार आया और वह 17.4 प्रतिशत (चित्र 3) रहा। भारत में विनिर्माण क्षेत्र की क्षमता उपयोगिता क्षमता वर्ष 2018-19 की प्रथम तिमाही में 73.8 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2019-20 के प्रथम तिमाही में 73.6 प्रतिशत पर स्थिर रही (चित्र 4)।

चित्र 3: प्राइवेट कार्पोरेट क्षेत्र में सूचीबद्ध विनिर्माण कंपनियों की बिक्री में वृद्धि और निवल लाभ (प्रतिशत में)

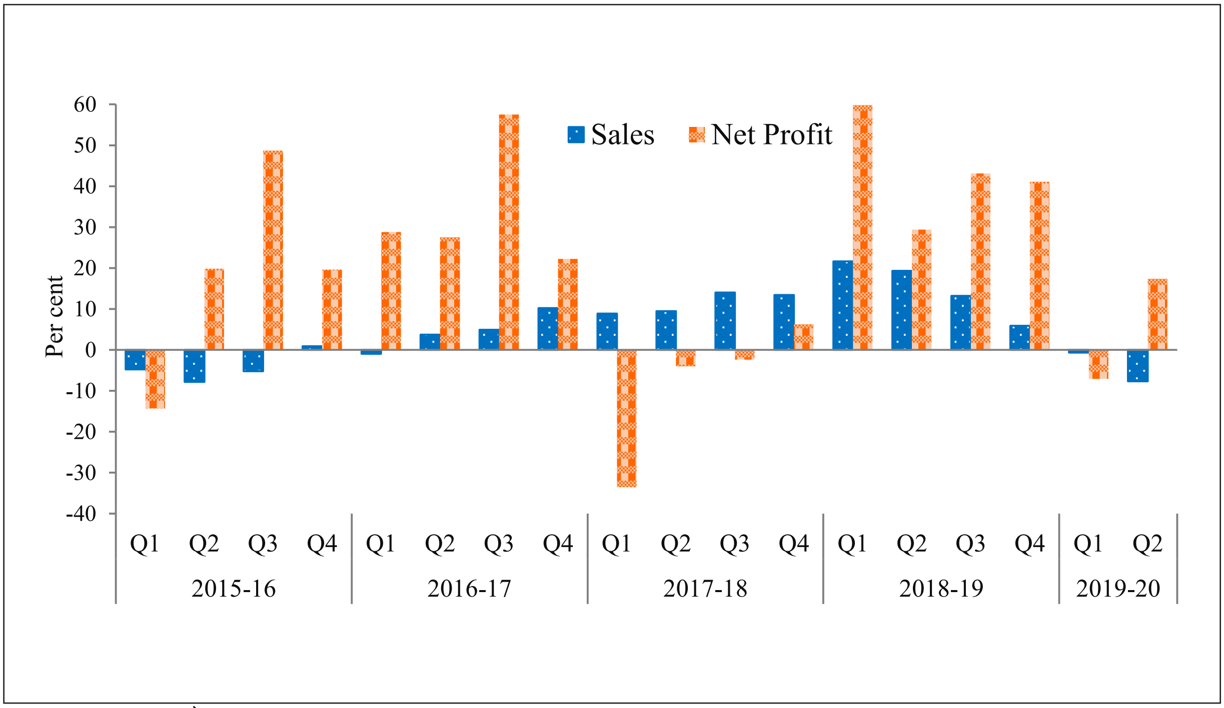

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

चित्र 4: भारत के विनिर्माण क्षेत्र में क्षमता का उपयोग (प्रतिशत में)

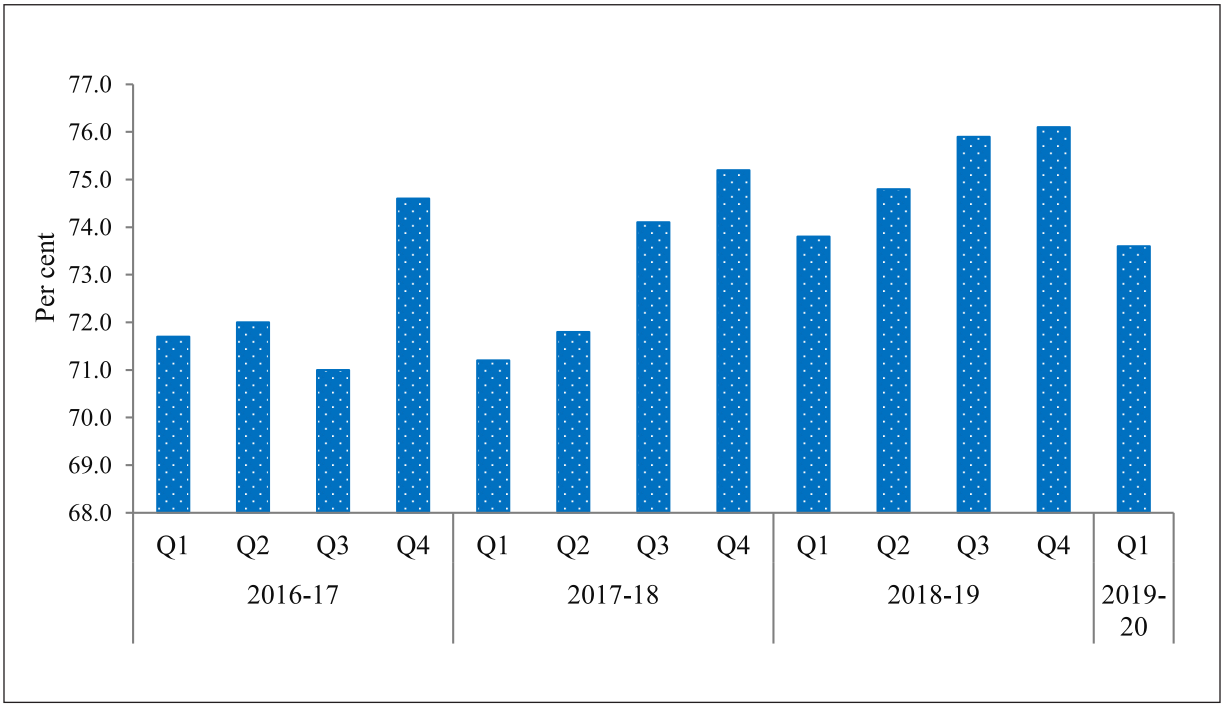

स्रोत: आरबीआई

औद्योगिक क्षेत्र में सकल पूंजी निर्माण

8.10 31 जनवरी, 2019 को एनएसओ द्वारा दिए गए डाटा के अनुसार राष्ट्रीय आय, उपभोग व्यय, बचत और पूंजी संचय से ज्ञात हुआ है। कि उद्योग में सकल घरेलू निवेश (जीसीएफ) की वृद्धि दर 2016-17 में (-) 0.7 प्रतिशत से 2017-18 में 7.6 प्रतिशत पहुंच गई और उद्योग में निवेश आने से गति मिली। 2017-18 (4 में खनन और उत्खनन, विनिर्माण, विद्युत, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाओं और निर्माण के क्षेत्र में 7.1 प्रतिशत, 8.0 प्रतिशत, 6.1 प्रतिशत और 8.4 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की गई। (तालिका 4)।

तालिका 4: उद्योगवार जीसीएफ की वृद्धि दर (2011-12 के स्थिर कीमतों पर) (प्रतिशत में)

	2015-16*	2016-17#	2017-18@
उद्योग	11.1	-0.7	7.6
खनन और उत्खनन	-19.6	16.4	7.1
विनिर्माण	11.4	1.3	8.0
विद्युत, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं,	22.4	-12.9	6.1
निर्माण	2.6	10.1	8.4

स्रोत: एनएसओ

टिप्पणी*: तृतीय संशोधित अनुमान, #-द्वितीय संशोधित अनुमार, @-प्रथम संशोधन अनुमान

औद्योगिक क्षेत्र में साख प्रवाह (उपलब्धता)

8.11 वर्षानुसार उद्योग क्षेत्र में सकल बैंक साख प्रवाह सितम्बर, 2018 में 2.3 प्रतिशत से सितम्बर, 2019 में 2.7 प्रतिशत पहुंच गया। उद्योग क्षेत्र, जैसे लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद, सभी अभियांत्रिक, सीमेंट और सीमेंट के उत्पाद, निर्माण और आधारभूत ढ़ांचा, में 'साख प्रवाह' में सितम्बर, 2018 की तुलना में सितम्बर, 2019 में वृद्धि हुई है, जबकि उसी अवधि के दौरान खनन और उत्खनन, कपड़ा पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और परमाणु

ईंधन, कांच और कांच के बर्तन तथा क्षार धातु और धातु उत्पाद में ये प्रवाह संकुचित हुए हैं। खाद्य प्रसंस्करण, रसायन और रसायनिक उत्पाद, वाहन और वाहन के पुर्जे और परिवहन उपकरण में साख प्रवाह सितम्बर, 2018 की तुलना में सितम्बर, 2019 में कम वृद्धि दर्ज की गई है(तालिका 5)।

तालिका 5: सकल बैंक साख में उद्योगों के अनुसार वृद्धि (प्रतिशत में) (वर्षानुसार)।

	March 2018	September 2018	March 2019	September 2019
उद्योग	0.7	2.3	6.9	2.7
खनन और उत्खनन (कोयला समेत है)	19.7	29.8	1.1	-3.0
खाद्य प्रसंस्करण	6.8	2.2	1.1	0.6
कपड़ा	6.9	1.3	-3.0	-5.7
पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और परमाणु ईंधन	9.4	18.5	-3.1	-4.2
लकड़ी और लकड़ी का उत्पाद	3.3	6.4	10.2	7.1
रसायन और रसायनिक उत्पाद	-5.5	11.7	17.5	2.6
कांच और कांच के उत्पाद	6.5	30.3	17.0	-8.0
सभी अभियांत्रिक	3.8	3.8	8.6	4.4
सीमेंट और सीमेंट उत्पाद	-3.1	-10.4	5.9	17.5
मूल धातु और धातु उत्पाद	-1.2	-7.9	-10.7	-7.9
वाहन, वाहन के पुर्जे और परिवहन उपकरण	7.0	9.1	1.4	6.9
निर्माण	9.5	8.7	10.4	10.5
आधारभूत ढांचा	-1.7	4.7	18.5	7.2
अन्य उद्योग	4.2	-1.8	6.8	7.4

स्रोत: आरबीआई

व्यापार सुगमता

8.12 भारत सरकार ने 2014 से औद्योगिक क्षेत्र संबंधित अनेक सुधारों के लिए पहल की है, जिससे समग्र व्यवसाय वातावरण बेहतर हुआ है। व्यापार सुगमता को बेहतर बनाने के लिए विद्यमान नियमों को सरलीकृत और युक्तिकृत बनाने पर जोर दिया जा रहा है एवं सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से शासन को अधिक कुशल और प्रभावी बनाया गया है। व्यावसायिक वातावरण में हुए सुधार के परिणामस्वरूप भारत में इन सुधारों का असर देखा जा सकता है, जिसके फलस्वरूप विश्व बैंक की 2020 की रिपोर्ट में सुगम व्यवसाय करने के मामले में 190 देशों में से भारत का स्थान उल्लेखनीय रूप से सुधरकर 63वां हो गया। यह पिछली बार के 77वीं रैंक के स्थान से 14 रैंक की छलांग लगाकर 63 रैंक पर पहुंच गया है (चित्र 5)। रैंकिंग करने का आधार 10 सूचकों से सम्बद्ध हैं, जो व्यवसाय करने के चीवन चक्र से संबंधित हैं। भारत ने अपना रैंक 10 सूचकों में से 7 पर बेहतर किया है और व्यवसाय करने के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के और समीप पहुंच गया है। (चित्र 6)

चित्र 5: वर्ल्ड बैंक 'ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस' रिपोर्ट् में भारत की रैंकिंग

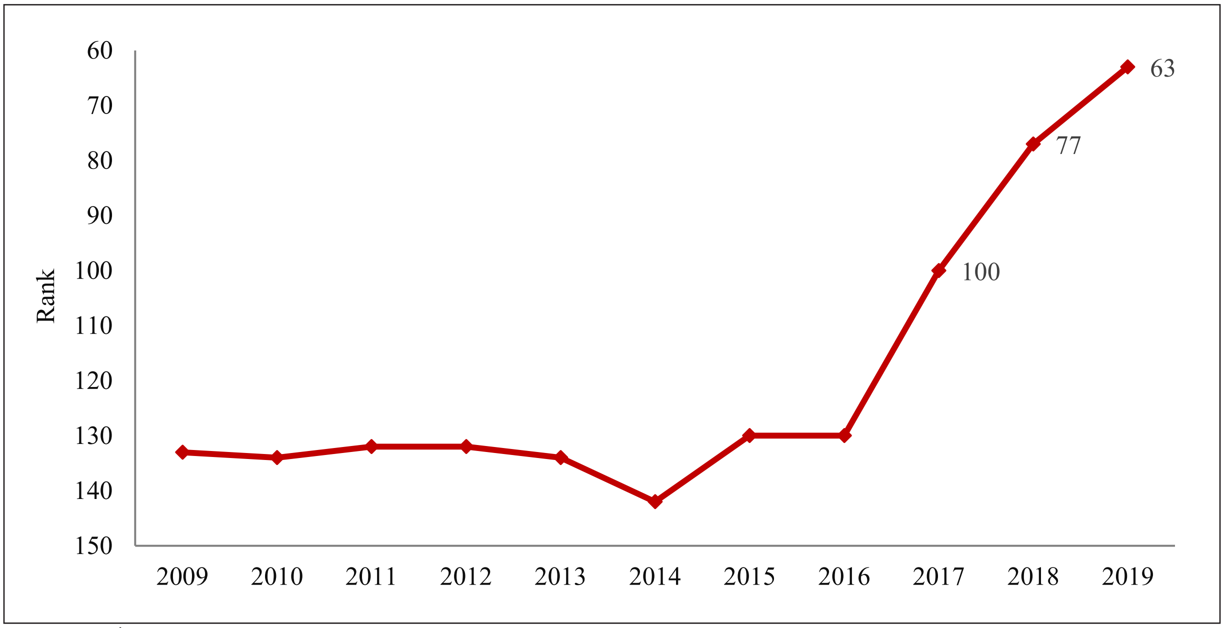

स्रोत: विश्व बैंक

चित्र 6: 'ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस' रैंकिंग में भारत की प्रगति

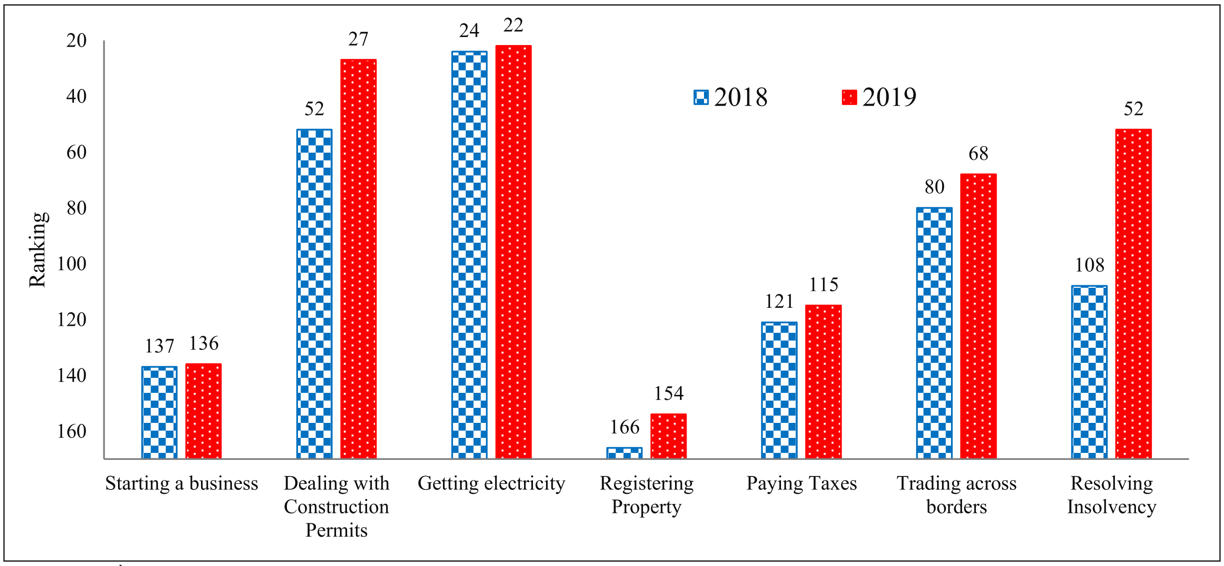

स्रोत: विश्व बैंक

स्टार्ट-अप इंडिया

8.13 स्टार्ट-अप आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं, रोज़गार पैदा करते हैं और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। उद्यमी युवाओं के बीच नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए, भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने 15 अगस्त, 2015 को "स्टार्ट-अप इंडिया, स्टेंड-अप इंडिया" पहल की घोषणा की थी। इस पहल का उद्देश्य एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है जो स्टार्ट-अप के विकास के लिए अनुकूल हो। 16 जनवरी को 19 कार्य-बिंदुओं को शामिल करते हुए एक कार्य योजना का अनावरण किया गया। 8 जनवरी 2020 की स्थिति के अनुसार, 551 जिलों में 27,084 स्टार्ट-अप्स को मान्यता दी गई, जिनमें से 55 प्रतिशत स्टार्ट-अप्स स्तर-I के शहरों, 45 प्रतिशत स्टार्ट-अप्स स्तर-II और स्तर III के शहरों में हैं। 43 प्रतिशत मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप्स में कम से कम एक

महिला निदेशक है। विनियमों को आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जैसे स्टॉर्ट-अप द्वारा एकत्र किए गए निवेश पर आयकर में छूट, स्टार्ट-अप के लिए ईज़् ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार हेतु 32 विनियामक सुधार लागू करना, 6 श्रम कानूनों और 3 पर्यावरण कानूनों के लिए स्व-प्रमाणन व्यवस्था, स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र के लिए 'वन स्टॉप शॉप' के रूप में 'स्टार्ट-अप इंडिया हब' स्थापित करना, जिसमें 3,67,773 उपयोगकर्ताओं ने व्यवसाय की योजना बनाने के लिए निःशुल्क स्टार्ट-अप इंडिया अधिगम कार्यक्रम का लाभ उठाया है, आदि। महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली-भारत में मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप के राज्य-वार वितरण के मामले में शीर्ष तीन प्रदर्शक हैं (चित्र-7)। मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप के उद्योगवार वितरण के अनुसार, 13.9 प्रतिशत सूचना प्रौद्योगिकी के बाद स्वास्थ्य देखभाल व जीव विज्ञान की (8.3 प्रतिशत) और शिक्षा (7.0 प्रतिशत) की हिस्सेदारी थी (चित्र-8)।

चित्र-7: भारत में मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप का प्रमुख राज्य-वार वितरण (% में)

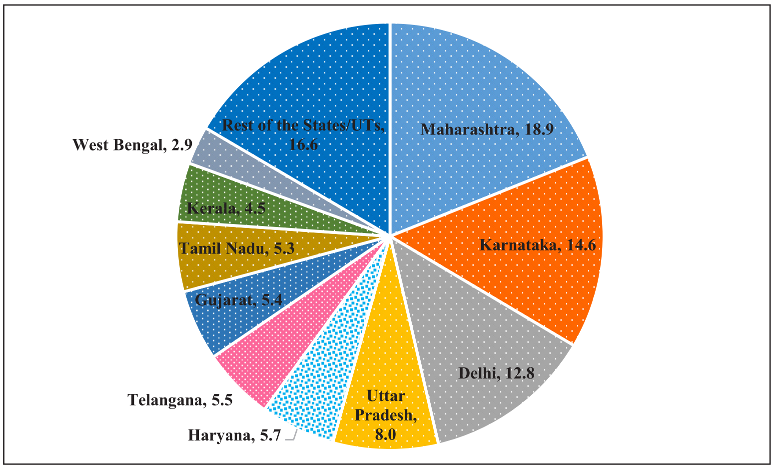

स्रोत: डी पी आई आई टी

चित्र 8: भारत में मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप का प्रमुख उद्योगों के संदर्भ में वितरण (प्रतिशत में)

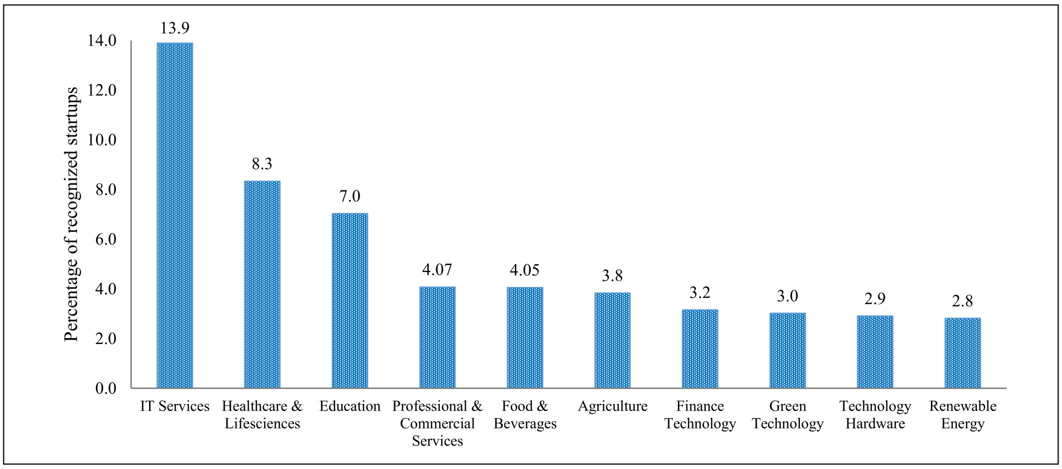

स्रोत: डी. पी. आई. आई. टी.

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ. डी. आई.)

8.14 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आर्थिक विकास का प्रमुख चालक माना जाता है क्योंकि यह पूंजी, दक्षता तथा प्रौद्योगिकी को लाकर मेज़बान देश की उत्पादकता में वृद्धि करता है। सरकार द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की एक उदार नीति के माध्यम से निवेश को प्रोत्साहित करने की एक अति-सक्रिय पहल की जा रही है। वर्ष 2018-19 (सितम्बर, 2019 तक) में 22.66 मिलियन अमेरिकी डालर की तुलना में वर्ष 2019-20 (सितम्बर, 2019 तक) के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का कुल इक्विटी अंतर्प्रवाह 26.10 बिलियन अमेरिकी डालर रहा। वर्ष 2019-20 (सितम्बर, 2019 तक) के दौरान 26.

10 बिलियन अमेरिकी डालर के एफ.डी.आई. इक्विटी अंतर्प्रवाह में से लगभग 80 प्रतिशत भाग मुख्यत: सिंगापुर, मॉरिशस, नीदरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान से आया था।

क्षेत्र-वार मुद्दे और पहल

इस्पात

8.15 कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर स्थित था। (चित्र 9)। यह चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद तैयार इस्पात का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है (चित्र 10)। हालांकि, वर्ष 2018-19 के दौरान इसकी प्रति व्यक्ति खपत केवल 74.1 किलो ग्राम ही थी (चित्र 11)। 2018-19 के दौरान, भारत ने 109.2 मैट्रिक टन कच्चे इस्पात का उत्पादन किया और अक्तूबर, 2019 तक वर्तमान वित्तीय वर्ष (एफवाई.) में, 64.3 मैट्रिक टन कच्चे इस्पात का उत्पादन हुआ था, जिसमें 77.4 प्रतिशत क्षमता उपयोगके साथ पिछले वर्ष की इसी अवधि से 1.5 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित हुई है। ठीक उसी प्रकार तैयार इस्पात का उत्पादन 2018-19 में 137.2 मैट्रिक टन और अप्रैल-अक्टूबर 2019 के दौरान 59.73 मैट्रिक टन था (चित्र 12)।

चित्र 9: वर्ष 2019 (जनवरी-नवम्बर) में कच्चे इस्पात के उत्पादन की देश-वार हिस्सेदारी (प्रतिशत में)

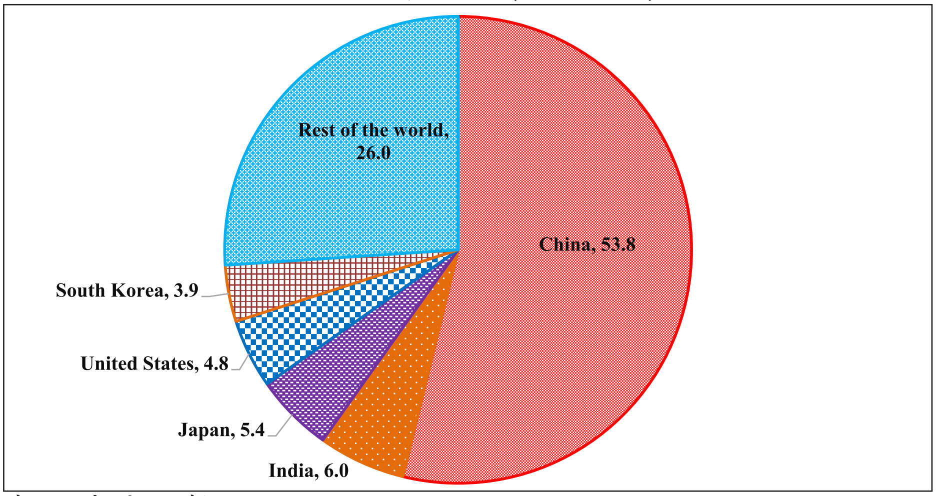

स्रोत: वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन

चित्र 10: वर्ष 2018 में तैयार इस्पात की खपत (प्रतिशत में)

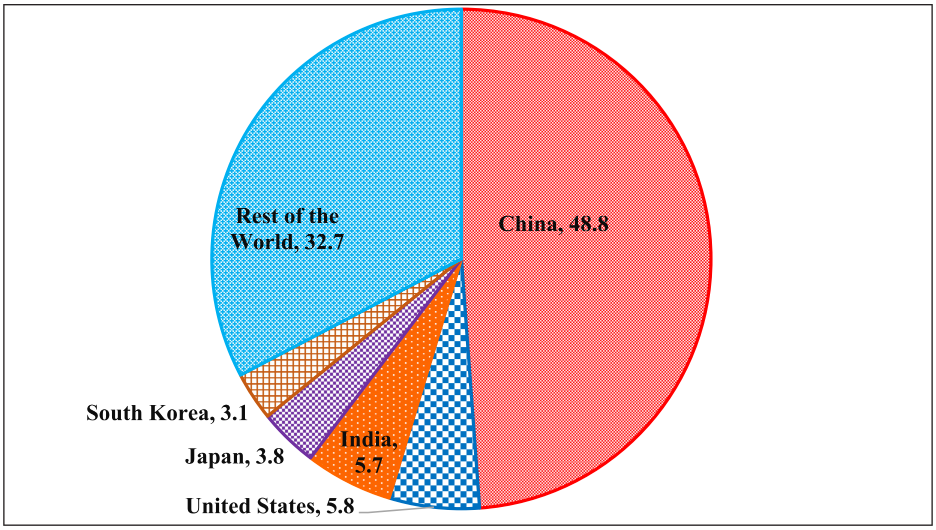

स्रोत: वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन

चित्र 11: भारत में कुल तैयार इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत (किलो ग्राम में)

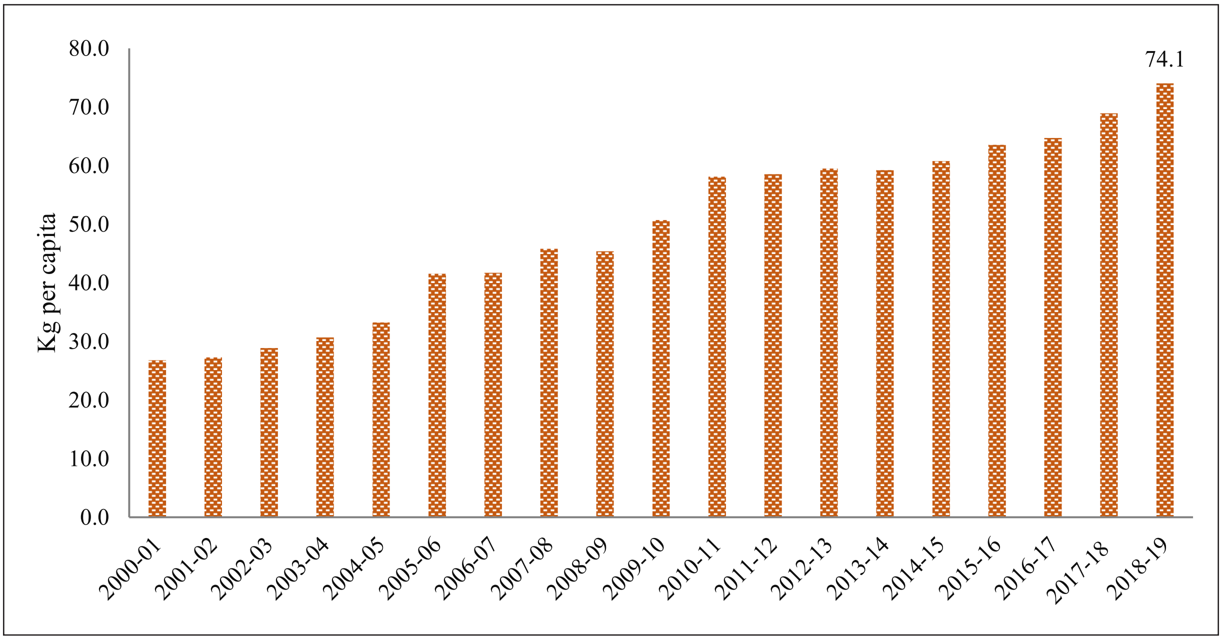

स्रोतः संयुक्त संयंत्र समिति

चित्र 12: तैयार स्टील का उत्पादन एवं खपत (मिलियन टन)

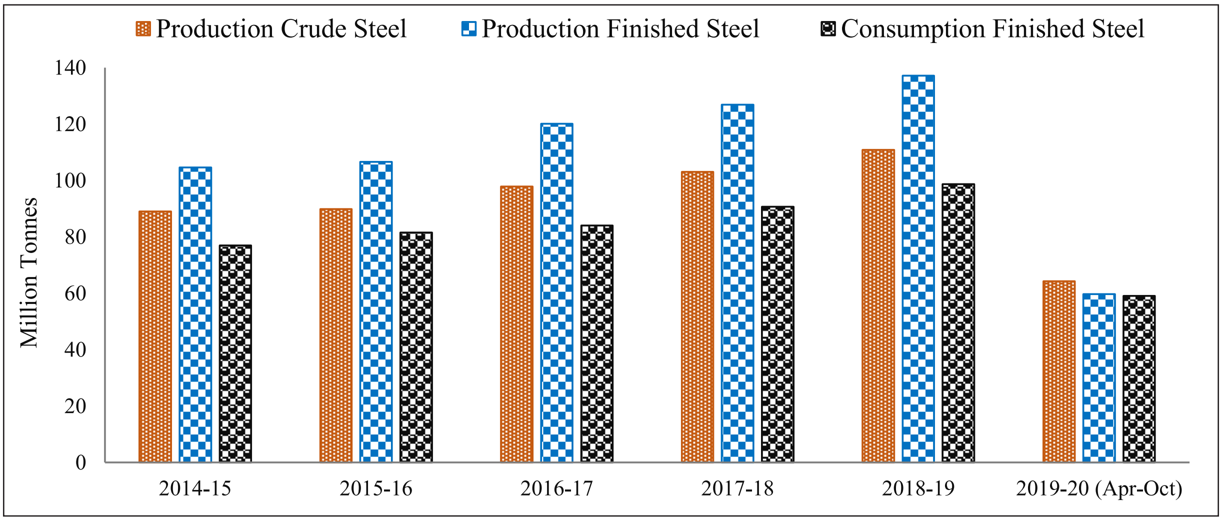

स्रोतः इस्पात मंत्रालय

कोयला

8.16 वर्ष 2018-19 के दौरान भारत में कच्चे कोयले का समग्र उत्पादन 730.4 मिलियन टन (एमटी) था जो 8.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वर्तमान वर्ष 2019-20 (अप्रैल-नवंबर) में पूरे भारत में कोयले का उत्पादन (-) 5.3 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ 410.5 मिलियन टन था जिसका कारण भारी एवं गैर-मौसमी बरसात थी। यह ध्यान देने योग्य है कि प्रथम तिमाही के दौरान कोयले के उत्पादन में सकारात्मक वृद्धि हुई थी और वर्षा होने के कारण इसमें गिरावट आ गई। मौजूदा समय में, देश में कोयले की मांग एवं आपूर्ति के बीच के अंतर को खपत क्षेत्रों द्वारा कोयले के आयात द्वारा पूरा किया जा रहा है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार (वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त) अप्रैल 2019 से सितंबर 2019 के दौरान 126.20 मिलियन टन कोयले का आयात किया गया था। (चित्र 13)

चित्र 13: भारत में कोयले का उत्पादन एवं आयात (मिलियन टन में)

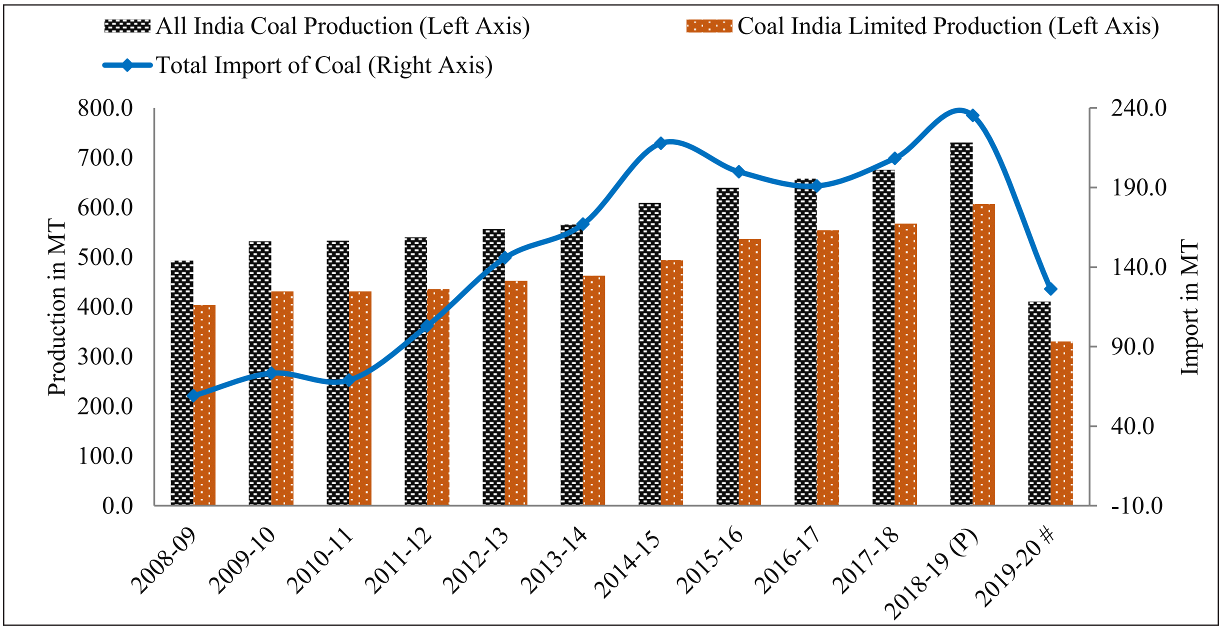

स्रोत: कोयला मंत्रालय

टिप्पणी: (पी)-अनंतिम, #-उत्पादन के आंकड़े नवंबर 2019 तक हैं और आयात के आंकड़े सितंबर, 2019 तक है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई)

8.17 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) कृषि के पश्चात उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने और तुलनात्मक रूप से कम पूंजीगत लागत पर रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के द्वारा देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान करता है। सरकार बेहतर साख प्रवाह, प्रौद्योगिकी के उन्नयन, व्यापार करने में सुगमता एवं बाजार अभिगम के लिए इस विवेचनात्मक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र को सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। दिनांक 2 नवंबर, 2018 को माननीय प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र के तेजी से विकास के लिए और व्यापार करने की सुगमता को बढ़ावा देने के लिए 12 मुख्य घोषणाएं की थी। इन पहलों और उनकी स्थिति तालिका 6 में दी गई है।

तालिका 6: एमएसएमई के तेजी से विकास और व्यापार करने की सुगमता को बढ़ावा देने के लिए की गई प्रमुख पहलों की स्थिति

क्र. सं.	प्रयास	स्थिति
1	सैद्धांतिक रूप से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 59 मिनट में 1 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए अनुमोदन	49,330 करोड़ रुपये के 1,59,422 ऋणों की संस्वीकृति प्रदान की गई और 37,106 करोड़ रुपये के 1,38,646 ऋणों को संवितरित (अक्टूबर, 2019 तक) कर दिया गया है।
2	समस्त जीएसटी पंजीकृत एमएमएमई के लिए 1 करोड़ रुपये के ऋण पर 2 प्रतिशत ब्याज की आर्थिक सहायता।	सिडबी ने 43 बैंकों/एनबीएफसी से (02.11.2018-31.03. 2019) अवधि के लिए 18 करोड़ रुपयों के दावे प्राप्त किए और उनका निपटान किया
3	500 करोड़ रुपयों से अधिक की कुल बिक्री वाली समस्त कंपनियों को अनिवार्यत: टीआरईडीएस प्लेटफार्म पर होना चाहिए जिससे कि उद्यमी अपनी भावी प्राप्य राशियों के आधार पर बैंकों से साख प्राप्त कर सकें।	कुल 1881 गैर अनुपालनकारी कंपनियां थी जिन की कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कार्रवाई करने के लिए की पहचान की थी। अब तक 329 कंपनियों ने स्वयं को टीआरईडीएस पोर्टल पर पंजीकृत किया है।
4	समस्त सीपीएसयू को एमएसई से अपनी कुल खरीद के 20 प्रतिशत की के स्थान पर कम से कम 25 प्रतिशत की अनिवार्य खरीद करनी होगी।	वर्ष 2019-20 (अक्टूबर, 2019 तक) के दौरान सीपीयू ने 59,903 एमएसई से 15,936.39 करोड़ रुपये की वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद की थी जोकि समान अवधि में सीपीएसयू द्वारा की गई कुल खरीद का 28.26 प्रतिशत है।

5	एमएसई से अधिदेशित 25 प्रतिशत खरीद में से 3 प्रतिशत खरीद महिला उद्यमियों के लिए आरक्षित है।	वर्ष 2019-20 (अक्टूबर, 2019 तक) के दौरान 242.12 करोड़ रुपये की खरीद 1471 महिला एमएसई से की गई जोकि कुल खरीद का 0.43 प्रतिशत है।
6	समस्त सीपीयू को जीईएम पोर्टल से अनिवार्यत: खरीद करनी होगी।	02.11.2018 के बाद से 258 सीपीयू/सीपीएसबी जीईएम पोर्टल पर अंकित/पंजीकृत हैं। कुल 57,351 एमएसई विक्रेता एवं सेवा प्रदाता जीईएम पोर्टल पर पंजीकृत हैं और जीईएम पोर्टल पर 50.30 प्रतिशत आदेश एमएसई से प्राप्त हुए हैं।
7	20 प्रौद्योगिकी केन्द्र (टीसी) और 100 विस्तार केन्द्र (ईसी) 6000 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित किए जाएंगे।	अब तक, टीसी के लिए छह स्थानों का निर्धारण किया जा चुका है एवं 20 टीसी के लिए पीएमसी के लिए आरएफपी जारी की जा चुकी है तथा 20 ईसी के लिए डीपीआर को अनुमोदन दिया जा चुका है तथा 99.30 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2019-20 में 10 और ईसी की योजना है।
8	फार्मा समूह की स्थापना के लिए भारत सरकार 70 प्रतिशत लागत वहन करेगी।	सामान्य सुविधाएं विकसित करने के लिए फार्मा समूह की सहायता के लिए सोलन (बद्दी), इंदौर, औरंगाबाद एवं पुणे नाम के चार जिलों का चयन किया गया था। सिद्धांतत: पूणे से प्रस्ताव के लिए दिनांक 31.01.2019 को अनुमोदन प्रदान किया गया था।
9	8 श्रम नियमों एवं 10 संघ विनियमनों के अंतर्गत विवरणियों को वर्ष में एक बार दाखिल किया जाएगा।	समस्त आंचलिक प्रमुखों को अपने अंचल में नियोजकों से उत्साहपूर्वक संपर्क करने का परामर्श दिया गया था जिससे उनको 8 श्रम कानूनों तथा 10 केंद्रीय नियमों के अंतर्गत श्रम सुविधा पोर्टल पर ऑनलाइन एकीकृत वार्षिक विवरणी फाइल करने की सुविधा से अवगत कराया जा सके।
10	स्थापनाओं पर दौरा करने वाले निरीक्षक का निर्णय एक कम्प्यूटरीकृत यादृच्छिक आबंटन के माध्यम से किया जाएगा।	कुल 3080 निरीक्षण किए जा चुके है जिनका निर्णय कम्प्यूटरीकृत यादृच्छिक आबंटन प्रणाली के माध्यम से किया गया था तथा समस्त निरीक्षण रिपोर्टों को श्रम सुविधा पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।
11	वायु एवं जल प्रदूषण नियमों के अंतर्गत एकल सहमति। विवरणियों को स्वन्-सत्यापन के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा और केवल 10 प्रतिशत एमएसएमई इकाइयों का निरीक्षण किया जाएगा।	समस्त कार्रवाइयों को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा रोक दिया गया था। वर्तमान में मामला न्यायालय के विचाराधीन है।
12	कंपनी अधिनियम के अंतर्गत मामूली उल्लंघन के लिए उद्यमियों को अब न्यायालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी बल्कि वे साधारण प्रक्रियाओं के माध्यम से उसको ठीक कर सकते हैं।	अब तक दो कंपनियों के विरूद्ध कार्रवाई की जा चुकी है जो कि अध्यादेश/संशोधन अधिनियम के अनुसार न्यायालय में मामला दायर करने की अपेक्षा शास्ति लगाने से एमएसएमई की श्रेणी में ताओी है।

स्रोत: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय

कपड़ा एवं वस्त्र

8.18 कपड़े का वर्ष 2017-18 में विनिर्माण में 18.0 प्रतिशत एवं जीडीपी में 2.0 प्रतिशत योगदान रहा है। वर्ष 2018-19 में भारत के कुल निर्यात में कपड़े एवं वस्त्रों की भागीदारी 12 प्रतिशत थी। यह क्षेत्र कृषि के पश्चात् सबसे बड़ा नियोजक है और यह सीधें तौर पर 4.5 करोड़ लोगों को तथा संबद्ध क्षेत्रों में 6 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। अप्रैल-अगस्त 2019 के दौरान अनुमानित मानव-निर्मित फाइबर और फिलामेंट यार्न के उत्पादन में क्रमश: 4 प्रतिशत और 8 प्रतिशत की वृद्धि

हुई है। अनुमानित तौर पर, अप्रैल-अगस्त, 2019 के दौरान मिल सेक्टर द्वारा कपड़े का अनुमानित उत्पादन 4 प्रतिशत कम हो गया है (तालिका-7)। भारत से हस्तशिल्प सहित कपड़े एवं वस्त्र उत्पादों का निर्यात वर्ष 2017-18 में 39.2 बिलियन अमेरिकी डालर से बढ़कर 2018-19 में 40.4 बिलियन अमेरिकी डालर हो गया है जिसमें 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है (तालिका-8)।

तालिका-7: मानव निर्मित फाइबर, फिलामेंट यार्न, स्पन यार्न एवं कपड़े का अनुमानित उत्पादन

अवधि	मानव निर्मित फाइबर किग्रा	मानव निर्मित फिलामेंट यार्न किग्रा	कपास यार्न किग्रा	मिश्रित एवं 100 प्रतिशत कपास रहित यार्न किग्रा	कुल स्पन यार्न किग्रा	कपड़ा: मिल सेक्टर वर्ग मीटर '	कपड़ा: विकेन्द्रीकृत सेक्टर वर्ग मीटर	कपड़ा: कुल योग (खादी, ऊन एवं रेशम को छोड़कर) वर्ग मीटर
	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Sq. mtr	Sq. mtr	Sq. mtr
2015-16	1347	1164	4138	1527	5665	2315	62269	64584
2016-17	1364	1159	4055	1604	5659	2264	61216	63480
2017-18	1319	1187	4064	1616	5680	2157	64688	66845
2018-19	1443	1159	4182	1680	5862	2012	68034	70046
2018-19#	603	476	1758	695	2453	873	27938	28811
2019-20 (P)#	629	512	1677	710	2387	837	28209	29046
2018-19 के बाद (प्रतिशत)	4.3	7.6	-4.6	2.2	-2.7	-4.1	1.0	0.8

स्रोत: कपड़ा मंत्रालय

टिप्पणी: (पी)-अनंतिम, *-इकाइयों से प्राप्त सांख्यिकीय आंकड़ों पर आधारित **यार्न से कपड़े के रूपांतरण अनुपात के सेट पर आधारित #-(अप्रैल-अगस्त)

तालिका-8: भारत से हस्तशिल्प सहित कपड़े एवं वस्त्र उत्पादों का निर्यात (मिलियन अमेरिकी डालर)

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
कपड़ा एवं वस्त्र	35,995	35,372	35,666	36,627
हस्तशिल्प	3,293	3,639	3,573	3,804
हस्तशिल्प सहित कुल कपड़ा एवं वस्त्र	39,288	39,011	39,239	40,431
भारत का समग्र निर्यात	2,62,290	2,75,852	3,03,376	3,29,536
समग्र निर्यात में कपड़े एवं वस्त्र के निर्यात का भाग (प्रतिशतता में)	15	14	13	12

स्रोत: कपड़ा मंत्रालय

अवसंरचना

8.19 यह एक सुस्थापित तथ्य है कि विकास के लिए अवसंरचना निवेश आवश्यक है। विद्युत की उपलब्धता में कमी से मंहगी कैप्टिव पावर पर निर्भरता बढ़ती है जिसके कारण लागतें बढ़ती हैं और अर्थव्यवस्था के लिए प्रतिस्पर्द्धा की भावना का ह्रास होता है। परिवहन अवसंरचना की अपर्याप्रता से कच्चे माल की आपूर्ति करने तथा तैयार माल की बाजार स्थल तक लाने ले जाने दोनों ही मामलों में अवरोध उत्पन्न होते हैं। यदि उत्तम गुणवत्ता वाली ग्रामीण सड़कों के माध्यम से कोई संपर्क स्थापित न हो तो किसानों को उनके उत्पाद की पूरी कीमत नहीं मिलती जिसके कारण उच्च समग्र विकास प्रदर्शन के पूर्ण लाभ प्राप्त न होकर ग्रामीण आय निचले स्तरों पर बनी रहती है। इन सभी कारणों के समाधान के लिए, तथा आर्थिक विकास को समावेशी बनाने के लिए पर्याप्त अवसंरचना की व्यवस्था करना आवश्यक है। अभी हाल ही में, भारत ने वित्त वर्ष 2020-2025 की अवधि के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना रूपरेखा (नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन) जारी की है (बॉक्स 1)।

बॉक्स 1: राष्ट्रीय अवसंरचना रूपरेखा 2020-2025

विकास के लिए अवसंरचना में निवेश आवश्यक होता है। वर्ष 2024-25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी प्राप्त करने के लिए भारत को इन वर्षों के दौरान अवसंरचना पर लगभग 1.4 ट्रिलियन डॉलर (100 लाख करोड़ रु.) का व्यय करने की आवश्यकता होगी। इसके लिए वार्षिक अवसंरचना-निवेश को बढ़ाने की चुनौती से निपटना होगा ताकि अवसंरचना की अपर्याप्तता के कारण, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में अवरोध उत्पन्न न हो सकें। इस स्तर के अवसंरचना कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उचित परियोजनाएं तैयार और कार्यान्वित की जाएं।

वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2024-25 में से प्रत्येक वर्ष के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना रूपरेखा (एनआईपी) का खाका खींचने के लिए वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के सचिव की अध्यक्षता में, सितंबर 2019 में एक अंतर-मंत्रालय कार्यबल का गठन किया गया।

एनआईपी से ऐसी सुविचारित समर्थ अवसंरचना परियोजनाएं तैयार करने का की आशा है जो नौकरियों का सृजन करें, जीवन सुविधाओं का संवर्धन करें और सबके लिए अवसंरचना की समान उपलब्धता प्रदान करें तथा जिससे विकास और अधिक समावेशी बनें। जीडीपी के अल्पकालिक तथा संभावित शोधन हेतु अवसंचनागत विकास में आपूर्ति पक्ष संबंधी हस्तक्षेप करने का भी एनआईपी का उद्देश्य है। संरचनागत क्षमताओं के संवर्धन से भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पद्यी को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

वित्त मंत्री ने दिनांक 31.12.2019 को राष्ट्रीय अवसंरचना रूपरेखा पर रिपोर्ट (संक्षिप्त संस्करण) जारी की। एनआईपी में, भारत में वित्त वर्ष 2020 से 2025 की अवधि के दौरान कुल 102 लाख करोड़ रु. के अवसंरचना निवेश की योजना है। उक्त अवधि के दौरान, प्रस्तावित पूंजी व्यय में ऊर्जा (24 प्रतिशत), सड़क (19 प्रतिशत), शहरी (16 प्रतिशत) और रेलवे (13 प्रतिशत) से संबंधित राशि 70 प्रतिशत से अधिक होगी।

एनआईपी के अनुसार, केन्द्रीय सरकार (39 प्रतिशत) और राज्य सरकार (39 प्रतिशत) से इन परियोजनाओं के वित्तपोषण में समान हिस्सेदारी किया जाना प्रत्याशित है और शेष का वित्तपोषण निजी क्षेत्र (22 प्रतिशत) द्वारा किया जाएगा। यह प्रत्याशा भी है कि वर्ष 2025 तक इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी में 30 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हो जाएगी। 102 लाख करोड़ रुपए कुल प्रत्याशित पूंजीगत व्यय में से 42.7 लाख करोड़ मूल्य (42 प्रतिशत) की परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन है, 32.7 लाख करोड़ मूल्य (32 प्रतिशत) की परियोजनाएं वैचारिक अवस्था में है और बाकी विकास अवस्था में है। इसलिए लगभग दो तिहाई पाइपलाइन लगाई जा चुकी है। यह भी प्रत्याशित है कि कुछ राज्यों की परियोजनाओं को नियत समय में पाइप लाइन से जोड़ा जाएगा। निवल राष्ट्रीय उत्पाद (एनआईपी) परियोजनाओं का क्षेत्र-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

मंत्रालय/विभाग	वित्त वर्ष 20-25 (राशि करोड़ रुपये में)
विद्युत	11,75,995
नवीकरणीय ऊर्जा	9,29,500
परमाणु ऊर्जा	1,54,088

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस	1,94,666
कुल ऊर्जा	**2,454,249**
सड़क	19,63,943
रेल	13,68,523
पत्तन	1,00,923
विमान पत्तन	1,43,398
शहरी (एएमआरयूटी, स्मार्ट शहर, एमआरटीएस, वहनीय आवास जल जीवन मिशन)	16,29,012
दूरसंचार	3,20,498
सिंचाई	7,72,678
ग्रामीण अवसंरचना	
ग्रामीण अवसंरचना	4,10,955
जल एवं स्वच्छता	3,61,810
कुल ग्रामीण अवसंरचना	**7,72,765**
कृषि अवसंरचना	54,298
खाद्य संसाधन उद्योग	1,255
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण	5,000
कुल कृषि एवं खाद्य संसाधन अवसंरचना	**60,553**
उच्चतर शिक्षा	1,18,348
स्कूल शिक्षा	37,791
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,68,622
क्रीड़ा	7618
पर्यटन	24,321
कुल विशेष अवसंरचना	**3,56,701**
उद्योग एवं आंतरिक व्यापार	2,99,237
इस्पात	8,225
कुल औद्योगिक अवसंरचना	**3,07,462**
जोड़ (करोड़ रुपए में)	**102,50,704#**

टिप्पणी: #- 31.12.2019 के अनुसार अन्य डाटा उपलब्ध होने पर परिवर्तनीय

कार्यदल द्वारा कई मुख्य क्षेत्रीय नीतियों में अपेक्षित परिवर्तनों और अवसंरचना कंपनियों के लिए संतुलित बाँड़ बाजार विकसित करने, अवसंरचना से संबंधित विवादों के शीघ्र समाधान, बेहतर एवं संतुलित पीपीपी संविदाओं के माध्यम से ईष्टतम जोखिम हिस्सेदारी और स्वच्छता एवं संविदाओं की बाध्यता जैसे केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा अन्य सुधार पहलों में अपेक्षित परिवर्तन के संबंध में अपनी सिफारिश की गई हैं।

निवल ब्याज अदायगी (एनआईपी) में वित्त वर्ष 20-25 की अवधि तक देश को अवसंरचना परिदृश्य दिया गया है। यह देश में किया गया पहला ही कार्य है। परंतु यह स्वीकार किया गया है कि राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन की वित्त व्यवस्था करना एक चुनौती भरा कार्य होगा। उम्मीद है कि सुव्यवस्थित परियोजनाओं से केंद्र एवं राज्य सरकार, शहरी स्थानीय निकाय, बैंक एवं वित्तीय संस्थान, पीईफंड और प्राइवेट निवेशक, (स्थानीय और विदेशी दोनों) निवेश करने के लिए आकर्षित होंगे।

क्षेत्रीय विकास

सड़क क्षेत्र

8.20 सड़क परिवहन, सकल मूल्य वर्धित (जीएवी) और यातायात भागीदारी में इसके योगदान के संदर्भ में परिवहन का प्रबल स्वरूप है। वर्ष 2017-18 के लिए जीवीए में परिवहन क्षेत्र की भागीदारी लगभग 4.77 प्रतिशत है जिसमें सड़क परिवहन की हिस्सेदारी सबसे अधिक 3.06 प्रतिशत है उसके बाद रेलवे (0. 75 प्रतिशत), हवाई यातायात (0.15 प्रतिशत) और जल परिवहन (0.06 प्रतिशत) की हिस्सेदारी है। इसी तरह से राष्ट्रीय परिवहन विकास नीति समिति की वर्ष 2011-12 की रिपोर्ट के अनुसार सड़क परिवहन देशभर में भाड़ा एवं यात्री यातायात क्रमशः 69 प्रतिशत और 90 प्रतिशत होने की संभावना है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में सड़क नेटवर्क, विशेषकर राष्ट्रीय राजमार्ग, के विकास एवं रखरखाव एवं मोटर वाहन अधिनियम जिसके अधीन सड़क परिवहन से संबंधित व्यापक नीतियां बनाई गई है, का कार्यान्वयन अनिवार्य कर दिया गया।

8.21 देश में सड़क नेटवर्क: अर्थव्यवस्था के शीघ्र विकास के लिए बेहतर सड़क नेटवर्क का होना आवश्यक है। सड़कें सुदूर क्षेत्रों को जोड़ती है, पिछड़े क्षेत्रों के विकास में सहायक होती है और बाजारों में पहुंचने, व्यापार एवं निवेश करने की सुविधा प्रदान करती है। सड़कों को अलग करने के रूप में नहीं बल्कि उस एकीकृत बहु-मॉडल परिवहन प्रणाली के भाग रूप में देखा जाना चाहिए जो एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, पोर्ट और अन्य तर्कसंगत हब से सीधी जुड़ी हुई हैं। भारत के पास तारीख 31.03.2018 तक लगभग 59.64 किमी सड़क नेटवर्क था। 1 मार्च, 2019 तक 1.32 लाख किमी लम्बे राष्ट्रीय राजमार्ग थे। इसका राज्य-वार वितरण मानचित्र 1 में दिया गया है। जिस गति से सड़कों का निर्माण हुआ है, वर्ष 2015-16 में 17 किमी प्रतिदिन से वर्ष

मानचित्र 1: 01.03.2019 को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन एच) की राज्य/संघ राज्यवार सघनता (प्रति 1000, वर्ग कि. मी. क्षेत्र में)

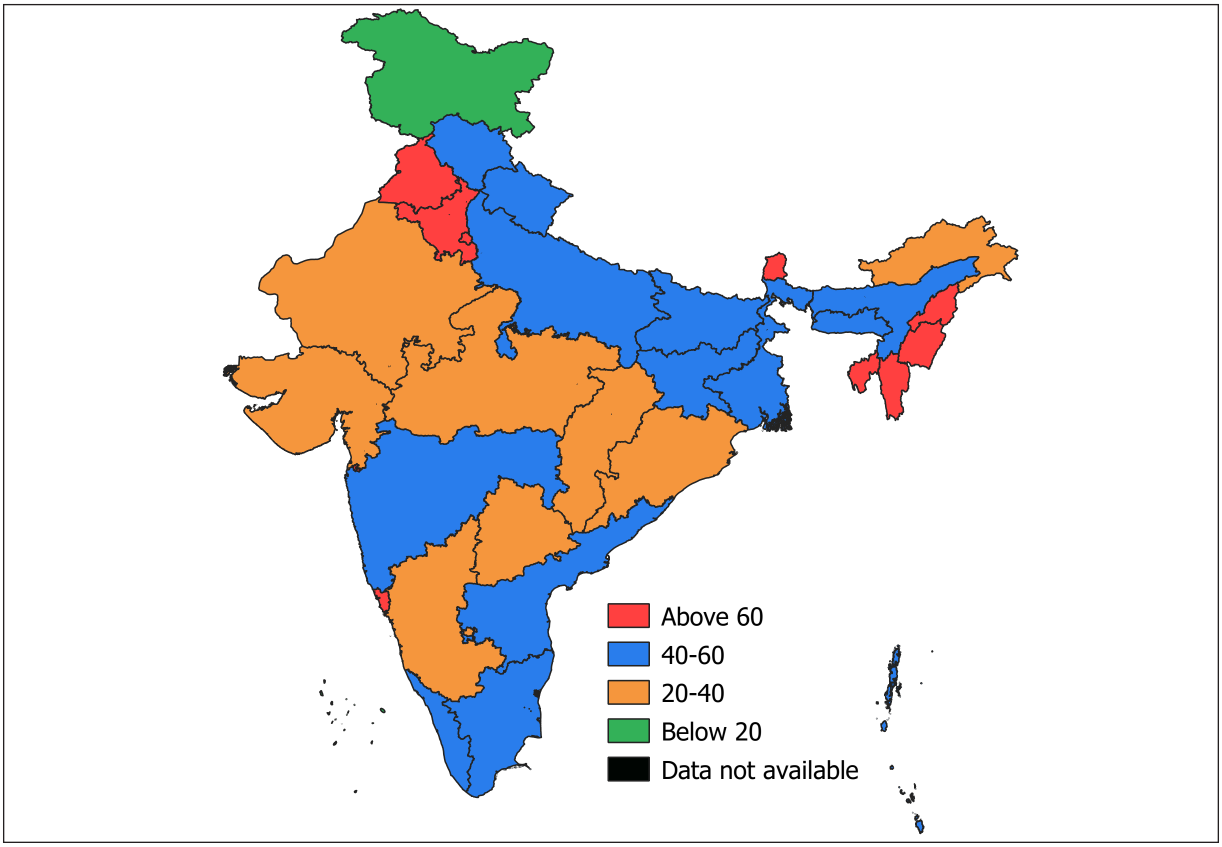

स्रोतः एन एच ए आई वेबसाइट

2018-19 में 29.7 कि.मी. महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि वर्ष 2019-20 में इसकी गति में कुछ कमी आई है। (तालिका 9)

8.22 सड़क और राजमार्ग क्षेत्र में कुल निवेश वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक पांच वर्ष की अवधि में तीन गुना से अधिक हुआ है (चित्र 14)

तालिका 9: अधिनिणित और निर्मित सड़कों की लंबाई (लंबाई किमी में)

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 #
Award of NHs/Road projects	10,098	15,948	17,054	5,494	2,103
Construction of NHs/Roads	6,061	8,231	9,829	10,855	4,622
Road construction per day	17	23	27	29.65	12.7

स्रोत: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

टिप्पणी: # -दि. 30.09.2019 को यथास्थिति

चित्र 14: सड़क निर्माण क्षेत्र में निवेश (रू० करोड़ में)

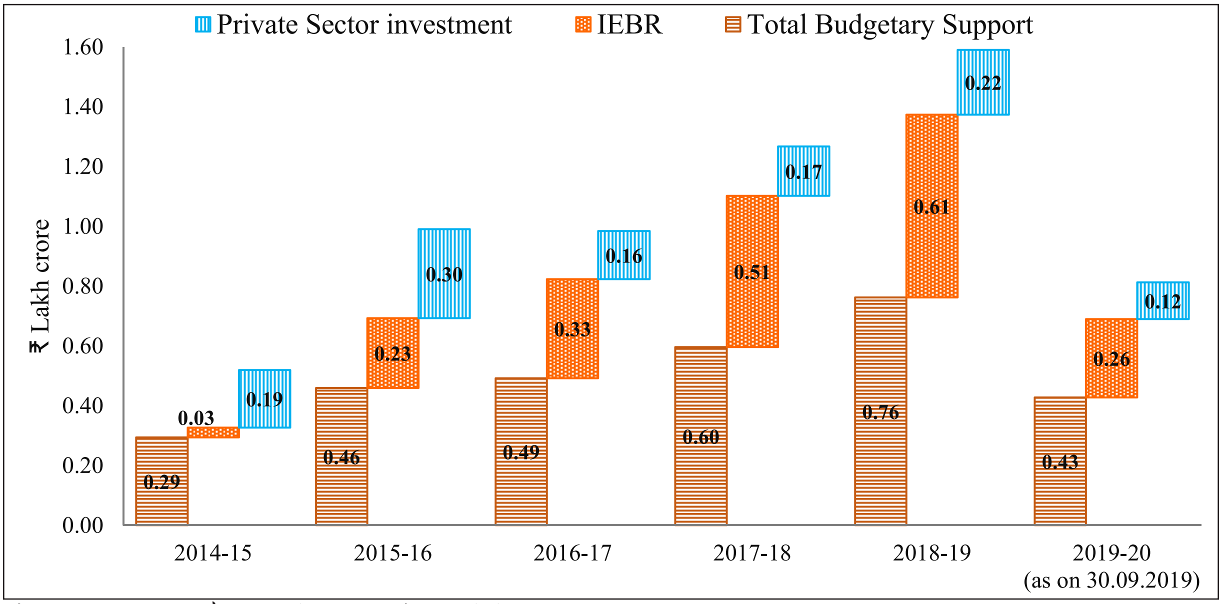

स्रोत: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नोट: आई ई बी आर-आंतरिक एवं अतिरिक्त बजट संसाधन

रेलवे

8.23 भारतीय रेलवे (भा०रे०) एकल प्रबंधन व्यवस्था के तहत 68,000 कि.मी. से अधिक रेलमार्ग के साथ विश्व में तीसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2018-19 के दौरान, 120 करोड़ टन माल ढुलाई और 840 करोड़ यात्रियों की संख्या के साथ विश्व में सर्वाधिक यात्रियों को लाने-ले जाने वाली रेलवे रही है तथा माल ढुलाई का चौथा सबसे बड़ा साधन रही है। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2017-18 के दौरान 11,596 लाख टन राजस्व अर्जक माल भाड़ा लदान की तुलना में वर्ष 2018-19 में 12,215 लाख टन का राजस्व अर्जक माल भाड़ा लदान किया था और इसमें 5.34 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है (चित्र 15)। वर्ष 2018-19 में 84,390 लाख यात्रियों ने यात्रा शुरू की जो कि वर्ष 2017-18 में 82,858 लाख यात्रियों की तुलना में 1.85 प्रतिशत अधिक रही (चित्र 16)।

8.24 रेल सुरक्षा: भारतीय रेलवे द्वारा सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिक दी गई है और दुर्घटनाओं को रोकने तथा यात्रियों की सुरक्षा में बेहतरी के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। इस प्रयास के फलस्वरूप, वर्ष 2018-19 में रेल दुर्घटनाओं की संख्या पिछले वर्ष की संबंधित अवधि की तुलना में 73 से घटकर 59 हो गई है। वर्ष 2019-20 (अप्रैल-अक्टूबर 2019) में 41 रेल दुर्घटनाएँ हुई हैं (तालिका 10)।

चित्र 15: राजस्व अर्जक माल भाड़ा लदान प्रवर्तक यातायात (लाख टन) कोंकण रेलवे द्वारा किए गए लदान को छोड़कर

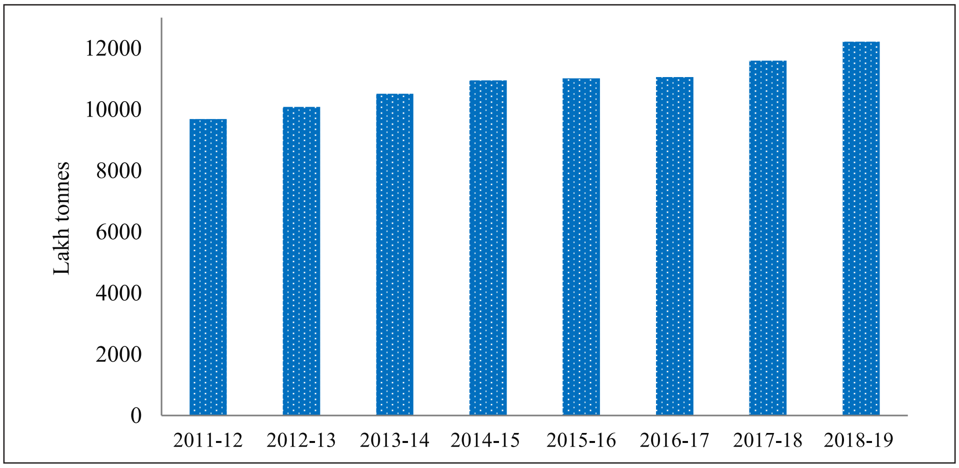

स्रोत: रेल मंत्रालय

चित्र 16: यात्री प्रवर्तन (लाख में) तथा यात्री आय (₹ करोड़ में) (मेट्रो रेल/कोलकाता सहित)

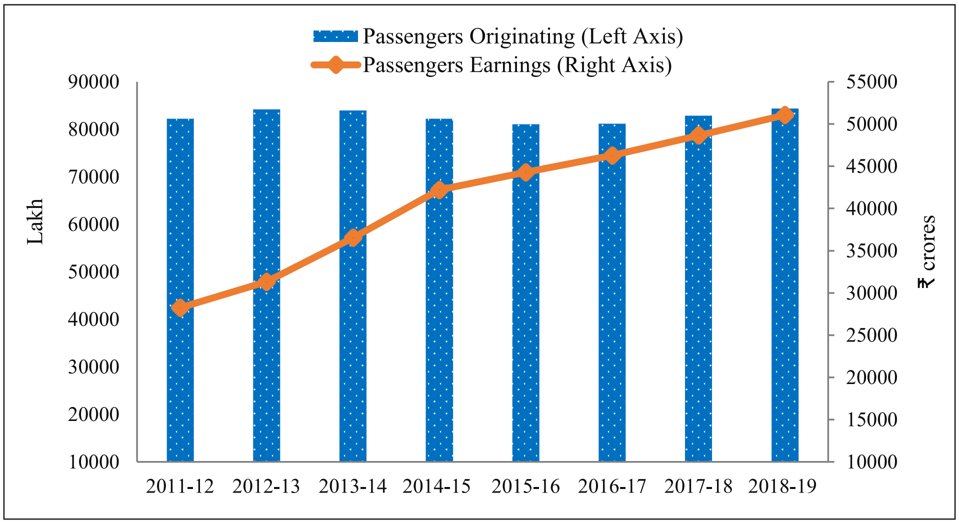

स्रोत: रेल मंत्रालय

तालिका 10: रेल दुर्घटनाओं की दर

दुर्घटनाओं के प्रकार	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (April to October)
टक्कर	5	3	0	3
पटरी से उतरना	78	54	46	29
कर्मचारी की तैनाती वाले समपार स्थल पर दुर्घटनाएँ	0	3	3	1
मानवरहित समपार स्थल पर दुर्घटनाएँ	20	10	3	0
ट्रेन में अग्नि दुर्घटनाएँ	1	3	6	7
विविध	0	0	1	1
कुल	104	73	59	41

स्रोत: रेल मंत्रालय

8.25 भारतीय रेलवे द्वारा स्वच्छता एवं पर्यावरण के संबंध में की गई पहल: भारतीय रेल 8,700 से अधिक स्टेशनों को कवर करती है और इसके माध्यम से विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि वाले लगभग 230 लाख यात्री प्रतिदिन यात्रा करते हैं। स्वच्छता एक सतत् प्रक्रिया है और स्टेशनों तथा रेल डिब्बों के उचित रख-रखाव एवं उन्हें स्वच्छ रखने हेतु सभी प्रयास किए गए हैं। भारतीय रेलवे द्वारा 2 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत अभियान के तहत विशेष स्वच्छता अभियान शुरू किया गया था। भारतीय रेलवे द्वारा स्वच्छता मानकों में महत्वपूर्ण एवं संधारणीय सुधारों के विशेष उद्देश्य के साथ तभी से नियमित रूप से गहन अभियान आयोजित किए जाते रहे हैं। स्वच्छ रेल, स्वच्छ भारत के तहत की गई प्रगति तालिका 11 में दर्शाई गई है।

तालिका 11: स्वच्छ रेल, स्वच्छ भारत की प्रगति

कार्यकलाप	31.03.2015 तक स्थिति	31.03.2019 तक स्थिति	31.10.2019 तक स्थिति
यात्री डिब्बों में जैव शौचालय (संख्या)	19,746	1,95,917	2,26,000
स्टेशनों पर यांत्रिक सफाई संविदा	584 स्टेशन	890 स्टेशन	940 स्टेशन
प्लास्टिक बॉटल क्रशिंग मशीन	शून्य	128 स्टेशन	215 स्टेशन
कूड़ा बीनने की संविदाएँ	877 स्टेशन	1,280 स्टेशन	1,300 स्टेशन
कचरे के डिब्बे	केवल कुछ स्टेशनों पर उपलब्ध	Provided at all major stations	सभी प्रमुख स्टेशनों पर उपलब्धा (सूखे और गीले कचरे के लिए अलग-अलग)
रेलवे स्टेशनों का ई एम एस (पर्यावरण प्रबंधा प्रणाली) (आई एस ओ: 14001) प्रमाणन	शून्य	8 स्टेशन	75 स्टेशन
स्टेशनों की स्वच्छता के लिए आबंटित निधियाँ (करोड़ रू. में)	294	643	643

स्रोत: रेल मंत्रालय

8.26 स्टेशनों का आधुनिकीकरण: भारतीय रेलवे में रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण/उन्नयन सतत् चलने वाली प्रक्रिया है। आदर्श स्टेशन योजना के तहत विकसित किए जाने हेतु 1,253 स्टेशनों की पहचान की गई हे और 2019-20 तक इन्हें विकसित कर लिए जाने की योजना है। इन रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण का कार्य पूरा करने हेतु एक समर्पित एसपीवी, भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आइ आरएसडीसी) लिमिटेड, का गठन किया गया है। आई आर एस डी सी कई स्टेशनों के आधुनिकीकरण का कार्य पीपीपी मोड में कर रहा है।

नागर विमानन

8.27 भारत विश्व में नागर विमानन के लिए तीसरा सबसे बड़ा घरेलू बाजार है। भारत में हवाई अड्डों के प्रचालन, अनुरक्षण और विकास हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राघिकरण द्वारा वाणिज्यिक रूप में प्रबंधित 136 हवाई अड्डे तथा सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत 6 हवाई अड्डे हैं। भारत में एयरलाइन ऑपरेटरों ने अपनी एयरक्राफ्ट सीट क्षमता को वर्ष 2013 में 0.07 वार्षिक प्रति व्यक्ति सीट से बढ़ाकर वर्ष 2018 में 0.12 वार्षिक प्रति व्यक्ति सीट कर लिया है। इस अवधि के दौरान विश्व में दूसरे सबसे बड़े घरेलू बाजार चीन में तुलनात्मक ऑकलन वर्ष 2013 में 0.33 तथा 2018 में 0.49 था जबकि सबसे बड़े घरेलू बाजार संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंध में यह आंकड़ा वर्ष 2013 में 2.59 और 2018 में 2.95 था।

8.28 भारतीय विमानन क्षेत्र ने वर्ष 2019-20 में अपने लचीलेपन को पुन: सिद्ध किया। 17 अप्रैल, 2019 को

बड़े पैमाने पर एयरलाइन सेवाओं के निलंबित रहने के बावजूद इस क्षेत्र ने यात्री तथा एयर कार्गो क्षमता में कभी को शीघ्रतापूर्वक ही पूरा कर लिया (चित्र 17)। हवाई अड्डों पर कुल यात्री संख्या (घरेलू एंव अंतर्राष्ट्रीय) तथा संचालित एयर कार्गो की प्रवृत्ति को क्रमश: चित्र 18 और 19 में दर्शाया गया है। हवाई अड्डों पर स्वचालन व्यवस्था के माध्य से क्षमता उपयोग में भी वृद्धि की जा रही है। इसका समग्र उद्देश्य बढ़ती मांग को पूरा करना तथा वैश्विक श्रेष्ठतम कार्यप्रणाली और निष्पादन गुणता मानकों को स्थापित करना है। सेवारहित हवाई अड्डों (उड़ान) के संचालक हेतु योजना चलाए जाने से लेकर अब तक कुल 43 हवाई अड्डों का संचालन किया गया है, जिसमें से 04 का संचालन वित्त वर्ष 2019-20 में किया गया है। हवाई अड्डा संपर्क के संबंध में भारत विश्व आर्थिक फोरम की वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट 2019 में 7 अन्य देशों (यूएसए, चीन, जापान, यूके आदि) के साथ प्रथम स्थान पर है।

8.29 वर्तमान वायुपत्तन क्षमताओं पर भार कम करने के लिए 100 और विमानपत्तनों पर वित्त वर्ष 2023-24 (चित्र 20) तक परिचालन शुरू किया जाना है। 46 विमानपत्तन पटिटयों के उपयोग किए जाने के अतिरिक्त 16 प्राइवेट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, 15 ए.ए. आई. विमानपत्तन, 31 हेलीपोर्ट और 12 वाटरड्रोम्स का विकास किया जाना है। दक्षता और संसाधन को लाने के लिए छह विमानपत्तनों, अहमदाबाद, गुवाहाटी, जयपुर, लखनऊ, मेंगलोर तथा तिरूवनंतपुरम को पब्लिक प्राइवेट परिपर मॉडल (सार्वजनिक-निजी सहभागिता मॉडल) के अंतर्गत तैयार किया जा रहा है। पांच नए ग्रीनफील्ड विमानपत्तनों का दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल), शिरडी (महाराष्ट्र), पेकयांग (सिक्किम) और कन्नूर (केरल) तथा कलबुर्गी (कर्नाटक) में सफलतापूर्वक इस वर्ष से परिचालन प्रारंभ किया जा चुका है। उच्च दर के विकास वक्र की निरंतरता में सरकार ऐसा अनुकूल ढांचा उपलब्ध करवाना चाह रही है जिससे कि भारतीय विमान अपने बेड़े को दोगुना बढ़ा सकें (अनुसूचित एयरलाइनों के अनुमोदित वायुयानों की संख्या) अर्थात नवंबतर 2019 के अंत से वित्त वर्ष 2023-24 तक 680 वायुयानों से बढ़कर 1200 वायुयान बेड़े में हो जाएं। उक्त की प्राप्ति एयरक्रॉट इक्विपमेंट, से संबंधित केप टाऊन कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल के उपबंधों का अनुपालन करके एयर ट्रैफिक अधिकारा के दक्ष प्रयोग तथा वायुयानों के लिए वित्त पोषण/लीज पर दिए जाने की दरों में कमी, घरेलू व अंतरर्राष्ट्रीय पैसेंजरों व पण्य अंतरण और टैक्स नियमों को युक्तिसंगत करके प्राप्त किया जा सकता है।

चित्र 17: भारत का अनुसूचित प्रचालनिक वाणिज्यिक बेड़ा (संख्या में)

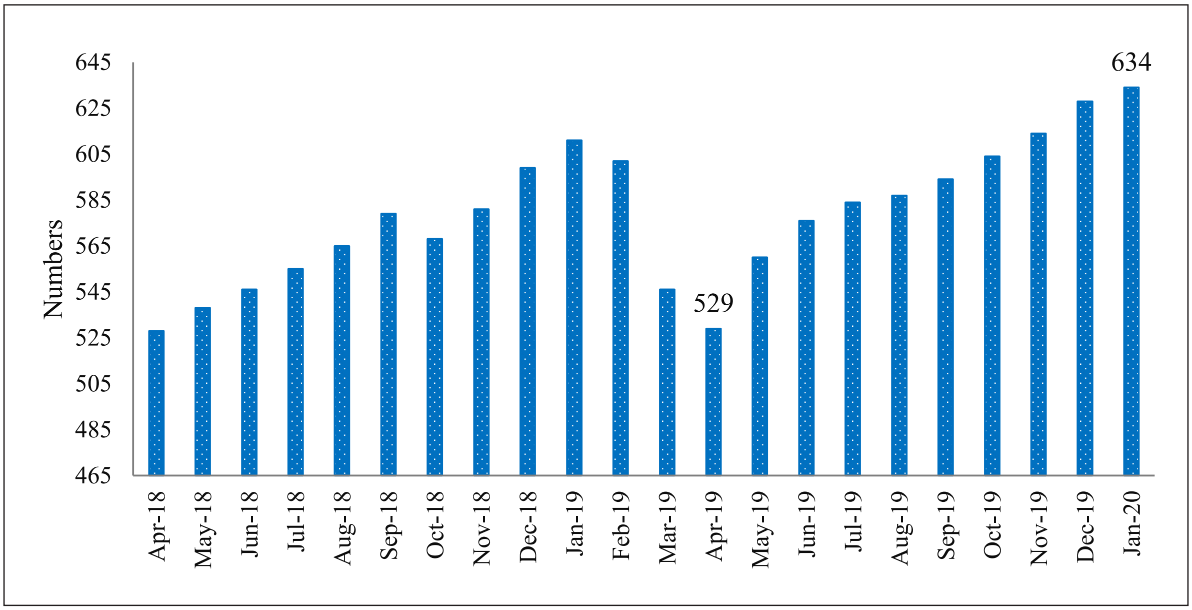

स्रोत: नागरिक विमानन मंत्रालय

चित्र 18: भारतीय विमान पत्तनों पर वहन किए गए यात्री

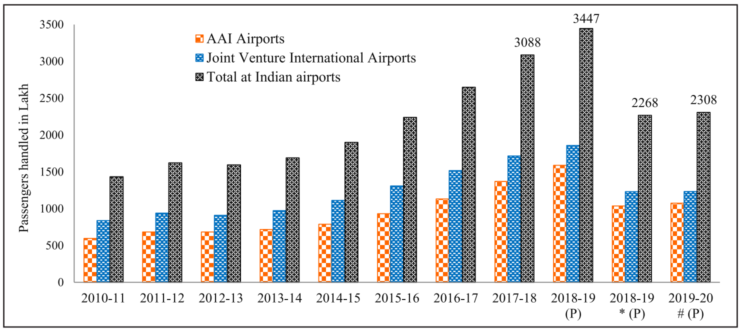

स्रोत: नागर विमानन मंत्रालय

टिप्पणी: (पी)-अनंतिम, *-(अप्रैल-नवंबर, 2018), #-(अप्रैल-नवंबर, 2019)

चित्र-19: भारतीय विमानपत्तनों द्वारा वहन किया गया कार्गो

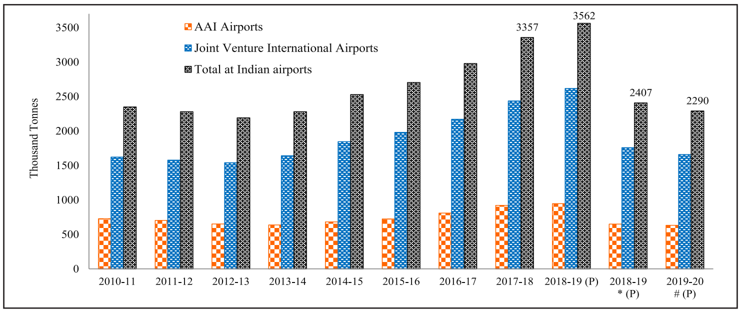

स्रोत: नागर विमानन मंत्रालय

टिप्पणी: (पी)-अनंतिम, *-(अप्रैल-नवंबर, 2018), #-(अप्रैल-नवंबर, 2019)

चित्र 20: विकसित की जाने वाली अतिरिक्त विमानपत्तन क्षमता (विमानपत्तनों की संचयी संख्या)

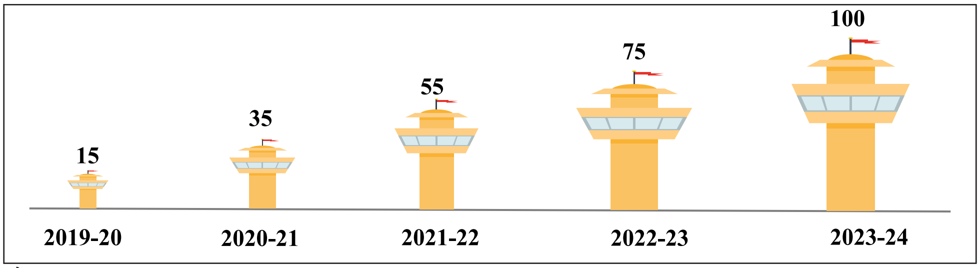

स्रोत: नागर विमानन मंत्रालय

नौपरिवहन

8.30 किसी भी देश के पण्य लेन देन (वस्तुओं व सेवाओं का लेन) के लिए नौपरिवहन आवश्यक होता है। भारतीय व्यापार का मात्रा की दृष्टि से लगभग 95 प्रतिशत तथा मूल्य की दृष्टि से लगभग 68% भाग नौ-परिवहन द्वारा किया जाता है। सामान्यत: वैश्विक नौपरिवहन उद्योग के निष्पादन का भारतीय नौपरिवहन द्वारा अनुकरण किया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति तक भारत का नौपरिवहन द्वारा किए जाने वाले व्यापार का 'कुल टन भार' (जी टी) केवल 1.92 लाख था। इसमें धीरे-धीरे बढ़ोत्तरी हुई किंतु वास्तव में वर्ष 2004-05 के आरंभ तक यह 70 लाख पर स्थिर हो गया। तथापि भारत सरकार द्वारा तट कर संबंधी नियमों में किए गए सुधार से भारतीय बेड़ों की संख्या तथा लदान भार दोनों में वृद्धि हुई है। तथापि यह तथ्य सुस्पष्ट है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती से सामान्य तौर पर वैश्विक नौपरिवहन, तथा विशेषकर भारतीय, नौपरिवहन उद्योग भी प्रभावित हुआ है।

8.31 30 सितंबर, 2019 तक भारत के बेड़ों में 1,419 पानी के जहाज थे। (चित्र 21) इंस्टीट्यूट ऑफ़ शिपिंग इक्नॉमिक्स एंड लॉजिस्टिक्स (भारतीय नौपरिवहन अर्थव्यवस्था और संभार-तंत्र संस्थान) के अनुसार 1 जनवरी 2019 तक विकासशील देशों में सबसे अधिक जहाजों की संख्या वाले देशों में से एक देश होने के बावजूद वैश्विक लदान क्षमता (डेड वेट टनेज) की तुलना में भारत का हिस्सा केवल 0.9 प्रतिशत है। वर्तमान भारतीय बेड़े (जहाज) पुराने हो चले हैं। वर्ष 1999 तक जिन जहाजों की आयु अवधि 15 वर्ष थी वह अब 1 अक्तूबर 2019 तक, बढ़कर 19.71 वर्ष हो गई है (बेड़े में 42.06% जहाज 21 वर्ष पुराने हैं तथा 12.49% जहाज 16-20 वर्ष पुराने समूह में आते हैं ।

चित्र 21 बेड़ों में जहाजों की संख्या

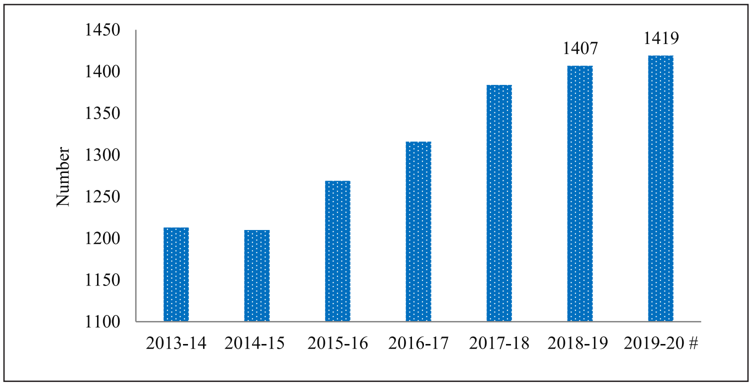

स्रोत: पोत परिवहन मंत्रालय

नोट: # तारीख 30 सितंबर 2019 तक

8.32 पत्तन क्षेत्र: मार्च 2019 तक देश के प्रमुख नौ पत्तनों की अधिकतम क्षमता 1514.09 मिलियन टन प्रति वर्ष रही है और वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान यहां 699.09 मिलियन टन कार्गो (ट्रैफिक) को हैंडल किया गया है। प्रमुख पत्तनों की क्षमता बढ़ाए जाने के क्रम में नौपरिवहन मंत्रालय द्वारा यंत्रीकरण, डिजटलीकरण और प्रक्रिया सरलीकरण के माध्यम से परिचालन दक्षता में सुधार लाया जा रहा है। जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण दक्षता संबंधी कारकों (पैरामीटर) में व्यापक सुधार होने लगा है। वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2018-19 में एवरेज टर्न अराउंड टाइम 64.43 से सुधरकर 59.51 घंटे हो गया है। वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2018-19 में 'एवरेज आउटपुट प्रति शिप-बर्थ-डे' 15,333 टन से बढ़कर 16,541 टन हो गया है (तालिका 12)।

तालिका 12: भारत में प्रमुख नौपत्तनों के निष्पादन सूचक

प्रचालन	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (upto September, 2019)
संचालित यातायात (एमएमटी में)	545.79	555.49	581.34	606.47	648.4	679.37	699.09	348.45
औसत टन एरांउण्ड टाइम (छोटी में)	101.76	93.6	96	87.36	82.32	64.32	59.51	64.69
प्रतिदिन प्रति जहाज प्रतिबर्थ औसत आउटपुट (टन में)	11800	12468	12458	13156	14576	15333	16541	16014
अधिक्य (करोड़ में)	1807.43	2518.9	3599.4	4296.56	4979.58	5856.33	6424.36	Not Available

स्रोत: पोत परिवहन मंत्रालय

दूरसंचार क्षेत्र

8.33 भारत में कुल टेलिफोन कनेक्शन 2014-2015 में 9,961 लाख से 18.8 प्रतिशत बढ़कर 2018-19 में 11,834 लाख हो गए हैं। 30 सितम्बर, 2019 की स्थिति के अनुसार, ग्राहकों की कुल संख्या 11.943 लाख (चित्र 22) पहुंच गयी हैं जिसमें से 5,147 लाख कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्रों में थे और 6,796 लाख कनेक्शन शहरी क्षेत्रों में थे। लैंडलाइन टेलिफोन कनेक्शन 206 लाख थे जबकि बेतार टेलिफोन कनेक्शनों की संख्या सितम्बर, 2019 में 11,736 लाख हो गई। सितम्बर, 2019 के अंत तक बेतार टेलीफोन व्यवस्था अब कुल टेलीफान कनेक्शनों 98.27 प्रतिशत है जबकि लैंडलाइन टेलिफोनों का शेयर अब 1.73 प्रतिशत ही है। भारत में कुल टेलिफोन घनत्व 90.45 प्रतिशत है, ग्रामीण टेलीफोन घनत्व 57.35 प्रतिशत और शहरी टेलीफोन घनत्व 160.71 प्रतिशत हैं। सितम्बर, 2019 के अंत में, निजी क्षेत्र 88.81 प्रतिशत (10,606 लाख कनेक्शन) के साथ सबसे ऊपर है जबकि सार्वजनिक क्षेत्र का हिस्सा 11.19 प्रतिशत (1,336 लाख कनेक्शन) था ।

चित्र 22: वर्ष 2014-15 से वर्ष 2019-20 (अप्रैल-सितम्बर) तक कुल टेलीफोन कनेक्शन (लाख में)।

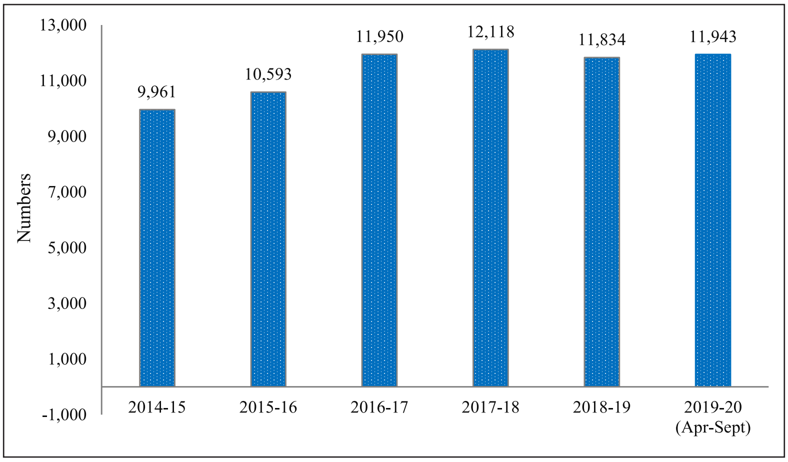

स्रोत: दूरसंचार विभाग

8.34 भारत में इंटरनेट और ब्रॉडबेंड पहुच की गति तीव्र रही है। इंटरनेट ग्राहकों (ब्रॉडबैंड और नैरोबैंड दोनों) की संख्या वर्ष 2014 में 2,516 लाख की तुलना में जून, 2019 के अंत में 6,653 लाख हो गई। मोबाइल इंटरनेट ग्राहकों की संख्या जून, 2019 के अंत में 6,436 लाख थीं जबकि तार लाइन के इंटरनेट ग्राहकों की संख्या 217 लाख थी। कुल ब्रॉडबैंड कनेक्शनों की संख्या वर्ष 2014 में 610 लाख से दस गुना बढ़कर जून, 2019 में 5,946 लाख हो गई। इससे इंटरनेट व्यापार में वृद्धि तेज हुई है और डाटा प्रयोग वर्ष 2018 में 462 लाख टेराबाइट के स्तर को छू गया है जो कि अब तक का सबसे उच्चतम स्तर है। भारत अब मासिक डाटा उपयोग में वैश्विक अगुआ है, जिसमें प्रति ग्राहक प्रतिमाह औसत खपत वर्ष 2014 में 62 एमबी से 157 गुना बढ़कर जून, 2019 में 9.8 जीबी हो गई है। डाटा की लागत भी काफी हद तक घटी है, जिसके कारण लाखों नागरिकों इंटरनेट की सुविधा का उपयोग करने में समर्थ हुए है।

8.35 चुनौतियां: इस क्षेत्र में चार प्रमुख कंपनिया है, निजी क्षेत्र में -3 और सार्वजनिक क्षेत्र में बीएसएनएल और एमटीएनएल 4 मुख्य सेवा प्रदाता कंपनियां है, जो पारस्परिक रूप से विशिष्ट अंचलों में कार्य कर रहे हैं। वर्ष 2016 तक, यह क्षेत्र टेलीफोन सेवा प्रदाताओं द्वारा अत्यधिक प्रतिस्पर्धा और कीमत कटौती का क्षेत्र रहा है जिससे इस क्षेत्र में वित्तीय संकट उत्पन्न हुआ है। परिणाम स्वरूप, इस क्षेत्र में समेकन का अनुभव किया जा रहा है। जबकि कुछ प्रचालकों ने दिवालियापन के लिए फाइल किया है, और अन्य कंपनियों ने बाजार में अपने अस्तिव को बनाए रखने के लिए विलय किया गया है। देश में डाटा की कीमत विश्व में सबसे कम है। जून, 2019 को समाप्त तिमाही में, डाटा की कीमत

जून, 2016 में 200/- रुपये प्रति जीबी की तुलना में 7.7/- रुपये प्रति जीबी थी। जीएसएम आधारित मोबाइल सेवाओं के लिए प्रति प्रयोक्ता औसत राजस्व (एआरपीयू) में भी काफी कमी आई है और यह जून, 2016 में 126 रुपये से घटकर जून, 2019 में 74.30 रुपये रह गई है।

8.36 बीएसएनएल और एमटीएनएल भी टैरिफ-वार से प्रभावित हुए हैं जिसका प्रभाव उनकी नकदी प्रवाह पर पड़ा है और उसके परिणामस्वरूप घाटा बढ़ता जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के इन उपक्रमों की बहाली के लिए सरकार ने एक योजना बनाई है। इस बहाली योजना में अनेक उपाय है जिनमें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के माध्यम से कार्मिक लागत में कमी करना, 4 जी सेवाओं के लिए स्पैक्ट्रम के आबंटन, भूमि/भवन के मुद्रीकरण, बीएसएनएल/एमटीएनएल की टावर एवं फाबर परिसंपत्तियां, सॉवरेन गारंटी बाँड के माध्यम से ऋणों का भुगतान और बीएसएनएल एवं एमटीएनएल के विलय के लिए 'सिद्धांत' अनुमोदन भी है।

दूरसंचार अवसंरचना और संयोजनता (कनेक्टीविटी)

8.37 (i) भारत नेट: डिजिटल भारत अभियान के अंग के रूप में ब्राँडबैंड हाईवे विकसित करने के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, सरकार देश में सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मुहैया कराने के लिए फ्लैगशिप भारत नेट कार्यक्रम चरणबद्ध रूप लागू कर रही है। इस परियोजना में ऑप्टीकल फाइबर, रेडियो और सेटेलाइट मीडिया को इष्टतम रूप में मिलाने पर विचार किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत निर्मित ब्रॉडबैंड अवसंरचना सभी श्रेणी के सेवा प्रदाताओं के लिए समान रूप से उपलब्ध होगी। (ii) सरकारी वाई-फाई पहुंच: सरकारी वाई-फाई हॉटस्पॉट से प्रयोक्ताओं को ब्रॉडबैंड की अंतिम छोर तक पहुंच सुनिश्चित होती है और नए मोबाइल टावर जोड़ने की अपेक्षा इसका प्रयोग अत्यधिक सुगम है। (iii) (iii) टावर और बीटीएस: मोबाइल बेस प्रेषाभिग्री केंद्र (बीटीएस) में 2014 में 7.9 लाख से (जुलाई, 2019) में 21.8 लाख के रूप में वृद्धि देखी गई है। जबकि ओप्टीकल फाइबर के बिल इस अवधि के दौरान 7 लाख किलोमीटर से बढ़कर लगभग 14 लाख किलोमीटर हो गई है। (iv) वामपंथी अतिवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए परियोजना; दूरसंचार विभाग ने आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में जो वामपंथी अतिवाद प्रभावित क्षेत्र है, 4,781 करोड़ रुपये की पूंजी परिव्यय की सहायता से 2,335 स्थानों में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने की एक योजना कार्यान्वित की है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस

8.38 भारत विश्व में यूएसए और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है (चित्र 23)। विश्व के 5.8 प्रतिशत मुख्य ऊर्जा उपयोग हिस्से के साथ, भारत की ऊर्जा आवश्यकता को मुख्यतः कोयला, कच्चा तेल, नवीकरणीय ऊर्जा और प्राकृतिक गैस द्वारा पूरा किया जाता है। तथापि, भारत का तेल उत्पादन विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में निम्नतम में से एक है और इसमें लम्बे समय से लगातार गिरावट आ रही है (चित्र 24)।

चित्र-23: वर्ष 2017 में विश्व में शीर्ष 10 तेल उपभोक्ता देश

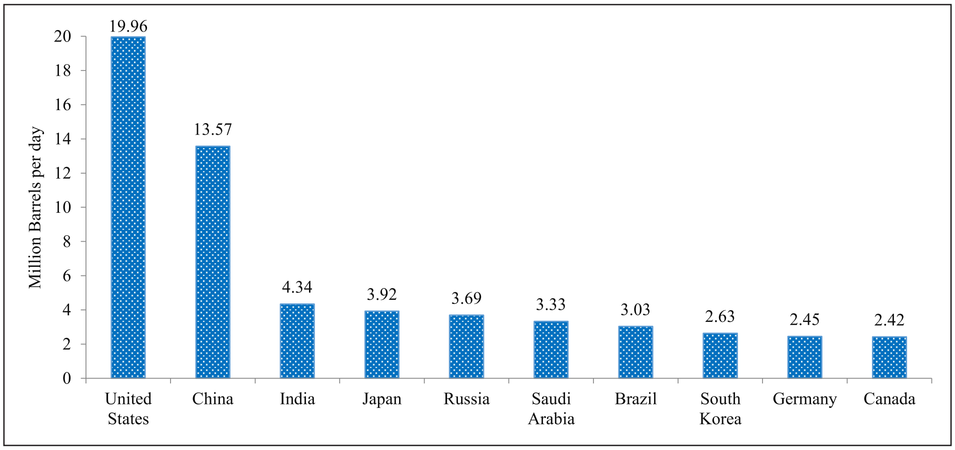

स्रोत: यूएस ऊर्जा सूचना प्रशासन।

टिप्पणी: तेल में कच्चा तेल, अन्य सभी पेट्रोलियम द्रव और जैव ईंधन शामिल है।

चित्र 24: प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में तेल उत्पादन की प्रवृत्तियां

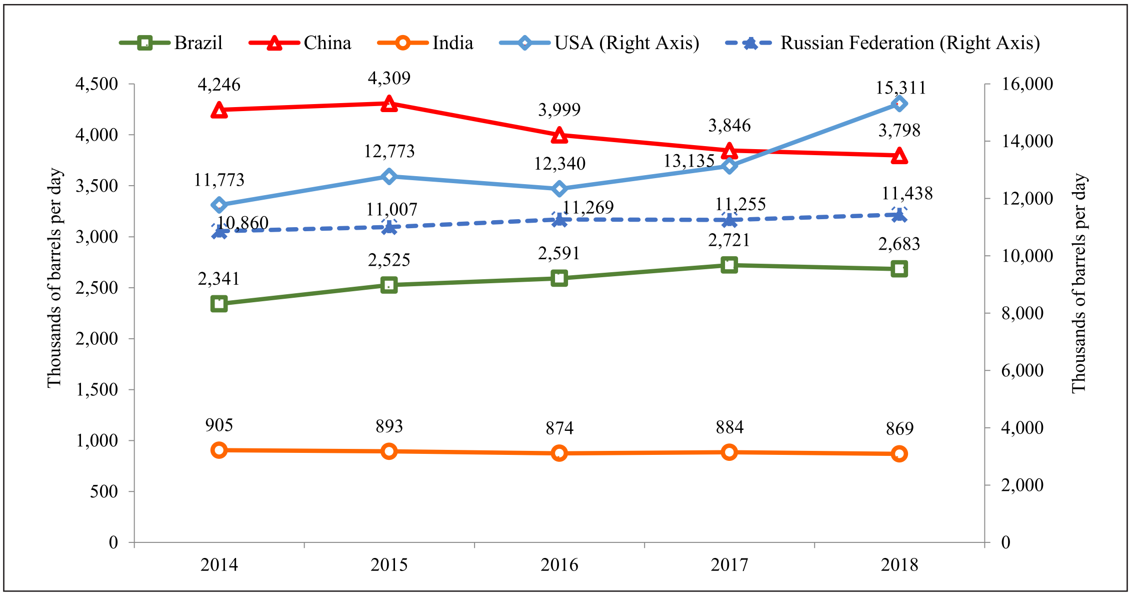

स्रोत: विश्व ऊर्जा 2019 की बीपी सांख्यिकीय समीक्षा।
टिप्पणी: तेल उत्पादन में कच्चा तेल, शेल तेल, तेल रेत, संघनक एवं प्राकृतिक गैस द्रव (एनजीएल) शामिल है।

8.39 वर्ष 2019-20 में घरेलू कच्चे तेल का उत्पादन 32.6 एमएमटी रहने का अनुमान है। चित्र 25 (क) में कच्चे तेल की प्रवृत्तियों को दर्शाया गया है, जिसमें तटवर्ती के साथ-साथ अपतटीय कच्चे तेल के उत्पादन में वर्ष 2014-15 से अनुरूपी गिरावट देखी गई है। कच्चे तेल के उत्पादन में कमी के लिए पुराने और परिपक्व तेल क्षेत्रों में प्राकृतिक ह्रास को और तेल की कोई बड़ी खोज न हो पाने को जिम्मेदार माना जा सकता है। उल्लेखनीय यह है कि कच्चे तेल के तटवर्ती भंडारों में तीव्र गिरावट के साथ वर्ष 2014 से कच्चे तेल के स्थापित भंडारों में भी सहवर्ती गिरावट हुई है (चित्र 25 (ख)। तथापि, वर्ष 2018 तक तेल भंडारों में हुई गिरावट के बाद वर्ष 2019 में व्युत्क्रम देखा गया है, इसमें 2018 के 594 एमएमटी के भंडार बढ़कर वर्ष 2019 में 619 एमएमटी हो गए हैं।

चित्र 25: कच्चे तेल का तटवर्ती एवं अपतटीय उत्पादन एवं भंडार

(क) कच्चे तेल का उत्पादन

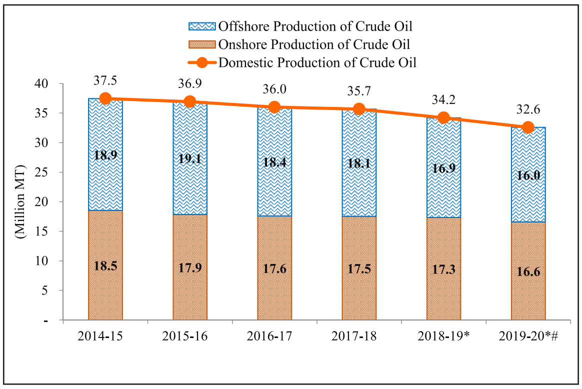

(ख) कच्चे तेल के भंडार

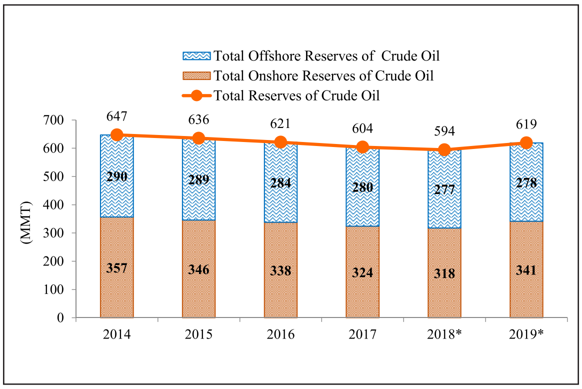

स्रोत: पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, तथा आर्थिक समीक्षा परिकलन।
टिप्पणी: *-अनंतिम।
#वर्ष-2019-20 (अप्रैल-नवंबर) के लिए उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर वर्ष 2019-20 का कच्चा तेल उत्पादन
$: वर्ष के 01 अप्रैल को यथास्थिति, स्थापित भंडार।

8.40 वर्ष 2019 में कच्चे तेल के भण्डार की वृद्धि तटवर्ती एवं अपतटीय उत्पादन में होने वाली वृद्धि के अनुरूप है, इसमें अपतटीय भण्डार में वृद्धि की दर अधिक रही। यह अन्वेषण गतिविधियों को बढ़ाने, घरेलू एवं विदेश निवेश को आकर्षित करने तथा मौजूदा क्षेत्रों से तेल एवं गैस के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृति गैस मंत्रालय द्वारा किए गए प्रमुख सुधारों का परिणाम है। चित्र 26(क) में यह दर्शाया गया है कि तटवर्ती कच्चे तेल के भण्डारों में निजी/संयुक्त उद्यमों का हिस्सा वर्ष 2018 तक गिर रहा था, परंतु वर्ष 2019 में इसमें वृद्धि देखने को मिली। कच्चे तेल के तटवर्ती भण्डारों के मामले में निजी क्षेत्र की सहभागिता धीरे-धीरे बढ़ रही है निजी/सयुंक्त उद्यम का हिस्सा वर्ष 2019 में बढ़कर 19.5 प्रतिशत हो गया है (चित्र 26(ख))।

चित्र 26: कच्चे तेल के भंडारों में पीएसयू एवं निजी/संयुक्त उद्यमों (जेवी) का हिस्सा

(क) तटवर्ती भंडार

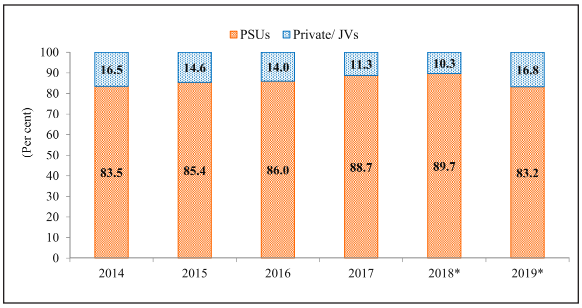

(ख) अपतटीय भंडार

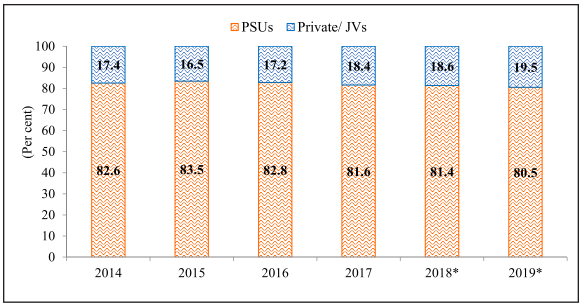

स्रोतः पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
टिप्पणीः *-अनंतिम
$: वर्ष के 01 अप्रैल को यथाथिति भंडार।

8.41 249.4 एमएमटीपीए की शोधन क्षमता के साथ भारत अमेरिका, चीन एवं रूस के बाद विश्व में चौथा सबसे बडा उत्पादक देश है। वर्ष 2017-18 में 234.0 एमएमटी की शोधन क्षमता बढ़कर वर्ष 2018-19 में 247.6 एमएमटी हो गई, जबकि कच्चे तेल की प्रसंस्करण क्षमता वर्ष 2017-18 के 251.9 एमएमटी से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 257.2 एमएमटी हो गई। हालांकि रिफाइनरी क्षमता उपयोग वर्ष 2017-18 के 107.7 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 2018-19 में 103.9 प्रतिशत हो गई। (चित्र 27) पेट्रोलियम ईंधन एवं पेट्रो रसायानों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए शोधन क्षमता को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

चित्र 27: शोधन क्षमता एवं प्रसंस्कृत कच्चा तेल (मात्रा मिलियन मीट्रिक टन में) और शोधन क्षमता उपयोग (प्रतिशत)

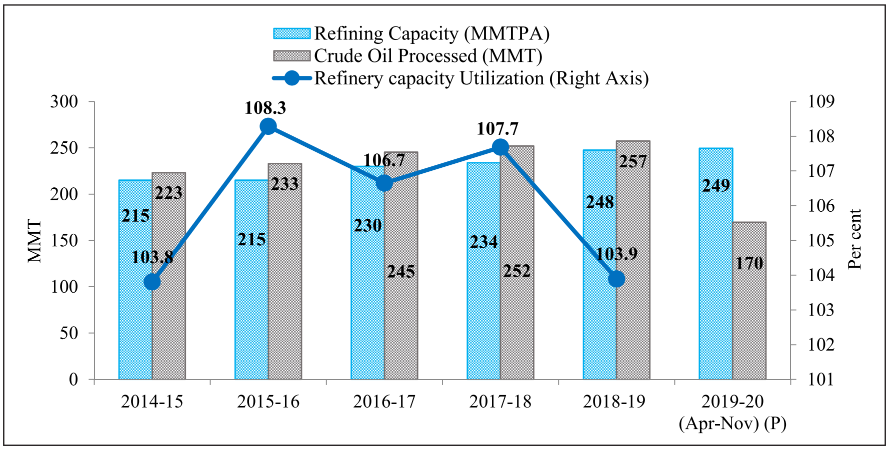

स्रोतः पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय।
टिप्पणीः पी-अनंतिम

8.42 वर्ष 2019-20 में प्राकृतिक गैस का घरेलू उत्पादन 31.8 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) रहने की अनुमान है (आर्थिक समीक्षा अनुमान)। चित्र 28 (क) यह दर्शाता है कि वर्ष 2016-17 तक प्राकृतिक गैस के घरेलू उत्पादन में गिरावट की प्रवृत्ति वर्ष 2017-18 में रोका गया है वर्ष 2018-19 में इसमें उछाल आया है। प्राकृतिक गैस के अपतटीय उत्पादन के संबंध में भी यही प्रवृत्ति देखी जा सकती है जबकि तटवर्ती उत्पादन में वर्ष 2014-15 के बाद निरंतर वृद्धि हुई है, चित्र 28(ख) यह दर्शाता है कि प्राकृतिक गैस के उत्पादन पर पीएसयू, का प्रभुत्व है। जिसका हिस्सा समय के साथ-साथ बढ़ा है।

चित्र 28: तटवर्ती एवं अपतटीय वार तथा पीएसयू एवं निजी/संयुक्त उद्यम-वार प्राकृतिक गैस कुल घरेलू उत्पादन।

(क) प्राकृतिक गैस का उत्पादन

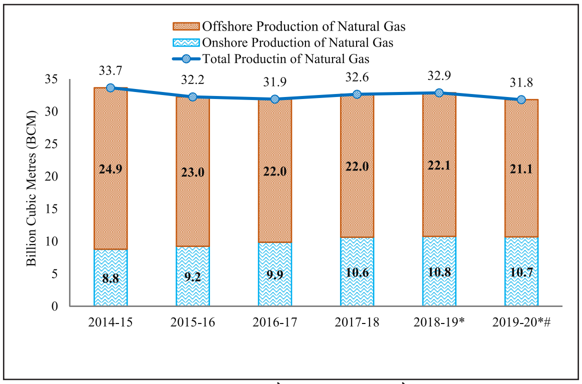

(ख) पीएसयू की प्रधानता वाली प्राकृतिक गैस का उत्पादन में

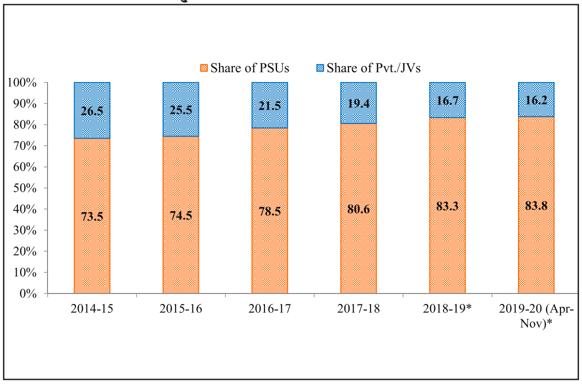

स्रोत: पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और आर्थिक समीक्षा परिकलन।
टिप्पणी: *अनंतिम
वर्ष 2019-20 (अप्रैल-नवंबर) के लिए उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर 2019-20 के लिए अनुमानित प्राकृतिक गैस उत्पादन

8.43 इसके अतिरिक्त चित्र 29 में स्पष्ट दर्शाया गया है कि निजी/संयुक्त उद्यमों की उपस्थिति से तटवर्ती प्राकृतिक गैस उत्पादन में समय के साथ वृद्धि हुई है (चित्र 29 (क)), जबकि इसकी विपरीत स्थिति अपतटीय प्राकृतिक गैस उत्पादन के लिए सच है, जिसमें पीएयू का हिस्सा धीरे-धीरे बढ़ रहा है (चित्र 29(ख))।

चित्र 29: तटवर्ती एवं अपतटीय प्राकृतिक गैस उत्पादन में पीएसयू एवं निजी/संयुक्त उद्यमों (जेवी) का हिस्सा

(क) तटवर्ती प्राकृतिक गैस उत्पादन में पीएसयू का गिरता हिस्सा

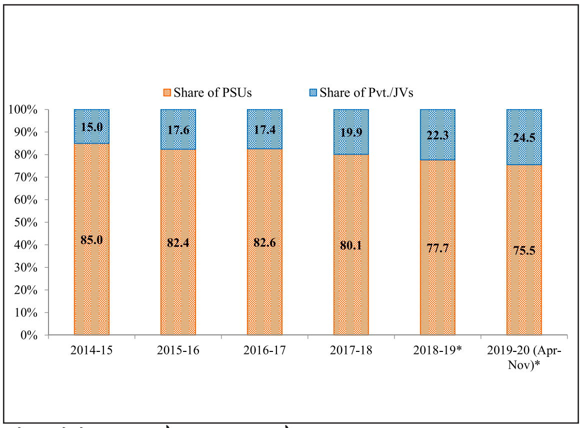

(ख) अपतटीय प्राकृतिक गैस उत्पादक में पीएसयू का बढ़ता हिस्सा

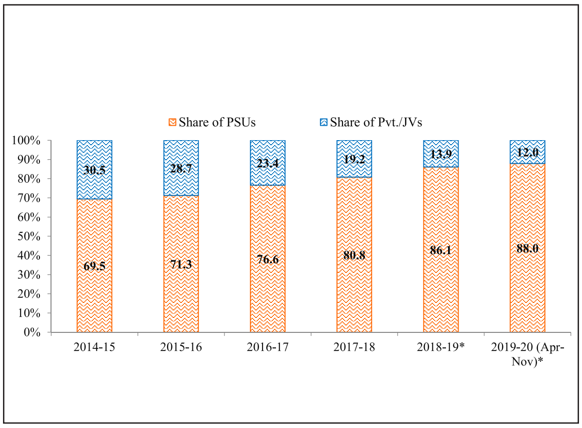

स्रोत: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रलय
टिप्पणी:* अनंतिम

8.44 तेल एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्र में निजी संस्थानों की सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने अनेक सुधारात्मक उपाय किए हैं, इसमें साथ-साथ राजकोषीय एवं संविदा संबंधी शर्तों को सरलीकृत करना , सरकार को बिना कोई उत्पादन या राजस्व दिए श्रेणी-II एवं III के अवसादी बेसिनों के अधीन आने वाले अन्वेषण ब्लॉकों की बोली प्रक्रिया को सरल बनाना, राजकोषीय प्रोत्साहन को बढ़ाकर अन्वेषणों का पूर्व विमुद्रीकरण, विपणन एवं कीमत निर्धारण की आजादी समेत गैस उत्पादन को प्रोत्साहित करना, नवीनतम प्रौद्योगिकी लागू करना एवं पूंजी का निवेश करना, सहयोग के लिए राष्ट्रीय तेल कंपनियों को अधिक कार्यात्मक स्वतंत्रता देना तथा नामांकन क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने की विधियों के लिए निज़ी क्षेत्र की भागीदारी आदि प्रदान करना शामिल है।

विद्युत

8.45 विद्युत क्षेत्र में निवेश लाने के लिए किए जा रहे सतत प्रयासों के कारण बीते वर्षों में भारत के विद्युत क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले हैं। परिणामस्वरूप, विश्व आर्थिक फोरम (डब्ल्यूईएम) द्वारा प्रकाशित ऊर्जा परिवर्तन सूची में अपना स्तर सुधार कर 76वीं पायदान पर आ गया है। डब्ल्यूई एफ की ग्रिड प्रभावी ऊर्जा परिवर्तन 2019 की रिपोर्ट कहती है ''भारत, इण्डोनेशिया एवं बंग्लादेश ने मजबूत राजनीतिक संकल्प, स्थायी नीति प्रबंधन, ग्रिड विस्तार के प्रयोग एवं विकेन्द्रीकृत उत्पादन संसाधान एवं आधारिक संरचना में निवेश के लिए सहायक माहौल बना कर व्यापक विद्युतीकरण की दिशा में त्वरित प्रगति की है।''

8.46 व्यापक विद्युतीकरण के साथ-साथ, विद्युत के उत्पादन एवं ट्रासमिशन के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। मार्च, 2019 की 3,56,100 मेगावाट की स्थापित क्षमता बढ़कर 31.10.2019 को 3,64,960 मेगावाट हो गई है। ईंधन-वार एवं क्षेत्र-वार वितरण यह दर्शाता है कि तापीय विद्युत का हिस्सा कुल स्थापित क्षमता का 63% है (चित्र 30 (क)) है तथा मौटे तौर पर उत्पादन क्षमता का आधा उत्पादन निजी क्षेत्र द्वारा किया जाता है (चित्र 30 (ख))। कुल ऊर्जा उत्पादन (ऊर्जा के आयातित एवं नवीकरणीय स्रोतों सहित) 659 बी यू था (30.09.2019 के अनुसार)। इसके अतिरिक्त, अधिकतम विद्युत आपूर्ति में अधिकतम कमी अर्थात् प्रतिशत कमी की तुलना में वर्ष 2012-13 की 9% की व्यस्ततम समय की मांग में वर्ष 2019-20 के दौरान 0.07% की कमी आई है (अक्तूबर, 2019)।

चित्र 30: अक्टूबर, 2019 को कुल विद्युत उत्पादन क्षमता
(ईंधन-वार एवं क्षेत्र-वार)

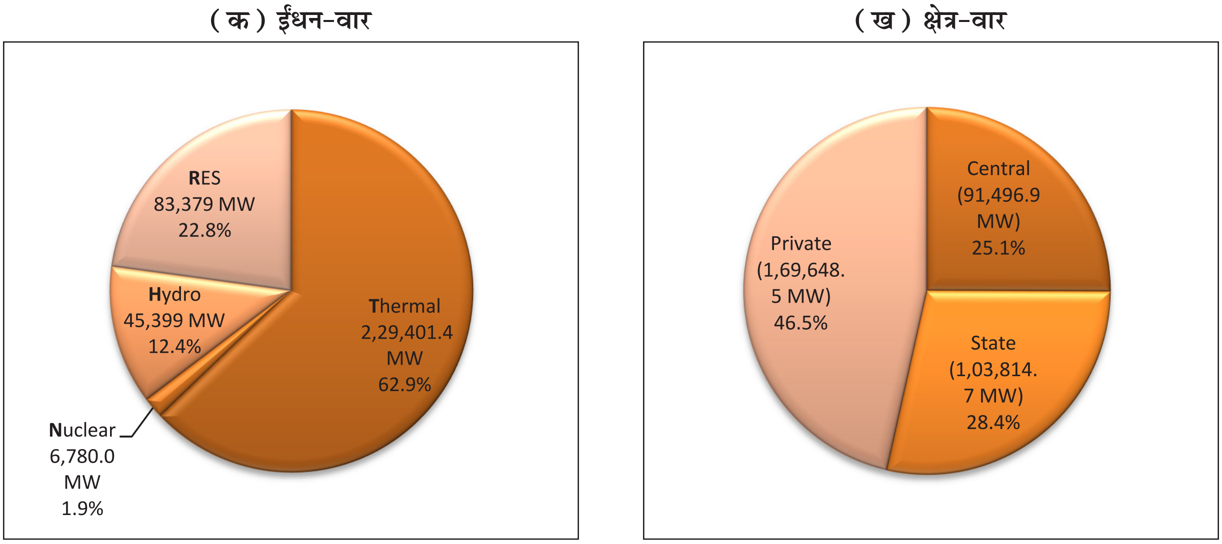

स्रोत: ऊर्जा मंत्रालय
टिप्पणी: आरईएस-नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत

8.47 समावेशीत संवृद्धि तथा जीवन स्तर में सुधार करने के लिए विद्युत की उपलब्धता आवश्यक है। 31.03.2019 तक अंतिम छोर को विद्युतीकरण से जोड़ने के लिए व्यापक घरेलू विद्युतीकरण की प्राप्ति के लिए 16,320 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 25 सितंबर, 2017 को प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) प्रारंभ की गई। सभी राज्यों ने 31.03.2019 को सौभाग्य पोर्टल पर सभी घरों छत्तीसगढ़ (मानचित्र 2) के एलडब्ल्यूई प्रभावित बस्तर क्षेत्र के कुछ घरों को छोड़कर, के विद्युतीकरण की रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

8.48 ग्रामीण घरेलू उपभोक्ता की बिजली की आपूर्ति होना समावेशी संवृद्धि का बेहतर सूचक है। भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के साथ की गई विभिन्न पहलों के परिणामस्वरूप, 18 राज्यों ने 20 घंटे से अधिक की विद्युत आपूर्ति की सूचना दी है जबकि शेष राज्यों ने लगभग 15 घंटे या अधिक समय की विद्युत आपूर्ति की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अतीत के वर्षों (जब नियमित बिजली कटौती होती थी), की तुलना में यह प्रमुख उपलब्धि है।

मानचित्र 2: विद्युतीकरण की स्थिति

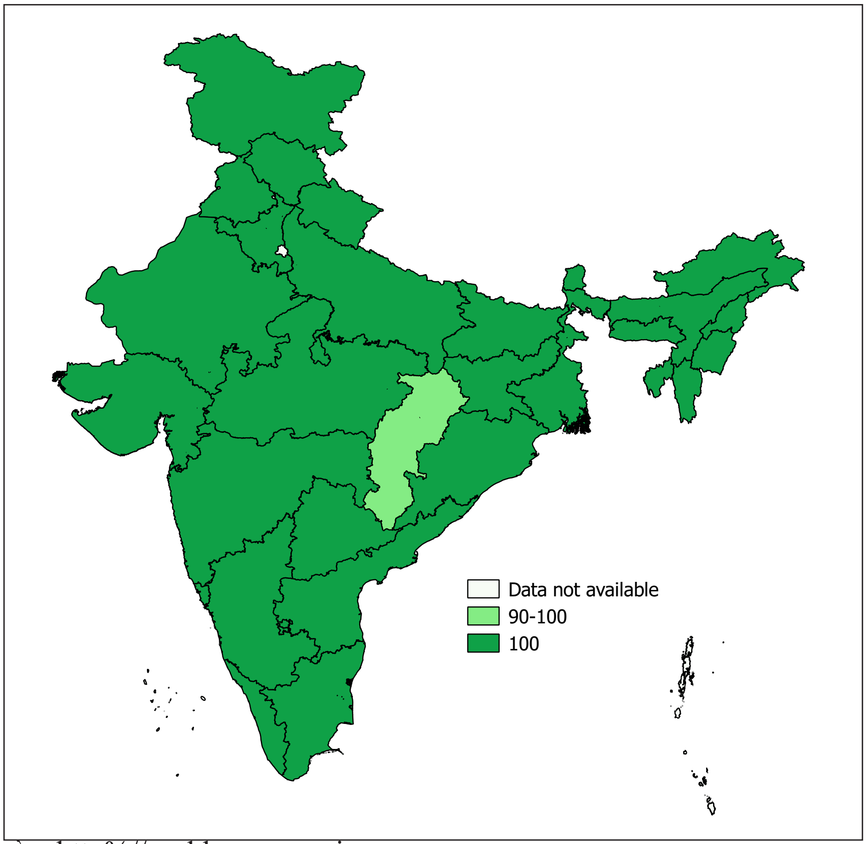

स्रोतः http%//saubhagya.gov.in

खनन क्षेत्र

8.49 उपलब्ध सूचना के अनुसार भारत कुल 95 खनिजों का उत्पादन करता है, जिनमें 04 हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिज (कोयला लिग्नाइट, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस), 5 परमाणु खनिज (इल्मनाइट, रूटाइल, जिरकान, यूरेनियम एवं मोनाजाइट), 10 धात्विक, 21 गैर-धात्विक एवं 55 छोटे खनिज शामिल है। यह अनेक महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है। सीएसओ द्वारा प्रकाशित वार्षिक राष्ट्रीय आय 2018-19 के अनंतिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2018-19 में जीवीए में खनन क्षेत्र का योगदान (वर्तमान मूल्य पर) लगभग 2.38% रहा। समग्र प्रवृत्ति के आधार पर, वर्ष 2018-19 का खनिज उत्पादन (आधार 2011-12=100) पिछले वर्ष के 104.9 की तुलना में 107.9 रहा।

8.50 नीतिगत सुधारों के फलस्वरूप खनिज उत्पादन में उल्लेखनीय हुई है। मूल्य के संबंध में, पिछले वर्ष की अवधि तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान प्रमुख खनिजों के उत्पादन में 25% वृद्धि दर्ज की गई है। (तालिका 13)

तालिका 13: वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लिए एमसीडीआर अधिनियम के अन्तर्गत के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट प्रमुख खनिजों का उत्पादन (मूल्य 000 रु. में)

खनिज	इकाई	2016-17		2017-18 (P)		2018-19 (P)	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
बाक्साइट	T	24745487	14865504	22312681	15020673	23687679	17168251
क्रोमाइट	T	3727780	31937475	3480928	32109182	3970688	35836112
तांबा सघंनक	T	134787	6506133	141863	7742763	155435	9395244
सोना	Kg	1595	4362410	1648	4763056	1664	5241705
लौहा अयस्क	'000t	194584	252291800	200955	342628915	206446	451854804
शीशा संघनक	T	268047	9669267	306399	11429378	358371	16316814
जिंक संघनक	T	1484244	43385599	1539655	49799283	1457171	56083774
मैगनीज अयस्क	T	2395134	16248429	2589271	19717530	2820227	22702512
चांदी	Kg	460811	18320758	557691	21179042	679376	25824746
टीन सघंनक	Kg	12121	8736	16758	10139	21211	13839
फार-फोरट	T	1124440	2996711	1534269	3771584	1284580	3547584
हीरा	कैरेट	36491	639562	39699	410737	38437	581058
गारनेट (खुरदरा)	T	85413	787302	158154	1636667	123404	1568237
ग्रेफाइट (आर.ओ.एम.)	T	122438	94158	33558	25656	39370	37712
कायानाइट	T	3253	13458	7818	23002	4889	15228
सिलीभीनाइट	T	68131	535949	81638	669340	69033	559792
चूना पत्थर	'000t	314669	73878426	338552	74407420	379049	84841855
चूना शैल	T	12344	34774	10893	39593	7534	27786
मैगनेसाइट	T	299149	749297	195033	503919	146581	396564
चीनी मिट्टी (भारत)	T	2203700	317886	1822514	285095	1890309	325122
मोल्डिंग रेत	T	27685	6623	7097	1793	14423	3889
चिकनी मिट्टी (सिलीसियम)	T	77270	55340	58875	57457	77739	51897
सिलेनाइट	T	4328	8656	469	939	2906	5812
सल्फर	T	560825	-	825173	-	890400	-
वर्मिकुलाइट	T	9042	8162	6055	7078	3161	3807
वोलासटोनाइट	T	166186	158823	153049	126700	184063	173972

स्रोत: एमसीडीआर विवरियां, आईबीएम

टिप्पणी: (P) अनंतिम t: टन, Kg: किलोग्राम, '000t=हजार टन, crt-कैरेट

आवास एवं शहरी आधारिक संरचना

8.51 भारत विश्व में सबसे त्वरित गति से शहरीकरण की ओर बढ़ने वाले देशों में से एक है। लगभग 37.7 करोड़ लोग भारत के शहरी निवासों में रह रहे थे (जनगणना 2011), जो कि वर्ष 2030 तक अनुमानित कुल 60.6 करोड़ जनसंख्या का लगभग 31% है। (2015: यूएन)।

8.52 सभी पात्र शहरी गरीबों को मूल भूत सुविधाओं वाले पक्के घर देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) जून, 2015 में आरंभ की गई थी। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपने-अपने शहरों/कस्बों की आवासीय मांग का प्राक्कलन लगाने के लिए सर्वेक्षण करने का अधिदेश दिया गया था, अब तक 1.12 करोड़ घरों की-मांग दर्ज की गई है। शहरी आवास एवं शहर आर्थिक प्रगति के केन्द्र बिन्दु है जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत की वर्तमान जीडीपी का 60% से अधिक शेयर शहरों एवं कस्बों से आता है। विनिर्माण क्षेत्र से जीडीपी का 8.2% आता है जिसमें आवास शामिल हैं तथा कार्यबल के लगभग 12% को इसमें रोजगार मिलता है।[1] अत: पीएमएवाई (यू) के अतर्गत किए गए निवेश से न केवल ''सभी के लिए आवास'' के लक्ष्य का प्राप्त करने के लिए पात्र परिवारों को पक्का घर मिलता है बल्कि इससे समग्र अर्थव्यवस्था पर कई गुना प्रभाव पड़ता है। आज, पीएमएवाई-यू संसार की सबसे बड़ी आवासीय स्कीमों में से एक है इसमें संपूर्ण शहरी भारत शामिल करना है। पीएमएवाई(यू) को चार घटकों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। (चित्र-31)

8.53 पीएमएवाई (यू) योजना वर्ष 2022 तक प्रत्येक परिवार को पक्का मकान देने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में त्वरित गति से बढ़ रही है। इनमें से 1.03 करोड़ घरों का अनुमोदन कर दिया गया है, 60 लाख मकानों का विनिर्माण प्रारंभ हो चुका है, जिनमें से 32 लाख घर बन चुके हैं तथा सौंप दिए गए है। (चित्र 32)

8.54 पूर्व स्कीमों सहित प्रधान मंत्री आवास योजना (यू) की महत्वपूर्ण प्रगति समावेशन, योजना संबंधी वास्तुकला, डिजीटल/अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग, निधियन तंत्र आदि की व्यापक कार्यनीति का परिणाम

चित्र 31: पी एम ए वाई (यू) के विभिन्न घटक

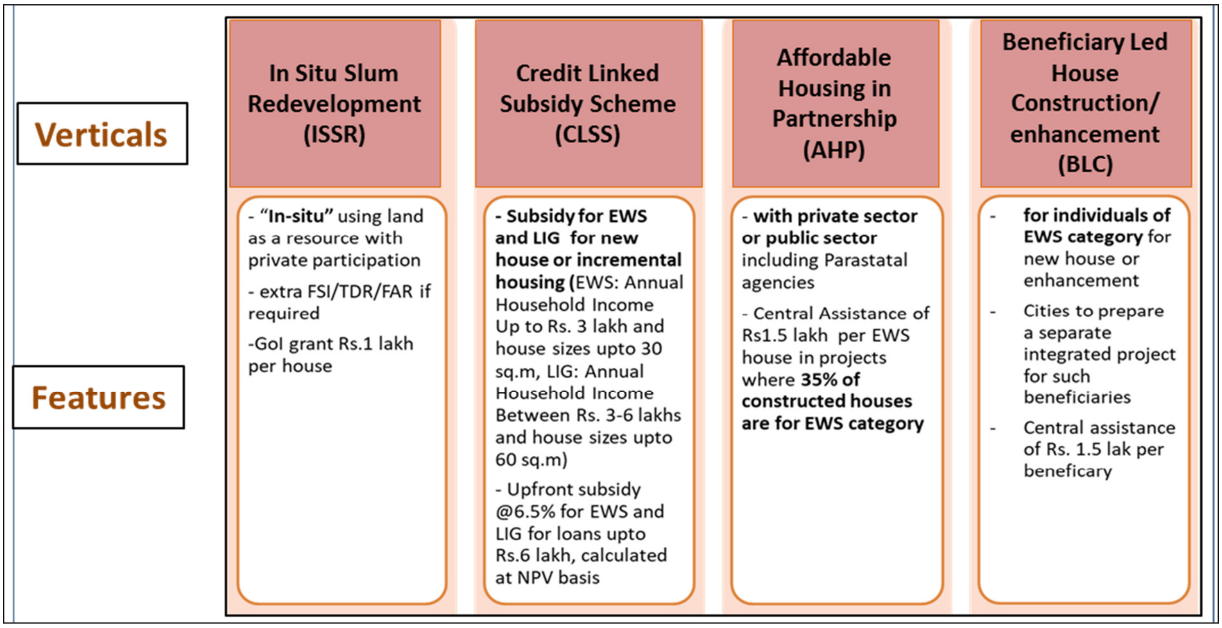

स्रोत: आवास तथा शहरी कार्य मंत्रालय

1. स्रोत: राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीईआर) द्वारा ''आवासन क्षेत्र में जीडीपी और भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन पर निवेश का प्रभाव'' (2014) संबंधी अध्ययन रिपोर्ट

चित्र 32: प्रधानमंत्री आवास योजना (यू) की वास्तविक प्रगति (आवास की संख्या लाखों में)(01.10.2020 तक)

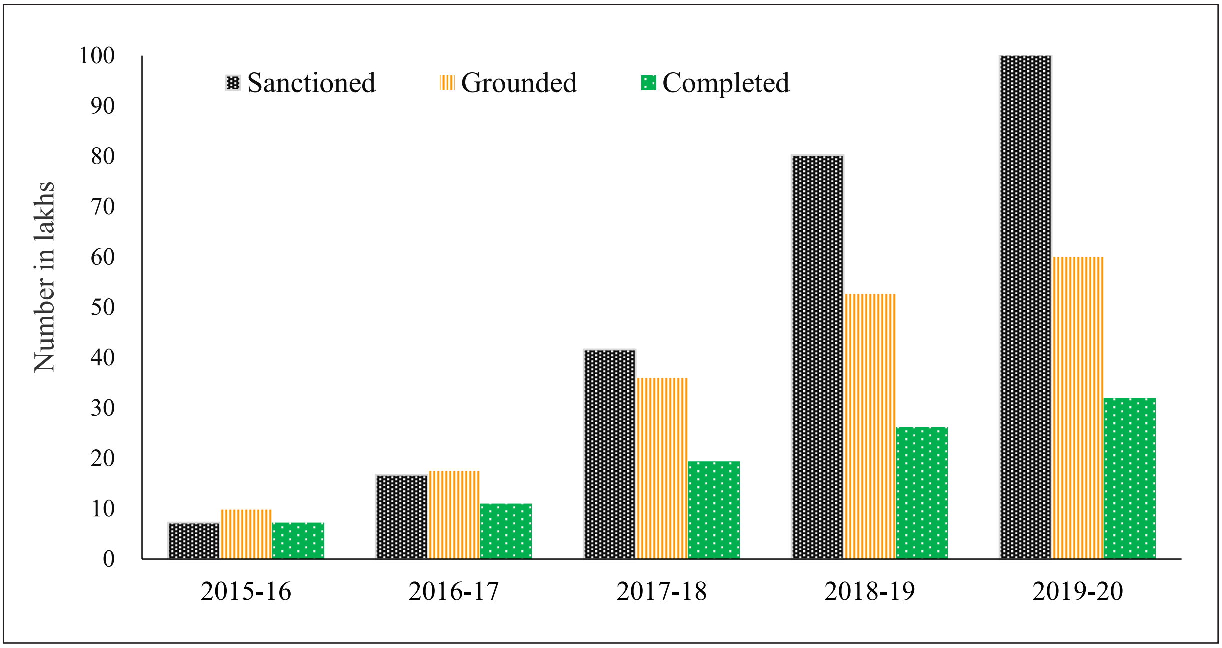

स्रोत: आवास तथा शहरी कार्य मंत्रालय

है। सिद्धांत के तौर पर, स्कीम सहकारी आयोजन की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए, मांग आधारित दृष्टिकोण को अंगीकृत करती है। पूर्व परियोजनाओं के विपरीत, संगत आवासों की मांग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शहर वार मांग सर्वेक्षण पर आधारित परियोजनाएं तैयार करने और उनका अनुमोदन करने के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्राधिकृत किया गया है। परियोजनाओं के तकनीकी मूल्यांकन के लिए एक राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति (एस एल एसी) और प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संस्वीकृति और मॉनिटरन समिति (एस एल एस एम सी) का गठन किया गया है। चूंकि भूमि और निवासी राज्य का विषय है, इसलिए पात्रता मानदंड के आधार पर लाभार्थियों की शिनाख्त के कार्यकलाप भी राज्यों को ही सौंपे गए हैं। ऐसे लचीलेपन के कारण ही राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और आम नागरिकों की बड़ी भागीदारी हुई है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए घर के मालिकाने को महिला के नाम या दोनों की भागीदारी में मालिकाना हक इस योजना में अनिवार्य किया गया है।

8.55 परियोजनाओं को प्रारंभ करने और पूरा करने के लिए मिशन के अंतर्गत संस्वीकृत बड़ी संख्या में मकानों के लिए नियमित निधियन की व्यवस्था करना महत्वपूर्ण है। इसके साथ-साथ वार्षिक बजटीय उपबंधों पर, प्रधान मंत्री आवासीय योजना (यू) के निधियन के लिए 60,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (ई बी आर) के माध्यम से संसाधन जुटाने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय शहरी आवास निधियों (एन यू एच एफ) के सृजन के माध्यम से पृथक तंत्र का गठन किया गया। है। ऐसी व्यवस्था राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और केंद्रीय नोडल एजेंसियों (सी एन ए) की परियोजनाओं की निर्बाध प्रगति के लिए समयबद्ध तरीके से केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए मंत्रालयों को सक्षम बनाती है। भारत सरकार ने बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से मिलने वाले धन की कमी को अग्रता क्षेत्र का प्रयोग करते हुए 10,000/-करोड़ रू. की प्रारंभिक निधि राष्ट्रीय आवलीय बैंक में किफायती आवासीय निधि (ए एच एफ) का भी सृजन किया है। निधि का उपयोग एच एफ सी और एन बी एफ सी के सूक्ष्म वित्तपोषण के लिए किया जाता है। जो घटी ब्याज दर पर गृह-स्वामित्व को प्रोत्साहित करने के लिए ऋण प्रदान करते हैं।

8.56 स्मार्ट सिटी मिशन की वर्तमान क्रियान्वयन स्थिति: स्मार्ट सिटी मिशन के अधीन आने वाले सभी 100 शहरों में विशेष प्रयोजनी (एस पी वी), शहरी स्तरीय परामर्श मंच (सी एल ए एस) को समन्वित किया गया है तथा परियोजना प्रबंधन परामर्शदाताओं (पी एम सी) की नियुक्ति की है। मिशन की शुरूआत से 100 शहरों में 2 लाख करोड ₹ से अधिक मूल्य वाली 5,151 परियोजनाओं में विभिन्न चरणों में कार्य चल रहा है। 14 नवबर, 2019 की स्थिति के अनुसार 1.49 लाख करोड ₹ मूल्य (कुल प्रस्ताव का 72% की 4,154 एस सी एम परियोजनाओं की निविदा हो चुकी है, इनमें से 1.05 लाख करोड़ ₹ की 3,359 परियोजनाओं (कुल प्रस्ताव का 51%) के कार्या देश जारी हो चुके हैं। 22,569 करोड़ रू मूल्य की 1,290 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है तथा प्रचालन में है। स्मार्ट सिटीज की प्रमुख उपलब्धियां चित्र 33 में दी गई है।

चित्र 33: स्मार्ट सिटीज मिशन/ मुख्य उपलब्धियां (14.11.2019 तक)

स्रोत: आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय

भावी परिदृश्य

8.57 तेजी से प्रगति करते विश्व में विकास की गति को बनाए रखने के लिए भारत को अपने उद्योग एवं आधारिक संरचना को विकसित करना होगा। उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में, उद्योग 4.0 एवं अगली पीढ़ी की आधारिक संरचना का कार्यक्षेत्र व्यापक है। उद्योग 4.0 एवं अगले पीढ़ी की आधारिक संरचना के सम्यक निश्चत करने के लिए उन अवरोधों को दूर करना आवश्यक है जो प्रशस्त मार्ग में रोड़ा बन रहे हैं। उद्योग 4.0 में औद्योगिक क्षेत्रों का आटोमेशन शमिल है। जबकि अगली पीढ़ी की आधारिक संरचना से भौतिक आधारिक संरचना की क्षमता को अधिकतम करने के लिए इटंरनेट, ऑटोमेशन जेसी प्रौद्योगिकी को एक साथ लाना होगा। निर्बाध एवं त्वरित यात्रा के लिए, भारत को गुणवत्ता संपन्न अवसंरचना में समय पर पर्याप्त निवेश करने की आवश्यकता है।

8.58 वर्ष 2024-25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की जी डी पी प्राप्त करने के लिए भारत को इन वर्षो में आधारिक संरचना पर लगभग 1.4 ट्रिलियन डालर खर्च करने होंगे। वार्षिक आधारिक सरंचना में निवेश में उन्नयन करना एक चुनौती है ताकि आधारिक संरचना की कमी भारतीय अर्थव्यवस्थ की प्रगति में अवरोधक न बन सके। राष्ट्रीय आधारिक संरचना पाइपलाइन (एन आई पी) ने वर्ष (वित्त वर्ष) एफ वाई 20-25 के लिए देश की आधारिक संरचना की अवधारण तैयार की है। 31.12.2019 को एन आई पी कार्यबल पर जारी की गई रिपोर्ट भारत में वित्त वर्ष 2020 से 2025 तक की अवधि के दौरान 102 लाख करोड़ रू की कुल अवसंरचनात्मक निवेश को प्रक्षेपित करती है।

अध्याय एक नजर में	
➢	औद्योगिक उत्पादन (आई आई पी) के सूचक के अनुसार औद्योगिक सेक्टर ने 2018-19 (अप्रैल-नवम्बर) के दौरान दर्ज की गई 5.0 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 2019-20 (अप्रैल-नवम्बर) में 0.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है।
➢	उर्वरक क्षेत्र ने 2018-19 (अप्रैल-नवम्बर) के दौरान हासिल की गई (-) 1.3 प्रतिशत की तुलना में 2019-20 (अप्रैल-नवम्बर) के दौरा 4.0 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की है।
➢	व्यापार की सुविधा के क्षेत्र में भारत ने 2018 में हासिल की गई 77वीं रैंक में अपेक्षाकृत सुधार करते हुए 2019 में 63वीं रैंक हासिल की।
➢	2019-20 (अप्रैल-अक्तूबर) के दौरान अपरिस्कृत इस्पात उत्पादन के क्षेत्र में 1.5 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की गई।
➢	31 अक्तूबर, 2019 को विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता बढ़कर 3,64,960 मैगा वाट् वृद्धि दर्ज की गई।
➢	31.12.2019 को जारी की गई राष्ट्रीय अवसंरचना पाइप लाईन के संबंध में कार्यबल की रिपोर्ट में भारत में वित्त वर्ष 2020 से 2025 के दौरा 102 लाख करोड़ रूपये के कुल अवसंरचनात्मक निवेश को प्रक्षेपित किया है।

सेवा क्षेत्र

09
अध्याय

भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र की महत्ता लगातार बढ़ रही है तथा सकल संवर्द्धन मूल्य और सकल संवर्द्धन मूल्य वृद्धि में इसका हिस्सा 55 प्रतिशत हैं एवं भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह में दो-तिहाई और कुल निर्यात में 38 प्रतिशत है। सेवा क्षेत्र का हिस्सा अब 33 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में से 15 राज्यों में सकल संवर्द्धन मूल्य 50 प्रतिशत से अधिक है और दिल्ली व चण्ड़ीगढ़ में यह हिस्सा 80 प्रतिशत से अधिक है। हालांकि सकल संवर्द्धन मूल्य वृद्धि से संबंधित आंकड़े, उच्च आवृत्ति संकेतकों और क्षेत्रवार रूझान 2019-20 के दौरान सेवा क्षेत्र की गतिविधि में नरमी की ओर संकेत करते हैं। 2019-20 के दौरान सेवा क्षेत्र को बैंक ऋण, वायु यात्री यातायात व रेल माल यातायात की वृद्धि में नरमी देखी गई है, जबकि विदेशी पर्यटकों के आगमन व बन्दरगाहों यातयात में ढीलापन जारी रहा। उज्जवल पक्ष को देखा जाए तो अप्रैल-सितम्बर 2019 के दौरान सेवा क्षेत्र में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह में बेहतरी दर्ज की गई, तथा सेवाओं को निर्यातों में संवेग बना रहा। हाल के वर्षों में सेवाओं के निर्यातों का निष्पादन वस्तुओं के निष्पादन से बेहतर रहा है, जिसके कारण विश्व के वाणिज्यिक सेवा निर्यातों में भारत का अंश पिछले दशक में लगातार बढ़ते हुए 2018 में 3.5 प्रतिशत पर पहुंच गया, जो कि वस्तुओं के निर्यातों में भारत के 1.7 प्रतिशत से दुगुना है। भारत के शिक्षा सेवा आयात हाल के वर्षों में तेजी से बढ़कर 2013-14 में 2.3 अरब अमेरिकी डॉलर से 2018-19 में 5.0 अरब अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गए। बन्दरगाहों पर जहाज वापसी का समय 2010-11 में 4.67 दिनों से आधा होकर 2018-19 में 2.48 दिन रह गया। भारत ने हाल के वर्षां में, लगभग 5-7 उपग्रह प्रतिवर्ष छोड़े हें, जिसमें 2017 में हुई एक असफलता को छोड़कर अन्य कोई असफलता नहीं रही है।

भारत में सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन: एक सिंहावलोकन

सेवा क्षेत्र में भारत का सकल संवर्द्धन मूल्य

9.1 सांख्यिकी और योजना एंव कार्यान्वयन मंत्रालय के सकल मूल्य संवर्द्धन (जी वी ए) के प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार, 2019-20 के दौरान सेवाओं के क्षेत्र में (वर्ष दर वर्ष) संवृद्धि में गिरावट जारी रही यह वृद्धि दर 2018-19 में 7.5 प्रतिशत से घटकर 2019-20 में 6.9 प्रतिशत पर पहुंच गई (तालिका 1) उपक्षेत्रवार, 'वित्तीय सेवाओं, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाओं' की वृद्धि दर (वर्ष दर वर्ष) में 2019-20 के दौरान नरमी दर्ज की गई है और 'व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण सेवाओं' की वृद्धि पर में 2019-20 में गिरावट जारी रही जिससे इसकी वृद्धि दर 5.9 प्रतिशत पर पहुंच गई। तथापि, 2019-2020 के दौरान 'लोक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाओं' से संबंधित कार्यकलापों में तेजी दर्ज की गई जिससे कारण इनमें 9.1 प्रतिशत की वृद्धि (वर्ष दर वर्ष) हुई। हाल की निम्न वृद्धि दर के बावजूद, सेवा क्षेत्र ने लगातार कृषि और उद्योग क्षेत्र से बेहतर प्रदर्शन किया है तथा कुल सकल संवर्द्धन मूल्य एवं कुल सकल संवर्द्धन मूल्य वृद्धि में इसका अंश लगभग 55 प्रतिशत है।

तालिका 1: भारत के सकल संवर्द्धन मूल्य में सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन

क्षेत्र	सकल संवर्द्धन मूल्य में हिस्सा (प्रतिशत) 2019-20 (1st AE)	वृद्धि (प्रतिशत वर्ष-दर-वर्ष) 2017-18 (RE)	2018-19 (PE)	2019-20 (1st AE)	2019-20 Q1	2019-20 Q2
कुल सेवाएं	**55.3**	**8.1**	**7.5**	**6.9**	**6.9**	**6.8**
व्यापार होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण संबंधी सेवाएं	18.3	7.8	6.9	5.9	7.1	4.8
वित्तीय, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएं	21.3	6.2	7.4	6.4	5.9	5.8
लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं	15.6	11.9	8.6	9.1	8.5	11.6

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

टिप्पणी: हिस्सा वर्तमान मूल्य पर है और वृद्धि स्थिर 2011-12 मूल्य पर; RE : संशोधित अनुमान PE; अनंतिम अनुमान; 1 AE : प्रथम अग्रिम अनुमान।

9.2 सेवा क्षेत्र की वृद्धि में उच्च आवृत्ति संकेतकों में भी परिलक्षित होती है, यद्यपि कुछ हालिया आंकड़ों से संकेत मिलता है कि शायद सेवा क्षेत्र के कार्यकलापों (चित्र 1(क) से (घ) में) क्रय प्रबंधन सूचकांक (पीएमआई) 2018-19 के तिमाही-4 व 2019-20 के तिमाही-1 के दौरान नरमी के बाद हाल के महीनों में 50 की सीमा से ऊपर स्थिर हो गया है। (50 से ऊपर इंगित करता है कि सेवा क्षेत्र के कार्यकलापों का विस्तार हो रहा है)। वायु यात्री यातायात में 2018-19 के मध्य से जारी मंदी के बाद में सुधार के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। यहां तक कि रेल भाड़े में भी नवम्बर, 2019 से वृद्धि शुरू हो गई है, जबकि इसमें पिछले कुछ महीनों में गिरावट हो रही थी। इसके विपरीत सेवा क्षेत्र के लिए बैंक ऋण की वृद्धि दर में गिरावट जारी है। सेवा क्षेत्र को बैंक ऋण की वृद्धि दर में वृद्धि नवम्बर 2019 में 4.8 प्रतिशत थी, जब कि एक साल पहले यह 28.1 प्रतिशत थी (तालिका 2)।

चित्र 1(क): सेवाओं का पीएमआई सूचकांक

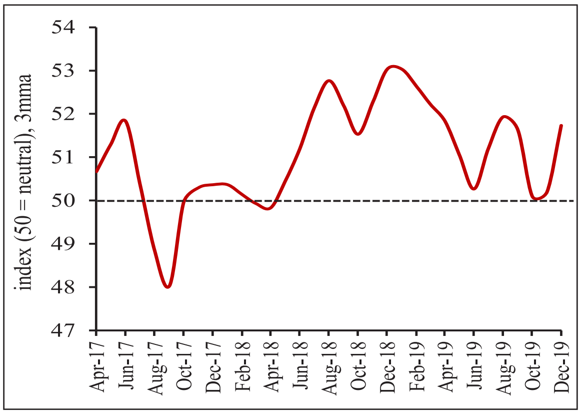

चित्र 1(ख) वायु यात्री यातायात में वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष)

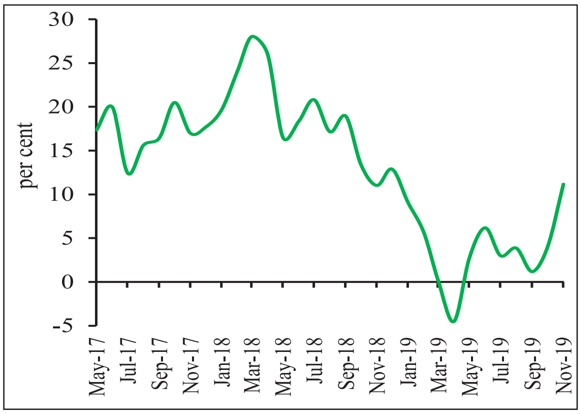

स्रोत: आरबीआई, आईएचएस मार्कट इकोनॉमिक्स, भारतीय रेलवे, नागर विमानन महानिदेशालय।

चित्र 1(ग) : रेल माल यातायात में वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष)

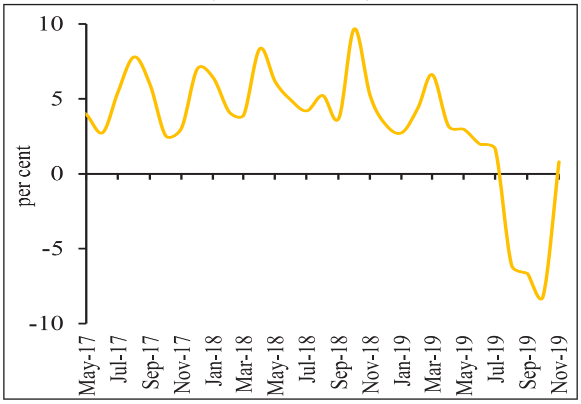

चित्र 1(घ) : सेवा क्षेत्र में बैंक ऋण में वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष)

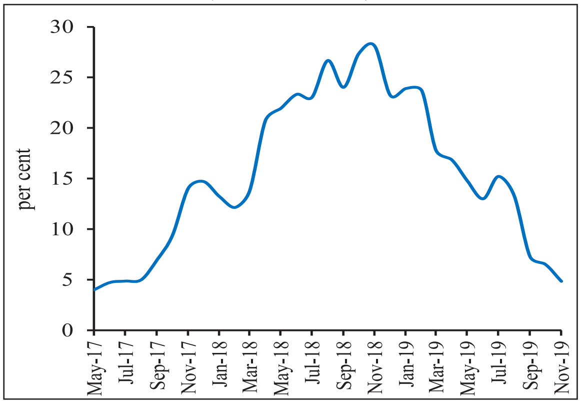

स्रोत: आरबीआई, भारतीय रेल

तालिका 2: सेवा उप क्षेत्रों में बैंक ऋण में वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष)

सेवा उप क्षेत्र	वित्तीय वर्ष अब तक अप्रैल-नवम्बर 2019 (प्रतिशत में)	वित्तीय वर्ष अब तक अप्रैल-नवम्बर 2018 (प्रतिशत में)
सेवा	**-2.2**	**9.9**
ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर	0.9	6.6
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	2.8	2.8
पर्यटन, होटल और रेस्टोरेन्ट	11.4	5.3
जहाजरानी	-13.5	1.1
पेशेवर सेवाएं	-0.5	8.4
वाणिज्यिक अचल संपदा	9.1	1.0
एनबीएफसी को बैंक ऋण	14.0	14.1
खुदरा व्यापार	2.3	2.3
थोक व्यापार*	-13.2	3.1
अन्य सेवाएं	-20.7	16.9

स्रोत: आरबीआई

टिप्पणी: *खाद्य की खरीद के अलावा।

9.3 सेवा उप-क्षेत्र के लिए बैंक ऋण के आवंटन पर आरबीआई के आंकड़ों से पता चलता है कि ऋण वृद्धि में अप्रैल से नवम्बर 2019 के दौरान सुस्ती 'पेशेवर सेवाएं' 'जहाजरानी', 'ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों' तथा 'थोक व्यापार' के कारण रही है (तालिका 2)। 'पर्यटन, होटल और रेस्टोरेन्ट', 'वाणिज्यिक अचल संपत्ति', और 'गैर-बैंकिग वित्तीय निगमों (एनबीएफसी)' को बैंक ऋण अप्रैल-नवम्बर 2019 के दौरान अन्य उप-क्षेत्रों की तुलना में अधिक रहा।

9.4 राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों में सेवा क्षेत्र के निष्पादन से पता चलता है कि सेवा क्षेत्र का हिस्सा अब कुल 33 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेश में से 15 में सकल राज्य मूल्य संवर्द्धन (जीएसवीए) के 50 प्रतिशत से अधिक है (तालिका 3)। 8 राज्यों में सेवा क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य संवर्द्धन में योगदान 60 प्रतिशत से अधिक है। चंडीगढ़ और दिल्ली में यह हिस्सेदारी 80 प्रतिशत से अधिक हैं, जब कि सिक्किम का हिस्सा 26.8 प्रतिशत पर सबसे कम बना हुआ है। यहां तक कि सकल राज्य मूल्य संवर्द्धन में सेवा की अपेक्षाकृत कम हिस्सेदारी वाले राज्य, जैसे कि झारखंड, ओडिशा, आन्ध्र प्रदेश, उत्तराखण्ड, गुजरात, अरूणाचल प्रदेश और गोवा में भी हाल के वर्षों में सेवा क्षेत्र की मजबूत वृद्धि देखी गई है।

तालिका 3: राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों में सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन

राज्य	2018-19 में सकल राज्य मूल्य संवर्द्धन में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी (प्रतिशत में)*	सेवा क्षेत्र में 5 वर्ष की औसत वृद्धि (प्रतिशत में, वर्ष दर वर्ष)**
चंडीगढ़*	86.7	7.3
दिल्ली	84.1	8.8
अण्डमान और निकोबार*	68.1	8.6
कर्नाटक	65.4	10.5
मणिपुर*	65.1	6.3
तेलंगाना	64.7	11.2
केरल*	62.7	6.4
बिहार	61.1	9.0
जम्मु और कश्मीर*	58.3	5.5
मेघालय*	59.0	7.5
महाराष्ट्र*	57.6	8.1
पश्चिम बंगाल	57.5	9.2
तमिलनाडु	54.2	6.9
नागालैण्ड*	54.1	4.9
हरियाणा	50.8	9.2
उत्तर प्रदेश	48.8	7.7
पुदुचेरी	48.5	6.0
असम*	47.8	6.9
मिजोरम*	46.8	7.8
पंजाब	46.5	7.2
राजस्थान	45.0	7.3
झारखण्ड	44.8	8.7
आन्ध्र प्रदेश	43.0	9.8
हिमाचल प्रदेश	42.8	7.6
अरूणाचल प्रदेश*	42.5	9.0
ओडिशा	41.8	8.4
उत्तराखण्ड	40.5	9.5
त्रिपुरा*	39.7	3.0
गोवा	38.0	8.4
छत्तीसगढ़	37.1	5.9
मध्य प्रदेश	35.9	6.7
गुजरात*	35.7	8.6
सिक्किम	26.8	4.4

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

टिप्पणी: *2017-18 आंकड़ों के आधार पर; ** 2014-15 से 2018-19 तक का औसत, या 2013-14 से 2017-18 तक का औसत जहां 2018-19 के लिए आंकड़े अनुपलब्ध है।

सेवा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

9.5 उद्योग एंव आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग से प्राप्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के आंकड़ों से पता चलता है कि सेवा क्षेत्र[1] में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी अन्तर्प्रवाहों (पुन: निवेशित आय को छोड़कर) में 2018-19 में गिरावट के बाद अप्रैल-सितम्बर 2019 के दौरान जोरदार बढ़ोत्तरी दर्ज हुई हैं। सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी अन्तर्प्रवाहों में अप्रैल-सितंबर, 2019 के दौरान वर्ष दर वर्ष लगभग 33 प्रतिशत वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप यह 17.58 अरब यू.एस. डॉलर तक पहुंच गया था। (तालिका 4)। यह इस अवधि में भारत में कुल सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी अंतर्वाह का लगभग दो-तिहाई है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी अंतर्वाह में यह उछाल 'सूचना एवं प्रसारण', 'वायु यातायात', 'दूरसंचार', 'परामर्श सेवाएं' व 'होटल व पर्यटन' जैसे उपक्षेत्रों में मजबूत अंतर्वाह के कारण था।

तालिका 4: सेवा क्षेत्र में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी अंतर्वाह*

सेवा उप क्षेत्र	2018-19 में सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी अंतर्वाह में हिस्सेदारी (प्रतिशत)	सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी अंतर्वाह (मिलियन अमेरिकी डॉलर)			
		2017-18	2018-19	अप्रैल-सित. 2018	अप्रैल-सित. 2019
वित्त, व्यवसाय, आउटसोर्सिंग, आर एंड डी, कूरियर, तकनीकी जांच एंव विश्लेषण	20.6	6,709	9,158	4,915	4,455
कम्प्यूटर साफ्टवेयर और हॉर्डवेयर	14.5	6,153	6,415	2,541	4,025
व्यापार	10.1	4,348	4,462	2,143	2,143
दूरसंचार	6.0	6,212	2,668	2,178	4,280
सूचना एंव प्रसारण	2.8	639	1,252	58	196
होटल एवं पर्यटन	2.4	1,132	1,076	344	859
अस्पताल एंव जांच केन्द्र	2.4	708	1,045	345	376
शिक्षा	1.8	286	777	167	216
खुदरा व्यापार	1.0	224	443	256	243
परामर्शी सेवाएं	0.9	760	411	88	473
समुद्री परिवहन	0.6	1,051	279	117	173
वायु परिवहन	0.4	629	191	30	114
कृषि सेवाएं	0.2	110	88	29	23
सेवा क्षेत्र में सकल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश इक्विटी अंतर्वाह (यूएस डॉलर मिलियन में)		**28,960**	**28,264**	**13,209**	**17,577**
पिछली अवधि से परिवर्तन (प्रतिशत वर्ष-दर-वर्ष)		**15.0**	**-2.4**	**-20.5**	**33.1**
भारत में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी का अन्तर्वाह (यूएस डॉलर मिलियन में)		**44,857**	**44,366**	**22,664**	**26,096**
भारत में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी (प्रतिशत में)		**64.6**	**63.7**	**58.3**	**67.4**

स्रोत: उद्योग एंव आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी)
टिप्पणी: * पुन: निवेशित आय को छोड़कर।

1 वित्तीय सेवाओं, व्यापार सेवाओं, आउटसोर्सिंग, आर और डी, प्रोद्योगिकी परीक्षण और विश्लेषण, कूरियर, दूरसंचार, व्यापार, कम्प्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, होटल एवं पर्यटन, अस्पताल और जांच केन्द्र, परामर्श सेवाएं, समुद्री परिवहन, सूचना और प्रसारण, खुदरा व्यापार, कृषि सेवाएं, शिक्षा और हवाई परिवहन में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी अन्तर्वाह के रूप में अनुमानित हैं।

सेवा क्षेत्र में व्यापार

9.6 आरबीआई के भुगतान संतुलन आँकड़े दर्शाते हैं कि अप्रैल-सितम्बर 2019 के दौरान सेवाओं के निर्यात ने 2018-19 से अपनी गति बनाए रखी है तथा इसमें 6.4 प्रतिशत की वृद्धि (वर्ष दर वर्ष) दर्ज की गई। यात्रा, सॉफ्टवेयर, व्यवसाय और वित्तीय सेवाओं में निर्यात में वृद्धि ने बीमा और अन्य सेवाओं में (निर्माण कार्य आदि शामिल हैं) के निर्यात की वृद्धि में कमी की भरपाई कर दी है। (तालिका-5)। व्यावसायिक सेवाओं के निर्यात में मजबूत वृद्धि, पेशेवर और प्रबंधन परामर्श सेवाओं, तकनीकी एवं व्यापार संबंधी सेवाओं तथा आर एण्ड डी सेवाओं के लिए उच्चतर प्राप्तियों द्वारा संचालित थी।

9.7 गत दशक में सेवा निर्यात की संरचना के रूझान दर्शाते हैं कि पारम्परिक सेवाओं जैसे परिवहन, और मूल्यवर्धित सेवाएं जैसे, सॉफ्टवेयर, वित्तीय सेवाओं और संचार की हिस्सेदारी में कमी आई गई है। इस बीच, पिछले एक दशक में यात्रा सेवाओ की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है तथा व्यवसायिक सेवाओं की हिस्सेदारी में मामूली वृद्धि हुई है। सॉफ्टवेयर सेवाओं की हिस्सेदारी में गत दशक में 4 प्रतिशत की गिरावट आई जिसके परिणामस्वरूप यह 2018-19 में कुल सेवा निर्यातों के 40 प्रतिशत पर पहुँच गई। इसके बावजूद भारत के सेवा निर्यात सॉफ्टवेयर सेवाओं पर केंद्रित रहे हैं इनका हिस्से दूसरे सबसे बड़े घटक, व्यापार सेवाओं के हिस्से का दो गुना है। इससे सॉफ्टवेयर क्षेत्र, और समग्र सेवा निर्यात;

तालिका 5: उप-क्षेत्र वार सेवा व्यापार प्रदर्शन

वस्तु समूह	हिस्सा प्रतिशत में मूल्य		(यूएस डॉलर बिलियन में)			वृद्धि (प्रतिशत वर्ष-दर-वर्ष)		
	2008-09	2018-19	2017-18	2018-19	Apr-Sep 2019-20 (P)	2017-18	2018-19	April-Sep 2019-20 (P)
कुल सेवा निर्यात			**195.1**	**208.0**	**104.6**	**18.8**	**6.6**	**6.4**
यात्रा	10	14	28.4	28.4	14.6	22.0	0.3	8.2
परिवहन	11	9	17.4	19.5	10.5	10.0	11.6	10.8
बीमा	1	1	2.5	2.7	1.2	13.6	6.2	-4.9
जीएनआईई*	0.4	0.3	0.7	0.6	0.3	12.9	-8.1	3.5
सॉफ्टवेयर सेवा	44	40	77.3	83.5	46.1	4.0	7.9	12.7
व्यावसायिक सेवा	18	19	37.3	39.1	22.4	13.4	4.7	18.6
वित्तीय सेवा	4	2	5.2	4.9	2.5	1.3	-5.9	4.3
संचार	2	1	2.1	2.6	1.3	-11.7	22.1	18.3
कुल आयात सेवा			**117.5**	**126.1**	**64.1**	**22.6**	**7.3**	**7.9**
यात्रा	18	17	19.5	21.7	12.2	18.6	11.2	4.3
परिवहन	25	16	17.6	20.5	12.1	24.6	16.6	22.8
बीमा	2	1	1.7	1.8	0.8	13.7	5.3	-0.7
जीएनआईई *	2	1	0.8	1.1	0.6	32.5	40.3	11.9
सॉफ्टवेयर सेवा	5	5	5.1	5.8	4.0	43.3	13.1	33.7
व्यवसाय सेवा	29	32	36.6	40.4	22.9	13.3	10.3	19.6
वित्तीय सेवा	6	3	5.5	3.5	1.1	-5.4	-37.0	-40.7
संचार	2	1	1.0	1.1	0.6	4.8	18.4	25.1
सेवा व्यापार शेष			**77.6**	**81.9**	**40.5**			
माल व्यापार शेष			**-160.0**	**-180.3**	**-84.3**			

स्रोत: आरबीआई

टिप्पणी: * जीएनआईई – सरकार जो अन्यत्र शामिल नहीं है; P: प्रारम्भिक।

विनिमय दर में परिवर्तन, वैश्विक आई टी खर्च, कड़े यू.एस.ए. वीजा मानदंड और निर्यात स्थलों में स्थानीय रोजगार में वृद्धि के कारण बढ़ते लागत दबाव लागत के प्रति संवेदनशील हो गया है। हालांकि गार्टनर के अक्टूबर 2019 के अनुमान के अनुसार वैश्विक आईटी व्यय में 2020 में तेजी आने की संभावना है परंतु उत्पादन लागत में वृद्धि और संयुक्त राज्य अमेरिका के वीजा मानदंड़ व ब्रेक्जिट से सम्बन्धित अनिश्चितता भारत के सॉफ्टवेयर निर्यात में गिरावट आने का जोखिम पैदा करती हैं।

9.8 अप्रैल-सितम्बर 2019 के दौरान सेवा आयात में वृद्धि (वर्ष दर वर्ष) 7.9 प्रतिशत दर्ज की गई है। परिवहन, सॉफ्टवेयर, संचार और व्यावसायिक सेवाओं के आयात में वृद्धि ने वित्तीय और बीमा सेवाओं के आयात में संकुचन और यात्रा सेवाओं के आयात में मंदी की भरपाई की है। व्यापार सेवाओं के भुगतान में वृद्धि मुख्य रूप से पेशेवर, प्रबंधन और परामर्श सेवाओं, और तकनीकी और व्यापार संबंधी सेवाओं द्वारा संचालित थी।

9.9 सेवाओं का निवल निर्यात अप्रैल-सितम्बर, 2018 के स्तर 38.9 बिलियन यू.एस. डॉलर से बढ़कर अप्रैल से सितम्बर 2019 के दौरान 40.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर गया, जो कि वर्ष-दर-वर्ष 4.1 प्रतिशत अधिक है। सेवा व्यापार अधिशेष जो कि काफी हद तक सॉफ्टवेयर सेवाओं में अधिशेष द्वारा संचालित है ने अप्रैल से सितम्बर 2019 के दौरान भारत के वाणिज्यिक वस्तुओं के घाटे के 48 प्रतिशत को वित्तपोषित किया है और इस प्रकार चालू खाते के घाटे पर इसके प्रभाव की आंशिक रूप से भरपाई की है।

9.10 सॉफ्टवेयर सेवाओं के अलावा भारत का यात्रा, बीमा और वित्तीय सेवाओं से भी थोड़ा व्यापार अधिशेष है। हाँलाकि यात्रा सेवाओं के अन्तर्गत, भारत में शिक्षा सेवाओं में लगातार व्यापार घाटा रहा है, तथा शैक्षिक आयातों, अर्थात् शैक्षिक उद्देश्यों से विदेश जाने वाले भारतीय छात्रों द्वारा ट्यूशन, कमरे और भोजन पर होने वाला व्यय 2018-19 में लगभग 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। इसमें शैक्षिक प्रयोजनो से किए गए अन्य भुगतानों जैसे कि विदेशी पत्राचार पाठ्यक्रमों, जो कि विदेश से शैक्षिक सेवाएं प्राप्त करने हेतु किया गया भुगतान है, को जोड़ दिया जाए, पता चलता है कि हाल के वर्षों में भारत के शैक्षिक सेवा आयातों में काफी वृद्धि हुई है और यह 2018-19 में 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है (चित्र 2)।

9.11 दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य से, भारत का द्विपक्षीय व्यापार वार्ताओं के दौरान सेवाओं के निर्यात पर बढ़ावा देने पर बल देना व्यापारिक साझेदारों के साथ द्विपक्षीय व्यापार घाटों को कम करने की दिशा में एक अच्छा संकेत है। आगे देखें तो वस्तुओं व सेवाओं में विश्व व्यापार में 2019 में मंदी के बाद 2020 में फिर से बेहतरी आने का अनुमान है। वैश्विक अनिश्चितता, संरक्षणवाद और कड़े प्रवासन नियम आने वाले समय में भारत के सेवा व्यापार को आकार देने वाले प्रमुख कारक होंगे।

चित्र 2: शिक्षा सेवाओं का आयात

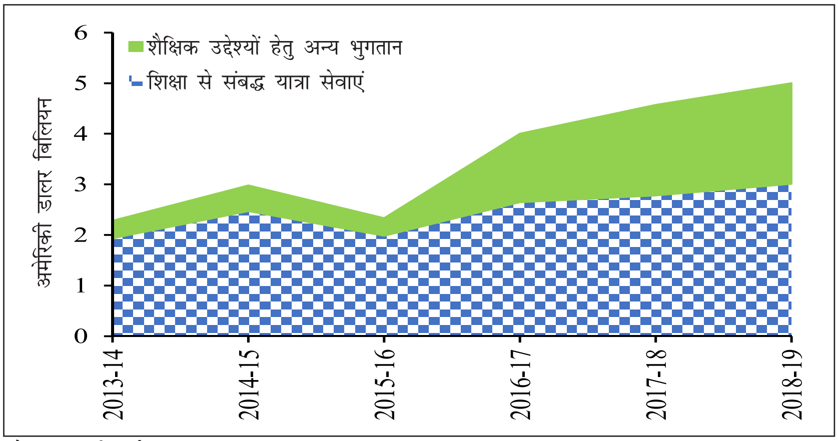

स्रोत: आरबीआई

टिप्पणी: शैक्षिक यात्रा सेवाओं में भारतीय छात्रों द्वारा विदेशों में शिक्षण, कमरे एवं भोजन व्यवस्था पर किया गया व्यय शामिल है।

बॉक्स 1: विश्व की वाणिज्यिक सेवाओं[2] के निर्यात में भारत

आर्थिक क्रियाकलापों में सेवाओं की बढ़ती भूमिका वैश्विक व्यापार में एवं भारत के व्यापार में सेवाओं के बढ़ते महत्व में भी परिलक्षित होती है। दो समयावधियों 2005-11 एवं 2012-2018 को देखते हुए यह स्पष्ट है कि वाणिज्यिक सेवाओं का निर्यात और वस्तुओं का निर्यात, दोनों अभी हाल ही के वर्षों में भारत में और वैश्विक स्तर पर धीमे हुए है (तालिका-क)। तथापि, जहां एक ओर वर्ष 2005-11 के दौरान वाणिज्यिक वस्तुओं के निर्यात सेवाओं के निर्यात की तुलना में अधिक तेजी से बढ़े थे, वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात ने हाल ही में वस्तुओं के निर्यात से बेहतर प्रदर्शन किया है। इसके कारण भारत और वैश्विक, दोनों स्तरों पर समग्र निर्यात में वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है।

तालिका क: भारत एवं वैश्विक स्तर पर सेवाओं एव वस्तुओं के निर्यात का निष्पादन

देश	वस्तु निर्यात में वृद्धि (प्रतिशत)		वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में वृद्धि (प्रतिशत)		कुल निर्यातों में वाणिज्यिक सेवा निर्यातों की हिस्सेदारी (प्रतिशत)	
	सीएजीआर 2005-11	सीएजीआर 2012-18	सीएजीआर 2005-11	सीएजीआर 2012-18	2005	2018
विश्व	9.7	0.8	8.9	4.4	19.8	22.9
भारत	20.4	1.5	17.7	5.9	34.2	38.6

स्रोत: डब्ल्यूटीओ
टिप्पणी: समस्त गणनाएं कैलेंडर वर्ष पर आधारित हैं।

डब्ल्यूटीओ आंकड़ों के अनुसार विश्व के व्यावसायिक सेवाओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी पिछले एक दशक में तेजी से बढ़कर 2018 में 3.5 प्रतिशत हो गई है जोकि विश्व के वस्तु निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 1.7 प्रतिशत का दुगना है। विश्व में व्यावसायिक सेवाओं के सबसे बड़े निर्यातकों में अब भारत का 8वां स्थान है और अन्य प्रमुख सेवाओं-निर्यातक देशों के साथ-साथ विश्व सेवाओं के निर्यात वृद्धि (तालिका ख) के सापेक्ष भारत का सुदृढ़ वृद्धि निष्पादन जारी है।

तालिका ख: सर्वोच्च 10 निर्यातक देशों में व्यावसायिक सेवाओं का निर्यात

देश	वर्ष 2018 में वैश्विक व्यावसायिक सेवा निर्यातों में हिस्सेदारी	वैश्विक क्रय (रैंकिंग) में स्थान 2018	व्यावसायिक सेवाओं के निर्यात में वृद्धि (प्रतिशत वर्ष-दर-वर्ष)		
			2017	2018	जन.-जून 2019
विश्व			**8.0**	**7.7**	**N.A.**
संयुक्त राज्य अमेरिका	14.0	1	5.2	3.8	0.7
ग्रेट ब्रिटेन	6.5	2	2.4	5.6	-3.0
जर्मनी	5.6	3	8.0	7.3	-2.4
फ्रांस	5.0	4	5.7	6.2	-7.0
चीन	4.6	5	8.7	17.1	4.2
नीदरलैंड	4.2	6	14.3	11.4	3.4
आयरलैंड	3.6	7	20.5	14.3	10.9
भारत	**3.5**	**8**	**14.5**	**10.7**	**7.1**
जापान	3.2	9	6.4	3.1	3.6
सिंगापुर	3.2	10	10.0	6.6	-2.1

स्रोत: डब्ल्यूटीओ
टिप्पणी: समस्त गणनाएं कैलेण्डर वर्ष पर आधारित हैं। NA अभिप्राय उपलब्ध नहीं है।

2 वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात से संदर्भ समस्त सेवाओं के निर्यात से है जिसमें सरकारी सेवाएं शामिल नहीं हैं।

भारत में समग्र निर्यातों में सेवा निर्यातों की हिस्सेदाारी विश्व की प्रमुख सेवा निर्यातक सर्थव्यवस्थाओं के मध्य सापेक्षिक रूप से अधिक हिस्सेदारी है (चित्र क)।

चित्र क: वर्ष 2018 में प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के कुल निर्यात में व्यावसायिक सेवाओं के निर्यात की हिस्सेदारी

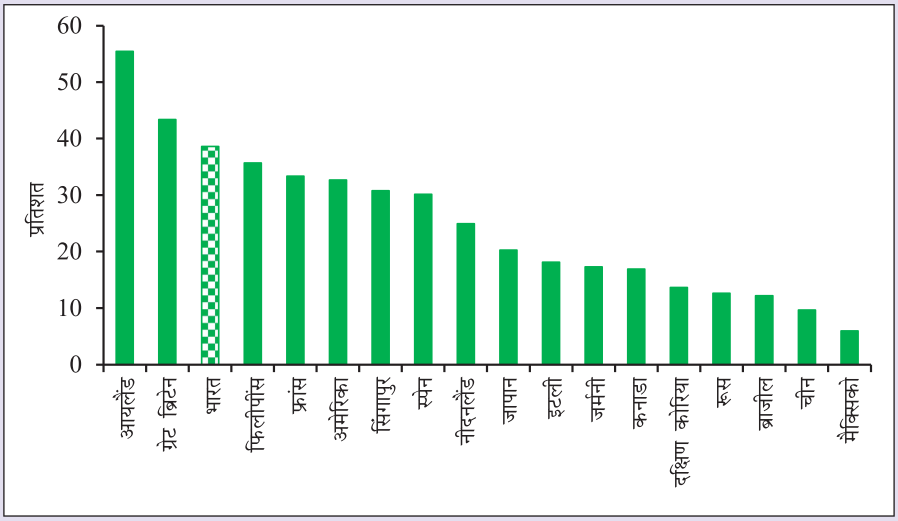

स्रोत: समस्त गणनाएं डब्ल्यूटीओ के आंकड़ों पर आधारित हैं।
टिप्पणी: समस्त गणनाएं कैलेण्डर वर्ष पर आधारित हैं।

बाक्स 2: वित्तीय सेवाओं के निर्यात के संवर्धन के लिए अपतटीय (ऑफशोर) निधि प्रबंधन उद्योग का विकास

सरकार द्वारा वित्तीय सेवा क्षेत्र की पहचान चैंपियन सेवा क्षेत्रों में से एक क्षेत्र के रूप में की गई है ताकि वर्तमान में वैश्विक वित्तीय केन्द्रों से प्रदान की जा रही भारत से संबंधित वित्तीय सेवाओं की ऑन शोरिंग करने में सक्षम किया जा सके। इससे वित्तीय सेवाओं के निर्यात और उच्च कौशल वाले रोजगार को बढ़वा मिलेगा। सेवाओं के निर्यात में भारत के सुदृढ़ निष्पादन (बाक्स 1) के बावजूद भारत की वित्तीय सेवाओं का निर्यात गतिहीन रहा है जो कि अभी हाल ही के वर्षों में औसतन लगभग 5 बिलियन अमेरिकी डालर रहा है। इसके परिणामस्वरूप, समग्र सेवाओं के निर्यात में वित्तीय सेवाओं के निर्यात की हिस्सेदारी वर्ष 2011-12 में 4.2 प्रतिशत से लगभग आधी होकर वर्ष 2018-19 में 2.3 प्रतिशत हो गई है (चित्र ख)।

अपतटीय निधियों का ग्रास्ति प्रबंधन एक प्रकार की वित्तीय मौजूदा समय में वैश्विक वित्तीत केन्द्रों से प्रदान की जा रही में से एक है और संभवत: ऑन-शोर लाया जा सकता है। यह ऑफशोर निधियां कर एवं विनियामक अनुकूल क्षेत्राधिकारों जैसे सिंगापुर, लक्समबर्ग, आयरलैंड, हांगकांग एवं लंदन में अवस्थित हैं। ये ऑफशोर निवेशकों से निवेश इकट्ठा करती है तथा विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई), निजी इक्विटी (पीई) या विदेशी उद्यम पूंजी निवेश (एफवीसीआई) मार्ग से भारत में निवेश करती है। इस प्रकार की निधियों में शामिल है। भारत में केन्द्रित वे आफशोर निधियां जिनका निवेश केवल भारत में ही होता हैं और भारत में आंशिक निवेश आबंटन करने वाली क्षेत्रीय/वैश्विक विविधीकृत निधियां (तालिका ग)। चूंकि, आगामी वर्षों में भारत में विदेशी निवेश में वृद्धि जारी रहेगी, इसलिए भारत में आफशोर निधियों के निधि प्रबंधन क्रियाकलाप की ऑन-शोरिंग अर्थव्यवस्था के लिए नीचे दिए अनुसार लाभदायक होगी-

- भारत के परिसंपत्ति प्रबंधन उद्योग जिसमें अभी हाल ही वर्षों में काफी अधिक महत्वपूर्ण हुई है के निरंतर विस्तार में योगदान देना (तालिका ग)। दि एस्सेट मैनेजर्स राउंडटेबल ऑफ इंडिया (एमएमआरआई) के अनुमान के अनुसार वर्ष 2020 तक एफपीआई, पीई एवं एफवीसीआई निधियों के कुल प्रबंधन अधीन परिसम्पत्तियों (एयूएम) की लगभग

25 प्रतिशत निधि प्रबंधन क्रियाकलापों के और आगामी वर्षों में इनके एयूएम के वृहत्तर भाग के ऑनशोर होने की संभावना है। यह मानते हुए कि वर्ष 2020 तक एफपीआई की कुल एयूएम 542 बिलियन अमेरिकी डॉलर है और पीई/एफवीसीआई की कुल एयूएम 326 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, इसका तात्पर्य है कि एमआरआई अनुमानों के अनुसार एफपीआई निधि के लगभग 136 बिलियन अमेरिकी डॉलर तथा पीई/एफवीसीआई निधियों के 82 बिलियन अमेरिकी डॉलर अर्थात कुल परिसंपत्ति में 217 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वर्ष 2020 तक भारत में ऑनशोर होने की संभावना है।

- निधि प्रबंधकों एवं जैसे कि सहायक सेवा प्रदाताओं अभिरक्षकों, निधि विशेषज्ञों, निधि लेखाकारों, निधि प्रशासकों, जोखिम प्रबंधकों, शोध विश्लेषक पेशेवरों एवं कर सलाहकारों जैसे अति कुशल वित्त पेशेवरों के लिए रोजगार उत्पन्न करना। आफशोर निधियों के प्रबंधन के लिए निधि प्रबंधकों द्वारा प्राप्त प्रबंधन शुल्क वित्तीय सेवाओं के निर्यात का भाग होगा। 1 प्रतिशत प्रबंधन शुल्क (वैश्विक रूप से 2 प्रतिशत की तुलना में) के एक रूढ़िवादी अनुमान के आधार पर एएमआरआई का अनुमान है कि 2020 में आफशोर निधियों की परिसंपत्ति में 217 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऑनशोर प्रबंधन से निधि प्रबंधन शुल्क और परिणामस्वरूप वित्तीय सेवाओं के निर्यात मे 2.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की प्राप्ति होगी।

चित्र खः भारत का वित्तीय सेवाओं का निर्यात

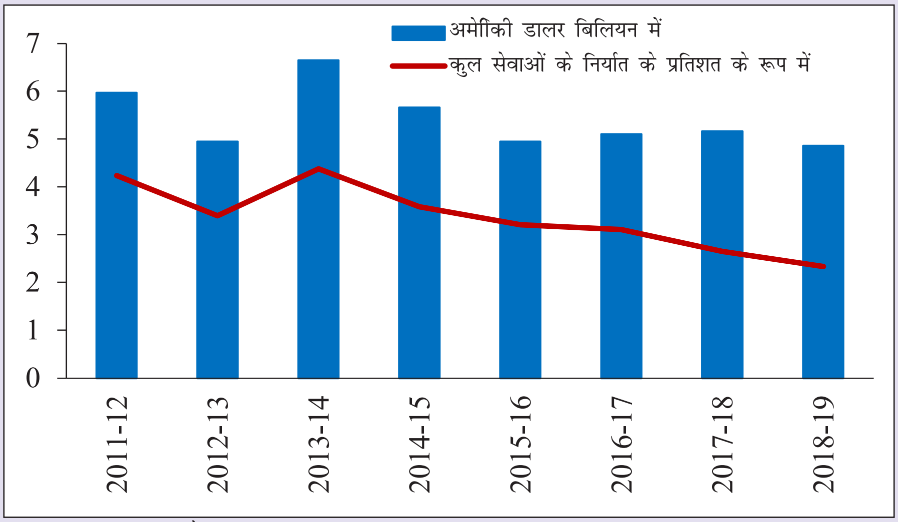

स्रोतः भारतीय रिजर्व बैंक

तालिका गः भारत के स्वदेशी निधि प्रबंधन उद्योग एवं ऑफशोर निधियों का आकार

स्वदेशी निधियां (अमेरिकी डॉलर बिलियन)	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों का एयूएम	129	137	173	186	271	328	344
पोर्टफोलियो प्रबंधक* द्वारा प्रबंधित परिसंपत्तियां	12	14	19	21	29	38	41
वैकल्पिक निवेश निधियों का एयूएम	0.3	2	4	6	13	25	41

एफ डी आई निधियां** (यूएस बिलियन)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
एफपीआई का एएमयू	243	237	356	351	346	514	451
भारत केंद्रित एफपीआई अपतटीय निधियों का एयूएम***	21	17	23	24	22	31	N.A.

स्रोतः असेट मैनेजर्स राउण्डटेबल ऑफ इण्ड़िया (AMRI) के आकलनः गणनाएँ वेबी, एन एल डी एल, मॉर्निस्टार, वी सी सी एज, व वेन्चर इण्टेलीजेन्स के आंकड़ों पर आधारित

##: नोटः इसमें गैर-ई पी एफ ओ/पी एफ विवेकाधीन परिसाचत्तियाँ व गैर-विवेकाधीन परिसाचान्तियाँ शामिल हैं।

** आँकड़े कैलेण्डर वर्ष के आधार पर है; *** यदि भारत में आंशिक निवेश आवण्टन वाले क्षेत्रीय/विदेशी विविधकृत एफ पी आई ऑफशोर फएडों के ए एम यू को शामिल किया जाए तो आकलन उच्चतर होंगे; NA अनुपलब्ध

वर्तमान में अपतटीय निधियों की निधि प्रबंधन गतिविधियां ऐसे निधि प्रबंधकों द्वारा की जाती हैं, जो प्रायः भारत मूल के होते हैं तथा ये अपतटीय क्षेत्राधिकार में रहते हैं क्योंकि उनके भारत में रहने से अपतटीय निधि लाभ के लिए कर दायित्व बन जाता है। अप्रैल 2016 में, सरकार ने आयकर अधिनियम, (1961) की धारा 9ए, के रूप में 'सुरक्षित बंदरगाह' प्रावधान लागू किया था जिसके तहत कुछ पात्रता शर्तों को पूरा करने पर, अपतटीय निधि को केवल इस निधि के प्रबंधक के भारत में स्थित होने के आधार पर कर उद्देश्यों के लिए 'निवासी' नहीं माना जाएगा। तथापि अधिकांश अपतटीय निधि या 'सुरक्षित बंदरगाह' प्रावधानों का उपयोग नहीं कर पाई हैं क्योंकि इन्हें निधि की संरचना, निवेशकों के संयोजन, निवेश गतिविधि और निधि प्रबंधक की गतिविधि और पारिश्रमिक से संबंधित कुल 17 सख्त पात्रता शर्तों को पूरा करना होता है। इनमें से कुछ शर्तें अपतटीय निधियों तथा भारत में पीएफआई के अन्तर्वाहों की प्रकृति के साथ मेल नहीं खाती हैं और इससे अपतटीय निवेशकों को दोहरे अनुपालनात्मक भार को वहन करना होता है क्योंकि उन्हें पीएफआई और राउंड ट्रीपिंग में अंत्य निवेशकों से संबंधित आरबीआई और एसईबीआई के विनियमों का भी अनुपालन करना होता है।

इसकी तुलना में प्रमुख निधि प्रबंधन क्षेत्राधिकारों जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर और हांग कांग में बहुत से मामलों में अपतटीय निधियों के लिए सुरक्षित बंदरगाह के प्रावधान में पात्रता की शर्तें कम और सरल हैं, साथ ही कर प्राधिकारियों के पास अपतटीय निधि की संरचना और निवेश के पैटर्न का मूल्यांकन करने और अलग-अलग मामले के आधार पर अपवादों के लिए अनुमति देने का विशेषाधिकार उपलब्ध हैं।

उपरोक्त चुनौतियों के मद्देनजर, वाणिज्य मंत्रालय की उच्च-स्तरीय सलाहकार समूह (एचएलएजी)की रिपोर्ट (सितंबर 2019) ने अपनी निधि प्रबंधन गतिविधियों को तट पर (ऑन शोर) करने की इच्छुक अपतटीय निधियों हेतु कर ढ़ाचें को सरल बनाने व कर निवासन जोखिम को हटाने की सिफारिश की अपतटीय निधि और निधि प्रबंधक एसईबीआई से पंजीकृत होते हैं और एसईबीआई नियमों के अनुरूप होते हैं। आयकर अधिनियम (1961) के अनुच्छेद 9ए की सुरक्षित बन्दरगाह प्रणाली को क्रियान्वित करने से भारत केन्द्रित अपतटीय निधियां तथा संभवतः भारत में आंशिक आवंटन वानली वैश्विक अपतटीय निधियों की निधि प्रबंधन गतिविधियों की ऑनशोरिंग संभव हो पाएगी। इससे एफपीआई की निधि प्रबंधन गतिविधि का भारत में अधिक प्रत्यायोजन संभव हो पाएगा, क्योंकि आने वाले वर्षों में एफपीआई अन्तर्वाहों के जारी रहने की संभावना है।

मुख्य सेवाएं: उप क्षेत्रवार निष्पादन और अभिनव नीतियां

9.12 सेवा क्षेत्र के अधिकांश उप क्षेत्रों में 2019-20 वृद्धि में गिरावट देखी गयी है (तालिका 6)। 2019-20 में पर्यटन क्षेत्र की वृद्धि में विदेशी पर्यटकों के आगमन और इसके परिणामस्वरूप पर्यटन से विदेशी विनमय की आमदनी में वृद्धि कमजोर रहने के कारण मंदी देखी गई। पत्तन क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2019-20 के दौरान पत्तन यातायात में कम वृद्धि हुई। 2019-20 में वायरलैस फोन सदस्यता और वायरलैस इंटरनैट सदस्यता में बढ़ोत्तरी हुई। इस खंड में सेवा क्षेत्र के कुछ प्रमुख उप क्षेत्रों के घटनाक्रम के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है।

तालिका 6: भारत के प्रमुख सेवा उप-क्षेत्रों का निष्पादन

उप क्षेत्र	संकेतक	एकाई	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
आईटी बीपीएम*	आईटी बीपीएम राजस्व सेवा	बिलियन अमेरिकी डॉलर	118.6	129.4	139.9	151.4	161.8 (E)	-
	निर्यात	बिलियन अमेरिकी डॉलर	97.7	107.8	116.1	125.1	135.5 (E)	-
	घरेलू	बिलियन अमेरिकी डॉलर	20.9	21.6	23.8	26.3	26.3 (E)	-
विमानन**	एअर लाइन यात्री:	मिलियन	115.8	135.0	158.4	183.9	204.2	-
	घरेलू	मिलियन	70.1	85.2	103.7	123.3	140.3	95.7#
	अंतर्राष्ट्रीय	मिलियन	45.7	49.8	54.7	60.6	63.9	15.6@
दूरसंचार	वायरलैस फोन सदस्य	मिलियन	969.9	1033.6	1170.2	1183.4	1161.8	1154.6$
	वायरलैस इंटरनेट सदस्य	मिलियन	283.3	322.2	400.6	472.7	615.0	665.4%
पर्यटन	विदेशी पर्यटक आगमन[b]	मिलियन	7.7	8.0	8.8	10.0	10.6	8.6##
	पर्यटकों से विदेशी विनमय आय[b]	बिलियन अमेरिकी डॉलर	19.7	21.0	22.9	27.3	28.6	24.0##
नौवहन	पत्तन यातायात	मिलियन टन	581.3	606.5	648.4	679.4	699.1	524.0^

स्रोत: पर्यटन मंत्रालय, भारतीय पत्तन संघ, जहाजरानी मंत्रालय, नागर विमानन महानिदेशालय, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, नैसकॉम।

नोट: * हार्डवेयर व ई-कॉमर्स को छोड़कर; ** भारतीय वाहकों द्वारा वाहित किए गए घरेलू यात्री तथा भारतीय व विदेशी वाहकों द्वारा वाहित किए गए अन्तर्राष्ट्रीय यात्री; [b]कैलेंण्डर वर्ष के आधार पर; # अप्रैल-नवम्बर 2019 की अवधि हेतु; @ अप्रैल-जून 2019 की अवधि हेतु; $ नवम्बर 2019 में; ## जनवरी-अक्टूबर 2019 की अवधि हेतु; % सितम्बर 2019 में; ^ अप्रैल-दिसम्बर 2019 की अवधि हेतु; E: आंकलन।

पर्यटन क्षेत्र

9.13 पर्यटन क्षेत्र, सकल घरेलू उत्पाद, विदेशी मुद्रा आय और रोजगार में योगदान करने वाला विकास का एक प्रमुख इंजन है। भारत में पर्यटन के क्षेत्र में वर्ष 2015 से 2017 तक विदेशी पर्यटक आगमन में उच्चवृद्धि के कारण पर्यटन क्षेत्र में मजबूत निष्पादन देखा गया। परन्तु विदेशी पर्यटकों के आगमन में तब से धीमापन आया है और इसमें वृद्धि वर्ष 2018 में 5.2 प्रतिशत और जनवरी-अक्तूबर 2019 में 2.7 प्रतिशत की वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) रह गई। (चित्र 3 (क))। परन्तु यह रुझान केवल भारत में ही नहीं हैं बल्कि पूरे विश्व में भी अंतरर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन की वृद्धि दर वर्ष 2017 में 7.1 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2018 में 5.4 प्रतिशत कम हो गई है (तालिका 7)।

9.14 तदनुसार मजबूत वृद्धि पर्यटन क्षेत्र से विदेशी मुद्रा आय में वृद्धि में 2017 तक मजबूती के बाद 2018 व 2019 में गिरावट देखी गयी है (चित्र 3 (ख))। जनवरी-अक्तूबर 2019 में कुल विदेशी मुद्रा आय 2 प्रतिशत वर्ष दर वर्ष वृद्धि के साथ 24 बिलियन यू एस डॉलर थी।

तालिका 7: भारत एवं विश्व में विदेशी एवं अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आगमन और पर्यटन से आय

सूचक	2014	2015	2016	2017	2018
भारत में विदेशी पर्यटक आगमन (एफटीए) (मिलियन)*	7.68	8.03	8.80	10.04	10.56
भारत में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन (एचए) (मिलियन)**	13.11	13.76	15.03	16.81	17.42
विश्व में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन (मिलियन)	1137	1195	1241	1329	1401
विश्व के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक अगमन में भारत का हिस्सा	1.15	1.15	1.21	1.26	1.24
विश्व के अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन में भारत का स्थान	24th	24th	26th	26th	22nd
एशिया प्रशांत के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन में भारत का हिस्सा (प्रतिशत)	4.86	4.84	4.90	5.19	5.01
एशिया प्रशांत के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन में भारत का स्थान	8th	7th	8th	7th	7th
विश्व पर्यटन आय में भारत का हिस्सा (प्रतिशत)	1.57	1.73	1.84	2.03	1.97#
विश्व पर्यटन आय में भारत का स्थान	15th	14th	13th	13th	13th#
एशिया प्रशांत की पर्यटन आय में भारत का हिस्सा (प्रतिशत)	5.49	5.91	6.18	6.90	6.54#
एशिया प्रशांत की पर्यटन आय में भारत का स्थान	7th	7th	7th	7th	7th#

स्रोत: पर्यटन मंत्रालय

टिप्पणी: * विदेशी पासपोर्ट पर देश में आने वाले पर्यटकों के संबंध में आप्रवास ब्यूरों से प्राप्त आँकड़ों पर आधारित;
** विदेशी पासपोर्ट पर देश में आने वाले पर्यटक एवं देश में आने वाले अनिवासी नागरिक; #अनंतिम। अंतराष्ट्रीय पर्यटक आगमन, देश में विदेशी पर्यटक आगमन एवं अनिवासी भारतीय आगमन का योगफल है।

चित्र 3 (क) भारत में विदेशी पर्यटक आगमन में वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष)

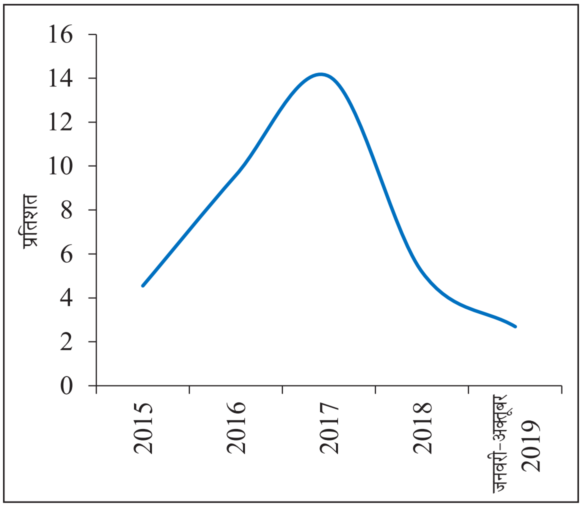

चित्र 3 (ख) पर्यटन से विदेशी मुद्रा आय में वृद्धि (वर्ष दर वर्ष)

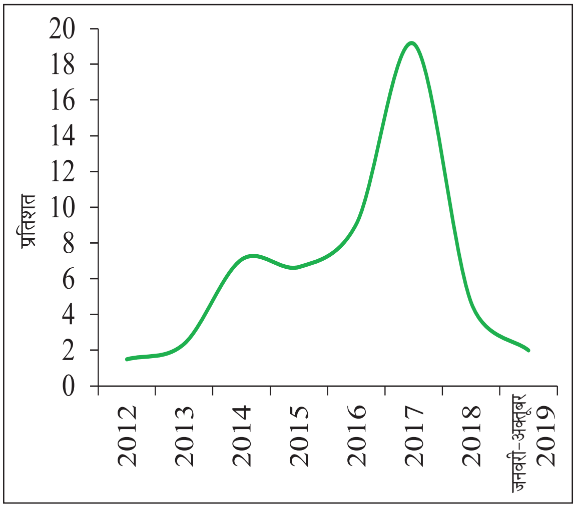

स्रोत: पर्यटन मंत्रालय

टिप्पणी: 2019 के लिए आंकड़े अनंतिम है।

9.15 अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन के संदर्भ में भारत का स्थान वर्ष 2017 में 26वें से सुधर कर वर्ष 2018 में 22वें पर आ गया। भारत का हिस्सा अब विश्व के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन में 1.24 प्रतिशत और एशिया एवं प्रशांत के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन में 5 प्रतिशत है (तालिका 7)। पर्यटन से विदेशी मुद्रा आय के संदर्भ में भारत का स्थान विश्व में 13वां और एशिया व पैसिफिक में 7वां है तथा विदश्व की पर्णटन से में हिस्सेदारी विदेशी मुद्रा आय का लगभग 2 प्रतिशत है।

9.16 भारत आने वाले शीर्ष 10 देशों-बंगलादेश, संयुक्त राज्य अमेरिका, यू के, श्रीलंका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, चीन, जर्मनी और रूस से आने वाले विदेशी पर्यटकों का भारत के कुल विदेशी पर्यटक आगमन

में अंश 2018 में 65 प्रतिशत था। आने वाले विदेशी पर्यटकों में 62.4 प्रतिशत छुट्टी व्यतीत करने और मनोरंजन के लिए 16.3 प्रतिशत पर्यटक व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए आए और 13.5 प्रतिशत भारतीय प्रवासी समुदाय से थे।

9.17 राज्य स्तर पर पर्यटन रूझान को देखें तो स्वदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाले शीर्ष 5 राज्य तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र है जिनका हिस्सा वर्ष 2018 में देश में कुल स्वदेशी पर्यटन का लगभग 65 प्रतिशत है। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाले शीर्ष 5 राज्य तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश दिल्ली और राजस्थान हैं जिनका हिस्सा वर्ष 2018 में कुल विदेशी पर्यटन में लगभग 67 प्रतिशत है।

9.18 अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत ने 46 राष्ट्रों के लिए सितम्बर 2014 में ई-पर्यटक वीजा प्रणाली प्रारंभ की। इस स्कीम को प्रारंभ करने से पहले केवल 12 देशों के लिए ही ई वीजा सुविधा उपलब्ध थी। सरकार ने वर्ष 2016 में वीजा प्रणाली को और भी उदार कर दिया है तथा इसका नाम बदल कर ई-वीजा स्कीम रख दिया है जिसके अंर्तगत 5 उपश्रेणियां ''ई पर्यटक वीजा'' ''ई-विजनेस वीजा'' ''ई-चिकित्सा वीजा'', ''ई-कान्फ्रेंस वीजा'' और ''ई.-चिकित्सकीय परिचारक वीजा'' हैं। अब यह ई-वीजा स्कीम 28 निर्दिष्ट विमान पत्तनों और 5 निदिष्ट बंदरगाहों के माध्यम से वैध प्रवेश सुविधा के साथ 169 देशों के लिए उपलब्ध है। इसके साथ ई-वीजा से भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या वर्ष 2015 में 4.45 लाख से बढ़कर वर्ष 2018 में 23.69 लाख हो गई। जनवरी-अक्तूबर 2019 में यह पिछले वर्ष से वर्ष-दर-वर्ष लगभग 21 प्रतिशत वृद्धि दर्ज करके 21.75 लाख रही।

बॉक्स 3: राज्यों के सकल संवर्द्धन मूल्य और रोजगार में पर्यटन का हिस्सा

राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) के साथ पर्यटन मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा संस्तुत कार्यप्रणाली को अपनाते हुए पर्यटन उपग्रह लेखा (टीएसए) तैयार किया है। राज्य सकल मूल्य वर्धन में पर्यटन से प्रत्यक्ष सकल मूल्य वर्धन (टीडीजीवीए) का राज्य-वार हिस्सा तथा कुल राज्य रोजगार में पर्यटन रोजगार का हिस्सा पर्यटन मंत्रालय और एनसीईएआर की ड्राफ्ट रिपोर्ट (तालिका क) में अनुमानित किया गया है।

तालिका क: राज्य सकल मूल्य वर्धन और रोजगार में पर्यटन का अंश

राज्य	वर्ष 2015-16 में राज्य सकल मूल्य वर्धन में टीडीजीवीए का हिस्सा		वर्ष 2015-16 में राज्य रोजगार में पर्यटन रोजगार का हिस्सा	
	प्रत्यक्ष (प्रतिशत)	प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष (प्रतिशत)	प्रत्यक्ष (प्रतिशत)	प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष (प्रतिशत)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4.63	10.39	11.09	24.07
आंध्र प्रदेश	2.29	4.66	5.41	12.84
अरूणाचल प्रदेश	1.21	2.39	2.20	4.76
असम	2.19	4.32	4.41	8.75
बिहार	2.96	5.99	4.17	10.50
चंडीगढ़	3.87	9.17	6.70	12.37
छत्तीसगढ़	2.13	4.44	2.41	7.65

दादरा व नागर हवेली	0.79	1.79	7.01	23.81
दमन और दीव	0.75	1.36	11.71	29.35
दिल्ली	4.32	7.78	12.40	21.05
गोवा	5.50	11.55	19.38	40.92
गुजरात	1.78	3.96	5.85	15.39
हरियाणा	1.95	3.88	5.98	10.15
हिमाचल प्रदेश	3.20	6.89	10.23	20.23
जम्मू व कश्मीर	3.68	7.48	6.74	16.45
झारखण्ड	2.10	4.18	3.89	9.12
कर्नाटक	2.63	5.74	5.46	17.74
केरल	4.34	8.72	11.20	25.87
लक्षद्वीप	4.30	9.02	21.95	49.71
मध्य प्रदेश	2.39	4.90	3.34	8.45
महाराष्ट्र	3.08	5.52	5.66	12.46
मणिपुर	2.38	5.50	6.25	12.05
मेघालय	2.39	5.22	2.87	10.44
मिजोरम	1.25	2.55	4.57	10.96
नागालैंड	1.87	3.55	3.58	8.34
ओडिशा	2.43	5.00	5.27	12.11
पुदुच्चेरी	1.73	4.08	14.25	56.24
पंजाब	1.90	3.75	6.69	12.33
राजस्थान	2.73	5.63	5.18	11.26
सिक्किम	2.12	4.40	6.84	13.07
तमिलनाडु	2.59	5.37	6.36	15.97
तेलंगाना	2.29	5.07	5.13	17.83
त्रिपुरा	1.53	2.99	3.05	5.05
उत्तर प्रदेश	2.24	4.63	4.46	11.39
उत्तराखण्ड	2.29	5.27	7.99	21.18
पश्चिम बंगाल	2.09	4.30	6.41	14.34

स्रोत: पर्यटन मंत्रालय, एनसीईआर

सूचना प्रौद्योगिकी और व्यावसायिक प्रक्रिया प्रबंधन (आई-टी-वीपीएम)

9.19 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी-व्यावसायिक प्रक्रिया प्रबंधन उद्योग विगत दो दशकों से भारत के निर्यात का ध्वजवाहक रहा है और मार्च 2019 में इस उद्योग का आकार 177 बिलियन अमेरिकी डालर पहुंच गया। यह क्षेत्र रोजगार वृद्धि और मूल्य वर्धन के माध्यम से अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण रूप से योगदान करता है। वर्ष 2018-19 में आईटी-बीपीएमक्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं का अंश 51 प्रतिशत था। इसके बाद सॉफ्टवेयर व अभियांगिकी (20.6 प्रतिशत अंश) और बीपीएम सेवाएं (19.7 प्रतिशत) (चित्र 4) थे। आईटी-बीपीएम क्षेत्र के अंतर्गत 91 बिलियन अमेरिकी डॉलर के राजस्व के साथ आईटी सेवाएं 2018-19 में प्रमुख खण्ड बना रहा। आई टी सेवाओं में से, डिजिटल राजस्व वर्ष-दर-वर्ष 30 प्रतिशत से अधिक वृद्धि के साथ बढ़कर 33 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया।

चित्र 4: वर्ष 2018-19 में आईटी - बीपीएस क्षेत्र का उप-क्षेत्र वार विभाजन

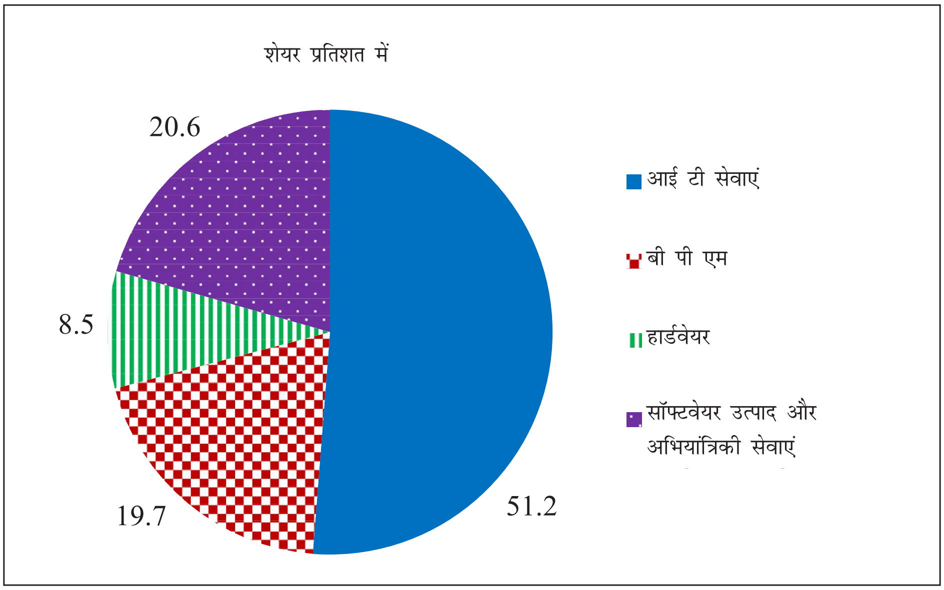

स्रोत: नैसकोम

9.20 आई टी-बी पी एम उद्योग (हार्डवेयर को छोड़कर) के एक महत्वपूर्ण भाग (लगभग 83 प्रतिशत) निर्यात-प्रचालित है। इस निर्यात से 2018-19 में 135 बिलियन यू.एस डॉलर से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है (तालिका 8)। 2018-19 के दौरान आई टी-बी पी एम क्षेत्र (हार्डवेयर को छोड़कर) की राजस्व वृद्धि 6.8 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) थी जो कि 2017-18 के 8.2 प्रतिशत के कुछ कम थी। इसके कारण घरेलू राजस्व वृद्धि में 0.3 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) को संकुचन था हालांकि निर्यात राजस्व की (वर्ष-दर-वर्ष) वृद्धि बढ़कर 8.3 प्रतिशत हो गई थी।

9.21 2018-19 में आई टी-बी पी एम क्षेत्र के कुल निर्यात 135.5 बिलियन यू. एस. डॉलर में आई टी सेवाओं का हिस्सा 55 प्रतिशत था और बीपीएम और सॉफ्टवेयर उत्पादों तथा अभियांत्रिकी सेवाओं का हिस्सा 45 प्रतिशत था। जिससे दोनों का व्यकितगत हिस्सा लगभग आधा था (चित्र 5)। सभी तीन उप क्षेत्रों में 2018-19 में निर्यात राजस्व बढ़ा है। आई टी सेवाओं में 7.3 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) बीपीएम सेवाओं में 8.3 प्रतिशत तथा सॉफ्टवेयर उत्पादों एवं अभियांत्रिकी सेवाओं में 11.2 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

तालिका 8: भारतीय आई टी - बीपीएम उद्योग के घरेलू बाजार का आकार एवं निर्यात (हार्डवेयर और ई-कॉमर्स को छोड़कर)

वर्ष	यू एस डॉलर बिलियन में			वृद्धि वर्षानुसार		
	घरेलू	निर्यात	कुल	घरेलू	निर्यात	कुल
2014-15	20.9	97.7	118.6			
2015-16	21.6	107.8	129.4	3.2	10.3	9.1
2016-17	23.8	116.1	139.9	10.4	7.6	8.1
2017-18	26.3	125.1	151.4	10.4	7.8	8.2
2018-19E	26.3	135.5	161.8	-0.3	8.3	6.8

स्रोत: नैसकोम (एन ए एस एस सी ओ एम)
टिप्पणी: E: अनुमान

चित्र 5: आईटीबीपीएम निर्यात का उप-क्षेत्र वार विभाजन (यू एस डॉलर बिलियन में) (हार्डवेयर और ई-कॉमर्स को छोड़कर)

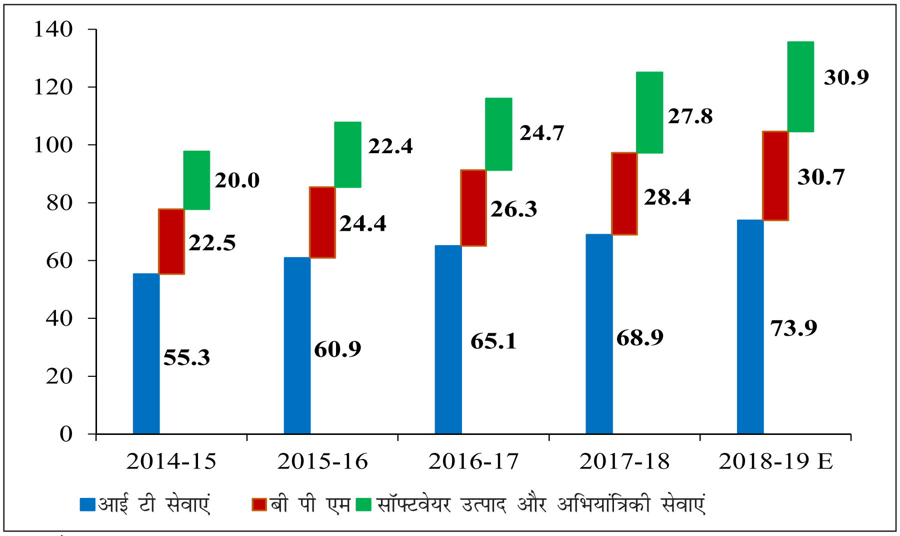

स्रोत: नैसकोम (एन ए एस एस सी ओ एम)
टिप्पणी: E: अनुमान

9.22 गन्तव्यवार निर्यात राजस्व को देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका का अंश निर्यात में काफी अधिक है। 2018-19 में यहां निर्यात 84 बिलियन अमेरिकी डॉलर था जो कि कुल आई टी-बी पी एम निर्यात का (हार्डवेयर को छोड़कर) 62 प्रतिशत है (चित्र 6)। यह यू. के. जो कि 17 प्रतिशत हिस्सदारी के साथ आई टी-बी पी एम सेवा का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है के अंश से काफी अधिक है। यूरोप (यू. के. को छोड़कर) और एशिया प्रशांत का निर्यात से प्राप्त आय में अंश क्रमशः 11.4 प्रतिशत एवं 7.6 प्रतिशत है।

9.23 पिछले 2-3 वर्षों के दौरान आई टी-बी पी एम क्षेत्र में नवाचार और प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए कई नीतिगत कदम उठाए गये हैं, जिसमें स्टार्ट अप इंडिया, राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद नीति और ऐंजेल कर से सम्बन्धित मुद्दों को हटाना शामिल हैं। भारतीय स्टार्ट-अप तंत्र प्रगति करता रहा है, और अब 24 यूनिकॉर्न के साथ दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा बन गया है, हालांकि इसका सबसे बड़े बाजार (चीन: 206) और दूसरे सबसे बड़े बाजार (यू एस ए: 203) से अन्तर काफी अधिक है। बैंगलूर, दिल्ली-एन सी आर ओर मुम्बई का अंश भारत में हो रहे कुल स्टार्ट अप का लगभग 55 प्रतिशत हैं (स्रोत: नैसकोम का अध्ययन स्टडी)।

चित्र 6: भारत के आई टी-बी पी एम निर्यात का भौगोलिक विभाजन (यू एस डॉलर बिलियन में) (हार्डवेयर और ई-कॉमर्स को छोड़कर)

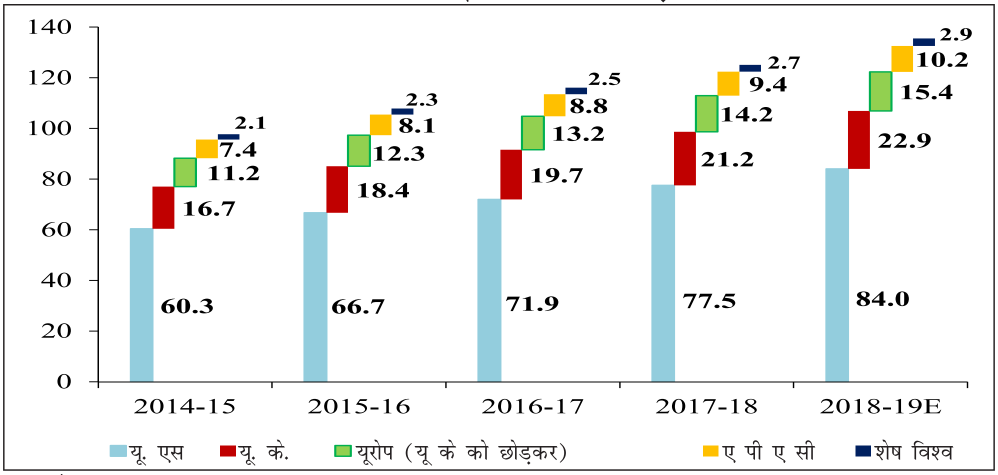

स्रोत: नैसकोम (एन ए एस एस सी ओ एम) टिप्पणी: E: अनुमान।

बंदरगाह और नौपरिवहन सेवाएं

9.24 जनवरी 2019 तक दुनिया के बेड़े में भारत की 0.9 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। भारत के पास 13 मुख्य बंदरगाह और लगभग 200 गैर प्रमुख बंदरगाह हैं। भारतीय पत्तनों की कुल कार्गो (मालवाहन) क्षमता मार्च, 2019 के अंत में 1,452.64 मिलियन टन प्रति वर्ष (एम टी पी ए) रही जो कि मार्च 2010 के अंत की 628.03 एम टी पी ए की दोगुनी से भी अधिक थी। पारादीप, चेन्नई, विशाखपत्तनम, दीनदयाल (कण्डला) और जे एन जी टी जैसे पत्तनों के पास मार्च 2019 में उच्चतम कार्गो क्षमता थीं। भारत कम्पनियों के स्वामित्व वाले जहाजों की कुल संख्या 2010 में 1,040 थी जो कि अगस्त 2019 में बढ़कर 1,414 हो गई।

9.25 2013-14 और 2016-17 के बीच कुल बंदरगाह यातायात में वृद्धि देखी गई लेकिन इसमें 2017-18 से गिरावट हो रही है (चित्र 7)। अप्रैल-दिसम्बर 2019 में प्रमुख बंदरगाहों पर हुए यातायात में साल दर साल करीबन 1 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

9.26 जहाजों पर से माल उतारने और लादने की क्रिया से संबंधित समय (जहाज वापसी का समय), जो कि नौपरिवहन क्षेत्र की कुशलता का एक मुख्य संकेतक है, उसमें लगातार गिरावट हुई है, जो कि 2010-11 और 2018-19 के बीच आधा होकर 2.48 दिन रह गया है। जहाजों के टर्नअराउंड टाइम में सभी प्रमुख बंदरगाहों में कमी आई है और अब कोचीन, न्यू मंगलोर, वी. ओ. चिदम्बरनार और चेन्नई बंदरगाहों में सबसे कम तथा कोलकाता बंदरगाह में सबसे अधिक है (तालिका 9)। अंकटाड (संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, जहाज़ के लिए विश्व के स्तर पर माध्यिका (मीडियन) टर्न अराउंड समय 0.97 दिन हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि

चित्र 7 बंदरगाह यातायात में वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष)

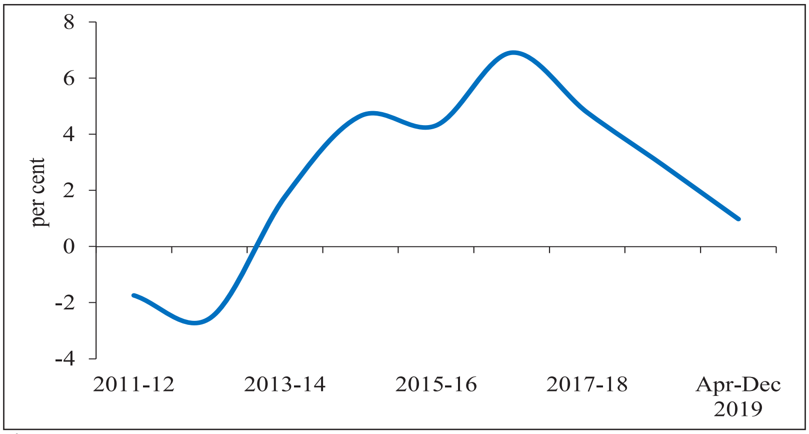

स्रोत: भारतीय बंदरगाह संघ

तालिका 9: भारतीय बंदरगाहों में जहाज़ का औसतन जहाज वापसी का समय (दिनों में)

बंदरगाह का नाम	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
कोलकाता	5.37	4.95	4.49	4.22	4.18	3.98	4.73	4.11	3.84
हल्दिया	4.53	3.66	3.99	3.80	3.37	3.27	3.45	3.76	3.04
पारादीप	7.73	6.33	4.39	4.62	7.01	4.50	4.99	3.31	2.51
विशाखापत्तनम	5.84	5.68	5.39	4.73	5.67	3.84	3.75	2.58	2.51
कमरजार (एन्नोर)	2.78	2.17	2.95	4.24	4.32	6.53	2.70	2.20	1.97
चेन्नई	4.36	3.91	3.24	2.46	2.54	2.53	2.51	2.21	1.98
वी.ओ. चिदम्बरनार	4.11	4.89	4.31	3.92	3.55	3.73	4.40	2.69	1.96
कोचीन	2.20	1.82	1.58	1.76	1.69	2.18	1.99	1.54	1.47
न्यू मंगलोर	2.71	2.95	3.29	3.18	2.46	2.63	2.35	2.04	1.93
मोमुगाव	6.15	4.80	3.93	4.34	4.15	3.65	4.51	2.63	2.63
मुम्बई	4.96	5.22	5.58	5.31	5.28	4.61	3.27	3.72	2.52
जे.एन.पी.टी. (कांड्ला)	2.67	2.46	2.54	2.44	2.24	2.44	2.01	2.24	2.13
दीनदयाल	5.90	6.42	6.40	5.66	5.38	4.66	4.40	2.52	3.01
सभी बंदरगाहे	**4.67**	**4.47**	**4.24**	**3.90**	**4.00**	**3.64**	**3.43**	**2.68**	**2.48**

स्रोत: भारतीय बंदरगाह संघ

भारत में बंदरगाहों की दक्षता में और सुधार करने की गुंजाइश है।

अंतरिक्ष क्षेत्र

9.27 भारत के अन्तरिक्ष कार्यक्रम में पाँच दशक पहले धीमी शुरूआत के बाद से चरधातांकीय रूप से वृद्धि हुई हैं। 1960 के दशक में जहाँ यह सरल मानचित्रण सेवाएँ प्रदान करता था, वर्तमान में इसके कई और उपयोग हैं। इसमें कई प्रक्षेपण यान और संबंधित प्रौद्योगिकी की बनावट और विकास, पृथ्वी के अवलोकन के लिए उपग्रह और संबंधित प्रौद्योगिकी, दूरसंचार और ब्रॉडबैंड, पथ प्रदर्शन (नेविगेशन), मौसम विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान में आर एंड डी (शोध एवं विकास) और अभी हाल ही में ग्रहों की खोज शामिल हैं।

9.28 भारत ने 2018 में अंतरिक्ष कार्यक्रम पर लगभग 1.5 बिलियन अमेरिकी डालर खर्च किए है। तथापि, भारत सरकार का अंतरिक्ष खर्च अभी भी अंतरिक्ष क्षेत्र के प्रमुख खिलाड़ियों जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, से पीछे है, जिसने 2018 में अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की अपेक्षा लगभग 13 गुना अधिक खर्च किया था (तालिका 10)। चीन, जो हाल ही के वर्षों में अंतरिक्ष

तालिका 10: 2018 में अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए सरकार का बजट

देश	खर्च (बिलियन अमेरिकी डालर)
यू.एस.ए. (नासा)	19.5
चीन (सी.एन.एस.ए.)	11.0
रूस (रोस्कोमोस)	3.3
भारत (इसरो)	**1.5**

स्रोत: इसरो (जिसने स्टटिस्टा से लिया है)।

क्षेत्र का एक प्रमुख खिलाड़ी बन चुका है, ने भी 2018 में भारत की अपेक्षा लगभग सात गुना अधिक खर्च किया था।

9.29 2017 की एक असफलता को छोड़कर, भारत ने बिना असफल हुए हाल ही के वर्षों में प्रतिवर्ष लगभग 5-7 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है। दूसरी तरफ, रूस,यू.एस.ए. और चीन का वर्ष 2018 में क्रमश: 20, 31 और 39 उपग्रहों के साथ उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं में प्रमुख स्थान बना हुआ है (तालिका 11)।

9.30 अंतरिक्ष कार्यक्रम में शामिल प्रमुख क्षेत्रों में प्रथम क्षेत्र उपग्रह संचार है। इनसैट/जीसैट तंत्र दूरसंचार प्रसारण व उपग्रह आधारित ब्रॉडबैंड अवसंरचना की रीढ़ है। दूसरा प्रमुख क्षेत्र पृथ्वी प्रेक्षण तथा अन्तरिक्ष आधारित सूचनाओं की सहायता से प्रशासन हैं। मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन, और राष्ट्रीय संसाधनों की मैपिंग तथा इसका तीसरा प्रमुख क्षेत्र उपग्रह की सहायता से पथप्रदर्शन (नेविगेशन) हैं जिसमें गगन व नैव आईसी शामिल है। इसरो और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए ए आई) की संयुक्त परियोजना गगन ने नागर विमानन के संबंध में सटीकता और समग्रता में सुधार तथा भारतीय वायुसीमा में बेहतर वायु यातायात प्रबंधन हेतु इस क्षेत्र में जीपीएस कवरेज को संवर्धित किया है। नैव आईसी, जो कि एक क्षेत्रीय पथ प्रदर्शन प्रणाली है,

तालिका 11: देश के द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या

देश	2013	2014	2015	2016	2017	2018
यू एस ए	19(0)	23(1)	20(2)	22(0)	29(0)	31(0)
रूप	34(2)	37(3)	29(3)	19(1)	20(1)	20(1)
चीन	15(1)	16(0)	19(0)	22(2)	18(2)	39(1)
यूरोपी अंतरिक्ष एजेंसी	6(0)	7(0)	9(0)	9(0)	9(0)	8(1)
भारत	**3(0)**	**4(0)**	**5(0)**	**7(0)**	**5(1)**	**7(0)**
जापान	3(0)	4(0)	4(0)	4(0)	7(1)	6(0)
अन्य	1(0)	1(0)	3(0)	2(0)	2(1)	3(0)
कुल	**81(3)**	**92(4)**	**86(5)**	**85(3)**	**90(6)**	**114(3)**

स्रोत: इसरो
नोट: कोष्ठक में दी गई संख्या उपग्रह प्रक्षेपण में असफलताओं को दर्शाती है।

की भी स्थापना स्थिति, पथ-प्रदर्शन व समय (पीएनटी) सेवाएं प्रदान करने हेतु की गई है।

9.31 वैश्विक रूप मे, हालिया वर्षों में अंतरिक्ष कार्यकलाप खिलाड़ियों एवं अनुप्रयोगों के संबंध में जबरदस्त परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजर रहा है। इसको विशेषता अंतरिक्ष कार्यकलाप के अनुबंध में बदलाव अन्तरिक्ष रही जिसमें अन्वेषण व राष्ट्रीय हित के कार्य करती हुई सरकारी एजेंसियों के स्थान पर आक्रामक रूप से व्यावसायिक हितों को पूरा करती हुई गैर सरकारी निजी क्षेत्र की एजेंसियां आ रही हैं। अधिकांश देशों द्व ारा राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों के लिए भी अंतरिक्ष प्रणाली का सक्रिय रूप से उपयोग किया जा रहा हैं। वर्ष 2018 में वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 360 बिलियन अमेरिकी डालर के बराबर थी, जिसमें अंतरिक्ष प्रणाली विनिर्माण तथा अंतरिक्ष आधारित सेवाएं शामिल हैं।

9.32 इसरो अंतरिक्ष संबंधी वस्तुओं और सेवाओं की प्रदायगी में भारतीय उद्योगों को शामिल करने की नीति का अनुसरण करता रहा है विशेषकर उपग्रहों व प्रक्षेपण यान मिशनों तथा अनुप्रयोग कार्यक्रमों की

बढ़ती संख्या के मद्देनजर है। इस दिशा में, अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने हेतु निम्नलिखित क्षेत्रों की पहचान की गई है: (i) ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी); (ii) सैटेलाइट इंटीग्रेशन एंड एसेंबली; (iii) सम्मिश्र पदार्थों का उत्पादन; (iv) ठोस, द्रव, प्रशीतनी (कायोजेनिक) तथा उप-प्रशीतनी (सेमी-कायोजेनिक) प्रणोदकों का उत्पादन; तथा (v) वैमानिकी और उपग्रह उप-प्रणालियों के लिए इलेक्ट्रानिक पैकेज का उत्पादन, परीक्षण एवं मूल्यांकन।

अध्याय एक दृष्टि में

- भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र की महत्ता लगातार बढ़ रही है तथा सकल संवर्द्धन मूल्य और सकल संवर्द्धन मूल्य वृद्धि में इसका हिस्सा 55 प्रतिशत हैं एवं भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह में दो-तिहाई और कुल निर्यात में 38 प्रतिशत है।
- सेवा क्षेत्र का योगदान अब 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 15 राज्यों में 50 प्रतिशत से अधिक है।
- सेवा क्षेत्र के सकल मूल्य संवर्द्धन की वृद्धि 2019-20 में कम हुई है।
- विभिन्न उच्च-आवृत्ति संकेतकों और क्षेत्रवार आंकड़ों जैसे वायु यात्री यातायात, रेल माल यातायात, बन्दरगाहों यातयात, बैंक ऋण तथा विदेशी पर्यटक आगमन 2019-20 के दौरान सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में वृद्धि कमी की और संकेत करते है।
- अप्रैल-सितम्बर 2019 में सेवा क्षेत्र में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह में मजबूत बेहतरी देखी गई है और सेवा क्षेत्र के निर्यात ने अपनी गति बनाई रखी है।
- हाल के वर्षो में सेवाओं के निर्यातों का निष्पादन वस्तुओं के निष्पादन से बेहतर रहा है, जिसके कारण विश्व के वाणिज्यिक सेवा निर्यातों में भारत का अंश पिछले दशक में लगातार बढ़ते हुए 2018 में 3.5 प्रतिशत पर पहुंच गया, जो कि वस्तुओं के निर्यातों में भारत के 1.7 प्रतिशत से दुगुना है।
- जहाज वापसी का समय 2010-2011 में 4.67 दिनों से लगभग आधा होकर 2018-19 में 2.48 दिन हो गया हैं। तथापि यह अभी भी वैश्विक मंझला के दुगने से अधिक है।
- भारत ने हाल के वर्षां में, लगभग 5-7 उपग्रह प्रतिवर्ष छोड़े हें, जिसमें 2017 में हुई एक असफलता को छोड़कर अन्य कोई असफलता नहीं रही है।

सामाजिक अवसंरचना, रोजगार और मानव विकास

10

अध्याय

चूंकि भारत में आबादी का एक बड़ा हिस्सा नौजवान लोगों का है, अत: शिक्षा, हेल्थ केयर, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता जैसे सामाजिक क्षेत्रों में भारत को जनसांख्यिकीय लाभ प्राप्त है, जो लोगों के जीवनर की गुणवत्ता के साथ-साथ अर्थव्यवस्था की उत्पादकता पर गहरा प्रभाव छोड़ती है। समाज के सभी वर्गों तक पहुंचने के लिए नीतियों/योजनाओं के डिजाइन में मूलभूत परिवर्तन, लोगों की भागीदारी, जागरूकता प्रौद्योगिकी उपयोग और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से पहुंच का विस्तार करना शामिल है। 2014-15 से 2019-20 की अवधि के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में सामाजिक सेवाओं पर कुल खर्च में 1.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। शिक्षा की पहुंच ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सभी स्तरों पर शिक्षा प्रणाली में भागीदारी को बेहतर बनाया है। महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए आईटीआई के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से आवश्यक कौशल प्रदान करने के प्रयासों को बढ़ाते हुए कौशल विकास को आगे बढ़ाया गया है। अर्थव्यवस्था में कुल औपचारिक रोजगार में वर्ष 2011-12 के 8 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2017-18 के 9.98 प्रतिशत की वृद्धि हुई। देश भर में आयुष्मान भारत और मिशन इन्द्रधनुष के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में सुधार हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 76.7 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में लगभग 96 प्रतिशत परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध थे। भारत के जल संकट ग्रस्त जिलों में जल-संरक्षण गतिविधियों को तेज करने के लिए जल शक्ति अभियान की शुरूआत की गई।

परिचय

10.1 समावेशी विकास और रोजगार के लिए सामाजिक बुनियादी ढ़ांचे में निवेश एक पूर्व-शर्त है। 2019-20 के अंतरिम बजट में सरकार ने अगले एक दशक के लिए एक विजन रखा है जिसमें अन्य बातों के साथ ही सामाजिक बुनियादी ढ़ांचे के निर्माण पर बल दिया गया है जिसमें, स्वस्थ समाज-आयुष्मान भारत, महिलाओं और बच्चों के उचित पोषण और नागरिकों की सुरक्षा पर जोर दिया गया है। हमें वर्ष 2022 तक सभी के लिए बिजली, स्वच्छ खाना पकाने की सुविधाा और आवास उपलब्ध कराने जैसी चुनौतियों का समाधान करने की जरूरत भी है। अपेक्षित कौशल प्रदान करना और रोजगार सृजन के लिए सहज वातावरण तैयार महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप से जल की आपूर्ति और हर गांव में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, महिलाओं के उद्यमशीलता को बढ़ावा, महिलाओं और बच्चों को पोषण और समग्र मानव विकास पर जोर दिया गया है। इस अध्याय में सामाजिक क्षेत्र की वर्तमान स्थिति, इनकी समस्यायें और इस क्षेत्र से सम्बन्धित जरूरी नीतियों की महत्वपूर्ण प्रगतियों को दर्शाया गया है।

सामाजिक क्षेत्र के व्यय में रुझान:

10.2 सामाजिक सेवा क्षेत्र पर खर्च में वृद्धि सरकार की सामाजिक कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। केंद्र और राज्यों द्वारा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अनुपात के रूप में सामाजिक सेवाओं (शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य) पर खर्च 2014-15 से

2019-20 (बजट प्राक्कलन बी ई) की अवधि के दौरान 1.5 प्रतिशत बढ़कर 6.2 से 7.7 प्रतिशत हो गया। इस अवधि के दौरान यह वृद्धि सभी क्षेत्रों में देखी गई। शिक्षा के क्षेत्र में यह वर्ष 2014-15 में हुए कुल खर्च 2.8% से बढ़कर 2019-20 में 3.1% हो गया और स्वास्थ्य के क्षेत्र में 1.2 से 1.6 प्रतिशत हो गया। कुल सामाजिक सेवाओं पर हुए व्यय का हिस्सा कुल बजटीय व्यय वर्ष 2014-15 में 23.4 प्रतिशत था जोकि वर्ष 2019-20 में का हिस्सा बढ़कर 26% हो गया (तालिका 1)।

तालिका 1: सरकार (संयुक्त केंद्र और राज्यों) द्वारा सामाजिक सेवा क्षेत्र के खर्च में रुझान

मद	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 RE	2019-20 BE
(रुपए में लाख करोड़)						
कुल बजटीय व्यय	32.85	37.61	42.66	45.16	55.17	60.72
सामाजिक सेवाओं पर व्यय	7.68	9.16	10.41	11.40	14.47	15.79
जिसमें से						
i) शिक्षा	3.54	3.92	4.35	4.83	5.81	6.43
ii) स्वास्थ्य	1.49	1.75	2.13	2.43	2.92	3.24
iii) अन्य	2.65	3.48	3.93	4.13	5.74	6.12
जीडीपी के प्रतिशत के रूप में						
सामाजिक सेवाओं पर व्यय	6.2	6.6	6.8	6.7	7.6	7.7
जिसमें से						
i) शिक्षा	2.8	2.8	2.8	2.8	3.1	3.1
ii) स्वास्थ्य	1.2	1.3	1.4	1.4	1.5	1.6
iii) अन्य	2.1	2.5	2.6	2.4	3.0	3.0
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में						
सामाजिक सेवाओं पर व्यय	23.4	24.3	24.4	25.2	26.2	26.0
जिसमें से						
i) शिक्षा	10.8	10.4	10.2	10.7	10.5	10.6
ii) स्वास्थ्य	4.5	4.7	5.0	5.4	5.3	5.3
iii) अन्य	8.1	9.3	9.2	9.1	10.4	10.1
सामाजिक सेवाओं के प्रतिशत के रूप में						
i) शिक्षा	46.1	42.8	41.8	42.4	40.1	40.7
ii) स्वास्थ्य	19.4	19.1	20.5	21.4	20.2	20.5
iii) अन्य	34.6	38.0	37.7	36.2	39.7	38.8

स्रोत: संघ और राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज, भारतीय रिज़र्व बैंक

टिप्पणी: 1. सामाजिक सेवाओं में शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति; चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण; जल आपूर्ति और स्वच्छता; आवास; शहरी विकास; एससी, एसटी और ओबीसी का कल्याण और श्रम एवं श्रम कल्याण; सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, पोषण, प्राकृतिक आपदाओं के मद में किए जाने वाले राहत आदि कार्य सम्मिलित हैं।

2. शिक्षा पर खर्च का अर्थ शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर खर्च से संबंधित है।

3. स्वास्थ्य पर खर्च में चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और जल आपूर्ति और स्वच्छता पर व्यय शामिल है।

4. मौजूदा बाजार कीमत पर जीडीपी का अनुपात 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए है। वर्ष 2019-20 की जीडीपी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा 07 जनवरी, 2020 को जारी प्रथम अग्रिम आकलन है।

तालिका 2: ग्लोबल एचडीआई 2018 में भारत की स्थिति

देश	एचडीआई 2018		एचड.ीआई रैंक 2017	प्रति व्यक्ति 2018 जी एन आई डॉलर +	जन्म पर जीवन प्रतिशत (वर्ष) 2018	स्कूलिंग के अपेक्षित वर्ष 2018*	स्कूलिंग के अपेक्षित वर्ष 2018*
	मूल्य	रैंक					
नार्वे	0.954	1	1	68059	82.3	18.1	12.6
यूनाईटेड किंगडम	0.920	15	14	39507	81.2	17.4	13.0
संयुक्त राज्य अमेरिका	0.920	15	13	56140	78.9	16.3	13.4
रशियन फेडेरेशन	0.824	49	49	25036	72.4	15.5	12.0
श्रीलंका	0.780	71	76	11611	76.8	14.0	11.1
ब्राज़ील	0.761	79	79	14068	75.7	15.4	7.8
चीन	0.758	85	86	16127	76.7	13.9	7.9
इंडोनेशिया	0.707	111	116	11256	71.5	12.9	8.0
दक्षिण अफ्रीका	0.705	113	113	11756	63.9	13.7	10.2
भारत	**0.647**	**129**	**130**	**6829**	**69.4**	**12.3**	**6.5**
बांग्लादेश	0.614	135	136	4057	72.3	11.2	6.1
म्यांकार	0.584	145	148	5764	66.9	10.3	5.0
पाकिस्तान	0.560	152	150	5190	67.1	8.5	5.2
विश्व	**0.731**			**15745**	**72.6**	**12.7**	**8.4**

स्रोतः मानव विकास रिपोर्ट (एच डी आर), 2019

टिप्पणीः आंकड़ों का संबंध वर्ष 2018 या उपलब्ध नवीनतम वर्ष से है, कि डॉलर – सकल राष्ट्रीय आय (जी एन आई) 2011 की क्रय शक्ति समानता (पी पी पी) पर आधारित

मानव विकास

10.3 मानव विकास सूचंकांक में सम्मिलित कुल 189 देशों में भारत की रैंकिंग 2018 में एक स्थान बढ़ाकर 129 हो गई जबकि वर्ष 2017 में भारत की रैंकिंग 130 थी। वर्ष 2018 में भारत का मानव विकास सूचंकांक (एच डी आई) का मान बढ़कर 0.647 (तालिका 2) हो गया हैं

10.4 भारत 1.3% औसत वार्षिक एच डी आई वृद्धि के साथ सबसे तेजी से सुधार करने वाले देशों में शामिल है और चीन (0.95), दक्षिण अफ्रीका (0.78), रसियन फ़ेडेरेशन (0.69), और ब्राजील (0.59) से आगे है (चित्र 1)। मानव विकास की इस गति को बनाए रखने के लिए तथा इसको और अधिक तेज करने के लिए सामाजिक सेवा में सार्वजनिक क्षेत्र जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।

चित्र 1: वर्ष 2010-2018 के दौरान औसत वार्षिक एच डी आर वृद्धि दर (प्रतिशत)

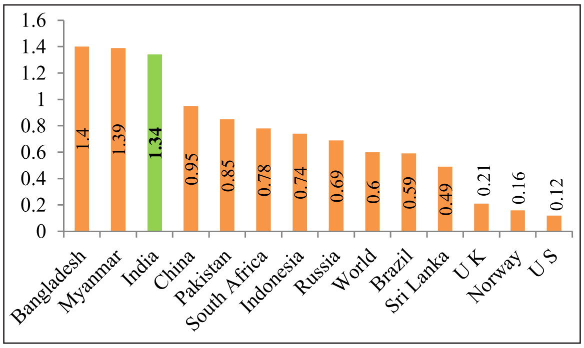

स्रोतः एच डी आर, 2019

सभी के लिए शिक्षा

10.5 सतत विकास लक्ष्य (एस डी जी)-4 के तहत वर्ष 2030 तक समस्त लोगों को समावेशी एवं समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया

1 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट तीन बुनियादी मापदंडों के संदर्भ में मानव विकास सूचकांक (एच डी आई) का अनुमान लगाती है जो कि निम्नलिखित हैं: दीर्धायु और स्वस्थ जीवन जीने के लिए, शिक्षित होने के लिए और जीवन-यापन से के उचित आर्थिक मानक।

है और साथ ही सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा दिया गया है। भारत में "बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा (आरटीई) अधिनियम, 2009" के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य प्रदान की जाती है। आर टी ई मानक के तहत प्राथमिक विद्यालयों को मौसम के अनुकूल भवन उपलब्ध कराया जाता है। इसके साथ ही विद्यालय के भवन में प्रत्येक अध्यापक के लिए एक कक्षा और कार्यालय-सह-स्टोर-सह-प्राध्यानाध्यापक कक्ष, बाधारहित पहुंच, लड़कों एवं लड़कियों के लिए पृथक शौचालय और समस्त बच्चों के लिए पर्याप्त पेयजल की सुविधा एवं खेल का मैदान भी सम्मिलित है।

10.6 शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यू-डी आई एस ई) स्कूली शिक्षा से संबंधित विभिन्न संकेतों के संबंध में आंकड़ों को एकत्रित करती है। यू-डी आई एस इ के अनुसार 2017-18 (अनन्तिम), 98.38 प्रतिशत सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में लड़कियों के लिए शौचालय की व्यवस्था है, जबकि 96.23 प्रतिशत सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में लड़कों के लिए शौचालय की व्यवस्था है, 97.13% सरकारी प्रारम्भिक विद्यालयों में पेयजल की सुविधा है जबकि 38.62% सरकारी प्रारम्भिक विद्यालयों में रैंप की सुविधा है। इसी प्रकार 58.88 प्रतिशत सरकारी प्रारम्भिक विद्यालयों में चहारदीवारी की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है जबकि 56.72 प्रतिशत सरकारी प्रारम्भिक विद्यालयों में खेल के मैदान की भी सुविधा उपलब्ध है। 79.30 प्रतिशत सरकारी प्रारम्भिक विद्यालयों में पुस्तकालय और 61.75 प्रतिशत विद्यालयों में बिजली की भी सुविधा उपलब्ध है। विद्यालयों तथा उच्च शिक्षा के अवसंरचना में सुधार होने से सभी स्तरों पर सकल नामांकन में वृद्धि दर्ज की गई है जिसे क्रमश: तालिका 3 और चित्र 2 में देखा जा सकता है।

तालिका 3: विद्यालयों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की संख्या

वर्ष	प्राथमिक उच्च प्राथ. मिक विद्यालय (लाखों में	उच्च माध्यमिक विद्यालय (लाखों में	वर्ष	महाविद्यालय	विश्वविद्यालय
2011-12	11.93	0.84	2011-12	34852	642
2017-18	14.85	1.24	2018-19	39931	993

स्रोत: शैक्षणिक आंकड़े, 2018: एक नजर में, यू-डी आई एस ई, 2017-18 (अनन्तिम) और उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण से संबंधित रिपोर्ट 2018-19, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

चित्र 2: अखिल भारतीय स्तर पर सकल नामांकन अनुपात (जी ई आर) की स्थिति (प्रतिशत में)

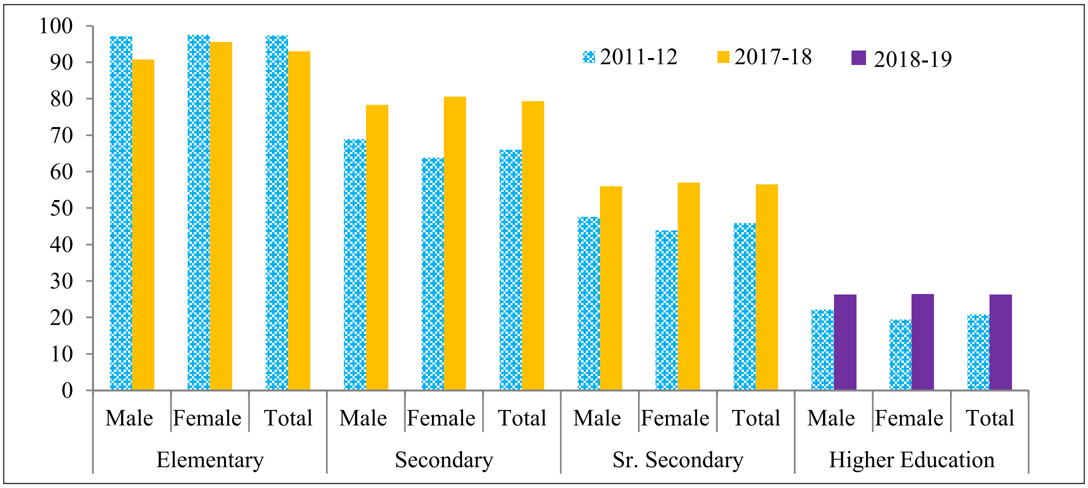

स्रोत: शैक्षणिक आंकड़े, 2018: एक नजर में, यू-डी आई एस ई, 2017-18 (अनन्तिम) और उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण से संबंधित रिपोर्ट 2018-19, मानव संसाधन विकास मंत्रालय।

टिप्पणी: उच्च शिक्षा का जी ई आर वर्ष 2018-19 के लिए है और 18-23 आयु वर्ग के लिए गणना की गई है।

10.7 वर्ष 2017-18 में 'भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक खपत के प्रमुख संकेतों पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण (एनएसएस) रिपोर्ट में से भी इस बात की पुष्टि होती है कि शिक्षा प्रणाली में भागीदारी में बढ़ोतरी हुई है और इस रिपोर्ट में वहनीयता, गुणवत्ता तथा शैक्षिक बुनियादी ढांचे के संवितरण इत्यादि से संबंधित कुछ प्रमुख चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है। वर्ष 2017-18 में एन एस एस सर्वे में इस बात का पता चलता है कि 3 से 35 वर्ष के आयु वाले 13.6% ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कभी भी अपना नामांकन विद्यालयों में नहीं कराया। इसके पीछे का प्रमुख कारण शिक्षा में रुचि नहीं होना तथा वित्तीय कठिनाई को बताया गया। जो लोग विद्यालयों में नामांकित थे उनमें प्राथमिक स्तर पर छोड़कर जाने की दर (ड्रॉपआउट रेट) सबसे अधिक था जो कि 10% था जबकि 17.5% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने उच्च प्राथमिक/मिडिल स्तर पर जबकि 19.8% बच्चों ने माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ दिया था।

10.8 गरीब और वंचित वर्ग के लोग अपने जीवन निर्वाह के लिए अर्थोपार्जन संबंधी गतिविधियों में लगे रहना ज्यादा पसंद करते हैं। उचित वित्तीय समर्थन प्रणाली का अभाव तथा उच्च शिक्षा में विशेषकर पाठ्यक्रम शुल्क के बोझ ने उन्हें शैक्षिक प्रणाली से दूर होने के लिए बाध्य कर दिया है। शिक्षा पर व्यय के विभिन्न घटकों का संघटन यह दर्शाता है कि मुख्य पाठ्यक्रम के औसत व्यय के लगभग आधे अन्य अंशदानों में पाठ्यक्रम शुल्क, जो अखिल भारतीय स्तर पर (ट्यूशन, परीक्षा, विकास शुल्क और अन्य अनिवार्य भुगतान सहित) 50.8 प्रतिशत है (चित्र 3)। पाठ्यक्रम शुल्क का अनुपात भी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अधिक है। छात्रों द्वारा शिक्षा पर किए जाने वाले औसत व्यय का दूसरा सबसे बड़ा घटक किताबें, स्टेशनरी और यूनिफ़ार्म है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों का औसत विद्यार्थी शहरी क्षेत्रों की तुलना में आश्चर्यजनक रूप से 10% से अधिक खर्च कर रहा है।

10.9 एनएसएस रिपोर्ट में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों पर रोचक निष्कर्ष प्रस्तुत किया हैं। सम्पूर्ण भारत के ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों में स्थित सहायता प्राप्त निजी संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र

चित्र 3: वर्तमान शैक्षणिक वर्ष (2017-18) के दौरान बेसिक पाठ्यक्रम से संबंधित सामान्चय पाठ्यक्रम का अध्ययन करने वाले प्रति छात्र औसत व्यय का वितरण (प्रतिशत)

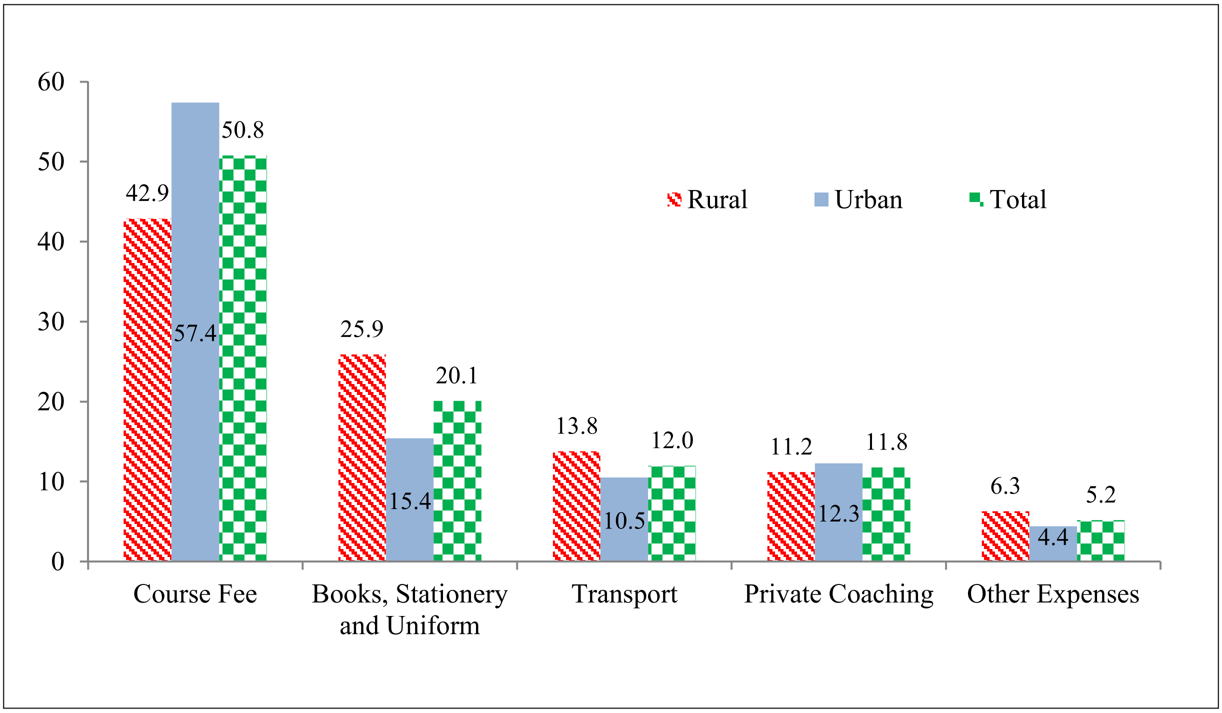

स्रोत: भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक खपत के प्रमुख संकेतक, एन एस एस 75वां राउंड (2017-18)।

सरकारी संस्थानों की तुलना में काफी अधिक राशि व्यय कर रहे हैं (तालिका 4)। सरकारी विद्यालयों/संस्थानों में प्रतिस्पर्धा के अभाव के कारण शिक्षा की गुणवत्ता काफी नीचे है, जिसके फलस्वरूप अधिक से अधिक छात्र निजी संस्थानों में स्वयं को नामांकित करना पसंद करते हैं।

10.10 वहनीय और प्रतिस्पर्धी पद्धति से सरकारी विद्यालयों और संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई पहल को बॉक्स 1 में देखें।

तालिका 4: वर्ष 2017-18 में सामान्य शिक्षा ग्रहण करने वाले प्रति छात्र औसत व्यय (रु), वर्तमान उपस्थिति और संस्थान के प्रकार के आधार पर

संस्थान	पूर्व प्राथमिक	प्राथमिक	माध्यमिक	उच्च माध्यमिक	स्नातक	स्नातकोत्तर और आगे	समस्त
सहायता प्राप्त निजी संस्थान							
ग्रामीण	822	1092	3678	6144	9516	13117	2586
शहरी	2126	2413	5978	10074	12448	15974	5954
कुल योग	**1030**	**1253**	**4078**	**7001**	**10501**	**14656**	**3135**
सहायता प्राप्त निजी संस्थान							
ग्रामीण	9589	9603	7361	10371	12820	17483	9723
शहरी	16401	15800	20324	26905	22949	22594	19545
कुल योग	**13223**	**12889**	**12487**	**16415**	**16769**	**19388**	**14155**

स्रोत: भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक खपत के प्रमुख संकेतक एन एस एस 75वां राउंड (2017-18)।

बॉक्स 1: विद्यालयी शिक्षा पर कार्यक्रम और योजनायें

➢ पूर्व में, वर्ष 2017-18 तक प्रभावी सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) जो कि केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम थी, प्राथमिक विद्यालयों में आर टी ई अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निर्दिष्ट किया गया था, ताकि देश में प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने में राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता उपलब्ध करायी जा सके। विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग ने वर्ष 2018-19 से विद्यालय शिक्षा के लिए एकीकृत योजना - समग्र शिक्षा लांच किया है जिसमें तीन पूर्ववर्ती केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजनाओं - सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और शिक्षक शिक्षा (टी ई) को सम्मिलित किया गया हैं नई एकीकृत स्कीम के तहत विद्यालय शिक्षा की परिकल्पना प्री स्कूल से उच्च माध्यमिक (सीनियर सेकेंडरी) स्तर तक सातत्य रूप में की गई है और इसका उद्देश्य समावेशी और समानता पर अधारित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। समग्र शिक्षा के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मौजूदा सरकारी विद्यालयों साधन सम्पन्न बनाया जाता है और संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर बुनियादी सुविधओं के निर्माण में वृद्धि की जाती है। इस योजना में समस्त सरकारी विद्यालयों के छात्रों की संख्या के आधार पर विद्यालय को रुपये 25,000/- से रुपये 1,00,000/- तक प्रति वर्ष समग्र वार्षिक आवर्ती अनुदान प्रदान किया जाता है। प्रत्येक विद्यालय को स्वच्छता कार्य योजना से संबंधित गतिविधियों पर कम से कम 10% समग्र विद्यालय अनुदान खर्च किए जाने की आवश्यकता होती है। इस स्कीम में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए विभिन्न तरह से दखल देने की वकालत की गई है जैसे शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों के लिए प्रारंभिक एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण, जानकारी संवर्द्धन कार्यक्रम, शिक्षा में आईसीटी का उपयोग, अध्ययन के परिणामों का आकलन, पुस्तकालयों का प्रावधान और स्कूलों को पूरक सामग्री इत्यादि प्रदान करने के अलावा मौजूदा विद्यालय के भवनों शौचालयों और अन्य सुविधाओं के वार्षिक रख-रखाव और मरम्मत तथा बुनियादी ढांचे को अच्छी स्थिति में रखने का प्रावधान है।

- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर पुनः ध्यान केंद्रित करने के लिए केंद्रीय आरटीई नियमों में संशोधन किया गया है ताकि कक्षावार एवं विषयवार शिक्षण परिणामों पर संदर्भ को शामिल किया जा सके। तदनुसार प्रारंभिक अवस्था तक भाषाओं (हिंदी अंग्रेजी और उर्दू) और गणित, पर्यावरण अध्ययन, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में प्रत्येक कक्षा से संबंधित अध्ययन के परिणामों को अंतिम रूप दिया गया है और सभी राज्यों और संघ-राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया है। यह राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए दिशानिर्देश का काम करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा से कि सभी बच्चे उपयुक्त शिक्षण स्तर प्राप्त कर सकें। आर टी ई अधिनियम 2009 को 2017 में संशोधित किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी शिक्षक 31 मार्च 2019 तक अधिनियम के तहत निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लें और प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर सरकार के जोर को सुदृढ़ किया जा सके।
- नवोदय विद्यालय स्कीम में देश के प्रत्येक जिले में एक जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने का प्रावधान है ताकि ग्रामीण क्षेत्र की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को सामने लाया जा सके। इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य प्रतिभाशाली ग्रामीण बच्चों को चयन करना है और उन्हें सर्वश्रेष्ठ आवासीय विद्यालय प्रणाली की तुलना में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है।
- एक राष्ट्रीय मिशन निष्ठा (विद्यालयों के प्रधानाचार्यों एवं अध्यापकों के लिए समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल) वर्ष 2019-20 में केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से प्रारम्भिक स्तर पर अध्ययन के परिणामों में सुधार के लिए शुरू की गई है। एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में लगभग 42 लाख शिक्षकों और स्कूलों के प्रमुख, एससीईआरटी के संकाय सदस्यों, डाइट, ब्लॉक रिसोर्स कॉर्डिनेटर, और कलस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटरों की क्षमता का निर्माण करने की पकिल्पना की गई है इस प्रशिक्षण का उद्देश्य छात्रों में महत्वपूर्ण सोच को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने हुत शिक्षकों को प्रेरित एवं तैयार करना है ताकि वो विभिन्न स्थितियों को संभालने में समर्थ हो सकें और प्रथम स्तर के काउंसलर के रूप में कार्य कर सकें।
- कला, संगीत, नृत्य और रंगमंच सहित सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से खेल के साथ ही अध्ययन को बढ़ावा देना किसी भी छात्र की जीवन और स्कूल की गतिविधियों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क ने इस तरह की गतिविधियों के महत्व पर जोर दिया ताकि शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके।
- प्रधानमंत्री अभिनव शिक्षण कार्यक्रम (ध्रुव) को शुरू करने का उद्देश्य प्रतिभावना छात्रों को चिन्हित करते हुए उनके कौशल और ज्ञान को समृद्ध करना हैं
- प्रौद्योगिकी सुविधायुक्त शिक्षण के और व्यापक बनाने के लिए राज्य और संघराज्य क्षेत्र सक्रियरूप से शामिल हो रहे हैं ताकि वे ''दीक्षा'' प्लेटफार्म पर आ सके। गुणवत्ता में सुधार और दीक्षा पर ई-सामग्री की प्रकृति में विविधता लाने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। अन्य ई-कंटेंट साइट जैसे ई-पाठशाला, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज (एनआरओईआर) को दीक्षा के साथ एकीकृत किया जा रहा है ताकि सहज पहुँच को सुनिश्चित किया जा सके।

10.11 सरकार ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नवाचार और अनुसंधान के संबंध में लोगों की आवश्यकताओं की परिवर्तित होती हुए गतिशीलता को पूरा करने के लिए एक नई शिक्षा नीति बनाने की प्रक्रिया की शुरूआत कर दी है ताकि अपने छात्रों को अपेक्षित कौशल और ज्ञान से लैस करके भारत को एक ज्ञान की महाशक्ति (नॉलेज सुपरपावर) बनाया जा सके और विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अकादमिक और उद्योग में जनशक्ति की कमी को दूर किया जा सके।

10.12 उच्च शिक्षा सहित तकनीकी शिक्षा में अध्ययन और शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के लिए की गई पहल का उल्लेख बॉक्स 2 में किया गया है।

बॉक्स 2: उच्च शिक्षा में कार्यक्रम और योजनाएँ

- सरकार ने शिक्षकों और शिक्षण पर पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय मिशन (पी एम एम एम एन एन एम टी टी) को लांच किया गया है, जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा में शिक्षकों के उन्नत शिक्षण और व्यावसायिक विकास के लिए मजबूत पेशेवर कैडर से संबंधित प्रदर्शन मानकों का निर्माण करना और शीर्ष श्रेणी की संस्थागत सुविधाएं सृजित करना है। निजी संस्थानों सहित केंद्रीय, राज्य विश्वविद्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों के शिक्षक क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के साथ-साथ प्रवेश

प्रशिक्षण में भी भाग ले सकते हैं।

- उच्चतर शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (एच ई एफ ए) की स्थापना उच्चतर शिक्षा संस्थानों, केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों, एम्स और स्वास्थ्य मंत्रालय के अन्य शैक्षिक संस्थानों के लिए स्थायी वित्तीय मॉडल उपलब्ध करना है ताकि वर्ष 2022 तक परियोजनाओं को एक लाख करोड़ रुपये की निधि दिया जा सके। 11 दिसंबर 2019 तक 37,001.21 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है और एच ई एफ ए के माध्यम से वित्त पोषण का लाभ उठाने वाले शिक्षण संस्थानों की संख्या 75 है।
- राष्ट्रीय शैक्षिक गठबंधन प्रौद्योगिकी (एनईएटी) ने उच्च शिक्षा मे बेहतर शिक्षण परिणामों के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने हेतु पीपीपी योजना की घोषणा की। इसका उद्देश्य विद्यार्थी की आवश्यकताओं के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमता का उपयोग करना है ताकि अधिगम को व्यक्ति सापेक्ष और अनुकूलित किया जा सके। इसके लिए अनुकूलित अध्ययन में प्रौद्योगिकी के विकास की आवश्यकता होती है ताकि विविधता का समाधान किया जा सके। एड-टेक कंपनियां एनईएटी पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थियों के समस्याओं के समाधान करने और शिक्षार्थियों के पंजीकरण के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होंगी।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग ने शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन और समावेश कार्यक्रम (इक्विप/ ईक्यूयूआईपी) नामक एक पंचवर्षीय विजन प्लान को अंतिम रूप देत हुए जारी किया। इक्विप/ईक्यूयूआईपी एक विजन प्लान है जिसका उद्देश्य रणनीतिक हस्तक्षेपों के जरिए अगले पांच वर्षों (2019-2024) में भारत के उच्चतर शिक्षा प्रणाली के क्षेत्र में परिवर्तन की शुरुआत करना हैं
- शीर्ष रैंकिंग विश्वविद्यालयों द्वारा संवर्धित विशेषताओं एव सुविधाओं के साथ ऑनलाइन डिग्री कार्यक्रम की पेशकश के लिए स्वय 2.0 लॉन्च किया गया था। उच्च शिक्षा विभाग की वर्ष 2019 में शुरू की गई कुछ अन्य प्रमुख योजनाएं इस प्रकार हैं, जैसे - दीक्षारंभ, जो कि छात्र प्रवेश कार्यक्रम के लिए एक गाइड के रूप में कार्य करता है, और 'परामर्श' स्कीम के तहत राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद से आधिकारिक मान्यता की मांग करने वाले संस्थानों की निगरानी की जाती है।

कौशल विकास

10.13 युवा व्यक्तियों के भविष्य के श्रम बाजार की स्थिति उनके शुरूआती अनुभवों से अत्यधिक प्रभावित होती है, जिसमे यह भी शामिल है कि वे कितनी जल्दी और कैसे श्रम बाजार तक पहुंच बनाने में सक्षम हैं। इसमें शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से हासिल किए गए कौशल और दक्षता भी सम्मिलित हैं (आईएलओ, 2019)। सामान्य शिक्षा वर्गो के ज्ञान में सुधार करती है, जबकि कौशल प्रशिक्षण उनके रोजगार क्षमता को बढ़ाते हुए उन्हें श्रम बाजार की आवश्यकताओं से निपटने के लिए लैस करता है।

10.14 आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) 2017-18 के अनुसार 15-59 वर्ष के उत्पादक आयु-समूह में केवल 13.53 प्रतिशत ने प्रशिक्षण (2. 26 प्रतिशत औपचारिक व्यावसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण और 11.27 प्रतिशत ने अनौचारिक प्रशिक्षण) प्राप्त किया है। औपचारिक रूप से प्रशिक्षण प्रापत श्रमिकों का बड़ा वर्ग अर्थात लगभग 55.9 प्रतिशत ने या तो स्वयं अध्ययन (28.66 प्रतिशत) या पैत्रिक (27.24 प्रतिशत) द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है और 38.51 प्रतिशत ने ऑन-जॉब प्रशिक्षण प्राप्त किया है। श्रमिकों का राज्य-वार प्रतिशत चित्र 4 में देखा जा सकता है।

10.15 कौशल भारत मिशन के तहत सरकार प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 2016-20 को लागू करती है जो पूरे देश में सूची में सम्मिलित प्रशिक्षण केंद्रों/प्रशिक्षण प्रदाताओं (टीसी/टीपी) के माध्यम से बड़ी संख्या में भावी युवाओं को अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) लेने मे समर्थ बनती है और पूर्व अध्ययन को मान्यता प्रदान (आरपीएल) करती है। पीएमकेवीवाई (2016-20) के तहत देश भर में 11 नवंबर, 2019 तक 69.03 (लगभग) (38.01 लाख एसटीटी + 31. 02 लाख आरपीएल) अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया था।

10.16 पीएमकेवीवाई 2016-20 के तहत प्रशिक्षण केंद्रों टीसी/टीपी में उद्योग जगत से संपर्क बनाए रखने एवं अभ्यर्थियों के प्लेसमेंट के लिए समर्पित मेंटोरशिप-सह-प्लेसमेंट सेल खोलने की भी आवश्यकता हैं प्रशिक्षण प्रदाताओं (टीपी) को सेक्टर कौशल परिषदों

चित्र 4: श्रमबल (15-59 वर्ष) का राज्य-वार प्रतिशत जिन्होंने औपचारिक/अनौपचारिक स्रोतों के जरिए प्रशिक्षण प्राप्त किया है

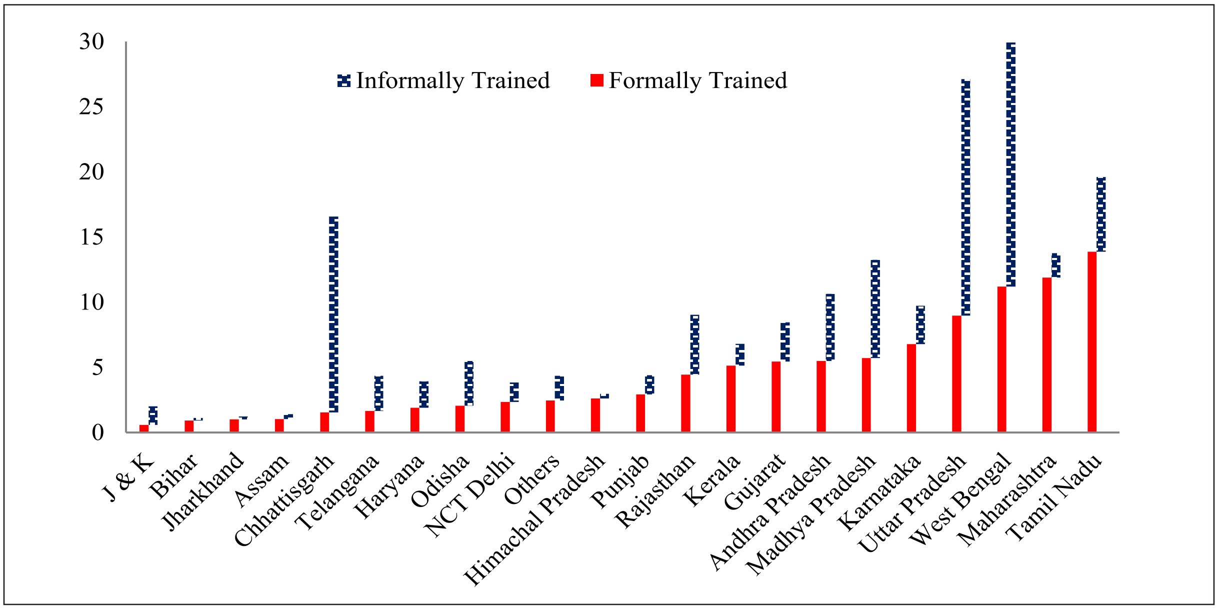

स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट, पीएलएफएस (2017-18)

(एसएससी) के सहयोग से प्रत्येक 6 महीने में प्लेसमेंट/रोजगार मेला आयोजित करने का अधिकार-पत्र दिया गया है और साथ ही स्थानीय उद्योग की भागीदारी को सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। टीसी को प्रशिक्षण भुगतान के अंतिम 20 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति उम्मीदवार के प्लेसमेंट के साथ जुड़ी हुई है। इसके अलावा, प्रत्येक प्रशिक्षु को विशेष समूह और क्षेत्रों के संबंध में 2 या 3 महीने हेतु प्रशिक्षणोत्तर रुपये 1500/- प्रति माह प्लेसमेंट सहयोग दिया जाता है जिसका निर्णय उम्मीदवार के अधिवास के जिले के भीतर या बाहर प्लेसमेंट के आधार पर किया जाता है। एसटीटी के तहत, एसडीएमएस (कौशल विकास प्रबंधन प्रणाली) पर रिपोर्ट किए गए आंकड़ों के अनुसार 30.21 लाख उम्मीदवारों को प्रमाणित किया गया, जिसमें 15.4 लाख उम्मीदवारों को देशभर के विभिन्न क्षेत्रों में नियुक्त किए जाने की रिपोर्ट दी गई।

10.17 प्रशिक्षुता नीति के प्रचार-प्रसार के लिए प्रशिक्षुता नियमावली, 1992 में अनेक सुधार लागू किए गए हैं। प्रशिक्षुता नियमावली, 1992 के तहत किए गए व्यापक सुधारों को बॉक्स 3 में उल्लिखित किया गया है।

बॉक्स 3: प्रशिक्षुता नियमावली, 1992 के तहत किए गए सुधार

- प्रशिक्षुओं की नियुक्ति में कुल कर्मचारी संख्या की ऊपरी सीमा को 10 से 15 प्रतिशत प्रशिक्षुता बढ़ाना;
- प्रशिक्षुता के नियोजन को अनिवार्य करते हुए किसी स्थापना की आकार सीमा में 40 से 30 की कमी करना;
- प्रथम वर्ष के लिए छात्रवृत्ति के भुगतान को न्यूनतम मजदूरी से न जोड़कर, निश्चित कर दिया गया है;
- प्रशिक्षुता के द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के लिए छात्रवृत्ति में 10 से 15 प्रतिशत की वृद्धि;
- वैकल्पिक व्यवसाय के लिए प्रशिक्षुता परीक्षण की अवधि 6 माह से 3 वर्ष तक हो सकेगी;
- निर्धारित छात्रवृत्ति की न्यूनतम राशी 5वीं से 9 वीं पास विद्यार्थियों के लिए 5000/- ₹ प्रतिमाह तथा स्नातक या डिग्रीधारक प्रशिक्षुओं के लिए किसी भी विषय-शाखा में 9000/- ₹ प्रतिमाह होगी।

भारत में रोजगार की स्थिति

10.18 रोजगार क्षमता में सुधार के साथ रोजगार के अवसर उत्पन्न करना सरकार की प्राथमिकता है। देश में रोजगार उत्पनन करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं, जैसे निजी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना, बड़े निवेश वाली फास्ट ट्रैकिंग विभिन्न परियोजनाएं, प्रधानमंत्री के रोजगारजनरेशन कार्यक्रम (पी एम ई जी पी), महात्मागांधाी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) पं. दीनदयालय उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू जी के वाई) और दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी (आजीविका) मिशन (डी ए वाई-एन यू एल एम) जैसी स्कीमों पर सार्वजनिक व्यय में बढ़ात्तरी। इन नीतियों के उपायों के परिणाम स्वरूप रोजगार की प्रकृत्ति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है।

10.19 पी एल एफ एस अनुमानों2 के अनुसार नियमित मजदूरी/वेतन कर्मचारियों के भाग में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है यह 2011-12 के 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 2017-18 में का सामान्य स्टेटस3 पर 23 प्रतिशत की हो गयी है (चित्र 5) वास्तविक रूप में इस श्रेणी में नए रोजगारों में लगभग 2.62 करोड़ की महत्वपूर्ण बढ़ोत्तरी हुई थी। जिसमें से 1.21 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में और 1.39 करोड़ शहरी क्षेत्रों में वृद्धि हुई। (तालिका 5)4 विशिष्ट रूप से नियमित मजदूरी/वेतन रोजगार श्रेणी में महिला कर्मिकों का अनुपात में 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई (2011-12 के 13 प्रतिशत की तुलना में 2017-18 में 21 प्रतिशत) इसके अतिरिक्त इस श्रेणी में महिला कार्मिकों के लिए रोजगार में 0.71 करोड़ नए रोजगार मिले। (चित्र 5)

10.20 स्वरोजगार श्रेणी में (जिसमें नियोक्ता, स्वनियोजित कामगार और अप्रदत्त पारिवारिक मजदूर) जहां स्वनियोजित कामगारों और नियोक्ताओं के अनुपात में वृद्धि हुई है वहीं 2011-12 और 2017-18 के मध्य अप्रदत्त पारिवारिक मजदूर (हेल्पर) के अनुपात में विशेष रूप से महिलाओं5 के अनुपात में कमी आई है। तथापि स्वरोजगार प्राप्त कामगारों के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं आया इस अवधि के दौरान यह 52 प्रतिशत पर बना रहा (तालिका 5 एवं चित्र 5)

---

2. सरकार ने एनएसओ के पूर्ववर्ती पंचवार्षिक (प्रत्येक पाँच वर्षों में एक बार) रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षण (ई यू एस) के साथ-साथ सर्वेक्षण प्रद्धति, डाटा संग्रहण प्रणाली और प्रतिदर्श अभिकल्प में कुछ परिवर्तनों सहित वार्षिक आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण (पीएलएफएस), 2017-18 नामक एक नया नियमित रोजगार-बेरोजगार सर्वेक्षण शुरू किया है। पीएलएफएस के अंतर्गत, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों से परिवारों का चयन उन परिवारों का 75 प्रतिशत भारांक प्रदान करते हुए किया गया है जिसमें कम से कम एक सदस्य माध्यमिक (कक्षा 10) या उससे उच्च शिक्षा प्राप्त हो। रोजगार-बेरोजगार सर्वेक्षण (ईयूएस) में, ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि कार्यकलापों से प्राप्त समृद्धि स्तर एवं आय तथा शहरी क्षेत्रों के चयनित ब्लॉकों में परिवार की मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (एमपीसीई) का उपयोग परिवारों के वर्गीकरण हेतु किया गया था। प्रद्धति एवं प्रतिदर्श अभिकल्प में परिवर्तन के कारण पी एल एफ एस पर आधारित श्रम बाजार आँकलन एनएसओ द्वारा संचालित रोजगार-बेरोजगार संबंधी पूर्ववर्ती पंचवार्षिक सर्वेक्षण के निष्कर्ष तुलनायोग्य नही है। एनएस ओ-ईयूएस के पूर्ववर्ती दौर के साथ पीएलएफएस के निष्कर्षों को सर्वेक्षण प्रद्धति तथा प्रतिदर्श अभिकल्प विश्लेषणात्मक तर्कवितर्क के साथ-साथ पढ़ा जाना आवश्यक है।

3. सामान्य स्थिति (पी एस + एस एस) से किसी व्यक्ति की समग्र संदर्भ वर्ष की औसत कार्य स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। इसको और भी दो श्रेणियों में उप विभाजित किया जा सकता है। एक 'मुख्य स्थिति' और दूसरी 'सहायक स्थिति' है। मुख्य स्थिति में उस गतिविधि का आकलन किया जाता है जिसमें किसी व्यक्ति ने संदर्भ वर्ष (मुख्य समय कसौटी) की अपेक्षाकृत लंबी अवधिबताई हो जबकि सहायक स्थिति में उस व्यक्ति की गतिविधि स्थिति का आकलन किया जाता है जिसने कार्यबल में से अधिकतर दिनों की अवधि बिताई हो किन्तु कम समयावधि (30 दिन से अधिक) तक कार्य किया हो (वार्षिक रिपोर्ट, पी एल एफ एस 2017-18)।

4. एन एस ओ डाटा श्रमिकों को रोजगार की स्थिति के आधार पर तीन श्रेणियों अर्थात स्व-नियोजित श्रमिक; नियमित वेतन/वेतनभोगी कर्मचारी; और आकस्मिक मजदूर में वर्गीकृत करता है। स्व-नियोजित श्रेणी में वे लोग शमिल हैं जो अपने लिए काम करते हैं और मजदूरी लाभ के लिए अपनी श्रम शक्ति का विक्रय किसी अन्य को नहीं करते हैं। श्रमिकों की इस श्रेणी में उन सभी श्रमिकों को शमिल किया जाता है जो अपने उद्यमों का संचालन व्यक्तिगत रूप से या भागीदारों के साथ या घर-आधारित श्रमिकों के रूप में करते थे या किसी एक पेशें या व्यापार में लगे होते हैं (एनसीईयूएस: 2009) । हालांकि, नियमित वेतन/वेतनभोगी कर्मचारी वे हैं जो नियमित आधार पर पूर्व निर्धारित वेतन/ वेतन प्राप्त करते हैं इसके अतिरिक्त, अनियम श्रमिक में लोग आते हैं जिन्हें दैनिक या मासिक आधार पर बहुत कम समय के लिए काम पर रखा जाता है। इन तीन श्रेणियों में से, नियमित वेतन/वेतनभोगी कर्मचारी गुणात्मक दृष्टि से बेहतर होते हैं क्योंकि वे सामाजिक/नौकरी सुरक्षा जैसे अन्य लाभों के साथ या बिना उक्त लाभों के पूर्व-निर्धारित मजदूरी/ वेतन प्राप्त करते हैं।

5. स्वरोजगार कामगारों/श्रमिकों में वे शमिल होते हैं जिन्होंने अपने उद्यमों को स्वयं या एक या कुछ साझेदारों के साथ मिलकर संचालित किया और संदर्भ अवधि के दौरान किसी भी श्रमिक को काम पर रखे बिना अपना उद्यम चलाया, जबकि नियोक्ता ऐसे स्वरोजगार श्रमिक हैं जिन्होंने मजदूरों को काम पर रखकर अपने उद्यम को चलाया। हालांकि गैरवैतनिक परिवार के मजदूरों/सहायकों में वे लोग शमिल हैं जो अपने घरेलू उद्यमों में लगे हुए थे, पूर्णक. ालिक या अंशकालिक तौर पर कार्यरत थे और उन्हें संदर्भ अवधि के दोरान किए गए कार्यों के बदले में कोई नियमित वेतन या मजदूरी नहीं मिली थी। 2017-18 वार्षिक रिपोर्ट पीएलएफएस

चित्र-5 भारत में क्षेत्र लिंग और रोजगार की स्थिति द्वारा कार्मिकों का वितरण (प्रधान स्थिति तथा गौण स्थिति, सभी आयु वर्ग)

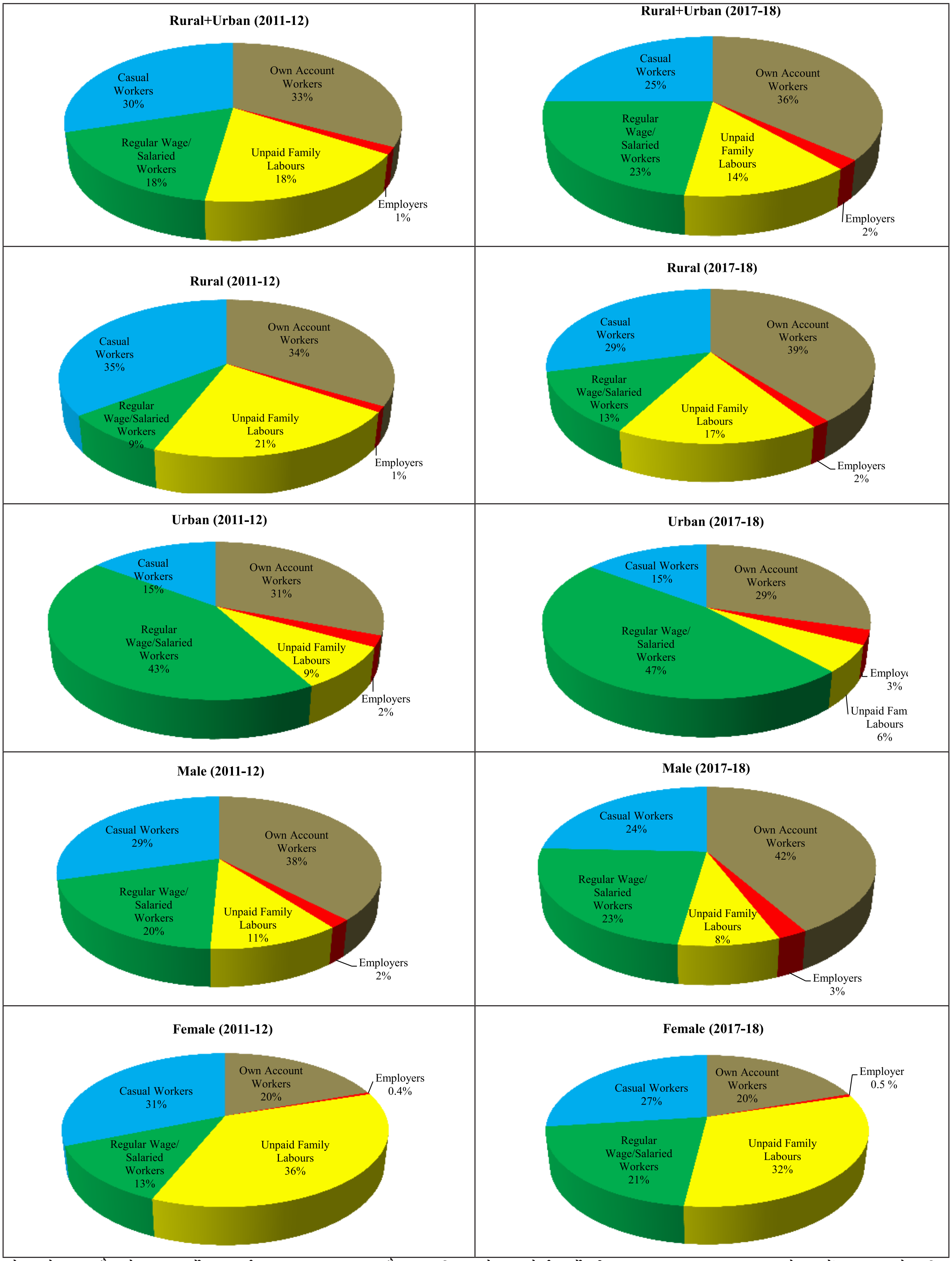

स्रोत: रोजगार-गैर रोजगार सर्वेक्षण (ईयूएस) 2011-12 और आवधिक लेबर फोर्स सर्वे पी एल एफ एस) एन एस ओ 68वें राउण्ड के यूनिट स्तर डाटा से अनुमान

टिप्पणी: तुलना के लिए व्याख्यात्क टिप्पणी के साथ आंकड़ों को पढ़ा जाए।

तालिका 4: भारत में कामगारों की संख्या, (प्रदानस्थिति, गौण स्थिति, सभी आयुवर्ग) (करोड़ में)

रोजगार की स्थिति	पुरूष		महिला		ग्रामीण		शहरी		कुल	
	2011-12	2017- 18	2011-12	2017-18	2011-12	2017-18	2011-12	2017-18	2011-12	2017-18
स्व नियोजि	17.33	18.68	7.20	5.54	18.81	18.26	5.73	5.95	24.54	24.21
स्व लेखा कामगार	*12.94*	*14.90*	*2.55*	*2.15*	*11.26*	*12.45*	*4.21*	*4.60*	*15.47*	*17.05*
नियोक्ता	*0.64*	*0.9*	*0.06*	*0.06*	*0.39*	*0.49*	*0.31*	*0.47*	*0.7*	*0.96*
अप्रदत्त पारिवारिक श्रमिक	*3.75*	*2.88*	*4.6*	*3.33*	*7.16*	*5.32*	*1.21*	*0.88*	*8.37*	*6.20*
नियमित मजदूर/ वैतनिक कर्मचारी	7.10	9.00	1.74	2.45	2.93	4.14	5.91	7.30	8.83	11.45
अनियत कामगार	9.95	8.61	3.97	2.86	11.91	9.18	2.02	2.28	13.92	11.46
कुल	**34.38**	**36.29**	**12.91**	**10.85**	**33.64**	**31.59**	**13.65**	**15.53**	**47.29**	**47.12**

स्रोतः एनएसओ के 68वें राउंड के रोजगार-बेरोजगार (ईयूएस) 2011-12 और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, 2017-18 के इकाई स्तर का डाटा

नोटः 1. 1 जनवरी, 2018 को अनुमानित जनसंख्या 135.74 करोड़ थी जो एनएसओ के यूएस (2011-12) फॉर्मूला $A = A1 * [1+\frac{R}{100}]^{82/120}$ का प्रयोग करके निकाली गई है, जहां ए1, 1 मार्च, 2011 की जनगणना आबादी है, R जनगणना 2001 और 2011 के बीच आबादी में प्रतिशतता दशक परिवर्तन है और A, 1 जनवरी, 2018 को अनुमानित जनसंख्या है।

2. अंकों को तुलनात्मकता के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणी के साथ पढ़ा जाएगा।

10.21 अनियत श्रम श्रेणी में कामगारों के वितरण में ग्रामीण क्षेत्रों में गिरावट दर्ज की गई। यह 2011-12 के 30 प्रतिशत से 5 प्रतिशत घटकर 2017-18 में 25 प्रतिशत हो गया (चित्र 5 और तालिका 5)।

रोजगार का औपचारिकीकरण

10.22 जीएसटी लागू करने, भुगतान के डिजिटलीकरण, बैंक खातों में सब्सिडी/छात्रवृत्ति/मजदूरी और वेतन के सीधे लाभ अंतरण, जन धन खातों के खुलने, ज्यादा कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करने के माध्यम से सरकार अर्थव्यवस्था को एक औपचारिक रूप देने का प्रयास कर रही है। बाक्स (4) इन पहलों के परिणामस्वरूप, औपचारिक रोजगार में वृद्धि दर्ज की गई है, जैसा कि कई डेटा स्रोतों के माध्यम से इसे दिखाया गया है।

10.23 उद्योगों की वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई) के अनुसार संगठित विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि हुई है। वर्ष 2014-15 और 2017-18 के बीच इस क्षेत्र में लगे श्रमिकों की कुल संख्या में 14.69 लाख की वृद्धि हुई जबकि इस कार्य पर लगे हुए कुल व्यक्तियों (जिसमें कर्मचारी एवं नियोक्त) भी शामिल हैं, की संख्या में 17.33 लाख की वृद्धि हुई है। (चित्र 6)

चित्र 6: भारत में संगठित विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार (लाख में)

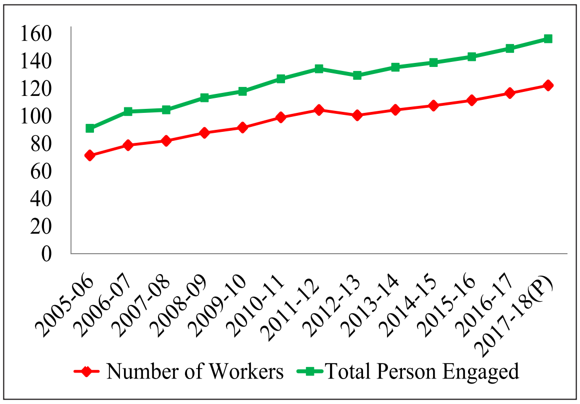

स्रोत सांख्यिकी एवं कार्यन्वयन मंत्रालय (एम ओ एस पी आई) के विभिन्न अंक का वार्षिक सर्वेक्षण (पी. अनंतिम प्राक्कलन)

10.24 संगठित सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ा के कार्यबल के औपचारिकरण की सीमा को इंगित करने के लिए सरकार सितंबर 2017 से उन नए अभिदाताओं की संख्या का उल्लेख करते हुए मासिक

बाक्स 4: श्रम बाजार के औपचारिकरण की दिशा में उठाए गए कदम

- भविष्य निधि खातों की सुवाहयता के लिए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अंशदान करने वाले सदस्यों के लिए ''सार्वभौमिक खाता संख्या'' सेवा प्रारंभ की है।
- सरकार प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपी आई) के अंतर्गत, 15,000/ रूपये प्रतिमाह तक का वेतन आहरित करने वाले नए कर्मचारियों के संबंध में उनके रोजगार के प्रथम तीन वर्षो तक 12 प्रतिशत नियोक्ता अंशदान का भुगतान कर रही है। यह स्कीम 31 मार्च, 2019 को समाप्त हो गई है।
- ई पी एस में अभिदान की अनिवार्य मजदूरी सीलिंग 6500/ रु. प्रतिमाह से बढ़ाकर 15,000/ रूपये प्रतिमाह कर दी गई है। मनरेगा को छोड़कर, रोजगाार के क्षेत्रों पर बिना भेदभाव किये सभी कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरियों सुनिश्चित करने के लिए और समय पर मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करने के लिए मजदूरी अधिनियम, 2019 पर संहिता तैयार की गई है।
- कारोबारों के लिए औपचारिक क्रेडिट /ऋण सृजित करने के लिए मुद्रा एवं स्टैंड-अप भारत की शुरूआत की गई।
- ईएसआई अंशदान की दर 1 जुलाई, 2019 से 6.5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत की गई।
- नियोक्ता के अंशदान शेयर को 4.75 प्रतिशत से घटाकर 3.25 प्रतिशत किया गया और कर्मचारियों के शेयर को 1.75 प्रतिशत से घटाकर 0.75 प्रतिशत किया गया।
- वर्ष 2015 में प्रारंभ की गई नेशनल कैरियर सर्विस (एनसीएस) परियोजना में विविध रोजगार सेवायें, जैसे कैरियर काउंसलिंग, कौशल विकास पाठ्यक्रमों से संबंधित रोजगार अधिसूचना और सूचना तथा डिजिटल प्लेटफार्म (डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू . एन सी एस. जी. ओ. वी. इन) पर समृद्ध कैरियर सन्तुष्टि जैसी कैरियर से जुड़ी उनके सेवाओं का प्रावधान किया गया हैं
- एन सी एस राष्ट्रीय रोजगार सेवा के रूपांतरण द्वारा जाब तलाश करने वाले अभ्यार्थियों और नियोक्ताओं, प्रशिक्षण और कैरियर संबंधी मार्गदर्शन चाहने वाले अभ्यर्थियों, प्रशिक्षण प्रदान करने वाली एजेंसियों, और कैरियर काउंसलिंग के मध्य अंतराल को पाटन की दिशा में कार्य करता है।

वेतन पत्रक प्रकाशित कर रही है जिनको तीन मुख्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं अर्थात कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफओ) कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईपीएफओ) और राष्ट्रीय पेंशन योजना (एन पी एस) के अधीन लाभ प्राप्त हुआ है। इनमें से कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफओ) में 6 करोड़ से अधिक सक्रिय सदस्य (वर्ष में कम से कम एक माह के अंशदान के साथ) है। भारत में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, संगठित/अर्ध-संगठित क्षेत्र में श्रमिकों की सामाजिक सुंरक्षा निधि का प्रबंधन करता है। 20 दिसंबर की स्थिति के अनुसार वर्ष 2019-20 तक के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के वेतन पत्रक डाटा वर्ष 2018-19 में 61.12 लाख की तुलना में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अभिदाता के रूप में 55.6 लाख निवल वृद्धि को दर्शाता है (चित्र 7) इन प्राक्कलनों में ई पी एफ ओ के रिकार्ड के अनुसार वर्ष के दौरान नए नामांकित, छोड़कर गए और पुनःशामिल हुए सदस्यों की निवल संख्या को शामिल किया गया है।

10.25 एन एस ओ ई यू एस तथा पी एल एफ एस 2017-18, जो अनौपचारिक गैर कृषि उद्यम और ए जी ई जी सी (कृषि क्षेत्र फसल उगाने को छोड़कर, बागवानी और पशुपालन के साथ फसल उगाई)अनौपचारिक सेक्टर रोजगार को प्रस्तुत करती है, इस क्षेत्र में लगे कार्यबल के अनुपात में वर्ष 2004-05 में 77.5 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 2017-18 में 68.4 प्रतिशत होने को भी दर्शाती है, और यह गिरावट महिलाओं में अधिक पाई गई है (तालिका 6)

चित्र 7: निवल कर्मचारी भविष्य निधि अभिदाता (लाख में)

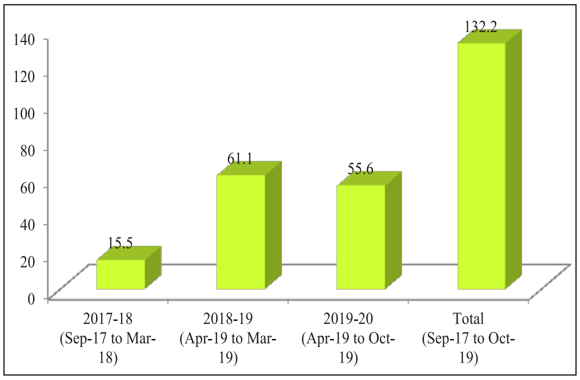

स्रोतः कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

टिप्पणीः यह डाटा अनंतिम है क्यों कि कर्मचारियों के रिकार्डो को अद्यतन करना एक सतत प्रक्रिया है और अद्यतन परवर्ती माह/माहों में किया जाता है।

तालिका 6: अनौपचारिक क्षेत्र उद्यम में रोजगार; सामान्य स्थिति क्रमिक; गैर कृषि क्षेत्र और ए जीईजीसी में कार्यरत (प्रतिशत में)

Category of Workers	EUS 61st Round 2004-05	EUS 66th Round 2009-10	EUS 68th Round 2011-12	PLFS 2017-18
Male	76.7	71.5	73.4	71.1
Female	79.7	69.8	69.2	54.8
Person	77.5	71.1	72.4	68.4

स्रोत: एनएस ओ (ई यू एस) विभिन्न चक्र और पी एल एफ एस (2017-18)
टिप्पणी तुलनात्मकता के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणी के साथ अंकड़ों को पढ़ा जाए।

10.26 अर्थव्यवस्था में औपचारिक-अनौपचारिक रोजगार की सीमा की समग्र तस्वीर प्राप्त करने के लिए, संगठित और असंगठित क्षेत्र में कार्यरत औपचारिक और अनौपचारिक श्रमिकों की कुल संख्या प्राप्त करने के लिए एलएफ के कार्यबल अनुमानों पर एनसीईयूएस (2007क)6 परिभाषा लागू की गई थी। यह देखा गया है कि संगठित क्षेत्र में श्रमिकों के अनुपात में 2011-12 में 17.3 प्रतिशत की तुलना में 2017-18 में 19.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई (तालिका 7)। वास्तविक रूप में संगठित क्षेत्र में वर्ष 2017-18 में लगभग 9.05 करोड़ की वृद्धि हुई जो 2011-12 की तुलना में 0.87 करोड़ अधिक है। यह मुख्य रूप से औपचारिक रोजगार में वृद्धि का कारण था जिसकी संगठित क्षेत्र में भागीदारी 2011-12 में 45 प्रतिशत की तुलना में 2017-18 में 49 प्रतिशत थी। इस अवधि के दौरान कुल औपचारिक रोजगार में वृद्धि 8 प्रतिशत से 9.98 प्रतिशत थी। पूर्ण रूप से औपचारिक रोजगार में कार्मिकों की संख्या में 2011-12 में 3.8 करोड़ की तुलना में 2017-18 में 4.7 करोड़ की वृद्धि हुई थी। (तालिका 7)

Table 7: Formal-Informal Employment across Organized and Unorganized Sector

Employment	Organized (in per cent)	Unorganized (in per cent)	Total (in per cent)	Organized (in crore)	Unorganized (in crore)	Total (in crore)
			2004-05			
औपचारिक	53.42	0.36	7.46	3.34	0.14	3.41
अनौपचारिक	46.58	99.64	92.38	2.91	39.35	42.26
जोड़	**13.68**	**86.32**	**100**	**6.25**	**39.49**	**45.67**
			2011-12			
औपचारिक	45.4	0.40	8.1	3.71	0.16	3.83
अनौपचारिक	54.6	99.6	91.9	4.47	38.95	43.46
जोड़	**17.3**	**82.7**	**100**	**8.18**	**39.11**	**47.29**
			2017-18			
औपचारिक	48.91	0.74	9.98	4.43	0.28	4.70
अनौपचारिक	51.09	99.26	90.02	4.62	37.79	42.43
जोड़	**19.2**	**80.8**	**100**	**9.05**	**38.07**	**47.13**

स्रोत: एनएसओ (ईयूएस) के विभिन्न राउंड और पीएलएफएस (2017-19) के यूनिट स्तर के आंकड़ों से अनुमान
टिप्पणी तुलना करने के लिए आंकड़ों को व्याख्यात्मक टिप्पणी के साथ पढ़ा जाए।

6 असंगठित क्षेत्र में उद्यमों के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीईयूएस, असंगठित क्षेत्र में दस कार्मिकों से कम संख्या वाले और प्रापराइटी या भागीदारी आधार पर माल का उत्पादन अथवा बिक्री के कार्य में संलग्न या सेवाएं प्रदान करने के लिए किसी व्यक्ति या परिवार के स्वामित्वाधीन सभी गैर-निगमित प्राइवेट एंटरप्राइजेज। तथापि अनौपचारिक कार्मिकों में ऐसे कार्मिक शामिल हैं। जो गैर संगठित एंटरप्राइजेज में या घरेलू कार्यों में संलग्न हैं इनमें सामाजिक सुरक्षा के लाभ सहित नियमित कार्मिक और नियोक्ता द्वारा किसी रोजगार/सामाजिक सुरक्षा के बगैर औपचारिक क्षेत्र में कार्मिक शामिल नहीं हैं। (एनसी ईयूएस 2007 क पृ. 3)सारणी 7: संगठित और असंगठित क्षेत्र में औपचारिक-अनौपचारिक रोजगार (करोड़ में)

रोजगार का लिंगात्मक आयाम

10.27 श्रम बाजार में लैंगिक समानता त्वरित आर्थिक विकास और संपदा सृजन प्राप्त करने के लिए स्मार्ट अर्थशास्त्र होना माना जाता है क्योंकि इसमें परिवार की आय में वृद्धि, बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च करने, बचत, निवेश और उपयोग वृद्धि में सुधार के जरिए देश की गरीबी, असमानता और आर्थिक कल्याण पर प्रभाव पड़ने की संभावना होती है। वैश्वीकरण के युग में, यदि किसी देश की आधी आबादी गैर-पारिश्रमिक में पाबंद हों, कम उत्पादक हो और गैर-आर्थिक गतिविधियों में लगी हो तो वह देश न तो विकास कर सकता है और न अपनी पूर्ण संभावना को ही प्राप्त कर सकता है। (वर्ल्ड बैंक, 2011)

श्रम बाजार में महिलाओं की सहभागिता

10.28 एनएसओ-ईयूएस और पीएलएफएस के अनुमानों के अनुसार, उत्पादक आयु-समूह (15-59) के लिए महिला श्रम बल सहभागिता दर (एलएफपीआर) सामान्य स्थिति के अनुसार (पीएस+एसएस) गिरावट का रुझान दर्शाती है। महिला श्रम बल सहभागिता वर्ष 2011-12 में 33.1 प्रतिशत से 7.8 प्रतिशतांक गिर कर वर्ष 2017-18 में 25.3 प्रतिशत रह गई। हालांकि महिला श्रम बल सहभागिता दर शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में उच्चतर हैं, गिरावट की दर भी शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में उच्चतर हैं, (चित्र 8क) इसके परिणामस्वरूप, भारत के श्रम बाजार में लैंगिक असमानता बढ़ गई है जो शहरी महिलाओं को छोड़कर पुरुष श्रम बल सहभागिता दर की तुलना में महिलाओं के अनुपात में गिरावट के रुझान से पता चलता है! शहरी क्षेत्रों में, महिला बल सहभागिता स्थिर रही है। अत: पुरुष ऋम बल की तुलना में महिलाओं का अनुपात भी वर्ष 2011-12 और वर्ष 2017-18 के बीच स्थिर रहा है (चित्र 8ख)

10.29 महिला कामगार आबादी अनुपात (डब्ल्यूपीआर) भी इसी प्रकार का रुझान दर्शाता है7 पीएलएफएस के अनुसार, वर्ष 2017-18 में उत्पादक आयु समूह (15-59 आयु) के लिए महिला कामगार आबादी अनुपात 23.8 प्रतिशत (ग्रामीण क्षेत्रों में 25.5 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 19.8 प्रतिशत रहा जबकि वर्ष 2011-12 में यह 32.3 प्रतिशत रहा था (चित्र 9क)

चित्र 8क: अवस्थिति द्वारा महिला श्रम बल सहभागिता दर (पी एस. एसएस, 15-59 आयु)

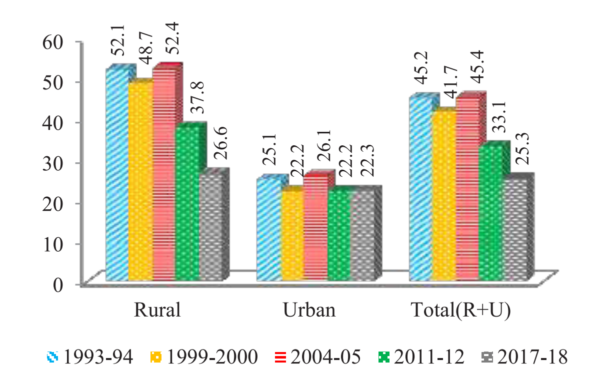

चित्र 8ख: पुरुष श्रम बल सहभागिता दर की तुलना में महिलाओं का अनुपात (पीएस+एसएस, 15-59 आयु)

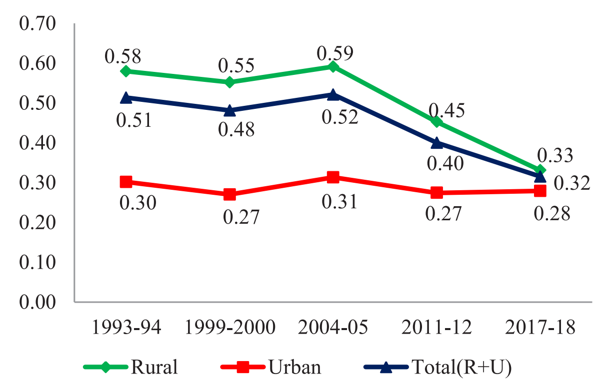

स्रोत: विभिन्न एनएसओ सर्वेक्षण चक्रों के इकाई स्तर के आंकड़ों के अनुमानित
Note: The figures are to be read along with explanatory note for comparability.

7. श्रमिक बल उन श्रमिकों को इंगित करता है जो किसी संदर्भ अवधि में आर्थिक गतिविधियों में लगे हुए होते हैं अथवा किसी आर्थिक गतिविधि में शामिल होना चाह रहे हैं। इसमें (1) ऐसे श्रमिक जो कार्यबल में हैं; और (2) बेरोजगार श्रमिक दोनों शामिल हैं। इनमें से, कार्यबल उस आबादी को इंगित करता है जो किसी आर्थिक गतिविधि में सक्रिय रूप से लगी हो और किसी संदर्भ वर्ष में माल और सेवाओं का उत्पादन कर रहा हो जबकि बेरोजगार श्रमिक उस पूरी आबादी को इंगित करते हैं जो कार्य की तलाश कर रहे हैं और कार्य के लिए उपलब्ध हैं किन्तु उन्होंने किसी संदर्भ वर्ष में कार्य की कमी के कारण कार्य नहीं किया था। इसलिए, श्रमिक बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) को कुल आबादी के नियोजित व्यक्तियों के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जा सकता है (वार्षिक रिपोर्ट, पीएलएफएस 2017-18)।

इसके परिणामस्वरूप, पुरुष कार्य सहभागिता की तुलना में महिलाओं के अनुपात में भी शहरी महिलाओं को छोड़कर भारत में निरंतर गिरावट का रुझान दर्शाया गया है। (चित्र 9ख)

10.30 कार्यकलाप के आधार पर, प्राथमिक (पीएस) और गौण (एस एस) - दर्शाते हैं कि महिलायें, मुख्यत: ग्रामीण क्षेत्रों में जो गौण कार्यो (एस एस) में लिप्त थी उनकी भागीदारी प्रचण्ड रुप से कम हुयी है। यह भागीदारी 2004-05 के 25 प्रतिशत से घटकर 2017-18 में 5.7 प्रतिशत हो गयी है। (चित्र 9 घ) यह साफ दर्शाता है कि जिनको पास स्थिर नौकरी है वह उसी पर बनी हुयी है जबकि जो अंशकालीन नौकरी में थी वह श्रम बाजार से बाहर हो जा रही हैं।

महिला श्रम शक्ति की सहभागिता को प्रभावित करने वाले कारक

10.31 जहां महिलाएं भारत की आबादी का लगभग आधा हिससा हैं वहीं श्रम बाजार में उनकी सहभागिता लगभग 1/3 है तथा आने सर्वेक्षणों के बाद देखा गया है कि उसमें गिरावट आ रही है। इस गिरावट वाले रुझान को समझने के लिए, युवा (15-29) तथा आयु समूहों (30-59 और 15-59) के लिए कार्यबल से बाहर की महिलाओं के कार्यकलाप की स्थिति की पृथक रूप से जांच की गई थी। जैसा कि सारणी 8 में वर्ष 2017-18 में देखा गया है, युवा महिलाओं (3 प्रतिशत) की तुलना में युवा पुरुषों (10.5 प्रतिशत) की बेरोजगारी दर उच्चतर थी। शैक्षणिक संस्थाओं में जाने वाले युवाओं के अनुपात में युवा पुरुषों के लिए वर्ष

चित्र 9क: अवस्थिति द्वारा महिला कामगार आबादी अनुपात (पीएस+एसएस, 15-59 आयु)

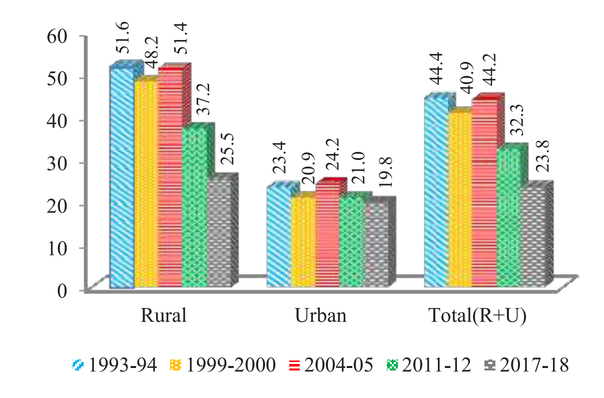

चित्र 9ख: पुरुष कार्य सहभागिता दर की तुलना में महिलाओं का अनुपात (पीएस,+एसएस, 15-59 आयु)

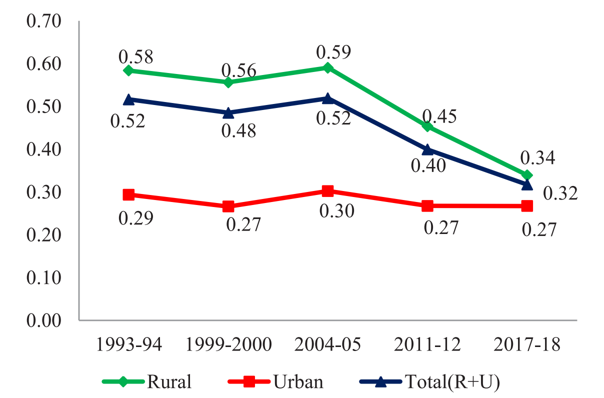

Figure 9 C: Female Worker Population Ratio (principal status, 15-59 ages) by Location (per cent)

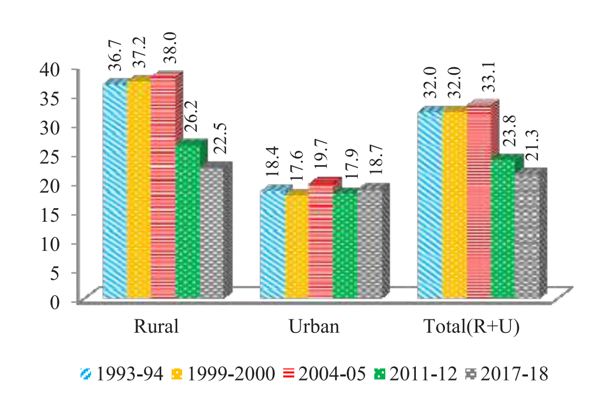

Figure 9 D: Female Worker Population Ratio (subsidiary status, 15-59 ages) by Location (per cent)

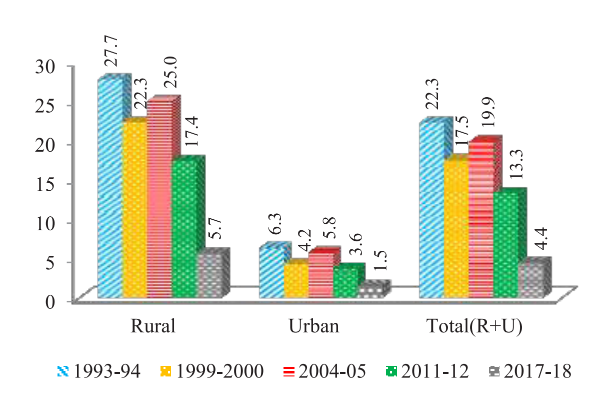

स्रोत: एनएसओ (ईयूएस) के विविध दौरों के यूनिट लेवल के डाटा और पीएलएफएस (2017-18) से आकलित।
टिप्पणी: अंकों को तुलनात्मकता के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणी के साथ पढ़ा जाएगा।

2004-05 में 23 प्रतिशत से वर्ष 2017-18 में 38.5 प्रतिशत तक अपेक्षाकृत तेज गति से वृद्धि हुई है, जबकि युवा महिलाओं के लिए यह अनुपात वर्ष 2004-05 में 15.8 प्रतिशत से वर्ष 2017-18 में 30.3 प्रतिशत लगभग दोगुना रहा है। इसे एक उल्लेखनीय उपलब्धि माना जा सकता है कि लगभग 1/3 युवा कौशल प्राप्त करने में लगे थे जिससे श्रम बाजार में उनके प्रवेश में विलंब हुआ। तथापि, वर्ष 2017-18 में लगभग 52.3 प्रतिशत युवा महिलाएं घरेलू कार्यकलापों में लगी हुई थीं और पिछले 2 दशकों की तुलना में यह अनुपात बढ़ा है। इसी प्रकार, उत्पादक आयु समूह 30-59 में, जहां महिलाओं शिक्षा से बाहर थीं, घरेलू कार्य करने वाली महिलाओं का अनुपात वर्ष 2004-05 में 46 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2017-18 में 65.4 प्रतिशत हो गया 9 सारणी 8)। पुरुषों के 1 प्रतिशत से भी कम की तुलना में उत्पादक आयु समूह (15-59 वर्ष) के लिए, कार्य करने के लिए, कार्य करने वाली आयु की महिलाओं की लगभग 7 प्रतिशत महिलाएं केवल घरेलू कार्य करने के कारण श्रम बाजार से बाहर थीं।

10.32 उत्पादक आयु समूहों की कार्यबल से बाहर की महिलाओं की शैक्षणिक उपलब्धि रोचक परिणाम दर्शाती है। यह पाया गया था कि सभी आयु उप-समूहों से संबंधित उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाओं की तुलना में मिडिल स्तर और माध्यमिक स्तर वाली महिलाओं घरेलू

सारणी 8: लिंग के आधार पर प्रमुख कार्यकलापों में कार्यबल से बाहर (पीएस+एसएस, 15-59 आयु) आबादी का वितरण (प्रतिशत)

कार्यकलाप	2004-05		2011-12		2017-18	
	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
15-29 वर्ष आयु वर्ग						
बेरोजगार (क)	3.91	2.18	3.77	1.62	10.45	2.94
श्रमिक बल में से (ख)						
शैक्षिक संस्थाओं में काम करने वाले	23.19	15.88	34.33	25.44	38.47	30.30
घरेलू ड्यूटी करने वाले	0.47	45.92	0.51	49.25	1.03	52.29
अन्य	1.72	1.12	1.60	0.91	1.72	1.00
कार्यबल (क+ख) का जोड़	**29.28**	**65.09**	**40.21**	**77.25**	**51.68**	**86.53**
30-59 वर्ष आयु वर्ग						
बेरोजगार (क)	0.43	0.49	0.36	0.24	1.29	0.48
श्रमिक बल में से (ख)						
शैक्षिक संस्थाओं में काम करने वाले	0.03	0.05	0.03	0.05	0.10	0.11
घरेलू ड्यूटी करने वाले	0.24	46.03	0.22	58.52	0.37	65.39
अन्य	2.26	1.89	1.96	1.84	2.69	2.84
कार्यबल (क+ख) का जोड़	**2.96**	**48.47**	**2.57**	**60.63**	**4.45**	**68.82**
15-29 वर्ष आयु वर्ग						
बेरोजगार (क)	2.01	1.24	1.86	0.83	5.30	1.51
श्रमिक बल में से (ख)						
शैक्षिक संस्थाओं में काम करने वाले	10.50	7.07	15.11	10.89	16.90	12.75
घरेलू ड्यूटी करने वाले	0.34	45.98	0.35	54.57	0.66	59.90
अन्य	2.01	1.55	1.81	1.44	2.27	2.07
कार्यबल (क+ख) का जोड़	**14.86**	**55.83**	**19.12**	**67.72**	**25.13**	**76.24**

स्रोत: एनएसओ-ईयूएस के विभिन्न चक्रों और पीएलएफएस 2017-18 के इकाई स्तर के आंकड़ों; से अनुमानित।

टिप्पणी: (1) एम, एफ और पी क्रमश: पुरुष, महिला और व्यक्ति को इंगित करता है अन्य में विप्रेषण प्राप्तकर्ता, दिव्यांग और अन्य शामिल हैं।

कार्यों में लगी हुई थीं उत्पादक आयु समूहों (15-59 वर्ष) के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्त केवल 5.3 प्रतिशत महिलाएं पूर्णकालिक घरेलू कार्यों में लगी हुई हैं जबकि घरेलू कार्य करने वाली शेष 54.6 प्रतिशत महिलाएं माध्यमिक स्तर तक ही पढ़ी हुई होती हैं (सारणी 9) । इस प्रकार समुचित शैक्षणिक स्तर/कौशलों की प्राप्ति का अभाव महिलाओं को घरेलू कार्यों तक सीमित कर रहे हैं।

सारणी 9: भारत में आयु समूहों और शिक्षा के स्तर के आधार पर घरेलू कार्य करने वाली (पीएस+एसएस) महिलाओं का वितरण

शिक्षा का स्तर	आयु समूह		
	15-29	30-59	15-59
अनपढ़	8.0	26.1	18.5
मिडिल स्तर तक	23.9	24.7	24.4
माध्यमिक स्तर तक	14.3	9.8	11.7
माध्यमिक उच्चतर	6.0	4.7	5.3
कुल	**52.3**	**65.4**	**59.9**

स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट, पीएलएफएस 2017-18

टिप्पणी: स्नातक और इससे ऊपर, में डिप्लोमा/प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम शामिल हैं।

10.33 भारत के लिए कम और गिरावट वाली महिला श्रम बल सहभागिता दरों के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए पर्याप्त मात्रा में अनुसंधान कार्य किया गया है। गिरावट वाली और कम महिला श्रम बल सहभागिता दर के समर्थन में अग्रिम तर्क मांग और आपूर्ति दोनों ही पक्ष से संबंधित हैं। आपूर्ति पक्ष के कारकों में यह कहा जाता है कि, वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर रही हैं और इसलिए श्रम बल भागीदारी देरी से कर रही है (रंगराजन ईटी एएल, 2011,) यह इसलिये भी हो सकता है कि उच्चतर मजहदूरीस्तरों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आय बढ़ सकी है, जिससे आर्थिक कठिनाई के समय रोजगार तलाशने का महिलाओं का दबाव समाप्त हो जाएगा (हिमांशु 2011,) श्रम बल सहभागिता दर में गिरावट का कारण सांस्कृतिक कारक और सामाजिक बाधाएं हो सकते हैं (दास 2006, बानू 2006) महिलाओं पर भुगतान न किए गए कार्य और भुगतान न किए गए देख-रेख कार्य का असंगत भार (वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, 2018)।

माँग पक्ष के कारकों में गुणवत्ता वाली नौकरियों का अभाव और लैंगिक मजदूरी में महत्वपूर्ण अंतर का होना है (विश्वबैंक, 2010), चौधरी 2011, काप्सोस ई अी ए एल 2014) सांघी ईटी एएल (2015) ने ग्रामीण भारत से संबंधित एनएमएसओ-ईयूएस आंकड़ों के प्रयोग वाले अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि सभी तर्कों में से, आय का प्रभाव, शिक्षा का प्रभाव और कम महत्व दिए जाने की समस्या मुख्य कारक हैं, जिस बात पर ध्यान नहीं दिया गया है वह है अर्थव्यवस्था का संरचनात्मक रूपांतरण और समग्र प्रक्रिया में महिला श्रम बाजार पर इसका परिणामी प्रभाव। मेहरोत्रा एंड सिन्हा (2017) में यह पाया कि महिलाओं की आर्थिक सहभागिता पर अनेक अंतरसंबंधित कारकों जैसे शैक्षणिक संस्थाओं में बढ़ती भीड़, बाल श्रम में गिरावट, परिवार के उच्चतर आय स्तर, कृषि संबंधी रोजगार से संरचनात्मक रूप से हटना, और कृषि का बढ़ना, मशीनीकरण कुछ ऐसे कारक थे जो महिला रोजगार के रूझानों में कमी के बन गये थे। अध्ययन से यह भी पता चला है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन में गिरावट, और शहरी क्षेत्रों में श्रमोन्मुख उद्योगों के उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय मांग में कमी से भी भारत में महिला श्रम बल सहभागिता दर में कमी आई है ।

10.34 कृषि क्षेत्र में मजदूरी कम होने के कारण, बिना भुगतान वाले श्रमिकों के रूप में लगी महिलाओं द्वारा इस क्षेत्र को छोड़ दिए जाने की संभावना होती है क्योंकि शिक्षा और वास्तविक आय वृद्धि उनकी आरक्षण मजदूरी को बढ़ा देते हैं। अर्थव्यवस्था का संरचनात्मक रूपांतरण श्रम बाजार में अनुरूप नहीं हुआ है। कृषि क्षेत्र में नियोजन में गिरावट विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि के साथ नहीं हुई थी जहां मिडिल से माध्यमिक स्तर की शिक्षा और मध्यम आय समूहों वाली अधिकांश महिलाओं द्वारा रोजगार तलाश जाने की संभावना होती है (चन्द्रशेखर एंड घोष 2011) इस प्रकार, आर्थिक विकास कृषि कार्य छोड़ने वाली महिला कामगारों को खपा पाने में समर्थ नहीं हुआ है (चौधरी 2011; कन्नन एंड रवींद्रन 2012)। महिला शिक्षा में अभूतपूर्व प्राप्ति और महिला रोजगार प्रभुत्व कृषि क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र से उनकी नौकरियों का घटना भी महिला श्रम बल सहभागिता दर

में गिरावट का कारण हो सकती है। यद्यपि मांग तथा आपूर्ति पक्ष से महिला कार्य सहभागिता में गिरावट को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त गंवेषणा की गई है लेकिन हालिया दशकों में महिला रोजगार में गिरावट के रुझान के बारे में विद्यानों के बीच अभी भी कोई सर्वसम्मति नहीं है।

महिला कार्यसहभागिता में सुधार लाने के लिए पहलें

10.35 अर्थव्यवस्था में महिला सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कार्यक्रम/विधायी सुधार लागू किए गए हैं। महिला कामगारों के लिए सौहार्दपूर्ण कार्य माहौल बनाने के लिए विभिन्न श्रम विधियों में शिशु देख-रेख केंद्र, शिशुओं को दूध पिलाने के लिए समय देने, सवेतन मातृत्व छुट्टी को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने, 50 या इससे अधिक कर्मचारी नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य क्रेच सुविधा के प्रावधान, महिला कामगारों को पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ रात्रि कालीन पालियों में अनुमति देने, आदि जैसे अनेक संरक्षात्मक प्रबंध गए है। समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1975 में पुरुष और महिला कामगारों को कोई भेदभाव किए बिना समाज कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए समान पारिश्रमिक की अदायगी किए जाने का प्रावधान है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अधीन, समुचित सरकार द्वारा नियत की गई मजदूरी बिना किसी लैंगिक भेदभाव के महिला और पुरुष दोनों ही कामगारों के लिए समान रूप से लागू होती है। महिला कामगारों की रोजगारपरकता को बढ़ाने के उद्देश्य से, सरकार महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। इनके अतिरिक्त, पूरे देश में महिला सशक्तिकरण के लिए विभिन्न पहले कार्यान्वित की गई है। इन प्रमुख स्कीमों का ब्यौरा निम्नवत है:

(i) **कार्यस्थल पर महिला सुरक्षा:** देश में महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा सरकार के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के दायरे में सभी महिलाएं, उनकी आयु या रोजगार स्थिति की परवाह किए बिना, आती है। और यह सरकारी तथा निजी क्षेत्र दोनों, चाहे यह संगठित हो या असंगठित के सभी कार्यस्थलों को यौन उत्पीड़न की शिकायतें प्राप्त करने के लिए आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) गठित करने का अधिदेश देता है। इसी प्रकार, समुचित सरकार प्रत्येक जिले में स्थानीय शिकायत समिति (एलसीसी) गठित करने के लिए अधिकृत है। यह समिति 10 से कम कामगारों वाले संगठनों से या यदि शिकायत नियोजन के ही खिलाफ हो, शिकायतें प्राप्त करेगी।

(ii) **महिला शक्ति केंद्र स्कीम:** इस स्कीम का उद्देश्य समुदाय की भागीदारी के जरिए ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना हैं इस स्कीम में ब्लॉक स्तर की पहलों के भाग के रूप में 115 महत्वकांक्षी जिलों में ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कॉलेज के छात्र स्वयंसेवकों के माध्यम से समुदाय को इस कार्य से जोड़ने की परिकल्पना की गई है।

(iii) **सुरक्षित और सस्ते आवास की व्यवस्था:** कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और सस्ता आवास प्रदान करने के लिए, कामकाजी महिला हॉस्टल स्थापित किए गए है। इन हॉस्टलों में साथ रहने वालों के बच्चों के लिए भी दिन के दौरान देखरेख सुविधा होती है।

(iv) **महिला हैल्पलाइन स्कीम (डब्ल्यूएचएल):** एक एकल नम्बर (181) के माध्यम से पूरे देश में महिलाओं से संबंधित सरकारी स्कीमों/कार्यक्रमों के बारे में रेफरल और जानकारी के जरिए हिसां से प्रभावित महिलाओं को 24 घंटे आपातकालीन तथा गैर-आपातकालीन सुविधा प्रदान करने के लिए 1 अप्रैल, 2015 से महिला हैल्पलाइन स्कीम कार्यान्वित की गई।

(v) **एक ही स्थान पर सेवा केंद्र (ओएससी):** इस स्कीम के तहत एकल सेवा रेंज तक पहुंच की सुविधा प्रदान की जाती है जिनमें हिंसा से प्रभावित महिलाओं को पुलिस, चिकित्सा, कानूनी, मनोवैज्ञानिक सहायता और अस्थाई आश्रय स्थल शामिल हैं। एक ही स्थान पर सेवा केंद्र देश के सभी जिलों में स्थापित किए जा रहे है।

(vi) **महिला उद्यमशीलता:** महिला उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने मुद्रा, स्टैंड अप इंडिया और महिला ई-हॉट (महिला उद्यमियों/एसएचजी/एनजीओ को सहायता प्रदान करने के लिए ऑनलाइन विपणन प्लेटफार्म) जैसी स्कीमें शुरू की हैं। प्रधनमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) 10 लाख रुपए तक की सूक्ष्म/लघु व्यवसाय इकाइयों को संस्थागत वित्त तक पहुंच प्रदान करती है। कुल लाभार्थियों में से, लगभग 75 प्रतिशत महिला उधारकर्ता थे। महिला उधारकर्ताओं के दायरे की ओर भी प्रोत्साहित करने के लिए, सुक्ष्म इकाई विकास एवं पुनर्वित एजेंसी लिमिटेड (मुद्रा) सूक्ष्म वित्त संस्थाओं द्वारा महिला उधारकर्ताओं को दिए गए पीएमएमवाई ऋण के लिए इसकी पुनर्वित्त ब्याज दर पर 0.25 प्रतिशत की छूट प्रदान करती है। स्टैंड-अप इंडिया: सरकार विनिर्माण, सेवाओं या व्यापार के क्षेत्र में ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए प्रति बैंक शाखा कम से कम एक अनुसूचित जाति (एससी) अनुसूचित जनजाति (एसटी) उधारकर्ता तथा कम से कम एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये के बीच ऋण प्रदान करती है।

(vii) राष्ट्रीय महिला कोष (आरएमके)—एक शीर्ष सूक्ष्म-वित्त संगठन है जो गरीब महिलाओं को आजीविका और आय सृजन संबंधी विभिन्न कार्यकलापों के लिए रियायती शर्तों पर सूक्ष्म ऋण प्रदान करता है। अन्य बातों में, राष्ट्रीय महिला कोष महिलाओं में उद्यशीलता कौशलों के विस्तार का संवर्धन और समर्थन भी करता है।

(viii) **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी):** इस स्कीम के अंतर्गत, महिला उद्यमियों को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना की स्थापना के लिए क्रमश: 25 प्रतिशत और 35 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान की जाती है। महिला लाभार्थियों के लिए, स्वयं का अंशदान परियोजना लागत का केवल 5 प्रतिशत है जबकि सामान्य श्रेणी के लिए यह 10 प्रतिशत प्रदान करने के लिए भी वित्तीय सहायता के लिए बैंकों से अपनी परियोजनाओं की स्वीकृति के पश्चात 2 सप्ताह के उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) के लिए पात्र है।

(ix) दीनदयाल अंत्योदया योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम)- इसका उद्देश्य 8-9 करोड़ ग्रमीण गरीब परिवारों तक पहुंचाना और प्रत्येक और परिवार से एक महिला एवयं सहायता समूहों और परिसंघों में संगठित करना हैं। महिलाओं को ऑर्गेनिक खेती, कृषि सखी, पशु सखी डेयरी महत्व श्रृखंला हस्तक्षेपों, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, स्टार्ट-अप गांव उद्यमशीलता कार्यक्रम आदि जैसी स्कीमों के विभिन्न घटकों के जरिए अपनी खेती संबंधी आजीविका और गैर-खेती संबंधी आजीविका को बढ़ाने के लिए स्कीम के अंतर्गत रोजगार और स्व-रोजगार उद्यम के लिए सहायता प्रदान की जाती है। दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) उनके आय सृजन और आजीविका संबंधी कार्यक्रलापों में सहायता करने के लिए प्रति स्वयं सहायता समूह को 10,000-15,000 रुपए तक की चक्रिय निधियां (आरएफ) और प्रति सहायता समूह 2,50,000 रुपए की सीमा तक सामुदायिक निवेश सहायता निधि (सीआईएसएफ) प्रदान की जाती है।

10.36 अच्छी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्या सेवाओं के सार्वभौतिक पहुंच के लिए शुरू की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 और इसके बाद ''आयुष्मान भारत'' अपने 2 घटकों के साथ व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र, और 2) 10.74 करोड़ गरीब और कमजोर परिवारों को द्व वितीय और तृतीय श्रेंणी के अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार, प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक कि स्वास्थ्य कवर प्रदान करने के लिए प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई), एव स्वास्थ भारत के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के विषय में बताती है। स्वास्थ्य सेवा चार महत्वपूर्ण स्तंभों पर केंद्रित है- निवारक स्वास्थ्य सेवा, सस्ती स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा अवसंरचना का निर्माण करना, मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य और संक्रामक व गैर-संक्रामक रोगों से लड़ने के लिए मिशन भाड़े में प्रयास करना। पिछले दो दशकों के दौरान प्राप्ति पोलियो, याज़, मातृ और नवजात टेटनस का उन्मूलन, मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) में कमी अंडर-पांच मृत्यु (यू5एमआर) में महत्वपूर्ण कमी , जीवन-प्रत्याशा में वृद्धि आदि (तालिका 10) वर्तमान में गैर-संक्रामक रोगों के बोझ में उल्लेखनीय वृद्धि को देखते हुए, सरकार अब संक्रामक रोगों (सीडी) से गैर-संक्रामक रोगों (एनसीडी) में इस महामारी संबंधी संक्रामण का निवारण करने पर ध्यान दे रही हैं।

निवारक स्वास्थ्य सेवा

10.37 निवारक स्वास्थ्य देखभाल में, वर्ष 2022 तक डेढ़ लाख आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों (एबी-एच डब्ल्यू सी) की स्थापना करना प्रस्तावित है। प्रजनन, मातृ, किशोर और शिशु स्वास्थ्य के लिए व संचारी बिमारियों के लिए सेवाएं प्रदान करना जारी रखते हुए, आम गैर संचारी रोगों जैसे कि उच्च रक्त चाप, मधुमेह और तीन आम कैंसरों-मुंह, छाती और गर्भाशय के कैंसर की उच्च गुणवत्ता जांच, रोकथाम,

तालिका 10: भारत स्वास्थ्य संकेतक

क्र. स.	मानदंड	1991	2001	2011	वर्तमान स्तर
1.	अशोधित जन्म दर (प्रति 1000 जनसंख्या)	29.5	25.4	21.8	20.2 (2017)
2.	अशोधित मृत्यु दर (प्रति 1000 जनसंख्या)	9.8	8.4	7.1	6.3 (2017)
3.	कुल प्रजनन दर	3.6	3.1	2.4	2.2 (2017)
4.	मातृ मृत्यु दर (प्रति 100, 000 जीवित जन्म पर)	NA	301 (2001-03)	167 (2011-13)	122 (2015-17)
5.	शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित जन्म) ग्रामिण शहरी	80 87 53	66 72 42	44 48 29	33 (2017) 37 23
6.	बाल (0-4) मृत्यु दर (प्रति 1000 बच्चे)	26.5	19.3	12.2	8.9 (2017)
7.	जन्म पर जीवन प्रत्याशा कुल ग्रामिण शहरी	(1991-95) 60.3 58.9 65.9	(2001-05) 64.3 63.0 68.6	(2009-13) 67.5 66.3 71.2	(2013-17) 69.0 67.7 72.4

स्रोतः नमूना पंजीकरण सर्वेक्षण (एसआरएस) और एसआरएस आधारित संक्षिप्त जीवन तालिका, भारत का महापंजीयक (आरजीआई)

नियंत्रण और प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए और व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए 28005 केंद्र (14 जनवरी 2020 की स्थिति के अनुसार) पहले ही स्थापित किए जा चुकें हैं।

10.38 इन्द्रधनुष मिशन के अंतर्गत, देश भर के 680 जिलों के 3.39 करोड़ बच्चों तथा 87.18 लाख गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण (ग्राम स्वराज अभियान और विस्तारित ग्राम स्वराज अभियान सहित) किया गया है। नए टीकों जैसं कि खसरा-रूबेला (एमआर), न्यूमोकोक्कल कंज्यूगेट टीका (पीसीवी), रोटा वायरस टीका (आर वीवी) और निक्रियकृत पोलियो टीका (आईपीवी) की शुरूआत की गई है। 31 दिसंबर 2019 की स्थिति के अनुसार, 32.42 करोड़ बच्चों का एमआर से टीकाकरण किया गया है। प्रारंभ से (नवम्बर, 2019 तक) पीसीबी की कुल 218.96 लाख खूराक दी गई है। आरवीवी को 11 राज्यों में लागू किया गया थ और नवम्बर, 2019 तक, बच्चों को लगभग 7.44 करोड़ खुराक दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, इसको प्रारंभ करने से नवम्बर 2019 तक समग्र देश के बच्चों को आईपीबी की लगभग 11.73 करोड़ खुराक दी गई है।

10.39 उपर्युक्त के अतिरिक्त, स्वास्थ्य की सामाजिक अवधारणाओं को दूर रकने के लिए आवश्यकता के स्वीकार करते हुए सरकार ने एक बहु क्षेत्रीय उपागम ग्रहण किया है ओर सरकार की ईट राइट और ईट सेफ इंडिया, अनिमियायुक्त भारत पोषण अभियान और स्वच्छ भारत अभियान आदि जैसे अन्य मिशन की सहायता से अपने प्रयासों को उत्त्ररोतर गति प्रदान कर रही हे।

10.40 ई-सिगरेट जैसे मुख्य उत्पादों के माध्यम से युवा और बच्चों में नशे की लत की आशंका को देखते हुए, सरकार ने हाल ही में ई-सिगरेटों के हर प्रकार के वाणिज्यिक कार्यकलापों को प्रतिबंधित किया है। तंबाकू के उत्पाद के पैकेटों पर बड़े चित्रों के माध्यम से दी गई बड़ी चेतावनी और क्विट लाइन नंबर का उल्लेख करने और इसके परिणामस्वरूप क्विट लाइन सेवा केंद्रों पर 20 हजार से 2.50 लाख कॉल प्रतिमाह की वृद्धि यह दर्शाती है कि तंबाकू के प्रयोग को घटाने के लिए सरकार के प्रयास सार्थक होने प्रारंभ हो गए हैं

स्वास्थ्य देखभाल वहनीयता (सामर्थ्य)

10.41 पिछले वर्षों के दौरान भारत में स्वास्थ्य देखभाल सेवा की पहुंच बेहतर हुई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (एनएचए) 2016-17 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कुल स्वास्थ्य व्यय की प्रतिशतता के रूप में जेब खर्च वर्ष 2013-14 में 64.2 प्रतिशत से घटकर 2016-17 में 58.7 प्रतिशत हो गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राक्कलन , 2016-17 के अनुसार स्वास्थ्य पर भारत का मौजूदा सरकारी व्यय 52 प्रतिशत है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 के अंतर्गत यह सिफारिश की गई है कि सरकार के स्वास्थ्य व्यय का कम से कम दो तिहाई व्यय प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पर किया जाए।

10.42 आयिुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) जो कि विश्व की सब से बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, चिछित गरीबों की वहनीय स्वास्थ्य देखभात सेवा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस स्कीम को क्रमशः ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जनगंणना के अनुसार वंचन और व्यावसायिक कसौटी के आधार पर लागू किया गया है इसके अतिरिक्त एबीएचडब्ल्यूसी के अंतर्गत इस समुदाय के लिए उनकी प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख की आवश्यकताओं और के लिए नजदीक नैदानिक सेवाओं और निशुल्क आवश्क औषधियां प्रदान की जाएगी जिसके द्वारा जेब खर्च को घटाने का उद्देश्य पूरा किया जा सकेगा।

10.43 निःशुल्क दवा सेवा पहल के अधीन निःशुल्क औषधियों के प्रावधान के लिए राज्यों को पर्याप्त निधियां दी गई हैं। सभी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों ने स्वास्थ्य सेवाओं में अनिवार्य औषधियां निःशुल्क देने के लिए नीति अधिसूचित की है। 29 राज्यों में आई टी आधारित औषधि वितरण प्रबंधन प्रणालियों के माध्यम से औषधि उपलब्धता, गुणवत्ता प्रणाली एवं वितरण को सुव्यवस्थित किया गया है।

10.44 नैदानिकी संबंधी, उच्च ओ ओ पी ई से निपटने के लिए तथा स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की गुणवत्ता को सुधारने के लिए निःशुल्क नैदानिक सेवा पहल आरंभ की गई हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में निःशुल्क प्रयोगशाला सेवाओं के लिए दिशानिर्देश दस्तावेज अगस्त 2019 में जारी किया गया था ताकि हब एवं स्पोक मॉडल में राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों का मार्ग दर्शन किया जा सके, नैदानिक परीक्षणों की श्रृंखला का विस्तार

उप केंद्र/स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र स्तर पर पहले 7 परीक्षण की तुलना में 14 परीक्षण पी एच सी स्तर पर 19 से बढ़ाकर 63 परीक्षण, सी एच सी स्तर पर 39 परीक्षणों से बढ़कर 97 परीक्षण तथा डी एच स्तर पर 56 परीक्षणों को बढ़ाकर 134 परीक्षण कर दिया गया है। परीक्षण में हेमाटोलॉजी, सिरोलाजी, बायो-केमिस्ट्री, क्लिनिकल पैथोलॉजी, माइक्रो बायोलाजी, रेडियोलाजी एवं कार्डियोलॉजी शामिल हैं। 01 नवंबर 2019 को 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एफ डी आई प्रयोगशाला सेवाएं क्रियान्वित कर दी गई है (11 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पी पी पी मोड तथा 22 राज्यों/संघ क्षेत्रों में इन-हाउस मोड); 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (13 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में इन हाउस मोड) में सी टी स्कैन सेवाएं क्रियान्वित कर दी गई हैं।

10.45 उपर्युक्त के अतिरिक्त, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पी एम बी जे पी) एवं प्रधनमंत्री राष्ट्रीय उपभोक्ता कार्यक्रम (पी एम एन डी वी) कुछ ऐसी पहले हैं जो औषधियों एवं अस्पताल देखभाल के बल पर उच्च ओ ओ पी ई के मुद्दे का समाधान करती हैं।

चिकित्सीय अवसंरचना

10.46 भारत में डब्ल्यू एच ओ की 1:1000 की संस्तुति के तुलना में चिकित्सा-जनसंख्या का अनुपात 1:1456 (1.35 बिलियन की अनुमानित जनसंख्या का) चिकित्सकों की कमी से निपटने के लिए जिला अस्पतालों को चिकित्सा महाविद्यालयों के रूप में अपग्रेड करने के लिए उल्लेखनीय कार्यक्रम चिह्नित किया है। पिछले 5 वर्षों में, सरकार ने 141 नई चिकित्सा महाविद्यालयों की संस्कृति दी।

10.47 चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नात्तक एवं स्नात्तकोत्तर सीटों के मानकों को संशोधित किया है। एमबीबीएस की अधिकतम प्रवेश संख्या 150 को बढ़ाकर 250 कर दिया गया है, भूमि, संकाय, स्टॉफ, बिस्तर संख्या आदि की आवश्यकता के संबंध में चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने के मानकों को भी युक्तिसंगत बनाया गया है। सरकार मौजूदा जिला/रैफरल अस्पतालों के साथ संबद्ध नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना को केंद्र एवं राज्यों के बीच निधि को शेयर करके केंद्रीय प्रायोजित योजना का प्रचालन करती है। परिणामस्वरूप, एमबीबीएस एवं एम डी सीटों को बढ़ाकर क्रमशः 27,235 एवं 15000 कर दिया गया है। चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए ये प्रयास दूरगामी सिद्ध होंगे।

10.48 देश के अंडरसबर्ड पिछड़े क्षेत्रों में क्लिनिकल देखभाल, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान में तृतीयक स्तर की स्वास्थ्य देखभाल क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पी एम एस एस वाई) आरम्भ की गई है जिसके अंतर्गत सुपर स्पेशिलिटी ब्लाक स्थापित करके एम्स जैसी संस्थाएं बनाई गई हैं तथा सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों को अपग्रेड किया गया है।

10.49 राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के संविधान के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 को प्रख्यापित किया गया है। एम्स एवं जी आई पी एम ई आर समेत सभी चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की शुरुआत करने के बारे में भी सुधार किए गए हैं।

10.50 स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के क्षेत्र में कई वर्षों से सरकार द्वारा किए जा रहे सतत प्रयासों से मानव संसाधन की उपलब्धता के साथ-साथ स्वास्थ्य देखभाल आधारित संरचना के विकास में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

10.51 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन एच एम) के सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए भारत सरकार, राज्य सरकारों का सहयोग करती है। इसके परिणामस्वरूप राज्यों में लोक स्वास्थ्य सुविधाओं की स्वास्थ्य संबंधी अवसंरचना में उल्लेखनीय सुधार भी हुए हैं। ए बी एच डब्ल्यू सी की स्थापना के अलावा, उप-स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, उप-जिला अस्पतालों, और जिला अस्पतालों के नए निर्माण/नवीकरण का कार्य पूरे देश में किया जा रहा है। (तालिका 12)।

10.52 10,767 सामान्य चिकित्सा अधिकारियों, 3062 विशेषज्ञों, 61600 स्टाफ नर्सों, 84,077 सहायक नर्सों (ए एन एम), 42,031 पराचिकित्सक, 414 लोक स्वास्थ्य प्रबंधकों और 17,265 कार्यक्रम प्रबंधन स्टॉफ सहित लगभग 2.51 लाख अतिरिक्त स्वास्थ्य मानव संसाधनों को संविदा आधार पर शामिल करने के लिए

तालिका 11: स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना

सुविधाएं	2014	2018
एससी/पीएचसी	182709 (31.3.2014 की स्थिति के अनुसार)	189784 (31.3.2018 की स्थिति के अनुसार)
सरकारी अस्पताल (ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र, सीएचसी)	20306	25778
आयुष अस्पताल एवं औषधालय	29733 (1.4.2014 की स्थिति के अनुसार)	31986 (as on 1.4.2018)
चिकित्सा कोलिज	398 (2014-15)	539 (2019-20)
नर्सिंग कर्मचारी	2621981 (31.12.2014 की स्थिति के अनुसार)	2966375 (as on 31.12.2017)
फ्रार्मेसिक्ट	664176 (27.6.2014 की स्थिति के अनुसार)	1125222 (as on 27.3.2019)
चिकित्सक (आधुनिक प्रणाली)*	747109 (upto 2014)	923749 (upto 31.12.2018)
आयुष चिकित्सक	736538 (as on 1.1.2014)	799879 (as on1.1.2018)

स्रोत: राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2015 और 2019

टिप्पणी: 1: एस सी: उप-केंद्र; पी एच सी: प्राथमिक चिकित्सा केंद्र; सी एच सी: सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र; आयुष; आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होमियोपैथी।

2. ऐसी धारणा है कि पंजीकृत डाक्टरों का 80 प्रतिशत उपलब्ध हैं।

भी राज्य सरकारों को भारत सरकार द्वारा सहयोग किया गया। राज्यों द्वारा चिन्हित रणनीतिक रूप से स्थित सुविधाओं के मामले में डाक्टरों को बहु-कौशल बनाने के लिए उल्लेखनीय प्रगति भी गई है जहां पर विशेषज्ञों अथात् एमबीबीएस डाक्टरों की कमी हैं, वहां पर उन्हें आपातकालीन प्रसूति देखभाल, जीवनरक्षक संवेदन/हरण कौशल और लैपरोस्कोपिक सर्जरी में प्रशिक्षित किया जाता है। इसी प्रकार, नर्सिंग स्टाफ और एएनएम की क्षमता निर्माण को भी विशेष महत्व दिया गया है। स्वास्थ्य सुविधाओं जैसाकि पीएचसी, सीएचसी और डीएच आदि में आयुष सेवाओं की सह-स्थापना का भी यह मिशन समर्थन करता है। एनएचएम, जो समुदाय एवं लोक स्वास्थ्य प्रणाली के बीच संपर्क के तौर पर कार्य करता है, के अधीन ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 10.42 लाख प्रमाणित सामाजिक स्वास्थ्य परचिकित्सक ''आशा'' कार्य कर रहे हैं।

Table 12: Public Health Infrastructure under National Health Mission

Facility	New Construction		Renovation/Upgradation	
	Sanctioned	Completed	Sanctioned	Completed
Sub Center	27573	21014	18707	15345
Primary Health Centre	2920	2264	13324	11462
Community Health Centre	604	473	6692	5771
Sub District Hospital	240	139	1150	963
District Hospital	172	129	3201	2325
Total	**31509**	**24019**	**43074**	**35866**

Source: Department of Health & FW (as on 30.6.2019)

मिशन मोड हस्तक्षेप

10.53 एसडीजी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किए जा रहे प्रयासों को प्राप्त करने के लिए सरकार ने आयुष्भान भारत जैसी एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की शुरूआत की है। आयुष्मान भारत का लक्ष्य जन स्वास्थ्य देखभाल के अलावा निवारक, सुविधापूर्ण देखभाल, पर बल देते हुए सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना; द्वितीयक एवं तृतीयक स्तर के अस्पताल की देखभाल के दुखद स्वास्थ्य खर्चों के विरूद्ध संरक्षण प्रदान करना है। नए आदर्श मॉडलों में एनसीडी की उभरती चुनौतियों की पहचान तथा उनका सामना करता है तथा आरएमएनसी एच+ए सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन) जैसी पहलों के माध्यम से संक्रमणी बीमारियों के लिए किए गए प्रयासों के संधारण का लक्ष्य भी रखा गया है। न्यूमोनिया को सफल तरीके से निष्क्रिय करने (एसएएएनएस) के लिए कार्रवाई करने तथा टीबी हारेगा देश जीतेगा जैसी पहलों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया रहा है।

10.54 देखभाल की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए एबी-एच डब्ल्यू सी एक सुपरिभाषित रैफरल और रिटॅर्न संयोजनों का अनुसरण करेगा। सभी स्तरों पर, चिकित्सकों और विशेषकों द्वारा मामला प्रबंधन समर्थन सहित रैफल सुझाव और सैद्धांतिक परामर्श लेने के लिए सभी स्तरों पर, सुदूर परामर्श का उपयोग किया जाना चाहिए। प्राथमिक स्वास्थ्य टीम की सत्त क्षमता बनाने के लिए कई राज्यों ने डिजीटल प्लेटफार्मों यथा ईसीएचओ का उपयोग भी आरंभ कर दिया है।

10.55 7.78 करोड़ से अधिक लोग इन केंद्रों पर आए और सामान्य एनसीडी के लिए 30 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों ने अपनी जांच कराई। 2.94 करोड़ व्यक्तियों ने तनाव संबंधी जांच करवाई, 2.51 करोड़ व्यक्तियों ने मधुमेह के लिए जांच करवाई जो ऐसी स्थितियां हैं जो अवसाद और अधिक मृत्युदर का कारण बनती हैं। उन्होंने कैंसर की तीन सामान्य स्थितियों के लिए जांच करवाई। 11.1.2020 तक मुख के कैंसर के लिए (1.52 करोड़) व्यक्तियों तथा (92 लाख) महिलाओं ने वक्ष कैंसर तथा (62 लाख) महिलाओं ने ग्रीवा कैंसर की जांच कराई।

सबके लिए घर

10.56 पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य और 2018 मे भारत में घरों की स्थिति के बारे में एनएसओ के हाल ही में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 76.7 प्रतिशत मकान और शहरी क्षेत्रों में लगभग 96.0 प्रतिशत पक्के घर थे। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) और प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) 2022 तक सबके लिए घर के लक्ष्य को हासिल करने के लिए दो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं।

10.57 प्रधाानमंत्री आवास योजना-जी के अंतर्गत 2014-15 मे 11.95 लाख घरों की अपेक्षा 2018-19 में 47.33 लाख घरों के निर्माण कार्य में चार गुणा से अधिक की गई वृद्धि, सभी के लिए घर सरकारी वचन बद्धता का संकेत मिलता है। इसे चरण-1 के अंतर्गत 2016-17 से 2018-19 तक, योजना के अंतर्गत 17. 01.2020 तक 1 करोड़ पक्के घरों के लक्ष्य के विपरीत 86.59 लाख पक्के घर उपलब्ध कराए गए। चरण-11 के अंतर्गत (2019-20 से 2021-22 तक), 1.95 करोड़ घरों के संचयी लक्ष्य की अपेक्षा (17 जनवरी, 2020 को) प्रधानमंत्री आवास योजना-जी के अंतर्गत 5,27,878 घर सौंपे गए। 01.01.2020 तक पीएमएवाई के अंतर्गत 1.12 करोड़ घरों की अनुमानित मांग की तुलना में 1.03 करोड़ घरों की मंजूरी दी गई, 61 लाख घरों की निर्माण प्रक्रिया शुरू की गई और 32 लाख घरों को सौंपा गया।

10.58 1 जनवरी, 2020 को सामाजिक समूहों की रेंज को शामिल करते हुए, जिसमें वरिष्ठ नागरिक, निर्माण कार्य से जुड़े श्रामिक, घरेलू कामगर, कारीगर, (दिव्यांगों), ट्रांसजेडर और कुष्ठ रोगियों को शामिल करते हुए, योजना ने सामाजिक व्यापकता को बढ़ावा दिया है, और महिलाओं को घरों का स्वामित्व देते हुए महिला सशक्तिकरण में सुधार किया हैं।

पेयजल और स्वच्छता

जल और स्वच्छता

10.59 पेयजल और स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस), जलशक्ति मंत्रालय ने 10 वर्षीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यनीति (2019-2029) शुरू की है, जो स्वच्छ भारत

मिशन ग्रामीण (एसबीएम–जी) के अंतर्गत हासिल किए गए सतत स्वच्छता व्यवहार परिवर्तन बरकरार रखने पर ध्यान केंद्रित करेगी, यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी पीछे छूट न जाए और ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन की पहुंच का विस्तार हो। वर्ष 2014 में एसबीएम–जी की शुरूआत से अब तक, ग्रामीण क्षेत्रों में 10 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है; 5.9 लाख से अधिक गांवों, 699 जिलों और 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने स्वयं को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित कर दिया गया है। यह कार्यनीति डीडीडब्ल्यूएस द्वारा राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श करके तैयार की गई है और यह स्थानीय सरकारों, नीति निर्माताओं, कार्यान्वयनकर्ताओं तथा अन्य संगत हितधारकों को ओडीएफ प्लस की आयोजना में उनका मार्गदर्शन करने के लिए रूपरेखा निर्धारित करती है, जहां हर कोई शौचालय का उपयोग करता है और प्रत्येक गांव के पास ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन की सुविधा है।

10.60 स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण, 2019 में देशभर में 698 जिलों में 17,450 गांवों को सम्मिलित किया गया और इसमें विद्यालयों, आंगनवाड़ी केंद्रों, जन स्वास्थ्य केंद्रों, हाट/बाजारों/धार्मिक स्थानों के 87250 सार्वजनिक स्थान शामिल है, जिससे यह भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण बन गया है। सर्वेक्षण के एक भाग के रूप में लगभग 2.5 लाख नागरिकों का उनके फीडबैंक के लिए साक्षात्कार किया गया था। स्वच्छता संबंधी मुद्दों पर इस प्रयोजन से विकसित एप्लीकेशन का उपयोग कर आनलाइन फीडबैक देने के लिए नागरिकों को जुटाया जाएगा।

10.61 जल शक्ति अभियान, भारत में पानी के अभावग्रस्त ब्लॉकों और जिलों में जल संरक्षण क्रियाकलापों पर प्रगति को और अधिक गतिशील करने के लिए आरंभ किया गया था। जल शक्ति अभियाान (जेएसए) द्वारा 256 जिलों में 3.5 लाख से ज्यादा जल संरक्षण संबंधी उपाय किए गए हैं। इनमें से 1.54 लाख जल संरक्षण और जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने से संबंधित हैं, 65,000 से ज्यादा उपाय दोबारा उपयोग और पुनर्भरण संरचनाओं से संबंधित हैं और 1.23 लाख (वाटर शैड) जल विभाजक विकास परियोजनाएं हैं। अनुमान है कि 2.64 करोड़ लोग इस अभियान से पहले ही जुड़ चुके हैं जिससे यह अब जन आंदोलन बन गया है।

निष्कर्ष

10.62 सबका साथ, सबका विकास और विश्वास के आदर्श वाक्य के साथ सरकार के प्रयासों से सामाजिक सेवाओं तक लोगों की पहुंच बेहतर हुई है। गत वर्षों के दौरान, ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में सभी स्तरों पर शिक्षा में भागीदारी से स्थिति सुधरी है। आईटीआई के विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण में वृद्धि हुई है और महिला प्रशिक्षुओं की संख्या में अच्छी–खासी बढ़ोतरी हुई है। आयुष्मान भारत के अंतर्गत नि:शुल्क नैदानिक सेवाएं एचडब्ल्यूसी, पीएचसी, सीएचसी और डीएच में उपलब्ध कराई जा रही है तथा नि:शुल्क औषधी सेवाएं स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में उपलब्ध कराई जाती है एनएचएम के अंतर्गत स्वास्थ्य सुविधाओं का नवीकरण किया जा रहा है। इन्द्रधनुष मिशन के अंतर्गत, पूरे देश में 680 जिलों के 3.39 करोड़ बच्चों और 81. 18 लाख गर्भवर्ती महिलाओं का टीकाकरण (जीएसए एवं ईजीएसए सहित) किया गया है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कुल औपचारिक रोजगार वर्ष 2011–12 के 8 प्रतिशत की तुलना मूं 2017–18 में 9.98 प्रतिशत की वृद्धि हुई। देश भर में आयुष्मान भारत और मिशन इंद्रध नुष के माध्यम के अतिरिक्त अन्य स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार हुआ है। गांवों में लगभग 76.7 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र में 96 प्रतिशत परिवारों के पास पक्के घर हैं। जल शक्ति अभियान भारत में पानी से अभावग्रस्त जिलों में जल संरक्षण के क्रियाकलापों में अधिक प्रगति करने के लिए आरंभ किया गया।

अध्याय एक नजर में	
➢	केन्द्र और राज्यों द्वारा सामाजिक सेवाओं (स्वास्थ्य, शिक्षा व अन्य) पर जीडीपी के अनुपात के रूप में व्यय 2014-15 में 6.2 प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 (ब.अ.) में 7.7 प्रतिशत हो गया है।
➢	मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग में 2018 की 130 की तुलना में 2019 में 129 का सुधार हुआ।
➢	माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा स्तर पर सकल नामांकन अनुपात में सुधार की गुंजाइश है।
➢	अर्थव्यवस्था में कुल औपचारिक रोजगार में 2011-12 के 8 प्रतिशत की तुलना में 2017-18 में 9.98 की वृद्धि हुई।
➢	महिला श्रमिक बल की प्रतिभागिता में गिरावट आने की वजह से भारत के श्रमिक बाजार में लिंग असमानता का अंतर और बड़ा हो गया है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में और लगभग 60 प्रतिशत उत्पादकता आयु (15-59) ग्रुप पूर्ण कालिक घरेलू कार्यों में लगे हैं।
➢	मिशन इन्द्रधनुष के तहत देशभर के 681 जिलों में 3.39 करोड़ बच्चों और 87.18 लाख गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण हुआ है।
➢	देश भर में आयुष्मान भारत और मिशन इंद्रधनुष के माध्यम के अतिरिक्त अन्य स्वास्थ्य सेवाओं पहुंच में सुधार हुआ है। गांवों में लगभग 76.7 प्रतिशत और शहरों में 96 प्रतिशत परिवारों के पास पक्के घर हैं।
➢	भारत में जल अभावग्रस्त जिलों में जल संरक्षण क्रियाकलापों में प्रगति में तेजी लाने के लिए जल शक्ति अभियान चालू किया गया।

REFERENCES

1. Banu, A. (2016), "*Human development, disparity and vulnerability: Women in South Asia*", Background paper for Human Development Report

2. Chandrasekhar, C P and J Ghosh (2011), "*Latest Employment Trends from the NSSO*", Business Line, 12 July.

3. Chowdhury, Subhanil (2011), "*Employment in India: What Does the Latest Data Show?*", Economic & Political Weekly, August 6, 2011 vol xlvi no 32.

4. Das, M. B. (2006), "*Do traditional axes of exclusion affect labour market outcomes in India?*", Social Development Papers, South Asia Series, No. 97 (Washington DC, World Bank).

5. Himanshu (2011), "*Employment Trends in India: A Re-examination*", Economic and Political Weekly, Vol. 46, No. 37, September 10.

6. Kannan, K P and Raveendran G (2012), "*Counting and Profiling the Missing Labour Force*", Economic & Political Weekly, 47(8).

7. Kapsos, S., Bourmpoula, E., & Silberman, A. (2014), "*Why is female labour force participation declining so sharply in India*?", International Labour Organization.

8. Mehrotra, S., Sinha, S. (2017). *"Explaining Falling Female Employment during a High Growth Period*", Economic and Political Weekly l, 11, 54-62

9. Narayan. L; Sharmila (2019), "*Declining Women Labour Force Participation in India-Causes and Issues,*" Vol.9(4), April 2019, pp-294-309.

10. Rangarajan, C., Padma Iyer and Seema Kaul (2011), *"Where is the missing Labour Force?"*, Economic and Political Weekly, Vil.42 No.46 (39), pp-68-72

11. Sanghi, S., Srija, A., & Vijay, S. S. (2015), "*Decline in rural female labour force participation in India: A relook into the causes*", Vikalpa, 40(3), 255-268.

12. World Economic Forum. (2018), "*The global gender gap report*" Geneva: World Economic Forum.